ख्वातीन के लिए जिन्दगी के तमाम मसाइल का मजमुआ

सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर

सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर मुकम्मल 4 हिस़्से 1 फ़ाइल में

हज़रत मुफ़्ती मुहम्मद ख़लील ख़ान क़ादिरी बरकाती علیہ الرّحمہ

मुसन्निफ़
मुफती खलील खां बरकाती

सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर कामिल

ख़्वातीन के लिए

ज़िन्दगी के तमाम मसाइल का मजमूआ

लेखक-

मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद ख़लील ख़ां क़ादरी बरकाती मद्दज़िल्लहुल आली

हिन्दी कर्ता-

मौलाना शहादत हुसैन फ़ैज़ी

[redacted]

मकतबा जामे नूर

422, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली - 6

फ़ोन: 3281418

Rs. 160.00

[redacted]

फेहरिस्त हिस्सा अव्वल

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الواحد الاحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن
له كفوا احد والصلوة والسلام على حبيبه سيدنا محمد المحمد وعلى
آله واصحابه والتابعين لهم باحسان رحمنا بهم ورحمهم
ربهم برحمتك يا حنان يا منان

तहारत का बयान

नमाज़ के लिए तहारत (पाकी) ऐसी ज़रूरी चीज़ है कि बग़ैर उसके नमाज़ नहीं होती। बल्कि जान बूझकर बग़ैर तहारत नमाज़ अदा करने को उलेमाए किराम कुफ़्र लिखते हैं हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जन्नत की कुंजी नमाज़ है और नमाज़ की कुंजी तहारत। (इमाम अहमद)

एक रोज़ नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सुबह में सूरः रूम पढ़ते थे कि मुतशाबिहा लगा। यानी क़िरआत में शुबहा पड़ा। बाद नमाज़ इर्शाद फ़रमाया क्या हाल है, उन लोगों का जो हमारे साथ नमाज़ पढ़ते हैं और अच्छी तरह तहारत नहीं करते । उन्हीं की वजह से इमाम को क़िरआत में शुबहा पड़ता है''। (नसई शरीफ़)

तो जब बग़ैर कामिल तहारत नमाज़ पढ़ने का वबाल यह है तो बे तहारत नमाज़ पढ़ने की नुहूसत का क्या पूछना। यह तो इबादत की बे अदबी व तौहीन है और उसका नतीजा मालूम। मौला अज़्ज़ोजल अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तुफ़ैल हर मुसलमान का ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाये। आमीन०

तहारत की दो क़िस्में हैं।

(१) तहारते सुग़रा (२) तहारते कुबरा

तहारते सुग़रा वुज़ू है और तहारते कुबरा गुस्ल

जिन चीज़ों से सिर्फ़ वुज़ू लाज़िम आता है उन को हदसे असग़र कहते हैं। और जिन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ हो उनको हदसे अकबर कहा जाता है। (आमए कुतुब)

चन्द ज़रूरी इस्तलाहें

१. **फ़र्ज़:** वह बात कि बे उसके किए आदमी बरीउज़्ज़िम्मा न होगा। यहां तक कि अगर वह किसी इबादत में है तो बे उसके बातिल व माअदूम होगी। उसका छोड़ना गुनाहे कबीरा है।

२. **वाजिब :** वह कि बे उसके किए भी बरीउज़्ज़िम्मा होने (छुटकारा पाने) का एहतिमाल है मगर ग़ालिब गुमान उसकी ज़रूरत पर है और अगर किसी इबादत में उसक बजा लाना दरकार हो तो इबादत बे उसके नाक़िस रहे। किसी वाजिब क़ा एक बार भी क़सदन छोड़ना गुनाहे सग़ीरा है और चन्द बार छोड़ना गुनाह कबीरा।

३. **सुन्नत मोवक्किदा:** वह जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमेशा किया हो अलबत्ता कभी तर्क भी फ़रमाया दिया हो (न किया हो) या वह कि उसके करने की ताकीद फ़रमाई उसका करना सवाब और न करना बहुत बुरा यहां तक कि जो उसके छोड़ने की आदत डाल ले वह अज़ाब का मुस्तहिक़ है।

४.**सुन्नत ग़ैर मोवक्किदा:** वह कि उसका छोड़ना शरीअत को पसन्द नहीं। उसका करना सवाब और न करना अगरचें बतौर आदत हो अिताब का मोअजिब नहीं।

५. मुस्तहब: वह जिस का करना शरीअत को पसन्द है मगर न करने पर कुछ नापसन्दी न हो उसका करना सवाब और न करने पर मुतलकन कुछ नहीं।

६. हराम कतई: यह फ़र्ज़ का मुकाबिल है उसका एक बार भी कसदन करना गुनाह कबीरा व फ़िस्क है और बचना फ़र्ज़ व सवाब।

७. मकरूह तहरीमी: वह कि उसके करने से इबादत नाक़िस हो जाती है और करने वाला गुनाहगार होता है। और चन्द बार उसका करना गुनाहे कबीरा होता है।

मकरूह तनज़ीही: वह जिसका करना शरीअत को पसन्द नहीं मगर न उस हद तक कि उसके करने पर अज़ाब आये।

वुज़ू का बयान

अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ

यानी 'ऐ ईमान वालो जब तुम नमाज़ पढ़ने का इरादा करो तो अपने मुंह और कोहनियों तक हाथों को धोओ और सरों का मसह करो और टखनों तक पावं धोओ''।

चन्द अहादीसे करीमा

हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इर्शाद फरमाते हैं।

१. कियामत के दिन मेरी उम्मत उस हालत में बुलाई जायेगी कि उनके मुंह और हाथ आसारे वुज़ू से चमकते होंगे तो जिससे हो

सके चमक ज़्यादा करे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

२. मुसलमान बन्दा जब वुज़ू करता है तो कुल्ली करने से मुंह के गुनाह गिर जाते हैं और जब नाक में पानी डाल कर साफ़ किया तो नाक के गुनाह निकल गये। और जब हाथ मुंह धोये तो हाथों के गुनाह निकले यहां तक कि पलकों के निकले और जब सर का मसह किया तो सर के गुनाह निकले यहां तक कि कानों से निकले और पांव धोओ तो पांव की ख़तायें निकलें यहां तक कि नाख़ूनों से। फिर उसका मस्जिद को जाना और नमाज़ पढ़ना उसके अलावा है। (मालिक व नसई)

३. जो शख़्स एक एक बार वुज़ू करे तो यह ज़रूरी बात है और जो दो-दो बार करे उसको दूना सवाब है और जो तीन-तीन बार धोये तो यह मेरा और अगले नबियों का वुज़ू है। (इमाम अहमद)

४. जो शख़्स सख़्त सर्दी में कामिल वुज़ू करे उसके लिए दूना सवाब है। (तबरानी)

५. जो शख़्स वुज़ू पर वुज़ू करे उसके लिए दस नेकियां लिखी जायेंगी। (तिर्मिज़ी)

फ़िक़ही अहकाम

आयते करीमा जो ऊपर लिखी गई है उससे साबित हुआ कि वुज़ू में चार बातें फ़र्ज़ हैं।

१. मुंह धोना

२. कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना।

३. सर का मसह करना।

४. टख़नों समेत दोनों पाव का धोना।

फ़ायदा: १ किसी अजू के धोने के यह मानी हैं कि उस अजू के हर हिस्से पर कम से कम दो बूंद पानी बह जाये। भीग जाने या तेल की तरह चुपड़ लेने या एक आध बूंद बह जाने को धोना नहीं कहेंगे न उससे वुजू या गुस्ल अदा होगा इस बात का लिहाज़ बहुत ज़रूरी है। लोग इसकी तरफ़ तव्वजोह नहीं देते और नमाज़ें बरबाद जाती हैं। बदन में बाज़ जगहें ऐसी हैं कि जब तक उनका ख़ास ख़्याल न रखा जाये उन पर पानी न बहेगा जिसकी तशरीह हर अजू में बयान की जायेगी।

२. किसी अजू पर तर हाथ फेरने या तरी पहुंचने को मसह कहते हैं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

१. मुंह धोना:- शुरू पेशानी से (यानी जहां तक उमूमन सर के बाल होते हैं) ठोढ़ी यानी नीचे के दांत जमने की जगह तक लम्बाई में और एक कान से दूसरे कान तक चौड़ाई में उस हद के अन्दर जिल्द के हर हिस्से पर एक मर्तबा पानी बहाना फ़र्ज़ है। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- लबों का वह हिस्सा जो उमूमन और आदतन लब बन्द करने के बाद ज़ाहिर रहता है। उसका धोना फ़र्ज़ है। यूंही रुख़सार और कान के बीच में जो जगह है जिसे कनपटी कहते हैं। उसका धोना भी फ़र्ज़ है।

मसला:- नथ का सुराख़ अगर बन्द न हो तो उसमें पानी बहाना फ़र्ज़ है अगर तंग हो तो पानी डालने में नथ को हरकत दे वरना हरकत देना ज़रूरी नहीं। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार)

२. हाथ धोना:- इस हुक्म में कोहनियां भी दाख़िल हैं अगर कोहनियों से नाख़ुनों तक कोई जगह ज़र्रह बराबर धुलने

से रह जायेगी वुज़ू न होगा।

मसला:- हर किस्म के जायज़ व नाजायज़ गहने छल्ले, अंगूठियां, पहुंचियां, कंगन, कांच लाख वग़ैरह की चूड़ियां, रेशम के लच्छे वग़ैरह अगर इतने तंग हों कि नीचे पानी न बहे तो उतार कर धोना फ़र्ज़ है और अगर सिर्फ़ हिला कर धोने से पानी बह जाता हो तो हरकत देना ज़रूरी है और अगर ढीले हों कि बे हिलाये भी नीचे पानी बह जायेगा तो कुछ ज़रूरी नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- हाथों की आठों घाईयां, उंगलियों की करवटें, नाख़ुनों के अन्दर जो जगह ख़ाली है। कलाई के बाल जड़ से नोक तक, उन सब पर पानी बह जाना ज़रूरी है अगर कुछ भी रह गया या बालों की जड़ों पर पानी बह गया मगर किसी एक बाल की नोक पर न बहा तो वुज़ू न हुआ मगर नाख़ुनों के अन्दर का मैल माफ़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- औरतों को फैंसी चुड़ियों का शौक़ होता है। उन्हें हटा-हटा कर पानी बहायें। (फ़तावा रिज़विया)

सर का मसह:- सर पर बाल न हों तो जिल्द की चौथाई और जो बाल हों तो ख़ास सर के बालों की चौथाई का मसह फ़र्ज़ है। (रद्दुलमुहतार) सर से नीचे जो बाल लटकते हैं, उनका मसह काफ़ी नहीं।

मसला:- दोपट्टा पर मसह हर गिज़ काफ़ी नहीं। मगर जब कि दोपट्टा इतना बारीक और तरी इतनी ज़्यादा हो कि कपड़े से फूट कर चौथाई सर या बालों को तर करदे तो मसह हो जायेगा। (बहर वग़ैरह)

४. पांव धोना:- इस हुक्म में गट्टे भी दाख़िल हैं घाटियां, उंगलियों

की करवटें, तलवे, एड़ियां और कोंचें सब का धोना फ़र्ज़ है। (आमए कुतुब)

मसला:- छल्ले और सब गहने कि गट्टों पर या उन से नीचे हों उनका हुक्म वही है जो ऊपर बयान किया है। (फ़तावा रिज़विया)

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

१. आंखों के ढीले और पपोटों की अन्दरूनी सतह को धोना कुछ दरकार नहीं बल्कि न चाहिए कि नुक़सान देता है। (फ़तावा रिज़विया)

२. जिन आज़ा को धोना फ़र्ज़ है। उन पर पानी बह जाना शर्त है। अगर्चे बिला इरादा अपने फ़ेल से न हो मसलन मींह बरसा और आज़ा वुज़ू के हर हिस्से से दो-दो क़तरे पानी के बह कर गये वह आज़ा धुल गये या फुवार बरसी और चौथाई सर को तरी पहुंच गई तो मसह सर का फ़र्ज़ उतर गया। (दुर्रे मुख़्तार)

3. जिस चीज़ की इंसान को ज़रूरत पड़ती रहती है और उसकी देखभाल और एहतियात में हर्ज हो, उसका नाखुनों के अन्दर या ऊपर या और कहीं लगा रह जाना वुज़ू होने से नहीं रोकता। अगरचे वह चीज़ जर्मदार हो अगरचे उसके नीचे पानी न पहुंचे अगरचे सख़्त चीज़ हो। जैसे पकाने गोंधने वालियों के लिए आटा, औरत के लिए मेंहदी या कोई पलक में सुर्मा काजल, उसी तरह बदन का मैल, मिट्टी, गुबार मक्खी, मच्छर की बीट (दुर्रे मुख़्तार)

४. औरत के हाथ पांव पर मेंहदी का जर्म (तह) लगा रह गया और ख़बर न हुई तो वुज़ू व गुस्ल हो जायेगा। हां जब मालूम हो जाये तो छुड़ा कर वहां पानी बहादे। यूंही सुर्मा आंख के कोये या

पलक में रह गया और ख़बर न हुई तो कोई हर्ज नहीं। (फ़तावा रिज़विया)

५. किसी के माथे पर अफ़्शां चुनी हो और ऊपर से पानी बहा दिया हाथ पांव के नाख़ुनों पर सुर्ख़ी का जर्म (तह) मौजूद है और वुज़ू कर लिया तो वुज़ू न होगा कि ज़रूरत की चीज़ें हैं और न उनकी निगहदाश्त और एहतियात में कोई हर्ज है। लिहाज़ा माथे का गोंध और सुर्ख़ी का जर्म दूर करके वुज़ू व गुस्ल करना चाहिए।

वुज़ू की सुन्नतें

१. नीयत करना

२. बिस्मिल्लाह से शुरू करना।

३. पहले हाथों को गट्टों तक तीन-तीन बार धोना।

४. मिस्वाक करना (यह औरतों के लिए उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सुन्नत है) लेकिन अगर वह न करें तो हर्ज नहीं। उनके लिए मिसी काफ़ी है। उनके दांत और मसूढ़े ब निस्बत मर्दों के कमज़ोर होते हैं। (अलमलफ़ूज़)

५. तीन चुल्लू पानी से तीन कुल्लियां करना।

६. तीन चुल्लू से तीन बार नाक में पानी चढ़ाना।

७. बायें हाथ से नाक साफ़ करना।

८. हाथ पांव की उंगलियों का ख़िलाल करना।

९. जो आज़ा धोने के हैं उनको तीन-तीन बार धोना।

१०. पूरे सर का एक बार मसह करना।

११. साथ ही दोनों कानों का उसी पानी से मसह करना।

१२. तरतीब से वुज़ू करना कि पहले मुंह हाथ धोयें फिर सर का

मसह करें फिर पांव धोयें।

१३. आज़ा को इस तरह धोना कि पहले वाला अज़ू सूखने न पाये (आमए कुतुब)

वुज़ू के मुसतहिब्बात

१. क़िब्ला रू ऊंची जगह बैठ कर वुज़ू करना।

२. वुज़ू का पानी पाक जगह पर गिराना।

३. पानी बहाते वक़्त हर हिस्से पर तर हाथ फेर लेना।

४. अपने हाथ से पानी भरना।

५. वुज़ू करने में बग़ैर ज़रूरत दूसरे से मदद न लेना।

६. वक़्त से पहले वुज़ू कर लेना।

७. अंगूठी वग़ैरह को हरकत देना। अगर तंग हो तो हिलाना ज़रूरी है।

८. इतमीनान से वुज़ू करना।

९. दोनों हाथों से मुंह धोना।

१०. हर अज़ू को धोते वक़्त नीयते वुज़ू हाज़िर रहना।

११. बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ़ वग़ैरह दुआयें पढ़ना।

१२. गर्दन का मसह करना।

१३. वुज़ू से फ़ारिग़ होते ही आसमान की तरफ़ मुंह करके खड़े होकर कलिमा शहादत और *इन्ना अंज़ल्नाहु* पढ़ना।

१४. वुज़ू का बचा हुआ थोड़ा पानी पी लेना।

१५. बग़ैर ज़रूरत बदन को कपड़े से बिल्कुल खुश्क न करना। (आमए कुतुब)

वुज़ू करने का मसनून तरीक़ा

पहले नीयत करके वुज़ू करने, क़िबला रू ऊंची जगह बैठें, वुज़ू का पानी पाक जगह गिरायें और वुज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें फिर दोनों हाथ पहुंचों तक तीन बार धोयें और इसका ख़्याल रखें कि उंगलियों की घाटियां और करवटें पानी बहने से न रह जायें वरना वुज़ू न होगा। फिर तीन मर्तबा मिस्वाक करें। फिर तीन बार इस तरह कुल्ली करें कि मुंह की तमाम जड़ों और दांतों की सब खिड़कियों में ग़रज़ हर बार मुंह के अन्दर और हर पुर्ज़ा पर पानी बह जाये और रोज़ा न हो तो ग़रग़रा करें और कुल्ली या ग़रग़रा दाहिने हाथ से पानी ले कर करें। फिर बायें हाथ की छंगली नाक में डाल कर नाक साफ़ करें और तीन चुल्लू से तीन बार नाक में पानी चढ़ायें कि जहां तक नर्म गोश्त होता है हर बार उस पर पानी बह जाये और रोज़ा न हों तो नाक की जड़ तक पानी पहुंचायें यह काम दाहिने हाथ से करें फिर मुंह धोने के लिये दोनों हाथों से माथे के सिरे पर ऐसा फैला कर पानी डालें कि ऊपर का भी कुछ हिस्सा धुल जाये और दोनों रुख़सार साथ ही साथ धोयें और मुंह पर पानी लम्बाई में पेशानी के बालों की जड़ों से ठोड़ी के नीचे तक और चौड़ाई में एक कान से दूसरे कान तक बहायें। फिर पहले दाहिना फिर बायां, दोनों हाथ कोहनियों तक इस तरह धोयें कि पानी की धार नाखुनों से कोहनियों तक बराबर पड़ती चली जाये। और इसका ख़्याल रखें कि एक रोंगटा भी खुश्क न रहे। अगर पानी किसी बाल की जड़ को तर करता हुआ बह गया और ऊपरी हिस्सा खुश्क रह गया तो वुज़ू न होगा। फिर पूरे सर का मसह करें और उसका तरीक़ा यह

है कि दोनों हाथों का अंगूठा और कलिमा की उंगली छोड़ कर एक हाथ की बाक़ी उंगलियों का सिरा दूसरे हाथ की तीनों उंगलियों के सिरे से मिलायें और पेशानी के बाल पर रख कर गुद्दी तक इस तरह खींचते हुए ले जायें कि हथेलियां सर से जुदा रहें। वहां से हथेलियों से मसह करते हुए पेशानी तक वापिस लायें और कलिमा की उंगली को पेट से कानों के पेट का और अंगूठों के पेट से कानों की पुश्त का और उंगलियों की पुश्त से गर्दन का मसह करें गले पर हाथ न लगायें कि बिदअत है।

फिर तीन-तीन बार पहले दायां फिर बायां दोनों पांव टखने के ऊपर निस्फ़ पिंडली तक धोयें और धोने में हर बार पानी पांव के नाखुनों की तरफ़ से गट्टों के ऊपर तक लायें कि सुन्नत यही है और पांव की उंगलियों का ख़िलाल बायें हाथ की छंगुली से करें। वुजू के बाद मयानी पर कुछ पानी छिड़क लें कि शैतानी वसंवसा को दूर करता है। फिर बचा हुआ पानी खड़े हो कर थोड़ा सा पी लें कि शिफ़ा बख़्शता है और आसमान की तरफ़ मुंह करके कलिमा शहादत और इन्ना अनज़लना पढ़ लें। (आमए कुतुब)

वुजू के मकरूहात

१. वुजू के लिए नापाक जगह बैठना या नापाक जगह वुजू का पानी गिराना।

२. आज़ाए वुजू से लोटे वग़ैरह में पानी टपकाना।

३. मस्जिद के अन्दर वुजू करना।

४. पानी में थूकना, नाक सिनकना अगर्चे दरिया या हौज़ हो।

५. क़िबला की तरफ़ थूकना या कुल्ली करना।

६. बे ज़रूरत दुनिया की बात करना।

७. ज़्यादा पानी ख़र्च करना।

८. इतना कम पानी ख़र्च करना कि सुन्नत अदा न हो।

९ चेहरे पर ज़ोर से पानी मारना।

१०. एक हाथ से मुंह धोना कि यह हिन्दुओं (काफ़िरों) का तरीक़ा है।

११. गले का मसह करना।

१२. बायें हाथ से कुल्ली करना या नाक में पानी डालना।

१३. दायें हाथ से नाक साफ़ करना।

१४. तीन नये पानियों से तीन बार सर का मसह करना।

१५. धूप के गर्म पानी से वुज़ू करना कि वह बर्स (सफ़ेद दाग़) पैदा करता है।

१६. होंट या आंखें ज़ोर से बन्द कर लेना।

१७. किसी सुन्नत को छोड़ देना।

वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ों का बयान

कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उन्हें शरीअत मुतह्हरा ने नवाक़ज़ वुज़ू क़रार दिया है यानी उन में से अगर एक भी पाई जाये तो वुज़ू टूट जाता है। इन में बाज़ यह हैं।

१. आगे या पीछे के मक़ाम से पेशाब पाख़ाना वग़ैरह किसी नजासत या कीड़े या पथरी का निकलना या पीछे से हवा का ख़ारिज होना।

२. ख़ून, पीप या ज़र्द पानी जब कि कहीं से निकल कर ऐसी जगह बह कर चला जाये कि जिसका वुज़ू या ग़ुस्ल में धोना फ़र्ज़ है।

३. आंख, कान, नाफ़, पिस्तान, वग़ैरहा में दाना या नासूर या कोई बीमारी हो और और इस वजह से जो आंसू या पानी बहेगा वुज़ू तोड़ देगा। दुखती हुई आंख से जो आंसू बहता है उसका यही हुक्म है बल्कि यह पानी खुद भी नजिस है।

४. खाने या पानी या सुफरा की मुंह भर कै, यूं ही जमे हुये खून की मुंह भर कै, और बहते हुये ख़ून की कै जब कि थूक उस पर ग़ालिब न हो, वुज़ू तोड़ देती है।

५. बे होशी, गशी, पागलपन और इतना नशा कि चलने में पांव लड़खड़ायें, वुज़ू तोड़ देता है।

६. बालिग़ का कहकहा यानी इतनी आवाज़ से हंसी कि आस पास वाले सुनें जब कि जागते में और रूकूअ व सजूद वाली नमाज़ में हो वुज़ू तोड़ देता है।

७. सो जाने से भी वुज़ू जाता रहता है। मसलन लेटे-लेटे आंख लग गई या किसी चीज़ के सहारे बैठे-बैठे नींद आ गई कि अगर वह चीज़ न होती तो गिर पड़ती तो वुज़ू जाता रहा। और अगर नमाज़ में बैठे-बैठे या सज्दे में कसदन सो गई तो भी वुज़ू गया और नमाज़ भी गई।

८. मुंह से खून का निकलना भी जब कि थूक पर ग़ालिब हो नवाकिज़ वुज़ू है।

वह सूरतें जिन में वुज़ू नहीं जाता

१. खून या पीप या ज़र्द पानी उभरा और बहा नहीं जैसे सुई की नोक या चाकू का किनारा लग जाता है। और ख़ून उभर आता है।

२. या अपनी या पराई शर्मगाह (पेशाब या पाखाना की जगह)

पर हाथ लगाया।

३. या खिलाल किया या मिस्वाक की या उंगली से दांत मांझे या कोई चीज़ काटी उसपर खून का असर पाया या नाक में उंगली डाली उस पर खून की सुर्ख़ी आ गई मगर वह खून बहने के काबिल नहीं।

४. या नाक साफ की उसमें से जमा हुआ खून निकला।

५. कान में तेल डाला था और एक दिन बाद कान या नाक से निकला।

६. जूं, खटमल, मच्छर या पिस्सू ने खून चुसा।

७. बलग़म की कै जितनी भी हो।

८. बैठे-बैठे झोंके लेती रही या ऊंघती रही।

९. या नमाज़ के अन्दर सोते में या नमाज़ जनाज़ा या सज्दा तिलावत में कहकहा लगाया।

तो इन सूरतों में वुज़ू न जायेगा और आख़िरी सूरत में नमाज़ या सज्जदा फासिद है। (आमए कुतुब)

फायदा:- अपनी या पराई शर्मगाह देखने से वुज़ू जाता रहता है जैसा कि मशहूर है। महज बे असल बात है। हां बिला जरूरत बदन खुला रखना अगर्चे वह सर हो या कलाई या बाज़ू दूसरे के सामने खोलना हराम है।

वुज़ू के मुतफ़र्रिक़ मसाइल

१. खुद पानी का बदन के हिस्सों पर बह जाना ज़रूरी है। अगर हाथ या पांव के पंजे पर पानी डाला, कोहनियों और पांव के गट्टों तक न पहुंचा था कि बीच में हाथ लगा कर आख़िर अज़्‌ू तक फेर दिया। (जैसा कि बहुत से लोग़ करते हैं) तो वुज़ू न होगा कि यह

बहाना न हुआ चिपुड़ना हुआ और फ़र्ज़ बहाना था।

२. मुस्तहब है कि आज़ा धोने से पहले भीगा हाथ फेर ले कि पानी जल्द दौड़ता है और थोड़ा बहुत का काम देता है। ख़सूसन जाड़े में उसकी ज़्यादा हाजत है कि आज़ा में ख़ुश्की होती है। बहती धार बीच में जगह छोड़ जाती है जैसा कि मालूम होता है। इस तरकीब से वुज़ू भी कामिल होगा और पानी में इसराफ़ (फ़िज़ूल ख़र्ची) से भी इंसान बचा रहेगा।

३. बहुत से लोग यूं किया करते हैं कि नाक या आंख या भौं पर पल्लू डाल कर सारे मुंह पर हाथ फेर लेते हैं और यह समझते हैं कि मुंह धुल गया। हालांकि पानी का ऊपर चढ़ना कोई मानी नहीं रखता और इस तरह धोने में मुंह नहीं धुलता और वुज़ू नहीं होता। यूंही चुल्लू में पानी लेकर कलाई पर उलट लेना हरगिज़ काफी नहीं।

४. जो हिस्से धोने के हैं तहारत में उनमें से हर हिस्सा का पूरे तीन बार धोना सुन्नत मोवक्किदा है। लेहाज़ा हर मर्तबा इस तरह धोये कि अज़ू का कोई हिस्सा रह न जाये वर्ना सुन्नत अदा न होगी और इस में चुल्लुओं की गिनती नहीं बल्कि पूरा अज़ू धोने की गिनती है कि वह तीन मर्तबा हो अगरचे कितने ही चिल्लू से।

५. किसी बीमारी की वजह से पांव के अंगूठों में इस क़द्र खींच कर तागा बांधा जाता है कि पानी का बहना तो दरकिनार, तागे के नीचे तर भी नहीं होता। इस से बचना लाज़िम है।

६. पानी एहतियात से खर्च करें। बे सबब ज़्यादा खर्च करने से बचें। बाज़ लोग चुल्लू लेने में पानी ऐसा झलते हैं कि उबल जाता है। हालांकि जो गिरा बेकार गया। उससे एहतियात चाहिए। जिस काम के लिए लें उस का अंदाज़ा कर लें। मसलन नाक में पानी

चढ़ाने के लिए आधा चुल्लू काफी है।

७. लोग यह समझते हैं कि थोड़ा सा पानी मुंह में लेकर उगल देने से जल्दी जल्दी तीन बार पीच-पीच कर लेने से कुल्ली, और नाक की फेंक या नाक से पानी छला लेने से वुजू में सुन्नत अदा हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं बल्कि उसकी आदत डाल गुनाह है और गुस्ल में ऐसा करने से तो गुस्ल अदा ही नहीं होता, कि फ़र्ज रह जाता है।

८. इस्तंजा के बाद जो पानी बर्तन में बच रहा है पाक ही है। उससे वुजू जायज़ है और उसका फेंक देना गुनाह व नाजायज़ है। यूंही वुजू के बाद लोटे में जो पानी बच रहता है वह दूसरे वुजू या किसी और काम में आ सकता है। लोग उसे फेंक देते हैं। यह न चाहिए कि इसराफ में दाखिल है। (दुर्रे मुख्तार, रद्दुलमुहतार, फ़तावा रिज़वियह, बहारे शरीअत)

ज़रूरी निहायत ज़रूरी

बदन पर कोई नजासत न लगी हो तो जो पानी वुजू या गुस्ल करने में बदन से गिरा वह पाक तो है मगर उससे वुजू या गुस्ल जायज़ नहीं (दुर्रे मुख्तार)

यूं ही अगर बे वुजू शख़्स का हाथ या उंगली या पूरा नाखुन या बदन का कोई हिस्सा जो वुजू में धोया जाता है। उसी तरह जिस शख्स पर नहाना फर्ज है। उसके जिस्म का कोई हिस्सा जो धुला न हो पानी में पड़ जाये या पानी से छू जाये तो वह पानी मुस्तअमल हो गया। उस से वुजू या गुस्ल नहीं हो सकता। उसका पीना और उससे आटा गोंधना मकरूह है। हां कपड़े वग़ैरह धोने के काम

आ सकता है। औरतें इस मसला की तरफ़ ख़ास तवज्जोह दें। वह अक्सर छंगली या किसी उंगली की गांठ पानी में डाल कर देखती हैं कि गर्म है या नहीं और उसका उन्हें ख़्याल भी नहीं होता कि अब यह पानी न वुज़ू के काबिल रहा न गुस्ल के। हां हाथ धोकर डालें तो कोई हर्ज नहीं। यूं ही अगर हाथ धुला हुआ है मगर फिर भी धोने की नीयत से पानी में डाला और यह धोना सवाब का काम हो। जैसे खाने के लिए वुज़ू के लिए तो यह पानी मुस्ताअ़मल हो गया। यानी वुज़ू व गुस्ल के काम का न रहा और उसको पीना भी मकरूह है। (नूरुल अबसार, फ़तावा रिज़वियह वग़ैरह)

ऐसे पानी को जो मुस्तमअल हो गया अगर वुज़ू या गुस्ल के काम में लाना चाहें तो अच्छा पानी उससे ज़्यादा उस में मिलादें। ये सब पानी काम का हो जायेगा। (दुर्रे मुख़्तार रददुलमुहतार वग़ैरह)

वुज़ू की दुआयें

१. कुल्ली करते वक़्त–:

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

इलाही मेरी मदद फरमा, कुरआन की तिलावत और अपने ज़िक्र व शुक्र अच्छी इबादत पर।

२. नाक में पानी डालते वक़्तः–

اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِيْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ
وَلَا تُرِحْنِيْ رَائِحَةَ النَّارِ

इलाही मुझे जन्नत की खुशबू सुंघा और जहन्नम की बदबू न सुंघा।

३. मुंह धोते वक़्तः–

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِيْ يَوْمَ
تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ

इलाही मेरा चेहरा रोशन कर जिस दिन कुछ चेहरे सफेद होंगे और कुछ चेहरे सियाह।

4 **दायां हाथ धोते वक़्त :-** اَللّٰھُمَّ اَعْطِنِیْ کِتَابِیْ بِیَمِیْنِیْ وَحَاسِبْنِیْ حِسَابًا یَسِیْرًا ط

इलाही मेरा नामाए आमाल मेरे दाहिने हाथ में देना और मुझसे आसान हिसाब करना।

५. बायां हाथ धोते वक़्त-

اَللّٰھُمَّ لَا تُعْطِنِیْ کِتَابِیْ

بِشِمَالِیْ وَلَا مِنْ وَّرَاءِ ظَھْرِیْ

इलाही मेरा नामाए आमाल न मेरे बायें हाथ में देना न मेरी पीठ के पीछे से।

६.सर का मसह करते वक़्त:-

اَللّٰھُمَّ اَظِلَّنِیْ تَحْتَ عَرْشِكَ

یَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّاظِلُّ عَرْشِكَ

इलाही तू मुझे अपने अर्श के साये में रखना जिस दिन तेरे अर्श के साए के सिवा कहीं साया न होगा।

७. कानों का मसह करते वक़्त:- اَللّٰھُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ الَّذِیْنَ یَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ

इलाही तू मुझे उन लोगों में कर दे जो बात सुनते और अच्छी बात पर अमल करते हैं।

८. गर्दन का मसह करते वक़्त:-

اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِیْ مِنَ النَّارِ

इलाही मेरी गर्दन आग से आज़ाद कर दे।

९. दायां पांव धोते वक़्त:-

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِیْ عَلَی
الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ

ऐ अल्लाह मेरा क़दम पुल सिरात पर साबित रख जिस दिन उस पर क़दम लग़ज़िश करेंगे।

१०. बाया पांव धोते वक़्त:-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِیْ مَغْفُوْرًا
وَسَعْيِیْ مَشْكُوْرًا وَتِجَارَتِیْ
لَنْ تَبُوْرَ

ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बख़्श दे और मेरी कोशिश को कामयाब बना, और मेरी तिजारत हलाक न हो।

११. वुज़ू से फ़ारिग़ होते ही:-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ
وَاجْعَلْنِیْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

ऐ अल्लाह तू मुझे तौबा करने वालों में और पाक लोगों में कर दे।

१२. फिर खड़े होकर और आसमान की तरफ मुंह करके।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

तू पाक है ऐ अल्लाह और मैं तेरी हम्द करता हूं। मैं गवाही देता हूं कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं मैं तुझ से बख़्शिश चाहता और तेरी

तरफ़ तोबा करता हूं।

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

१. जो चीज़ इंसान के बदन से निकले और वुजू न तोड़े वह नजिस नहीं मसलन खून कि बहकर न निकले या थोड़ी कै कि मुंह भर न हो पाक है।

२. खारिश या फुनसियों में जब कि बहने वाली रतूबत न हो बल्कि सिर्फ चिपक हो। कपड़ा उससे बार बार छूकर अगरचे कितना ही सन जाये पाक है।

३. सोते में जो राल मुंह से गिरे अगरचे पेट से आए और बदबूदार हो, पाक है।

४. आंख दुखने में जो आंसू बहता है नापाक है और नवाक़िज़ वुजू भी उससे एहतियात ज़रूरी है अक्सर देखा गया है कि कुर्ते वग़ैरह से उस आंसू को पोंछ लिया करते हैं। और अपने ख़्याल में उसे आंसूओं की तरह समझते हैं। यह गलती है और अगर ऐसा किया तो कपड़ा नापाक हो गया।

५. शीर ख़्वार बच्चे (दुध पीते) ने दूध डाल दिया। अगरचे वह मुंह भर है नजिस है दिरहम से ज़्यादा जगह में जिस चीज़ को लग जायेगा नापाक कर देगा। लेकिन अगर यह दूध मेअदे से नहीं आया बल्कि सीने तक पहुंच कर पलट आया तो पाक है।

६. दरमियान वुजू में कोई ऐसी बात हुई जिससे वुजू जाता रहता है तो नये सिरे से वुजू करे। वह पहले धुले हुए बे धुले हो गये।

७. मुंह से इतना खून निकला कि थूक सुर्ख हो गया तो अगर लोटे कटोरे या किसी बर्तन से मुंह में लेकर कुल्ली के लिए पानी

लिया तो लोटा कटोरा और कुल पानी नजस हो जायेगा ऐसी सूरत में चुल्लू मे पानी ले कर कुल्ली करे और फिर धोकर कुल्ली के लिये पानी ले।

८. अगर दरमियान में वुजू के धोने में शक वाकेअ हुआ और यह जिन्दगी का पहला वाकिया है तो उसको धोले और अगर अक्सर शक पडा करता है तो उसकी तरफ ध्यान न दे यूं ही अगर वुजू करने के बाद शक हो तो उसका कुछ ख़्याल न करें।

९. जो बा वुजू था अब उसे शक है कि यह शुबा बतौर वसवसा के हो कि अक्सर पड़ता ही रहता है तो उसे हरगिज़ न माने। उस सूरत में एहतियात समझ कर वुजू करना एहतियात नहीं बल्कि शैतानलऔन की पैरवी है।

१०. मीयानी में तरी देखी मगर यह नहीं मालूम कि पानी है या पेशाब तो अगर उम्र का यह पहला वाकिया है। तो वुजू करले और उस जगह को धोले और अगर बारहा ऐसे शुबहे पड़ते रहते हैं तो उसकी तरफ तवज्जोह न दे कि यह शैतानी वसवसा है।

फ़ायदा:- वलहान एक शैतान का नाम है जो वुजू में वसवसे डालता है उसके हर एक वसवसे से बचने की बेहतरीन सूरत यह है कि आऊज़ुबिल्लाह या लाहौल वला कुव्वत इल्लाबिल्लाहिलअलिय्यिल अज़ीम, या कुल आअऊज़ुबिरब्बिन्नास पढ़े और वसवसा का बिल्कुल ख्याल न करना बल्कि उसके खिलाफ अमल करना, वसवसा को दफ़अ करता है। (दुर्रे मुख्तार, रद्दुलमुहतार, बहारे शरीअत)

गुस्ल का बयान

अल्लाह अज़्ज़ोजल फ़रमाता है:-

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا

अगर तुम जुनब हो तो ख़ूब पाक हो जाओ यानी गुस्ल करो। और फ़रमाता है:- حَتّٰى يَطْهُرْنَ

(ऐ मर्दों तुम औरतों के करीब न जाओ) यहां तक कि वह हैज़ वाली औरतें पाक हो जायें।

चन्द अहादीसे करीमा

इर्शाद फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि:-

१. हर बाल के नीचे जनाबत है तो बाल धोओ और जिल्द साफ करो। (अबूदाऊद तिर्मिज़ी)

२. जो शख़्स जनाबत के गुस्ल में एक बाल की जगह बे धोए छोड़ देगा उसके साथ आग से ऐसा ऐसा किया जायेगा (यानी अज़ाब दिया जायेगा।)

३. उम्मुलमोमिनीन उम्मे सलमा फ़रमाती हैं कि उम्मे सलीम ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह अल्लाह तआला हक् बयान करने से हया नहीं फ़रमाता। तो क्या जब औरत को एहतलाम हो तो उस पर नहाना फ़र्ज़ है ? फ़रमाया हां जब कि पानी (मनी) देखे उम्मे सलमा रज़ि० ने मुंह ढांप लिया और अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह क्या औरत को एहतलाम होता है। फरमाया, हां ऐसा न हो तो किस वजह से बच्चा मां के मशाबा (मिलता जुलता) होता है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

फायदा:- उम्महातुल मोमिनीन को अल्लाह अज़्ज़ोजल ने हाज़िरी

खिदमत से पहले भी एहतलाम (बदख्वाबी) से महफूज़ रखा था। इसलिए कि एहतलाम में शैतान का दखल है और शैतानी मुदाख़लतों से अज़वाजे मुतहहरात (हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पाकीज़ा व सुथरी बीबीयां हमारी मुकद्दस मायें) पाक हैं। इसी लिए इन हज़रात को उम्मे सलीम के उस कौल का ताअजुब हुआ। (बहारे शरीअत)

४. फरिश्ते उस घर में नहीं जाते जिस घर में तसवीर और कुत्ता और जुनुब हो। (अबूदाऊद)

५. हैज़ वाली और जुनुब कुरआन से कुछ न पढ़ें। (तिर्मिज़ी)

६. उन घरों का रुख़ मस्जिद से फेर दो कि मैं मस्जिद को हैज़ वाली और जुनुब के लिए हलाल नहीं करता। (अबूदाउद)

७. उम्मुलमोमिनीन हज़रत आयशा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम गुस्ल के बाद वुज़ू नहीं फ़रमाते ।

फ़िक़ही अहकाम

गुस्ल में तीन फ़र्ज़ हैं:-

१ कुल्ली करना- कि मुंह के हर पुर्ज़े गोशे, होंट से हलक़ की जड़ तक हर जगह पानी बह जाये आज कल बहुत बे इल्म यह समझते हैं कि थोड़ा सा पानी मुंह में लेकर उगल देने को कुल्ली कहते हैं अगरचे ज़बान की जड़ और हलक के किनारे तक पानी न पहुंचे। यूं गुस्ल नहीं उतरता। न उस गुस्ल से नमाज़ हो सके। बल्कि फर्ज़ है दाढ़ों के नीचे गालों की तह में, दांतों की जड़ और खिड़कियों में और ज़बान की हर करवट में हलक के किनारे तक हर पुर्ज़े पर पानी बहे। (दुर्रे मुख्तार)

मसला:– दांतों की जड़ों या खिड़कियों में कोई ऐसी चीज़ जमी हो जो पानी बहने से रोके तो उसका छुड़ाना ज़रूरी है जबकि छुड़ाने में ज़रर और हर्ज न हो जैसे छालियों के दाने, गोशत के रेज़े और अगर छुड़ाने में ज़रर और हर्ज हो जैसे बहुत पान खाने से दांतों की जड़ों में मिसी की रीखें जम जाती हैं और उनके छीलने में ज़रर का अन्देशा है तो इस क़द्र की माफ़ी है। (रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

२. नाक में पानी डालना:– दोनों नथनों को जहां तक नर्म हिस्सा है यानी सख़्त हड्डी के शुरूअ तक उसका धोना कि पानी को सूंघ के ऊपर चढ़ाए। बाल बराबर जगह भी धुलने से न रह जाये वरना गुस्ल न होगा। नाक के अन्दर कसाफ़त (रेंठ) जम गई है तो उसका चढ़ाना फ़र्ज़ है। नेज़ नाक के बालों का भी धोना फ़र्ज़ है बुलाक़ का सूराख अगर बन्द न हो तो उसमें पानी पहुंचाना जरूरी है। फिर अगर तंग है तो हरकत देना ज़रूरी है। वरना नहीं। (रद्दुलमुहतार)

३. तमाम ज़ाहिर बदन:– यानी सर के बालों से पांव के तलवों तक जिस्म के हर पुर्ज़े हर रोंगटे पर पानी बह जाना जब तक कि एक एक ज़र्रे पर पानी बहता हुआ न गुज़रेगा गुस्ल हरगिज़ न होगा। (आमए कुतुब बहारे शरीअत)

गुस्ल की एहतियातें

गुस्ल में दो क़िस्म की बे एहतयातियां पायी जाती हैं। जिनमें गुस्ल नहीं होता और नमाज़ें बर्बाद जाती हैं।

अव्वल:– पानी को बाज़ जगह तेल की तरह चुपड़ लेते हैं या भीगा हाथ पहुंच जाने पर कनाअत करते हैं हलांकि यह मसह हुआ गुस्ल

न हुआ गुस्ल में पानी हर जगह बह जाना ज़रूरी है।

दोम:- अक्सर अवाम बल्कि बाज़ पढ़े लिखे भी ये करते हैं कि सर पर पानी डाल कर बदन पर हाथ फेर लेते हैं और समझते हैं कि गुस्ल हो गया । हलांकि बाज़ जगहें ऐसी हैं कि जब तक खास तौर पर एहतियात न की जाए वह नहीं धुलेंगीं और न गुस्ल होगा। लेहाज़ा हम यहां तफसील से बयान करते हैं खूब तव्वज्जोह से पढ़ें और हमेशा ध्यान में रखें कि बदन के हर ज़र्रे पर रोंगटे पर पानी बहाना फर्ज़ है वरना गुस्ल न होगा।

वुज़ू में जिन आज़ा की एहतियात की जाती है उनका लेहाज़ यहां भी ज़रूरी है। इन के अलावा खास गुस्ल में एहतियात की जगहें यह हैं।

१. सर के बाल गुंधे न हों तो हर बाल पर जड़ से नोक तक पानी बहाना ज़रूरी है और गुंधे हों तो औरत पर सिर्फ जड़ तर कर लेना ज़रूरी है। खोलना ज़रूरी नहीं। हां अगर चोटी इतनी सख़्त गुंधी हो कि बे खोले जड़ें तर न होंगी तो खोलना ज़रूरी है।

२. कानों मे बाली वग़ैरह ज़ेवरों के सूराख का वही हुक्म है जो नाक में नथ के सूराख का हुक्म वुज़ू में बयान हुआ। उसे फिर देख लें।

३. कान का हर पूर्ज़ा और उसके सुराख़ का, कानों के पीछे बाल हटा कर पानी बहायें।

४. ठोड़ी और गले का जोड़ कि बे मुंह उठाये न धुलेगा।

५. दो बग़लें कि बे हाथ उठाये न धुलेंगी।

६. बाजू का हर पहलू और पीठ का हर ज़र्रा।

७ पेट की बलेटें उठाकर और नाफ में उंगली डाल कर धोयें।

८. रान और पेडू का जोड़ और रान पिन्डली का जोड़।

९. दोनों सुरीन के मिलने की जगह

१०. रानों की गोलाई और पिन्डलियों की करवटें।

११. ढलकी हुई पिसतान को उठाकर धोयें।

१२. पिसतान और पेट के जोड़ की जगह।

१३. शर्म गाह का हर गोशा हर टुकड़ा नीचे ऊपर, ख़्याल से धोया जाये। हां अन्दर उंगली डाल कर धोना ज़रूरी नहीं है। मुस्तहब है। यूं ही हैज़ व निफ़ास से फ़ारिग़ होकर गुस्ल करती है तो एक पुराने कपड़े से अन्दर से खून का असर साफ़ कर लेना मुस्तहब है। लाज़मी नहीं।

१४. माथे पर अफ़शां चुनी हो तो उसका छुड़ाना ज़रूरी है। यूं ही बालों में अगर इतना गोन्द वग़ैरह लगा है कि उसके होते बाल अच्छी तरह तर न होंगे, तो उसका छुड़ाना भी ज़रूरी है वरना गुस्ल न होगा। (दुर्रे मुख़्तार, रददुलमुहतार, फ़तावा रिज़वियह, बहारे शरीअत)

गुस्ल की सुन्नतें

१. गुस्ल की नीयत करके पहले दोनों हाथ घुटनों तक तीन मर्तबा धोयें।

२. फ़िर इस्तंजा की जगह धोयें ख़्वाह नापाकी हो या न हो।

३. फ़िर बदन पर जहां कहीं नजासत हो उसे दूर करें।

४ फ़िर नमाज़ का सा वुज़ू करें मगर पांव न धोयें, हां अगर चौकी या तख़्ते या पक्के फ़र्श पर नहायें तो पांव भी धोलें।

५. फ़िर बदन पर तेल की तरह पानी चुपड़ लें ख़ुसूसन

जाड़े में।

६. फिर तीन मर्तबा दाहिने मोंढे पर पानी बहायें।

७. फिर तीन मर्तबा बायें मोंढे पर।

८. फिर तीन बार सर पर और तमाम बदन पर पानी बहायें और यहां से हट जायें और वुज़ू करने में पांव नहीं धोये थे तो अब धो लें।

९. नहाते वक़्त क़िबला को मुंह न करें।

१०. तमाम बदन पर हाथ फेरें और मलें।

११. ऐसी जगह नहायें कि कोई न देखे। औरतों को उसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है।

१२. किसी किस्म की न बात चीत करें न कोई दुआ पढ़ें।

१३. बैठ कर नहायें और नहाने के बाद फ़ौरन कपड़े पहन लें।

१४. वुज़ू की सुन्नतें और मुस्तहिब्बात का गुस्ल में भी ख्याल रखें। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

गुस्ल किन चीज़ों से फ़र्ज़ होता है

पांच चीजें हैं कि उनमें से एक भी पाई जाये तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है।

१. मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ (यानी मस्ती की हालत में) अलग होकर शर्मगाह से निकलना। लेहाज़ा अगर मनी शहवत के साथ अपनी जगह से जुदा न हुई बल्कि बोझ उठाने या बुलन्दी से गिरने के सबब निकली, या पेशाब के वक़्त या वैसे ही कुछ क़तरे बिला शहवत निकल आये तो उन दोनों सूरतों से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं अल्बत्ता वुज़ू टूट जायेगा।

२- एहतलाम:- यानी सोते से उठी और बदन या कपड़े पर तरी पाये तो गु स्ल वाजिब है अगरचे ख़्वाब याद न हो। हां अगर यक़ीन है कि यह मनी या मज़ी नहीं बल्कि पेशाब या पसीना है या कुछ और है तो अगरचे एहतलाम याद हो और ख्याल में इन्ज़ाल (मनी निकलने) की लज़्ज़त हो, तो गुस्ल वाजिब नहीं। (रददुलमुहतार)

मसला:- अगर मनी न होने का यक़ीन है और मज़ी का शक है तो अगर ख़्वाब में एहतलाम होना याद नहीं तो गुस्ल नहीं और याद है तो गुस्ल फ़र्ज़ है। (रददुलमुहतार)

मर्द औरत एक चार पाई पर सोये और जागे तो बिस्तर पर मनी पाई गई और उनमें से हर एक एहतलाम का इंकार करता है तो दोनों गु स्ल करें। (रददुलमुहतार)

फ़ायदा:- शहवत के वक़्त शुरू शुरू में जो चीज़ शर्मगाह से सफ़ेद रंगत की निकली है और उसके निकलने से जोश कम नहीं होता बल्कि ख्वाहिश और बढ़ जाती है उसे मज़ी कहते हैं और शहवत के बाद जब खूब लज़्ज़त आती है तो एक गाढ़ी रतूबत शर्मगाह से निकलती है उसे मनी कहते हैं। मनी निकलने के बाद शहवत व ख़्वाहिश खत्म हो जाती है और जोश ठंडा पड़ जाता है उससे गुस्ल फर्ज़ हो जाता है। मज़ी निकलने पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं। (हिदाया फतहुलक़दीर वग़ैरह)

३. हशफ़ा:- यानी मर्द की शर्मगाह का सर औरत की शर्मगाह में दाखिल होना शहवत व ख्वाहिश हो या न हो, इन्ज़ाल हो या न हो दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ करता है। और अगर एक बालिग़ हो दूसरा नाबालिग़ तो बालिग़ पर गुस्ल फ़र्ज़ है और नाबालिग़ पर अगरचे फ़र्ज़ नहीं मगर गुस्ल का हुक्म दिया जायेगा। (आमए कुतुब)

४. हैज़ से फ़ारिग़ होना।

५. निफ़ास का खत्म होना:- इन दोनों की तफसील आगे आती है।

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

१. जिस पर चन्द गुस्ल हों सब की नीयत से एक गुस्ल कर लिया सब अदा हो गये। और चुंकि गुस्ल की नीयत की है तो सब का सवाब मिलेगा। (फतावा रिज़विया बहारे शरीअत)

२. औरत पर गुस्ल फर्ज़ था और अभी गुस्ल नहीं किया था कि हैज़ शुरू हो गया तो चाहिए कि अब नहाले या हैज़ ख़त्म होने के बाद। (आलमगीरी वग़ैरह)

३. जिस पर गुस्ल फर्ज़ था उसे चाहिए कि नहाने में देर न करे। हदीस शरीफ में है कि जिस घर में जुनुब (जिस पर गुस्ल फर्ज़ होता है) हो उस में रहमत के फरिश्ते नहीं आते और अगर इतनी देर कर चुका कि नमाज़ का आखिर वक़्त आ गया तो अब फ़ौरन नहाना फर्ज़ है। अब देर लगायेगा तो गुनाहगार होगा।

४. जुनुब अगर खाना खाना या औरत से सुहब्बत करना चाहता है तो वुजू करले या हाथ मुंह धोकर कुल्ली कर ले और अगर वेसे ही खा पी लिया तो गुनाह नहीं मगर मकरूह है और मेहताजी लाता है और बे नहाये और या बे वुजू किये जिमाअ कर लिया तो भी कुछ गुनाह नहीं। (रददुलमुहतार)

५. रमजानुल मुबारक में अगर रात को गुस्ल की हाजत हो गई तो बेहतर यही है कि सुबह सादिक़ से पहले नहाले ताकि रोज़े का

हर हिस्सा नापाकी से खाली हो और गुस्ल न किया तो भी रोज़े में कुछ नुक़सान नहीं मगर मुनासिब यह है कि ग़रग़रा और नाक में पानी चढ़ाना, यह दोनों काम फ़ज्र का वक़्त शुरू होने से पहले करले कि फिर रोज़े में न हो सकेंगे और अगर नहाने में इतनी देर लगा दी कि दिन निकल आया और नमाज़ क़ज़ा कर दी तो यह और दिनों में भी गुनाह है और रमज़ान में और ज़्यादा। (आलमगीरी)

जिसको नहाने की ज़रूरत हो उसको मस्जिद में जाना, कुरआन मजीद छूना, या बे छुये देख कर या ज़बानी पढ़ना, या ऐसा तावीज़ छूना जिस पर आयत लिखी हुई है। हराम है। (रददुलमुहतार)

कुरआन जुज़दान में हो तो जुज़दान पर हाथ लगाने में हर्ज नहीं, यूंही रूमाल वग़ैरह ऐसे कपड़े से पकड़ना जो न अपने जिस्म पर है न कुरआन पर चढ़ा हुआ, तो जायज़ है। हां कुरते की आस्तीन, दो पट्टे के आंचल या जो चादर चढ़ी हुई है उसके कोने से छूना हराम है। (दुर्रे मुख़्तार, रददुलमुहतार)

८. दरूद शरीफ़ और दुआ के पढ़ने में कोई हर्ज नहीं मगर बेहतर यह है कि वुज़ू या कुल्ली करके पढ़ें।

९. अज़ान का जवाब देना इन सब को जायज़ है। (रददुलमुहतार)

१०. कुरआन की कोई आयत अगर दुआ की नीयत से पढ़ी जैसे शुक्र के मौका पर अलहम्दो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन या बुरी ख़बर सुन कर इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलयहि राजिऊन कहा तो कुछ हर्ज नहीं। (रददुलमुहतार)

११. जिसका वुज़ू न हो उसे भी कुरआन करीम या उसकी किसी आयत को छूना हराम है। हां बे छुये ज़बानी या देख कर पढ़े तो कोई हर्ज नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

किस पानी से वुजू व गुस्ल जायज़ है और किस से नहीं

मसला:- मींह, नदी, नाले, चशमे, समुन्द्र, दरिया, कुएं और बर्फ, ओले के पानी से वुजू व गुस्ल जायज़ है। (आमए कुतुब)

मसला:- जिस पानी में कोई चीज़ मिल गई हो कि बोल चाल में उसे पानी न कहें बल्कि उसका कोई और नाम हो गया। जैसे शर्बत या पानी में ऐसी चीज़ डाल कर पकायें जिससे मक्सूद मैल काटना हो, जैसे शोरबा, गुलाब या अर्क़, तो उससे वुजू व गुस्ल जायज़ नहीं। (नूरुलईज़ाह वग़ैरह)

मसला:- अगर ऐसी चीज़ मिलायें या मिलाकर पकायें जिससे मकसूद मैल कांटना हो जैसे साबुन या बेरी के पत्ते तो वुजू जायज़ है। हां अगर वह पानी गाढ़ा हो जाये तो वुजू व गुस्ल जायज़ नहीं। (दुर्रे मुख्तार) और अगर कोई चीज़ मिली जिस से पानी का रंग या मज़ा या बू बदल गई मगर उसका पतला पन न गया। जैसे रेता, चुना या थोड़ी सी ज़ाअफ़रान का रंग इतना आ जाए कि कपड़ा रंगने के काबिल हो जाये तो वुजू व गुस्ल जायज़ नहीं। यूं ही पूड़िया का रंग। (कुदूरी,) दुर्रे मुख्तार वग़ैरह)

मसला:- बहता पानी कि उस में तिनका डाल दें तो बहा ले जाये पाक है और पाक करने वाला है। नजासत पड़ने से नपाक न होगा। हां अग़र नजिस से पानी का रंग या बू या मज़ा बदल गया तो नापाक हो गया। अब यह पानी उस वक़्त पाक होगा के नजासत नीचे बैठ जाये और उसका रंग 'बू' मज़ा ठीक हो जायें। (रददुलमुहतार)

मसला:- मींह बरसते में छत के परनाले से जो मींह का पानी

गिरे वह पाक है। अगरचे छत पर जाबजा नजासत पड़ी हो। जब तक कि नजासत से पानी का कोई वस्फ़ रंग मज़ा, बू न बदले, और अगर मींह रुक गया और पानी का बहना मोकूफ़ हो गया तो अब छत पर ठहरा हुआ पानी अगर छत से टपके, नापाक है। (आलमगीरी)

मसला:- वह बड़े हौज़ जो अमूमन मस्जिदों में बनाये जाते हैं या जंगल के वह गढ़े और तालाब जो दह दरदह हों (यानी जिस की लम्बाई चौड़ाई सौ हाथ हो) उनका पानी बहते पानी के हुक्म में है। नजासत पड़ने से नापाक न होगा। जब तक नजासत से रंग या बू या मज़ा न बदले। (आमए कुतुब)

मसला:- किसी दरख़्त या फल के निचोड़े हुए पानी से वुजू व गुस्ल जायज़ नहीं जैसे केले का पानी या अंगूर व अनार और तरबूज़ का पानी और गन्ने का रस। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:- जो पानी गर्म मुल्क में, गर्म मौसम में, सोने चांदी के अलावा किसी और धात के बर्तन में धूप में गर्म हो गया तो जब तक गर्म है उसे किसी तरह इस्तेमाल न करना चाहिए। यहां तक कि अगर उससे कपड़ा भीग गया तो जब तक ठंठा न हो जाये उसके पहनने से बचें कि उस पानी के इस्तेमाल से बर्स (सफेद दाग़) का अंदेशा है मगर फिर भी अगर वुजू या गुस्ल कर लिया तो हो जायेगा। (बहारे शरीअत)

मसला:- जो पानी वुजू या गुस्ल करने में बदन से गिरा वह पाक है मगर उससे वुजू व गुस्ल जायज़ नहीं। (आमए कुतुब) वुजू या गुस्ल करते वक़्त पानी के कतरे लोटे या घड़े में टपके तो अगर अच्छा पानी ज़्यादा है तो यह वुजू और गुस्ल के काम का है वरना सब बेकार हो गया। (आमए कुतुब)

मसला:– नाबालिग़ का भरा हुआ पानी कि शरअन उसकी मिल्क हो जाये उसे पीना या उससे वुज़ू व गुस्ल करना या किसी और काम में लाना, उसके मां बाप या जिसका वह नौकर है उसके सिवा किसी और को जायज़ नहीं अगरचे वह इजाज़त भी दे दे और अगर वुज़ू व गुस्ल कर लिया तो हो जायेगा। मगर गुनाहगार होगा। यहां से उस्तादों और उस्तानियों को सबक़ लेना चाहिए। वह अक्सर नाबालिग़ों से नल या कुएं से पानी भरवा कर अपने काम में लाया करते हैं। इसी तरह नाबालिग़ का भरा हुआ पानी बग़ैर इजाज़त इस्तेमाल करना भी हराम है।

मसला:– बच्चे ने पानी में हाथ डाल दिया तो मालूम है कि उसके हाथ पर नजासत थी जब तो ज़ाहिर है कि पानी नजिस हो गया वरना नजिस न हुआ मगर दूसरे पानी से वुज़ू करना बेहतर है। (फ़तावा रिज़वियह, बहारे शरीअत)

आदमी और जानवरों के झूठे का बयान

मसला:– जिन जानवरों का गोशत खाया जाता है चौपाये हों या परिन्दे उनका झूठा पाक है। जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, कबूतर, तीतर वग़ैरह यूं ही घोड़े का झूठा पाक है।

मसला:– जो मुर्गी छुटी फिरती और ग़लीज़ पर मुंह डालती हो उसका झूठा मकरूह है। और बन्द रहती हो तो पाक है। यूंही बाज़ गायें जिनकी आदत ग़लीज़ खाने की होती है उनका झूठा मकरूह है। और अगर अभी नजासत खाई और उसी हालत में पानी में मुंह

डाल दिया या बैल, भैंसें, बकरे, ने हसबे आदत मादा का पेशाब सूंघा और उससे उसका मुंह नापाक हो गया और उसी हालत में पानी में मुंह डाल दिया या तो इन सूरतों में पानी नापाक हो गया।

मसला:– सूवर, कुत्ता, चीता, भेड़िया, हाथी, गीदड़ और दूसरे परिन्दों का झूठा भी नापाक है।

मसला:– पानी के रहने वाले जानवर का झूठा पाक है ख़्वाह उनकी पैदाइश पानी में हो या नहीं।

मसला:–उड़ने वाले शिकारी जानवर जैसे शिकरा, बाज़, चील वग़ैरह का झूठा मकरूह है। और यही हुक्म कौए का है। यूं ही घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, चुहा, छपकली, का झूठा मकरूह है।

मसला:– गधे, खच्चर का झूठा मशकूक है यानी उसके काबिल वुज़ू होने में शक है। लेहाज़ा उससे वुज़ू व गुस्ल नहीं हो सकता। (आमए कुतुब)

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

१. कुत्ते ने बर्तन में मुंह डाला तो अगर वह चीनी या धात का है या मिट्टी का रोग़नी या इस्तेमाली चिकना है तो तीन बार धोने से पाक हो जायेगा। वरना हर बार धोकर सुखाना ज़रूरी है यूंही चीनी के बर्तन में बाल हो या और बर्तन में दरार हो तीन बार सुखा कर पाक होगा। फक्त धोने से पाक न होगा।

२. मआज़अल्लाह शराब पी कर फौरन पानी पिया तो पानी नजिस हो गया। इसी तरह शराब खोर की मूंछें बड़ी हों कि शराब मूंछों में लगी तब तक उन को पाक न करे जो पानी पियेगा वह पानी

और बर्तन दोनों नापाक हो जायेंगे।

३. बिल्ली ने चुहा खाया, और फ़ौरन बर्तन में मुंह डाल दिया तो बर्तन नापाक हो गया और अगर ज़बान से मुंह चाट लिया कि खून का असर जाता रहा तो नापाक नहीं।

४. जो झूठा पानी पाक है उससे वुज़ू व गुस्ल जायज़ है मगर जुनुब ने बग़ैर कुल्ली किये पानी पिया तो उस झूठे पानी से वुज़ू नाजयज़ है कि मुस्तअमिल हो गया।

५. अच्छा पानी होते हुए मकरूह पानी से वुज़ू व गुस्ल मकरूह है और अगर अच्छा पानी मौजूद नहीं तो कोई हर्ज नहीं!

६. अच्छा पानी होते हुए मशकूक से वुज़ू व गुस्ल जायज़ नहीं और अगर अच्छा पानी न हो तो उसी से वुज़ू व गुस्ल कर ले और तयम्मुम भी वरना नमाज़ न होगी।

७. मशकूक पानी अच्छे पानी में मिल गया तो अगर अच्छा ज़्यादा है तो उससे वुज़ू हो सकता है। वरना नहीं।

८. मशकूक को कुत्ते ने ऊपर से चाट लिया तो उसका पानी नापाक न होगा।

९. मशकूक झूठे को खाना पीना नहीं चाहिए।

१०. जिसका झूठा नापाक है उसका पसीना और लुआब भी नापाक है और जिस का झूठा पाक है उसका पसीना और लुआब भी पाक है और जिसका झूठा मकरूह उसका लुआब और पसीना भी मकरूह है।

११. गधे, खच्चर का पसीना अगर कपड़े में लग जाये कपड़ा पाक है चाहे कितना ही ज़्यादा लगा हो। (दुर्रे मुख्तार वग़ैरह)

तयम्मुम का बयान

अल्लाह अज़्ज़ोजल इर्शाद फरमाता है:-

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۝

यानी अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम में का कोई पाखाने से आया या औरतों से सोहबत की और पानी न पाओ तो पाक मिट्टी का कसद करो तो अपने मुंह और हाथों का उससे मसह करो।

चन्द अहादीसे करीमा

हुज़ूर अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम इर्शाद फरमाते हैं:-

१. मिनजुमला उन बातों के जिन से हम को लोगों पर फज़ीलत दी गई यह तीन बातें हैं। (१) हमारी सफ्हें फरिश्तों की सफों के मिस्ल की गईं और (२) हमारे लिये तमाम ज़मीन मस्जिद कर दी गई और (३) जब हम पानी न पाएं तो ज़मीन की खाक हमारे लिए पाक करने वाली बनाई गई (मुस्लिम शरीफ)

२. पाक मिट्टी मुसलमान का वुजू है अगरचे दस बरस पानी न पाये और जब पानी पाये तो अपने बदन को पहुंचाये (वुजू व गुस्ल) करे कि यह उसके लिए बेहतर है (अबूदाऊद तिर्मिज़ी)

३. हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि दो शख्स सफर में गये और नमाज़ का वक्त आ गया मगर

उन के पास पानी न था। मजबूरन पाक मिट्टी पर तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ली। फिर वक़्त के अन्दर पानी मिल गया। उनमें से एक साहब ने वुजू करके अपनी नमाज़ दोहरा ली मगर दूसरे ने न दुहराई। फिर जब खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए। उस का ज़िक्र किया तो जिस ने नमाज़ दोहराई न थी उससे फरमाया तू सुन्नत को पहुंचा और तेरी नमाज़ हो गई और जिसने वुजू करके नमाज़ दोहराई थी उससे फरमाया तुझे दूना सवाब है। (अबूदाउद)

फ़िक़ही अहकाम

जिस का वुजू न हो या उसे नहाने की ज़रूरत हो और पानी पर कुदरत न हो यानी इस्तेमाल न कर सकता हो तो वुजू व गुस्ल की जगह तयम्मुम करे और पानी पर कुदरत न होने की चन्द सूरतें हैं:-

१. ऐसी बीमारी कि वुजू व गुस्ल से उसके ज़्यादा होने या देर में अच्छा होने का सहीह अंदिशा हो ख्वाह यूं कि उसने खुद आज़माया हो कि जब वुजू या गुस्ल करता है तो बीमारी बढ़ती है या यूं कि किसी अच्छे लायक हकीम ने जो ज़ाहिरन फ़ासिक़ न हो कह दिया हो कि पानी नुकसान पहुंचायेगा लेहाज़ा महज़ ख्याल ही ख्याल बीमारी बढ़ने का हो या किसी काफ़िर या फ़ासिक या मामूली हकीम ने कह दिया हो कि पानी नुकसान पहुंचायेगा तो उसका एतबार नहीं लेहाज़ा तयम्मुम करना जायज़ न होगा।

२.चारों तरफ एक एक मील पानी का पता नहीं:-

३. इतनी सर्दी हो कि नहाने से मरने या बीमार हो जाने का कवी अंदिशा हो, और लिहाफ वग़ैरह कोई ऐसी चीज़ उसके पास नहीं

जिसे नहाने के बाद ओढ़े न आग है जिससे ताप सके।

४. यह जंगल में है और डोल रस्सी नहीं कि पानी भरे।

५. दरिन्दे या दुश्मन का ख़ौफ़ या किसी मूज़ी का सही अन्देशा हो।

६. प्यास का ख़ौफ़ कि अगर वुज़ू व गुस्ल कर लिया तो वह ख़ुद उसका साथी प्यासा रह जायेगा और पानी का दूर तक पता नहीं।

७. पानी का गिरां (मंहगा) होना यानी जो क़ीमत होनी चाहिए उससे दूना मांगता है।

८. यह गुमान कि पानी तलाश करने में साथी बिछड़ जायेंगे या रेल छुट जायेगी।

९. यह गुमान कि वुज़ू व गुस्ल करने में ईदैन की नमाज़ जाती रहेगी।

१०. जो शख़्स मैयत का वली नहीं उसे नमाज़ जनाज़ा फ़ौत हो जाने का ख़ौफ़ हो। (आमए कुतुब, बहारे शरीअत)

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

१. बीमारी में अगर ठंडा पानी नुक़सान करता है और गर्म पानी नुक़सान न करे तो गर्म पानी से वुज़ू व गुस्ल ज़रूरी है तयम्मुम जायज़ नहीं, हां अगर ऐसी जगह है कि गर्म पानी नहीं मिल सकता तो तयम्मुम करे। (आलमगीरी)

२. अगर सर पर पानी डालना नुक़सान करता है तो गले से नहाये और पूरे सर का मसह करे। (फ़तावा रिज़विया)

३. साथ में ज़मज़म शरीफ़ है और इतना है कि वुज़ू हो जायेगा तो तयम्मुम जायज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

४. बदन या कपड़े पर इतनी नजासत है कि उसके होते हुए नमाज़ नहीं हो सकती और पानी सिर्फ इतना है कि चाहे वुज़ू करले या उसको पाक करले तो हुक्म है कि पहले उसे पाक करे फिर तयम्मुम करे। (रद्दुलमुहतार)

५. वक़्त इतना तंग आगया कि वुज़ू व गुस्ल करेगी तो नमाज़ कज़ा हो जायेगी तो चाहिए कि तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले फिर वुज़ू या गुस्ल करके नमाज़ को दुहराये। (फ़तावा रज़िविया, बहारे शरीअत)

६. औरत हैज़ या निफ़ास से पाक हुई और पानी पर क़ादिर नहीं तो तयम्मुम करे। (रद्दुलमुहतार)

७. वक़्त नमाज़ में, नमाज़ी की सूरत बनाये यानी नमाज़ की नीयत किये बग़ैर नमाज़ के तमाम हरकात बजा लाये।

८. वुज़ू और गुस्ल दोनों का तयम्मुम एक ही तरह है। (आमए कुतुब)

९. नमाज़ उस तयम्मुम से जायज़ होगी जो पाक होने की नीयत या किसी ऐसी इबादत के लिए किया गया हो जो बिला तहारत जायज़ नहीं तो अगर मस्जिद में जाने या कुरआन मजीद छूने या ज़ियारत क़ब्र या मैयत को दफन करने की नीयत से तयम्मुम किया तो उससे नमाज़ जायज़ नहीं बल्कि जिस के लिए किया गया उसके सिवा कोई इबादत भी जायज़ नहीं।

१०. जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है उसे पानी न मिला और कुरआन मजीद पढ़ने के लिए उसने तयम्मुम किया तो उससे नमाज़ पढ़ सकता है और सज्दा शुक्र की नीयत से जो तयम्मुम किया उससे नमाज़ न होगी। (मराक़ीलफ़लाह)

११. जिस पर नहाना फ़र्ज़ है। उसे यह ज़रूरी नहीं कि वुज़ू और गुस्ल दोनों के लिये दो तयम्मुम करे बल्कि एक ही में दोनों की नीयत करे दोनों हो जायेंगे। (रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

तयम्मुम का मसनून तरीक़ा

तयम्मुम में तीन फ़र्ज हैं:-

१. **नीयत:-** तो अगर किसी ने हाथ मिट्टी पर मारकर मुंह और हाथ पर फेर लिया और नीयत न की तो तयम्मुम न होगा।

२. **सारे मुंह पर हाथ फेरना:-** इस तरह कि कोई हिस्सा बाक़ी न रह जाए। अगर बाल बराबर भी कोई जगह रह गई तो तयम्मुम न होगा।

३. **दोनों हाथों का कोहनियों समेत मसह करना:-** इस में भी यह ख्याल रहे कि ज़र्रा बराबर जगह बाक़ी न रह जाये वरना तयम्मुम न होगा। (आमए कुतुब)

तयम्मुम का मसूनन तरीक़ा यह है कि नीयत करके बिस्मिल्लाह पढ़ कर दोनों हाथ ज़मीन या मिट्टी या और किसी ऐसी चीज़ पर जिस पर मिट्टी या गुबार हो मारे उंगलियां खुली रखे और फिर हाथों को झाड़ ले इस तरह कि एक हाथ के अंगूठे की जड़ को दूसरे हाथ के अंगूठे की जड़ पर मारे न इस तरह कि ताली की सी आवाज़ निकले और फिर दोनों हाथ मुंह पर फेरे फिर दोबारा यूं ही करे और पहले दाहिने हाथ का मसह करे फिर बायें हाथ का। इस तरह कि बायें हाथ के अंगूठे के अलावा चार उंगलियों का पेट दाहिने हाथ की पुश्त पर रखे और उंगलियों के सिरे से कोहनियों तक ले जाये और फिर वहां से बायें हाथ की हथेली से दाहिने हाथ के पेट को

छूते हुई गट्टे तक लाये और बायें अंगूठे के पेट से दाहिने अंगूठे की पुशत का मसह करे यूं ही दाहिने हाथ से बायें का मसह करे। (आमए कुतुब)

कुछ और मसाइल

१. औरत नाक में फूल पंहने हो तो निकाल ले वरना फूल की जगह बाकी रह जायेगी और नथ पहने हो जब भी ख़्याल रखे कि नथ की वजह से कोई जगह बाक़ी तो नहीं रही।

२. अंगूठी, छल्ले पहने हो तो इन्हें उतार कर उनके नीचे हाथ फेरना फ़र्ज़ है। औरतों को उस में बहुत एहतियात की ज़रूरत है कंगन चुड़ियां जितनें ज़ेवर हाथ में पहने हों सब को हटा कर या उतार कर जिल्द के हर हिस्सा पर हाथ पहुंचाए। उसकी एहतियात वुजू से बढ़ कर है।

३. तयम्मुम में सर और पांव का मसह नहीं।

४. एक ही मर्तबा हाथ मारकर मुंह और हाथों पर फेर लिया या एक या दो उंगलियों से मसह किया अगरचे तमाम अज़ू पर उनको फेर लिया हो तो तयम्मुम न हुआ।

५. तयम्मुम उसी चीज़ से हो सकता है जो ज़मीन की जिन्स से हो। जो आग से जल कर राख होती है न पिघलती है न नर्म होती है वह जिन्स ज़मीन से है जैसे रेता, चूना, हड़ताल, गीरो वग़ैरह।

६. गेहूं जौ वग़ैरह गल्ला और लकड़ी, शीशे वग़ैरह पर इतना गुबार हो कि हाथ में लग जाता हो तो उस गुबार से तयम्मुम जायज़ है और हाथ में न लगता हो तो नहीं गुछ की दीवार पर भी तयम्मुम जायज़ है।

७. जिस जगह से एक ने तयम्मुम किया दूसरा भी कर सकता है। ये जो मशहूर है कि मस्जिद की दीवार या ज़मीन से तयम्मुम नाजायज़ या मकरूह है, ग़लत है।

८. जिन चीज़ों से वुजू टूटता है या गुस्ल वाजिब होता है उनसे तयम्मुम भी जाता रहेगा और अलावा उनके पानी पर क़ादिर होने से भी तयम्मुम टूट जायेगा।

९. जिस हालत में तयम्मुम नाजायज़ है अगर वह तयम्मुम के बाद पाई गई तो तयम्मुम टूट गया जैसे तयम्मुम वाले का ऐसी जगह गुज़र हुआ कि वहां से एक मील के अन्दर पानी है तो तयम्मुम जाता रहा। यह ज़रूरी नहीं कि पानी के पास पहुंच जाये।

१०. मरीज़ ने गुस्ल का तयम्मुम किया था और अब इतना तंदुरुस्त हो गया कि तयम्मुम से नुकसान नहीं पहुंचेगा तो तयम्मुम जाता रहा।

११. पानी पर गुज़रा और तयम्मुम याद नहीं जब भी तयम्मुम जाता रहा। (आलमगीरी, रददुलमुहतार, बहारे शरीअत)

हैज़ का बयान

अल्लाह अज़्ज़ोजल इर्शाद फ़रमाता है:--

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى هُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْ

فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْ هُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ

يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۝

ऐ महबूब तुम से हैज़ के बारे में जो सवाल करते हैं तुम फ़रमा दो वह गन्दी चीज़ है तो हैज़ में औरतों से बचो और उनसे कुरबत न करो जब तक पाक न हो लें तो जब पाक हो जायें उनके पास उस जगह जाओ जिसका अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह

दोस्त रखता है तौबा करने वालों को और दोस्त रखता है पाक रहने वालों को।

हैज़ की हिकमतः- बालिग़ औरत के बदन में कुदरती, ज़रूरत से कुछ ज़्यादा खून पैदा होता है कि हमल की हालत में वह खून बच्चे की गिज़ा में काम आए और बच्चा के दूध पीने के ज़माने में खून दूध हो जाए और ऐसा न हो तो हमल और दूध पिलाने के ज़माने में उसकी जान पर बन जाये यही वजह है कि हमल और दूध पिलाने के शुरू के दिनों में खून नहीं आता और जिस ज़माने में न हमल हो न दूध पिलाना वह खून अगर बदन से न निकले तो किस्म किस्म की बीमारीयां लग जायें।

हैज़ के मसाइल

मसलाः- बालिग़ औरत के आगे के मक़ाम से जो ख़ून आदी तौर पर निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने के सबब से न हो उसे हैज़ कहते हैं और बीमारी से तो इस्तिहाज़ा और बच्चा पैदा होने के बाद हो तो निफ़ास कहते हैं। (आमए कुतुब)

मसलाः- हैज़ की मुद्दत कम से कम तीन दिन तीन रातें हैं। यानी पूरे ७२ घंटे एक मिनट भी अगर कम है तो हैज़ नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा दस दिन दस रातें हैं।

मसलाः- किरन चमकती थी कि हैज़ शूरू हुआ और तीन दिन तीन रातें पुरी हो कर किरण चमकते ही वक़्त पर खत्म हुआ तो हैज़ है अगरचे तीन दिन तीन रात की मिक्दार ७२ घंटे नहीं है मगर तुलूअ से तुलूअ तक या गुरूब से गुरूब तक ज़रूर एक दिन रात है।

मसला:- तुलूअ व गुरूब के अलावा अगर किसी और वक़्त हैज़ शुरू हुआ तो वही २४ घंटे का एक दिन रात लिया जायेगा। मसलन सुबह को ठीक ९ बजे शुरू हुआ तो कल ठीक ९ बजे एक दिन रात होगा। (फ़तावा रिज़विया, बहारे शरीअत)

मसला:- दस रात दिन से कुछ भी ज़्यादा ख़ून आया, तो अगर यह हैज़ पहली मर्तबा उसे आया है तो दस दिन तक हैज़ है। बाद का इस्तिहाज़ा और अगर पहले उसे हैज़ आ चुके है और आदत दस दिन से कम थी तो आदत से जितना ज़्यादा हुआ इस्तिहाज़ा है उसे यूं समझो कि उसे आदत पांच दिन की थी अब खून आया दस दिन तो कुल हैज़ है और यह समझा जायेगा कि उसकी आदत बदल गई लेकिन अगर दस दिन से ज़्यादा मसलन गयारह या बारह दिन खून आया तो पांच दिन हैज़ के बाकी सात दिन इस्तिहाजा के और अगर एक हालत मुकर्रर न थी बल्कि कभी चार दिन खून आया कभी पांच दिन तो पिछली बार जितने दिन थे वही अब भी हैज़ के हैं बाकी दिन इस्तिहाज़ा के। (रददुलमुहतार, मराकीलफ़लाह वग़ैरह)

मसला:- यह ज़रूरी नहीं कि मुद्दत में हर वक़्त खून जारी रहे। जभी हैज़ हो बल्कि अगर बाज़ बाज़ वक़्त भी आये जब भी हैज़ है।

मसला:- कम अज़ कम नौ बरस की उम्र से हैज़ शूरू होगा और इन्तहाई उम्र हैज़ आने की पचपन साल है। इस उम्र वाली औरत को आईसा और इस उम्र को सिनअयास कहते हैं तो नौ बरस की उम्र से पेशतर जो खून आए वह इस्तिहाज़ा है और पचपन साल की उम्र के बाद खून आय वह भी इस्तिहाज़ा है हां उस पिछली सूरत में अगर ख़ालिस ख़ून आये जैसे आता था उसी रंग का आया तो हैज़ है। (रददुलमुहतार वग़ैरह)

मसला:- हमल वाली औरत को खून आया इस्तिहाज़ा है यूं ही बच्चा होते वक़्त जो खून आया और अभी आधे से ज़्यादा बच्चा बाहर नहीं निकला वह इस्तिहाज़ा है। (रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

मसला:- दो हैज़ों के दरमियान कम से कम पूरे पन्द्रह दिन का फासला ज़रूरी है यूं ही हैज़ व निफ़ास के दरमियान भी पन्द्रह दिन का फासला ज़रूरी है तो अगर निफ़ास खत्म होने के बाद पन्द्रह दिन पूरे न हुए थे कि खून आ गया तो इस्तिहाज़ा है। (रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

मसला:- हैज़ उसी वक़्त से शुमार किया जायेगा कि खून फुरुज ख़ारिज में आ गया तो अगर कोई कपड़ा रख लिया है जिसकी वजह से खून फुरुज खारिज में नहीं दाख़िल ही में रुका हुआ है तो जब तक कपड़ा न निकालेगी हैज़ वाली न होगी। नमाज़ पढ़ेगी रोज़ा रखेगी। (रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

मसला:- हैज़ के छ: रंग हैं- सियाह, सुर्ख, सब्ज़, ज़र्द, गदला, मटीयाला, सफेद रंग, की रतूबत हैज़ नहीं तो दस दिन के अन्दर रतूबत में जरा भी मैला पन है तो वह हैज़ है दस दिन रात के बाद भी मैला पन बाकी रहे, तो आदत वाली के लिए जो दिन आदत के हैं। वह हैज़ हुआ और आदत से बाद वाले दिन इस्तिहाज़ा और अगर कुछ आदत नहीं तो दस दिन रात तक हैज़ बाकी इस्तिहाज़ा।

मसला:- गद्दी जब तर थी तो उस में ज़र्दी या मैला पन था बाद सूख जाने के सफेद हो गई तो मुद्दत हैज़ में हैज़ ही है और अगर जब देखा था सफेद थी सूख कर ज़र्द हो गई तो यह हैज़ नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- जिस औरत को पहली मर्तबा खून आया और उसका

सिलसिला महीनों या बरसों जारी रहा कि बीच में पन्द्रह दिन के लिये भी न रुका तो जिस दिन से खून आना शुरू हुआ उस रोज़ से दस दिन तक हैज़ और बाकी बीस दिन इस्तिहाज़ा के समझे और जब तक खून जारी रहे यही कायदा बरते और अगर उससे पेशतर हैज़ आ चुका है तो उससे पहले जितने दिन हैज़ के थे हर तीस दिन में उतने दिन हैज़ के समझे। बाकी जो दिन बचें वह इस्तिहाज़ा।

मसला:- जिस औरत को उम्र भर खून नहीं आया या आया मगर तीन दिन से कम आया तो उम्र भर वह पाक ही रही और एक बार तीन दिन रात खून आया फिर कभी न आया तो फ़कत वह तीन दिन रात हैज़ के हैं बाकी हमेशा के लिए पाक। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- जिस औरत को दस दिन खून आया उसके बाद साल भर तक पाक रही। फिर बराबर खून जारी रहा तो वह उस ज़माने में नमाज़ रोज़ा के लिए हर महीना मे दस दिन हैज़ के समझे और बीस दिन इस्तिहाज़ा। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- जिस औरत को पहले हैज़ के दिन याद, न यह याद कि किन तारीखों में आया था। अब तीन दिन या ज़्यादा खून आकर बन्द हो गया फिर तहारत के पन्द्रह दिन पूरे न हुए थे कि फिर खून जारी हुआ और हमेशा को जारी हो गया तो उसका वही हुक्म है जैसे किसी को पहले पहल खून आया और हमेशा को जारी हो गया कि दस दिन हैज़ के शुमार करे फिर बीस दिन तहारत के। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- जिसकी आदत मुकर्रर न हो बल्कि कभी मसलन छः दिन हैज़ के हों और कभी सात दिन। अब जो ख़ून आया तो बन्द होता ही नहीं तो उस के लिए नमाज़ रोज़ा के हक़ में कम मुद्दत

यानी छः दिन हैज़ के करार दिये जायेंगे और सातवें रोज़ नहाकर नमाज़ पढ़े और रोज़ा रखे (जबकि रमज़ान हों) मगर सात दिन पूरे होने के बाद फिर नहाने का हुक्म है और सातवें दिन जो फर्ज़ रोज़ा रखा है उसकी कज़ा करे। और मुद्दत गुज़रने या शोहर के पास रहने के बारे में ज़्यादा मुद्दत यानी सात दिन हैज़ के माने जायेंगे, यानी सातवें दिन उससे कुर्बत जायज़ नहीं। (बदाइअ)

मसला:- किसी को एक दो दिन खून आकर बन्द हो गया और शुरू हुये दिन पूरे न हुए थे कि फिर खून आया और दसवें दिन बन्द हो गया तो यह दसवें दिन हैज़ के हैं अगर दस दिन के बाद भी जारी रहा तो दो सूरतें हैं। अगर पहले की आदत मालूम है तो आदत के दिनों में हैज़, बाकी इस्तिहाज़ा और अगर पहले की आदत मालूम नहीं तो दस दिन हैज़ के बाकी इस्तिहाज़ा (बदाइअ)

मसला:- किसी की आदत थी कि फलां तारीख में हैज़ हो अब उससे एक दिन पहले खून आकर बन्द हो गया। फिर दस दिन तक नहीं आया और गियारवें दिन फिर आ गया तो खून न आने के जो यह दस दिन है उनमें से अपनी आदत के दिनों के बराबर हैज़ करार दे और अगर तारीख तो मुकर्रर थी मगर हैज़ के दिन मुअय्यन न थे तो यह दसों दिन खून न आने के हैज़ के हैं। (रददुलमुहतार)

मसला:- जिस औरत को तीन दिन से कम आकर खून आना बन्द हो गया और पन्द्रह दिन पूरे न हुये थे कि फिर आ गया तो पहली मर्तबा जब से खून आना शुरू हुआ है हैज़ है अब अगर उसकी कोई आदत है तो आदत के बराबर हैज़ के दिन शुमार करे वरना शुरू से दस दिन तक हैज़ और पिछली मर्तबा का इस्तिहाज़ा। (रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

मसला:- तीन दिन रात से कम ख़ून आया फिर पन्द्रह दिन तक पाक रही फिर तीन दिन रात से कम आया तो न पहली मर्तबा का हैज़ है न यह। बल्कि दोनों इस्तिहाज़ा हैं। (बहारे शरीअत)

निफ़ास का बयान

हम पहले बयान कर आये हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद जो ख़ून औरत के आगे के मक़ाम से आता है उसे निफ़ास कहते हैं अब उसके मुताल्लिक़ मसाइल बयान करते हैं।

मसला:-१ निफ़ास में कमी की जानिब कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं, आधे से ज़्यादा बच्चा निकलने के बाद एक आन भी ख़ून आता तो वह निफ़ास है और ज़्यादा से ज़्यादा उसका ज़मानां चालीस दिन रात है और निफ़ास की मुद्दत का शुमार उस वक़्त से होगा कि आधे से ज़्यादा बच्चा निकल आया और उस बयान में जहां बच्चा पैदा हुये का लफ़्ज़ आयेगा उसका मतलब आधे से ज़्यादा बाहर आना है। (आमए कुतुब)

मसला नम्बर २:- किसी औरत को चालीस दिन से ज़्यादा ख़ून आया तो अगर उसके पहली बार बच्चा पैदा हुआ है या यह याद नहीं कि उससे पहले बच्चा होने में कितने दिन ख़ून आया था। तो चालीस दिन रात निफ़ास से बाकी इस्तिहाज़ा और जो पहली आदत मालूम हो तो आदत के दिनों तक निफ़ास है और जितना ज़्यादा है वह इस्तिहाज़ा, जैसे आदत तीस दिन की थी इस बार पैंतालीस दिन आया तो तीस दिन निफ़ास के हैं और पन्द्रह दिन इस्तिहाज़ा के। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसला नम्बर ३:- बच्चा पैदा होने से पेशतर जो ख़ून आया

निफास नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है अगरचे आधा बाहर आ गया हो। (दुर्रे मुख्तार)

मसला नम्बर ४:- हमल साकित हो गया और उसका कोई अजू बन चुका है, जैसे हाथ पांव, उंगलियां तो यह खून निफास है वरना अगर तीन रात तक रहा और उससे पहले पन्द्रह दिन पाक रहने का ज़माना गुज़र चुका है तो हैज़ है और अगर तीन दिन से पहले ही बन्द हो गया या अभी पूरे पन्द्रह दिन तहारत के नहीं गुज़रे हैं तो इस्तिहाज़ा है। (रद्दुलमुहतार)

मसला नम्बर ५:- पेट से बच्चा काट कर निकाला गया तो उसके आधे से ज़्यादा निकालने के बाद निफास है। (रद्दुलमुहतार)

मसला नम्बर ६:- हमल साकित होने से पहले कुछ खून आया कुछ बाद को तो पहले वाला इस्तिहाज़ा है बाद वाला निफास। यह उस सूरत में है कि जब कोई अजू बन चुका हो वरना पहले वाला अगर हैज़ हो सकता है तो हैज़ है वरना इस्तिहाज़ा जैसा कि अभी ऊपर गुज़रा। (दुर्रे मुख्तार, रद्दुलमुहतार)

मसला नम्बर ७:- हमल साकित हुआ और यह मालूम नहीं कि कोई अजू बना था या नहीं न यह याद है कि हमल कितने दिन का था कि उसी से अजू बनना न बनना मालूम हो जाता यानी १२० दिन (चार माह) हो गये हैं तो अजू बन जाना करार दिया जायेगा, और बाद इस्क़ात के खून हमेशा को जारी हो गया, तो उसे हैज़ के हुक्म में समझे कि हैज़ की जो आदत थी उसके गुज़रने के बाद नहा कर नमाज़ शुरू करदे और आदत न थी तो दस दिन के बाद। (रद्दुलमुहतार)

मसला नम्बर ८:- जिस औरत के दो बच्चे जुड़वां पैदा हुये यानी

दोनों की पैदाइश के दरमियान छः महीने से कम ज़माना है तो पहला ही बच्चा होने के बाद से निफ़ास समझा जायेगा। फिर अगर दूसरा चालीस दिन के अन्दर पैदा हुआ और ख़ून आया था तो पहले से चालीस दिन तक निफ़ास है फिर इस्तिहाज़ा, और अगर चालीस दिन के बाद पैदा हुआ तो उसके पीछे के बाद जो ख़ून आया इस्तिहाज़ा है। निफ़ास नहीं। मगर दूसरे के पैदा होने के बाद भी नहाने का हुक्म दिया जायेगा। (रददुलमुहतार)

मसला नम्बर ९:- अगर दोनों बच्चों की पैदाइश में छः महीने या ज़्यादा का फ़ासला है तो दूसरे के बाद भी निफ़ास है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला नम्बर १०:- चालीस दिन के अन्दर कभी ख़ून आया कभी नहीं तो निफ़ास ही है अगरचे पन्द्रह दिन का फ़ासला हो जाये। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

हैज़ व निफ़ास के मुताल्लिक़ अहकाम

१. हैज़ व निफ़ास वाली औरत को कुरआन मजीद पढ़ना, देख कर हो या ज़बानी या उसको छूना अगरचे उसकी जिल्द या चोली या हाशिया को हाथ लगे या उंगली की नोक या बदन का कोई हिस्सा लगे या अगरचे कुरते के दामन या दोपट्टा के आंचल या किसी ऐसे कपड़े से छूए जिसको पहने ओढ़े हुए हो तो यह सब हराम हैं हां जुज़्दान में कुरआन मजीद हो तो उस जुज़दान के छूने में हर्ज नहीं। (आमए कुतुब)

२. कागज़ के पर्चे पर कोई सूरत या आयत लिखी हो तो उसका भी छूना हराम है और कुरआन के साथ कुरआन का तर्जुमा फ़ारसी या उर्दू या किसी ज़बान में हो उसके भी छूने और पढ़ने में कुरआन

मजीद का सा हुक्म है। (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी वग़ैरह)

३. मुअल्लिमा (कुरआन पढ़ाने वाली) को हैज़ व निफ़ास की हालत में एक एक कलिमा सांस तोड़ तोड़ कर पढ़ाना चाहिए और हिज्जे कराने में कोई हर्ज नहीं। (रद्दुलमुहतार)

४. कुरआन मजीद के अलावा और दूसरे अज़कार मसलन कलिमा शरीफ़, दरूद शरीफ़ इस्तग़फ़ार वग़ैरह बिला कराहत जायज़ बल्कि मुस्तहब हैं और उन चीज़ों को वुज़ू या कुल्ली करके पढ़ना बेहतर है। और वैसे भी पढ़ लिया जब भी हर्ज नहीं और उनके छूने में भी हर्ज नहीं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

५. नमाज़ के वक़्त वुज़ू करके इतनी देर तक ज़िक्र इलाही दरूद शरीफ़ और दूसरे वज़ाइफ़ मसलन शिजरा वग़ैरह दुआयें पढ़ लिया करे। जितनी देर नमाज़ पढ़ती थी ताकि आदत रहे। (आलमगीरी)

६. ऐसी औरत को अज़ान देना जायज़ है। (आमए कुतुब)

७. ऐसी औरत को मस्जिद में जाना, या ख़ाना काबा के अन्दर जाना और उसका तवाफ़ करना अगरचे मस्जिदे हराम के बाहर से हराम है यूं ही मस्जिद से गुज़रना या उस हालत में सज्दा शुक्र व तिलावत करना हराम है और आयत सज्दा सुनने से उस पर सज्दा वाजिब नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार वग़ैरह) हां ईदगाह के अन्दर जाना या हाथ बढ़ा कर कोई चीज़ मस्जिद से लेना जायज़ है। (रद्दुलमुहतार)

८. इस हालत में रोज़ा रखना और नमाज़ पढ़ना हराम है। बल्कि जो नमाज़ें माफ़ हैं उनकी क़ज़ा भी नहीं। हां रोज़ों की क़ज़ा और दिनों में रखना फ़र्ज़ है। (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

९. नमाज़ का वक़्त आख़िर आ गया और अभी तक नमाज़ नहीं

पढ़ी कि हैज़ आया या बच्चा पैदा हुआ तो उस वक़्त की नमाज़ माफ़ हो गई। अगरचे इतना तंग वक़्त हो गया कि उस नमाज़ की गुंजाइश न हो। (आलमगीरी)

१०. नमाज़ पढ़ने में हैज़ आ गया या बच्चा पैदा हुआ तो वह नमाज़ माफ़ है। अलबत्ता अगर नफ़िल नमाज़ थी तो उनकी क़ज़ा वाजिब है। (आलमगीरी)

११. हैज़ वाली को तीन दिन से कम ख़ून आकर बन्द हो गया तो रोज़े रखे और वुज़ू करके नमाज़ पढ़े। नहाने की ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद अगर पन्द्रह दिन के अन्दर ख़ून आया तो अब नहाये और आदत के दिन निकाल कर बाकी दिनों की क़ज़ा करे और जिसकी कोई आदत नहीं वह दस दिन के बाद नमाज़ें क़ज़ा करे हां अगर आदत के दिनों के बाद या बे आदत वाली ने दस दिन के बाद गुस्ल कर लिया था तो उन दिनों की नमाज़ें हो गईं। क़ज़ा करे और बाद के रोज़े हर हाल में हो गये।

१२. जिस औरत को तीन दिन रात के बाद हैज़ बन्द हो गया और आदत के दिन अभी पूरे न हुये, या निफ़ास का ख़ून आदत पूरी होने से पहले बन्द हो गया तो बन्द होने के बाद ही गुस्ल करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे आदत के दिनों का इंतज़ार न करे।

१३. आदत के दिनों से ख़ून ज़्यादा आ गया (दिन चढ़ गये) तो हैज़ में दस दिन और निफ़ास में ४० दिन तक इन्तज़ार करे। अगर इस मुद्दत के बाद भी जारी रहा तो नहाये और आदत के बाद बाकी दिनों की क़ज़ा करे। नमाज़ की भी और रोज़ों की भी।

१४. हैज़ या निफ़ास आदत के दिन पूरे होने से पहले बन्द हो गया तो आख़िर वक़्त मुस्तहब तक इन्तज़ार करके नहा कर नमाज़

पढ़े और जो आदत के दिन पूरे हो चुके तो इन्तज़ार की कुछ हाजत नहीं। (आलमगीरी रददुलमुहतार वग़ैरह)

१५. हैज़ पूरे दस दिन पर और निफ़ास पूरे चालीस दिन पर खत्म हुआ और नमाज़ के वक़्त में अगर इतना भी बाकी हो कि अल्लाहु अक्बर का लफ़्ज़ कहे तो उस वक़्त की नमाज़ उस पर फ़र्ज़ हो गई। नहाकर उसकी कज़ा करे और अगर उससे कम में बन्द हुआ और इतना वक़्त है कि जल्दी नहा कर और कपड़े पहन कर एक बार अल्लाहु अक्बर कह सकती है तो फ़र्ज़ हो गई कज़ा करे और इतना वक़्त न हो तो नहीं। (रददुलमुहतार)

१६. अगर पूरे दस दिन पर पाक हुई और इतना वक़्त भी रात को बाकी नहीं कि एक बार अल्लाहु अक्बर कह ले तो उस दिन का रोज़ा उस पर वाजिब है और जो कम में पाक हुई और इतना वक़्त है कि सुबह सादिक होने से पहले नहा कर कपड़े पहन कर अल्लाहु अक्बर कह सकती है तो रोज़ा फ़र्ज़ है। अगर नहा ले तो बेहतर वरना बे नहाये नीयत करले और सुबह को नहा ले। और जो इतना वक़्त भी नहीं तो उस दिन का रोज़ा उस पर फ़र्ज़ न हुआ अलबत्ता रोज़ादारों की तरह रहना वाजिब है। कोई बात ऐसी जो रोज़े के खिलाफ हो मसलन खाना पीना हराम है। (दुर्रे मुख्तार, रददुलमुहतार)

१७. रोज़े की हालत में हैज़ या निफ़ास शुरू हो गया तो वह रोज़ा जाता रहा। उसकी कज़ा रखे फ़र्ज़ था तो कज़ा फ़र्ज़ है और नफ़िल थी तो कज़ा वाजिब (आलमगीरी)

१८. हैज़ व निफ़ास वाली को अख़्तियार है कि छुप कर खाए या जाहिरन, रोज़ादार की तरह रहना उस पर ज़रूरी नहीं।

(जोहरह) मगर छुप कर खाना बेहतर है। खसूसन हैज़ वाली के लिए। (बहारे शरीअत)

१९. हैज़ व निफ़ास वाली पाक हो गई, कुछ दिन बाकी रह गया है तो उसे रोज़े की मिस्ल गुज़ारे और उस रोज़े की कज़ा वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार)

२०. औरत सोते वक़्त पाक थी और सुबह सो कर उठी तो हैज़ का असर देखा तो उसी वक़्त से हैज़ का हुक्म दिया जायेगा। लेहाज़ा अगर इशा की नमाज़ नहीं पढ़ी थी तो पाक होने पर उस की कज़ा फ़र्ज़ है।

२१. हैज़ वाली सो कर उठी और गद्दी पर कोई निशान हैज़ का नहीं तो रात ही से पाक है। नहा कर इशा की कज़ा पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार, रददुलमुहतार वग़ैरह)

२२. हमबिस्तरी यानी जिमाअ इस हालत में हराम है। उसे जायज़ जानना कुफ्र है और हराम समझ कर, कर लिया तो सख़्त गुनाह की बात है। उस पर तौबा फर्ज है अब अगर शुरू दिनों में किया तो एक दीनार और आख़िर दिनों में किया तो आधा दीनार ख़ैरात करना मुस्तहब है। (दुर्रे मुख़्तार, रददुलमुहतार)

२३. इस हालत में नाफ़ से घुटने तक औरत के बदन से मर्द का अपने अज़ू से छूना भी जायज़ नहीं जबकि बदन पर कपड़ा वग़ैरह मौजूद न हो। शहवत से हो या बे शहवत हां अगर बदन पर कोई ऐसी चीज़ हो कि बदन में गर्मी महसूस न होगी तो हर्ज नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

२४. नाफ़ से ऊपर और घूटने से नीचे छूने या किसी तरह का नफ़ह लेने में कोई हर्ज नहीं यूंही बोस व किनार

भी जायज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

२५. औरत इस हालत में शौहर के साथ खा पी सकती है। बल्कि दोनों एक पलंग पर सो भी सकते हैं। बल्कि उस वजह से साथ न सोना मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार) हां हमराह सोने में शहवत का ग़लबा हो और अपने को काबू में न रखने का एहतमाल हो तो साथ न सोये और उसका गालिब गुमान हो तो साथ सोना गुनाह है (बहारे शरीअत)

२६. पूरे दस दिन पर हैज़ खत्म हुआ तो पाक होते ही उससे जिमाअ (सोहबत) जायज़ है। अगरचे अब तक गुस्ल न किया हो मगर मुस्तहब यह है के नहाने के बाद जिमाअ करे और दस दिन से कम में पाक हुई तो जब तक गुस्ल न करे या नमाज़ का वक़्त जिस में पाक हुई वह गुज़र न जाए, जिमाअ जायज़ नहीं और अगर इतना वक़्त नहीं था कि उस में नहा कर कपड़े पहन कर अल्लाहु अक्बर कह सके तो उसके बाद का वक़्त गुज़र जाये या गुस्ल कर ले तो जिमाअ जायज़ है वरना नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, वग़ैरह)

२७. आदत के दिन पूरे होने से पहले ही खत्म हो गया तो अगरचे गुस्ल करले, जिमाअ नाजायज़ है। जब तक कि आदत के दिन पूरे न हो जायें। मसलन किसी की आदत छः दिन की थी और इस मर्तबा पांच ही रोज़ आया तो उसे हुक्म है कि नहाकर नमाज़ शुरू कर दे मगर जिमाअ के लिए एक दिन और इंतजार करना वाजिब है। (आलमगीरी वग़ैरह)

२८. औरत हैज़ से पाक हुई और पानी पर कुदरत नहीं कि गुस्ल करे और गुस्ल का तयम्मुम किया तो उससे सोहबत जायज़ नहीं। जबतक कि उस तयम्मुम से नमाज़ न पढ़ ले। नमाज़

पढ़ने के बाद अगरचे पानी पर क़ादिर हो गुस्ल न किया सोहबत जायज़ है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

२९. औरत को यह जायज़ नहीं कि अपने हैज़ अपने शोहर से छुपाये कि कहीं वह नादानिस्ता जिमाअ न करे। जैसा कि यह जायज़ नहीं कि वह ख़ुद को हैज़ वाली ज़ाहिर करे हालांकि वह हैज़ वाली नहीं। (मराक़ीलफ़लाह)

३०. इन बातों में निफ़ास के वही अहकाम हैं जो हैज़ के हैं। (रद्दुलमुहतार)

३१. बच्चा अभी आधे से ज़्यादा पैदा नहीं हुआ और नमाज़ का वक़्त जा रहा है और यह गुमान है कि आधे से ज़्यादा बाहर होने से पेशतर वक़्त ख़त्म हो जायेगा तो उस वक़्त की नमाज़ जिस तरह मुमकिन हो पढ़े। अगर क़ियाम रुकूअ सजूद न हो सके तो इशारे से पढ़े वुज़ू न करे तो तयम्मुम से पढ़े और अगर न पढ़ी तो गुनाहगार होगी, तौबा करे और बाद तहारत क़ज़ा पढ़े। (बहारे शरीअत, फ़तावा रिज़्विया)

ज़रूरी निहायत ज़रूरी

निफ़ास में औरत को ज़च्चा ख़ाने से निकलना जायज़ है उसको साथ खिलाने या उसका झूठा खाने में हर्ज नहीं। इन इलाक़ों में जो बाज़ जगह उनके बर्तन से हाथ लगाने नहीं देतीं। यह सब वाही तबाही बातें हिन्दुओं की रस्में हैं। ऐसी बेहूदा रस्मों से दूर रहना लाज़िम है। अक्सर औरतों में यह रिवाज है कि जब तक चिल्ला पूरा न होले अगरचे निफ़ास ख़त्म हो गया हो न नमाज़ पढ़ें न अपने आप को

नमाज़ के क़ाबिल जानें। यह महज़ जिहालत है जिस वक़्त निफ़ास खत्म हो उसी वक़्त से नहा कर नमाज़ शुरू कर दें और अगर नहाने में बीमारी का पूरा अन्देशा है तो तयम्मुम करें और नमाज़ पढ़े। (फ़तावा रिज़विया, बहारे शरीअत)

इस्तिहाज़ा के अहकाम

वह खून जो बालिग़ औरत के आगे के मक़ाम से आये लेकिन न तो आदी तौर पर और न बच्चा की पैदाइश के बाद, बल्कि किसी बीमारी की वजह से हो उसे इस्तिहाज़ा कहते हैं।

१. इस्तिहाज़ा में नमाज़ माफ़ है न रोज़ा और न ऐसी औरत से सोहबत हराम (आमए कुतुब)

२. इस्तिहाज़ा अगर उस हद तक पहुंच गया कि उसको इतनी मोहलत नहीं मिलती कि वुज़ू करके नमाज़ अदा कर सके तो नमाज़ का पूरा एक वक़्त शुरू से आख़िर तक, उसी हालत में गुज़र जाने पर उस को माअज़ूर (उज़्र वाली) कहा जाएगा। एक वुज़ू से उस वक़्त में जितनी नमाज़ें चाहे पढ़े खून आने से उसका वुज़ू न जायेगा। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

३. अगर कपड़ा वग़ैरह रख कर देर तक खून को रोक सकती है कि वुज़ू करके नमाज़ पढ़ ले तो उज़्र साबित न होगा। (दुर्रे मुख़्तार)

४. इस्तिहाज़ा वाली अगर गुस्ल करके जुहर की नमाज़ आख़िर वक़्त में और अस्र की नमाज़ की वुज़ू करे अव्वल वक़्त में और मग़रिब की नमाज़ गुस्ल करके आख़िर वक़्त में पढ़े और इशा की वुज़ू करे और अव्वल वक़्त में और फ़ज्र भी गुस्ल करके पढ़े तो बेहतर है और अजब नहीं कि यह अदब जो हदीस में इरशाद हुआ है उसकी रियायत

५. हर वह शख़्स जिसको कोई ऐसी बीमारी है कि एक वक़्त पूरा नमाज़ का गुज़र गया कि वुजू के साथ फ़र्ज़ अदा न कर सका वह माज़ूर है। उसका भी यही हुक्म है कि अव्वल वक़्त में वूजू करले और आख़िर वक़्त तक जितनी नमाज़ें चाहे उस वुजू से पढ़े। उस बीमारी से उसका वुजू नहीं जाता, जैसे दस्त आना, या हवा ख़ारिज होना, या दुखती आंख से पानी गिरना या फोड़े वग़ैरह से हर वक़्त रतूबत बहना या कान, नाफ़, पिस्तान से पानी निकलना कि यह सब बीमारियां वुजू तोड़ने वाली हैं। (दुर्रे मुख़्तार, रददुलमुहतार वग़ैरह)

६. फ़र्ज़ नमाज़ का वक़्त निकल जाये तो वुजू टूट जाता है जैसे किसी ने अस्र के वक़्त वुजू किया था तो सूरज डूबते ही वुजू जाता रहा। (आमए कुतुब)

७. जब पूरा वक़्त गुज़र जाये और वह चीज़ न पायी जाए जिसकी वजह से उसे माज़ूर कहा गया था मसलन ख़ून न आया तो अब माज़ूर न रही। (दुर्रे मुख़्तार, वग़ैरह)

८. माज़ूर का वुजू उस चीज़ से नहीं जाता जिसके सबब माज़ूर है। हां अगर कोई दूसरी चीज़ तोड़ने वाली पाई गई तो वुजू जाता रहा। मसलन जैसे नकसीर का मर्ज़ है हवा निकलने से उसका वुजू जाता रहेगा। (आमए कुतुब)

९. माज़ूर ने किसी दूसरे उज़्र के बाद वुजू किया और वूजू करते वक़्त वह उज़्र जिसकी वजह से यह माज़ूर है मुनक़ता था मगर वुजू करने के बाद यह उज़्र पाया गया तो वुजू जाता रहा जैसे इस्तिहाज़ा वाली ने पाखाना पेशाब के बाद वुजू किया और वुजू करते वक़्त ख़ून बन्द था बाद वुजू के आया तो वुजू टूट गया और अगर वुजू करते वक़्त वह उज़्र वाली चीज़ भी पाई जाती थी तो अब वुजू की

ज़रूरत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

१०. अगर किसी तर्कीब से उज़्र जाता रहे या उसमें कमी हो जाये तो उस तर्कीब को करना फ़र्ज़ है मसलन खड़े हो कर पढ़ने से खून बहता है और बैठ कर पढ़े तो न बहेगा तो बैठ कर फ़र्ज़ है। (आलमगीरी)

११. माजूर को ऐसा उज़्र है जिसके सबब कपड़े नजिस हो जाते हैं तो अगर एक दिरहम से ज़्यादा नजिस हो गया और जानता है कि इतना मौका है कि उसे धोकर पाक कपड़ों से नमाज़ पढ़ लूंगा तो धो कर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ हैं और अगर जानता है कि नमाज़ पढ़ते पढ़ते फिर इतना ही नजिस हो जायेगा तो धोना ज़रूरी नहीं इसी से पढ़ ले और अगर दिरहम के बराबर है तो पहली सूरत में धोना वाजिब है और अगर नजासत दिरहम से कम है तो धोना सुन्नत है और दूसरी सूरत में न धोने में कोई हरज नहीं। (आलमगीरी)

१२. किसी ज़ख़्म से ऐसी रतूबत निकले कि बहे नहीं तो न उसकी वजह से वुज़ू टूटे न माजूर हो और न वह रतूबत नापाक है। (आमए कुतुब)

नजासत का बयान और उसके अहकाम

नजासत दो तरह की है एक वह जिस का हुक्म सख़्त है उस को ग़लीज़ा कहते हैं। दूसरी वह जिसका हुक्म हलका है। उसे ख़फ़ीफ़ा कहते है। (आमए कुतुब)

इन दोनों नजासतों के मुताल्लिक बाज़ अहकाम यह हैं।

१. नजासते ग़लीज़ा का हुक्म यह है कि अगर कपड़े या बदन में एक दिरहम से ज़्यादा लग जाए तो उसका पाक करना फर्ज़ है। बेपाक किये नमाज़ पढ़ ली तो होगी ही नहीं और जान बूझ कर पढ़ ली तो गुनाह भी हुआ।

और अगर दिरहम के बराबर है तो पाक करना वाजिब है कि बेपाक किये नामज़ पढ़ी तो उस नमाज़ का दोबारा पढ़ना वाजिब है और कस्दन पढ़ी तो गुनाह भी हुआ, और अगर दिरहम से कम है तो पाक करना सुन्नत है कि बेपाक किये नमाज़ पढ़ली तो होगई मगर सुन्नत के खिलाफ़ हुई उसको दोहरा लेना अच्छा है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

२. नजासते खफ़ीफ़ा का हुक्म है कि कपड़े के जिस हिस्से या बदन के जिस अजूव पर लगी है अगर उसकी चौथाई से कम है। (मसलन दामन में लगी है तो दामन की चौथाई से कम और आस्तीन में लगी है तो आस्तीन की चौथाई से कम, यूंही हाथ में हाथ की चौथाई से कम) तो माफ़ है कि उससे नमाज़ हो जाएगी और अगर पूरी चौथाई में हो तो बे धोए नमाज़ न होगी। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

३. नजासत अगर गाढ़ी (दल वाली) हो जेसे पाखाना, लीद, गोबर वग़ैरह तो दिरहम के बराबर या कम या ज़्यादा के मानी हैं कि वज़न में उसके बराबर या कम या ज़्यादा हो और दिरहम का वज़न उस जगह साढ़े चार माशा है और अगर पतली हो जैसे आदमी का पेशाब और शराब तो दिरहम से मुराद उसकी लम्बाई चौड़ाई है और शरीअत में उसकी मिक्दार हथेली की गहराई के बराबर यानी तकरीबन यहां के रुपये के बराबर है। (आमए कुतुब)

४. नजासते गलीज़ा और ख़फ़ीफा के जो हुक्म अलग–अलग बताये गये हैं यह उसी वक़्त हैं कि कपड़े या बदन में लगे। और अगर किसी पतली चीज़ जैसे सिर्का या पानी में गिरे तो चाहे गलीज़ा हो या ख़फ़ीफ़ा वह चीज़ कुल नापाक हो जाएगी, अगरचे एक क़तरा गिरे मसलन पेशाब का एक क़तरा पानी के बड़े मटके में गिर गया तो सब नापाक हो गया। (दुर्रे मुख़्तार)

५. पाखाना, पेशाब, बहता हुआ ख़ून, पीप, मुंह भर कै, हैज़ व निफास व इस्तिहाज़ा का ख़ून, मनी, मज़ी, वदी, दुखती आंख से, या नाफ और पिस्तान से दर्द के साथ निकलने वाला पानी, दूध पीते लड़के और लड़की का पेशाब, दूध पीने वाले बच्चे ने जो दूध डाल दिया और मुंह भर है।

ख़ुश्की के हर जानवर का बहता हुआ ख़ून, मुरदार का गोश्त और चरबी, ह़राम चौपाये जैसे कुत्ता शेर, लोमड़ी, बिल्ली, चूहा, गधा, ख़च्चर, हाथी, सुवर का पाखाना पेशाब और घोड़े की लीद। हर हलाल चौपाये का पाखाना जैसे गाय, भैंस का गोबर, बकरी, ऊंट की मेंगनी, और जो परिन्दा कि ऊंचा न उड़े उसकी बीट जैसे मुर्गी और बतख़ छोटी हो या बड़ी।

सुवर का गोश्त और हड्डी और बाल अगरचे ज़िबह किया गया हो। छपकली या गिरगिट का ख़ून, हाथी की सूंड की रतूबत, और शेर, कुत्ते, चीते और दूसरे दरिन्दे चौपायों का लुआब, सांप का पाखाना पेशाब और उस जंगली सांप और मेंडक का गोश्त जिन में बहता ख़ून होता है। यूंही उनकी खाल अगरचे पकाई गई हो, यूंही हराम जानवरों का पित्ता।

और हर क़िस्म की शराब और नशा लाने वाली ताड़ी और

सेंधी और हराम जानवरों का दूध, यह सब चीज़ें नजासते गलीज़ा हैं। (दुर्रे मुख़्तार बहारे शरीअत)

६. जिन जानवरों का गोश्त हलाल है उनका पेशाब, घोड़े का पेशाब, और जिस परिन्दा का गोश्त हराम है ख़्वाह शिकारी हो या न हो उसकी बीट, हलाल जानवरों का पित्ता यह सब चीज़ें नजासते खफीफा हैं। (आमए कुतुब)

७. हर चौपाये की जुगाली का वही हुक्म है जो उसके पाख़ाने का (आमए कुतुब)

८. नजासते गलीज़ा, खफीफा में मिल जाए तो कुल गलीज़ है। अगरचे ख़फीफ़ा ज़ायद हो। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार)

९. मछली और पानी के दूसरे जानवरों का खून और खच्चर व गधे का लुआब और पसीना और जो परिन्द हलाल ऊंचे उड़ते हैं। जैसे कबूतर, मैना उनकी बेट और जो खून ज़ख़्म से बहा न हो और गोश्त, तिल्ली, कलेजी, में खून बाकी रह गया हो, रेशम के कीड़े की बीट और उसका पानी यह सारी चीज़ें पाक हैं कि बदन या कपड़े पर लग जाएं तो नापाक न होगा। (दुर्रे मुख़्तार)

१०. गोश्त, तिल्ली, कलेजी वगैरह अगर बहते खून में सन जाएं तो नापाक हैं। बगैर धोये पाक न होंगी। (दुर्रे मुख़्तार)

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

१. पेशाब की निहायत बारीक छींटें सूई की नोक के बराबर, बदन या कपड़े पर पड़ जाएं तो कपड़ा और बदन पाक रहेगा। और ऐसा कपड़ा पानी में पड़ तो पानी भी नापाक न होगा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

२. किसी कपड़े या बदन पर चन्द जगह निजासत गलीज़ा लगी और किसी दिरहम के बराबर नहीं मगर मजमूआ दिरहम के बराबर है तो दिरम के बराबर समझी जाएगी और ज़ायद है तो ज़ायद और नजासत ख़फ़ीफ़ा में भी मजमूआ ही पर हुक्म दिया जाएगा। (रददुलमुहतार)

३. नापाक कपड़े में पाक कपड़ा या पाक में नापाक कपड़ा लपेटा और उस नापाक कपड़े से यह पाक कपड़ा नम हो गया तो नापाक न होगा। बशर्ति कि निजासत का रंग या बू उस कपड़े में ज़ाहिर न हो वरना नमी आजाने से भी पाक हो जाएगा। अगर भीग जाए तो अब पाक कपड़ा भी नापाक हो जाएगा। और अगर नापाक कपड़े में पेशाब या शराब की तरी है तो पाक कपड़ा नम हो जाने से भी नापाक हो जाएगा। (आलमगीरी)

४. नापाक कपड़ा सूखा था और पाक तर था, दोनों को लपेट दिया और उस पाक की तरी से वह नापाक तर हो गया और उस नापाक को इतनी तरी पहुंची कि अब उससे छूट कर उस पाक को लगी तो यह भी नापाक हो गया वरना नहीं। (आलमगीरी)

५. पाखाने से मक्खियां उड़ कर कपड़े या बदन पर बैठें तो वह नापाक न होगा। (आलमगीरी)

६. रास्ते की कीचड़ पाक है। जब तक उस का नजिस होना मालूम न हो तो अगर पांव या कपड़े पर लगी और बे धोए नमाज़ पढ़ ली तो हो गई मगर धो लेना बेहतर है। (रददुलमुहतार)

७. सड़क पर पानी छिड़का जा रहा था। ज़मीन से छींटें उड़ कर कपड़े पड़ें तो कपड़ा नजिस न हुआ, मगर धो लेना बेहतर है। (बहारे शरीअत)

८. कुत्ता बदन या कपड़े से छू जाए तो अगरचे उसका जिस्म तर हो, बदन और कपड़ा पाक है। हां उसके बदन पर नजासत लगी हो तो और बात है या उसका लुआब लगे तो नापाक कर देगा। (आलमगीरी)

९. पाक मिट्टी में नापाक पानी मिलया तो मिट्टी नजिस हो गई। (आलमगीरी)

१०. औरत के पेशाब के मुकाम से जो रतूबत निकले पाक है। कपड़े या बदन में लगे तो धोना कुछ ज़रूरी नहीं। हां बेहतर है। बशर्ति कि मनी या मज़ी या खून उस में मखलूत न हो। (शामी)

११. जो गोश्त सड़ गया बदबू ले आया, नजिस नहीं। अगरचे उसका खाना हराम है।

नजिस चीज़ों के पाक करने का तरीक़ा

जो चीज़ें ऐसी हैं कि वह खुद नजिस हैं (जिनको नापाकी और नजासत कहते हैं) जैसे शराब या गोबर, लीद वगैरह गलीज़ चीज़ें हैं, यह जब तक अपनी अस्ल को छोड़ कर कुछ और न हो जायें पाक नहीं हो सकतीं। शराब जबतक शराब है नजिस ही रहेगी और सिर्का हो जाए तो अब पाक है और जो चीज़ें बज़ातिही नजिस नहीं बल्कि किसी नजासत के लगने से नापाक हो जाएं उन के पाक करने के मुख़्तलिफ तरीके हैं (आमए कुतुब) मसलन पानी (अगरचे मुसतअमल हो) और हर बहने वाली चीज़ से जिससे नजासत दूर हो जाए धोकर नजिस चीज़ को पाक कर सकते हैं। मसलन सिर्का

और गुलाब कि उनसे नजासत दूर कर सकते हैं। मगर बग़ैर ज़रूरत गुलाब और सिर्का वग़ैरह से पाक करना जायज़ नहीं कि फ़ुज़ूल ख़रची है। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार)

मसला :- नजासत अगर दलदार हो (जैसे पाखाना, गोबर, ख़ून वग़ैरह) तो धोने में गिनती की कोई शर्त नहीं बल्कि उसको दूर करना ज़रूरी है। अगरचे चार पांच मर्तबा धोना पड़े। हां अगर तीन मर्तबा से कम में नजासत दूर हो जाए तो तीन बार पूरा करलेना मुस्तहब है, (आलमगीरी)

मसला :- अगर नजासत दूर हो गई मगर उसका रंग या बदबू बाक़ी है तो उसे भी दूर करना ज़रूरी है। हां अगर उसके दूर करने में दिक़्क़त पेश आए तो तीन मर्तबा धो लेना ही काफ़ी है। (आलमगीरी)

मसला:- नजासत अगर रक़ीक़ (पतली बहने वाली) हो तो तीन मर्तबा धोने और तीनों मर्तबा ख़ूब निचोड़ने से पाक होगा। ख़ूब निचोड़ने के मानी यह हैं कि वह शख़्स अपनी ताक़त भर इस तरह निचोड़े कि अगर फिर निचोड़े तो उससे कोई क़तरा न टपके। अगर कपड़े का ख़्याल करके अच्छी तरह न निचोड़ा तो कपड़ा पाक न होगा। (आलमगीरी)

मसला :- पहली और दूसरी मर्तबा निचोड़ने के बाद हाथ पाक कर लेना चाहिए और तीसरी बार निचोड़ने से कपड़ा भी पाक हो गया और हाथ भी। और जो कपड़े में इतनी तरी रह गई कि निचोड़ने से एक आध बूंद टपकेगी तो कपड़ा और हाथा दोनों नापाक हैं। (आलमगीरी)

मसला:- पहली या दूसरी बार हाथ पाक नहीं किया और उसकी

तरी से कपड़े का पाक हिस्सा भीग गया तो यह भी नापाक हो गया। (बहारे शरीअत)

मसला:– दूध पीते लड़के और लड़की का एक ही हुक्म है कि उनका पेशाब बदन या कपड़े में लगा है तो तीन बार धोना और हर मर्तबा निचोड़ना पड़ेगा। (रददुलमुहतार वग़ैरह)

मसला:– जो चीज़ निचोड़ने के काबिल नहीं है। (जैसे चटाई, जूता वगैरह) उसको धोकर छोड़ दें कि पानी टपकना बन्द हो जाए। यूंही दो मर्तबा धोयें, जब तीसरी मर्तबा पानी टपकना बन्द हो गया वह चीज़ पाक हो गई। उसे हर मर्तबा के बाद सुखाना ज़रूरी नहीं। यूंही जो कपड़ा अपनी नाजुकी के सबब निचोड़ने के काबिल नहीं उसे भी यूंही पाक किया जाए। (रददुलमुहतार)

मसला:– अगर ऐसी चीज़ नापाक हो गई कि इस में नेजासत जज़्ब न हुई। जैसे चीनी के बरतन या मिट्टी का पुराना इस्तेमाल शुदा चिकना बरतन या लोहा, तांबा, पीतल वगैरह धातों की चीज़ें तो उसे फक्त तीन मर्तबा धो लेना काफी है। उसकी भी ज़रूरत नहीं कि पानी टपकना मौकूफ हो जाए। यही हुक्म बदन का है कि इसे तीन बार धो लेना ही काफी है। (रददुलमुहतार वग़ैरह)

मसला:– यह ज़रूरी नहीं कि एक दम तीनों बार धोयें। बल्कि अगर मुख्तलिफ वक्तों बल्कि मुख्तलिफ दिनों में यह तादाद पूरी की जब भी वह चीज़ पाक हो जाएगी।(रददुलमुहतार)

२. लोहे और हर किस्म की धात की चीज़ें पोंछने से पाक हो जाती हैं जैसे छुरी चाकू वग़ैरह, यही हुक्म आईने, शीशे, और चीनी की बनी हुई चीज़ों का है। हां अगर यह चीज़ें नक्शी हों या लोहे में ज़ंग हो तो अब धोना ज़रूरी है। पोंछने

से पाक न होंगी। (आलमगीरी)

३. मिट्टी कपड़े में लग कर खुश्क हो गई तो फ़क्त मल कर झाड़ने और साफ करने से कपड़ा पाक हो जाएगा। अगर मलने के बाद कुछ असर बाकी रह जाए या तर है तो बग़ैर धोए कपड़ा पाक न होगा। (आलमगीरी)

४. मोज़े या जूते में दलदार नजासत लगी जैसे पाख़ाना, गोबर तो खुरचने और रगड़ने से पाक हो जाएंगे। (रददुलमुहतार)

५. नापाक ज़मीन अगर खुश्क हो जाए और नजासत का असर यानी रंग, बू जाता रहे तो पाक हो गई मगर उससे तयम्मुम करना जायज़ नहीं। नमाज़ उस पर पढ़ सकते हैं। (आमए कुतुब)

इस्तिंजे के मुताल्लिक़ चन्द मसाइल

१. जब पाखाना पेशाब को जाए तो मुस्तहब है कि पाखाने से बाहर यह दुआ पढ़ ले।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ
بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगती हूं पलीदी शयातीन से फिर बायां कदम पहले दाखिल करे और निकलते वक्त पहले दाहिना पांव बाहर निकाले और यह पढ़े। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّی الْاَذٰی وَعَافَانِیْ ۔

हम्द है अल्लाह के लिए जिसने अज़ियत की चीज़ मुझ से दूर करदी और मुझे आफ़ियत दी।

२. पाखाना पेशाब करते वक्त या तहारत में न किबला की तरफ़ मुंह हो न पीठ और भूल कर बैठ गया तो याद आते ही फिर जाए

यूंही चांद सूरज की तरफ़ भी मुंह या पीठ न करे।

३. बच्चे को पेशाब पाखाना कराते वक्त भी इसका ख़्याल रखे कि उसका मुंह या पीठ किबला की तरफ न हो वरना इसका वबाल कराने वाले पर होगा।

४. नंगे सर पाखाना पेशाब को जाना, या अपने हमराह ऐसी चीज़ लेजाना जिस पर कोई दुआ या अल्लाह व रसूल या किसी बुजुर्ग का नाम लिखा हो मकरूह हैं यूंही कलाम करना भी मकरूह है।

५. जिस जगह वुजू या गुस्ल किया जाता हो वहां पेशाब करना मकरूह है। इससे वसवसे पैदा होते हैं।

६. ज़रूरत से ज़्यादा बदन न खोले किसी दीनी मसला पर गौर न करे कि यह महरूमी का सबब है। नंगे सर पेशाब पाखाने को न जाए। बगैर ज़रूरत शर्मगाह की तरफ़ न नज़र करे न हाथ लगाए और न उस नजासत को देखे जो बदन से निकली है। देर तक न बैठे कि बवासीर का अंदेशा है। इस हालत में न थूके न नाक साफ करे न बिला ज़रूरत इधर-उधर देखे न खंखारे न आसमान की तरफ नज़र करे बल्कि शर्म के साथ नज़र झुकाए रखे। फ़रागत के बाद पहले पेशाब का मुकाम धोए फिर पाखाने का। और ख़ूब अच्छी तरह धोए कि धोने के बाद हाथ में बू बाकी न रह जाए और चिकनाई जाती रहे।

७. तहारत के बाद हाथ पाक हो गए। मगर फिर भी धो लेना बल्कि मिट्टी लगाकर धोना मुस्तहब है। (आलमगीरी वग़ैरह)

नमाज़ के वक़्तों का बयान

कुरआन करीम का इर्शाद है :-

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ۝

बेशक नमाज़, ईमान वालों पर वक़्त बांधा हुआ फ़र्ज़ है।

और ख़ुदा व रसूल ने कुरआन करीम और हदीस शरीफ़ में हमें बताया कि हर आकिल बालिग़ मुसलमान पर मर्द हो ख़्वाह औरत पांच वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ है। जो इसकी फ़ज़ीलत को न माने वह काफ़िर है। और जान बूझ कर छोड़े अगरचे एक ही वक़्त की हो, वह फ़ासिक़ व सख़्त गुनहगार है। उलमाए किराम फ़रमाते हैं कि जो नमाज़ न पढ़ता हो क़ैद किया जाए यहां तक कि तौबा करे और नमाज़ पढ़ने लगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि "मैं बे नमाज़ी औरत को तलाक़ दे दूं और उसका मेहर मेरे ज़िम्मे बाक़ी हो। इस हालत के साथ दरबारे ख़ुदा में मेरी पेशी हो तो यह उससे बेहतर है कि मैं ऐसी औरत के साथ ज़िंदगी बसर करूं।" (रद्दुलमुहतार) इसी लिए उलेमा ने फ़रमाया कि जो औरत नमाज़ न पढ़े उसे तलाक़ देना बेहतर है।

हदीस शरीफ़ में फ़रमाया कि जब बच्चे की उम्र सात बरस की हो तो उसे नमाज़ पढ़ना सिखाया जाए और जब दस बरस का हो जाए तो मार कर पढ़वाना चाहिए। (अबूदाऊद)

बहर हाल हर मुसलमान आक़िल बालिग़ पर पांच वक़्त की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है।

फ़ज्र, ज़ुहर, अस्र, मग़रिब और इशा

फ़ज्र का वक़्त सुबह सादिक़ से सूरज की किरण चमकने तक है और उन इलाक़ों में यह वक़्त कम अज़ कम एक घंटा अट्ठारह

मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा पैंतीस मिनट है न इससे कम होगा न इससे ज़्यादा। (फ़तावा रिज़विया)

जुहर का वक्त सूरज ढलने से उस वक्त तक है कि हर चीज़ का साया अलावा अस्ली के दोचन्द हो जाए।

अस्र का वक़्त बाद खत्म होने वक्ते जुहर के यानी सिवा साया अस्ली के दो मिस्ल साया होने से सूरज डूबने तक है। इन इलाकों में यह वक्त कम अज़ कम एक घंटा ३५ मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा दो घंटे ६ मिनट है।

मग़रिब का वक्त सूरज की टिकया डूब जाए तो मग़रिब का वक़्त शुरू हो जाता है और शफ़क़ डूब जाने तक रहता है और शफ़क़ उस सफेदी का नाम है जो मगरिब की जानिब जुनूब शुमाल में सुबह सादिक़ की तरह फैली रहती है और यह वक्त उन शहरों में कम अज़ कम एक घंटा अट्ठारह मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा ३५ मिनट होता है यानी हर रोज़ के सुबह और मग़रिब दोनों के वक़्त बराबर होते है।

इशा का वक्त मग़रिब का वक़्त ख़त्म होते ही (यानी शफ़क़ डूबते ही) इशा का वक्त शुरू हो जाता है और सुबह सादिक़ तक रहता है। (आमए कुतुब व फ़तावा रिज़विया)

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

१. औरतों के लिए फज्र की नमाज़ अव्वल वक्त में मुस्तहब है और बाकी नमाज़ों में बेहतर यह है कि मर्दों की जमाअत का इंतिज़ार करें। (दुर्रे मुख्तार)

२. अस्र की नमाज़ में इतनी देर न करें कि सूरज की टिकिया

पर ज़र्दी आजाए कि उस पर बे तकल्लुफ निगाह ठहरने लगे और तजर्बा से साबित है कि यह ज़र्दी उस वक्त आजाती है जब गुरूब में बीस मिनट बाकी रहते हैं तो उसी कद्र वक्ते कराहत है। (दुर्रे मुख़्तार फतावा रिज़विया)

३. मगरिब की नमाज़ शुरू वक्त में पढ़ लेनी चाहिए और अगर दो रकअत की मिकदार देर लगाई तो मकरूह तनज़ीही है और अगर इतनी देर लगाई कि सितारे गुथ गये तो मकरूह तहरीमी, हां किसी बीमारी या सफर या किसी और मजबूरी के बाइस देर हो गई तो और बात है। (आलमगीरी)

४. नमाज़े इशा से पहले सोना और बाद नमाज़े इशा दुनिया की बातें करना, किस्से कहानी कहना सुनना मकरूह है। हां ज़रूरी बातें, ज़िक्रो अज़कार, कुरआन करीम की तिलावत नेक बन्दों के किस्से और मेहमान से बातचीत में कोई हर्ज नहीं। यूंही सुबह सादिक से सूरज निकलने तक ज़िक्रे इलाही के सिवा हर बात मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार)

५. सूरज निकलते वक्त, डूबते वक्त और ठीक दोपहर के वक्त में कोई नमाज़ जायज़ नहीं न फर्ज़ न नफिल न अदा न कज़ा, यूंही सज्दए तिलावत भी नाजायज़ हैं अलबत्ता अगर उस रोज़ अस्र की नमाज़ नहीं पढ़ी तों अगरचे आफ्ताब डूबता हो पढ़ ले मगर इतनी देर लगाना हराम है, हदीस में इसे मुनाफिक की नमाज़ फरमाया। इस मसले को यूं याद रखो कि सूरज निकलने के २० मिनट के अन्दर-अन्दर और सूरज डूबने से २० मिनट पहले का वक्त नमाज़ की मुमानिअत का वक्त है।(फतावा रिज़विया)

६. इन औकात में कुरआन करीम की तिलावत बेहतर नहीं, बेहतर

यह है कि ज़िक्र और दुरुद शरीफ में मशगूल रहे। (दुर्रे मुख्तार)

७. तुलूए फज्र से तुलूए आफताब तक सिवा दो रकअत सुन्नत फज्र के कोई नफिल नमाज़ जायज़ नहीं। यूं ही अस्र की नमाज़ पढ़ लेने के बाद से आफताब में ज़र्दी आने तक नफिल पढ़ने की इजाज़त नहीं।

८. फर्ज़ का वक़्त तंग हो तो हर नमाज़ यहां तक कि फज्र और जुहर की सुन्नतें पढ़ना भी मकरूह है।

९. जिस बात से दिल बटे और उसे दफअ कर सकता हो तो उसे दूर किए बग़ैर हर नमाज़ मकरूह है। मसलन पाखाना पेशाब या रियाह का ज़ोर है। हां अगर वक्त जाता देखे तो पढ़ले मगर फेर ले।

१०. नमाज़े फज्र व नमाज़े अस्र के बाद कज़ा नमाज़ पढ़ना जायज़ है। (आमए कुतुब)

नमाज़ की शर्तो का बयान

नमाज़ के सही व दुरुस्त होने के लिए छः शर्ते हैं कि बे उनके नमाज़ होगी ही नहीं (१) तहारत (२) सत्रे औरत (३) इस्तकबाल किबला (४) वक्त (५) नीयत (६) तकबीर तहरीमा

१. **तहारत** :- यानी नमाज़ी के बदन का हदसे अकबर (यानी वह चीज़ें जिनसे गुस्ल वाजिब होता है) हदसे असग़र (यानी वुजू तोड़ने वाली चीज़ें) से और निजासते हकीका से पाक होना। नीज़ उस कपड़े और उस जगह का जिस पर नमाज़ पढ़ता है। निजासते हकीका से पाक होना। (दुर्रे मुख्तार आलमगीरी वग़ैरह)

२. **सत्रे औरत** :- यानी बदन का वह हिस्सा जिसका छिपाना

फ़र्ज़ है, उसका छिपाना

मसला:- आज़ाद औरतों के लिए मुंह की टकली और दोनों हथेलियों और पांव के तलवों के सिवा सारा बदन औरत है तो नमाज़ के लिए अगरचे तनहा अंधेरी कोठरी में हो, सिवा इन पांच अज़्व के बाकी तमाम बदन छिपाना फ़र्ज़ है। इसी तरह गैर मर्दों के सामने मुंह खोलना भी मना है। (रददुलमुहतार)

मसला:- सर के लटके हुए बाल अैर गर्दन और कलाइयां और कान भी औरत हैं उनका छिपाना भी फ़र्ज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- इतना बारीक दोपट्टा जिस से बालों की सियाही चमके औरत ने ओढ़ कर नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ न होगी, जब तक उस पर कोई और चीज़ ऐसी न ओढ़े जिससे बाल वग़ैरह का रंग छिपाना भी फ़र्ज़ है। (आलमगीरी)

लेहाज़ा करेब या जाली या घास मलमल या नाज़ुक वायल या ऐसे ही किसी और बारीक कपड़े के कुर्ते फिराक, जम्पर, कमीस व साड़ी, जिनसे बदन की रंगत चमके पहनने, ओढ़ने बांधने से नमाज़ न होगी। हां उनके नीचे और कपड़ा हो कि बालों की सियाही और बदन की रंगत छिपाले तो नमाज़ हो जाएगी। इससे बहुत सी औरतें ग़ाफ़िल हैं। जिससे उनकी नमाज़ें अकारत जाती हैं।

मसला:- जिन आज़ा का छिपाना फ़र्ज़ है। उनमें कोई अज़्व चौथाई से कम खुल गया तो नमाज़ हो गई और अगर चौथाई अज़्व खुल गया और फौरन छिपा लिया तो भी नमाज़ हो गई और बक़द्र एक रुक्न (यानी तीन मर्तबा सुबहानल्लाह कहने के) खुला रहा या खुद खोला अगरचे फौरन छिपा लिया तो नमाज़ जाती रही। (रददुलमुहतार आलमगीरी)

मसला:- अगर नमाज़ शुरू करते वक्त अज़्व की चौथाई खुली हो। यानी उसी हालत पर अल्लाहु अक्बर कह लिया तो नमाज़ ही शुरू न हुई। (दुर्रे मुख़्तार)

३. इस्तकबाले किबला :- नमाज़ में किबला यानी काबा शरीफ़ की तरफ़ मुंह करना।

मसला:- जो शख़्स इस्तकबाले किबला से आजिज़ हो मसलन बीमार है कि उस में इतनी ताकत नहीं कि इधर रुख़ बदले और वहां कोई ऐसा नहीं जो उसका मुंह काबा की जानिब फेरदे तो ऐसी सूरत में जिस रुख़ नमाज़ पढ़ सके पढ़ ले, नमाज़ हो जाएगी। (रददुलमुहतार)

मसला:- अगर किसी जगह किबला की शनाख़्त का कोई ज़रिया न हो तो हुक्म है कि तहर्री करे यानी सोचे जिधर किबला होना दिल पर जमे उधर ही मुंह करे तो अगर तहर्री करके नमाज़ पढ़ी बाद को मालूम हुआ कि किबला की तरफ नमाज़ नहीं पढ़ी गयी तो नमाज़ दुहराने की ज़रूरत नहीं उसके हक में वही किबला है। हां अगर कोई जानने वाला मौजूद है उससे दरियाफ्त न किया या मस्जिद व मेहराब वहां मौजूद हैं उनका एतेबार न किया या तारे वगैरह मौजूद हैं और उसको इतना इल्म है कि उनके ज़रिये से मालूम करले और न किया बल्कि अपनी राय से खुद ग़ौर करके किसी तरफ को पढ़ ली तो अगर किबला ही की तरफ़ मुंह था हो गई वरना नहीं। (रददुलमुहतार)

मसला:- नमाज़ी ने किबला से बिला उज़्र जान बूझ कर सीना फेर दिया अगरचे फ़ौरन ही किबला की तरफ़ हो गया तो नमाज़ फ़ासिद हो गई और अगर बिला इरादा फिर गया और तीन तस्बीह की

मिक्दार वक्फा हुआ तो होगई और अगर मुंह किबला से फिरा तो उस पर वाजिब है कि फ़ौरन किबला की तरफ मुंह कर ले। नमाज़ न जाएगी। मगर बिला उज़्र ऐसा करना मकरूह है। (मनीयतुल मुसल्ली बहरुर्रायक)

४. वक़्त :- इसके मसाइल ऊपर बयान हो चुके।

५. नीयत :- तमाम कामों का दारोमदार नीयत पर है और नीयत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं और नमाज़ में नीयत का अदना दर्जा यह है अगर उस वक़्त कोई पूछे कौनसी नमाज़ पढ़नी है तो फ़ौरन बिला तअम्मुल बता दे अगर हालत ऐसी है कि सोच कर बताएगी तो नमाज़ न होगी। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- ज़बान से कह लेना मुस्तहब है मगर ज़बान से ग़लत निकल जाए तो उसका एतबार नहीं। मसलन दिल में जुहर का कस्द है और ज़बान से अस्र का लफ़्ज़ निकला तो जुहर की नमाज़ न होगी। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- फ़र्ज़ नमाज़ में फ़र्ज़ की नीयत ज़रूरी है। और यह भी ज़रूरी है कि उस खास नमाज़ की नीयत करे जो पढ़ता है। मसलन जुहर या अस्र की। यूंही वाजिब में वाजिब की नीयत करे और तरावीह में तरावीह की और सुन्नतों में सुन्नतों की। हां नफ़िल नमाज़ के लिए मुतलक नमाज़ की नीयत काफी है कि मैं नमाज़ पढ़ती हूं। (दुर्रे मुख़्तार रददुलमुहतार)

मसला:- नीयत में तादाद रकअत की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता फ़ज़ीलत है तो अगर रकअत की तादाद में ख़ता हो गई मसलन तीन रकअत जुहर की या चार रकअत मग़रिब की नीयत की तो नमाज़ हो जाएगी। (दुर्रे मुख़्तार रददुलमुहतार)

मसला:- फ़र्ज़ व वाजिब कज़ा हो गए तो उनमें दिन और नमाज़ दोनों का तअय्युन करना ज़रूरी है। मसलन फलां दिन की फलां नमाज़। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- अगर दिल में नमाज़ तोड़ने की नीयत की मगर ज़बान से कुछ न कहा तो वह बदस्तूर नमाज़ में है।(दुर्रे मुख़्तार)

और अगर कोई ऐसा काम कर लिया जिससे नमाज़ टूट जाती है तो नमाज़ गई।

६. तकबीर तहरीमा:- यानी ज़बान से अल्लाहु अक्बर कहना।

मसला:- अल्लाहु अक्बर की जगह कोई और लफ़्ज़ जो ख़ालिस ताज़ीमे इलाही के अलफाज़ हों मसलन अल्लाहु अजल्लु या अल्लाहु आज़मु कहा तो नमाज़ हो जाएगी मगर ऐसा करना मकरूह तहरीमी है और गुनाह। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:- जिन नमाज़ों में कियाम फ़र्ज़ है उन में तकबीरे तहरीमा के लिए कि़याम फ़र्ज़ है तो अगर बैठ कर अल्लाहु अक्बर कहा फिर खड़ी हो गई तो नमाज़ शुरू ही न हुई। (दुर्रे मुख़्तार)

नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा

बावुज़ू किबला की तरफ मुंह करके दोनों पांवों के पंजों में चार अंगुल का फ़ासला करके खड़ी हो और नमाज़ की नीयत करे (कि नीयत की मैंने.......... रकअत नमाज़......... वास्ते अल्लाह तआला के मुंह मेरा काबा शरीफ़ की तरफ़) और अपने दोनों हाथ कांधों तक उठाए लेकिन अपने हाथों को दोपट्टा चादर से बाहर न निकाले। हाथ की उंगलियां न बिल्कुल मिलाए न उन्हें फैलाए बल्कि अपने हाल पर छोड़ रखे। हथेलियां कि़बला की तरफ रखे और अल्लाहु

अक्बर कहती हुई हाथ नीचे लाए। मगर तकबीर के वक्त सर न झुकाए और तकबीर के बाद फौरन हाथ बांध ले। यूंकि बायें हथेली सीने पर छाती के नीचे रख कर उसकी पीठ पर दाहिनी हथेली रखे। और सना पढ़े। سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ۔

पाक है तू ऐ अल्लाह और मैं तेरी हम्द करती हूं। तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी अज़मत बुलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। تعوذ یعنی اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ

फिर तअव्वुज़ यानी अऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़े फिर तस्मीया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे फिर अल्हम्दु शरीफ पढ़े और खत्म पर आमीन आहिस्ता कहे। उसके बाद कोई सूरः या तीन आयतें पढ़े या एक आयत कि तीन के बराबर हो और अल्हम्दु के बाद अगर अव्वल सूरत शुरू की तो सूरत पढ़ते वक्त बिस्मिल्लाह भी पढ़ ले वरना नहीं। अब अल्लाहु अक्बर कहती हुई रुकूअ में पहुंच जाए यानी जब रुकूअ के लिए झुकना शुरू करे और रुकूअ में पहुंच जाए तो तकबीर खत्म करे और रुकूअ के लिए सिर्फ इतना झुके कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं। पीठ सीधी न करे और घुटनों पर ज़ोर न दे बल्कि महज़ हाथ रख दे। और हाथों की उंगलियां मिली हुई, बाजू पहलू से चिपके हुए और पांव झुके हुए रखे। मर्दों की तरह खूब सीधे न करे और रुकूअ में कम अज़ कम तीन बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहे।

फिर समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहती हुई खड़ी हो जाए और रब्बना लकल हम्दु कहे। फिर अल्लाहु अक्बर कहती हुई सज्दे में

जाए इस तरह कि पहले दोनों घुटने ज़मीन पर रखे। फिर दोनों हाथ फिर दोनों हाथों के बीच में सर रखे, न यूं कि सिर्फ़ पेशानी ज़मीन से छू जाए और नाक की नोक लग जाए बल्कि पेशानी और नाक की हड्डी ज़मीन पर जमाए और सिमट कर सज्दा करे। मर्दों की तरह नहीं यानी बाजू करवटों से मिलादे, और पेट रान से।

और रान पिंडलियों से और पिंडलियां ज़मीन से मिलादे और कलाइयां ज़मीन पर बिछादे। यूंही दोनों पैर भी और हथेलियां बिछी हुई। और हाथ की उंगलियां क़िबला को हों और सज्दा में कम अज़ कम तीन बार या पांच बार सुबहान रब्बियल आला कहे। फिर सर उठाए और दोनों पांवों दाहिनी जानिब निकाल दे और बायें सुरीन पर बैठे और दाहिना हाथ दाहिनी रान पर और बायां हाथ बायें रांन पर इस तरह रखे कि उंगलियां मिली हुई हों और उनके किनारे घुटनों के पास और क़िबला को हों फिर "अल्लाहु अक्बर" कहती हुई सज्दा को जाए और उसी तरह सज्दा करे।

जब दोनों सज्दे करले तो दूसरी रकअत के लिए पंजों के बल, घुटनों पर हाथ रख कर उठ खड़ी हो। अब जबकि दूसरी रकअत शुरू हुई, उसमें सना (सुबहान कल्लाहुम्म) और तअव्वुज़ (अऊज़ुबिल्लाह) न पढ़े बल्कि सिर्फ *बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम* पढ़ कर अल्हम्दु शरीफ पढ़े। फिर कोई सूरत या तीन आयतें पढ़े और उससे फ़ारिग़ होने के बाद दोनों पांवों दाहिनी जानिब निकाल कर उसी तरह बैठ जाए जिस तरह पहली रकअत में दोनों सज्दों के दर्मियान बैठी थी और पढ़े। اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰاتُ

وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ
اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۔

तमाम तहय्यतें और नमाज़ें और पाकीज़गियां अल्लाह के लिए हैं। सलाम आप पर ऐ अल्लाह के नबी और अल्लाह की रहमतें और बरकतें। सलाम हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर। मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और गवाही देती हूं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसके बन्दे और रसूल हैं।

और इसमें कोई कमी ज़्यादती न करे और उसको तशहहुद कहते हैं और जब कलिमा ला के क़रीब पहुंचे तो दाहिने हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हलका बनाए और छंगुली और उसके पास वाली उंगली को हथेली से मिला दे और लफ़्ज़ ला पर कलिमा की उंगली उठाए मगर हिलाए नहीं और कलिमा इल्ला पर गिरादे और सब उंगलियां फ़ौरन सीधी करले।

अब अगर दो से ज़ायद रकअतें पढ़नी हैं तो उठ खड़ी हो मगर ज़मीन पर हाथ रख कर न उठे। बल्कि घुटनों पर ज़ोर देकर उठे। (हां अगर उज़्र है तो हर्ज नहीं) और यह नमाज़ फ़र्ज़ नमाज़ है तो इन रकअतों में अल्हम्दु के साथ सूरत मिलाने की ज़रूरत नहीं अलहम्दु शरीफ़ पढ़ना काफी है।

अब पिछला क़ाअदा जिसके बाद नमाज़ ख़त्म कर देगी उसमें तशहहुद के बाद यह दुरूद शरीफ़ पढ़े।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

عَلٰى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلٰى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ
مَّجِيْدٌ ۝

ऐ अल्लाह दुरूद भेज हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर और उनकी आल पर जिस तरह तूने दुरूद भेजी सय्यदना इब्राहीम पर और उनकी आल पर बेशक तू सराहा हुआ बुजुर्ग है।

ऐ अल्लाह बरकत नाज़िल कर सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर और उनकी आल पर जिस तरह तूने बरकत नाज़िल की हमारे सरदार इब्राहीम पर और उनकी आल पर। बेशक तू सराहा हुआ बुजुर्ग है।

फिर यह दुआ पढ़े।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

ऐ अल्लाह मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया है और बेशक तेरे सिवा गुनाहों का बख़्शने वाला कोई नहीं है। तो तू अपनी तरफ़ से मेरी बख़्शिश फ़रमा और मुझ पर रहम कर बेशक तू ही बख़्शने वाला बड़ा मेहरबान है।

यह दुआ याद न हो तो कोई और दुआ जो बुजुर्गों से नकल होती आ रही है पढ़े या फिर यह दुआ पढ़े।

اَللّٰھُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَۃً وَّفِی الْاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ط

ऐ अल्लाह ऐ हमारे परवर्दिगार तू हमको दुनिया में नेकी दे और आख़िरत में नेकी दे और हम को दोज़ख़ के अज़ाब से बचा।

फिर दायें शाने (मोंढे) की तरफ मुंह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे फिर बायें शाने की तरफ मुंह फेर कर यही कहे। सलाम में इतना फेरे कि अपना रुख़सार दिखाई दे। सीना न फेरे (दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार फ़तावा बिरहना वग़ैरह)

फ़ायदा:- नमाज़ पढ़ने का जो तरीक़ा ज़िक्र किया गया है उसमें बाज़ चीज़ें फ़र्ज़ हैं कि उसके बग़ैर नमाज़ होगी ही नहीं। बाज़ वाजिब हैं कि जानबूझ कर उनका छोड़ना और नमाज़ का दुहराना वाजिब। और भूले से हो तो सज्दा सहव करना पड़ेगा। बाज़ सुन्नते मुवक्किदा हैं कि उनको छोड़ने की आदत डालना गुनाह है और बाज़ चीज़ें मुस्तहब हैं कि करें तो सवाब न करें तो गुनाह नहीं। अब हम अलहदा-अलहदा तमाम चीज़ों का बयान करते हैं, उन्हें ख़ूब ज़ेहन नशीन करलें।

नमाज़ के फ़रायज़

सात चीज़ें नमाज़ में फ़र्ज़ हैं

(१) तक्बीरे तहरीमा (२) क़ियाम (३) क़िरअत (४) रुकूअ (५) सुजूद (६) क़ाअदए अख़ीरा (७) ख़ुरूजे बेसुनअेही

तक्बीर तहरीमा:- दर हक़ीक़त यह नमाज़ की शर्तों में है लेकिन चूंकि यह नमाज़ से बिल्कुल मिली हुई है। इस लिए इसे फ़रायज़

में शुमार करते हैं तो यूं समझ लो कि नमाज़ की सब शर्तें यानी तहारत (२) इस्तकबाले किबला (३) सत्रे औरत (४) वक़्त (५) नीयत, यह सब चीज़ें तक्बीरे तहरीमा के लिए शर्त हैं और तक्बीरे तहरीमा के लिए शर्त हैं और तक्बीरे तहरीमा नमाज़ के लिए शर्त है यानी तक्बीर ख़त्म होने से पहले इन शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है। अगर अल्लाहु अक्बर कह चुकी और उन में से कोई शर्त न पाई गई तो नमाज़ शुरू ही न होगी। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसला:- लफ्ज़ अल्लाहु को आल्लाहु या अक्बर को अक्बार कहा तो नमाज़ न होगी। (दुर्रे मुख़्तार)

३. कियाम :- यानी खड़ा होना। कमी की जानिब उसकी हद यह है कि हाथ फैलाए तो घुटनों तक न पहुंचें और पूरा कियाम यह है कि सीधी खड़ी हो। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार)

मसला:- फ़र्ज़, वित्र और सुन्नते फज्र में कियाम फर्ज़ है कि बिला उज़्र सही बैठ कर यह नमाज़ें पढ़ेगी तो न होगी। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार)

मसला:- खड़े हो कर नमाज़ पढ़ने की कुदरत हो जब भी बैठ कर नफिल पढ़ने की इजाज़त है। मगर खड़े हो कर पढ़ना बेहतर है कि हदीस में फरमाया है "बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाले की नमाज़, खड़े होकर पढ़ने वाले की निस्फ़ है।" यानी सवाब आधा मिलता है। (बहारे शरीअत, बहवाला रद्दुलमुहतार)

अलबत्ता कियाम उस वक़्त फर्ज़ न रहेगा कि इंसान खड़ा न हो सके, सज्दा न कर सके या खड़ा हो सकता है मगर उससे बीमारी बढ़ती है या देर में अच्छा होगा या इतनी तकलीफ होगी कि बर्दाश्त से बाहर है, या किश्ती या जहाज़ में सवार है और वह चल रही है

है अगरचे इतना ही खड़े हो कर "अल्लाहु अक्बर" कह ले तो फ़र्ज़ है कि खड़ी होकर इतना कहले फिर बैठ जाए।

तंबीह ज़रूरी:- आजकल उमूमन यह बात देखी जाती है कि जहां ज़रा बुखार आया मामूली सी तकलीफ हुई या घर के काम काज की ज़्यादती की वजह से थकान हो गई तो बैठ कर नमाज़ शुरू कर दी हालांकि यही लोग (मर्द हों या औरतें) दस-दस पंद्रह-पंद्रह मिनट बल्कि ज़्यादा खड़े होकर बातें कर लिया करते है। उन्हें चाहिए कि इन मसलों से सबक लें और जितनी नमाज़ें इस तरह पढ़ी हों उन्हे फिर से पढ़ें कि उन पर फ़र्ज़ बाकी हैं। अल्लाह तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। (बहारे शरीअत)

३. किरअत:- यानी कुरआन करीम पढ़ना और कुरआन पढ़ने का मतलब यह है कि तमाम हुरूफ उसी जगह से और उसी तरह अदा किये जाएं जो उनके लिए मुकर्रर है ताकि हर हुरूफ दूसरे हुरूफ से मुम्ताज़ हो जाए और पहचाना जा सके। (आलमगीरी)

मसला:- जिस जगह कुछ पढ़ना या कहना मुकर्रर किया गया है उससे यह मक्सद है कि कम अज़ कम आहिस्ता पढ़ने में भी इतना होना ज़रूर है कि खुद सुन सके। अगर किसी ने इस कद्र आहिस्ता पढ़ा कि खुद भी न सुन सकी और कोई शोर व गुल वग़ैरह भी नहीं तो नमाज़ न होगी। (आलमगीरी)

मसला:- छोटी या बड़ी किसी एक आयत का पढ़ना फ़र्ज़ की दो रकअतों में और वित्र व सुन्नत और नफ़्ल नमाज़ की हर दो रकअत में फ़र्ज़ है। हां इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ी जाए तो किसी नमाज़ में किरअत जायज़ नहीं यहां तक कि सूर: फ़ातिहा भी इमाम के पीछे पढ़ने की इजाज़त नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी वग़ैरह)

४. रूकूअ :- इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों को पहुंच जाए। यह रूकूअ का कम से कम दर्जा है औरत के लिए रूकूअ में यही सुन्नत है कि पीठ सीधी न करे। (आलमगीरी)

मसला:- जिस शख्स की कमर झुक गई वह रूकूअ के लिए सर से इशारा करे। (आलमगीरी)

सुजूद:- यानी सज्दा करना, पेशानी का ज़मीन पर जमना सज्दा की हकीक़त है और उसके लिए नाक की हड्डी का भी ज़मीन पर लगाना ज़रूरी है और अगर किसी उज़्र के सबब पेशानी ज़मीन पर नहीं जमा सकती तो सिर्फ नाक से सज्दा करे फिर भी फ़कत नाक की नोक लगना काफी नहीं बल्कि नाक की हड्डी ज़मीन पर लगना ज़रूरी है। (आलमगीरी)

मसला:- हर रकअत में दोबार सज्दा फ़र्ज़ है तो अगर एक बार सज्दा करना भूल गई तो नमाज़ जाती रही। सज्दा सहूव से भी यह कमी पूरी न होगी। (रददुलमुहतार)

मसला:- किसी नर्म चीज़ मसलन घास, रूई, कालीन या कमानीदार गद्दे वगैरह पर सज्दा किया तो अगर पेशानी ख़ूब जम गई यानी इतनी दबी कि अब दबाने से न दबे तो जायज़ है वरना नहीं। (आलमगीरी)

रेल के बाज़ डब्बों में उसी किस्म के कमानीदार गद्दे होते हैं उस गद्दे से उतर कर नमाज़ पढ़नी चाहिए। (बहारे शरीअत)

मसला:- ऐसी जगह सज्दा किया कि कदम की निस्बत बारह अंगुल से ज़्यादा ऊंची है तो सज्दा न हुआ। वरना हो गया। (दुर्रे मुख़्तार)

६. काअदा अख़ीरा:- यानी नमाज़ की रकअतें पूरी करने के

(दुर्रे मुख्तार)

६. काअदा अखीरा:- यानी नमाज़ की रकअतें पूरी करने के बाद इतनी देर तक बैठना कि पूरी अत्तहियात यानी व रसूलुहू तक पढ़ ली जाए फ़र्ज़ है।

मसला:- चार रकअत पढ़ने के बाद बैठी फिर यह गुमान करके कि तीन ही हुयीं खड़ी हो गई। फिर याद करके कि चार हो चुकी बैठ गयी। फिर सलाम फेर दिया अगर दोनों बार का बैठना मिलकर तशहहुद की मिकदार हो गया तो फ़र्ज़ अदा हो गया वरना नहीं। (दुर्रे मुख्तार)

मसला:- पूरा काअदा ए अखीरा सोते में गुज़र गया तो जाग उठने के बाद तशहहुद की मिकदार बैठना फ़र्ज़ है वरना नमाज़ न होगी। यूंही कियाम किरअत रुकूअ व सुजूद में अव्वल आखिर तक सोती ही रही तो बेदारी के बाद उनका फिर से अदा करना फ़र्ज़ है वरना नमाज़ न होगी और सज्दए सहूव करे। (रददुलमुहतार)

लोग इससे गाफिल हैं। खुसूसन तरावीह में खुसूसन गरमियों में। (बहारे शरीअत)

मसला:- चार रकअत वाले फ़र्ज़ में चौथी रकअत के बाद काअदा न किया तो जब तक पांचवीं रकअत का सज्दा न किया हो बैठ जाए और सज्दाए सहूव करके सलाम फेर दे। नमाज़ हो जाएगी। और अगर पांचवीं का सज्दा कर लिया या फ़र्ज़ में दूसरी पर नहीं बैठी और तीसरी का सज्दा कर लिया, या मगरिब में तीसरी पर न बैठी और चौथी का सज्दा कर लिया तो इन सब सूरतों में फ़र्ज़ नफ़िल हो गए लेहाज़ा अगर चाहे तो मग़रिब के अलावा और नमाज़ों में एक रकअत और मिलाले ताकि जोड़ा हो जाए और

अकेली न रहे। हां मग़रिब में और न मिलाए कि चार पूरी हो गयीं। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार)

७. ख़ुरूजे बेसुनअेही:- यानी क़ाअदा अख़ीरा के बाद क़स्दन सलाम फेर कर नमाज़ से फ़ारिग़ होना सलाम के अलावा कोई और काम क़स्दन करेगी तो नमाज़ का दुहराना वाजिब होगा और बिला इरादा कोई ऐसा काम पाया गया जो नमाज़ में नहीं किया जा सकता तो नमाज़ बातिल होगी। नये सिरे से पढ़ना फ़र्ज़ रहेगा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

नमाज़ के वाजिबात का बयान

पंज वक़्ता नमाज़ों में नीचे लिखी हुई चीज़ें अदा करना ज़रूरी हैं। इन्हें "वाजिबाते नमाज़" कहते हैं।

(१) तकबीरे तहरीमा में लफ़्ज़ "अल्लाहु अक्बर" कहना (२) अल्हम्दु पढ़ना (३) सूरत मिलाना यानी फ़र्ज़ नमाज़ की दो पहली रकअतों में और बाकी नमाज़ों में एक छोटी सूरत या तीन छोटी आयतें या उन के बराबर एक या दो आयतें पढ़ना (४) अल्हम्दु का सूरत से पहले होना (५) अल्हम्दु और सूरत के दर्मियान किसी और चीज़ का हायल न होना (६) किरअत से फ़ारिग होते ही रुकूअ करना (७) तादीले अरकान यानी रुकूअ सुजूद और कौमा व जलसा में कम अज़ कम एक बार "सुबहानल्लाह" कहने की मिकदार ठहरना (८) कौमा यानी रुकूअ से सीधा खड़ा होना (९) जलसा यानी दो सज्दों के दर्मियान सीधा बैठना (१०) क़ाअदा ऊला (११) दोनों काअदों में पूरा तशहहुद पढ़ना (१२) लफ़्ज़ अस्सलाम दोबार कहना (१३) वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना (१४) दुआए कुनूत से पहले लफ़्ज़

अल्लाहु अक्बर कहना (१५) नमाज़ में सहूव हुआ तो सज्दा सहूव करना (१६) दो फ़र्ज़ या दो वाजिब या वाजिब व फ़र्ज़ के दर्मियान तीन तस्बीह कहने की मिकदार चुप न रहना (१७) हर वाजिब व फ़र्ज़ का उसी की जगह होना। (१८) फ़र्ज़, वित्र और सुन्नते मुवक्किदा में क़ाअदा ऊला के तशहहुद, (अत्तहियात) के बाद कुछ और न पढ़ना।

मसला:- फ़र्ज़, वित्र और सुन्नते मुवक्किदा के क़ाअदा ऊला में अगर तशहहुद के बाद इतना कह लिया अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन या अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यदिना तो अगर भूल कर हो तो सज्दा सहूव करे और क़स्दन हो तो नमाज़ दोहराए, और चार रकअत वाले नवाफ़िल या सुन्नते ग़ैर मुवक्किदा के (जैसे अस्र और इशा से पहले की सुन्नतें) क़ाअदा ऊला में भी दुरूद शरीफ पढ़े। और तीसरी रकअत में सुबहान और अऊज़ु भी पढ़े कि यही मुस्तहब है (दुर्रे मुख़्तार)

नमाज़ की सुन्नतों का बयान

(१) तकबीरे तहरीमा के लिए हाथ उठाना (२) हाथों की उंगलियां अपने हाल पर छोड़ना (३) बवक्ते तकबीर सर न झुकाना (४) तकबीर से पहले हाथ उठाना (५) तकबीर के फ़ौरन बाद हाथ बांध लेना (६) पहले सुबहान फिर अऊज़ु बिल्लाह और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना (७) अल्हम्दु के ख़त्म पर आमीन कहना (८) रुकूअ में घुटनों पर हाथ रखना ओर उंगलियां न फैलाना (९) रुकूअ में कम अज़ कम तीन बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना (१०) रुकूअ में जाने के लिए अल्लाहु अक्बर कहना (११) रुकूअ में सिर्फ़ इसी कदर झुकना कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं

(१२) रुकूअ से उठते वक्त समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहना (१३) सज्दे के लिए और सज्दे से उठने के लिए अल्लाहु अक्बर कहना (१४) सज्दे में हाथ ज़मीन पर रखना (१५) कम अज़ कम तीन बार सुबहान रब्बियल आला (१६) सज्दे में जाने के लिए ज़मीन पर पहले दोनों घुटने एक साथ रखना, फिर हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी और सज्दे से उठते वक्त इसका अक्स करे यानी पहले पेशानी उठाए फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटने (१७) सिमट कर सज्दा करना (१८) दोनों सज्दों के दरमियान मिस्ल तशहहुद के बैठना (१९) दूसरी रकअत के लिए पंजों के बल घुटनों पर हाथ रख कर उठना। (२०) दूसरी रकअत के सज्दों से फ़ारिग़ हो कर दोनों पांव दाहिनी जानिब निकाल कर बायें सुरीन पर बैठना (२१) दाहिना हाथ दाहिनी रान पर रखना और बायां बायें पर (२२) उंगलियों को अपने हाल पर छोड़ना और उनके किनारे घुटनों के पास होना (२३) शहादत पर इशारा करना (२४) तशहहुद के बाद काअदा अख़ीरा में दुरूद शरीफ पढ़ना (२५) दुरूद शरीफ के बाद अरबी में दुआ करना, और बेहतर वह दुआयें हैं जो बुजुर्गों से मनकूल हैं (२६) अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह दो बार कहना पहले दहिनी तरफ फिर बायें तरफ (२७) जुहर, मग़रिब, और इशा के बाद मुख्तसर दुआ करके खड़ा हो जाना वरना सुन्नतों का सवाब कम हो जाएगा। (दुर्रे मुख्तार आलमगीरी वग़ैरह)

नमाज़ के मुसतहबात

(१) क़ियाम की हालत में सज्दे की जगह नज़र रखना (२) रुकूअ में पांव की पीठ की तरफ (३) सज्दे में नाक की तरफ (४) काअदा

(६) दूसरे में बायें तरफ (७) जमाई आए तो मुंह बंद किए रहना, अगर न रुके तो होंट दांत के नीचे दबाए और उससे भी न रुके तो कियाम में दाहिने हाथ की पुश्त से मुंह ढांक ले और कियाम में न हो तो बायें हाथ की पुश्त से और बिला ज़रूरत हाथ या कपड़े से मुंह ढांकना मकरूह है (८) तकबीरे तहरीमा के वक्त हाथ कपड़े के अन्दर रखना (९) जहां तक बन पड़े खांसी को रोकना (१०) कियाम की हालत में दोनों पंजों के दरमियान चार अंगुल का फ़ासिला होना (आलमगीरी वग़ैरह)

नमाज़ के बाद के ज़िक्र व दुआ

१. हर नमाज़ के बाद तीन बार इस्तग़फ़ार करे और आयतल कुर्सी और तीनों कुल[1] एक-एक बार पढ़ें।

२. सर के अगले हिस्से पर हाथ रख कर पढ़े।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ۔ اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّیْ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ ۰

बिस्मिल्लाहिल्लज़ी लाइलाह इल्ला हुवर्रहमानुर्रहीमु० अल्लाहुम्मअज़हब अन्नी अल्लाहुम्मा विलहुज़्न० और हाथ खींच कर माथे पर लाए।

३. सुबहानल्लाहि ३३ बार अलहम्दु लिल्लाहि ३३ बार और अल्लाहु अक्बर ३४ बार पढ़े। हदीस शरीफ में आया है कि नमाज़ के बाद इन कलिमों के कहने वाला नामुराद नहीं रहता।

---

१. अलइख़्लास, अलफलक, अन्नास

नमाज़ तोड़ने वाली चीज़ों का बयान

मसला:- किसी भी किस्म की बात चीत करना अगरचे भूल से हो या किसी के मजबूर कर देने से हो अगरचे एक आध ही क्यों न हो नमाज़ फ़ासिद कर देता है (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- किसी शख़्स को सलाम किया ज़बान से सलाम का जवाब दिया, या किसी को छींक आई उसका जवाब नमाज़ी ने यरहमकल्लाह कहा या जवाब की नीयत से अलहम्दु लिल्लाह कहा या ख़ुशी की ख़बर, सुन कर जवाब में अल्हम्दु लिल्लाह कहा या बुरी ख़बर सुन कर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा या अल्लाह तआला का नाम सुनकर जल्ल जलालुहू कहा या हुज़ूर पाक का नाम सुनकर दुरूद शरीफ़ पढ़ा या अज़ान का जवाब दिया शैतान का ज़िक्र सुन कर उस पर लानत भेजी या नमाज़ में दुनिया की बातों का ख़्याल आया और वसवसा दूर करने के लिए लाहौल पढ़ी तो इन सब सूरतों में नमाज़ जाती रही। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- आह, ओह, उफ़, तुफ़ यह अलफ़ाज़ दर्द या मुसीबत की वजह से निकले या आवाज़ से रूई और हर्फ़ पैदा हुए या बिला वजह खंकारने में दो हरूफ़ ज़ाहिर हुए तो इन तमाम सूरतों में नमाज़ फ़ासिद हो गई। (दुर्रे मुख़्तार रददुलमुहतार)

मसला:- बीमार की ज़बान से बे अख़्तियार आह, ओह, निकली, नमाज़ फ़ासिद न हुई, यूंही छींक खांसी, जमाही, डकार में जितने हुरूफ़ मजबूरी में निकल जाते हैं वह माफ़ हैं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- नमाज़ के अन्दर खाना पीना नमाज़ को फ़ासिद कर देता है। जानबूझ कर हो या भूल कर थोड़ा हो या ज़्यादा यहां तक

कि अगर तिल बगैर चबाए निगल गई या कोई बूंद उसके मुंह में गिरी और उसने निगल ली तो नमाज़ जाती रही।

मसला:- दांतों के अन्दर खाने की कोई चीज़ रह गई थी उसको निगल गई अगरचे चने से कम है नमाज़ फ़ासिद न हुई मकरूह हुई और चने बराबर है तो फ़ासिद हो गई। (आलमगीरी)

मसला:- दांतों से खून निकला और निगल गई अगर हलक में खून का मज़ा महसूस हुआ तो नमाज़ फ़ासिद हो गई वरना नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- औरत नमाज़ पढ़ रही थी बच्चे ने उसकी छाती चूसी अगर दूध निकल आया नमाज़ जाती रही। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- औरत नमाज़ में थी। मर्द ने बोसा लिया या शहवत के साथ उसके बदन को हाथ लगाया नमाज़ जाती रही और मर्द नमाज़ में था और औरत ने ऐसा किया तो नमाज़ फ़ासिद न हुई जबतक मर्द को शहवत न हो।(रददुलमुहतार)

मसला:- एक रुक्न में तीन बार खुजाने से नमाज़ जाती रहती है। यानी यों ही खुजा कर हाथ हटा लिया फिर खुजाया फिर हाथ उठाया व अला हाज़ल कियास- और अगर एक बार हाथ रख कर चन्द मर्तबा हरकत दी तो एक ही मर्तबा खुजाना कहा जाएगा। (आलमगीरी)

मसला:- पै दर पै तीन बाल उखाड़े या तीन जूऐं मारीं या एक ही जूं को तीन बार मारा तो नमाज़ जाती रही और पै दर पै न हो तो नमाज़ फ़ासिद होगी मगर मकरूह है। (आलमगीरी)

मसला:- तकबीर में अल्लाहु को आल्लाहू या अक्बर को आक्बर या अक्बार कहा तो नमाज़ फ़ासिद हो गई और तहरीमा में ऐसा हुआ

तो नमाज़ शुरू ही न हुई। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

वह चन्द चीज़ें जो नमाज़ में मकरूह तहरीमी हैं

मकरूह तहरीमी किसे कहते हैं। यह हम पहले बता चुके हैं। अब उन चीज़ों को बयान किया जाता है जिन से नमाज़ मकरूह तहरीमी हो जाती है। ऐसी नमाज़ को दुहराना ज़रूरी है वरना गुनाह सर पर रहेगा।

(१) कपड़े या बदन के साथ खेलना (२) कपड़ा समेटना मसलन सज्दे में जाते वक्त आगे या पीछे से उठा लेना कि मिट्टी न लगे। (३) कपड़ा लटकाना मसलन सर या मूंढे पर इस तरह डालना कि दोनों किनारे लटकते हों (४) आधी कलाई से ज़्यादा आस्तीन चढ़ी हुई होना (५) ज़ोर का पेशाब पाखाना मालूम होते वक्त नमाज़ पढ़ना (६) उंगलियां चटकाना या उंगलियों की कैंची बांधना (७) कमर पर हाथ रखना (८) इधर-उधर मुंह फेर कर देखना (१०) निगाह आसमान की तरफ उठाना (११) नाक और मुंह को छिपाना (१२) बे ज़रूरत खंकार निकालना (१३) कस्दन जमाही लेना (१४) जिस कपड़े पर जानदार की तस्वीर हो उसे पहन कर नमाज़ पढ़ना (१५) नमाज़ी के आगे या दायें या बायें या सर पर छ्त वग़ैरह में या सज्दे की जगह जानदार की तस्वीर होना या पीछे ही होना (१६) उलटा कुरआन मजीद पढ़ना (१७) किसी वाजिब को छोड़ देना मसलन कौमा और जलसा में सीधे होने से पहले सज्दा को चला जाना (१८) कियाम के अलावा किसी और जगह कुरआन करीम

पढ़ना (१९) रुकूअ में किरअत ख़त्म कर देना (२०) उलटा कपड़ा पहन कर या ओढ़ कर नमाज़ पढ़ना। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार आलमगीरी बहारे शरीअत)

चन्द वह चीज़ें जो नमाज़ में मकरूह तनज़ीही हैं

मकरूह तनज़ीही वह फ़ेल है जिसका करना शरअ को पसंद नहीं लेहाज़ा बचना ही चाहिए कि सवाब में कमी न हो।

(१) सज्दा या रुकूअ में बिला ज़रूरत तीन तस्बीह से कम कहना हदीस में उसी को मुर्ग की सी ठोंग मारना फ़रमाया। हां अगर वक़्त तंग है या रेल चले जाने का ख़ौफ है तो हर्ज नहीं।(२) काम काज के मैले कुचैले कपड़े पहन कर नमाज़ पढ़ना (३) नमाज़ में उंगलियों पर आयतों वग़ैरह का गिनना (४) हाथ या सर के इशारे से सलाम का जवाब देना (५) बिला उज़्र आलती पालती मार कर बैठना (६) दामन या आस्तीन से अपने को हवा पहुंचाना जबकि दो एक बार हो पंखा झला तो नमाज़ जाती रही (७) अंगड़ाई लेना और ख़्वाहमख़्वाह खांसा या खंकारना (८) नमाज़ में थूकना (९) फ़र्ज़ की एक रकअत में किसी सूरत या आयत बार–बार पढ़ना और उज़्र से हो तो हर्ज नहीं। मसलन भूले से पढ़ गयी (१०) सज्दे को जाते वक़्त घुटने से पहले हाथ ज़मीन पर रखना यूंही सज्दे से उठते वक़्त हाथ से पहले घुटने उठाना बिला उज़्र हो तो मकरूह है। (११) अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, सुबहान कल्लाहुम्म और आमीन ज़ोर से कहना (१२) बग़ैर उज़्र दीवार या लाठी वग़ैरह पर टेक लगाना

(१३) आस्तीन को बिछा कर सज्दा करना ताकि चेहरे पर खाक न लगे और गरमी से बचने के लिए ऐसा किया तो हर्ज नहीं (१४) दायें बायें झूमना (१५) उठते वक्त आगे पीछे पांव उठाना (१६) मुंह में कोई चीज़ मसलन पैसा लिए हुए नमाज़ पढ़ना और अगर ऐसी चीज़ है कि इसके होने किरअत नहीं कर सकती तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। (१७) आंख बंद रखना। हां अगर आंखें बंद कर लेने से नमाज़ में दिल लगे तो बंद करने में कोई हर्ज नहीं बल्कि बेहतर है (१८) मस्जिद की छत पर नमाज़ पढ़ना (१९) ऐसी जगह नमाज़ पढ़ना कि दिल बटे (२०) जलती हुई आग नमाज़ी के सामने होना और लालटेन या चिराग वगैरह हो तो कराहत नहीं (२१) सामने पाखाना वगैरह निजासत होना। (दुर्रे मुख्तार, रददुलमुहतार आलमगीरी वग़ैरहा)

नमाज़े वित्र का बयान

मसला:- नमाज़े वित्र वाजिब है और वाजिब का मर्तबा करीब-करीब फ़र्ज़ के है तो अगर नमाज़े वित्र किसी तरह छूट गयी तो उसकी कज़ा वाजिब है और जब कज़ा पढ़े तो उसमें दुआए कुनूत भी पढ़े ख्वाह कोई सी दुआ हो अलबत्ता कज़ा में दुआए कुनूत से पहले तकबीर के लिए हाथ न उठाए। जबकि औरों के सामने पढ़े कि वह इसकी तकसीर से वाकिफ होंगे। (आलमगीरी रददुलमुहतार)

मसला :- वित्र की नमाज़ बैठ कर बगैर उज़्र नहीं हो सकती (दुर्रे मुख्तार)

मसला:- नमाज़े वित्र तीन रकअत है और उसकी हर रकअत में अलहम्दु पढ़ना और उसके साथ सूरत मिलाना वाजिब है।

मसला:– वित्र के क़ाअदाए ऊला में सिर्फ अत्तहियात पढ़ कर खड़ी हो जाए न दुरूद शरीफ पढ़े न सलाम फेरे। जैसे मग़रिब के फ़र्ज़ पढ़ते हैं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– तीसरी रकअत में क़िरअत से फ़ारिग हो कर रुकूअ से पहले कांधों तक हाथ उठा कर अल्लाहु अक्बर कहे जैसे तक्बीर तहरीमा में करते हैं फिर हाथ बांधे और दुआए कुनूत पढ़े और उसमें किसी ख़ास दुआ का पढ़ना ज़रूरी नहीं (रद्दुलमुहतार)

मसला:– जिसे दुआए कुनूत याद न हो अल्लाहुम्म रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसन तंव व फ़िल आख़िरति हसनतंव व क़िना अज़ाबन्नार पढ़ लिया करे। यह भी याद न हो तो अल्लाहुम्मगफ़िरली तीन बार कह लिया करे यह भी न आए तो सिर्फ़ "या रब्बे" तीन बार कह ले वाजिब अदा हो जाएगा। यूंही कुल हुवल्ला शरीफ पढ़ने से भी वाजिब अदा हो जाता है। (फ़तावा रिज़विया)

सुन्नतों और नफ़िल नमाज़ों का बयान

हुज़ूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं जो मुसलमान बंदा अल्लाह के लिए हर रोज़ फ़र्ज़ के अलावा बारह रकअतें पढ़े। अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत में एक मकान बनाएगा। चार जुहर से पहले और दो जुहर के बाद और दो बाद मगरिब और बाद इशा और दो नमाज़े फ़ज्र से पहले (मुस्लिम शरीफ़ वग़ैरह)

मसला:– जो सुन्नतें चार रकअती हैं। मसलन जुहर की तो चारों एक सलाम से पढ़ी जाएंगी यानी चारों पढ़ कर चौथी के बाद सलाम फेरें वरना सुन्नतें अदा न होंगी यूं ही अगर चार रकअत की मन्नत मानी और दो-दो करके चार पढ़ीं तो मन्नत पूरी न हुई बल्कि ज़रूरी

है कि एक सलाम के साथ चारों पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा हो गई और ज़वाल से पहले पढ़ी तो सुन्नतें भी पढ़े वरना नहीं और फ़ज्र के अलावा और सुन्नतें क़ज़ा हो गईं तो उनकी क़ज़ा नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- जो सुन्नते मुवक्किदा चार रकअती होती हैं उसके क़ाअदाए ऊला में सिर्फ़ अत्तहियात पढ़े अगर भूल कर दुरूद शरीफ़ पढ़ लिया तो सज्दा सुहू करे और उन सुन्नतों में जब तीसरी रकअत के लिए खड़ी हो तो सुबहानकल्लाहुम्म और अऊजु भी न पढ़े और इनके इलावा और चार रकअत वाली सुन्नत ग़ैर मुवक्किदा या नवाफ़िल क़ाअदाए ऊला में भी दुरूद शरीफ़ पढ़े और तीसरी रकअत में सुबहानकल्लाहुम्म और अऊज़ भी पढ़े यह पढ़ना मुस्तहब है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- नफ़िल बैठ कर पढ़े तो इस तरह बैठे जैसे तशहहुद में बैठते हैं, और क़िरअत की हालत में सीने पर हाथ बांधे जैसे क़ियाम में बांधते हैं। मगर खड़े हो कर पढ़ना अफ़ज़ल है कि हदीस शरीफ़ में फ़रमाया " बैठ कर पढ़ने वाले की नमाज़, खड़े होकर पढ़ने वाले की निस्फ़ है" वित्र के बाद जो दो रकअत नफ़िल पढ़ते हैं उनका भी यही हुक्म है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- तरावीह बिलइज्माअ सुन्नते मुवक्किदा है इसका तर्क जायज़ नहीं और तरावीह की बीस रकअतें दस सलाम से पढ़े यानी हर दो रकअत पर सलाम फेरे। (रददुलमुहतार)

मसला:- तरावीह बैठ कर पढ़ना बिला उज़्र हो तो मकरूह है बल्कि बाज़ों के नज़दीक होगी ही नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- औरतें सूरतों से तरावीह पढ़ें और इसका तरीक़ा यह



है कि अलम तरा कैफ़ से आखिर तक दो बार पढ़ें कि बीस रकअत पूरी हो जाएंगी और रकअतों की गिनंती भी याद रखनी नहीं पड़ेगी और हर रकअत में सूरः फ़ातिहा के बाद अगर कुल हुवल्लाह पढ़ी तो यह भी जायज़ है। (रद्दुलमुहतार)

क़ज़ा का बयान

मसलाः– सोते में या भूले से नमाज़ क़ज़ा हो गई तो उसकी क़ज़ा पढ़ना फ़र्ज़ है बेदार होने या याद आने पर अगर वक्त मकरूह न हो तो उसी वक्त पढ़ले। अब देर लगाना मकरूह है। और गुनाह का बाइस है। और यह अंदेशा हो कि सुबह की नमाज़ जाती रहेगी तो बिला शरअी ज़रूरत के उसे रात में देर तक जागना मना है। (रद्दुलमुहतार)

मसलाः– कोई सो रहा है या नमाज़ पढ़ना भूल गया है तो जिसे मालूम हो उस पर वाजिब है कि सोते को जगादे और भूले को याद दिला दे। (रद्दुल मुहतार)

मसलाः– जो नमाज़ जैसी क़ज़ा हुई उसकी क़ज़ा वैसी पढ़ी जाएगी। मसलन सफर की चार रकअती नमाज़ दो ही रकअत पढ़ी जाएगी। अगर सफर खत्म हो गया हो और इकामत की चार रकअत वाली चार रकअतें चार ही पढ़ी जाएंगी अगरचे सफर में क़ज़ा पढ़े। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसलाः– पांचों फ़र्ज़ों में बाहम और फ़र्ज़ व वित्र में तरतीब ज़रूरी है कि पहले फ़ज्र पढ़े फिर जुहर, फिर अस्र, फिर मग़रिब, फिर इशा और फिर वित्र पढ़े। मसलन जुहर की क़ज़ा हो गई तो फ़र्ज़ है कि उसे पढ़ कर फिर अस्र पढ़े या वित्र क़ज़ा हो गया तो उसे पढ़कर

फज्र पढ़े। अगर याद होते हुए अस्र या फज्र की पढ़ ली तो नाजायज़ है। (आलमगीरी)

मसला:- कज़ा नमाज़ें जब पांच फर्ज़ों से ज़्यादा हो जाएं तो उनमें तरतीब ज़रूरी नहीं उसे अख़्तियार है कि उन में जो नमाज़ चाहे पहले अदा करे और जो चाहे पीछे बल्कि कज़ा नमाज़ों और वक़्ती नमाज़ों में भी तरतीब की हाजत नहीं रहती उनमें भी अख़्तियार है कि जो पहले पढ़ना चाहे पढ़ ले। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- कज़ा नमाज़ याद न रही और वक़्तिया पढ़ली पढ़ने के बाद याद आई तो वक़्तिया नमाज़ हो गई और पढ़ने में याद आई तो गई। (आलमगीरी)

मसला:- यह अंदेशा है कि अगर कज़ा नमाज़ पढ़ी तो वक़्ती नमाज़ फ़ौत हो जाएगी तो पहले वक़्ती नमाज़ पढ़े फिर कज़ा पढ़े। (हिदाया वग़ैरह)

मसला:- एक नमाज़ कज़ा हो गई, उसके बाद हैज़ आगया तो हैज़ से पाक होकर पहले कज़ा पढ़ले फिर वक़्ती पढ़े अगर कज़ा याद होते हुए वक़्ती पढ़ेगी, न होगी जबकि वक़्त में गुंजाइश हो। (आलमगीरी)

मसला:- कज़ा नमाज़ें नवाफ़िल से अहम हैं। यानी जिस वक़्त नफ़िल पढ़ना है उन्हें छोड़ कर उनके बदले कज़ा नमाज़ें पढ़े ताकि बरीउज़्ज़िम्मा हो जाए। लेकिन सुन्नते मुवक्किदा न छोड़े। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- कज़ा में नीयत यूं करनी चाहिए कि "नीयत की मैंने पहली फज्र की (या पहली जुहर या अस्र की) जो मुझ से कज़ा हुई और जिस पर कज़ा नमाज़ें बहुत सी हों कि गिनती याद नहीं वह

आसानी के लिए अगर यूं भी करे तो जायज़ है कि हर रुकूअ और हर सजदें में तीन-तीन बार सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला की बजाए सिर्फ एक बार कहे मगर तस्बीह पूरी की जानी चाहिए दूसरी आसानी यह है कि फर्ज़ों की तीसरी और चौथी रकअत में अल्हम्दु शरीफ की जगह फक्त सुबहानल्लाह तीन बार कह कर रुकूअ में चली जाए और तीसरी आसानी यह है कि पिछली अत्तहियात के बाद दोनों दुरूदों और दुआ की जगह अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही कह कर सलाम फेरदे और वित्रों में आसानी की एक सूरत यह भी है कि तीसरी रकअत में दुआए कुनूत की जगह अल्लाहु अक्बर कह कर फक्त एक या तीन बार रब्बिग़फिरली कह ले। (फतावा रिज़विया)

पर्दा से मुताल्लिक़ चन्द आयात व अहादीस

अल्लाह अज्ज़ोजल इर्शाद फरमाता है:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ ...... (اِلٰی قَوْلِہٖ تَعَالٰی)
وَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۔ (النور پ١٨ ع١٠)

इन आयाते करीमा से हस्बे ज़ैल अहकाम मालूम हुए।

१. ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें अपनी नज़रें नीची रखें कि मर्दों की निगाह औरतों से और औरतों की निगाह मर्दों से अलहदा रहे।

२. मर्द और औरतें अपनी-अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करें इस हुक्म के तहत ज़िनाकारी के अलावा और भी सारे तरीके नाजायज़

शहवत रानी और बदकारी व बद नज़री के आ गए आशिक़ाना अफ़साने और डरामे, बे हयाई के मनाज़िर दिखाने वाले थेटर और सिनेमा, ख़्यालात व जज़्बात में हेजान पैदा करने वाली तस्वीरें वग़ैरह सब इसके तहत में आ जाती हैं।

३. औरतें अपना सिंघार, ख़्वाह वह जिस्म का हो या मुताल्लिक़ाते जिस्म का, किसी अजनबी पर ज़ाहिर न होने दें इसके तहत हर वह चीज़ आती है जो ग़ैरों के लिए शौक़ व रग़बत का बाइस हो। मसलन हुसने सूरत, खुशख़रामी, लिबास, खुश्बू, पौडर, गाज़ह, वग़ैरह क्योंकि इससे मैलाने तबअ पैदा होता है और लोग उसकी तरफ़ मुतवज्जाह होते हैं और यह शराफ़ते निस्वानी के ख़िलाफ़ है चेहरे का खुला रखना इसी में दाखिल है कि चेहरा खुला होना फ़ितनों को दावत देता है।

४. औरतें अपनी ज़ीनत ग़ैर मर्दों पर ज़ाहिर न होने दें और अपने दोपट्टे अपने सीनों पर डाले रहा करें। उलेमाए किराम फ़रमाते हैं कि सर और सीना दो मकाम ख़ास तौर पर ज़ीनत के हैं। उनके ढांपने का और ज़्यादा एहतिमाम रखें। इससे बहुत से फ़ितनों की जड़ कट जाती है और इस ज़ीनत में कुदरती या मसनूई हर वह चीज़ दाखिल है जो औरत की जानिब रग़बत और इल्तिफ़ात बढ़ाए।

५. औरतें चलते वक़्त ज़मीन पर अपने पैर ज़ोर से न रखें, कि उनका अंदरूनी ज़ेवर मालूम हो जाए। इससे मालूम हुआ कि हर वह आवाज़ जो रग़बत और दिलकशी का बाइस हो ममनूअ है बजने वाले ज़ेवर मसलन पाज़ेब या झांजन पहन कर ज़मीन पर ज़ोर-ज़ोर से पांव रखना इसी में दाखिल है। इसी लिए चाहिए कि औरतें बाजेदार झांजन न पहनें। हदीस शरीफ़ में है कि अल्लाह तआला उस क़ौम की दुआ कबूल नहीं करता जिसकी औरतें झांजन पहनती हैं इससे

समझना चाहिए कि जब ज़ेवर की आवाज़ दुआ कबूल न होने का सबब है तो खास औरत की आवाज़ और उसकी बेपर्दगी कैसी तबाही का बाइस होगी एक और आयते करीमा में इर्शाद फरमाया:

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ

ऐ गैब की खबर देने वाले महबूब आप अपनी बीबियों और अपनी साहबज़ादियों और मुसलमानों की औरतों से कह दें कि अपने ऊपर चादर (या बुर्का) डाल लिया करें।

इसका साफ मतलब यह है कि शरीफ औरतें वह हैं कि जब घर से किसी ज़रूरत के बाइस कदम बाहर निकालें तो उनका सारा जिस्म किसी चादर या बुर्का से सर से पांव तक छिपा रहना चाहिए। इस किस्म के सारे अहकाम का हासिल यह है कि औरत अपनी वज़अ कतअ और लिबास से शरीफ़ बाइज़्ज़तदार बीबी मालूम हो कि जिस औरत की चाल-ढाल संजीदा और शरीफ़ाना होती है आवारा गर्दों और लफंगों और बदमाशों को भी उसे छेड़ने की जुरअत मुश्किल से ही होती है। ऐसे फैशन पर लानत जो ज़माना-ए-जाहिलियत की तरह औरतों को नीम बरहना और नंगा करदे।

अहादीसे करीमा:- इस बारे में बकसरत आई हैं मुख्तसरन हम चंद अहादीस पर इक्तिफा करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इर्शाद फ़रमाते हैं।

१. औरतों को घर से बाहर निकलने में कोई हिस्सा नहीं बजुज़ इसके कि मजबूर हों (तबरानी)

२. औरत, औरत है यानी छिपाने की चीज़ है जब वह बाहर निकलती है तो उसे शैतान झांक कर देखता है। यानी उसे देखना शैतानी काम है। (तिर्मिज़ी)

३. देखने वाले पर और उस पर जिस की तरफ नज़र गई अल्लाह की लानत। यानी देखने वाला जब बिला उज़्र शरई कसदन देखे और दूसरा अपने आप को कसदन दिखाए। (बैहेकी)

४. जब मर्द, औरत के साथ तनहाई में होता है तो तीसरा शैतान होता है। (तिर्मिज़ी)

५. औरतों के पास जाने से बचो। एक शख्स ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह, देवर के मुताल्लिक क्या हुक्म है। फरमाया कि देवर मौत है। यानी देवर के सामने गोया मौत का सामना है कि यहां फ़ित्ना का ज़्यादा एहतमाल है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

६. एक मर्द दूसरे मर्द की सत्र की जगह न देखे और न औरत, दूसरी औरत की सत्र की जगह देखे। (मुस्लिम)

७. ऐसा न हो कि औरत दूसरी औरत के साथ रहे। फिर अपने शौहर के सामने उसका हाल (इस तरह) बयान करे गोया वह उसे देख रहा है। (बुख़ारी)

८. औरत का अपने घर के अंदर नमाज़ पढ़ना सहन में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है (अबूदाऊद)

९. हज़रत मौला अली करमुल्लाह तआला वजहू ख़िदमते अकदस में हाज़िर थे कि हुज़ूर ने सब से दरयाफ्त फरमाया कि बतलाओ औरत के लिए कौन सी बात सब से बेहतर है उस पर तमाम सहाबा खामोश रहे और किसी ने जवाब न दिया। हज़रत मौला अली फ़रमाते हैं कि मैंने वापस आकर फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से दरयाफ़्त किया कि औरतों के लिए सब से बेहतर क्या बात है। उन्होंने फ़रमाया कि न वह ग़ैर मर्दों को देखें न ग़ैर मर्द उन्हें देखें। मौला अली ने जवाब हुज़ूर से अर्ज़ किया (आप इस जवाब से इस दर्जा मसरूर हुए

कि) इर्शाद फ़रमाया (क्यों न हो) वह मेरी लख़्ते जिगर है।
(दारेक़ुतनी)

१०. हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत मैमूना (कि दोनों अज़वाजे मुतहरात से हैं) रसूलुल्लाह की ख़िदमते अक़दस में हाज़िर थीं इतने में अब्दुल्लाह बिन मकतूम जो नाबीना सहाबी हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाज़िर हुए और अन्दर आने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम ने उन दोनों से इर्शाद फ़रमाया कि इन से पर्दा करो। हज़रत उम्मे सलमा ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह वह तो ना बीना हैं हम को तो वह नहीं देख सकते। आप ने जवाब में फ़रमाया क्या तुम भी ना बीना हो क्या उन्हें नहीं देख सकतीं। (अबूदाऊद)

११. ज़नानों को अपने घरों से निकाल बाहर करो (इब्ने माजा)

१२. हमारे गिरोह से नहीं वह औरत कि मर्दों की वज़अ कतअ अख़्तियार करे और न वह मर्द जो औरतों की तरह रहे। (इमाम अहमद)

पर्दे के मुताल्लिक़ चंद अहकाम

१. काफ़िर औरत शरीअत में अजनबी मर्द के हुक्म में है। घरों में काफ़िर औरतें आती जाती रहती हैं और मुसलामन बीबियां उनके सामने बे हिजाब, मवाज़िअ सत्र, सर व सीना वग़ैरह खोले हुए आ जाती हैं। उससे परहेज़ करना ज़रूरी है। अक्सर दाइयां काफ़िर होती हैं और वह बच्चा जनाने की ख़िदमत अंजाम देती हैं अगर मुसलमान दाइयां मिल सकें तो काफ़िरा से हरगिज़ यह काम न लिया जाए कि काफ़िरा के सामने आज़ा को खोलने की इजाज़त नहीं। (आलमगीरी)

२. सालिहा नेक और शरीफ़ औरत को चाहिए कि वह अपने को बदकार फ़ाहिशा औरत के देखने से बचाए अगरचे वह मुसलमान हो। उसके सामने दोपट्टा वग़ैरह न उतारे क्यों कि वह उसे देख कर दूसरे मर्दों के सामने उसकी शक्ल व सूरत का ज़िक्र करेगी। जिस से फ़ितना फैलने का अंदेशा है ऐसी औरतें, पाक दामनों में आए ही क्यों (आलमगीरी)

३. औरत किसी अजनबी मर्द के जिस्म को न छुए जबकि दोनों में से कोई जवान हो। अगरचे इस बात का दोनों को इत्मिनान हो कि शहवत पैदा नहीं होगी। (आलमगीरी)

बाज़ जवान औरतें अपने पीरों के हाथ पांव दबाती हैं और उन में अक्सर दोनों या एक हदे शहवत तक पहुंचा हुआ होता है। ऐसा करना नाजायज़ है और दोनों गुनाहगार (बहारे शरीअत)

४. बाज़ औरतें बहुत बारीक कपड़े पहनती हैं जिससे सर के बाल या बालों की सियाही या गर्दन या कान या पेट और पीठ नज़र आती है और बदन की रंगत झलकती है। ऐसे मौके पर कि अजनबी मर्दों की नज़र उन पर पड़े। इस किस्म के कपड़े पहनना भी नाजायज़ हैं। (आलमगीरी)

५. अगर बज़रूरत ग़ैर मर्द से पसे पर्दा गुफ्तगू करनी पड़े तो कसद करें कि लहजा में नज़ाकत न आए और बात में लोच न आए बात निहायत सादगी से की जाए इफ़्फ़त मआब ख्वातीन के लिए यही शायां है। (कुरआन)

अल्लाह-अल्लाह कहां तो यह ताकीदें और एहतियातें और कहां वह तफ़रीहगाहों, आम राहों, मख़लूत जलसों, मिले जुले जलसों में औरतों की आमदो रफ्त और बे हिजाबाना मटर गश्त कहां तो शरीअते

मुताहिरा की यह ताकीद कि औरत हलकी खुश्बू इस्तेमाल करे कि तेज़ खुश्बू से ख्वाह मख्वाह, ग़ैर मर्द उसकी जानिब मुतवज्जा होंगे और कहां बेबाकी व खुदनुमाई की यह नुमाइश कि आधे सर के बाल और कलाइयां और कुछ हिस्से गले या पिंडली का खुला रहना तो गोया कोई ऐब ही नहीं और ज़्यादा बांकपन हुआ। नुमाइश का शौक बढ़ा तो दोपट्टा शानों से ढलका हुआ, करेब या जाली या बारीक मलमल या नाज़ुक वाएल या और ऐसे ही कपड़ों का लिबास कुरता कमीस, जम्पर फिराक जिससे बदन की रंगत चमके और उसी हालत में उनका ग़ैरों में जाना, अजनबियों में फिरना, ग़ैर मर्दों के साथ बाज़ारों और आम गुज़रगाहों में खरीदो फ़रोख्त करना, कहां तो औरतों का अपने मौहल्ले की मस्जिद में, घर के दरवाज़े पर अदाएगी नमाज़ के लिए दो क़दम के फ़ासिले पर जाना ममनूअ व नाजायज़ और कहां आज सैर तमाशे वाजे ताशे की महफ़िलों में मजलिसों में बढ़ती हुई बेहयाइयां और परवान चढ़ती आवरगियां कहां तो हदीस में ग़ैरों के घर जहां न अपना काबू न अपना गुज़र अपने मकानों की निस्बत आया कि औरतों को बाला खानों पर न रखो कि नामहरिमों की नज़रें उन पर या उनकी नज़रें उन पर पड़ेंगी, और कहां सिनेमा, थेयटर, पाप घर और पारकों क्लबों में यह उर्यां और बद लिहाज़ियां -

ख्याली रौशनी, रौशन ख्याली आजकल की है
दिलों से सल्ब उसने कर लिया है नूरे ईमानी

इसी सिलसिले में एक हदीस और सुन लें और इसे हमेशा याद रखें।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि फ़रमाया रसूलुल्लाह ने दोज़खियों में दो गिरोह हैं। एक उनमें

से उन औरतों का है जो (ज़ाहिर में तो) कपड़े पहनती हैं मगर (हकीकत में) नंगी हैं। यानी इस क़द्र बारीक और ऐसी लापरवाही से कपड़े इस्तेमाल करती हैं कि उनका बदन चमकता है और कहीं से खुला होता है कहीं से छिपा हुआ। आप भी दूसरे मर्दों की तरफ़ रग़बत करती हैं (कि बनाव सिंघार करके दूसरों को फरेफ़ता और अपनी तरफ़ मायल करें) यह औरतें हरगिज़ बहिश्त में दाखिल न होंगी और जन्नत की खुश्बू भी न पायेंगी। हालांकि जन्नत की खुश्बू बहुत दूर से मालूम हो जाती है और दूर-दूर तक फैलती है। (मिश्कात)

शौहर के हुकूक़

अल्लाह अज़्ज़ोजल इर्शाद फरमाता है:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً

आयते करीमा में तीन बातें बयान फरमाई गयीं जो खांगी निज़ामे ज़िंदगी के लिए संगे बुनियाद और बतौर असल के बयान हुई हैं और जिसका लिहाज़ शौहर व बीवी दोनों को यकसां रखना ज़रूरी है।

१. मर्दों को बताया गया है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी ही हम जिंस मख़लूक़ हैं तुम्हारी ही तरह पैदा की गई हैं। तुम्हारी जैसी ख्वाहिश, जज़्बात और एहसासात उनमें भी मौजूद हैं बे रूह मख़लूक़ और बेहिस जिस्म नहीं।

२. इनकी पैदाइश का मंशा भी है कि वह तुम्हारे लिए सरमाये राहत व तस्कीन हैं। तुम्हारे लिए सुकूने क़ल्ब का बाइस हैं। तुम्हारे दर्द का दरमां और तुम्हारे ग़म का मदावा हैं। तुम्हारे लिए पैदा की गयीं हैं कि तुम्हारा दिल उनसे लगे, जी उनसे बहले।

२. तुम्हारे और उनके ताल्लुकात की बुनियाद ही बाहमी मुहब्बत, इख्लास और हमदर्दी पर होना चाहिए हकीकत यह है कि हर इंसान को अपनी रफाकत के लिए अपने हम जिंस की तलाश होती है और यह खुदा की पैदा की हुई फितरत है। चुनांचे ज़न व शौहर के बाहमी इख्लास व मुहब्बत को खुदा ने अपनी निशानियों में से एक निशानी करार दिया है।

कुरआन पाक ने एक लफ़्ज़ सुकून से बीवी की रफाकत की जिस हकीकत को ज़ाहिर किया है वह मियां बीवी के ताल्लुकात के तमाम फलसफे को अपने अंदर समेटे हुए है। उसका खिलवत खाना दुनिया की कशाकशों और मुश्किलों में अमन व सुकून का गहवारा होना चाहिए और मियां बीवी के बाहमी ताल्लुकात में इतनी खुशगवारी होनी चाहिए जिससे औरत की पैदाइश का मंशा पूरा हो यानी बाहमी इख्लास व प्यार, मेहरो मुहब्बत और सुकून व चैन। अगर किसी से यह अग़राज़ पूरे नहीं होते तो उसमें दोनों या दोनों में किसी एक का कुसूर है।

यह बाहमी मेल जोल किस तरह कायम रह सकता है। इसकी सूरत सिर्फ एक है और वह यह कि बीवी शौहर की फरमांबरदारी और शौहर बीवी की दिलजूई करे।

मियां बीवी बाहम अपने-अपने हुकूक के एतेबार से गो बराबर हैं। लेकिन जिस तरह बाप और बेटे अपने-अपने हुकूक में बराबर की हैसियत रखते हैं और शरीअत का हुक्म है कि बाप अफसर हो कर रहे, बेटा मातहत होकर, बाप हुक्म दे और बेटा माने। उसी तरह मुआशरे की इंतिज़ामी मशीन में मर्द को औरत पर बरतरी हासिल है। कुरआन करीम का इरशादे गिरामी है।

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

यानी मर्द औरतों पर हाकिम, उनके उमूर का इंतज़ाम करने वाले, उनकी किफ़ालत करने वाले और उन पर अहकाम नाफ़िज़ करने वाले हैं और दुनिया के इंतज़ामी मामलात और खांगी निज़ाम में औरत मर्द के मातहत और उसकी ताबेअ है और यह इस लिए कि मर्द को अपने कुवाए जिस्मानी और दिल व दिमाग़ की बरतरी हासिल है और दूसरे यह कि औरत खर्च में मर्द के दस्ते निगर रहती है और मर्द औरत के जायज़ मसारिफ़ का बोझ उठाता है इस लिए नेक बीवियों की अलामत यह है कि वह शौहर की ग़ैर हाज़िरी में उसकी इज़्ज़त व नामूस और उसके माल व जायदाद की निगहदाश्त करने वालियां होती हैं और हमा अवक़ात अपनी और अपने शौहर की इज़्ज़त व आबरू और माल का ख्याल रखती हैं। अल्लाह तआला ने उनमें अपनी असमत का ख्याल और शौहर की वफ़ादारी का जज़्बा पैदा करके उन्हें महफ़ूज़ कर दिया है मुख़्तसर लफ़्ज़ों में औरत के ज़िम्मे यह तीन फ़रायज़ हैं जो क़ुरआन करीम ने उस पर आयद किये।

१. अपने शौहर की इताअत गुज़ार और वफ़ादार हो।

२. सलीक़ा शिआर हो कि शौहर के माल व दौलत को बरबाद न करे।

३. इफ़्फ़त मआब हो कि अपनी और अपने शौहर की इज़्ज़त व नामूस पर आंच न आने दे।

स्कूल और कालिजों में पढ़ी हुई लड़कियां ज़रा ग़ौर करें और अपने दामन में ज़रा झांक कर देखें कि वह इस क़ुरआनी मेयार पर कहां तक पूरी उतरती हैं। अब इस सिलसिले की चंद अहादीसे करीमा सुनिए। फ़रमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम०

१. औरत पर सब लोगों से ज़्यादा हक़ उसके शौहर का है और मर्द पर उसकी मां का है। (हाकिम)

२. अगर मैं किसी शख़्स को किसी मख़्लूक़ के लिए सज्दे का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने शौहर का सज्दा करे अल्लाह तआला ने मर्दों का हक़ औरतों के ज़िम्मे कर दिया है। कसम है उसकी जिसके कब्ज़ए कुदरत में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जान है औरत अपने परवरदेगार का हक़ अदा न करेगी जब तक शौहर के हक़ अदा न करे। (अबूदाऊद हाकिम)

३. औरत ईमान क मज़ा न पाएगी जब तक हक़्क़े शौहर अदा न करे। (तबरानी)

४. औरत पर शौहर का हक़ यह है कि उसके बिछौने को नं छोड़े और उसकी कसम को सच्चा करे और बग़ैर उसकी इजाज़त के बाहर न जाए और ऐसे शख़्स को मकान में न आने दे जिस का आना शौहर को पसंद न हो। (तबरानी)

५. औरत जब पांचों नमाज़ें पढ़े और माहे रमज़ान के रोज़े रखे और अपनी इज़्ज़त व नामूस की हिफाज़त करे और शौहर की इताअत करे तो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो। (अबू नईम)

६. जो औरत खुदा की इताअत करे और शौहर का हक़ अदा करे और उसे नेकनामी की याद दिलाए और अपनी असमत और उसके माल में ख्यानत न करे तो उसके और शहीदों के दरमियान जन्नत में एक दर्जे का फ़र्क़ होगा फिर उसका शौहर बाईमान नेक खू है तो जन्नत में वह उसकी बीवी हैं। वरना शहीदों में से कोई उसका शौहर होगा। (तबरानी)

७. वह औरत जिसका शौहर उसपर नाराज़ है उसकी नमाज़ कबूल नहीं होती और कोई नेकी बुलंद नहीं होती। (बैहेक़ी)

८. शौहर ने औरत को बुलाया। उसने इंकार कर दिया और गुस्से में उसने रात गुज़ारी तो सुबह तक उस औरत पर फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं और दूसरी रिवायत में है कि जब तक शौहर उससे राज़ी न हो अल्लाह अज़्ज़ोजल उससे नाराज़ रहता है।

९. जब औरत अपने शौहर को दुनिया में ईज़ा देती है तो हूरें कहती हैं कि खुदा तुझे कत्ल करे इसे ईज़ा न दे। यह तो तेरे पास मेहमान है। अंकरीब तुझ से जुदा हो कर हमारे पास आएगा। (तिर्मिज़ी)

१०. ऐ औरतो ! खुदा से डरो और शौहर की रज़ामंदी की तलाश में रहो इस लिए कि औरत को अगर मालूम होता कि शौहर का क्या हक् है तो जब तक यह उसके पास खाता रहता यह खड़ी रहती। (अबूनईम)

११. तकवा के बाद नेक बीवी से बढ़ कर कोई चीज़ नहीं कि शौहर उससे जो कहे वह माने। जब शौहर उसकी तरफ़ देखे तो वह उस को खुश करदे और अगर शौहर कसम दे कर कहे तो वह उसकी कसम को पूरा करदे (इब्ने माजा)

बीवी के हुकूक़

अल्लाह अज़्ज़ोजल का इर्शाद गिरामी है:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

उर्दू में यह मज़मून यूं अदा होगा यानी जिस तरह मर्दों का हक औरतें पर है उसी तरह औरतों का हक भी मर्दों पर है। गोया दुनिया को यह बतया जा रहा है कि यह न समझो कि बस मर्दों के हुकूक औरतों पर और शौहरों के ही हुकूक बीवियों पर होते हैं। नहीं बल्कि

उसी तरह औरतों के भी हुकूक मर्दों पर और बीवियों के हुकूक भी शौहरों पर होते हैं औरतें जानवर या जायदाद नहीं कि माले मौरूसा की तरह उन पर मर्दों को तसर्रुफ का हक हासिल है तो शौहर कहीं इस भूल में न पड़ जाएं कि उनके सिर्फ हूकूक ही हुकूक हैं और फर्ज़ व ज़िम्मेदारी कुछ नहीं। फरायज़ उन पर भी उसी तरह आयद होते हैं जिस तरह उन के उनकी बीवियों पर। इसी तरह बीवियां भी कहीं इस रौशन ख्याली में मुबतला न हो जाएं कि खिदमत करना हमारा काम नहीं। यह काम मर्दों का है हमारा काम खिदमत लेना है। लेकिन इन हुकूक का मेयार वह नहीं जो हवाए नफ्स के मातहत किसी दस्तूर से लिया जाए और उसका नाम ज़ाबता-ए-हुकूके निसवां रख दिया जाए। बल्कि इन हुकूक की सारी बातें और तफ्सीलात शरीअते मुताहिरा के अहकाम और अक्ले सलीम के मातहत होनी चाहिएं।

शौहरों को यह बात ख़ूब ज़ेहन नशीन कर लेनी चाहिए कि वह औरतों के मालिक नहीं उनकी बीवियां उनकी कनीज़ें नहीं। बलिहाज़े हुकूक दोनों एक सतह पर हैं हां जिसमानी साख्त और दिमाग़ी कुवत के बाइस मर्द को एक तरह की फज़ीलत हासिल है।

कुरआन करीम का इर्शादे गिरामी है:

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا
شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

इस आयते करीमा का माहसल यह है कि मर्दों को औरतों के साथ खुश असलूबी से गुज़र बसर करना चाहिए। ख्वाह वह सुहागन हों या बेवा। आयते करीमा ने तोहमत, ऐबजोई, बदगुमानी, और ग़ीबत के दरवाज़े हमेशा-हमेशा के लिए बंद कर दें।

मर्द बाज़ अवकात, इज़हारे ख़फ़गी के वक़्त, औरत की बुराइयां गिनाना शुरू कर देता है, और उसे अपना हक़ समझता है, कुरआने करीम ने फ़रमाया कि जो औरत तुम्हारे दामन से वाबस्ता है माना कि उसमें कुछ बुराइयां और लापरवाइयां हैं। लेकिन उन बुराइयों के साथ कुछ ख़ूबियां भी तो पाई जा सकती हैं। अगर वह बद ज़बान या लापरवाह है तो साथ ही मसलन तुम्हारी वफ़ादार और असमत शिआर भी तो है तो उसकी इन ख़ूबियों को भी नज़र में लाओ। कभी उनका भी ख्याल कर लिया करो।

"वह तुम्हारी पौशाक हैं और तुम उनकी पौशाक हो,,

मर्द औरत दोनों को हुक्म है कि वह एक दूसरे के लिए मुख़लिस और वफ़ादार रहें बल्कि यक जान दो क़ालिब हों। एक दूसरे के पर्दा पोश, एक दूसरे की ज़ीनत और एक दूसरे की तकमील का ज़रिया हों और एक दूसरे की मआशी और मआशिरती कमी में कमाल का वसीला बन कर रहें।

अक्सर औरतों में ज़िद और हट होती है। मर्द को चाहिए कि उसकी ज़िद के मुकाबले में सख़्ती और दुरुश्ती से काम न ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया:

१. औरतों के साथ नेकी का बर्ताव करो कि उनकी पैदाइश टेढ़ी पसली से हुई है। वह तेरे लिए कभी सीधी नहीं हो सकती। अगर तू उसे बरतना चाहे तो उसी हालत में बरत सकता है, और सीधा करना चाहेगा तो तोड़ देगा और तोड़ना तलाक़ देना है। (मुस्लिम)

२. मुसलमान मर्द, अपनी मुसलमान बीवी से बुग्ज़ न रखे। अगर

उसकी एक आदत बुरी मालूम है तो दूसरी पसंद होगी। (मुस्लिम) यानी औरत की सारी ही आदतें खराब नहीं होंगी। जब कि अच्छी बुरी आदतें और हर किस्म की बातें होंगी तो मर्द को यह न चाहिए कि खराब ही आदत को देखता रहे बल्कि बुरी आदत से चश्म पोशी करे और उसकी अच्छी आदतों ''र नज़र रखे। (मुस्लिम)

सुबहानल्लाह मर्दों को बीवियों क. मामले में खुश, कानेअ, और राज़ी रहने का कैसा उम्दा नुस्खा हकीमे इंसानियत ने तालीम फरमा दिया।

३. तुम में अच्छे वह लोग हैं जो औरतों से अच्छी तरह पेश आयें। (तिर्मिज़ी)

इंसान के बेहतर, खुश अख्लाक और सालेह होने की यह एक ऐसी पहचान बता दी गई है कि उस आईने में हर शख्स अपना चेहरा देख सकता है। जो अपनों के साथ एहसान और इंसाफ नहीं कर सकता। उससे क्या उम्मींद कि वह दूसरों से अच्छा सुलूक करेगा। हुसने मामला और नेकी घर से शुरू होनी चाहिए। हज्जतुलविदाअ के मशहूर खुतबा में हुजूर का इर्शाद गिरामी है।

४. ऐ लोगो ! औरतों के बारे में, नेकी और भलाई करने की वसीयत फरमाता हूं तुम मेरी इस वसीयत को कबूल करो। बेशक औरतों का तुम्हारे ऊपर हक है तुम उनके पहनाने और खिलाने में नेकी अख्तियार करो। (इब्ने माजा)

५. एक मौका पर एक शख्स ने खिदमते अकदस में हाज़िर हो कर दरयाफ्त किया कि, या रसूलुल्लाह ! बीवी का हक शौहर पर क्या है ? फरमाया जब खुद खाए तो उसको खिलाए। जब और जैसा खुद पहने उसको पहनाए न उसके मुंह पर थप्पड़ मारे न उसको

बुरा भला कहे और न घर के अलावा उसकी सज़ा के लिए उसको अलहदा करदे (इब्ने माजा) अलग़रज़ इस्लामी खानदान में मियां बीवी को एक दूसरे का बही ख्वाह एक दूसरे का हमदर्द और एक दूसरे का पर्दा पोश रहना चाहिए। बाहमी रवादारी से काम लेना चाहिए दोनों में दामन चोली का साथ है। वह उसके लिए ओढ़ना बिछौना है। यह उसके लिए ओढ़ना बिछौना। जिस तरह लिबास जिस्म के ऐबों को छिपाता है और उसके हुसन व खूबी को उभारता है। इसी तरह शौहर और बीवी का अख्लाकी कमाल यह है कि एक दूसरे की कमज़ोरी को छिपायें उस पर सब्र करें और एक दूसरे की खूबियों को निगाह में रखें और बेहतर से बेहतर सूरत में अपने बाहमी ताल्लुकात ज़ाहिर करें।

चहल अहादीस

इर्शाद फ़रमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम :

१. जिस खाने पर बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए वह बीमारी है और उसमें बरकत नहीं है और उसका कफ़्फ़ारा यह है कि अगर अभी दस्तरख्वान न उठाया गया हो तो पढ़ कर कुछ खा ले और दस्तरख्वान उठा लिया गया हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर उंगलियां चाट ले। (इब्ने असाकर)

२. कोई शख्स न बायें हाथ से खाना खाए न पानी पीए कि बायें हाथ से खाना पीना शैतान का तरीका है। (मुस्लिम)

३. खड़े हो कर हरगिज़ कोई शख्स पानी न पीए और जो भूल कर ऐसा कर गुज़रे वह कै कर दे। (मुस्लिम)

४. जो शख्स अल्लाह और कियामत के दिन पर ईमान रखता

है वह मेहमान का एहतराम करे और जो शख़्स अल्लाह और कियामत पर ईमान रखता है वह अपने पड़ोसी को ईज़ा न दे और जो शख़्स अल्लाह और कियामत पर ईमान रखता है वह भली बात बोले या चुप रहे। और जो शख़्स अल्लाह और कियामत पर ईमान रखता है वह सिला रहमी करे। (बुख़ारी)

५. जब औरत बालिग़ हो जाए तो उसके बदन का कोई हिस्सा दिखाई न दे सिवाए मुंह और हथेलियों के। (अबूदाऊद)

६. जो शख़्स शोहरत का कपड़ा पहने। कियामत के दिन अल्लाह तआला उसको ज़िल्लत का कपड़ा पहनाएगा। (इब्ने माजा) लिबासे शोहरत से मुराद यह है कि तकब्बुर के तौर पर अच्छे कपड़े पहने। यह आदत औरतों में ज़्यादा होती है। उन्हें ख़ास ख़्याल रखना चाहिए।

७. उन औरतों पर लानत जो मर्दों की तरह वज़अ कतअ अख़्तियार करें और उन मर्दों पर लानत जो औरतों की तरह रहें सहीं। (अबूदाऊद)

८. सोते वक़्त अपने घरों में आग मत छोड़ा करो। (बुख़ारी)

९. जो शख़्स अस्र के बाद सोए और उसकी अकल जाती रहे तो वह अपने ही को मलामत करे। (अबू याला)

१०. जब घर वालों के पास जाओ तो उन्हें सलाम करो। तुम पर और तुम्हारे घर वालों पर बरकत होगी। (तिर्मिज़ी)

११. जब किसी को छींक आये और वह अलहम्दु लिल्लाह कहे तो फ़रिश्ते कहते हैं रब्बुलआलमीन, और अगर वह रब्बुल आलमीन (भी) कहता है तो फ़रिश्ते कहते हैं यरहमकल्लाह (अल्लाह तुम पर रहम करे) (तबरानी)

१२. उन दिलों में भी ज़ंग लग जाता है। जिस तरह लोहे में पानी

लग जाने से ज़ंग लगती है। अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इसकी जिला (सफाई) किस चीज़ से होगी। फ़रमाया कसरत से मौत को याद करे और तिलावते कुरआन पाक से (बैहेकी)

१३. बदफाली कोई चीज़ नहीं और फाल अच्छी चीज़ है लोगों ने अर्ज़ की फाल क्या चीज़ है फरमाया अच्छा कलिमा जो किसी से सुने (मुस्लिम) यानी कहीं जाते वक्त या किसी काम का इरादा करते वक्त, किसी की ज़बान से अगर अच्छा कलिमा निकल गया तो फाल हसन है।

१४. दो आवाज़ें दुनिया व आख़िरत में मलऊन (बाइसे लानत) हैं नग़मा के वक्त बाजे की आवाज़, मुसीबत के वक्त रोने की आवाज़। (बज़ार)

१५. गाने से दिल में निफ़ाक उगता है। जिस तरह पानी से खेती उगती है (बैहेकी)

१६. बड़ी ख्यानत की बात है कि तू अपने भाई से कोई बात कहे और वह तुझे इस बात में सच्चा जान रहा है और तू उससे झूट बोल रहा है। (अबूदाऊद)

१७. इब्ने आदम जब सुबह करता है तो तमाम आज़ा ज़बान के सामने आजिज़ाना कहते हैं कि तू खुदा से डर कि हम सब तेरे साथ वाबस्ता हैं अगर तू सीधी रहे तो हम सब सीधे रहेंगे और तू टेढ़ी हो गई तो हम सब टेढ़े हो जाएंगे। (तिर्मिज़ी)

१८. आदमी के इस्लाम की अच्छाई में से यह है कि लायानी चीज़ छोड़ दे यानी जो चीज़ कार आमद न हो उसमें न पड़े । (इमाम मालिक)

१९. फुहश जिस चीज़ में होगा उसे ऐबदार करदेगा और हया जिस

चीज़ में होगी उसे आरास्ता कर देगी। (इब्ने माजा)

२०. अल्लाह के नेक बन्दे वह हैं कि उनको देखने से ख़ुदा याद आता है और अल्लाह के बुरे बंदे वह हैं जो चुगली खाते हैं। दोस्तों में जुदाई डालते हैं और जो शख़्स जुर्म से बरी है उस पर तकलीफ़ डालना चाहते हैं। (बैहेकी)

२१. मुसलमानों की ग़ीबत न करो और उनकी छिपी हुई बातों को टटोला न करो (अहमद)

२२. हसद नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है और सदका खता को बुझाता है, जिस तरह पानी आग को बुझाता है। (इब्ने माजा)

२३. सबसे बुरा कियामत के दिन वह बन्दा है जिसने दूसरे की दुनिया के बदले में अपनी आख़िरत बरबाद कर दी। (इब्ने माजा)

२४. मुस्लिम के लिए हलाल नहीं कि अपने भाई को तीन दिन से ज़्यादा छोड़ दे फिर जिसने ऐसा किया और मर गया तो जहन्नम में गया। (इमाम अहमद)

२५. जिसको यह पसंद हो कि उम्र में दराज़ी हो और रिज़्क में वुसअत हो और बुरी मौत दफ़्अ हो वह अल्लाह तआला से डरता रहे और रिश्तेदारों से नेक सुलूक करे। (हाकिम)

२६. वह हम में से नहीं जो हमारे छोटे पर रहम न करे और बुरी बात से मना न करे। (तिर्मिज़ी)

२७. जो शख़्स मुस्लिम की पर्दा पोशी करेगा अल्लाह तआला कियामत के दिन उसकी पर्दा पोशी करेगा। (बैहेकी)

२८. ईमान व हया दोनों साथी हैं एक को उठा लिया जाता है तो दूसरा भी उठा लिया जाता है। (बैहेकी)

२९. अपने सहन व मकान को सुथरा रखो यहूदियों के साथ

मुशाबिहत न करो। (तिर्मिज़ी)

३०. अल्लाह तआला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे दिल और आमाल की तरफ नज़र करता है। (मुस्लिम)

३१. जिस घर में कुत्ता हो या तस्वीर उस घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। (मिश्कात)

३२. सदका देने से माल कम नहीं होता और बंदा किसी का कुसूर माफ़ करदे तो अल्लाह तआला उसकी इज़्ज़त बढ़ाएगा। (बुखारी)

३३. अपने माल की ज़कात निकाल कि वह पाक करने वाली है तुझे पाक कर देगी। और रिश्तेदारों से हुसने सुलूक और मिस्कीन और पड़ौसी और सवाली का हक पहचान। (इमाम अहमद)

३४. दो औरतें खिदमते अकदस में हाज़िर हुयीं उनके हाथों में सोने के कंगन थे, इर्शाद फ़रमाया। तुम इसकी ज़कात अदा करती हो। अर्ज़ की नहीं, फ़रमाया तो क्या इसे तुम पसंद करती हो कि अल्लाह तआला तुम्हें आग के कंगन पहनाए। अर्ज़ किया नहीं, फ़रमाया तो इसकी ज़कात अदा करो। (तिर्मिज़ी)

३५. जुल्म से बचो कि जुल्म कियामत के दिन तारीकियां है। और बुख़्ल से बचो कि बुख़्ल ने अगलों को हलाक किया। इसी बुख़्ल ने उन्हें ख़ून बहाने और हराम को हलाल करने पर आमादा किया। (मुस्लिम)

३६. जो मुसलमान किसी मुसलमान को कपड़ा पहना दे तो जब तक उसमें उसका उस शख़्स पर एक पैबंद भी रहेगा यह अल्लाह तआला की हिफाज़त में रहेगा। (तिर्मिज़ी)

३७. जिसे चार चीज़ें मिलीं उसे दुनिया व आखिरत की भलाई मिली। (१) दिल, शक्रगुज़ार (२) ज़बान यादे खुदा करने वाली (३)

बदन, बला पर साबिर (४) और ऐसी बीवी कि अपने नफ़्स और माले शौहर में गुनाह की तालिब न हो।(तबरानी)

३८. जब ऐसा शख़्स पैग़ाम भेजे जिसके खल्क और दीन को पसंद करते हो तो निकाह करदो अगर न करोगे तो ज़मीन में फ़ितना व फ़साद अज़ीम होगा। (तिर्मिज़ी)

३९. जो औरत बग़ैर किसी हर्ज के शौहर से तलाक़ का सवाल करे उस पर जन्नत की खुश्बू हराम है। (इमाम अहमद)

४०. किसी के मरने या मुसीबत के वक़्त जो मुंह पर तमांचा मारे और गरीबान फाड़े और जाहिलियत का पुकारना पुकारे। (नौहा करे) वह हम से नहीं। (बुखारी)

औलाद की तालीम व तरबियत

मर्द और औरत के खांगी ताल्लुकात का मकसद सिर्फ़ अमले ज़ौजियत की तकमील और तसकीने नफ़्स नहीं बल्कि इस्लाम के नज़दीक यह एक तमद्दुनी फ़रीज़ा है जिस से नसले इंसानी की हिफ़ाज़त मतलूब है और यह उसी वक़्त मुमकिन है कि औरत का काम महज़ बच्चे पैदा करना न हो बल्कि बच्चों की तालीम व तरबियत और उनकी मुनासिब परवरिश भी हो। यही वजह है कि कुरआन करीम ने औरत के लिए "हिर्स" यानी खेत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जिस तरह एक खेत के दामन से एक खास तरतीब और अमल से फ़सल तैयार हो कर निकलती है। उसी तरह सिंफे नाज़ुक के दामन से भी नसले इंसानी को मुकम्मल तौर पर तैयार हो कर निकलना चाहिए। चुनांचे वालिदैन को हिदायत की गई है कि वह अपनी औलाद की तरबीयत का खास ख़्याल रखें और उनकी ऐसी

तरबियत करें कि वह मुआशिरे के मुअज़्ज़िज़ फ़र्द बन सकें।

हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चों की अख़्लाक़ी तरबियत के कवायद को एक दस्तूरुल-अमल के तौर पर मुरत्तब किया है। जिस का ख़ुलासा यह है:

तरबियत की असल बुनियाद चूंकि बचपन में पड़ती है इस लिए उसी वक्त से उसकी देख भाल रखनी चाहिए। बच्चे में सबसे पहले गिज़ा की रग़बत पैदा होती है। उसे बताना चाहिए कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। दस्तरख़्वान पर जो खाना सामने और करीब हो उसी तरफ हाथ बढ़ाये। खाने की तरफ या खाना खाने वालों की तरफ नज़र न जमाए। जल्द जल्द न खाए निवाला अच्छी तरह चबाए। हाथ और कपड़े खाने में आलूदा न करे। कम खाए और मामूली खाने पर इक्तिफ़ा करे और दूसरों को भी खिलाए।

सफ़ेद कपड़े पहनने का शौक दिलाया जाए और उसे समझाया जाए कि शोख़ रंग के कपड़े या रेशमी या भड़कदार कपड़े पहनना औरतों का काम है। जो लड़के इस किस्म के कपड़ों के आदी हों उनकी सोहबत से बचा जाए काहिली और आराम परस्ती से नफ़रत दिलाई जाए। जब बच्चे से कोई पसंदीदा फेल ज़ुहूर में आए तो तारीफ़ करके उसका दिल बढ़ाया जाए और उसे इनाम दिया जाए। उसके खिलाफ कभी कोई बात ज़ाहिर हो तो चश्म पोशी करना चाहिए ताकि बुरे कामों पर दिलैर न हो जाए ख़ुसूसन जब वह ख़ुद उस काम को छिपाना चाहता हो। अगर दोबारा वह फेल सरज़द हो तो तनहाई में उसे समझाना चाहिए कि यह बहुत बुरी बात है। लेकिन बार-बार उसको मलामत न करनी चाहिए। इससे बात का असर कम हो जाता है। और बच्चे में डांट-डपट सुनने की आदत पड़ जाती है।

इस बात की सख्त ताकीद करनी चाहिए कि बच्चा छिपा कर कोई काम न करे क्यों कि बच्चा उसी काम को छिपा कर करता है जिसको वह बुरा समझता है। इस लिए जब छिपा कर काम करने की आदत छूट जाएगी। तो बच्चा बहुत सी बुरी आदतों से महफ़ूज़ रहेगा।

मजलिस में थूकने, जमाही और अंगड़ाई लेने लोगों की तरफ पीठ करके बैठने, पांव पर पांव रखने और ठोड़ी के नीचे हथेली रख कर बैठने से मना करना चाहिए।

क़सम खाने से बिल्कुल रोकना चाहिए गो सच्ची हो। बात खुद शुरू न करे। बल्कि पूछे तो जवाब दे। मुखातिब की बात को तवज्जोह और ग़ौर से सुने मकतब से पढ़ कर निकले तो उसको मौक़ा दिया जाए कि कोई खेल खेले। क्योंकि हर वक्त पढ़ने लिखने में मसरूफ रहने से दिल बुझ जाता है। ज़ेहन कुंद हो जाता है और तबीअत उचाट हो जाती है। (इंतेहा)

मुजद्दे दीन व मिल्लत आला हज़रत फ़ाज़िल बरैलवी ने इर्शाद फ़रमाया ज़बान खुलते ही अल्लाह अल्लाह फिर लाइलाह इल्लल्लाह फिर पूरा कलिमा तय्यबा सिखाया जाए जब तमीज़ आए कुरआन मजीद पढ़ाए। उस्ताद नेक सालेह मुत्तक़ी सहीहुल-अकीदा सिन रसीदा के सुपुर्द करदे और दुख्तर को नेक पारसा औरत से पढ़वाए। बाद खत्म कुरआन मजीद हमेशा तिलावत की ताकीद रखे। अक़ायदे इस्लाम व सुन्नत सिखाए कि लौह सादह फ़ितरते इस्लामी व कुबूल हक पर मखलूक है। उस वक्त का बताया पत्थर की लकीर होगा।

हुजूर अकदस रहमते आलम सल्ल० की मुहब्बत व ताज़ीम उनके दिल में डाले कि असल ईमान व ऐन ईमान है। हुजूर पुरनूर सल्ल०

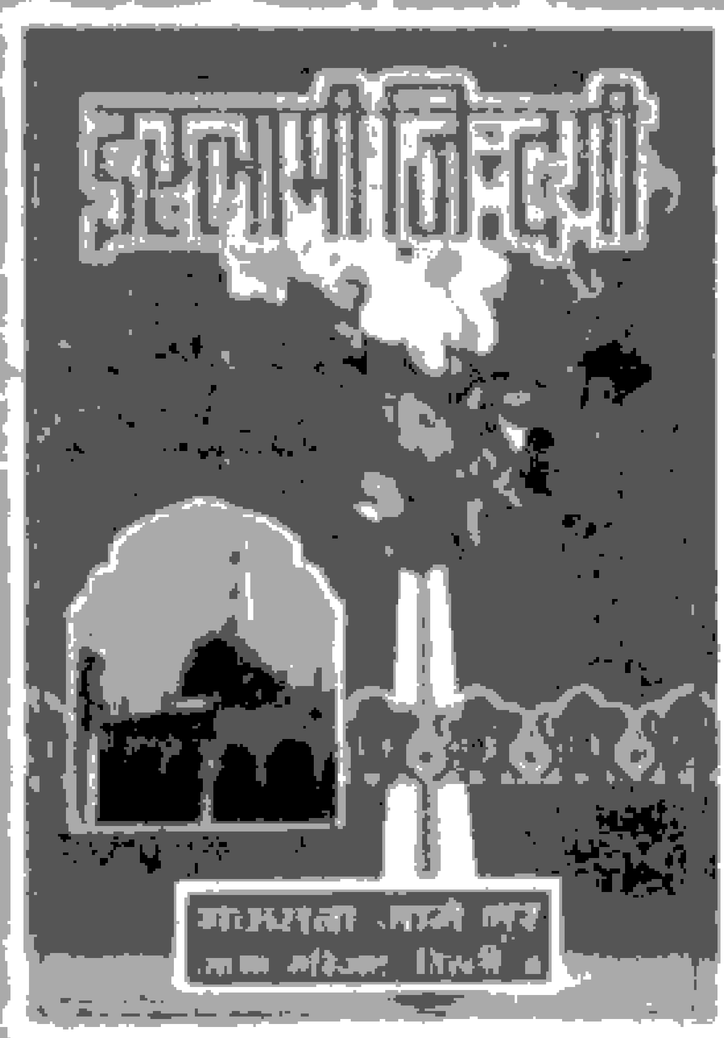
के आल व असहाब व औलिया व उलेमा की मुहब्बत व अज़मत तालीम करे कि असल सुन्नत व ज़ेवरे ईमान बल्कि बाइसे बक़ाए ईमान है। सात बरस की उम्र से नमाज़ की ज़बानी ताकीद शुरू करदे। इल्मे दीन खुसूसन वुज़ू गुस्ल, नमाज़ रोज़ा के मसाइल, तवक्कुल क़नाअत, ज़ुहद, इख्लास तवाज़ुअ, अमानत सिदक़, अदल, हया, सलामत,सदरुललिसान वग़ैरहा खूबियों के फ़ज़ायल, हिर्स, तमअ, हुब्बे जाह, रिया ओजब तकब्बुर, खियानत, किज़्ब, ज़ुल्म, फ़ुहश, ग़ीबत, हसद, कीना वग़ैरहा बुराइयों के रज़ायल पढ़ाए। पढ़ाने सिखाने में रफ़क़ व नर्मी मलहूज़ रखे। मौके-मौके पर चश्म नुमाई तंबीह व तहदीद करे मगर कोसना न दे कि उसका कोसना उनके लिए मुसबबे इस्लाह न होगा बल्कि और ज़्यादा फ़साद का अंदेशा है ज़नहार-ज़नहार बुरी सोहबत में न बैठने दे कि यार बद मार बद से बदतर है न हरगिज़-हरगिज़ कुतुबे इश्क़िया व गज़लियात फ़सक़िया देखने दे कि नर्म लकड़ी जिधर झुकाए झुक जाती है। जब दस बरस का हो नमाज़ मार कर पढ़ाए। खास लड़की के हुकूक से है कि उसके पैदा होने पर नाखुशी न करे बल्कि नेमते इलाहिया जाने, सीना पिरोना, कातना, खाना पकाना सिखाए। बेटों से ज़्यादा दिलजूई और खातिर दारी रखे उनका दिल बहुत थोड़ा होता है। देने में उन्हें और बेटों को कांटे की तोल बराबर रखे। जो चीज़ दे पहले उन्हें दे कर बेटों को दे।

जहां नाच गाना हो हरगिज़ न जाने दे अगरचे खास अपने भाई के यहां हो कि गाना सख्त संगीन जादू है। और इन नाज़ुक शीशों को थोड़ी ठेस बहुत है। बल्कि बेगानों में जाने की मुतलक़ बंदिश करे। घर को उन पर ज़िंदां कर दे। (मशअलतुल इर्शाद)













مکتبہ جام نور دہلی

Maktaba Jaam-e-Noor

422, Matia Mahal
Jama Masjid, Delhi - 6
Contacts
011-23281418, 8800522592
kausar1977@gmail.com

ख़्वातीन के लिए ज़िन्दगी के तमाम मसाइल का मजमुआ

सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर

मुसन्निफ
मुफ़्ती ख़लील ख़ां बरकाती

सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर कामिल

ख़्वातीन के लिए

ज़िन्दगी के तमाम मसाइल का मजमूआ

लेखक-

मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद ख़लील ख़ां क़ादरी बरकाती मद्दज़िल्लहुल आली

हिन्दी कर्ता-

मौलाना शहादत हुसैन फ़ैज़ी

मकतबा जामे नूर

422, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली- 6

फोन: 3281418

Rs. 160.00

फेहरिस्त हिस्सा अव्वल

सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर कामिल

ख़्वातीन के लिए

ज़िन्दगी के तमाम मसाइल का मजमूआ

भाग

2

मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद ख़लील खां
क़ादरी बरकाती मद्देज़िल्लहु आली

मकतबा जामे नूर

422, मटिया महल

जामा मस्जिद, दिल्ली-110006

PH. 3281418-

नफ़िल नमाज़ों का बयान

नफ़िल नमाज़ें तो बहुत कसीर हैं। इन औक़ात के अलावा जिन में नमाज़ पढ़ना ममनूअ़ (मना) है। आदमी जिस वक़्त और जितने नवाफ़िल पढ़ना चाहे पढ़े मगर हम सिर्फ चन्द नमाज़ों का बयान करते हैं। लेकिन यह याद दिलाना भी ज़रूरी ख़याल करते हैं कि

जिस के ज़िम्मा कज़ा नमाज़ें हों (मर्द ख़्वाह औरत) उनका पढ़ना जल्द से जल्द वाजिब है। बाल बच्चों की खुरदो नोश और निगेहदाश्त व परवरिश और दीगर ज़रूरियात की फ़राहमी के बाद जो वक़्त फ़ुर्सत का मिले उसमें कज़ा पढ़ता रहे यहां तक कि पूरी हो जाएं। और कज़ा नमाज़ें, नफ़िल नमाज़ों से अहम हैं। यानी आदमी जिस वक़्त नफ़िल पढ़ता है उन्हें छोड़ कर उनके बदले कज़ा नमाज़ें पढ़े ताकि बरीउज़्ज़िम्मा हो जाए। (रद्दुलमुहतार) और लौ लगाए रखे कि मौला अज़्ज़ोजल अपने करमे खास से कज़ा नमाज़ों के ज़िम्न में उन नवाफ़िल का सवाब भी अपने ख़ज़ाईने ग़ैब से अता फ़रमा दे जिन के औक़ात में यह कज़ा नमाज़ें पढ़ी गईं।

वल्लाहु ज़ुलफ़ज़लिल अज़ीम والله ذو الفضل العظيم

१. तहय्यतुल वुज़ू :- वुज़ू से फ़ारिग़ होकर (अगर वक़्त मकरूह न हो तो) आज़ाए वुज़ू खुश्क होने से पहले दो रकअ़त नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स वुज़ू करे और अच्छा (इतमीनान से) वुज़ू करे और ज़ाहिर व बातिन के साथ मुतवज्जाह होकर (दिल लगाकर) दो रकअ़त पढ़े उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। (मुस्लिम शरीफ़)

मसला:- गुस्ल के बाद भी दो रकअ़त नमाज़ मुस्तहब है। वुज़ू

के बाद बदन खुश्क होने से पहले फ़र्ज़ वग़ैरह पढ़े तो क़ायम मक़ाम तहय्यतुल वुज़ू के हो जाएंगे। (रददुल मुहतार)

२. **नमाज़े इशराक़:-** यह नमाज़ सूरज निकलने के कम अज़ कम बीस मिनट बाद पढ़ी जाती है। दो या चार रकअ़तें जैसा मौक़ा हो पढ़े। हदीस शरीफ़ में वारिद है कि जो शख़्स फ़ज्र की नमाज़ (मर्द हो तो) जमाअ़त से पढ़ कर ज़िकरे ख़ुदा करता रहा यहां तक कि आफ़ताब बुलन्द हो जाए (जिसका वक़्त बीस मिनट है) फिर दो रकअ़तें पढ़े तो उसे पूरे हज व उमरा का सवाब मिलेगा। (तिर्मिज़ी)

३. **नमाज़े चाश्त:-** सूरज जब ख़ूब बुलन्द हो जाए और धूप में तेज़ी आने लगे तो यह वक़्त नमाज़े चाश्त का है। उस वक़्त कम अज़ कम दो और ज़्यादह से ज़्यादह बारह रकअ़तें पढ़ी जाती हैं और अफ़ज़ल बारह हैं। अहादीस में उनकी बड़ी फ़ज़ीलत आई है एक हदीस में जिसने चाश्त की बारह रकअ़तें पढ़ी अल्लाह तआ़ला उसके लिए जन्नत में सोने का महल बनाएगा। (तिर्मिज़ी)

मसला :- नमाज़े चाश्त का वक़्त आफ़ताब बुलन्द होने से ज़वाल तक है। ज़वाल से पहले-पहले यह नमाज़ पढ़ लेना चाहिए और बेहतर यह है कि चौथाई चढ़े, पढ़े।(आलमगीरी रददुलमुहतार)

४. **सलातुल आवाबीन :-** मग़रिब के फ़र्ज़ों के बाद छः रकअ़तें पढ़ना मुस्तहब है उनको "सलातुल अव्वाबीन" कहते हैं। ख़्वाह एक सलाम से सब पढ़े या दो से या तीन से और तीन सलाम से यानी हर दो रकअ़त पर सलाम फेरना अफ़ज़ल है उनमें पहली दो रकअ़तें सुन्नत मोवक्किदह होंगी बाक़ी चार नफ़्लि। (रददुल मुहतार, रिज़विया) अहादीस में इस नमाज़ के बारे में फ़रमाया कि जो शख़्स मग़रिब के बाद छः रकअ़तें पढ़े और उनके दरमियान में कोई बुरी

बात न कहे तो बारह बरस की इबादत के बराबर लिखी जाएंगी और एक हदीस में फ़रमाया उसके गुनाह बख़्श दिए जाएंगे अगरचे समुन्द्र के झाग के बराबर हों। (तिर्मिज़ी, तबरानी)

५. **नमाज़े तहज्जुद** :- फ़र्ज़े इशा और सुन्नतें वग़ैरह पढ़ने के बाद कुछ देर सो रहे फिर रात को जिस वक़्त भी आंख खुले उस वक़्त नवाफ़िल अदा करे। उन्हीं नवाफ़िल को तहज्जुद कहते हैं। वुज़ू करके कम अज़ कम दो रकअ़त नफ़िल पढ़ले तहज्जुद हो गया। और सुन्नत आठ रकअ़त हैं और बुज़ुर्गाने दीन का मामूल बारह रकअ़त है। किरअत का अख़्तियार अलहम्दु के बाद जो चाहे पढ़े और कुरआने करीम याद न हो तो बेहतर यह है कि हर रकअ़त में तीन-तीन बार सूरह इख़लास पढ़े और जितनी रकअ़तें पढ़ेगा उतने ही ख़त्म कुरआन मजीद का सवाब मिलेगा।(रददुलमुहतार)

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि रब्बे अज़्ज़ोजल हर रात में जब पिछली तिहाई बाक़ी रहती है। आसमाने दुनिया पर ख़ास तजल्ली फ़रमाता है और फ़रमाता है, है कोई मांगने वाला कि उसे दूं? है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि उसकी बख़्शिश करदूं। (बुख़ारी मुस्लिम)

मसला :- ईद, बकरईद, पन्दरहवीं की रातों, शाबान और रमज़ान की आख़िर दस रातों और ज़िलहिज्जा की पहली दस रातों में शब बेदारी मुस्तहब है। अकसर हिस्सा में जागना में भी शब बेदारी है। इन रातों में नफ़िल नमाज़ पढ़ना और तिलावते कुरआन मजीद और हदीस पढ़ना और दूसरे ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ रहना शब बेदारी है न कि ख़ाली जागना। (रददुलमुहतार वग़ैरह) और ऐसी मुबारक रातों को फ़ुज़ूल बातों, लग़्वबेहुदा कामों में गुज़ारने से बेहतर यह

है कि आदमी सो जाए।

नमाज़े इस्तख़ारा

बाअज़ औक़ात आदमी को अपने काम में यह तरद्दुद तज़बज़ुब होता है कि करूं या न करूं मसलन सफर पर जाना या किसी रिश्ता को मंज़ूर करना चाहता है या शादी व्याह वग़ैरह ऐसी ही कोई तक़रीब अंजाम देना चाहता है। लेकिन दिल में तरह–तरह के ख़्यालात आते हैं आदमी घबरा जाता है कि क्या करूं क्या न करूं ऐसे मौक़ों के लिए शरीअ़त में नमाज़े इस्तख़ारा आई है। इस नमाज़ का पढ़ने वाला (मर्द हो ख्वाह औरत) गोया कि अपने रब्बे अज़्ज़ोजल से मशवरह लेता है। उम्मीद है कि वह ना मुराद नहीं होगा।

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआ़ला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमें तमाम कामों में इस्तख़ारा की तालीम फ़रमाते थे जैसे कुरआन की सूरत तालीम फ़रमाते थे। (तिर्मिज़ी)

मसला :- इस्तख़ारा का वक़्त उस वक़्त तक है कि एक तरफ़ राय पूरी जम न चुकी हो नमाज़ इस्तख़ारा का तरीक़ा यह है कि जब आदमी किसी काम का इरादा करे तो पहले दो रकअ़त नमाज़ नफ़िल पूरी तवज्जोह से पढ़े फिर ख़ूब दिल लगाकर यह दुआ़ पढ़े:-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ
اَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ
مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ
وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ
عَلَّامُ الْغُیُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ
تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَیْرٌ لِّیْ
فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ
وَعَاجِلِ اَمْرِیْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدُرْهُ لِیْ

وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ

فَعَاجِلِ اَمْرِيْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِيْ بِهٖ (غنيه)

ऐ अल्लाह मैं तुझ से इस्तख़ारा करता हूं तेरे इल्म के साथ और तेरी कुदरत के साथ तलब कुदरत करता हूं और तुझसे तेरे फ़ज़्ले अ़ज़ीम का सवाल करता हूं इसलिए कि तू कादिर है और मैं कादिर नहीं और तू जानता है मैं नहीं जानता और तू ग़ैबों का जानने वाला है ऐ मेरे अल्लाह अगर तेरे इल्म में यह है कि यह काम मेरे लिए बेहतर है मेरे दीन व मईशत और अंजाम कार में इस वक़्त और आइंदा में तू उसको मेरे लिए मुकद्दर करदे और आसान कर। फिर मेरे लिए बरकत दे और अगर तू जानता है कि मेरे लिए यह काम बुरा है मेरे दीन व मईशत और अंजाम कार मेरे इस वक़्त और आइंदा में तू उसको मुझसे फेर दे और मझको उससे फेर। और मेरे लिए ख़ैर को मुक़र्रर फ़रमा जहां भी हो। फिर मुझे उससे राज़ी कर।

और अपनी हाजत अपने ज़ेहन में रखे। बिलखुसूस जबकि ज़बान से अदा करे। मुस्तहब यह है कि इस दुआ़ के अव्वल व आख़िर अलहम्दुलिल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़े और पहली रकअ़त में कुल या अय्युहल काफ़िरून और दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। (रद्दुलमुहतार) और दुआ़ए मज़कूरा को पढ़कर दाएं करवट पर बातहारत, किबला की तरफ़ मुंह करके सो रहे अगर ख़्वाब में सफ़ेदी या सबज़ी देखे तो वह काम बेहतर है कर डाले और सियाही या सुर्ख़ी है तो बुरा है उससे बचे। (रद्दुलमुहतार) या फिर दिल में जो बात ज़्यादा जमती हो उस पर अमल करे।

मसला :- बेहतर यह है कि सात बार इस्तखारा करे फिर देखे कि दिल में क्या बात गुज़रती है। उसी पर अमल करे। इन्शाअल्लाह उसी में खैर है। (रददुलमुहतार)

सलातुल तस्बीह

इस नमाज़ में बे इन्तिहा सवाब है। यहां तक उलेमाए किराम फरमाते हैं कि इस नमाज़ की फ़ज़ीलत और बुजर्गी सुनकर इसे तर्क न करेगा, मगर दीन में सुस्ती करने वाला, हदीस शरीफ में वारिद है कि अल्लाह तआ़ला इस नमाज़ के पढ़ने वाले के गुनाह बख़्श देगा। अगले, पिछले नये पुराने जो भूल कर किए और जो जान-बूझ कर, छोटा और बड़ा पोशीदा और ज़ाहिर। उसके बाद सलातुल तस्बीह की तर्कीब तालीम फरमाई। फिर फ़रमाया कि अगर तुम से हो सके तो हर रोज़ एक बार पढ़ो और रोज़ाना न पढ़ सको तो हर हफ़्ता एक बार और यह भी न हो सके तो हर महीना में एक बार और यह भी न हो सके तो साल में एक बार वरना उम्र में एक बार। (आमए कुतुब)

और उसकी तरकीब हमारे तौर पर यह है जो तिर्मिज़ी शरीफ में ब रिवायत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़िअल्हु अन्हु से मज़कूर है कि अल्लाहु अक्बर कहकर सुबहा.न.क अल्लाहुम्म व बिहम्दिक व तबारकस्मुक व तआ़ाला जद्दोक व लाइलाह ग़ैरुक पढ़े फिर पन्द्रह बार यह तस्बीह पढ़े। सुबहानल्लाहि वल् हम्दु लिल्लाहि व लाइलाह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बरु फिर अ़ऊज़ु बिल्लाहि और बिस्मिल्लाह और अलहम्दु शरीफ़ और सूरत पढ़ कर दस बार यही तस्बीह पढ़े। फिर रुकूअ़ करे और रुकूअ़ में दस बार पढ़े फिर रुकूअ़ से सर उठाए

और सुब्हानल्लाहि वल्हम्दु लिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर समीअल्लाहु लिमन हमिदह के बाद दस बार कहे। फिर सज्दे को जाए और उसमें दस बार कहे और फिर सज्दे से सर उठाकर दस बार कहे फिर सज्दे को जाए और उसमें दस मर्तबा पढ़े। यूंही चार रकअत पूरी करे। इस तरह हर रकअत में ७५ बार और चारों में तीन सौ तस्बीह हुयीं और रुकूअ में सुबहा.न रब्बियल अज़ीम और सज्दा में सुबहान रब्बियल आला कहने के बाद तस्बीहात पढ़े।

मसला :– अगर इस नमाज़ में किसी ग़लती के बाइस सज्दा सह्व वाजिब हो तो सज्दे करे और उन दोनों में यह तस्बीह न पढ़े। और अगर किसी जगह भूल कर दस बार से कम पढ़े तो बेहतर है कि उसके बाद दूसरा मौका तस्बीह पढ़ने का आये वहीं पढ़ले ताकि वह मिक्दार पूरी हो जाए और रुकूअ में भूला तो उसे सज्दे ही में कहे न कि कौमा में कि कौमा की मिक्दार थोड़ी होती है और पहले सज्दे में भूले तो दूसरे में कहे जलसा में नहीं। (रद्दुलमुहतार) (रुकूअ के बाद सीधा खड़े होने को कौमा कहते हैं और दोनों सज्दे के दरमियान बैठने को जलसा)

मसला :– तस्बीह उंगलियों पर न गिने बल्कि हो सके तो दिल में शुमार करे वरना उंगलियां दबाकर।

मसला :– हर वक़्त ग़ैर मकरूह में यह नमाज़ पढ़ी जा सकती है और बेहतर यह है कि जुहर से पहले पढ़े (आलमगीरी रद्दुलमुहतार) यानी सुन्नत जुहर और फ़र्ज़ जुहर के दरमियान।

नमाज़े हाजत

जब कोई हाजत पेश आए तो उसके लिए दो या चार रकअतें पढ़े। हदीस शरीफ़ में है कि पहली रकअत में सूरः फातिहा और तीन

बार आयतलकुरसी पढ़े और बाकी तीन रकअ़तों में सूर: फातिहा और कु लहुवल्लाहु अहद और कुल अऊजु बि रब्बिल.फ.लकि और कुल अऊजु बि रब्बिन्नास एक-एक बार पढ़े तो यह ऐसी है जैसी शबे कद्र में चार रकअ़तें पढ़ें। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि हमने यह नमाज़ पढ़ी और हमारी हाजतें पूरी हुईं। नमाज़ के बाद दुआ मांगे अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े।

२.कज़ाए हाजत के लिए मुजर्रब नमाज़ जो उलेमाए किराम हमेशा पढ़ते आये। सलातुल असरार यानी नमाज़े ग़ौसिया है। जो मुल्ला अली कारी और शैख मुहक्क़िक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी और दूसरे उलेमाए किराम हुजूर सय्यदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं उस नमाज़ की तर्कीब यह है कि बाद नमाज़ मग़रिब सुन्नतें पढ़ कर दो रकअ़त नमाज़ नफिल पढ़े और बेहतर यह है कि अलहम्दु के बाद हर रकअ़त में ग्यारह-ग्यारह बार कुलहुवल्लाहु अहद पढ़े, सलाम के बाद अल्लाह अज़्ज़ोजल के हम्द व सना करे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ग्यारह बार दुरूद व सलाम अर्ज़ करे और ग्यारह बार यह कहे।

يارسول الله يانبي الله اغثني وامددني في قضاء حاجتي ياقاضي الحاجات۔

फिर इराक की जानिब ग्यारह कदम चले हर कदम पर यह कहे।

ياغوث الثقلين ويا كريم الطرفين اغثني وامددني في قضاء حاجتي ياقاضي الحاجات

फिर हुजूर सैयदना ग़ौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वसीले से अल्लाह अज़्ज़ोजल से दुआ करे। इन्शाअल्लाहु तआला जल्द मुराद को पहुंचे।

इमाम अजल अबुल हसन नूरुद्दीन अपनी मशहूर किताब बहजतुल असरार शरीफ में हुजूर सैयदना ग़ौस आज़म रज़ि० से रावी हैं कि हुजूर इरशाद फरमाते हैं जो कोई सख्ती में मेरी दुहाई दे वह सख्ती दूर हो जाए और किसी मुश्किल में मेरा नाम लेकर निदा करे वह मुश्किल हल हो जाए और जो किसी हाजत में अल्लाह अज़्ज़ोजल की तरफ़ मुझसे तवस्सुल करे और मुझे वसीला बनाकर दुआ करे वह हाजत पूरी हो।

मौला अज़्ज़ोजल हम सब को आप की बरकात से माला-माल फ़रमाए। आमीन

सज्दा-ए-सहूव का बयान

जो चीज़ें नमाज़ में वाजिब मानी गई हैं। उनमें से जब कोई वाजिब भूले से रह जाए तो उसकी तलाफ़ी के लिए सज्दा सह्व वाजिब हैं उसका तरीक़ा यह है कि अत्तहियात पढ़ने के बाद दाहिनी तरफ़ सलाम फेरकर दो सज्दा करे फिर अत्तहियात वग़ैरह पढ़कर सलाम फेरदे। (आमए कुतुब)

मसला :- जान बूझकर वाजिब छोड़ दिया या सहूवन वाजिब छूट गया और सज्दा सहूव न किया तो दोनों सूरतों में नमाज़ का दोबारा पढ़ना लाज़िम है। (रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

मसला :- फ़र्ज़ तर्क हो जाने से नमाज़ जाती रहती है। सज्दा सहूव से उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती लेहाज़ा फिर पढ़े। (रद्दुलमुहतार)

मसला :- फ़र्ज़ व नफ़िल दोनों का एक हुक्म है यानी नवाफ़िल में भी वाजिब छूट जाए तो सज्दा वाजिब है। (आलमगीरी)

मसला :- एक नमाज़ में चन्द वाजिब तर्क हुए तो वही दो सज्दे काफी हैं। (रद्दुलमुहतार)

मसला :- वाजिबाते नमाज़ और अरकाने नमाज़ को हमेशा ध्यान में रखना लाज़िम है कि नमाज़ की हालत में किसी रुक्न (फ़र्ज़ नमाज़) को अपनी जगह से हटाकर मसलन पहले या बाद में पढ़ा या उसे दोबारा किया, हालांकि फ़र्ज़ एक ही बार है या जो काम नमाज़ में दो बार किये जाते हैं उनमें तरतीब छोड़ दी। यूंही वाजिबात नमाज़ में रद्दोबदल कर दिया उनमें तरतीब छूट गयी तो इन सब सूरतों में भी सज्दा सह्व वाजिब है। (आमए कुतुब)

मसला :- फ़र्ज़ की पहली दो रकअ़तों में और नफ़िल व सुन्नत व वित्र की किसी रकअ़त में सूरः अलहम्दु की एक आयत भी रह गई या सूरत से पहले ही दो बार अलहम्दु पढ़ी, तो उन सब सूरतों में सज्दा सहूव वाजिब है। हां अलहम्दु के बाद सूरत पढ़ ली तो सज्दा सहूव वाजिब नहीं। यूंही फ़र्ज़ की पिछली रकअ़तों में सूरत मिलाई तो सज्दा वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसला:- तादीले अरकान (यानी रुकूअ व सुजूद और कौमा व जलसा में कम अज़ कम एक बार सुबहानल्लाह कहने की मिक्दार ठहरना) भूल गई तो सज्दा सहूव वाजिब है। (आलमगीरी)

मसला:- क़ाअदा अखीरा भूल गई तो जब तक उस रकअत का सज्दा न किया हो लौट आये और सज्दा सहूव करे और अगर उस रकअत का सज्दा कर लिया तो सज्दे से सर उठाते ही वह फ़र्ज़ नफ़िल हो गया। लेहाज़ा अगर चाहे तो मग़रिब के अलावा और नमाज़ों में एक रकअत और मिला ले ताकि रकअतें २ हो जाएं तनहा रकअत न रहे अगरचे वह फ़ज्र या अस्र की नमाज़ हो मग़रिब में और न

मिलाए कि चार पूरी हो गयीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला :– फ़र्ज़ नमाज़ में पहला क़ाअ़दा भूल गई तो जब तक सीधी खड़ी न हुई हो लौट आए और सज्दा सहूव नहीं। और अगर सीधी खड़ी हो गई तो न लौटे और आख़िर में सज्दा सहूव करे और सीधी खड़ी होकर लौट आई तब भी खड़ी हो जाए और बाद में सज्दा सहूव करले (दुर्रे मुख़्तार)

मसला :– नफ़िल का हर क़ाअ़दा, क़ाअ़दाए अख़ीरा है यानी फ़र्ज़ है अगर क़ाअ़दा न किया और भूल कर खड़ी हो गई तो जब तक उस रकअ़त का सज्दा न किया हो लौट आये और सज्दा सहूव करे और वाजिब नमाज़, फ़र्ज़ के हुक्म में है। लेहाज़ा वित्र का पहला क़ाअ़दा भूल जाए तो वही हुक्म है जो फ़र्ज़ के क़ाअ़दा ऊला भूल जाने का है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला :– अत्तहियात पढ़ने की मिक़्दार क़ाअ़दा अख़ीरा कर चुकी थी और खड़ी हो गई तो जब तक उस रकअ़त का सज्दा सहूव न किया हो लौट आए और सज्दा सहूव करके सलाम फेर दे। उस हालत में सज्दा सहूव से पहले अत्तहियात न पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला :– क़ाअ़दा ऊला में अत्तहियात के बाद इतना पढ़ा अल्लाहुम्म सल्ले अ़ला मुहम्मद तो सज्दा सहूव वाजिब है इस वजह से नहीं कि पढ़ा बल्कि इस वजह से कि तीसरी रकअ़त के क़याम में देर लगी, तो अगर इतनी देर तक ख़ामोश रहती तब भी सज्दा सहूव वाजिब है जैसे क़ाअ़दा व रुकूअ़ व सजूद में कुरआन पढ़ने से सज्दा सहूव वाजिब है हालांकि वह कलामे इलाही है। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

मसला :– दुआए कुनूत या वह तक्बीर भूल गई जो दुआए कुनूत

पढ़ने के लिए, पढ़ी जाती है तो सज्दा सहूव वाजिब है।(आलमगीरी)

मसला :- जिस पर सज्दा सहूव वाजिब था उसे यह याद न रहा कि सज्दा सहूव करना है और नमाज़ ख़त्म करने के लिए सलाम फेर दिया तो अभी नमाज़ से बाहर न हुई लेहाज़ा जब तक कोई ऐसा काम जो नमाज़ फ़ासिद कर देता है, न किया हो उसे हुक्म है कि सज्दा सहूव करे और फिर अपनी नमाज़ पूरी करे। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला :- जिसको नमाज़ में तादाद रकअ़त में शक हो मसलन यह शक कि तीन हुई या चार, और यह बालिग़ होने के बाद पहला वाक़िआ है तो यह नमाज़ तोड़ दे और नये सिरे से पढ़े और अगर यह शक पहली बार नहीं बल्कि पेश्तर से हो चुका हो तो ग़ालिब गुमान किसी तरफ हो यानी एक तरफ ज़्यादा दिल जमता है तो उसी पर अमल करे, और अगर दिल किसी तरफ नहीं जमता तो कम की जानिब इख़्तियार करे मसलन तीन और चार में शक है तो तीन क़रार दे। दो और तीन में शक हो तो दो। और तीसरी और चौथी दोनों में क़ाअ़दा करे कि एहतमाल है यह तीसरी न हो चौथी हो, और चौथी में क़ाअ़दा के बाद सज्दा सहूव करके सलाम फेरदे और गुमान ग़ालिब की सूरत में सज्दा सहूव नहीं मगर सोचने में एक रुक्न की मिक़्दार वक़्फ़ा हो गया तो सज्दा सहूव वाजिब होगया। (हिदाया वग़ैरह)

मसला :- वित्र की नमाज़ में शक हुआ कि दूसरी है या तीसरी। तो आख़िरी रकअ़त में दुआए कुनूत पढ़ कर क़ाअ़दा के बाद एक रकअ़त और पढ़े और उसमें भी दुआए कुनूत पढ़े और सज्दा सहूव करे। (आलमगीरी)

मसला :- नमाज़ पूरी करने के बाद शक हुआ तो उसका कुछ एतबार नहीं और नमाज़ के बाद यकीन है कि कोई फ़र्ज़ रह गया मगर उसमें शक है कि वह क्या है तो फिर से पढ़ना फ़र्ज़ है। (रद्दुलमुहतार)

मसला :- यह शक वाके हुआ कि उस वक़्त की नमाज़ पढ़ी या नहीं अगर वक़्त बाकी है फिर पढ़ ले वरना नहीं। (आलमगीरी)

बीमार की नमाज़ का बयान

बीमारी की वजह से जो शख्स खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की ताकत नहीं रखता कि खड़े होकर पढ़ने से नुक्सान पहुंचने या बीमारी के बढ़ जाने या देर में अच्छे होने का वाकई खतरा है या चक्कर आता है या खड़े होकर नमाज़ पढ़ने से बहुत शदीद दर्द, जो बर्दाश्त से बाहर हो, पैदा हो जाएगा तो इन सब सूरतों में शरीअ़त ने इजाज़त दी कि आदमी बैढ कर रूकूअ़ व सजूद के साथ नमाज़ पढ़े और बैठकर नमाज़ पढ़ने में किसी खास तरीक़ा पर बैठना ज़रूरी नहीं बल्कि बीमार को जिस तरह असानी हो उस तरह बैठे। (दुर्रे मुख्तार आलमगीरी)

मसला :- सहारे के बग़ैर नमाज़ नहीं पढ़ सकती तो तकिया या दीवार वग़ैरह पर टेक लगाकर नमाज़ पढ़े यह भी न हो सके तो लेटकर नमाज़ पढ़े और रूकूअ़ सजूद के लिए इशारा करे। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला :- लेट कर नमाज़ पढ़ने में उसे अख्तियार है कि दाहिनी या बायें करवट पर लेट कर क़िबला रुख मुंह करे या चित लेटकर क़िबला को पांव न फैलाए कि क़िबला का पांव फैलाना मकरूह और

मना है बल्कि घुटने खड़े रखे और सिर के नीचे तकिया वग़ैरह रखकर ऊंचा करले कि मुंह किबला रुख़ हो जाये और यही सूरत ज़्यादा बेहतर है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला :– इशारा की सूरत में सज्दा का इशारा रुकूअ़ के इशारे से पस्त होना ज़रूरी है। मगर यह ज़रूरी नहीं कि सिर को बिल्कुल ज़मीन से करीब करदे हां सज्दा के लिए तकिया वग़ैरह कोई चीज़ पेशानी के करीब उठा कर उस पर सज्दा करना मक्रूह तहरीमी व गुनाह है।अगरचे वह चीज़ दूसरे ने उठाई हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला :– ऐसा बीमार जो रुकूअ़ में पीठ झुका सकता है और कोई सख़्त चीज़ ज़मीन पर रख दी जाए तो उस पर वह सज्दा भी कर सकता है तो उस पर फ़र्ज़ है कि उसी तरह सज्दा करे इशारा जायज़ नहीं। बशर्ते कि वह चीज़ बारह अंगुल से ज़्यादा ऊंची न हो। (रद्दुलमुहतार)

मसला :– पेशानी पर ज़ख़्म है कि सज्दे के लिए माथा नहीं लगा सक्ती तो नाक पर सज्दा करे और अगर ऐसा न किया तो नमाज़ न हुई। (आलमगीरी)

मसला :– अगर इतनी बीमार है कि सर से इशारा भी नहीं कर सक्ती तो उस वक़्त पढ़ना माफ़ है। फिर अगर छः(६) नमाज़ों का वक़्त उसी हालत में गुज़र गया तो उनकी क़ज़ा भी नहीं और फ़िदया की भी हाजत नहीं। वरना जब तन्दुरुस्त हो जाए तो उन नमाज़ों की क़ज़ा लाज़िम है जैसे भी बन पड़े। अगरचे इतनी ही सेहत हो कि सर के इशारा से पढ़ सके। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला :– बीमारी की वजह से ऐसी हालत हो जाए कि रुकूअ़ और सजूद की तादाद याद नहीं रख सकती तो उसपर उस वक़्त अदा

करना ज़रूरी नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला :– मरीज़ अगर किबला की तरफ अपने आप मुंह न कर सकता हो न दूसरे के ज़रिया से तो वैसे ही पढ़ ले और सेहत के बाद उसका इआदा नहीं और अगर कोई शख़्स मौजूद है कि उसके कहने से किबला रू कर देगा मगर उसने उससे न कहा तो न हुई, इशारा से जो नमाज़ें पढ़ी हैं सेहत के बाद उनका भी इआदा नहीं यूं ही अगर ज़बान बन्द हो गई और गूंगे की तरह नमाज़ पढ़ी फिर ज़बान खुल गई तो उन नमाज़ों का इआदा नहीं। (रददुलमुहतार)

मसला :– अगर यह हालत हो कि रोज़ा रखती है तो खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकती और अगर रोज़ा न रखे तो खड़े होकर नमाज़ अदा कर सकती है तो हुक्म है कि रोज़ा रखे और नमाज़ें बैठ कर पढ़े। (आलमगीरी)

मसला :– बीमारी में नमाज़ें कज़ा हो गयीं। अब अच्छी हो गई तो उन्हें पढ़ना चाहती है तो वैसे ही पढ़े जैसे तन्दुरुस्ती में पढ़ती थी। अब बैठ कर इशारा से पढ़ेगी तो नमाज़ न होगी और सेहत की हालत में कज़ा हुयीं बीमारी में उन्हें पढ़ना चाहती है तो जिस तरह पढ़ सकती है पढ़े। नमाज़ हो जाएगी। सेहत की सी पढ़ना वाजिब नहीं (आलमगीरी)

मसला :– आंख बनवाई और मुसलमान माहिरे इमराज़, डा० ने (खुदा और रसूल के अहकाम को जानता और उनका एहतराम करता है) लेटे रहने का हुक्म दिया तो शरअ़न भी इजाज़त है कि लेट कर इशारे से नमाज़ें पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

ज़रूरी हिदायत :– शरीअ़त मुतह्हरा ने बाज़ नादिर सूरतों के अलावा किसी हालत में नमाज़ माफ नहीं की बल्कि हुक्म दिया कि

जिस तरह मुमकिन हो पढ़े। आजकल अमूमन यह देखा जाता है कि ज़रा बुख़ार तेज़ हुआ, शिद्दत का दर्द हुआ नमाज़ छोड़ दी। यहां तक नौबत पहुंच गई कि दर्दे सर और ज़ुकाम में नमाज़ें छोड़ बैठती हैं। ऐसी औरतें ख़्वाह मर्द, उन्हीं वईदों और सज़ाओं के मुस्तहिक़ हैं जो बे नमाज़ियों के हक़ में वारिद हुई हैं। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। आमीन०

सज्दए तिलावत का बयान

हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इरशाद फ़रमाते हैं इब्ने आदम आयते सज्दा पढ़ कर सज्दा करता है शैतान हट जाता है और रो-रो कर कहता है। हाए मेरी बरबादी ! इब्ने आदम को सज्दा का हुक्म हुआ उसने सज्दा किया उसके लिए जन्नत है और मुझे हुक्म हुआ मैंने इंकार किया मेरे लिए दोज़ख है। (मुस्लिम शरीफ़)

मसला :- कुरआन करीम में चौदह आयतें ऐसी हैं जिन में से कोई एक आयत पढ़ने या सुनने से सज्दा वाजिब हो जाता है। बशर्ते कि इतनी आवाज़ से पढ़ा हो कि अगर कोई उज़्र न हो तो वह ख़ुद सुन सके। लेहाज़ा अगर इतनी आवाज़ से आयते सज्दा पढ़े (बल्कि वह लफ़्ज़ जिस में सज्दा के हुरूफ़ पाए जाते हैं उसके साथ उसने पहले या बाद का कोई लफ़्ज़ मिलाकर पढ़ा) कि अपनी आवाज़ ख़ुद सुन सकती थी मगर शोर व गुल या बहरे होने की वजह से न सुन सकी तो सज्दा वाजिब हो गया और अगर महज़ होंट हिले आवाज़ पैदा न हुई तो सज्दा वाजिब न हुआ और न यह पढ़ना कोई पढ़ना हुआ। (आलमगीरी)

मसला :- आयते सज्दा सुनने वाले के लिए यह ज़रूरी नहीं कि

उसने कस्द व इरादे से आयते सज्दा सुनी हो। बिला कस्द सुनने से भी सज्दा वाजिब हो जाता है। (रद्दुलमुहतार)

मसला :- आयते सज्दा के हिज्जे करने कराने या हिज्जे सुनने से सज्दा वाजिब नहीं होता यूंही आयत लिखने या उसकी तरफ नज़र करने से भी सज्दा वाजिब नहीं होता। (आलमगीरी)

मसला :- सज्दा तिलावत के लिए तकबीरे तहरीमा के सिवा तमाम वह शरायत हैं जो नमाज़ के लिए हैं और जो चीज़ें नमाज़ को फ़ासिद करती हैं उनसे सज्दा भी फ़ासिद हो जाएगा। मसलन कलाम सलाम वग़ैरह। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला :- सज्दा का मसनून तरीक़ा यह है कि सज्दा तिलावत की नीयत से खड़ी हो और अल्लाहु अक्बर कहती हुई सज्दे में जाए और कम अज़ कम तीन बार सुबहान रब्बियल आला कहे फिर अल्लाहु अक्बर कहती हुई खड़ी हो जाए और बैठ कर सज्दा करे तब भी जायज़ है मगर सज्दा से पहले और पीछे तक्बीर छोड़नी न चाहिए।

मसला :- सज्दए तिलावत के लिए अल्लाहु अक्बर कहते वक़्त न हाथ उठाना है न उसमें तशह्हुद है न सलाम। (तनवीरुल अबसार)

मसला :- आयते सज्दा नमाज़ के बाहर पढ़ी तो फ़ौरन सज्दा कर लेना वाजिब नहीं हां बेहतर है कि फ़ौरन करे और वुज़ू हो तो ताख़ीर मकरूह तंज़ीही है और उस वक़्त अगर किसी वजह से सज्दा न कर सके तो तिलावत करने वाली और सुनने वाली को यह कह देना मुस्तहब है।

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ. (ردالمحتار)

मसला :- एक मजलिस में सज्दा की एक आयत को बार-बार

पढ़ा या सुना। तो एक ही सज्दा वाजिब होगा। और एक मजलिस में सज्दा की चन्द आयतें पढ़े तो इतने ही सज्दे करे एक सज्दा काफ़ी नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला :- जो चीज़ें नमाज़ को फ़ासिद कर देती हैं उन से भी सज्दा फ़ासिद हो जाएगा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला :- आयते सज्दा पढ़ने वाले पर उस वक़्त सज्दा वाजिब होता है कि वह बे वुज़ू नमाज़ का अहल हो यानी अदा या क़ज़ा का उसे हुक्म हो लेहाज़ा नाबालिग लड़के या लड़की ने या हैज़ व निफ़ास वाली औरत ने आयते सज्दा पढ़ी तो उन पर सज्दा वाजिब नहीं (अगरचे हैज़ व निफ़ास वाली औरत को कुरआन मजीद पढ़ना, देखकर ख़्वाह ज़बानी, हराम है) हां मुसलमान आक़िल बालिग़ ने जो अहले नमाज़ है उनसे सुनी तो उस पर वाजिब हो गया बे वुज़ू या जुन्ब ने आयते सज्दा पढ़ी या सुनी तो सज्दा वाजिब है।

नशे वाली ने आयत पढ़ी या सुनी तो सज्दा वाजिब है।

यूंही नशा वाले ने या सुनने वाले ने आयत पढ़ी तो सुनने वाले पर सज्दा वाजिब होगया। (आलमगीरी)

मसला :- औरत ने नमाज़ में आयते सज्दा पढ़ी और सज्दा न किया था कि हैज़ आ गया तो वह नमाज़ भी माफ़ और सज्दा भी साक़ित। (आलमगीरी)

मसला :- आयते सज्दा पढ़ी मगर काम में मशग़ूली के सबब न सुनी तो सज्दा वाजिब नहीं मगर बहुत से उलमा कहते हैं कि अगरचे न सुनी हो, सज्दा वाजिब हो गया। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

लेहाज़ा कर लेना चाहिए कि तिलावत के वक़्त काम में मशग़ूल रहना उसका कुसूर है।

मसला :- पूरी सूरत पढ़ना और आयते सज्दा छोड़ देना मकरूह तहरीमी है और गुनाह है और सिर्फ आयते सज्दा पढ़ने में कराहत नहीं मगर बेहतर यह है कि दो-एक आयत पहले या बाद की मिला ले। (दुर्रे मुख़्तार)

फ़ायदा :- जिस मकसद के लिए एक मजलिस में सज्दा की सब आयतें पढ़कर सब सज्दे करे और आजिज़ी व तवज्जोह से दिल लगाकर दुआ मांगे अल्लाह अज़्ज़ोजल उसका मकसद पूरा फरमा देगा ख़्वाह वह एक-एक आयत पढ़ कर उसका सज्दा करता जाए या सब आयतें पढ़कर आख़िर में सब सज्दे करे। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

सजदए शुक्र के बाज़ मवाक़े

दीनी या दुनियावी किसी नेमत के हासिल होने पर मसलन औलाद हुई या माल जायज़ पाया गुम हुई चीज़ मिल गई या मरीज़ ने शिफ़ा पाई या मुसाफ़िर वापस आया ग़र्ज़ किसी तरह ख़ुशी व नेमत पर सज्दा शुक्र अदा करना मुस्तहब और कारे सवाब है और उसका तरीका वही है जो सज्दए तिलावत का है। (आलमगीरी)

नमाज़ मुसाफ़िर का बयान

मर्द ख़्वाह औरत अपने शहर या बस्ती से दूर कहीं और किसी दीनी या दुनियावी काम से जाये तो रोज़ मर्रा की बोल चाल में उसे सफ़र कहते हैं। लेकिन शरीअ़त में दस बीस मील जाने वाले को नहीं माना जाता। यानी उस के लिए सफर के अहकाम साबित नहीं होते बल्कि उसके लिए तमाम अहकाम मसलन रोज़ा नमाज़ उसी तरह अदा करना लाज़िम है जैसे अपने वतन अपनी बस्ती में। शरीअ़त

की रू से मुसाफिर वह शख़्स है जो तीन दिन या (तीन मंज़िल) की राह तक जाने के लिए अपनी बस्ती से निकल गया ख़ुशकी में मुरव्वजा मील के हिसाब से एक मंज़िल की मिक़दार १९ मील एक फ़रलांग है। और तीन मंज़िल की मिक़दार ५७-३/८ मील या ५७ मील तीन फ़रलांग है। (दुर्रे मुख़्तार फ़तावा रिज़विया)

मसला :- तीन दिन की राह यानी तीन मंज़िल को तेज़ सवारी मसलन मोटरकार, रेल गाड़ी या हवाई जहाज़ वग़ैरह पर दो एक दिन या और कम मसलन चन्द घंटों में तै कर लिया तो आदमी मुसाफिर ही है और मुसाफिर के अहकाम इसके लिए साबित हैं। (रद्दुलमुहतार)

मसला :- स्टेशन जहां आबादी से बाहर हों तो स्टेशन पर पहुंचने से मुसाफिर हो जाएगी जबकि सफर की मुसाफ़ात जाने का इरादा हो। (बहारे शरीअ़त)

मसला :- सफर के अहकाम साबित होने के लिए भी ज़रूरी है कि जहां से चली वहां से तीन दिन की राह (तक़रीबन ५७-१/२ मील) का इरादा हो, और अगर दो दिन की राह के इरादे से निकली वहां पहुंच कर दूसरी जगह का इरादा हुआ कि वह भी तीन दिन से कम का रास्ता है। या यूं इरादा किया कि मसलन दो दिन की राह पर पहुंच कर कुछ काम करना है वह करके फिर एक दिन की राह पर जाऊंगी तो यह तीन दिन की राह का इरादा न हुआ और यह शरअ़न मुसाफिर न हुई। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला :- मुसाफिर पर वाजिब है कि नमाज़ में क़स्र करे यानी चार रकअ़त वाले फ़र्ज़ को दो पढ़े। उसके हक़ में दो ही रकअ़तें पूरी नमाज़ है और जान बूझकर चार पढ़े और दो रकअ़त पर क़ाअ़दा

कर लिया तो फ़र्ज़ अदा हो गयी। और पिछली दो रकअतें नफ़िल हुईं। मगर गुनाहगार हुई कि वाजिब छोड़ दिया। लेहाज़ा तौबा करे और दो रकअत पर कअदा न किया तो फ़र्ज़ अदा न हुए और नमाज़ नफ़िल हो गई। लेहाज़ा फ़र्ज़ फिर पढ़े। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला :- सुन्नतों में कस्र नहीं बल्कि पूरी पढ़ी जायेंगी। हां अगर आदमी घबराहट या जल्दी में है तो माफ़ है। लेकिन सुबह की सुन्नतें जहां तक बने पढ़ ले कि अज़ीम सवाब पाएगी। (आलमगीरी)

मसला :- फ़ज्र व मग़रिब और वित्र की नमाज़ में कस्र नहीं बल्कि जैसे हमेशा पढ़ती है सफर में भी पूरी पढ़े। (आमए कुतुब)

मसला :- मुसाफ़िर उस वक़्त तक मुसाफ़िर है जब तक अपनी बस्ती में वापस न पहुंच जाये या अपने शहर व बस्ती से दूर पूरे पंद्रह दिन ठहरने की नीयत न कर ले। यह उस वक़्त है जब तीन दिन की राह तै कर चुकी हो। और अगर तीन मंज़िल से पहले ही वापसी का इरादा कर लिया तो मुसाफ़िर न रहा। (आलमगीरी)

मसला :- किसी आबादी या बस्ती में इक़ामत की नीयत की यानी पंद्रह दिन वहां ठहरने का पुख़्ता इरादा कर लिया मसलन एक जगह दस दिन और दूसरी जगह पांच दिन तो यह नीयत मुतअबर नहीं। वह बदस्तूर मुसाफ़िर है। (आलमगीरी)

मसला :- नमाज़े कस्र और पूरी पढ़ने में आख़िर वक़्त का एतबार है जबकि पढ़ न चुकी हो। फ़र्ज़ करो कि किसी ने नमाज़ न पढ़ी थी और वक़्त इतना बाक़ी रह गया है कि अल्लाहु अक्बर कह ले अब मुसाफ़िर हो गई यानी तीन मंज़िल के मुत्तसिल सफ़र की नीयत से बस्ती से बाहर हो गई तो कस्र करे। और मुसाफ़िर थी उस वक़्त इक़ामत यानी ठहरने की नीयत की तो चार

रकअत यानी पूरी नमाज़ पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला :- औरत ब्याह कर सुसराल गई और यहीं रहने-सहने लगी तो अब मेका उसका वतन असली न रहा। यानी अगर सुसराल तीन मंज़िल पर है वहां से मैके आई और पन्द्रह दिन ठहरने की नीयत न की तो नमाज़ क़स्र पढ़े। और अगर मैके रहना नहीं छोड़ा बल्कि सुसराल आरज़ी तौर पर गई थी (जैसा कि अमूमन शादी के शुरू दिनों में होता है कि लड़की सुसराल जाती है और फिर मैके आकर रहने-सहने लगती है।) तो मैके आते ही सफ़र ख़त्म हो गया। औरत मुक़ीम हो गई लेहाज़ा नमाज़ पूरी पढ़े। (बहारे शरीअत)

चन्द नफ़ीस फ़ायदे

१. सफ़र के लिए घर से निकले तो चलते वक़्त आयतल कुर्सी और कुल या अय्युहल काफ़िरून से कुलअऊज़ु बिरब्बिनासि तक तब्बत के सिवा पांच सूरतें सब मअ बिस्मिल्लाह पढ़े फिर आख़िर में एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले, रास्ता भर आराम से रहेगी। नेज़ उस वक़्त إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ (बिशक जिस ने तुझ पर कुरआन फ़र्ज़ किया तुझे वापसी की जगह की तरफ वापस करने वाला है) एक बार पढ़ ले बिलख़ैर वापस आएगी। اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ.

२. जिस मंज़िल पर उतरे वहां यह दुआ पढ़े हर नुक़्सान से बचेगी। (इलाही तु हमको बरकत वाली मंज़िल में उतार और तू बेहतर उतारने वाला है।)

बेहतर यह है कि वहां दो रकअत नमाज़ पढ़ ले।

३. जब किसी को रुख़सरत करें तो यह दुआ पढ़ें।

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ

(अल्लाह के सुपुर्द करता हूं तेरे दीन और तेरी अमानत को और तेरे अमल के ख़ात्मा को)

ज़रूरी तम्बीह :- औरत को बग़ैर महरम के तीन दिन या ज़्यादा की राह जाना, नाजायज़ है। बल्कि एक दिन की राह जाना भी। नाबालिग़ बच्चा के साथ भी सफ़र नहीं कर सकती। हमराही में बालिग़ महरम या शौहर का होना ज़रूरी है। (आलमगीरी) और महरम हमराह हो तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि ख़ुदा तरस हो। जिस मरहम को ख़ुदा व रसूल का ख़ौफ़ न हो और शरीअत के अहकाम का उसे पास व लिहाज़ न हो ऐसे महरम के साथ भी सफ़र पर जाना दुरुस्त नहीं। और तीन दिन से कम का सफ़र अगर किसी मर्द सालेह या बच्चे के साथ करे तो जायज़ है। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार)

मसला :- सफ़र हज जिस में क़दम-क़दम पर नेकियां ही नेकियां और मग़फ़िरत व बख़्शिश की दौलतों पर दौलतें नसीब होती हैं। उस मुबारक सफ़र में भी औरत को मक्का तक जाने में तीन दिन या ज़्यादा रास्ता हो तो उसके हमराह शौहर या महरम होना शर्त है ख़्वाह वह औरत जवान हो या बुढ़िया। महरम से मुराद वह मर्द है जिससे हमेशा के लिए उस औरत का निकहा हराम है ख़्वाह निसबत की वजह से हराम हो या दूध का रिश्ता से निकाह की हुरमत हो या सुसराली रिश्ता से हुरमत आई (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह) शौक़ ख़्वाह कितना ही गालिब़ क्यों न हो औरत अगर बग़ैर शौहर या महरम के हज को गई तो सख़्त गुनाहगार होगी। क़दम-क़दम पर गुनाह लिखा जाएगा। अगरचे फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। (फ़तावा रिज़विया, जोहरा)

बीमारी का बयान

बीमारी एक बहुत बड़ी नेमत है। उसके फ़ायदे बे शुमार हैं अगरचे आदमी को बज़ाहिर उससे तकलीफ़ पहुंचती है। मगर हक़ीक़तन उसकी बदौलत राहत व आराम का एक बड़ा ज़ख़ीरा हाथ आता है। यह ज़ाहिरी बीमारी जिसे आदमी बीमारी समझता है, हक़ीक़तन में रूहानी बीमारियों का एक बड़ा ज़बरदस्त इलाज है। हक़ीक़ी बीमारी, रूहानी बीमारियां हैं जिनसे हमेशा डरते रहना चाहिए और इन्हीं को मुहलिक बीमारी समझना चाहिए।

बहुत मोटी सी बात जिसे हर शख़्स समझ सकता है बल्कि जानता है कि कोई कितना ही खुदा व रसूल से ग़ाफ़िल हो मगर जब बीमार पड़ जाता है तो खुदा और रसूल का नाम लेता और तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है और यह तो बड़े रुत्बे वाली शान है कि तकलीफ़ का भी उसी तरह इस्तक़बाल करते हैं जैसे राहत व आराम का। मगर हम जैसे कम से कम इतना तो करें कि सब्र व इस्तक़लाल से काम लें और जज़ाअ व फ़ज़अ करके, रो पीट कर आते हुए सवाब को हाथ से न जाने दें और इतना तो हर शख़्स जानता है कि बेसब्री से आती हुई मुसीबत जाती नहीं, फिर उस बड़े सवाब से महरूमी दोहरी मुसीबत है। इस दुनिया में भी और आलमे आख़िरत में भी।

बहुत से नादान जिनमें मर्द भी हैं औरतें भी, बीमारी या किसी जिस्मानी तकलीफ़ में बहुत बे जा बातें बोल उठते हैं और ना ज़ेबा हरकतें करने लगते हैं बल्कि बाज़ औक़ात ज़बान से ऐसे कलिमात निकाल देते हैं जिनसे ईमान ही ख़तरे में पड़ जाता है और अंदेशा होता है कि कहीं यह बात कुफ़्र तक न पहुंच जाये। बल्कि अल्लाह

अपनी पनाह में रखे। अल्लाह अज़्ज़ोजल की तरफ़ जुल्म की निस्बत कर देते हैं ऐसे लोग तो बिल्कुल ही خسر الدنیا والآخرۃ मिस्दाक़ बन जाते हैं। मुसलमानों को चाहिए कि वह अपने प्यारे और बरगुज़ीदा रसूल की प्यारी-प्यारी हदीसें दिल लगाकर पूरी तवज्जोह से सुनें उन्हें याद रखें और उन पर अमल करें। अल्लाह अज़्ज़ोजल तौफ़ीक़ ख़ैर अता फ़रमाए। आमीन !

हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं :-

१. मुसलमानों को जो लकलीफ़ व मलामत और अज़ीयत व ग़म पहुंचता है यहां तक कि कांटा जो उसको चुभा या अल्लाह तआला उनके सबब उसके गुनाह मिटा देता है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

२. मुसलमान को जो अज़ीयत पहुंचाती है मर्ज़ हो या उसके सिवा कुछ और अल्लाह तआला उसके सबब उसकी बुराईयां गिरा देता है जैसे दरख़्त से पत्ते झड़ते हैं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

३. बुख़ार को बुरा न कहो कि वह आदमी की ख़ताओं को इस तरह दूर करता है जैसे आग की भट्टी लोहे के मैल को। (मुस्लिम शरीफ़)

४. जब मुसलमान किसी जिस्मानी तकलीफ़ में मुबतला होता है तो फ़रिश्ते को हुक्म होता है लिख जो काम पहले किया करता था। तो अगर अल्लाह उसे शिफ़ा देता है तो धो देता और पाक कर देता है और मौत देता है तो उसे बख़्श देता है और रहम फ़रमाता है। (शरह सुन्ना)

५. बन्दा के लिए इल्म इलाही में कोई मर्तबा मुकर्रर होता है और वह अपने आमाल के सबब उस रुतबा को पहुंच नहीं पाता तो अल्लाह तआला उसके बदन या माल या औलाद को बला व अज़ीयत

में डाल देता है फिर उसे सब्र अता फरमाता है यहां तक कि उसे उस मर्तबा तक पहुंचा देता है जो उसके लिए इल्मे इलाही में है। (अहमद व अबूदाऊद)

मसला:- रंज व मुसीबत से घबरा कर, दुनिया की तकलीफों और अज़ीयतों से बचने के लिए मौत की तमन्ना नाजायज़ है। ऐ अज़ीज़! वहां के लिए क्या जमा किया कि यहां से भागता है। अगर मौत की सख्ती से वाकिफ हो आरज़ू करे काश तमाम दुनिया की तकलीफ मुझ पर हो और चन्द रोज़ मौत से मोहलत मिले।

सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं, रंज के सबब से मौत की आरज़ू न करो। अगर नाचार हो जाओ तो कहो "खुदाया मुझे ज़िन्दा रख जब तक ज़िन्दगी मेरे हक में बेहतर है और मुझे वफ़ात दे जिस वक़्त मौत मेरे हक में बेहतर हो।"

हां जब दीन में फित्ना देखे और दीनी नुकसानात का खौफ हो तो अपने मरने की दुआ जायज़ है। हदीस में है "तुम में से कोई मौत की आरज़ू करे मगर जबकि एतमाद नेकी करने पर न रखता हो। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मरीज़ की अयादत को जाना सुन्नत है। इसकी भी बड़ी फ़ज़ीलत है। चन्द अहादीस दर्ज की जाती हैं।

१. जो मुसलमान किसी मुसलमान की अयादत (मिज़ाज पुर्सी) के लिए सुबह को जाए तो शाम तक उसके लिए सत्तर हज़ार फरिश्ते इस्तग़फार करते हैं और शाम को जाये तो सुबह तक सत्तर हज़ार फरिश्ते इस्तग़फ़ार करते हैं और उसके लिए जन्नत में एक बाग़ होगा। (तिर्मिज़ी)

२. जब तू मरीज़ के पास जाए तो उससे कह कि वह तेरे लिए

दुआ करे कि उसकी बीमार की दुआ फरिश्तों की दुआ की मानिन्द है। (इब्ने माजा)

३. बेहतरीन अयादत यह है कि आदमी मरीज़ के पास से जल्द उठ जाए। (बैहेकी)

४. जब मरीज़ के पास जाओ तो उम्र के बारे में दिल खुशकुन बात करो कि यह किसी चीज़ को रद्द न कर देगा और उसके जी को अच्छा मालूम होगा। (तिर्मिज़ी)

५. जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की अयादत को जाए तो सात बार यह दुआ पढ़े। और मौत नहीं आई है तो उसे शिफ़ा हो जाएगी। (अबूदाऊद)

أَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ

अल्लाह अज़ीम से सवाल करता हूं जो अर्शे करीम का मालिक है कि वह तुझे शिफ़ा दे।

मसला:– मरीज़ की अयादत करना सुन्नत है। हां अगर मालूम है कि अयादत को जाएगी तो उस बीमार पर गिरां गुज़रेगा। तो ऐसी हालत में न जाए और कोशिश करे कि उससे ताल्लुकात में जो तल्खी पैदा हो गई है वह खत्म हो जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मोमिन (यानी किसी मुसलमान मर्द व औरत) के लिए यह हलाल नहीं कि दूसरे मुलसमानों को तीन दिन से ज़्यादा छोड़ दे। अगर तीन दिन गुज़र गये मुलाकात करले और सलाम करे और दूसरे ने सलाम का जवाब दे दिया तो सवाब में दोनों शरीक हो गए। और अगर जवाब नहीं दिया तो गुनाह उसके ज़िम्मा है और यह शख्स छोड़ने के गुनाह से निकल गया। (अबूदाऊद) हां अगर उस जाने वाले में कोई ऐसी बुराई पाई जाती है जो शरअन

भी बुराई है और उसने उसी वजह से उससे कता ताल्लुक कर लिया है तो आदमी को खुदा व रसूल की रिज़ा जूई के लिए तौबा करना और उस बुराई से बचना चाहिए कि बन्दे भी खुश रहें और खुदा व रसूल भी राज़ी।

मसला:- अयादत को जाए और मर्ज़ की सख्ती को देखे तो मरीज़ के सामने यह ज़ाहिर न करे कि तुम्हारी हालत खराब है और न इस तरह सर हिलाए जिससे हालत का खराब होना समझा जाता है। मरीज़ के सामने तो ऐसी बातें करनी चाहियें जो उसके दिल को भी भली मालूम हों। उससे मिज़ाज पूछे और तसल्ली दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आदते करीमा यह थी कि जब किसी मरीज़ की अयादत को तशरीफ ले जाते तो ये फरमाते لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى यानी कोई घबराहट की बात नहीं। इन्शाअल्लाह तआला यह मर्ज़ गुनाहों से पाक करने वाला है।

बीमारियों का इलाज

मसला:- किसी बीमारी का इलाज करना ज़रूरी नहीं यानी अगर उसने इलाज न कराया और दवा दारू किये बग़ैर मर गई तो यह न कहा जाएगा कि वह गुनाहगार हुई। हां उसके मानी यह भी नहीं कि आदमी बीमारी का इलाज ही न कराए। इलाज कराए और एतकाद यह रखे कि शिफा देने वाला अल्लाह है उसी ने दवा को बीमारी मिटाने का सबब बना दिया है। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह तआला ने हर बीमारी के लिए दवा पैदा फ़रमाई है जब वह दवा बीमार को पहुंच जाएगी बीमार अल्लाह के हुक्म से अच्छा हो जाएगा। सिवा एक बीमारी के कि वह बुढ़ापा है। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:- इंसान के बदन के किसी हिस्से को दवा के तौर पर इस्तेमाल करना हराम है। (आलमगीरी) और हराम चीज़ों को दवा के तौर पर इस्तेमाल करना भी नाजायज़ है कि हदीस में इरशाद फ़रमाया जो चीज़ें हराम हैं उनमें अल्लाह ने शिफ़ा नहीं रखी है। (दुर्रेमुख़्तार रददुल मुहतार) अंग्रेजी दवायें बकसरत ऐसी हैं जिनमें स्प्रीट और शराब (अल्कोहल) की आमेज़िश होती है। ऐसी दवायें हरगिज़ इस्तेमाल न की जायें।

मसला:- शराब से ख़ारजी इलाज भी ना जायज़ है। मसलन ज़ख़्म में शराब लगाई या किसी जानवर को ज़ख़्म है उस पर शराब लगाई या बच्चा के इलाज में शराब इस्तेमाल की यह सब गुनाह की सूरतें हैं और उनमें गुनाहगार वह है जिसने इस्तेमाल कराया। (आलमगीरी) बच्चों की चाहत में, मां बाप बाज़ बीमारियों ख़ुसूसन निमुनियां में डाक्टर के कहने पर शराब इस्तेमाल करा देते हैं और यह समझते हैं कि वह बच्चा है। बेशक बच्चा गुनाहगार नहीं मगर तुम तो जान बुझ कर गुनाह कमा रहे हो।

मसला:- बाज़ औरतें बच्चों को अफ़्यून खिलाया करती हैं और उनकी ग़र्ज़ यह होती है कि उसके नशा में पड़ा रहेगा। परेशान नहीं करेगा और सारे काम इतमीनान से हो जायेंगे। यह भी नाजायज़ है। क्योंकि बच्चा को अफ़्यून अगरचे थोड़ी मिकदार में दी जाती है मगर वह इतनी ज़रूर होती है कि उसकी अक़्ल में फ़तूर आजाये। (बहारे शरीअत)

मसला:- ख़ुश्क चीज़ें जो नशा लाती हैं जैसे भंग अफ़्यून वग़ैरह यह नजिस नहीं हैं। लेहाज़ा लेप वग़ैरह में ख़ारजी तौर पर उन्हें इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं कि इस तरह के इस्तेमाल में नशा

नहीं पैदा होगा। फिर नाजायज़ क्यों हो। (बहारे शरीअत)

मसला:- इसकाते हमल (हमल गिराने) के लिए दवा इस्तेमाल करना या दाई से हमल साकित कराना मना है। बच्चा की सूरत बनी हो या न बनी हो दोनों का एक हुक्म है हां अगर कोई वाकई उज़्र हो मसलन औरत के दुध पीता बच्चा है और बाप के पास इतना पैसा नहीं कि दाया मुकर्रर करे या पैसा है मगर दाया दस्तयाब नहीं होती और हमल से दूध खुश्क हो जायेगा जिससे बच्चा के हलाक होने का अन्देशा है तो उस मजबूरी से हमल साकित किया जा सकता है बशर्ते कि उसके बदन के आज़ा हाथ पाँव नाक कान वग़ैरह न बने हों और उसकी मुद्दत एक सौ बीस दिन है यानी चार महीने। (दुर्रे मुख़्तार)। लेहाज़ा इससे पहले इस्कात जायज़ है

फ़ायदा:- १. किसी शख़्स को बीमारी या ऐसी हालत में देखे जिसे पसन्द नहीं किया जाता तो यह दुआ पढ़े।

इन्शाअल्लाह तआला उससे महफ़ूज़ रहेगा।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِیْ عَلٰی كَثِیْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِیْلًا ط

यानी अल्लाह का शुक्र जिसने मुझे इस बला से बचाया जिस में तुझे मुबतला किया और अपनी मख़लूक़ में बहुत सों पर मुझे फ़ज़ीलत दी।

फ़ायदा:- (२) जब कोई शख़्स ऐसी चीज़ देखे जो ना पसन्द है यानी बुरा शगुन पाए तो यह कहे।

اَللّٰھُمَّ لَا یَاْتِیْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا یَدْفَعُ السَّیِّاٰتِ اِلَّا اَنْتَ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ ط

इलाही तेरे सिवा न कोई भलाईयां लाता है और तेरे सिवा न कोई बुराईयां टालता है और बुराईयों से फिरना और नेकियों की कुव्वत नहीं मगर अल्लाह बरतर अज़ीम है।

मौत आने का बयान

हर शख्स की जितनी उम्र मुकर्रर है न उससे कुछ घटे न बढ़े। आदमी लाख जतन करे जब वह मुकर्ररह उम्र पूरी हो जाती है तो मलकुलमौत (मौत का फरिश्ता) यानी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए आते और उसकी जान निकाल लेते हैं उसी का नाम मौत है।

रूह कब्ज़ होने का वक़्त बहुत सख़्त वक्त है कि उसी पर तमाम आमाल का दारोमादार है और ईमान के तमाम नतीजे जो आख़िरत में ज़ाहिर होंगे उसी पर मुतरत्तिब होते हैं कि एतबार खात्मा ही का है और शैतान लईन ईमान लेने की फिक्र में है जिसे अल्लाह तआला उसके मकर से बचाए और ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए वही अपनी मुराद को पहुंचा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इरशाद फरमाते हैं जिस का आख़िर कलाम लाइला इल्लल्लाह यानी कलिमा तैयबा हो वह जन्नत में दाख़िल हुआ। अब इस बारे में मुख्तसर मसाइल सुनें।

जब मौत का वक़्त करीब आये और यह अलामतें पाई जायें यानी सांस उखड़ने और जल्दी जल्दी चलने लगे पाँव सुस्त हो जायें कि

खड़े न हो सकें। नाक टेढ़ी और मुंह की खाल सख़्त हो जाए और दोनों कंपटियां बैठ जायें तो सुन्नत यह है कि दाहिनी करवट पर लिटा कर क़िबला की तरफ उसका मुंह कर दें। और यह भी जायज़ है कि चित लिटायें और क़िबला को पांव करें कि यूं भी क़िबला को मुंह हो जायेगा मगर उस सूरत में सर को क़दरे ऊंचा रखें और क़िबला को मुंह करना दुशवार हो कि उसको तकलीफ होती हो तो जिस हालत पर है उस हालत पर छोड़ दें।

मसला:- जांकनी की हालत में जब तक रूह गले को न आई हो उसे तलक़ीन करें यानी उसके पास बुलंद आवाज़ से कलिमा तैयबा या कलिमा शहादत पढ़ें कि वह सुन कर पढ़े। मगर उससे यह न कहें कि कलिमा पढ़ो तुम्हें क्या मालूम वह किस तकलीफ और सख़्ती में है। मुबादा इसके मुंह से कोई ग़लत बात निकल जाये तो उम्र भर की कमाई मिट्टी में मिल जायेगी, तलकीन के वक़्त उसके पास नेक और परहेज़गार लोगों का होना बहुत अच्छी बात है और उस वक़्त वहां सूरः यासीन शरीफ की तिलावत और खुश्बू होना मुस्तहब है मसलन लुबान या अगरबत्तियां सुलगा दें। (आलमगीरी) और जब वह दोनों जुज़ कलिमा तैयबा के कह ले तो उससे दोबारा कहने का इसरार न करें कि कहीं उकता न जाये। हां अगर कलिमा पढ़ने के बाद कोई और बात उसने की तो फिर तलकीन करें कि उसका आखिरी कलाम लाइलाह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो कि लाइलाह इल्लल्लाह बे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मक़बूल नहीं। (हुलिया वग़ैरह)

मसला:- मौत के वक़्त हैज़ व निफ़ास वाली औरतें उसके पास हाज़िर हो सकती हैं। (आलमगीरी) मगर जिसका हैज़ व निफ़ास ख़त्म

हो गया और गुस्ल नहीं किया उसे और जुनुब को न आना चाहिए कोशिश करें कि मकान में कोई तस्वीर और कुत्ता न हो कि जहां यह होते हैं रहमत के फरिश्ते नहीं आते। नज़अ के वक़्त अपने और उसके लिए दुआए ख़ैर करते रहें। कोई बुरा कलिमा ज़ुबान से न निकालें कि उस वक़्त जो कुछ कहा जाता है फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं नज़अ में सख़्ती देखें तो सूर: यासीन और सूर: रअद पढ़ें। (बहारे शरीअत)

मसला:- जब रूह निकल जाये तो एक चौड़ी पट्टी जबड़े के नीचे से सर पर ले जाकर गिरह दे दें कि मुंह खुला न रहे और आंखें बन्द कर दी जायें और उंगलियां और हाथ पांव सीधे कर दिए जायें यह काम इसके घर वालों में जो ज़्यादा नर्मी के साथ कर सकता है बाप या बेटा वह करे। (जोहरा नैयरा) और उसके पेट पर लोहा या गीली मिट्टी या और कोई भारी चीज़ रख दें कि पेट फूल न जाए। (आलमगीरी) मगर ज़रूरत से ज़्यादा वज़नी न हो कि बाइसे तकलीफ़ है। (दुर्रे मुख़्तार) मैयत के सारे बदन को किसी कपड़े से छुपा दें और ज़मीन की सील से बचायें। (आलमगीरी)

मसला:- आंखें बन्द करते वक़्त यह दुआ पढ़ें-

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ اَمْرَهٗ وَسَهِّلْ
عَلَيْهِ مَا بَعْدَهٗ وَاَسْعِدْهُ بِلِقَائِكَ وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ اِلَيْهِ خَيْرًا مِّمَّا
خَرَجَ عَنْهُ ط

अल्लाह के नाम के साथ और रसूलुल्लाह की मिल्लत पर ऐ अल्लाह तू इसके काम को इस पर आसान कर और उसके माबाद को उस पर सहल कर और अपनी मुलाकात से तू उसे नेक बख़्त कर और जिसकी तरफ निकला (आख़िरत) इसे उससे बेहतर कर जिससे निकला (दुनिया)

मसला:– उसके ज़िम्मा कर्ज़ या किसी माली मुतालबा हो जल्द से जल्द अदा करें कि हदीस शरीफ़ में है मैयत अपने दैन में गिरफ्तार रहती है और एक रिवायत में है कि उसकी रूह मुअल्लक रहती है। जब तक दैन अदा न कर दिया जाये। (रददुलमुहतार)

मसला:– मैयत के पास तिलावत कुरआन मजीद जायज़ है। जब कि उसका तमाम बदन कपड़े से छुपा हो और तस्बीह व दीगर अज़कार में मुतलक़न कोई हर्ज नहीं। (रददुलमुहतार)

मसला:– नागहानी मौत से कोई मरा तो जब तक मौत का यकीन न हो तजहीज़ व तकफ़ीन (कफन-दफन वग़ैरह) मुलतवी रखें। (आलमगीरी) हो सकता है कि यह सक्ता हो जो तूल पकड़ गया।

मसला:– औरत मर गई और उसके पेट में बच्चा हरकत कर रहा है तो बायें जानिब से पेट चाक कर के बच्चा निकाला जाए और अगर औरत ज़िन्दा है और उसके पेट में बच्चा मर गया और औरत की जान पर बनी हो तो बच्चा काट कर निकाला जाए और बच्चा भी ज़िन्दा हो तो कैसी ही तकलीफ़ हो बच्चा काट कर निकालना जायज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मालर:– पड़ौसियों और उसके दोस्त अहबाब को मौत की इत्तिला दे कि नमाज़ियों की कसरत होगी मैयत के लिए दुआ करेंगे कि उन पर हक़ है कि उसकी नमाज़ पढ़ें और दुआ करें। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:– मैयत के पास ज़मीन पर बैठना अफ़ज़ल है और चार पाई तख़्त कुर्सी वग़ैरह पर बैठे तो उसकी मुमानीअत भी नहीं। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:– जिस घर में मौत हो जाये वहां चुल्हा जलाना खाना पकाना, शरअन मना नहीं है। न उसमें कोई गुनाह है। हां चूंकि मौत की परेशानी के सबब वह लोग पकाते नहीं। इसलिए यह सुन्नत है कि पहले दिन सिर्फ घर वालों के लिए खाना भेजा जाए और उन्हें बा इसरार खिलाया जाए न दूसरे दिन भेजें न घर से ज़्यादा आदमियों के लिए भेंजे, न और लोग उसमें से खायें। (फ़तावा रिज़विया)

मैय्यत का गुस्ल व कफ़न

मसला:– मैय्यत को नहलाना फ़र्ज़ किफ़ाया है। बाज़ लोगों ने गुस्ल दे दिया तो सबसे साक़ित हो गया। (आलमगीरी)

मसला:– जहां मौत हुई अगर वहां उसके सिवा कोई और भी नहलाने वाले हों तो नहलाने पर उजरत ले सकती है मगर अफ़ज़ल यह है कि न ले और अगर दूसरी नहलाने वाली न हो तो उजरत लेना जायज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसला:– मैय्यत को नहलाने का तरीक़ा यह है कि जिस तख़्त या तख़्ते पर नहलाने का इरादा हो उसको तीन या पांच या सात बार धुनी दें यानी जिस चीज़ में वह खुशबू सुलगती है उसे इनती बार तख़्त या तख़्ते के गिर्द फिरायें और उस पर मैय्यत को लिटा कर नाफ़ से घुटनों तक किसी कपड़े से छुपा दें। फिर नहलाने वाली हाथ पर कपड़ा लपेट कर पहले इस्तिंजा कराए फिर नमाज़ का सा वुज़ू कराए यानी पहले मुंह धोए फिर कुहनियों समेत हाथ

धोए। फिर सर का मसह करे फिर पांव धोए मगर मैय्यत के वुज़ू में पहले गट्टों तक हाथ धोना और कुल्ली करना और नाक में पानी डालना नहीं है। कोई कपड़ा या रूई की फुरैरी भिगोकर दांतों और मसूड़ों और होटों और नथनों पर फेर दें फिर सर को गुले खैरू से धोएं। यह न हो तो पाक साबुन, इस्लामी कारखाने का बना हुआ या बेसन या किसी और चीज़ से वरना खाली पानी ही काफ़ी है। फिर बायें करवट से लिटा कर पांव तक बेरी में गर्म किया हुआ वरना खालिस नीम गर्म (गुनगुना) पानी इस तरह बहायें कि तख़्ते तक पहुंच जाए फिर दाहिनी करवट लेटा कर यूं ही करें फिर टेक लगा कर बैठायें और नर्मी के साथ नीचे को हाथ फेरें अगर कुछ निकले धो डालें। फिर से वुज़ू व गुस्ल न दें। फिर आख़िर में सर से पांव तक काफूर का पानी बहायें फिर उसके बदन को किसी कपड़े से आहिस्ता से पोंछ दें। (आमए कुतुब)

मसला:- एक मर्तबा सारे बदन पर पानी बहाना फ़र्ज़ है और तीन मर्तबा सुन्नत है। जहां गुस्ल दे मुसतहब यह है कि पर्दा कर लें नहलाने वाली और मददगार औरतों के सिवा दूसरा कोई न देखें। नहाते वक़्त इस तरह लिटायें जैसे क़ब्र में रखते हैं यानी मैय्यत को दाहिनी करवट पर लिटायें और उसका मुंह क़िबला को करें। यह न हो तो क़िबले की तरफ पांव करके या जो आसान हो। (आलमगीरी)

मसला:- नहलाने वाली बातहारत हो जुनुब या हैज़ वाली औरत ने गुस्ल दिया तो कराहत है। मगर गुस्ल हो जायेगा और अगर बे वुज़ू नहलाया तो कराहत भी नहीं। नहलाने वाली औरत ऐसी हो कि अच्छी तरह गुस्ल दे। और अच्छी बात देखे मसलन चेहरा चमक उठा, या मैय्यत के जिस्म से खुशबू आई तो उसे दूसरी औरतों के

सामने बयान करे और कोई बुरी बात देखे तो किसी से न कहे। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:- औरत मर जाए तो उसका शोहर न नहला सकता है न छू सकता है और देखने की मुमानिअत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार) और अवाम में जो यह मशहूर है कि शोहर, औरत के जनाज़े को कंधा दे सकता है न क़ब्र में उतार सकता है न मुंह देख सकता है यह महज़ ग़लत है सिर्फ़ नहलाना या उसके बदन को हाथ लगाना मना है जनाज़े को महज़ अजनबी हाथ लगाते कंधों पर उठाते और क़ब्र तक ले जाते हैं शोहर ने क्या कुसूर किया है। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:- जुनुब या हैज़ व निफ़ास वाली औरत को इंतकाल हुआ तो एक ही गुस्ल काफी है कि गुस्ल वाजिब होने के कितने ही असबाब हों सब एक ही गुस्ल से अदा हो जाते हैं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- मैय्यत का बदन अगर ऐसा हो गया हो कि हाथ लगाने से खाल उधड़ेगी तो हाथ न लगायें सिर्फ़ पानी बहा दें। (आलमगीरी)

मसला:- नहलाने के बाद अगर नाक कान मुंह और दूसरे सुराख़ों में रूई रख दें तो हर्ज नहीं मगर बेहतर यह है कि न रखें। और मैय्यत के बालों में कंघा करना या नाख़ुन तराशना या किसी जगह के बाल मूंढना या कतरना या उखाड़ना नाजायज़ और मकरूह तहरीमी और गुनाह है और बल्कि हुक्म यह है कि जिस हालत में है उसी पर दफ़न कर दें और अगर नाख़ुन या बाल तराश लिये तो कफ़न में रखे दें। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- मैय्यत के दोनों हाथ करवटों में रखें सीने पर न रखें कि यह कुफ़्फ़ार का तरीक़ा है। बाज़ जगह नाफ़ के नीचे इस तरह रखते हैं जैसे नमाज़ के क़याम में यह भी न करें।

मसला:- मैय्यत के गुस्ल के लिए कोरे घड़े, लोटे की ज़रूरत नहीं। घर के इस्तेमाली घड़े लोटे से भी गुस्ल दे सकते हैं। और बाज़ जिहालत करते हैं कि गुस्ल के बाद उन्हें तोड़ डालते हैं यह नाजायज़ व हराम है कि माल को ज़ाया करना है और यह ख़्याल कि वह नजिस हो गए यह फ़ुज़ूल बात है जिस तरह जिन्दों के गुस्ल व वुज़ू की छींटें बर्तन को नजिस नहीं करती यूं मैय्यत की छीटें बर्तन पर पड़ जायें तो वह नजिस नहीं होना और फर्ज कर लो कि नजिस पानी की छींटें पड़ीं तो धो डालें धोने से पाक हो जायेंगे और अकसर जगह घड़े लोटे मस्जिदों में रख देते हैं अगर यह नीयत हो कि नमाज़ियों को आराम और उसका सवाब मुर्दे को पहुंचेगा तो अच्छी नीयत और अगर ख़्याल हो कि घर में रखना नहूसत है तो यह निरी हिमाक़त है और बाज़ लोग घड़े का पानी फेंक देते हैं यह भी हराम है। इसे काम में लायें। (बहारे शरीअत)

मसला:- मैय्यत को कफ़न देना फ़र्ज़ किफ़ाया है। (आमए कुतुब)

मसला:- मर्द के लिए सुन्नत तीन कपड़े हैं। लिफ़ाफ़ा, अज़ार, कमीज़ और औरत के लिए सुन्नत यह है कि उसे पांच कपड़ों का कफ़न दिया जाये। लिफ़ाफ़ा यानी चादर, अज़ार यानी तह बन्द कमीज़ जिसे कफ़नी कहते हैं। औढ़नी और सीना बन्द (आमए कुतुब) उनके सिवा कफ़नी में कोई तह बन्द या रूमाल रखना बिदअत व ममनूअ है।

मसला:- लिफ़ाफ़ा यानी चादर की मिक़दार यह है कि मैय्यत के क़द से इस क़द्र ज़्यादा हो कि दोनों तरफ बांध सकें। और अज़ार यानी तह बन्द चोटी से क़दम तक यानी लिफ़ाफ़े से इतनी छोटी जो बांधने के लिए ज़्यादा था। और क़मीज़ यानी कफ़नी गर्दन से

घुटनों के नीचे तक और यह आगे पीछे दोनों तरफ बराबर हों और जाहिलों में जो रिवाज है कि पीछे कम रखते हैं यह गलती है चाक और आस्तीन उसमें न हों और औरत के लिए कफ़नी सीना की तरफ चीरें और औढ़नी तीन हाथ यानि डेढ़ गज़ की होनी चाहिए। सीना बन्द पिस्तान से नाफ तक और बेहतर यह है कि रान तक हो। (आलमगीरी रददुलमुहतार वग़ैरह) सुर्मा कंघी अगर फ़क़ीर को बतौर सदक़ा दें तो कोई हरज नहीं और कफ़न में रखना हराम है। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:- कफ़न पहनाने का तरीक़ा यह है कि मैय्यत को गुस्ल देने के बाद, उसका बदन किसी पाक कपड़े से आहिस्तगी से पोंछ लें कि कफ़न तर न हो और कफ़न को एक या तीन या पांच बार या सात बार धुनी दे लें उससे ज़्यादा नहीं। फिर कफ़न यूं बिछाये कि पहले बड़ी चादर, फिर तह बन्द फिर कफ़नी। फिर मैय्यत को उस पर लिटायें और कफ़नी पहनाऐं और तमाम बदन पर खुशबू मलें और माथे नाक हाथ घुटने कदम पर-काफूर लगायें। कफ़नी पहना कर औरत के सर के बाल के दो हिस्से करके कफ़नी के ऊपर सीना पर डाल दें एक हिस्सा दायें जानिब और एक हिस्सा बायें तरफ, और औढ़नी, आधी पीठ के नीचे से बिछा कर, सर पर लायें और मुंह पर नकाब की तरह डाल दें कि सीना पर रहे कि उसकी लम्बाई, निस्फ़ पुश्त से सीना तक है और चौड़ाई एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक और यह जो बाज़ औरतें करती हैं कि ज़िन्दगी की तरह औढ़ाती हैं यह महज़ बेजा और खिलाफे सुन्नत है। फिर अज़ार यानी तहबन्द लपेटें। पहले बायें जानिब से फिर दायें जानिब से फिर लिफाफा लपेटें। पहले बायें तरफ से फिर दाहिनी तरफ से

ताकि दाहिना ऊपर रहे और सर और पांव की तरफ बांध दें ताकि उड़ने का अन्देशा न रहे। फिर सबके ऊपर सीना बन्द पिसतान के ऊपर से रान तक लाकर बांध दें। (आलमगीरी दुर्रे मुख्तार वग़ैरह)

मसला:- सुन्नत के मुताबिक कफ़न का इन्तज़ाम न हो सके तो औरत के लिए, लिफाफा, अज़ार, औढ़नी, या लिफाफा कमीज़ औढ़नी तीन ही कपड़े काफी हैं और यह भी न हो सके तो जो मयस्सर आ जाए और कम अज़ कम इतना तो हो कि सारा बदन ढक जाए। (आलमगीरी) और बिला ज़रूरत औरत को तीन कपड़ों से कम में कफ़न देना नाजायज़ व मकरूह है। (आमलगीरी)

मसला:- कफ़न अच्छा होना चाहिए यानी औरत जैसे कपड़े पहन कर मैके जाती थी उस क़ीमत का होना चाहिए। हदीस शरीफ़ में है कि मर्दों को अच्छा कफ़न दो कि वह बाहम मुलाक़ात करते और अच्छे कफ़न से खुश होते हैं। सफेद कफ़न बेहतर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "अपने मुर्दे सफेद कपड़ों में दफनाओ। (रद्दुल मुहतार वग़ैरह) पुराने कपड़े का भी कफ़न हो सकता है। जबकि धुला हुआ हो कि कफ़न साफ सुथरा होना मरगूब व मतलूब है। (जोहरा)

मसला:- बाज़ मोहताज और ज़रूरत मन्द, वुरसा कफ़ने ज़रूरत पर क़ादिर होते हैं। (यानी कम अज़ कम इतना जिससे सारा बदन ढक जाए) मगर सुन्नत के मुताबिक कफ़न देना उन्हें मुयस्सर नहीं होता। वे कफ़न मसनून के लिए लोगों से सवाल करते हैं। यह नाजायज़ है कि सवाल बिला ज़रूरत जायज़ नहीं और यहां ज़रूरत नहीं। अलबत्ता अगर कफ़ने ज़रूरत पर भी क़ादिर न हों तो बक़द्रे ज़रूरत सवाल करें। ज़्यादा नहीं हां बग़ैर मांगे मुसलमान खुद कफ़न

मसनून पूरा कर दें तो इन्शाअल्लाह तआला पूरा सवाब पायेंगे। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:- कुसुम या ज़ाफ़रान का रंगा हुआ या रेशम का कफ़न मर्द को ममनूअ है, और औरत के लिए जायज़ यानी जो कपड़ा मर्द ज़िन्दगी में पहन सकता है उसक कफ़न दिया जा सकता है और जो ज़िन्दगी में नाजायज़ उसका कफ़न भी नाजायज़। (आलमगीरी)

मसला:- कफ़न के लिए सवाल करके उसमें से कुछ बच रहा तो अगर मालूम है कि यह फ़लां शख़्स ने दिया है तो उसे वापिस कर दें वरना दूसरे मोहताज के कफ़न में सर्फ़ कर दें। यह भी न हो तो सदक़ा कर दें। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- फूलों की चादर बालाए कफ़न डालने में शरअन कोई हर्ज नहीं। बल्कि नीयत हसन से हसन है जैसे क़ब्रों पर फूल डालना कि वह जब तक तर हैं तस्बीह करते हैं उससे मैय्यत का दिल बहलता है और रहमत उतरती है। यूंही तबर्रुक के लिए ग़िलाफ़े काअबा मोअज़्ज़मा का क़लील टुकड़ा सीने या चेहरे पर रखना बिला शुबा जायज़ है। उसे राफ़ज़ियों का रिवाज बताना महज़ झूठ है। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:- जो नाबालिग़ लड़की हदे शहवत को पहुंच गई (कि उसे देख कर मर्द को उसकी तरफ़ मीलान पैदा हो और उसका अन्दाज़ा लड़कियों में नौ बरस है) वह बालिग़ के हुक्म में है यानी बालिग़ को कफ़न में जितने कपड़े दिये जाते हैं उसे भी दिये जायें और उससे छोटी लड़की को दो कपड़े दे सकते हैं और बेहतर यह है कि पूरा कफ़न अगरचे एक दिन का बच्चा हो। (रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

मसला:- किताबिया जो किसी मुसलमान के निकाह में है उसका

या मुसलमान औरत का बच्चा ज़िन्दा पैदा हुआ यानी अक्सर हिस्सा बाहर आ जाने के वक़्त ज़िन्दा था फिर मर गया उसका गुस्ल व कफ़न देंगे और उसकी नमाज़ पढ़ेंगे वरना ऐसे वैसे ही नहला कर एक कपड़े में लपेट कर दफ़न कर देंगे। उसके लिए गुस्ल व कफ़न बतरीक़ा मसनून नहीं। और नमाज़ भी उसकी नहीं पढ़ी जायेगी। अक्सर की मिक्दार यह है कि सर की जानिब से हो तो सीना तक अक्सर है और पांव के जानिब से हो तो कमर तक। (रददुलमुहतार)

मसला ज़रूरिया

पाकिस्तान व हिन्दुस्तान में आम रिवाज है कि कफ़न मसनून के अलावा ऊपर से एक और चादर उढ़ाते हैं वह तकियादार या किसी मिसकीन पर सदक़ा करते हैं और एक जा नमाज़ होती है जिस पर इमाम जनाज़ा की नमाज़ पढ़ता है। वह भी सदक़ा देते हैं अगर यह चादर व जा नमाज़ मैय्यत के माल से न हो बल्कि किसी ने अपनी तरफ़ से दिया है और आदतन वही देता है जिसने कफ़न दिया। बल्कि कफ़न के लिए जो कपड़ा लाया जाता है वह उसी अन्दाज़ से लाया जाता है जिसमें यह दोनों भी हो जायें जब तो ज़ाहिर है कि उसकी इज़ाजत है और उसमें कोई हरज नहीं और अगर मैय्यत के माल से है तो दो सूरतें हैं एक यह कि वारिस बालिग़ हों और सबकी इजाज़त हो जब भी जायज़ है अगर इजाज़त से न हो तो जिसने मैय्यत के माल से मंगाया और तसदीक किया और उसके ज़िम्मा यह दोनों चीज़ें हैं उनमें जो कीमत सर्फ हुई तर्के में शुमार की जायेगी और वह कीमत खर्च करने वाला अपने पास से देगा।

दूसरी सूरत यह है कि वुरसा में कुल या बाज़ नाबालिग़ हैं तो

अब वह दोनों चीज़ें तर्के से हरगिज़ नहीं दी जा सक्ती। अगरचे उस नाबालिग़ वारिस ने इजाज़त भी दे दी हो कि नाबालिग़ के माल को सर्फ़ कर लेना हराम है।

उसी तरह घर में लोटे घड़े होते हुए ख़ास मैय्यत के नहलाने के लिए ख़रीदे तो उसमें भी यही तफ्सील है। तीजा, सातवां, दसवां, चालीसवां, शशमाही, बरसी, के मसारफ़ में भी यही तफ्सील है कि अपने माल से जो चाहे ख़र्च करे और मय्यत को सवाब पहुंचाए और मैय्यत के माल से यह मसारिफ़ उसी वक़्त किये जायें कि सब वारिस बालिग़ हों और सबकी इजाज़त हो वरना नहीं, मगर जो बालिग़ हो अपने हिस्से से कर सकता है।

एक सूरत और भी है कि मैय्यत ने वसीयत की हो तो दैन (माली मुतालबा) अदा करने के बाद जो बचे उसकी तिहाई में वसीयत जारी होगी। अक्सर लोग इससे ग़ाफ़िल हैं या ना वाकिफ़ कि इस किस्म के तमाम मसारिफ़ लेने के बाद अब जो बाकी रहता है उसे तर्का समझते हैं। उन मसारिफ़ में न वारिसों से इजाज़त लेते हैं न वारिस के नाबालिग़ होने का कुछ ख्याल रखते हैं और यह सख़्त ग़लती है।

इन बातों से कोई यह न समझे कि तीजा वग़ैरह को मना किया जा रहा है कि यह तो ईसाले सवाब है उससे कौन मना करेगा मना वह करे जो वहाबी हो बल्कि नाजायज़ तौर पर उनमें जो ख़र्च किया जाता है उससे मना किया जा रहा है। कोई अपने माल से करे या सब वारिस बालिग़ हों और उनसे इजाज़त ले कर करे तो मुमानिअत नहीं। (बहारे शरीअत)

मसला:- औरतों को जनाज़े के साथ जाना, नाजायज़ व ममनूअ है और नौहा करने वाली साथ में हो उसे सख़्ती से मना किया जाए।

अगर न माने तो मर्द उसकी वजह से जनाज़ा के साथ जाना न छोड़े कि उसके नाजायज़ फ़ेल से वे क्यों सुन्नत तर्क करें बल्कि दिल से उसे बुरा मानें और शरीक हों। (दुर्रे मुख़्तार सग़ीरी)

नमाज़ जनाज़ा और क़ब्र व दफ़न से मुताल्लिक़ बाज़ मसाइल

इन अबवाब से मुताल्लिक़ मसाइल का ज़्यादा तर ताल्लुक चूंकि मुर्दों से है इसलिए मुख़्तसर चन्द मसाइल ज़िक्र किये जाते हैं ताकि औरतें उनसे ना वाकिफ न रहें।

मसला:- हर मुसलमान की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाएगी। अगरचे वह कैसा ही गुनाहगार और बदचलन क्यों न हो (बशर्ते कि कोई क़ौल या फ़ेल खिलाफे इस्लाम ज़ाहिर न किया हो) मगर चन्द किस्म के लोग हैं कि उनकी नमाज़ नहीं मसलन जो लोग ना हक़ पासदारी में लड़ें और मरजायें या जिसने अपने मां या बाप को मार डाला। डाकू कि डाका में मारा गया कि न उसे गुस्ल दिया जाये, न नमाज़ पढ़ी जाये। (आलमगीरी)

मसला:- जिसने ख़ुदकशी की हलांकि यह बहुत बड़ा गुनाह है। मगर उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ी जाएगी अगरचे क़सदन ख़ुदकशी की हो। (आलमगीरी)

मसला:- मैय्यत को बग़ैर नमाज़ पढ़े दफ़न किया गया और मिट्टी भी दे दी गई तो अब उसकी क़ब्र पर नमाज़ पढ़ें जब तक कि फटने का गुमान न हो और मिट्टी न दी गई हो तो निकालें और नमाज़ पढ़ कर दफ़न करें और क़ब्र पर नमाज़ पढ़ने में

दिनों की ताअदाद मुकर्रर नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसला:– बग़ैर गुस्ल नमाज़ पढ़ी गई तो न हुई। उसे गुस्ल दे कर फिर पढ़े और अगर कब्र में रख चुके मगर मिट्टी अभी नहीं डाली गई तो कब्र से निकालें और गुस्ल देकर नमाज़ पढ़ें कि पहली नमाज़ न हुई थी और अब चुंकि गुस्ल देकर नमाज़ पढ़ें और मिट्टी दे चुके तो अब नहीं निकाल सकते। लेहाज़ा अब उसकी कब्र पर नमाज़ पढ़ें कि पहली नमाज़ न हुई थी और अब चुंकि गुस्ल ना मुमकिन है लेहाज़ा अब हो जायेगी। (रद्दुलमुहतार)

तम्बीह ज़रूरी

ईमान व दुरुस्तगी अक़ाइद के बाद जुमला अल्लाह के हक़ों में सबसे अहम व आज़म नमाज़ है जिसने क़सदन एक वक़्त की छोड़ी हज़ारों बरस जहन्नम में रहने का मुस्तहिक़ हुआ। जब तक तौबा न करे और उसकी कज़ा न कर ले। मुसलमान अगर उसकी ज़िन्दगी में उसे यक लख़्त छोड़ दें। उससे बात न करें। उसके पास न बैठें तो ज़रूर वह उसका सज़ावार है। मगर बाद मौत हर सुन्नी अक़ीदा मर्द ख़्वाह औरत को गुस्ल व कफ़न देना उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ना (अलावा उसके जो शरअन उसके हुक्म से मुसतस्ना है) फ़र्ज़ क़तई अललकिफ़ाया है अगर सब छोड़ दें जिन जिन को इत्तला थी। सब गुनाहगार फ़र्ज़ के तारिक और मुस्तहिक़ अज़ाब होंगे बेनमाज़ी कि नमाज़ फ़र्ज़ जानता हो। उसकी तहक़ीर न करता हो अगरचे नफ़स व शैतान के फ़न्दों में आकर न पढ़ता हो। गुनाह कबीरा का मुरतकिब है। अज़ाब जहन्नुम का मुस्तहिक़ है मगर काफ़िर नहीं बाग़ी नहीं। डाकू नहीं, एक तबाह कार मुसलमान है उसके जनाज़े

की नमाज़ मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। उसने फ़र्ज़ तर्क किया यह क्यों तारिके फ़र्ज़ बनें। हां अगर ज़जर के लिए कि दूसरों को तंबीह हो उलेमा ख़ुद न पढ़े दूसरों से पढ़वा दें तो बेजा नहीं और अगर उनके न पढ़ने से और भी कोई न पढ़े या उनको भी मना करें तो यह भी मुस्तहिक अज़ाब जहन्नुम होंगे बल्कि जाहिलों से ज़्यादा (फ़तावा रिज़विया) अल्लाह तआला हम सबको अपनी पनाह में रखे और सच्चा नमाज़ी बनाए। आमीन०

मसला:- हामला औरत मर गई और दफ़न कर दी गई किसी ने ख़्वाब में देखा कि उसके बच्चा पैदा हुआ। तो महज़ उस ख़्वाब की बिना पर कब्र खोदना जायज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसला:- जुमा के दिन किसी का इंतकाल हुआ तो अगर जुमा से पहले तजहीज़ व तकफ़ीन हो सके तो पहले ही कर लें। इस ख़्याल से रोके रखना कि जुमा के बाद मजमा ज़्यादा होगा मकरूह है। (आलमगीरी)

मसला:- ऐसे मक़बरा में दफ़न करना बेहतर है जहां सालेहीन की कब्रें हों। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- औरत को किसी वारिस ने ज़ेवर समेत दफ़न कर दिया और बाज़ वारिस मौजूद न थे तो उन वुरसा को कब्र खोदने की इज़ाज़त है। यूंही किसी का कुछ माल कब्र में गिर गया मिट्टी देने के बाद याद आया तो कब्र खोद कर निकाल सकते हैं। (आलमगीरी)

मसला:- अपने लिए कफ़न तैयार रखे तो हर्ज नहीं। और कब्र खुदवा रखना बे मानी है क्या मालूम मौत कहां आएगी। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- औरतों के लिए भी बाज़ उलेमा ने ज़ियारत कबूर को जायज़ फ़रमाया है। दुर्रे मुख़्तार में यही क़ौल अख़्तियार किया मगर

अज़ीज़ों की कब्र पर जायें तो रोना पीटना मचायेंगी लेहाज़ा ममनूअ है और सालेहीन की कब्रों पर जायेंगी तो ताअज़ीम में हद से गुज़र जायेंगी या बे अदबी करेंगी कि औरतों में यह दोनों बातें बकसरत पाई जाती हैं। लेहाज़ा आफियत व सलामती की राह यही है कि औरतों को रोका जाये। (फतावा रिज़विया)

मसला:- औरतों के लिए जिन उलमाए किराम ने ज़ियारत कबूर या और ऐसे ही दूसरे दीनी या दुनियावी उमूर में शिर्कत को जायज़ बताया है। उनके नज़दीक भी ज़रूरी है कि उन मौक़ों पर बे परदगी न हो। वहां फ़ासिकों और ना ख़ुदा तरसों का मजमा न हो। मर्दों से ख़लत मलत न हों। वह तकरीब शरअन ममनूअ न हो। नाच गाने की महफ़िल न हो, बेबाक व बे लिहाज़ औरतें मौजूद न हों। ब्याह शादियों की महफ़िलों में शैतानी गीत न हों। समधनों की गालियां सुनना सुनाना न हो तजगे वग़ैरह में ढोल बजाना गाना न हो। ऐसी महफ़िलों में जाने से शोहर दार औरतों को उनका शोहर रोक सकता है बल्कि रोके और न जाने दे। और जो लड़कियां नाकतख़ुदा हैं उनके मां बाप उन्हें रोकें हरगिज़ हरग़िज न जाने दें कि नाज़ुक शीशियां हैं। ज़रा सी ठेस में मोल जायेंगी। (फतावा रिज़विया) ग़ालिबन इन्हीं हालात के पेशे नज़र मशहूर उलमाए किराम से सवाल हुआ कि क्या औरतों का कब्रिस्तान जाना जायज़ है? जवाब दिया कि ऐसी बात में जायज़, नाजायज़ नहीं पूछते यह पुछो कि जायेगी तो उस पर कितनी लाअनत होगी। तो सुना! जब वह जाने का इरादा करती है अल्लाह और उसके फ़रिश्ते उस पर लाअनत करते हैं और जब वह घर से चलती है। सब तरफ़ शैतान उसे घेर लेते हैं और जब कब्र पर आती है। मैय्यत की रूह उसे लाअनत

करती है और जब पलटती है अल्लाह की लाअनत के साथ पलटती है। (तातार खानिया)

एक सच्ची हिकायत

हज़रत आतिका रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा बड़ी सालेह आबिदा ज़ाहिदा बीबी थीं। इन पाक बीबी को मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इश्क़ था। पहले अमीरुलमोमिनीन फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में आयीं क़ुबूल निकाह में अमीरुलमोमिनीन से शर्त कराली कि मुझे मस्जिद नबवी से न रोकें। (यह वह वक़्त था कि उस वक़्त मस्जिद की हाज़िरी बीबीयों को जायज़ थी। अब ममनूअ व नाजायज़ है) ग़र्ज़ इस वजह से अमीरुलमोमिनीन ने उनकी शर्त क़ुबूल कर ली फिर भी चाहते यही थे कि यह मस्जिद न जायें यह कहतीं आप मना कर दें तो मैं न जाऊंगी। अमीरुलमोमिनीन बपाबंदी शर्त मना न फ़रमाते। अमीरुलमोमिनीन के बाद हज़रत ज़ुबैर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु से निकाह हुआ। वह मना फ़रमाते यह न मानतीं। एक रोज़ उन्होंने यह तदबीर की कि इशा के वक़्त अंधेरी रात में उनके जाने से पहले ही किसी दरवाज़े की ओट में छुपे रहे। और जब यह आयीं और उस दरवाज़े से आगे बढ़ीं थी कि उन्होंने पीछे से निकल कर उनके सर मुबारक पर हाथ मारा और छुप रहे। हज़रत आतिका ने कहा इन्ना लिल्लाह लोगों में फ़साद आ गया। यह फ़रमा कर वापस आयीं, फिर जनाज़ा ही निकला। दरअसल हज़रत ज़ुबैर रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें यह तम्बीह फ़रमाई कि औरत कैसी ही सालेह हो उसकी तरफ़ अंदेशा न सही फ़ासिक़ मर्दों की तरफ़ से उस पर ख़ौफ़ का क्या इलाज तो यह औरतों को

फांसी पर लटकाना नहीं बल्कि उनकी इज़्ज़त को शरीरों के शर से बचाना है। (फ़तावा रिज़विया)

मसला :- मुर्दा के साथ चीनी या कोई मीठी चीज़ जैसे मिठाई, या रोटी या ग़ल्ला ले जाना, एक अबस व लायानी फ़ेल है। मकान पर जिस क़द्र चाहे सदक़ा व ख़ैरात करें। क़ब्रिस्तान में अक्सर देखा गया है कि अनाज तक़सीम होते वक़्त बच्चे और औरतें वग़ैरह गुल मचाते और मुसलमानों की क़ब्रों पर दौड़ते फिरते हैं और यह हराम है कि इससे मुर्दों को सख़्त ईज़ा (तक्लीफ़) होती है और वहां मिठाई वग़ैरह चीटियों को उस नीयत से डालना कि मैय्यत को तकलीफ़ न पहुंचाए महज़ जिहालत है और नीयत न भी हो जब भी बजाए उसके मसाकीन, सालेहीन पर तकसीम करना बेहतर है। (मलफ़ूज़ात रिज़विया)

मसला:- क़ब्र पर क़ुरआन करीम पढ़ने के लिए हाफ़िज़ मुकर्रर करना जायज़ है (दुर्रे मुख़्तार) यानी जबकि पढ़ने वाले उजरत पर न पढ़ते हों कि उजरत पर क़ुरआन करीम पढ़ना और पढ़ाना, ना जायज़ है। देने वाला लेने वाला दोनों गुनहगार हैं। उजरत सिर्फ़ यही नहीं कि पेशतर मुकर्रर करलें कि यह लेंगे या यह देंगे। बल्कि अगर मालूम है कि यहां कुछ मिलता है अगरचे उससे तय न हुआ हो यह भी नाजायज़ है। हां अगर कहदे कि कुछ नहीं दूंगा और कुछ नहीं लूंगा फिर पढ़े और और उसकी ख़िदमत करें तो उसमें हर्ज नहीं और अगर इस तरह कुछ पढ़ने वाला न मिले और उजरत पर ही पढ़वाना पड़े तो उससे अपने काम-काज के लिए उजरत ठहरा लें। फिर यह काम उससे लें और वक़्त की पाबंदी की उजरत दे दें। (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत)

मसला:- शजरा या अहद नामा क़ब्र में रखना जायज़ है। और बेहतर यह है कि मैय्यत के मुंह के सामने किबला की जानिब ताक खोद कर उसमें रखें बल्कि दुर्रे मुख़्तार में कफ़न पर अहद नामा लिखने को जायज़ कहा है और फ़रमाया उससे मग़फ़िरत की उम्मीद है और मैय्यत के सीना और पेशानी पर *बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम* लिखना जायज़ है। एक शख़्स ने उसकी वसीयत की थी। इंतक़ाल के बाद सीना और पेशानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ़ लिख दी गयी फिर किसी ने उसे ख़्वाब में देखा हाल पूछा तो जवाब दिया कि जब मैं क़ब्र में रखा गया अज़ाब के फ़रिश्ते आये फरिश्तों ने जब पेशानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ़ देखी तो अज़ाब से बच गया। (दुर्रे मुख़्तार ग़ुनीया तातार ख़ानिया) यूं भी हो सकता है कि पेशानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ़ लिखें और सीने पर कलिमा तैयबा ला-इला-ह-इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मगर नहलाने के बाद कफ़न पहनाने से पेशतर कलिमा की उंगली से लिखें। रोशनाई से न लिखें। (रददुलमुहतार)

मसला:- सुना गया है कि बाज़ जाहिलों में मरा हुआ बच्चा किसी के पैदा होता है तो उसे हांडी में रख कर कब्रिस्तान से अलग क़ब्रों से दूर दफ़न कर देते हैं और कहते हैं कि यह पक्का मसान है उससे हिंदुओं की तरह बचते हैं। अगर ऐसा है तो शैतानी ख़्याल है उसे मुसलमानों के क़ब्रिस्तान ही में दफ़न करें और इस ख़्याल व फ़ेल बद से बाज़ आयें। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:- क़ब्र पर फूल डालना बेहतर है कि जब तक तर रहेंगे तस्बीह करेंगे और मय्यत का दिल बहलेगा (रददुलमुहतार) यूंही जनाज़े पर फूलों की चादर डालने में हर्ज नहीं (बहारे शरीअत) और

क़ब्र पर से तर घास नोचना न चाहिए कि उसकी तस्बीह से रहमत उतरती है। और मय्यत को उन्स होता है और नोचने में मय्यत का हक़ ज़ाया करना है। (रद्दुलमुहतार) और क़ब्र में गुलाब दक़्ते दफ़न छिड़कने में हर्ज नहीं और ऊपर छिड़कना फ़िज़ूल और माल का ज़ाया करना है।

मसला:- ऊद लोबान वग़ैरह कोई चीज़ ख़ास क़ब्र पर रख कर जलाना न चाहिये अगरचे किसी बरतन में हो और क़ब्र के क़रीब सुलगाना कि जो लोग वहां मौजूद हैं या ज़ियारत के लिये आने वाले हैं उन्हें सुकून व उन्स हासिल हो। बेशक बेहतर व मुस्तहसन है इसे ख़्वाह मख़्वाह बिदअत बताने वाले नई शरीअत गढ़ते हैं। (फ़तावा रिज़विया)

तम्बीह ज़रूरी

बाज़ औरतें बल्कि नावाक़िफ़ मुसलमान कहते हैं कि फ़लां दरख़्त पर शहीद मर्द हैं और फ़ुलाने ताक़ में शहीद रहते हैं और उस दरख़्त और उस ताक़ के पास जाकर हर जुमेरात को फ़ातिहा शीरीनी चावल वग़ैरह पर दिलाते हैं। हार लटकाते हैं, लोबान सुलगाते हैं, मुरादें मांगते हैं यह सब वाही तबाही बातें, ख़ुराफ़ात और जाहिलाना हिमाक़तें हैं, इस क़िस्म के अफ़आल व हरकात से हमेशा बचते रहना चाहिए और जाहिलों की बातों में आकर ख़िलाफ़े शरअ कोई बात न करनी चाहिए।

ताज़ियत का बयान

किसी मुसीबत ज़दह मुसलमान भाई या बहन के पास जाकर

उसकी तसल्ली व तशफ़्फ़ी के लिए मुनासिब अलफ़ाज़ कहना और मय्यत के हक़ में दुआए ख़ैर करना ताज़ियत है और यह ताज़ियत नबी करीम सल्ल० की सुन्नते करीमा है और कारे सवाब भी। हदीस शरीफ़ में है जो अपने भाई मुसलमान की मुसीबत में ताज़ियत करे क़यामत के दिन अल्लाह तआला उसे करामत का जोड़ा पहनाएगा और दूसरी हदीस में है जो किसी मुसीबत ज़दह की ताज़ियत करे उसे उसके मिस्ल सवाब मिलेगा (इब्ने माजा) यानी जबकि मुसीबत ज़दह सब्रो शुक्र से काम ले।

मसला:- मुस्तहब है कि मय्यत के तमाम अक़ारिब छोटे बड़े मर्द औरत सब की ताज़ियत करें और ताज़ियत में यह अलफ़ाज़ कहें "अल्लाह तआला मय्यत की मग़फ़िरत फ़रमाए उसे अपनी रहमत में ढांके" तुम को सब्र अता करे और उस मुसीबत पर सवाब अता फ़रमाए (आलमगीरी)

मसला:- मय्यत के पड़ौसी या दूर के रिश्तेदार अगर मय्यत के घर वालों के लिए उस दिन खाना लाएं तो बेहतर है और उन्हें इसरार करके खिलाएं। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- मय्यत के क़रीबी रिश्तेदारों का घर में बैठना कि लोग उनकी ताज़ियत को आएं इसमें कोई हर्ज नहीं। हां मकान के दरवाज़ों या आम गुज़रगाहों पर बिछौने बिछाकर बैठना बुरी बात है। (आलमगीरी)

मसला:- मय्यत के घर वाले तीजा, दसवां, चालीसवां वग़ैरह के दिन रिश्तेदारों या दोस्त अहबाब की दावत करें यह नाजायज़ और बिदअते क़बीहा है कि दावत तो ख़ुशी के मौक़े पर की जाती है न कि ग़मी के मौक़ों पर कि अफ़सोस के दिन हैं तो जो ख़ुशी में होता

है ऐसे मौक़ों के लायक़ नहीं। (फ़तहुलक़दीर)

उलमाए किराम अहले सुन्नत व जमाअत ऐसी ही दावतों के मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं कि यह सब दिखावे और नामवरी के काम हैं। इनसे बचना लाज़िम व ज़रूरी है कशफ़ुलग़िता में फ़रमाया कि ताज़ियत के लिए अकसर औरतें रिश्तेदार जमा होती हैं और रोती पीटती नौहा करती हैं उन्हें खाना न दिया जाए कि गुनाह पर मदद देना है" हदीसों में आया है कि हज़राते सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहुम अहले मय्यत के यहां जमा होने और उनके खाना तैयार कराने को मुर्दे के लिए नौहा करने में शुमार करते थे। (इब्ने माजा वग़ैरह) और ज़ाहिर है कि नौहा हराम है हां अगर मुहताजों को देने के लिए खाना पकवाएं तो हर्ज नहीं बल्कि ख़ूब है। बशर्ते कि यह काम कोई आक़िल बालिग़ अपने माले ख़ास से करे या तरका से करें तो सब वारिस मौजूद व बालिग़ व राज़ी हों। और अगर वारिसों में कोई यतीम या और कोई बच्चा नाबालिग़ हो या बालिग़ हैं मगर सब मौजूद नहीं, या मौजूद हैं और सबसे इजाज़त न ली और खाना पकवाना और ख़ैर ख़ैरात करना शुरू कर दिया तो यह बात और भी ज़्यादा हराम और सख़्त नाजायज़ है कि यतीमों का माल यूं बे दरेग़ उड़ाना दूसरों का माल बिला इजाज़त तसर्रुफ़ में लाना है और यह खुद नाजायज़ व हराम है और अगर इनमें कोई यतीम हुआ तो आफ़त और सख़्त तर है। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:– हिंदो–पाक के अकसर घरानों में रिवाज है कि मय्यत के रोज़े वफ़ात से उसके अइज़्ज़ा व अक़ारिब या अहबाब की औरतें उसके यहां जमा होती हैं। फिर कुछ दूसरे दिन कुछ तीसरे दिन वापिस चली जाती हैं और बाज़ चालीसवें तक बैठी रहती हैं।

इस मुद्दते इक़ामत में औरतों के खाने पीने और पान छालिया का एहतमाम अहले मय्यत करते हैं जिसके बाइस वह ज़ेरे बार होते हैं। उनके मुताल्लिक़ उलमाए किराम ने फ़रमाया कि यह औरतें कि जमा होती हैं, नापसंदीदा व ख़िलाफ़े शरअ काम करती हैं। मसलन चिल्लाकर रोना-पीटना, बनावट से मुंह ढांपना वग़ैरह वग़ैरह और यह सब नौहा है और हराम, मय्यत के अज़ीज़ों और दोस्तों को भी जायज़ नहीं कि उन्हें खाना भेजें कि गुनाह की इमदाद होगी, न यह कि अहले मय्यत खाने वग़ैरह का एहतमाम करें कि सिरे से नाजायज़ है तो इस नाजायज़ मजमा के लिए और ज़्यादा नाजायज़ होगा। फिर अक्सर लोगों को इस रस्मे शनीअ और बेहूदा रिवाज के बाइस अपनी ताक़त से ज़्यादा ज़ियाफ़त का एहतमाम करना पड़ता है। यहां तक कि मय्यत वाले बेचारे अपने ग़म अपनी मुसीबत को भूल कर इस आफ़त में मुबतिला हो जाते हैं कि इस मेले के लिए खाना, पान-छालियां कहां से लाएं और बारहा ज़रूरत क़र्ज़ लेने की पड़ती है। ऐसा तकल्लुफ़ शरीअत को किसी जायज़ काम, किसी अम्रे मुबाह के लिए भी पसंद नहीं और हरगिज़ पसंद नहीं न कि एक रस्मे ममनूअ के लिए।

फिर इसके बाइस जो दिक़्क़तें पड़ती हैं बिल्कुल ज़ाहिर हैं। फिर अगर सूदी क़र्ज़ मिला तो हराम ख़ालिस हो गया और मआज़ल्लाह लानते इलाही से पूरा हिस्सा मिला कि बिला ज़रूरते शरई सूद देना भी सूद लेने के मानिंद, बाइसे लानत है, ग़र्ज़ इस बेहूदा रस्म की मुमानिअत में कोई शक शुबहा नहीं। अल्लाह अज़्ज़ोजल मुसलमानों को तौफ़ीक़ बख़्शे कि ऐसी तमाम रस्में यकलख़्त तर्क करदें जिनमें उनके दीन व दुनिया का नुक़सान है और तान बेहूदा का लिहाज़

न करें।

तम्बीह:- अगरचे सिर्फ एक दिन यानी पहले ही रोज़, अज़ीज़ों व हमसायों को मसनून है कि अहले मय्यत के लिए इतना खाना पकवाकर भेजें जिसे वह दो वक़्त खा सकें और इसरार करके उन्हें खिलाएं। मगर यह खाना सिर्फ अहले मय्यत ही के क़ाबिल होना सुन्नत है उस मेले के लिए हरगिज़ भेजने का हुक्म नहीं, और उनके लिए भी फ़कत रोज़े अव्वल का हुक्म है, आगे नहीं जैसा कि फ़तावा आलमगीरी, कशफ़ुलग़ता और फ़तावा रिज़विया में मज़कूर है। वल्लाहुल हादी।

सोग और नौहा का बयान

मसला:- नौहा यानी मय्यत के औसाफ़ मुबालग़ा के साथ बयान करके आवाज़ से रोना जिसको बैन कहते हैं। सबके नज़दीक हराम है। यूंही वावेला, वा मुसीबता कहकर चिल्लाना, (जोहरा नय्यरा) गरेबां फाड़ना, मुंह नोचना, बाल खोलना, सिर पर ख़ाक डालना, सीना कूटना, रान पर हाथ मारना, एड़ियां रगड़ना गर्ज़ इज़हारे ग़म के लिए ऐसी ही वाही तबाही हरकतें करना यह सब ज़माने जाहिलियत के काम हैं और सख़्त हराम (आलमगीरी) और सोग तीन दिन से ज़्यादा जायज़ नहीं मगर औरत शौहर के मरने पर चार महीने दस दिन सोग करेगी। (हदीस)

मसला:- आवाज़ से रोना मना है और आवाज़ बुलंद न हो तो इसकी मुमानिअत नहीं बल्कि हुज़ूर अक़दस सल्ल० ने अपने साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम रज़ि० की वफ़ात पर बुका फ़रमाया कि मुबारक आंखों से आंसू रवां हुए। (जौहरा)

मसला:– शौहर की मौत या तलाके बाइन की इद्दत में आकिला बालिग़ा मुसलमान औरत पर जो सोग वाजिब है उसके मायने यह हैं कि औरत, ज़ीनत को तर्क करदे यानी हर क़िस्म के ज़ेवर चांदी सोने जवाहर वग़ैरहा के, और हर किस्म और हर रंग के रेशम के कपड़े अगरचे सियाह हों, न पहने, और ख़ूश्बू, बदन या कपड़ों में इस्तेमाल न करे और न तेल का इस्तेमाल करे अगरचे उसमें ख़ूश्बू न हो जैसे रौग़न ज़ैतून। यूं ही कंघा करना और सियाह सुर्मा लगाना या सफ़ेद ख़ूश्बूदार सुर्मा लगाना और मेंहदी लगाना और ज़ाफ़रान या कुसुम या गेरु, या गुलाबी, धानी, चम्पई और तरह-तरह के रंग जिनमें ज़ीनत पाई जाती है उन में रंगा हुआ कपड़ा पहनना मना है। औरत पर वाजिब है कि इन सब चीज़ों को ज़मान-ए-इद्दत में छोड़े रखे। (दुर्रे मुख़्तार और आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:– ऊज़्र अगर वाकई हो तो उसकी वजह से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती है मगर इस हाल में इसका इस्तेमाल ज़ीनत के क़स्द से न हो। मसलन दर्दे सर की वजह से तेल लगा सकती है या तेल लगाने की आदी है जानती है न लगाने में दर्दे सर हो जाएगा, तो लगाना जायज़ है। यूंही दर्दे सर के वक़्त कंघा कर सकती है मगर उस तरफ़ से जिधर के दंदाने मोटे हैं उधर से नहीं जिधर बारीक हों कि यह बाल संवारने के लिए होते हैं और यह ममनूअ है। या सुर्मा लगाने की ज़रूरत है कि आंखों में दर्द है तो सुर्मा लगा सकती है, या खारिश है तो रेशमी कपड़े पहन सकती है, या उसके पास और कपड़ा नहीं है तो यही रेशमी और रंगा हुआ, तो यही पहन सकती है। मगर यह ज़रूर है कि इनकी इजाज़त ज़रूरत के वक़्त बक़दरे ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा ममनूअ, मसलन आंख की

बीमारी में सुर्मा लगाने की ज़रूरत है तो यह लिहाज़ ज़रूरी है कि सियाह सुर्मा उसी वक़्त लगा सकती है, जब सफ़ेद सुर्मा से काम न चले, और अगर सिर्फ़ रात में लगाना काफ़ी है तो दिन में लगाने की इजाज़त नहीं। (आलमगीरी और रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

मसला:- नाबालिग़ा पर सोग नहीं हां अगर दौराने इद्दत, नाबालिग़ा, बालिग़ा हो गयी तो जो दिन बाक़ी रह गये हैं उनमें सोग करे। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- किसी क़रीबी रिश्तेदार के मर जाने पर औरत को तीन दिन तक सोग करने की इजाज़त है, इससे ज़ायद की नहीं, और औरत शौहर वाली हो तो उससे भी मना कर सकता है। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- इद्दत के अन्दर औरत चारपाई पर सो सकती है कि यह ज़ीनत में दाख़िल नहीं (बहारे शरीअत)

इस मौक़ा पर बाज़ अहादीस जो नौहा वग़ैरह के बारे में वारिद हैं ज़िक्र की जाती हैं ताकि औरतें बग़ौर देखें और उनपर अमल करें और अपनी पराई दूसरी औरतों को सुनाएं कि यह बला अकसर औरतों में हिंदुओं की तक़लीद से पाई जाती है। फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लम:-

१. जो मुंह पर तमांचा मारे और गरेबां फाड़े और जाहिलियत का पुकारना पुकारे (नौहा करे) वह हम में से नहीं (बुख़ारी व मुस्लिम)

२. जो सर मुंडाए (यानी किसी के मरने पर जैसे हिन्दू भद्रा करते हैं) और नौहा करे और कपड़े फाड़े, मैं उससे बरी (व बेज़ार) हूं। (बुख़ारी व मुस्लिम)

३. आंख के आंसू और दिल के ग़म के सबब अल्लाह तआला अज़ाब

नहीं फरमाता (और ज़बान की तरफ इशारा करके फरमाया) लेकिन इसके सबब मय्यत पर अज़ाब होता है। (बुखारी व मुस्लिम) यानी जबकि उसने वसीयत की हो कि उसके मरने के बाद खूब रोया जाए। या यह कि उसने वसीयत तो नहीं की लेकिन उसके खानदान में रोने नौहा करने का रिवाज था उसके इल्म में यह बात थी लेकिन उसने उससे मना न किया। वल्लाहु आलम। या यह मुराद है कि मय्यत के घर वालों के रोने से उसे तकलीफ होती है कि दूसरी हदीस में आया- ऐ अल्लाह के बन्दो! अपने मुर्दे को तकलीफ न दो जब तुम रोने लगते हो वह भी रोता है। (बहारे शरीअत)

४. जब कोई मर जाता है और रोने वाला (मर्द ख्वाह औरत) उसकी खूबियां बयान कर करके रोता है तो अल्लाह तआला उस मय्यत पर दो फरिश्ते मुकर्रर फरमाता है जो उसे कोंचे देते हैं और कहते हैं कि क्या तू ऐसा ही था। (तिर्मिज़ी शरीफ)

५. नौहा करने वाली ने अगर मरने से पहले तौबा न की तो कियामत के दिन इस तरह खड़ी की जाएगी कि उस पर एक कुर्ता कतरान का होगा और खारिश्त का (मुस्लिम) (कतरान, कोलतार के मानिंद एक चीज़, खारिश्त, खारदार दरख़्त)

६. अल्लाह अज़्ज़ोजल फरमाता है। ऐ इब्ने आदम ! अगर तू अव्वल संदमा के वक्त सब्र करे और सवाब का तालिब हो तो तेरे लिए जन्नत के सिवा किसी सवाब पर मैं राज़ी नहीं (इब्ने माजा)

७. जिस मुसलमान मर्द या औरत को कोई मुसीबत पहुंची उसे याद करके वह اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیۡہِ رٰجِعُوۡنَ कहे अगरचे मुसीबत का ज़माना दराज़ हो गया तो अल्लाह तआला उस पर नया सवाब अता फरमाता है और वैसा ही सवाब फरमाता है जैसा उस दिन कि मुसीबत

आई थी (और उसने सब्र किया था) बैहेकी।

शहादत का बयान

हक के लिए हक की हिमायत में कत्ल किया जाना बड़े नसीबे वालों को मयस्सर आता है लेकिन मौत की बहुत सी वह सूरतें हैं जिन में शहादत का सवाब मिलता है, लेकिन उन्हें गुस्ल भी दिया जाएगा और कफ़न भी। अल्लाह अज़्ज़ोजल कम अज़ कम ऐसी ही शहादत नसीब फरमाए। आमीन०

हदीस शरीफ में आया कि जो ताऊन[1] से मरा वह शहीद, जो[2] डूब कर मरा वह शहीद, जो[3] ज़ातुलजुनब (इससे मुराद इस्तिस्का है या दस्त आना) में मरा वह शहीद, जो[4] पेट की बीमारी में मरा वह शहीद, जो[5] जल कर मरा वह शहीद, जिस के ऊपर दीवार वग़ैरह गिर गई, जिस[6] से मौत वाकेअ हो गई वह शहीद, वह[7] औरत जो पैदा होने और कुवांरेपन में मर जाए वह शहीद, और जो[8] मुसाफ्त में मर जाए वह शहीद।(अबूदाऊद इब्ने माजा वग़ैरह) इनके अलावा बाज़ सूरतें यह हैं- सिल की बीमारी में मरा, सवारी[10] से गिर कर या मिर्गी[11] में मरा, जो[12] चाश्त की नमाज़ पढ़े और हर महीने रोज़े रखे, फ़साद[13] उम्मत के वक्त सुन्नत पर अमल करने वाला उसके लिए सौ शहीदों का सवाब है। जो[14] मर्ज़ में चालीस मर्तबा لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ पढ़े और ऐसे मर्ज़ में जाए और अच्छा हो गया तो उसकी मग़फिरत हो जाएगी। जो[15] हर रात में सूरः यासीन शरीफ पढ़े। जो[16] बातहारत सोया और मर गया जो[17] नबी करीम सल्ल० पर हर रोज़ सौ बार दुरूद शरीफ पढ़े। जो[18] जुमा के दिन

إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

मरे, जो[१९] सुबह को اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ तीन बार पढ़ कर सूरः हश्र की पिछली तीन आयतें पढ़े। जो[२०] हर रोज़ पचीस बार यह पढ़े فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي ، مَا بَعْدَ السَّمٰوٰتِ वल्लाहु ज़ुलफ़ज़लिल अज़ीम وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

ईसाले सवाब का बयान

कुरआन करीम का इर्शादि गिरामी है تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى नेकी और परहेज़गारी में आपस में एक दूसरे की मदद करो और अहादीसे करीमा इस बाब में ब कसरत वारिद है कि मुसलमान मुसलमान भाई हैं उन्हें एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहना चाहिए एक दूसरे के काम आना चाहिए एक दूसरे के साथ नेक सुलूक करना चाहिए। एक दूसरे की हाजत रवाई में शरीक बनना चाहिए। यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "दीन खैरख्वाही का नाम है" इसको तीन मर्तबा फ़रमाया। सहाबा ने अर्ज़ किया "किस की खैर ख्वाही" फ़रमाया अल्लाह व रसूल और उसकी किताब की और आइम्मा अहले इस्लाम और आम मुसलामनों की। (मुस्लिम शरीफ़) मुस्लिम शरीफ़ की एक रिवायत में है कि हुज़ूर पुरनूर सलल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया तुममें जिस से हो सके कि अपने मुसलमान भाई को फ़ायदा पहुंचाए तो ज़रूर पहुंचाए। लेकिन सवाल यह है कि जब जिस्म व जान का ताल्लुक खत्म हो जाए। मरने वालों का ज़िन्दों से राब्ता व इलाका खत्म हो जाए। मौत के बाद ज़िन्दों और मरने वालों में आहिनी दीवार हायल हो जाए और उनमें हिस्सी व माद्दी तआउन और नफ़ा रिसानी व खैर ख्वाही बज़ाहिर खत्म नज़र आए तो ज़िन्दों के नेक आमाल से

मुर्दों को फ़ायदा पहुंच सकता है या नहीं। और दीनी व रूहानी ताल्लुक बाक़ी रहता है या नहीं और मय्यत के वुरसा व अइज़्ज़ा व अहबाब बल्कि आम्मतुल मुस्लिमीन के नेक आमाल से मुर्दे फ़ैज़ पाते हैं या नहीं।

हमारे नज़दीक शरीअते इस्लामिया इसका जवाब इस बात में देती है। यानी हां ज़िन्दों के आमाल से मुर्दों को फ़ायदा पहुंचता है और ज़िन्दों के ईसाले सवाब से मुर्दे फ़ैज़ पाते और फ़ायदा उठाते हैं।

मसलन अहादीसे करीमा में आया है कि जो ग्यारह बार कुल हुवल्लाह शरीफ़ पढ़ कर उसका सवाब मुर्दों को पहुंचाए तों मुर्दों की गिनती के बराबर उसे सवाब मिलेगा। (दुर्रे मुख़्तार) खुद हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमत में आप के इर्शादे गिरामी के मुताबिक़ दो मेंढे सींग वाले चितकब्बरे खस्सी किये हुए लाए गए आपने दस्ते मुबारक से उन्हें ज़िबह फरमाया और बारगाहे इलाही में अर्ज़ किया कि "इलाही यह (एक) मेरी तरफ़ से है और (एक) मेरी उम्मत में उसकी तरफ़ से है जिसने कुरबानी न की (कि इसकी इस्तिताअत न पाई)" (अबू दाऊद इब्ने माजा)

एक और हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुद ब नफ़्से नफ़ीस बकरी ज़िबह फ़रमाते। और उसके टुकड़े हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सहेलियों में तक़सीम फ़रमा देते। (बुखारी शरीफ़)

हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा का इंतिक़ाल हुआ तो आपने हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमते अक़्दस में हाज़िर हो कर अर्ज़ किया। या रसूलुल्लाह साद की (यानी मेरी) वालिदा का इंतिक़ाल हो गया है। कौनसा सदक़ा अफ़ज़ल है। इर्शाद फ़रमाया, पानी, उन्होंने

कुंवां खोदा और एलान कर दिया कि हाज़िही लि उम्मि सादिन यह साद की मां के लिए है। (अबूदाऊद) ग़र्ज़ ज़िन्दों के ईसाले सवाब से मुर्दों को फ़ायदा पहुंचता है। फ़िक्हा व अक़ायद की किताबों में इस का ज़िक्र तफ़्सील से मौजूद है यहां उसकी गुंजाइश नहीं।

फ़ायदा:- कलिमा गो गुमराह फ़िरक़ों में एक फ़िरक़ा जो मोअतज़िला के नाम से मशहूर हुआ। अगरचे उस फ़िरक़े का आज कहीं नाम व निशान नहीं। लेकिन उस गिरोह के बहुत से अक़ायद को बाद में पैदा होने वाले गुमराह फ़िरक़ों ने आपस में तक़्सीम कर लिया। मोअतज़िला के नज़दीक ज़िन्दों के ईसाले सवाब से मुर्दों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। आज फ़िरक़ा वहाबिया भी यही अक़ीदा रखता है और बात बात पर मुसलमानाने अहले सुन्नत को बिदअती व मुश्रिक ठहराता है। औरतों और जाहिलों पर उनका जादू जल्दी चढ़ जाता है। लिहाज़ा अपना दीन व मज़हब अज़ीज़ है तो न उनकी किताबें पढ़ो न उनके वाज़ व नसीहत पर कान धरो न उनसे ताल्लुक़ात रखो। जहां तक बन पड़े ऐसों से दूर रहना ही सलामती, ईमान का रास्ता है।

मसला :- ईसाले सवाब यानी कुरआन मजीद या दुरूद शरीफ़ या कलिमा तय्यबा या नमाज़ रोज़ा, हज ज़कात ग़र्ज़ हर किस्म की माली या बदनी इबादत और हर अमले नेक, फ़र्ज़ व नफ़िल का सवाब मुर्दों को पहुंचा सकते हैं इन सब को पहुंचेगा और उस सवाब में कुछ कमी न होगी बल्कि उसकी रहमत से उम्मीद कि सब को पूरा पूरा मिले। यह नहीं कि उसी सवाब को तक़्सीम हो कर टुकड़ा टुकड़ा मिले। (रद्दुलमुहतार) बल्कि उम्मीद यह है कि उस सवाब पहुंचाने वाले के लिए इन सब के मजमूए के बराबर मिले। मसलन कोई

नेक काम किया जिसका सवाब कम अज़ कम दस गुना मिले उसने इसका सवाब दस मुर्दों को बख़्श दिया तो हर एक को दस दस मिलेंगे और उसको एक सौ दस और हज़ार को पहुंचाया तो उसे दस हज़ार दस। व अला हाज़ल कियास (फ़तावा रिज़विया)

मसला :- नाबालिग़ ने कुछ पढ़ कर या कोई ने अमल करके उसका सवाब मुर्दा को पहुंचाया तो इन्शाअल्लाहु तआला पहुंचेगा। (फ़तावा रिज़विया)

यहां यह न समझना चाहिए कि फ़र्ज़ का सवाब मुर्दों को पहुंचा दिया तो अपने पास क्या रह गया। इस लिए कि सवाब पहुंचाने से अपने पास से कुछ न गया बल्कि इस ईसाले सवाब से फ़र्ज़ उसके ज़िम्मे से साकित हो गया और यह अदाएगी फ़र्ज़ से फ़ारिग़ हो गया। फिर दो बारा उनको अदा न किया जाएगा, वरना सवाब किस चीज़ का पहुंचाया गया। वहां की बातें यहां के कियास पर नहीं कि एक चीज़ दूसरे को दे दें तो अपने पास ही न रहे। (फ़तावा रिज़विया, बहारे शरीअत)

मसला:- मुसलमान को दुनिया से जाने के बाद जो सवाब कुरआन की तिलावत या कलिमा शरीफ़ और दुरूद शरीफ़ की किरआत और दूसरे आमाले सालिहा का तनहा या खाने कपड़े वग़ैरह के साथ पहुंचाया जाता है। उर्फ़ में उसे फ़ातिहा कहते हैं कि इस में सूरः फ़ातिहा पढ़ी जाती है और औलिया किराम को जो ईसाले सवाब करते हैं उसे ताज़ीमन नज़र व नियाज़ कहते हैं। आम मुहाविरा है कि बड़ों के हुज़ूर जो हदिया पेश करते हैं। उसे नज़र कहते हैं चुनांचे कहा जाता है कि बादशाह ने दरबार किया, उसे नज़र गुज़ारीं। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:- ईसाले सवाब का तरीक़ा यह है कि अव्वल ३ या ज़ायद

बार दुरूद शरीफ पढ़ें फिर सूर: फातिहा व आयतल कुरसी और तीन या पांच या सात बार या ग्यारह बार सूर: इख्लास (कुल हुवल्लाह) पढ़ें फिर तीन बार दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद दोनों हाथ उठा कर अर्ज़ करें कि-

इलाही मेरे इस पढ़ने पर (और अगर खाना कपड़ा वग़ैरह भी हों तो उनका नाम भी लें) और कहें कि इस पढ़ने और इन चीज़ों के देने पर जो सवाब मुझे आता हो उसे मेरे अमल के लायक़ न दे अपने करम के लायक़ अता फ़रमा और इसे मेरी तरफ से फ़लां वलीयुल्लाह मसलन हुज़ूर पुरनूर सय्यदना ग़ौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में नज़र पहुंचा और उनके आबा व किराम (जिनकी यह औलादें हैं) और मशायख किराम (जिनके यह मुरीदों में हैं) और औलाद व अमजाद, मुरीदीन व मुहिब्बीन और मेरे मां बाप और फ़लां और फ़लां (यहां उनका नाम लें जिन्हें ईसाले सवाब करना है) और सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम से रोज़े कियामत तक जितने मुसलामन हो गुज़रे या मौजूद हैं या कियामत तक होंगे सब को इसका सवाब पहुंचा। इसके बाद दोनों हाथ चेहरे पर फेरले। या जो तरीक़ा और अलफाज़ चाहें इस्तेमाल करें। बस इसका ख़्याल ज़रूर रखें कि हुज़ूर अक़दस सल्ल० और दूसरे अम्बिया व मुरसलीन और महबूनाने ख़ुदा मसलन हुज़ूर सय्यदना ग़ौसे आज़म व हुज़ूर सुल्तानुलहिन्द ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ वग़ैरहुमा के लिए सवाब बख़्शा नहीं कहते। यह लफज़ बहुत बेजा है। बख़्शना बड़ों की तरफ़ से छोटों को होता है। यहां नज़र करना कहना चाहिए। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:- और जो बाज़ किताबों में लिखा है कि खाना सामने

रख कर हाथ उठा कर कुरआन करीम वग़ैरह पढ़ कर सवाब बख़्शाना यह हिन्दूओं का तरीक़ा है। यह सिर्फ़ मुहमल व लायानी बात ही नहीं बल्कि वहाबिया की बेहूदगीगियों और गुमराहियों का एक नमूना है वरना हिन्दूओं में न क़ियामत का अक़ीदा है न वह सवाब व अज़ाब के क़ायल हैं तो उनके यहां ईसाले सवाब कहां। फिर कहां कुरआने अज़ीम की तिलावत और कहां वैदों की पढंत। "लाहौल व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम" हाजी इमदादुल्लाह शाह साहब मुहाजिर मक्की रह० ने यहां बड़ी अच्छी बात अपने रिसाला "फ़ैसलए हफ़्त मसायल" में लिखी वह फ़रमाते हैं "सल्फ़ में तो यह आदत थी कि मसलन खाना पकाकर मिस्कीन को खिला दिया और दिल से ईसाले सवाब की नीयत कर ली। मुताख्खिरीन (पहली सदी के बाद वाले उलेमा) में किसी को ख्याल आया कि जैसे नमाज़ में नीयत हर चंद दिल से काफी है। मगर मुवाफ़िक़ते कल्ब व लिसान (ज़बान व दिल की मुवाफ़िक़त) के लिए अवाम को ज़बान से कहना भी मुस्तहसन (अच्छा) है उसी तरह अगर यहां ज़बान से कह लिया जाए कि या अल्लाह इस खाने का सवाब फलां शख़्स को पहुंच जाए तो बेहतर है फिर किसी को ख्याल हुआ कि लफ्ज़ "इसका" मुशारुन इलैह (जिस की तरफ इशारा किया गया है)अगर रूबरू मौजूद हो तो ज़्यादा इस्तेहज़ारे कल्ब (हुजूरी दिल) हो खाना रूबरू लाने लगे। किसी को ख़्याल हुआ कि यह एक दुआ है इसके साथ अगर कुछ कलामे इलाही भी पढ़ा जावे तो कबूलियते दुआ की भी उम्मीद है और इस कलाम का सवाब भी पहुंच जाए कि जमा बैनुलइबादीन (दो इबादतों का यकजा होना) है।

चे ख़ुश बुवद कि बर आयद बयक करिश्मा दोकार

कुरआन शरीफ की बाज़ सूरतें भी जो लफ़्ज़ों में मुख़्तसर और सवाब में बहुत ज़्यादा हैं पढ़ी जाने लगीं। किसी ने ख्याल किया खाना जो मिस्कीन को दिया जावेगा उसके साथ पानी देना मुस्तहसन है। पानी पिलाना बड़ा सवाब है उस पानी को भी खाने के साथ रख लिया। पस यह हैयते कज़ाइया हासिल हो गई। यह है फातिहा मुरौविजा जिसे वहाबिया हराम बिदअत और गुनाह बताते हैं और उम्मते मरहूमा के सारे मुसलमानों को बिदअती ठहराते हैं। वलअयाज़ बिल्लाह

मसला:- किसी मुसलमान के इन्तिकाल के बाद तीसरे या सातवें या दसवें या चालीसवें दिन जो ईसाले सवाब के लिए मुकर्रर हैं यह महज़ रिवाजीं और उरफी बात है जो सुहूलियत की ख़ातिर सदियों से मुसलमानों में रायज है। इस तख्सीस को शरई कोई नहीं समझता और यह कोई नहीं कहता कि बस इसी दिन और तारीख को ईसाले सवाब किया जाए तो पहुंचेगा वरना नहीं बल्कि हक तो यह है कि इन्तिकाल के बाद ही से कुरआन मजीद की तिलावत और खैर खैरात का सिलसिला जारी हो जाता है और जिन्हें अल्लाह ने दिया है उनके यहां यह सिलसिला बहुत दिनों तक जारी रहता है। तो जो यह कहे कि इन मख्सूस दिनों के सिवा दूसरे दिनों में मुसलमान ईसाले सवाब को नाजायज़ मानते हैं वह मुसलमानों पर इफ़्तेरा करता और तुहमत जड़ता है और ज़िन्दों के मुर्दों को सवाब से महरूम करने की एक बेकार कोशिश करता है। (बहारे शरीअत) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हर पीर को नफ़िल रोज़ा रखते। क्या इतवार या मंगल को रखते तो न होता। या इससे यह समझा गया कि मआज़ल्लाह हुज़ूर ने पीर का रोज़ा वाजिब

समझा यही हाल तीजे चालीसवें वग़ैरह का है।

मसला:- सोम यानी तीजा मरने से दूसरे तीसरे रोज़ किया जाता है कि कुरआन मजीद या कलिमा तय्यिबा पढ़वा कर ईसाले सवाब करते हैं और बच्चों और अहले हाजत को चने बताशे या मिठाई वग़ैरह तक़सीम करते और खाना पकाकर गरीबों को देते या खिलाते हैं। फिर चालीसवें दिन खाना खिलाते हैं सब गरीबों या गरीब हाजतमंदों के घरों पर भेजते हैं यूंही हर जुमेरात को हस्बे हैसियत खाना पका कर उन्हें पहुंचाते हैं। फिर छः महीने पर ईसाले सवाब करते हैं उसके बाद बरसी होती है। यह सब जायज़ व बेहतर है और इसी ईसाले सवाब की मुख्तलिफ सूरतें हैं। (फ़तावा रिज़विया, बहारे शरीअत)

मसला:- हर रोज़ एक खूराक पर मय्यत की फ़ातिहा दिला कर मिस्कीन को देना और हर जुमेरात को चंद मसाकीन को खिलाना। चालीस रोज़ तक ऐसा ही करना और हो सके तो साल भर तक या हमेशा करना बेहतर है।

मसला:- बाज़ जाहिल घरानों में यह मामूल है कि चालीसवें दिन घड़े या मटके में पानी भर कर उस पर चादर रखते हैं कुछ पकाकर फ़ातिहा दिलाते हैं और उस को मकान से रूह निकालना करार देते हैं यह महज़ जिहालत हिमाकत व बिदअत है। हां फ़ातिहा दिलाना अच्छा है। यूंही चावल में शक्कर डाल कर तक़सीम करते हैं। शक्कर चावल मसाकीन को तक़सीम करना खूब है। मगर बिरादरी में मौत के लिए न बांटा जाए। यही हुक्म हलवा रोटी का है जो शबे बरात पर बिरादरी में तक़सीम की जाती है। हां बिरादरी में जो ग़रीब व मिसकीन हों उन्हें देना दूसरे मुहताजों के देने से अफ़ज़ल है और शबे बरात व अरफ़ा तक मय्यत की अलाहदा फ़ातिहा दिलाना और

यह समझना कि अरफ़ा तक अलग का हुक्म है। यह भी ग़लत और जिहालत है। (फ़तावा रिज़विया)

ईसाले सवाब के लिए जो कुछ किया जाए यह ज़रूरी है कि अच्छी नीयत से किया जाए अपनी शोहरत या वाह वाह के लिए न हो। नुमूदो नुमाइश मकसूद न हो वरना सवाब और ईसाले सवाब कैसा, दिखावे के तौर पर अमल करना सब के नज़दीक हराम है और सख़्त गुनाह की बात।

ईसाले सवाब के ग़लत तरीक़े

ईसाले सवाब के नाम पर आज कल लोग इस किस्म की ख़ैरात करते हैं कि छतों और कोठों पर से रोटियां और रोटियों के टुकड़े बिस्कुट वग़ैरह फेंकते हैं और सदहा आदमी उसको लूटते हैं। एक के ऊपर एक गिरता है। बाज़ के चोट लग जाती है और वह रोटियां या बिस्कुटों के टुकड़े नीचे ज़मीन पर गिर कर पांव से रौंदी जाती हैं बल्कि बाज़ औकात ग़लीज़ नालियों में भी गिरती हैं और रिज़्क की सख़्त बेअदबी व बेहुरमती होती है और बहुत कुछ बरबाद भी जाती हैं। यही हाल शरबत का है कि ऊपर से आबख़ोरों में लूट मचाई जाती है कि आधा आबख़ोरा भी शरबत का नहीं रहता। और तमाम शरबत गिर कर ज़मीन पर बहता और ज़ाया जाता है। यह न ख़ैर ख़ैरात है न सवाब न ईसाले सवाब। न इससे ख़ुदा व रसूल राज़ी न–उसपर किसी सवाब की उम्मीद सिर्फ़ नामवरी और दिखावे की सूरतें हैं जो हराम, और रिज़्क की बेअदबी और बरबादी का गुनाह अलग। काश कि यह चीज़ें इंसानियत के तरीके पर तकसीम की जाएं तो बेहुरमती भी न हो और लोग उससे फ़ायदा भी उठायें और करने

वाले सवाब कमायें। (फ़तावा रिज़विया वग़ैरह)

मसला:- उजरत लेकर कुरआन मजीद की तिलावत भी रिया के मानिंद है कि जब ईसाले सवाब के लिये उजरत ले करली तो तिलावत में इख़्लास कहां रहा। बलिक तिलावत से मक़सूद तो अब वह पैसे हैं। वह पैसे न मिलते तो यह पढ़ना भी नहीं। इस पढ़ने में कोई सवाब नहीं। फिर मय्यत के लिए ईसाले सवाब का नाम लेना ग़लत है कि जब सवाब ही न मिला तो पहुंचाएगा क्या? इस सूरत में न पढ़ने वाले को सवाब, न मय्यत को, बल्कि उजरत देने वाला और लेने वाला दोनों गुनाहगार। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- शबे बरात में हलवा पकता है और उस पर फ़ातिहा दिलाई जाती है। हलवा पकाना भी जायज़ और उस पर फ़ातिहा भी, इसी ईसाले सवाब में दाख़िल (बहारे शरीअत) और यह हलवा चूंकि पकाया ही इस नीयत से जाता है कि अइज़्ज़ा व अक़ारिब में भी तक़सीम होगा और ग़ुरबा को भी दिया जाएगा। इस लिए इसका खाना सब के लिए जायज़ है। शबे बरात में यह हलवा दर असल अइज़्ज़ा व अक़ारिब और मिलने मिलाने वालों में इस लिए तक़सीम किया जाता है कि इससे मुहब्बत ख़ुलूस का इज़हार होता है और मुसलमानों का सीना, पंद्रहवीं शब की बरकात के लिए साफ़ शफ़्फ़ाफ़ आईना की मानिंद है। हदीस शरीफ़ में है कि एक दूसरे का हदिया तोहफ़ा दिया करो इससे बाहिमी मुहब्बत बढ़ती है।

मसला:- माहे रजब में बाज़ जगह सूरः मुल्क (तबारकल्लज़ी) चालीस मर्तबा पढ़कर रोटियों या छुवारों पर दम करते और उन्हें तक़सीम करतें और सवाब मुर्दों को पहुंचाते हैं यह भी जायज़ है कि ईसाले सवाब में दाख़िल है।

फ़ायदा:- नबी करीम सल्ल० जब तक तन्ज़ील और तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क न पढ़ लेते, सोते न थे, (तिर्मिज़ी) इर्शादे गिरामी है कि कुरआन करीम में तीस आयत की एक सूरत है आदमी के लिए शिफ़ाअत करेगी। यहां तक कि उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। वह तबारकल्लज़ी है। (तिर्मिज़ी)

मसला:- इसी माहे रजब में हज़रत जलाल बुख़ारी रह० और बाज़ जगह हज़रत सय्यदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ि० को ईसाले सवाब के लिए खीर पुरी पकाकर कूंडे भरे जाते हैं और फ़ातिहा दिला कर लोगों को खिलाते हैं यह भी जायज़ है। हां एक बात बुरी रिवाज पा गई है वह यह कि जहां कूंडे भरे जाते हैं वहीं खिलाते हैं वहां से हटने नहीं देते। यह बेजा पाबंदी है और एकलग़वहरकत है। मगर यह जाहिलों का तरीका है पढ़े लिखे लोगों में यह पाबंदी नहीं। इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ि० की फ़ातिहा की मौका पर एक किताब भी पढ़ी जाती है जिसका नाम दास्ताने अजीब है उसमें जो कुछ लिखा है उसका कोई सुबूत नहीं लिहाज़ा न पढ़ी जाए। फ़ातिहा दिलाकर ईसाले सवाब करें। (बहारे शरीअत) अगरचे औलिया अल्लाह की करामातें बरहक़ हैं।

मसला:- माहे मुहर्रम में दस दिनों तक खुसूसन दसवीं को हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ि० व दीगर शुहदाए करबला को ईसाले सवाब करते हैं कोई शरबत पर फ़ातिहा दिलाता है। कोई शीरीनी बरीख पर, कोई मिठाई पर, कोई रोटी गोश्त पर, कोई खिचड़ा पकवाता है। बहुत से पानी और शरबत की सबील लगा देते हैं जाड़े में चाय पिलाते हैं यह सब जायज़ है। जो कारे खैर करो और सवाब पहुंचाओ, हो सकता है। इनकोनजायज़ नहीं कहा जा सकता है।

मसलाः- बाज़ जाहिलों में मशहूर है कि मुहर्रम में सिवाए शुहदाए करबला के दूसरों की फ़ातिहा न दिलाई जाए। उनका ख़्याल ग़लत है। जिस तरह दूसरे दिनों में सब की फ़ातिहा हो सकती है। इन दिनों में भी हो सकती है। (फ़तावा रिज़विया)

मसलाः- माहे रबीउल अव्वल की ग्यारहवीं तारीख़ बल्कि हर महीने की ग्यारहवीं को, हुजूर सय्यदना ग़ौसे आज़म रज़ि० की फ़ातिहा दिलाई जाती है यह भी ईसाले सवाब की एक सूरत है बल्कि ग़ौसे पाक रज़ि० की जब कभी फ़ातिहा होती है किसी तारीख़ में हो अवाम उसे ग्यारहवीं शरीफ़ की फ़ातिहा कहते हैं। इसी तरह माहे रजब की छटी तारीख़ बल्कि हर महीने की छटी तारीख़ को हुजूर ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ि० की फ़ातिहा भी ईसाले सवाब में दाख़िल है। (बहारे शरीअत)

मसलाः- असहाबे कहफ़ का तोशा या हुजूर ग़ौस रज़ि० का तोशा या हज़रत शैख़ अहमद अब्दुलहक़ रदौलवी क़ुदुस सिर्रहुल अज़ीज़ का तोशा भी जायज़ है और ईसाले सवाब में दाख़िल है। (बहारे शरीअत)

मसलाः- बाज़ मुसलमान गाय बकरा मुर्ग़ जो इस लिए पालते हैं कि उनको ज़िबह करके खाना पकवाकर किसी वलीउल्लाह (मसलन हुजूर सय्यदना ग़ौस आज़म रज़ि०) की रूह को ईसाले सवाब किया जाएगा यह भी जायज़ है और जानवर भी हलाल, मुसलमान के मुताल्लिक़ यह ख़्याल करना कि उसने अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत व तक़रीब की नीयत की है। हट धरमी और बद गुमानी है, अक़ीक़ा वलीमा और ख़तना वग़ैरह की तक़रीबों में जिस तरह जानवर ज़िबह किये जाते हैं और बाज़ मर्तबा पहले ही से नामज़द

कर देते और मुतअय्यन करलेते हैं कि फ़लां मौका और फ़लां काम के लिए ज़िबह किया जाएगा जिस तरह यह हराम नहीं वह भी हराम नहीं कि बवक़्ते ज़िबह तो उन पर फ़क्त अल्लाह अज़्ज़ोजल का नाम लिया जाता है। किसी और का नहीं अल्लाह तआला वहाबिया की सी औंधी मत किसी को न दे।

मसला:- वह खाना जो हज़रात अम्बिया व मुरसलीन अलै० और औलियाए किराम रज़ि० की अरवाह तय्यबा को नज़र किया जाता है और अमीर व ग़रीब सब को बतौर तबर्रुक दिया जाता है। यह सब को बिला तकल्लुफ़ रवा है और बाइसे बरकत है, बरकत वालों की तरफ़ जो चीज़ निस्बत की जाती है उसमें बरकत आ जाती है यही वजह है कि मुसलमान उसे तबर्रुक जानते और ऐसे खानों की ताज़ीम का एहतिमाम करते हैं।(फ़तावा रिज़वयिा)

फ़ातिहा पर कपड़ा डाल कर फ़ातिहा दिलाना और उसमें यह कैदें लगाना कि सिवाए शौहर वाली औरत, बेवा या अक्दे सानी वाली औरत, या मर्द या खाना न खायें यह सब औरतों की जिहालतें हैं जिनको मिटाना चाहिए किसी नियाज़ पर परदा डालने का कहीं हुक्म नहीं यह महज़ बे सुबूत और निरी एख़्तराई बातें हैं। (फ़तावा रिज़विया) हां मक्खी मच्छर वग़ैरह से हिफ़ाज़त की ख़ातिर खाने पीने की चीज़ों पर कपड़ा डाल दिया जाए तो कोई मुज़ाएका नहीं बल्कि बेहतर है।

मसला:- बाज़ ग़रीब और नादार घरानों में औरतों का मामूल है कि आटा जो रोज़ मर्रा पकाने के लिए निकाला जाता है उसमें से एक चुटकी या मुट्ठी भर आटा जमा करती जाती हैं और जब तीस दिन महीने के पूरे हो जाते हैं और ग्यारहवीं शरीफ़ का दिन आता है तो उस आटे या उसकी रोटी या हलवे वग़ैरह पर ग्यारहवीं शरीफ़

की फातिहा दिलाई जाती है। यह तरीका बहुत बरकत का बाइस है और उसमें आसानी रहती है। रोज़ के आटे में से एक चुटकी निकालना मालूम भी नहीं होता और महीने भर में खासी मिक्दार जमा हो जाती है।

मसला:– सोयम के चने बाज़ लोग शरमा हुजूरी ले लेते हैं और बाज़ दफा ग़ैर मुस्लिमों को दे देते हैं यह गुनाह है। लेने वाला फ़कीर है तो खुद खाले और जो नहीं खाते वह न लें और ले लिऐ हों तो किसी मुसलमान फ़कीर को दे दें और वालिदैन ग़नी हों तो अपने बच्चों को मना करदें कि वह यह चने न लें। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:– जब ईद बक्रईद या जुमा या आशूरा का दिन या शबे बरात होती है अमवात की रूहें आकर अपने घरों के दरवाज़े पर खड़ी होती और कहती हैं, है कोई कि हम पर तरस खाए, है कोई कि हमारी गुरबत की याद दिलाए।(खज़ानतुरिवायात)

मसला:– ईसाले सवाब के लिए मीलाद शरीफ़ भी पढ़वाया जाता है, यह भी जायज़ है और अज्र व सवाब का काम। इसका सवाब भी मय्यत को पहुंचता है। ग़र्ज़ नेक नीयती से जो खैरात की जाती है और उसका सवाब मय्यत को पहुंचाया जाता है तो वह मरने वाला इससे ऐसा खुश होता है जैसे दुनिया में दोस्तों के तोहफे हदिये से बल्कि किताबों में आया कि फरिश्ते इन सवाबों को नूर के तबाक में रख कर मय्यत के पास ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि ऐ गहरी कब्र वाले। यह सवाब तेरे फलां अज़ीज़ या दोस्त ने तुझे भेजा है। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:– लोगों में मशहूर है कि तआमुल मय्यिति युमय्यितुल क़ल्ब यानी मय्यत का खाना क़ल्ब स्याह कर देता है। उलमाए किराम

ने इस के यह मानी बयान फ़रमाए हैं कि जो लोग मय्यत के खाने की तमन्ना और इन्तिज़ार में रहते हैं कि कब कोई मरे और उसका खाना मिले और उसके न मिलने से नाखुश और मलूल होते हैं उनका क़ल्ब स्याह यानी दिल मुर्दा हो जाता है और इबादत व बंदगी, ज़िक्र अज़कार और नेक कामों के लिए शौके इंहिमाक दिलचस्पी चुस्ती उनमें बाक़ी नहीं रहती इस लिए कि वह अपनी शिकम सैरी और ज़बान के ज़ायक़े की खातिर मुसलमानों की मौत का इन्तिज़ार करते रहते हैं और खाना खाते वक़्त उसकी लज़्ज़तों और ज़ायक़ों में खो कर मौत व क़ब्र को भूल जाते हैं उन्हें सिर्फ़ अपने हलवे मांडे से काम होता है किसी और से कोई ग़र्ज़ नहीं रहती। ज़ेहन में यह बात न आती हो अब तजुर्बा करके देख ले तजुर्बा व मुशाहिदा से बढ़ कर और क्या दलील चाहिए। वल्लाहु आलम। ग़ालिबन इसी बुनियाद पर बहुत से लोग अगरचे शरअन ग़रीब होते हैं सोम व चहल्लुम वग़ैरह के मौक़ों पर की जाने वाली दावतों में शिरकत से गुरेज़ करते हैं उनका यह इक़दाम सही है। उन्हें बिरादरी या पंचायत के क़ानून में घसीटना मज़मूम हरकत है।

हां औलियाए किराम की नज़र व नियाज़ तआमे मय्यत नहीं वह तबर्रुक है उसे फ़क़ीर भी खाएं और ग़नी भी, नीयत बख़ैर हो तो दीन व दुनिया में उसकी बरकतें भी ज़ाहिर हो जाती हैं। (फ़तावा रिज़विया वग़ैरह)

वालिदैन के हुकूक़ वफ़ात पाजाने के बाद

१. सबसे पहला हक़ बाद मौत उनके जनाज़े की तजहीज़, गुस्ल कफ़न, नमाज़, दफ़न और उन कामों में ऐसे सुनन व मुस्तहब्बात (शरीअत के अहकाम) की रिआयत जिससे उनके लिए हर ख़ूबी व बरकत व रहमत व वुस्अत की उम्मीद हो।

२. उनके लिए दुआ व इस्तग़फ़ार हमेशा करते रहना इससे कभी ग़फ़लत न बरतना।

३. सदक़ा व ख़ैरात आमाले सालिहात का सवाब उन्हें पहुंचाते रहना हस्बे ताक़त इसमें कमी न करना बल्कि जो नेक काम करें सब का सवाब उन्हें और सब मुसलमानों को पहुंचा देना कि उन सब को सवाब पहुचं जाएगा और उसके सवाब में कमी न होगी। बल्कि बड़ी तरक़्क़ियां नसीब होंगी।

४. उन पर क़र्ज़, किसी का आता हो तो उसे अदा करने में हद दर्जा की जल्दी व कोशिश करना और अपने माल से उनका अदा होने को दोनों जहां की सआदत समझना आप में कुदरत न हो तो अज़ीज़ों क़रीबों फिर बाकी अहले ख़ैर से उसकी अदा में इमदाद लेना।

५. उन पर कोई फ़र्ज़ रह गया तो जहां तक बस में हो उसके अदा में कोशिश करना। हज न किया हो तो ख़ुद उनकी तरफ़ से हज करना या हज बदल कराना। ज़कात या उशर का मुतालिबा उन पर रहा हो तो उसे अदा करना। नमाज़ या रोज़ा बाक़ी हो तो सका कफ़्फ़ारा देना व अला हाज़ल क़ियास हर तरह इस कोशिश में रहना कि उन पर कोई मुतालिबा शरीअत का बाक़ी न रह जाए।

६. उन्होंने जो वसीयत (कि शरअन जायज़ हो) की हो उसके नाफ़िज़ करने में कोशिश करना अगरचे शरअन अपने ऊपर लाज़िम न हो, अगरचे अपने ऊपर बार हो। मसलन वह निस्फ़ जायदाद की वसीयत अपने किसी अज़ीज़ (जो वारिस नहीं) या अजनबी महज़ के लिए कर गए तो शरअन तिहाई माल से ज़्यादा वारिसों की इजाज़त के बग़ैर नाफ़िज़ नहीं मगर औलाद को मुनासिब है कि उन की वसीयत मानें और उनकी ख़ुशी पूरी करने को अपनी ख़्वाहिश पर मुक़द्दम जानें।

७. उनकी क़सम बाद मर्ग भी सच्ची ही रखना। मसलन मां बाप ने क़सम खाई थी कि मेरा बेटा (या मेरी बेटी) फ़लां जगह न जाएगा, या फ़लां से न मिलेगा तो उनके बाद यह ख़्याल करना कि अब वह तो हैं नहीं उनकी क़सम का क्या ख़्याल। नहीं बल्कि उसका वैसा ही पाबंद रहना जैसा कि उनकी हयात में रहता। जब तक कि कोई हर्ज शरई मानेअ न हो। और कुछ क़सम पर मौक़ूफ़ नहीं हर तरह नेक कामों में बाद मर्ग उनकी मर्ज़ी का पाबंद रहना।

८. उनके रिश्तेदारों के साथ उम्र भर नेक सुलूक किए जाना।

९. कभी किसी के मां या बाप को बुरा कह कर जवाब में उन्हें बुरा न कहलवाना।

१०. और सब में सख़्त तर, आम तर जिसका हमेशा लिहाज़ रखा जाए यह हक़ है कि कभी कोई गुनाह करके उन्हें क़ब्र में रंज न पहुंचाना। औलाद के सब आमाल की मां बाप को ख़बर पहुंचती है। नेकियां देखते हैं तो ख़ुश होतें हैं और उनका चेहरा ख़ुशी से दमकने लगता है और गुनाह देखते हैं तो रंजीदा होते हैं। उनके क़ल्ब पर सदमा पहुंचता है। मां बाप का यह हक़ नहीं कि क़ब्र में उन्हें रंज

दिया जाए। हदीस में फ़रमाया कि हर जुमा मां बाप पर औलाद के एक हफ़्ते के आमाल पेश किये जाते हैं नेकियों पर खुश होते हैं। बुराइयों पर रंजीदा होते हैं तो अपने गुज़रे हुवों को रंजीदा न करो ऐ अल्लाह के बन्दो।

११. उनके दोस्तों से दोस्ती निबाहना। हमेशा उनका एज़ाज़ व इकराम रखना। उनके हुकूक में बेटा बेटी सब बराबर हैं और खास मर्दों पर यह हक है कि हर जुमा को उनकी ज़ियारत कब्र के लिए जाना, वहां कुरआन शरीफ ऐसी आवाज़ से कि वह सुनें पढ़ना और उसका सवाब उनकी रूह को पहुंचाना। राह में जब कभी उनकी कब्र आए बग़ैर सलाम व फ़ातिहा न गुज़रना। अल्लाह ग़फूरुर्रहीम करीम जल्ल जलालुहू सदका अपने हबीब रऊफ व रहीम अलैहि व अला आलिही अफज़लुस्सलात वत्तस्लीम हम सब मुसलमानों को नेकियों की तौफीक बख़्शे, गुनाहों से बचाए, हमारे अकाबिर की कब्रों में हमेशा नूर व सुरूर पहुंचाए कि वह कादिर है और हम आजिज़, वह ग़नी है और हम मुहताज।

बिलजुमला वालिदैन का हक वह नहीं कि इंसान उससे कभी बरीउज़्ज़िम्मा हो सके। वह उसकी हयात व वुजूद के सबब हैं तो कुछ नेमतें दीनी व दुनियावी पाएगा सब उन्हीं के तुफ़ैल में हुयीं कि हर नेमत व कमाल, वुजूद पर मौकूफ है और वुजूद के सबब वह हुए, तो सिर्फ मां बाप होना ही ऐसे अज़ीम हक का मूजिब है जिस से बरिउज़्ज़िम्मा कभी नहीं हो सकता। न कि उसके साथ उसकी परवरिश में, उनकी कोशिशें, उसके आराम के लिए उनकी तकलीफें खुसूसन पेट में रखने पैदा होने, दूध पिलाने में मां की अज़ीयतें उनका शुक्र कहां तक अदा हो सकता है।

खुलासा यह यह कि मां बाप औलाद के लिए, अल्लाह व रसूल जल्ल जलालुहू व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम के साए और उन की रबूबियत व रहमत के मज़हर है। वलि हाज़ा कुरआन अज़ीम में जल्ल जलालुहू ने अपने हक के साथ उनका हक ज़िक्र फ़रमाया। اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ हक़ मान मेरा और अपने मां बाप का।

हदीस में है कि एक सहाबी रज़ि० ने हाज़िर हो कर अर्ज़ की या रसूलुल्लाह! एक राह में ऐसे गरम पत्थरों पर कि अगर गोश्त का टुकड़ा उन पर डाला जाता, कबाब हो जाता छः मील तक अपनी मां को अपनी गरदन पर सवार करके ले गया हूं। क्या अब उन के हक से अदा हो गया।

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "तेरे पैदा होने में, जिस कद्र दर्दों के झटके, उसने उठाए हैं, शायद यह उनमें एक झटके का बदला हो सके।" (तबरानी)

अल्लाह अज़्ज़ोजल उकूक व नाफ़रमानी वालिदैन से बचाए और अदाए हुकूक व हुसने खिदमत की तौफ़ीक अता फ़रमाए आमीन। (अफ़ादाते रिज़विया)

ज़कात का बयान

ज़कात सन् २ हिजरी में मुसलमानों पर फ़र्ज़ हुई। नबी करीम सल्ल० नेक और रहम दिल पहले ही मिसकीनों के हमदर्द ग़रीबों के बही ख्वाह दर्दमंदों के ग़मगुसार थे और इस्लाम में शुरू ही से मसाकीन और गुरबा की दस्तगीरी पर, मुसलमानों को खुसूसियत से तवज्जोह दिलाई जाती थी उनकी हमदर्दी को गुरबा का रफ़ीक बताया

जाता था और मुसलमान उस पाक तालीम की बदौलत, गुरबा व मसाकीन के लिए बहुत कुछ किया भी करते थे ताहम कोई ऐसा कायदा मुकर्रर न था जिस पर बतौरे आईन व ज़ाबता के अमल किया जाता हो। इस लिए दौलतमंद जो कुछ भी करते थे अपनी फैयाज़ी और नेक दिली से करते थे। अल्लाह तआला ने ज़कात को फर्ज़ और इस्लाम का तीसरा रुक्न (कलिमा शहादत और नमाज़ के बाद) करार दिया। ज़कात दर हक़ीक़त उस सिफ़्ते हमदर्दी व रहम के बाक़ायदा इस्तेमाल का नाम है जो इंसान के दिल में अपने हम जिंसों के साथ कुदरतन फ़ितरतन मौजूद है। ज़कात अदा करने से अदा करने वाले को यह फ़ायदा भी होता है कि माल की मुहब्बत अख़्लाके इंसानी को मग़लूब नहीं कर सकती और बुख़्ल और कंजूसी के उयूब से इंसान पाक रहता है और यह फ़ायदा भी कि गुरबा व मसाकीन को वह अपनी कौम का जुज़ समझता रहता है और इसलिए बेहद दौलत का जमा होना भी उस में तकब्बुर व गुरूर पैदा नहीं होने देता और यह फ़ायदा भी है कि गुरबा के गिरोह कसीर को उसके साथ एक उन्स मुहब्बत और उसकी दौलत व सरवत के साथ हमदर्दी व ख़ैरख़्वाही पैदा हो जाती है चूंकि वह उसके माल में अपना एक हिस्सा मौजूद व कायम समझते हैं गोया दौलतमंद मुसलमान की दौलत एक ऐसी कम्पनी की दौलत की मिसाल पैदा कर लेती है जिस में अदना और आला हिस्से के हिस्सेदार शामिल हैं। कौम को यह फ़ायदा है कि ज़कात की बदौलत, भीख मांगने की रस्म कौम से बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जाती है। (माख़ूज़)

ज़कात अरकाने इस्लाम में एक अहम रुक्न है कुरआने अज़ीम में बीसीयों जगह नमाज़ के साथ इसका ज़िक्र फ़रमाया और तरह तरह

से इस फ़र्ज़े आज़म की तरफ़ बुलाया और साफ़ साफ़ फ़रमा दिया कि हरगिज़ यह न समझना कि ज़कात दी तो माल में से इतना कम हो गया बल्कि उससे माल बढ़ता है बाज़ दरख़्तों में कुछ अज्ज़ाए फ़ासिदा इस क़िस्म के पैदा हो जाते हैं कि पेड़ की उठान को रोक देते है। अहमक़ नादान उन्हें न तराशेगा कि मेरे पेड़ में से इतना कम हो जाएगा मगर आक़िल होशमंद तो जानता है कि उनके छांटने से यह नौ निहाल, लहलहा कर दरख़्त बनेगा वरना यूं ही मुरझा जाएगा।

यही हिसाब उस माल का है जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो चुकी कि ज़कात अदा कर दी जाएगी। माल महफ़ूज़ रहेगा बढ़गा। परवरिश पाएगा और ज़कात अदा न की जाएगी तो ख़ुदा व रसूल के फ़रमान के तहत "ज़कात का माल जिस माल में मिला होगा, उसको तबाह व बरबाद कर देगा।"

हुज़ूर वाला सल्ल० फ़रमाते हैं "ख़ुशकी व तरी में जो माल तल्फ़ होता है वह ज़कात न देने ही से तल्फ़ होता है।"

अज़ीज़ बहनो और बीबियो ! एक बेअक़्ल गंवार को देखो कि तुख़्मे गन्दुम अगर पास नहीं होता बहज़ार दिक़्क़त क़र्ज़ दाम से हासिल करता और उसे ज़मीन में डाल देता है उस वक़्त तो वह अपने हाथों से ख़ाक में मिला दिया मगर उम्मीद लगी है कि ख़ुदा चाहे तो यह खोना बहुत कुछ पाना हो जाएगा। तुम्हें उस गंवार किसान के बराबर भी अक़्ल नहीं। या जिस क़द्र ज़ाहिरी असबाब पर भरोसा है अपने मालिक जल्ल व अला के इर्शाद पर इतना इत्मिनान भी नहीं कि अपना माल बढ़ाने और एक एक दाना का एक एक पेड़ बनाने को ज़कात का बीज नहीं डालती हो। वह फ़रमाता है "ज़कात दो तुम्हारा माल

बढ़ेगा।"

अगर मआज़ल्लाह,दिल में उस फ़रमान पर यक़ीन नहीं जब तो खुला कुफ्र है और अगर दिल में तो यक़ीन है मगर ग़फ़लत व लापरवाही के बाइस इधर तवज्जोह नहीं तो तुम से बढ़ कर अहमक़ कौन कि अपने यक़ीनी नफ़ा दीन व दुनिया की ऐसी भारी तिजारत को छोड़ कर दोनों जहां का नुकसान मोल लेती हो।

हदीस शरीफ़ में है कि दो औरतें हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमते वाला में सोने के कंगन पहने हाज़िर हुयीं। हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया इन की ज़कात दोगी। अर्ज़ किया, न, फ़रमाया क्या चाहती हो कि अल्लाह तआला तुम्हें आग के कंगन पहनाए। अर्ज़ किया, नहीं, फ़रमाया तो ज़कात दो। (तिर्मिज़ी)

एक और हदीस में है कि एक बीबी चांदी के छल्ले पहने थीं, फ़रमाया इनकी ज़कात दोगी, उन्होंने कुछ इंकार सा किया। फ़रमाया यही तुझे जहन्नम में ले जाने को काफी हैं। ग़र्ज़ ज़कात न देने की जानकाह आफ़तें वह नहीं जिन की ताब आसके। फिर उससे बढ़कर अहमक़ कौन कि अपना माल झूटे सच्चे नाम की ख़ैरात में सर्फ़ करे और अल्लाह अज़्ज़ोजल का फ़र्ज़ और उस बादशाह कहार का वह भारी क़र्ज़ गरदन पर रहने दे। यह शैतान का बड़ा धोका है कि आदमी को नेकी के परदे में हलाक करता है।

औरतें गहना ज़ेवर और भारी जोड़े तो बड़े अरमान से बनवाती और शौक़ से पहनती हैं। लेकिन जब ज़कात का नाम आता है तो तरह तरह के हीले बहानों से उसे टालती हैं कुछ ज़्यादा ग़ैरतमंद होती हैं तो वह कहती हैं कि हम कहां से लायें। हम क्या कोई कमाई करती हैं। शौहर ही दें या न दें।

हालांकि औरत और शौहर का मुआमला दुनिया के एतबार से कितना ही एक हो मगर अल्लाह तआला के हुक्म में वह जुदा जुदा हैं। जब औरत के पास ज़ेवर है और ज़कात के क़ाबिल ज़ेवर है तो औरत पर ज़कात ज़रूर वाजिब है। ख़्वाह कहीं से और किसी तरह अदा करें। अगरचे उसे अ करने के लिए ज़ेवर क्यों न बेचना पड़े कि ज़ेवर ख़ुद माल है उसमें से ज़कात अदा की जाए या फिर शौहर से उस ज़रूरत के लिए रक़म की दरख़्वास्त की जाए।

हां शौहर से जो कुछ ख़र्च बच्चों के लिए मिलता है उसमें से ज़कात देने का हरगिज़ अख़्तियार नहीं। तुम्हारे ज़ाती ख़र्च को वह जो कुछ तुम्हें देते हैं उसमें से ज़कात दे सकती हो।

मसाइल ज़कात

मसला:- आदमी (मर्द ख़्वाह औरत) जिनकी औलाद में ख़ुद है यानी मां बाप, दादा दादी, नाना नानी, या जो अपंनी औलाद में हैं यानी बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, और शौहर व ज़ौजा, इन रिश्तों के सिवा अपने जो अज़ीज़ क़रीब हाजतमंद हों, मसरफ़ ज़कात हैं अपने माल की ज़कात उन्हें दे, जैसे भाई बहन, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, मामूं, ख़ाला, चचा, फूफी, कि इन्हें देने में दूना सवाब है और नफ़्स पर बार भी कम होगा कि अपने सगे बहन भाई या भतीजें भांजे को दिया हुआ आदमी अपने ही काम में उठना जानता है।

फिर यह भी कुछ ज़रूरी नहीं कि उन्हें ज़कात जता कर ही दे बल्कि दिल में ज़कात की नीयत और उन्हें ईदी वग़ैरहा या शादियों की रसूम, ख़्वाह किसी बात का नाम कर के, उस रक़म का

मालिक करदे ज़कात अदा हो जाएगी। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:- बहू और दामाद और सौतेली मां या सौतेले बाप या ज़ौज की औलाद कि उसके बतन से नहीं को औरत ज़कात दे सकती है। यूंही शौहर अपनी ज़ौजा की औलाद को जो उसके नुतफ़े से नहीं ज़कात दे सकता है। (रददुलमुहतार)

मसला:- ज़कात की रक़म के एवज़ मुहताजों को कपड़ा बना देना या उस रुपये के एवज़ बाज़ार के भाव से उस कीमत का ग़ल्ला मुहताज को दे कि बनीयते ज़कात मालिक बना देना जायज़ व काफी है। ज़कात अदा हो जाएगी मगर जिस क़दर चीज़ मुहताज की मिल्क में गई बाज़ार के भाव से जो क़ीमत उसकी है वह मुजरा होगी। बालाई ख़र्च मसलन ग़ल्ला वग़ैरह इजनास की पल्ला बरदारी,या खाना पकाकर दिया तो पकवाई की उजरत, या कपड़ा सिलवा कर दिया तो उसकी सिलाई, यह उसमें शुमार न किए जायेंगे (फ़तावा रिज़विया) हां अगर ज़कात की रकम से खाना पकाकर फ़क़ीरों मिसकीनों को मसलन अपने घर बुलाकर बतरीके दावत खिला दिया तो हरगिज़ ज़कात न होगी कि इस सूरत में मालिक कर देना न पाया गया। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- शरीअते मुताहिरा ने सोने चांदी के निसाब पर कि हाजत असलिया (जिसकी तरफ़ ज़िंदगी बसर करने में आदमी को ज़रूरत है) जैसे रहने का मकान, जाड़े गरमियों में पहनने के कपड़े, खानादारी का सामान, सवारी के जानवर या मोटर वग़ैरह से फ़ारिग़ हो ख़्वाह वह रुपया अशरफ़ी हो या गहना ज़ेवर या बरतन। ख़्वाह उनका इस्तेमाल जायज़ हो या नाजायज़, जब उस निसाब पर चांदी के हिसाब से बारह महीने गुज़र जायेंगे यानी जिस दिन तारीख़ वक़्त पर आदमी

साहबे निसाब हुआ जब तक निसाब रहे वही दिन वही तारीख वही वक़्त जब आएगा। उसी वक़्त कमरी साल का उस पर गुज़र जाना समझा जाए और ज़कात अदा करना फ़ौरन वाजिब होगा अब उसके अदा करने में जितनी देर लगाएगी गुनहगार होगी। (आमए कुतुब)

मसला:- साल भर तक खैरात करती रही अब ज़कात की नीयत की कि अबतक जो कुछ दिया है वह ज़कात है तो यह नीयत मोतबर नहीं लिहाज़ा ज़कात अदा न हुई। ज़कात देते वक़्त या ज़कात के माल अलहदा करते वक़्त नीयत ज़कात शर्त है।

मसला:- सोने का निसाब साढ़े सात तोला है और चांदी का निसाब साढ़े बावन तोला। (आमए कुतुब)

मसला:- ज़कात साल तमाम होने से पहले पेशगी अदा करे। तो उसके लिए बेहतर माहे रमज़ानुल मुबारक है जिस में नफ़्ल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सत्तर फ़र्ज़ों के बराबर। लिहाज़ा अगर बनीयत ज़कात थोड़ी थोड़ी रक़म, उसके मसरफ़ में खर्च करती रही तो साल तमाम पर हिसाब करले उस वक़्त जो वाजिब निकले अगर पूरा दे चुकी फ़बिहा, और अगर कम गया है तो बाक़ी फ़ौरन अब देदे और ज़्यादा पहुंच गया तो उसे आइन्दा साल में मुजरा करले। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:- सय्यद को ज़कात लेना भी हराम और उसे देना भी हराम। न सय्यद को ज़कात देने से ज़कात अदा हो कि ज़कात माल का मैल है और सादात किराम कि पाक सुथरे लतीफ़ और अहले बैते नबुव्वत से हैं। उनकी शान इससे आला है कि उन्हें ऐसी चीज़ें दी जाएं। मुसलमानों पर लाज़िम है कि हाजतमंद सादात की इआनत करें। कि यह चीज़ उनके लिए

दोनों जहां में सआदत की मूजिब है। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:- नाबालिग़ लड़कियों का जो ज़ेवर बनाय गया और अगर उन्हें अभी मालिक न किया गया बल्कि अपनी ही मिल्क पर रखा और उनके पहनने के सर्फ़ में आता है अगरचे नीयत यह कि हो कि ब्याह होने पर उनके जहेज़ में देदेंगे जब तो वह ज़ेवर मां बाप जिसने बनाया है उसी की मिल्क है। अगर तनहा या उसके और माल से मिल कर क़द्रे निसाब है तो उसी मालिक पर उसकी ज़कात है और अगर नाबालिग़ लड़कियों की मिल्क कर दिया गया तो उसकी ज़कात किसी पर नहीं। मां बाप पर तो यूं नहीं कि उनकी मिल्क नहीं और लड़कियों पर यूं नहीं कि वह नाबालिग़ा हैं जब जवान होंगी उस वक़्त से उन पर एहकाम ज़कात वग़ैरह के जारी होंगे। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:- वह ज़ेवर जो औरत की मिलकियत है। उसकी ज़कात हरगिज़ शौहर के ज़िम्मे नहीं अगरचे वह कसीर माल रखता हों न शौहर को उस ज़ेवर की ज़कात देने का उस शौहर पर कोई वबाल व गुनाह। हां मुनासिब तरीक़ा पर तंबीह व ताकीद करदे और उसे समझाये कि ज़कात न देना कितना बड़ा गुनाह है और वह ज़ेवर कि शौहर ने औरत को दे दिया और उसकी मिल्क कर दिया उस पर भी यही हुक्म है और अगर मिल्क न किया बल्कि अपनी ही मिल्क में रखा और औरत को सिर्फ़ पहनने बरतने को दिया जैसा कि बाज़ घरानों में रिवाज है तो बेशक उसकी ज़कात मर्द के ज़िम्मे है। जबकि खुद या दूसरे माल से मिल कर क़द्रे निसाब हो और हाजत असलिया से फ़ारिग़। (फ़तावा रिज़विया)

वह दैन (जैसे उर्फ़े आम में क़र्ज़ उधार से ताबीर करते हैं) जो

किसी माल का बदल न हो जैसे औरत का महर कि हुकूके ज़ौजियत अदा करने का एवज़ है अगरचे कितना ही कसीर हो चूंकि आदतन उसका मुतालिबा नहीं किया जाता इस लिए औरत इसकी वजह से साहबे निसाब करार न दी जाएगी। न उस दैन महर की ज़कात उस पर वाजिब होगी। अगरचे दस बीस बरस गुज़र जायें। खुसूसन महर मुवख़्ख़र जो आम तौर पर यहां रायज है जिस की अदा की मीआद मुकर्रर नहीं होती। इसके मुतालबे का तो औरत को अख़्तियार ही नहीं जब तक मौत या तलाक वाकेअ न हो। हां हक्के महर वसूल कर लिया और बकद्रे निसाब पर साल पूरा हो गया तो अब ज़कात वाजिब हो गई। यूंही दैन महर के अलावा और कोई निसाब ज़कात उसी की जिंस से उसके पास मौजूद थी उस पर साल चल रहा था तो जो वसूल हुआ उसमें मिला लिया जाएगा और उसी माल के साले तमाम पर कुल ज़कात लाज़िम होगी। (रददुलमुहतार फ़तावा रिज़विया)

सदकृए फ़ित्र का बयान:- हुजूर अकदस सल्ल० का इर्शादे गिरामी है कि बन्दे का रोज़ा आसमान व ज़मीन के दरमियान मुअल्लक रहता है जब तक सदकाए फ़ित्र अदा न करे। (इब्ने असाकर)

मसला:- ईद के दिन सुबह सादिक होते ही सदकाए फ़ित्र, हर मुसलमान मालिके निसाब मर्द व औरत पर जिसकी निसाब, हाजते असलिया से फ़ारिग़ हो वाजिब होता है और मसनून यह है कि नमाज़े ईद से पहले अदा कर दिया जाए। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- आकिल बालिग़ होना सदकए फ़ित्र में शर्त है उनके वली उनके माल से अदा करे (रददुलमुहतार)

मसला:- मर्द मालिक निसाब पर अपनी तरफ से और अपने छोटे बच्चे की तरफ से सदक़ाए फ़ित्र वाजिब है जबकि बच्चा ख़ुद साहब निसाब न हो और मां पर ख़ुद अपना सदक़ा वाजिब है जबकि मालिके निसाब हो। छोटे बच्चों की तरफ से सदक़ा देना मां पर वाजिब नहीं। (रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

रोज़े का बयान

रोज़ा शरीअत में उसे कहते हैं कि इंसान, सुबह सादिक़ से, ग़ुरूबे आफ़ताब तक बनीयत इबादत, अपने आप को क़सदन खाने पीने और अमले ज़ौजियत से रोके रखे।

इस्लाम के जैसे और अहकाम बतदरीज (वक़्फ़ा वक़्फ़ा से) फ़र्ज़ किये गये उसी तरह रोज़ा की फ़र्ज़ियत भी बतदरीज आयद की गई। नबी करीम सल्ल० ने इब्तिदा में मुसलमानों को सिर्फ हर महीने तीन दिन के रोज़े रखने की हिदायत फ़रमाई थी। मगर यह रोज़े फ़र्ज़ न थे। फिर सन् २ हि० में रमज़ान के रोज़ों का हुक्म कुरआने करीम में नाज़िल हुआ। और साल में एक महीने के रोज़े रखना इस्लाम का चौथा रुक्न क़रार पाया मगर इसमें इतनी रियायत रखी गई कि जो लोग रोज़ा रखने की ताक़त रखने के बावजूद रोज़ा न रखना चाहें वह हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दिया करें। बाद में दूसरा हुक्म नाज़िल हुआ और आम लोगों के लिए यह हिदायत मन्सूख कर दी गई और यह रिआयत सिर्फ उन लोगों के हक़ में बाक़ी रखी गई जो रोज़ा रखने को तो रख लें लेकिन भूख प्यास की बरदाश्त उन पर दुश्वार हो मुशक्कत बहुत उठानी पड़े। मसलन ज़्यादा बूढ़े मर्द या बूढ़ी औरतें या हामिला

और दूध पिलाने वाली औरतें।

इस्लामी रोज़े की ग़र्ज़ व ग़ायत कुरआन करीम ने यह बयान फ़रमाई है कि रोज़े खुदातरसी की ताक़त इंसान के अन्दर मुस्तहकम कर देते हैं।

तक़वा की मिसालों पर ग़ौर करो कि :-

गर्मी का मौसम है रोज़ादार को सख़्त प्यास लगी है। मकान तनहा है। कोई टोकने वाला, हाथ रोकने वाला नहीं। कोरी सुराही में साफ़ सुथरा निखरा हुआ ठंडा पानी उसके सामने मौजूद है मगर वह पानी नहीं पीता।

रोज़ेदार को सख़्त भूख लगी हुई है। भूख की वजह से जिस्म में ज़ोफ़ भी महसूस करता है। नफ़ीस खुश ज़ायक़ा मुरग़न खाना मयस्सर है। कोई शख़्स उसे देख भी नहीं सकता। किसी को कानों कान खबर न होगी मगर वह खाना नहीं खाता।

प्यारी दिल पसंद बीवी घर में मौजूद है जहां न ख़्वेश है न बेगाना न अपना है न परायां मुहब्बत के जज़्बात उसे उभारते हैं। उलफ़त ने दानों को एक दूसरे का शैदा बना रखा है लेकिन रोज़ेदार उससे पहलू तेही अख़्तियार करता है। वजह यह है कि खुदा के हुक्म की इज़्ज़त और अज़मत उसके दिल में इस कद्र जांगुज़ीं है कि कोई जज़्बा भी उस पर ग़ालिब नहीं आ सकता और रोज़ा ही उस अज़मत व जलाले इलाही के दिल में कायम होने का बाइस हुआ है। यह ज़ाहिर है कि जब एक ईमानदार आदमी खुदा के हुक्म की वजह से जायज़ हलाल पाकीज़ा ख़्वाहिशों को छोड़ देने की आदत कर लेता है तो वह बिलज़रूर खुदा के हुक्म की वजह से हराम नाजायज़ और गंदी आदतों और ख़्वाहिशों को छोड़ देगा

और उनके इरतिकाब की कभी जुरअत न करेगा।

यही वह अख़्लाक़ी बरतरी है जिसका रोज़ेदार के अन्दर पैदा करना और उसे मुस्तहकम कर देना शरअ का मक़सूद है। इसी लिए ग़ीबत फुहश बद ज़बानी बद लगामी और बुरी बातों और तमाम गुनाहों से रोज़े में बचे रहने की सख़्त ताकीदें अहादीस में आई हैं। चुनांचे इर्शाद है कि जो रोज़ादार झूट कहना, लगू बकना और लंगू व फ़िज़ूल कामों को करना नहीं छोड़ता तो ख़ुदा को कुछ परवाह नहीं अगर वह खाना पीना छोड़ देता है।

एक और हदीस शरीफ़ में है कि "रोज़ा सपर है जबतक उसे फाड़ा न गया हो। अर्ज़ की गई, किस चीज़ से फाड़ेगा? इर्शाद फ़रमाया "झूट या ग़ीबत से"

अलग़र्ज़ गुनाह व मासियत किसी क़िस्म और किसी दर्जा की भी हो मुसलमान के लिए हर ज़माने और हर मौसम में हराम है लेकिन रमज़ान के माहे मुबारक में यही मुमानिअत और ज़्यादा मुवक्किदा व अशद हो जाती है। बद गोई, बद नज़री, बद ज़बानी हराम हमेशा ही हैं। रमज़ान में कहना चाहिये कि हराम तर हो जाती हैं और दिन तो ख़ैर इतनी बड़ी इबादत यानी हुक्मे इलाही के एहतराम में नफ़सानी लज़्ज़तों से दूरी में बसर होता ही है। रोज़ा दार की रात भी गोया इबादत में बसर होती है। तो पूरे महीने भर के, रात और दिन का एक एक घंटा यह समझना चाहिए कि इस्लाम के सिपाहियों की रूहानी परेड का ज़माना है। ग़फ़लत किसी लमहा न चाहिए।

फिर तिब्बे जदीद और तिब्बे क़दीम सब का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि रोज़ा जिस्मानी बीमारियों के दूर करने का बेहतरीन इलाज और जिस्मे इंसानी की इस्लाह के लिए एक बेहतरीन नुस्ख़ा है। रोज़ा

आहिस्ता आहिस्ता भूख और प्यास की आंच से तमाम अन्दरूनी और बैरूनी बदन के फुज़लात को जो बदन में बेकार पड़े रहते और सेहते इंसानी को बरबाद करते रहते हैं जला कर नेस्तो नाबूद कर देता है तो बदनी सेहत व तन्दुरुस्ती जैसी रोज़े की बदौलत हासिल होती है किसी और ज़रिए से मयस्सर नहीं आ सकती।(माखूज़)

ऐ हमारे रब हमें दीने हक पर इस्तेकामत अता फ़रमा। आमीन

चन्द मसाइल

मसला:- नीयत दिल के इरादे का नाम है। ज़बान से कहना शर्त नहीं। मगर ज़बान से कह लेना मुस्तहब है रात में नीयत करे तो यूं कहे कि मैंने नीयत की कि अल्लाह तआला के लिए इस रमज़ान का फर्ज़ रोज़ा रखूंगी और दिन में यानी दोपहर से पहले पहले नीयत करे तो यह कहे कि "मैंने नीयत की कि अल्लाह तआला के आज रमज़ान का फर्ज़ रोज़ा रखूंगी।"

मसला:- रमज़ानुलमुबारक के रोज़े कज़ा हो गए। अब रखना चाहती है तो अब ऐन सुबह सादिक के वक्त या रात में नीयत करना ज़रूरी हैं अगर दिन में नीयत करेगी तो यह रोज़ा नफ़ली होगा। फिर भी उसका पूरा करना ज़रूरी है। तोड़ देगी तो कज़ा लाज़िम आएगी। (दुर्रे मुख्तार वग़ैरह)

रोज़े में तेल या सुर्मा लगाया तो रोज़ा न गया अगरचे तेल या सुर्मा का मज़ा हलक में महसूस होता हो। बल्कि थूक में सुर्मा का रंग भी देखाई देता हो। जब भी नहीं टूटा। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- जनाबत (यानी नापाकी) की हालत में सुबह की बल्कि अगरचे सारे दिन नापाक रही। रोज़ा न गया मगर इतनी देर तक

कस्दन गुस्ल न करना कि नमाज़ कज़ा हो जाए गुनाह व हराम है। हदीस में फरमाया "जुनब जिस घर में होता है उस में रहमत के फरिश्ते नहीं आते।" (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

बच्चा जैसे ही आठवें साल में कदम रखे उसके वली पर लाज़िम है कि उसे नमाज़ रोज़ा का हुक्म दे और जब उसे ग्यारहवां साल शुरू हो तो वली पर वाजिब है कि रोज़ा नमाज़ पर मारे ताकि वह आदी हों हां अगर रोज़ा से उसे नुकसान पहुंचता हो तो और बात है। (दुर्रे मुख़्तार फतावा रिज़विया)

मसला:– औरत का हैज़ व निफ़ास से ख़ाली होना रोज़े के लिए शर्त है। (आमए कुतुब)

मसला:– हैज़ व निफ़ास वाली औरत पाक हो गई तो जो कुछ दिन बाकी रह गया है उसे रोज़े के मिस्ल गुज़ारना वाजिब है और कज़ा उसकी फर्ज़। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– हैज़ व निफ़ास वाली औरत सुबह सादिक़ के बाद पाक हो गई। अगरचे ज़ुहवए कुबरा (दोपहर से) से पहले पहले और रोज़ा की नीयत करली तो यह रोज़ा न हुआ। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– औरत को मर्द ने जिमाअ पर मजबूर किया। फिर असनाए जिमाअ में अपनी ख़ुशी से मशगूल रही तो कुफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं कि रोज़ा तो पहले ही टूट चुका है। (जौहरा)

मसला:– औरत को मुअय्यन तारीख़ पर हैज़ आता था और आज हैज़ आने का दिन था उसने यह गुमान करके कि आज हैज़ आएगा कस्दन रोज़ा तोड़ दिया और हैज़ न आया तो कुफ़्फ़ारा साकित हो गया। (दुर्रे मुख़्तार)

रोज़े की क़ज़ा

मसला:- औरत रोज़ेदार सो रही थी। सोते में उससे वती की गई तो इस सूरत में उस पर सिर्फ़ कज़ा लाज़िम है। कुफ़्फ़ारा नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- यह गुमान था कि सुबह नहीं हुई और खाया पिया बाद को मालूम हुआ कि सुबह हो चुकी थी तो सिर्फ़ कज़ा लाज़िम है यानी रोज़े के बदल एक रोज़ा रखना पड़ेगा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- रोज़े की हालत में (रमज़ान ख़्वाह ग़ैर रमज़ान) किसी ज़रूरत के तहत कोई दवा, खुश्क या तर, रोटी या कपड़ा ख़्वाह कोई चीज़, औरत ने पेशाब के मक़ाम में इस तरह रखी कि शर्मगाह के अन्दरूनी हिस्से (फ़ुरूजे दाखिल) के अन्दर बिल्कुल ग़ायब कर दी तो रोज़ा जाता रहा। और मसलन दवा किसी कपड़े में बांधकर शर्मगाह के बैरूनी परदे (फ़ुरूज खारिज) में ग़ायब हो जाए तो रोज़ा न जाएगा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

खुश्क दवा कपड़े में बांध कर शर्मगाह में रखी कि वह कपड़े से छन कर अन्दरूनी हिस्से में गिरे। या दवा ऐसी तर हो कि कपड़े में से टपक कर फ़ुरुज दाखिल में लगे। या हरकत के सबब कपड़ा चढ़ जाए कि बिल्कुल फ़ुरुज दाखिल के अन्दर ग़ायब हो जाए तो इन सूरतों में रोज़ा जाता रहेगा। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला.- आंसू मुंह में चला गया और निगल गई अगर कतरा दो कतरा है तो रोज़ा न गया। और ज़्यादा था कि उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई तो रोज़ा जाता। पसीने का भी यही हुक्म है। (आलमगीरी)

नथनों से दवा चढ़ाई या कान में तेल डाला या तेल चला गया। रोज़ा जाता रहा और पानी कान में चला गया या डाला तो रोज़ा बाकी है। (आलमगीरी)

मसला:- डोरा बटा, उसे तर करने के लिए मुंह पर गुज़ारा। फिर दोबारा, सेह बारा यूंही किया रोज़ा न जाएगा। मगर जबकि डोरे से कुछ रतूबत जुदा हो कर मुंह में रही और थूक निगल लिया तो रोज़ा जाता रहा। यूंही मुंह में रंगीन डोरा रखा जिस से थूक रंगीन हो गया। फिर थूक निगल गई तो रोज़ा जाता रहा। (जौहरा आलमगीरी)

मसला:- कुल्ली कर रही थी बिला क़स्द पानी हलक़ से उतर गया या नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग़ को चढ़ गया। रोज़ा जाता रहा। हां अगर वह अपना रोज़ादार होना भूल गयी तो न टूटेगा। अगरचे क़स्दन हो। (आलमगीरी)

मसला:- रोज़ा में दांत उखड़वाया और खून निकल कर हलक से नीचे उतरा अगरचे सोते में ऐसा हुआ तो रोज़ा जाता रहा। उसकी क़ज़ा लाज़िम है। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- अगरबत्ती वग़ैरह की खुश्बू सुलगती थी उसने मुंह क़रीब करके धुवें को नाक से खींचा या खुद क़स्दन हलक तक धुवां पहुंचाया ख्वाह वह किसी चीज़ का धुवां हो और किसी तरह पहुंचाया हो रोज़ा जाता रहा। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- खुश्क उंगली औरत ने शर्मगाह में रखी तो रोज़ा न गया। हां अगर उंगली शर्मगाह की अन्दरूनी रतूबत से ऐसी तर हो गई कि अब उससे छूट कर दूसरी चीज़ में लगे उसके बाद उंगली बाहर करके ऐसी ही तरी की हालत में फिर अंदर की कि तरी छूट कर शर्मगाह के अंदुरूनी हिस्से में लगी तो रोज़ा जाता रहा। यूंही

अगर उंगली पानी या रोग़न या दूध या घी या लुआबे देहन में ऐसी तर थी कि उस की तरी छूट कर फुरुज दाखिल में लगे और औरत ने अपनी शर्म गाह में किसी बिना पर दाखिल न की तो रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा। (रददुलमुहतार) यूंही अगर औरत ने अपनी शर्मगाह में पानी या तेल टपकाया तो रोज़ा जाता रहा। (आलमगीरी)

मसला:- कान से मैल निकाला और मैल लगी हुई सलाई दूसरी या तीसरी मर्तबा कान में की तो रोज़ा न जाएगा। कि कान कुरेदने में सलाई दिमाग तक नहीं जाती। (मराकीउलफ्लाह)

मसला:- मुबालिग़ा के साथ इस्तिंजा किया यहां तक कि हुकना रखने की जगह तक पानी पहुंच गया तो रोज़ा जाता रहा। और इतना मुबालिग़ा चाहिए भी नहीं कि उससे सख़्त बीमारी का अंदेशा है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- पान खाकर सो गई और सुबह उठ कर रोज़ा की नीयत की तो अगर पान खा लिया था। मुंह में सिर्फ़ चंद दाने छालियों के, दांतों में इलगे रह गए तो रोज़ा सही हो जाएगा और अगर सुबह के बाद भी मुंह में उगाल मौजूद था कि उसके अरक़ का लुआब के साथ मुंह में जाने का ग़ालिब गुमान है तो अब रोज़ा न होगा। (फ़तावा रिज़विया)

सहरी में ज़्यादा खा लिया कि अब दिन में खट्टी डकारें आ रही हैं तो उससे रोज़ा नहीं जाता। (फ़तावा रिज़विया)

वह हालतें जिन में रोज़ा नहीं जाता

मसला:- बात करने में थूक से होंट तर हो गए और उसे पी गई या मुंह से राल टपकी मगर तार टूटा न था कि उसे चढ़ाकर

पी गई। या नाक में रेंठ आगई बल्कि नाक से बाहर हो गई, मगर अलग न हुई थी कि उसे चढ़ा कर पी गई, या खंकार मुंह में आई और खा गई, अगरचे कितनी ही हो रोज़ा न जाएगा। लेकिन यह चूंकि नफ़रत लाने वाली चीज़ें हैं और उनसे दूसरों को भी घिन आती है। इसलिए उनसे एहतियात चाहिए। (आलमगीरी)

मसला:– भूले से खाना खा रही थी याद आते ही फ़ौरन लुकमा फेंक दिया या सुबह सादिक से पहले खा रही थी और सुबह होते ही उगल दिया तो रोज़ा न गया और निगल लिया तो दोनों सूरतों जाता रहा। (आलमगीरी) और इन दोनों सूरतों में उस पर कुफ्फ़ारा वाजिब।

मसला:– मक्खी हलक में चली गयी रोज़ा न गया और कसदन निगली तो जाता रहा। (आलमगीरी)

मसला:– तिल या तिल के बराबर कोई चीज़ चबाई और थूक के साथ हलक से उतर गई तो रोज़ा न गया मगर जबकि उसका मज़ा हलक में महसूस हो तो रोज़ा जाता रहा। (फ़तहुलक़दीर)

मसला:– क़स्दन मुंह भर कै की और रोज़ा दार होना याद है तो रोज़ा जाता रहा ख्वाह उसमें कुछ मुंह ही से हलक में वापस चली जाए या न जाए और मुंह भर से कम की तो रोज़ा न गया। (दुर्रे मुख्तार)

बिला अख्तियार कै हो गई और मुंह भर है और उसने लौटा ली अगरचे उसमें से सिर्फ चने के बराबर हलक से उतरी तो रोज़ा जाता रहा वरना नहीं और मुंह भर न हो तो रोज़ा न गया अगरचे हलक में लौट गई या उसने खुद लौटाई (रद्दुलमुहतार)

मसला:– कै ख्वाह क़स्दन हो या बिला अख्तियार, उसमें बलग़म

आया तो रोज़ा न टूटा अगरचे मुंह भर हो। (आलमगीरी)

मसला:- रोज़ादार को बिला उज़्र किसी चीज़ का चखना या चबाना मकरूह है चखने के लिए उज़्र यह है कि मसलन औरत का शौहर बद मिज़ाज है। हांडी में नमक कमो बेश होगा तो उसकी नाराज़गी का बाइस होगा तो चखने में हर्ज नहीं। चबाने के लिए यह उज़्र है कि इतना छोटा बच्चा कि रोटी नहीं खा सकता और कोई नर्म ग़िज़ा नहीं जो उसे खिलाई जाए। न हैज़ व निफ़ास वाली कोई औरत है न कोई और रोज़ेदार ऐसा है जो उसे चबा कर देदे तो बच्चे के खिलाने के लिए रोटी वग़ैरह चबाना मकरूह नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- कोई चीज़ ख़रीदी और उसका चखना ज़रूरी है कि न चखेगी तो नुकसान होगा तो चखने में हर्ज नहीं वरना मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार) चखने से मुराद यह है कि ज़बान पर रख कर मज़ा दरयाफ़्त करलें और उसे थूक दे। इसमें कुछ हलक में न जाने पाए।

मसला:- सहरी खाना और उसमें ताख़ीर करना मुस्तहब है और बाइसे सवाब मगर इतनी देर लगाना कि सुबह होने का शक हो जाए मकरूह है (आलमगीरी)

मसला:- इफ़्तार में जल्दी करना मुस्तहब है। मगर इफ़्तार उस वक़्त करे कि गुरूब का ग़ालिब गुमान हो जब तक गुमान ग़ालिब न हो इफ़्तार न करे अगर मुवज़्ज़िन ने अज़ान कह दी हो या किसी और तरीके पर इफ़्तार का एलान कर दिया जाए और बादल छाए हों तो इफ़्तार में जल्दी न करनी चाहिए। (रददुलमुहतार)

मसला:- ताज़ा खजूर कि खुश्क न हुई और यह न हो तो खुश्क

छुवारे वरना पानी से रोज़ा इफ़्तार करना मसनून है। (आमए कुतुब)

रोज़ा न रखने की इजाज़त

मसला:- शरीअत मुताहहिरा ने बाज़ सूरतों में रोज़ा न रखने की इजाज़त अता फ़रमाई है तो अगर उन सूरतों में रोज़ा न रखा तो कोई गुनाह की बात नहीं मसलन-

१. हमल वाली और दूध पिलाने वाली को अगर अपनी जान या बच्चा का सही अंदेशा है तो इजाज़त है कि उस वक़्त रोज़ा न रखे। ख़्वाह दूध पिलाने वाली बच्चा की मां हो या दाई। (रद्दुलमुहतार)

२. बीमार को बीमारी बढ़ जाने या देर में अच्छा होने या तंदुरुस्त को बीमार हो जाने या ख़ादिमा को नाकाबिले बर्दाश्त कमज़ोरी का ग़ालिब गुमान हो तो इन सब को इजाज़त है कि उस दिन रोज़ा न रखें। बाद में रख लें। (जौहरा दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- जो सूरतें ऊपर मज़कूर हुई उनमें ग़ालिब गुमान का एतबार है। महज़ वहम व ख़्याल काफ़ी नहीं, और ग़ालिब गुमान की तीन सूरतें हैं। [1] उसकी ज़ाहिरी निशानी पाई जाती है, या [2] उसका ज़ाती तजुर्बा है, या [3] किसी मुसलमान माहिर तबीब ने जिसकी राय अवाम व ख़्वास में वज़नी समझी जाती है उसकी ख़बर दी हो। और अगर न कोई अलामत हो न तजुर्बा, न इस किस्म के तबीब ने उसे बताया बल्कि किसी काफ़िर या नाकाबिले एतमाद तबीब ख़्वाह डाक्टर के कहने से रोज़ा छोड़ दिया तो ख़्वाह मख़्वाह गुना ह कमाया और रोज़ा रख कर उनकी बातों में आकर तोड़ दिया तो क कफ़्फ़ारा भी लाज़िम आएगा। आजकल अक्सर तबीबों और डाक्टरों का आलम यह है कि ज़रा ज़रा सी बात पर रोज़े से मना कर देते हैं। हालांकि

उन्हें इतनी भी तमीज़ नहीं होती कि रोज़ा किस बीमारी में नुकसान देता है और कहां मुफीद होता है ऐसों की ऐसी बातें हरगिज़ काबिले एतबार नहीं उनके दाम में न आयें (रददुलमुहतार वग़ैरह)

३. औरत को जब हैज़ व निफास आ गया तो रोज़ा जाता रहा।

मसला:- औरत हैज़ से पूरे दस दिन रात में फारिग हुई तो बहर हाल कल का रोज़ा रखे और कम में पाक हुई तो अगर सुबह होने को इतना अर्सा है कि नहा कर खफीफ सा वक्त बचेगा तो भी रोज़ा रखे अगरचे गुस्ल न किया हो और अगर नहा कर फारिग होने के वक्त सुबह चमकी तो रोज़ा नहीं। (आलमगीरी)

मसला:- हैज़ व निफास वाली औरत को अख्तियार है कि छुप कर खाए या ज़ाहिरन रोज़ादार की तरह रहना उस पर ज़रूरी नहीं (जौहरा) मगर छुप कर खाना बेहतर है। खुसूसन हैज़ वाली के लिए। (बहारे शरीअत)

४. भूख और प्यास ऐसी हो कि हलाक का खौफ संही, या नुकसाने अकल का अंदेशा हो तो रोज़ा न रखे। (आलमगीरी)

५. रोज़ा तोड़ने पर मजबूर किया गया तो उसे अख्तियार है और सब्र किया तो उसे अज्र मिलेगा। (रददुलमुहतार)

जिन लोगों ने इन उज़्रों के सबब रोज़ा तोड़ा उन पर फर्ज़ है कि उन रोज़ों की कज़ा रखें। और हुक्म यह है कि उज़्र जाने के बाद दूसरे रमज़ान के आने से पहले कज़ा रख लें। हदीस में फरमाया जिस पर रमज़ान की कज़ा बाकी है और वह न रखे तो उसके उस रमज़ान के रोज़े कबूल न होंगे और अगर रोज़े न रखे और दूसरा रमज़ान आ गया तो अब पहले उस रमज़ान के रोज़े रख ले। कज़ा रोज़े फिर बाद में रख लें। (दुर्रे मुख्तार)

६. ऐसा बूढ़ा आदमी जिस की उम्र ऐसी हो गई कि अब रोज़ बरोज़ कमज़ोर ही होता जाएगा। जब वह रोज़ा रखने से आजिज़ हो यानी न अब रख सकता है न आइंदा उसमें इतनी ताकत आने की उम्मीद है कि रोज़ा रख सकेगा तो उसे रोज़ा न रखने की इजाज़त है और हर रोज़े के बदले में सदकाए फ़ित्र की मिकदार किसी मिस्कीन को देदे (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह) बल्कि यही बेहतर है कि बाज़ औकात खाना खिलाना दुशवार हो जाता है।

मसला:- अगर ऐसा बूढ़ा आदमी, मर्द ख़्वाह औरत, गर्मियों में, बवजह गरमी के रोज़े नहीं रख सकता मगर जाड़ों में रख सकेगा तो अब रोज़े छोड़ दे और उनके बदले के रोज़े जाड़ों में रखना उस पर फ़र्ज़ है। (रददुलमुहतार)

मसला:- अगर फ़िदया देने के बाद इतनी ताकत आ गई कि रोज़े रख सकता है तो वह फ़िदया जो पहले दे चुका है सदकाए नफ़्लि हो कर रह गया लिहाज़ा अब रोज़ों की कज़ा रखे।(आलमगीरी)

मसला:- रोज़ा रखने की ताकत न होना एक तो वाकई होता है और एक कम हिम्मती से होता है। कम हिम्मती का कुछ एतबार नहीं। अक्सर औकात शैतान दिल में डालता है कि हम से यह काम हरगिज़ न हो सकेगा। और करेंगे तो मर जाएंगे बीमार पड़ जायेंगे। फिर जब खुदा पर भरोसा करके किया जाता है तो अल्लाह तआला अदा कर देता है कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता। ७५ बरस की उम्र में बहुत लोग रोज़े रखते हैं हां ऐसे कमज़ोर भी हो सकते हैं कि सत्तर ही बरस की उम्र में न रख सकें तो शैतान के वसवसों से बच कर खूब सही तौर पर जांच कर लेनी चाहिए कि शरीअत में यहां कम हिम्मती का कोई एतबार है न शैतानी वसवसों का कहीं कोई लिहाज़।

एक और बात यह है कि उन बूढ़ों में बाज़ ऐसे होते हैं कि लगातार महीने भर के रोज़े नहीं रख सकते मगर एक दो दिन बीच के नाग़ा करके,रख सकते हैं तो जितने रख सकें उतने रखना उन पर फ़र्ज़ है जितने क़ज़ा हो जायें। जाड़ों में रख लें (फ़तावा रिज़विया) यह बातें अच्छी तरह ज़ेहन नशीन करलें।

रोज़ा तोड़ने का कफ़्फ़ारा

मसला:- रोज़ा तोड़ने का कुफ़्फ़ारा यह है कि आदमी पै दर पै लगातार साठ रोज़े रखे। यह भी न कर सके कि बीमार है और अच्छे होने की कोई उम्मीद नहीं या बहुत बूढ़ी है तो मसाकीन को पेट भर दोनों वक़्त खाना खिलाए और यह अख़्तियार है कि एक दम से साठ मिसकीनों को खिलादे या मुतफ़र्रिक़ तौर पर। और अगर एक वक़्त साठ को खिलाया या दूसरे वक़्त उनके सिवा दूसरे साठ को खिलाया तो कफ़्फ़ारा अदा न हुआ बल्कि ज़रूरी है कि पहलों या पिछलों को फिर एक वक़्त खिलाए। (दुर्रे मुख़्तार, रददुलमुहतार)

मसला:- यह भी हो सकता है कि हर मिसकीन को बक़द्रे सदक़ाए फ़ित्र यानी करीबन सवा दो सेर गेहूं या उनकी कीमत का मालिक कर दिया जाए। और यह भी हो सकता है कि सुबह को खिला दे और शाम के लिए कीमत देदे या शाम को खिलादे। या दो दिन तीस को देदे गर्ज़ यह कि साठ की तादाद जिस तरह चाहे पूरी करदे उसका अख़्तियार है। (दुर्रे मुख़्तार- रददुलमुहतार)

नफ़ली रोज़े

रोज़े वग़ैरह आमाले सालिहा के लिए रमज़ानुल मुबारक के बाद

सब दिनों से अफ़ज़ल ज़िलहिज्जह का पहला अशरा (पहली ज़िलहिज्जह से दस ज़िलहिज्जह तक) है रसूलुल्लाह सल्ल० फ़रमाते हैं "इन दस दिनों से ज़्यादा किसी दिन का अमले सालिह (नेक काम) अल्लाह अज़्ज़ोजल को महबूब नहीं" इनके हर दिन का रोज़ा एक साल के रोज़ों के और हर शब का कियाम (नवाफ़िल) शबे कद्र के बराबर है। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

१. खुसूसन अरफ़ा यानी नवीं ज़िलहिज्जह का रोज़ा कि साल में सब से अफ़ज़ल दिन है उसका रोज़ा सही हदीस की रू से हज़ारों रोज़ों के बराबर है और दो साल कामिल के गुनाहों की माफ़ी। एक साले गुज़िश्ता, दूसरा साले आइंदा। (मुस्लिम शरीफ़)

२. फिर सब दिनों से अफ़ज़ल रोज़ा आशूरा यानी दसवीं मुहर्रम का रोज़ा है। उस में एक साल गुज़िश्ता के गुनाहों की मग़फ़िरत है। (मुस्लिम शरीफ़)

हदीस शरीफ़ में है कि रसूलुल्लाह सल्ल० जब मदीना में तशरीफ़ लाए यहूदियों को आशूरा के दिन रोज़ादार पाया। इर्शाद फ़रमाया "यह क्या दिन है कि तुम रोज़ा रखते हो" अर्ज़ किया कि यह अज़मत वाला दिन है कि इसमें मूसा अलै० और उनकी कौम को अल्लाह तआला ने नजात दी और फ़िरऔन और उसकी कौम को डुबो दिया। लिहाज़ा मूसा अलै० ने बतौर शुक्र उस दिन का रोज़ा रखा तो हम भी रोज़ा रखते हैं। इर्शाद फ़रमाया, मूसा अलै० की मुवाफ़िक्त करने में बनिस्बत तुम्हारे हम ज़्यादा हकदार और ज़्यादा करीब हैं, तो हुज़ूर सल्ल० ने खुद भी रोज़ा रखा और इसका हुक्म फ़रमाया। (बुख़ारी मुस्लिम)

नफ़ीस फ़ायदा

इस हदीस शरीफ़ से यह मालूम हुआ कि जिस रोज़ अल्लाह अज़्ज़ोजल्ल कोई ख़ास नेमत अता फ़रमाए उसकी यादगार कायम करना दुरुस्त व महबूब बल्कि शरअन मतलूब है कि उससे वह नेमत ख़ासा याद आएगी और उस पर ज़बान से बेसाख़्ता शुक्रे ख़ुदा अदा होगा तो गोया यह यादगारे शुक्र अदा करने का भी ज़रिया हुआ। ख़ुद कुरआने अज़ीम में इर्शादे बारी तआला है وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰمِ اللّٰهِ ख़ुदा (के इनाम) के दिनों को याद करो। दूसरी जगह फ़रमाया وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰمِ اللّٰهِ. उन्हें अल्लाह के दिन याद दिला दो।

यानी वह दिन जिन में बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुख़्तलिफ़ कौमों को अता होती रहें। मसलन हुकूमत व इक्तेदार और दुश्मनों से गुलू ख़लासी आफ़्तों से नजात या जो बड़ी बड़ी मुसीबतें मुख़्तलिफ़ कौमों को कुदरत की तरफ से पेश आती रहीं मसलन वबा व कहत उनकी महकूमी व गुलामी या तबाही व बरबादी। ग़र्ज़ यह कि अय्याम अल्लाह के तहत ही किस्म के अहम तारीख़ी वाकियात आ जाते हैं।

और शक नहीं कि हम मुसलमानों के लिए हुज़ूर सल्ल० की विलादत बा सआदत से बेहतर कौन सा दिन होगा ज़िस की यादगार कायम करें कि दुनिया व आख़िरत में ज़ाहिरी व बातिनी जिस्मानी व रूहानी तमाम नेमतें तमाम राहतें उन्हीं के तुफ़ैल,उन्हीं के सदके में हैं। मीलाद पाक की महफ़िलें बरपा करने का एक अज़ीम व अहम मक्सद यह भी है। वहाबिया उसमें रुकावटें डाल कर हम मुसलमानों को गुमराह करने की तदबीरें करते हैं। अल्लाह पनाह में रखे।

मसला:- बेहतर यह है कि आशूरा के दिन रोज़े रखें तो उसके साथ नवीं का भी रखें हदीस शरीफ़ में है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "आशूरा का रोज़ा रखो और यहूदियों की मुख़ालिफ़त करो" (यूं कि) एक दिन पहले रोज़ा रखो और एक दिन बाद। (मिरक़ात)

रोज़े आशूरा के फ़ज़ायल बहुत कुछ अहादीसे करीमा में आए। चुनांचे उलमाए किराम और सूफ़ियाए किराम ने तहरीर फ़रमाया कि आशूरा का दिन वह दिन है जिस में अल्लाह तआला ने अम्बियाए किराम अलै० की एक जमाअत को इज़्ज़त व करामत से नवाज़ा यही वह दिन है जिस में अल्लाह तआला ने :-

१. हज़रत आदम अलै० को तमाम मख़लूक़ात पर बरगज़ीदा किया।

२. हज़रत इदरीस अलै० को आसमान पर उठाया।

३. सय्यदना नूह अलै० की कश्ती को कोह जूदी पर ठहराया।

४. सय्यदना इबराहीम अलै० को अपना ख़लील बनाया उन पर नार नमरूद को गुलज़ार किया।

५. सय्यदना दाऊद अलै० की लग़ज़िश को माफ़ किया।

६. सय्यदना अय्यूब अलै० से बला को दफ़ा फ़रमाया।

७. सय्यदना यूनुस अलै० बतने हूत (मछली के पेट) से निकाला।

८. सय्यदना याकूब और यूसुफ़ अलै० को बाहम मिलाया।

९. सय्यदना ईसा अलै० को पैदा फ़रमाया और फिर आसमान पर उठाया।

१०. आदम व हव्वा अलै० को पैदा किया।

११. हज़रत मूसा अलै० और बनी इसराईल को फ़िरऔन के ज़ुल्म से बचाया।

गर्ज़ आशूरा का दिन, बारगाहे इलाही में मक़बूल दिनों में एक

दिन है और आमाले सालिहा व सदका व खैरात की कबूलियत का रोज़। इसी लिए हज़रात सूफ़ियाए किराम का इर्शादे गिरामी है कि,

१. जो आज के रोज़ किसी फ़कीर पर सदक़ा करे गोया उसने तमाम फुकरा पर सदक़ा किया।

२. जो आज किसी भूले भटके राह रो को सीधे रास्ते पर डाल दे रब अज़्ज़ोजल्ल उसके दिल को नूरे ईमान से मामूर फ़रमाएं।

३. जो आज गुस्से को ज़ब्त करे अल्लाह तआला उसे उनमें लिख दे जो राज़ी बरिज़ा हैं।

४. जो आज किसी मिस्कीन की इज़्ज़त बढ़ाए वह मालिक व मौला कब्र में उसे करामत बख्शे। यही वह दिन है जिस के मुताल्लिक नबी रहमत सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया।

१. जो शख्स आज अपने अहलो अयाल पर कुशादा दिली से खर्च करे। अल्लाह तआला उसे तमाम साल के लिए फ़राखी नसीब फ़रमाए। (बैहेकी) हज़रत सुफ़ियान बिन उऐना रज़ि० फ़रमाते हैं हम ने पचास साल इसका तजुर्बा किया और हर साल फ़राखी पाई।

२. जो शख्स आज के दिन गुस्ल करे मर्ज़ुलमौत के अलावा इस साल किसी और मर्ज़ में मुबतिला न हो और जो आज (ब हुस्ने नीयत) सुर्मा लगाए उसकी आंख रौशन रहे।

३. जो आशूरा की शब कियाम व ज़िक्र में और उसका दिन रोज़े में गुज़ारे जब मरेगा तो उसे अपनी मौत का पता भी न चलेगा (यानी निज़अ की सख्ती से महफूज़ रहेगा।)

४. जो शख्स आशूरा के रोज़ (महज़ रिज़ाए इलाही के हुसूल की नीयत से) रोज़ा रखे गोया उसने तमाम साल रोज़े रखे।

५. जो मुसलमान आज के रोज़ सदका करे तो उसे एक सा

के सदके के बराबर सवाब मिले।

६. जो शख़्स आज किसी यतीम के सर पर शफ़्क़त से हाथ फेरे (और उसकी दिल जूई करे उसकी हाजत बर लाए) अल्लाह तआला हर बाल के एवज़ जन्नत में उसका दर्जा बुलंद फ़रमाए।

७. जो आज के दिन सिलाए रहमी करे वह हज़रत याह्या और हज़रत ईसा अलै० के साथ जन्नत में होगा। (और उनकी ख़िदमत का शर्फ पाएगा) (नुज़हतुल मजालिस वग़ैरह) अलगरज़ आशूरा का दिन वह मुबारक व बाबरकत दिन है जिसके फ़ज़ायल से किताबें माला माल हैं। मुबारक हैं वह बंदे जो इस माहे मुहर्रम का जिसे हदीस शरीफ़ में अल्लाह का महीना फरमाया एहतराम बजा लाएं और अपने ज़ाहिर व बातिन से ख़ुदा व रसूल की तरफ मुतवज्जाह हों आमाले सालिहा में बेश अज़ बेश मशगूल रहें।

अज़ीज़ों ! उम्र का क्या एतबार और किसे मालूम कि उसे कब इस दुनिया से कूच करना है दुनिया में आदमी आता है तो अपने मुकद्दर का अपने साथ लाता है लेकिन जब जाता है तो आमाल के अलावा और कोई उसका साथी नहीं होता। आमाले नेक का तोशा साथ तो कब्र भी रौशन और हश्र में भी मुंह उजाला और बोल बाला।

यह है आशूरा के दिन रोज़ा रखने की असल जिस पर तमाम मुसलमानों का अमल आज तक है। अब कहीं कहीं यह आवाज़ें सुनाई देती हैं कि आशूरा के रोज़ यज़ीद की मां ने रोज़ा रखा था इस लिए आज रोज़ा न रखा जाए। यह और इस किस्म की सारी बातें मुहमल और बे असल हैं जो राफज़ियों ने मुसलमानों पर फैलायीं। मुसलमान बीबीयां हरगिज़ ऐसी बे सरोपा बातों पर ध्यान न दें कि उससे नेकियां बरबाद होती हैं। और गुनाह लाज़िम आता है।

३. पंद्रहवीं शाबान का रोज़ा

३. रमज़ानुलमुबारक के बाद सब से अफ़ज़ल शाबान के रोज़े हैं हज़रत आयशा सिद्दिका रज़ि० फ़रमाती हैं कि हुज़ूर सल्ल० को शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़े रखते मैंने नहीं देखा। खुसूसन पंद्रहवीं शाबान का रोज़ा। नबी करीम सल्ल० फ़रमाते हैं जब शाबान की पंद्रहवीं रात आजाए तो उस रात को कियाम करो (नवाफ़िल में मशगूल रहो) और दिन में रोज़ा रखो कि रब तआला गुरूब आफ़ताब से आसमाने दुनिया पर खास तजल्ली फ़रमाता है और फ़रमाता है कि है कोई बख्शिश चाहने वाला कि उसे बख्श दूं, है कोई रोज़ी तलब करने वाला कि उसे रोज़ी दूं, है कोई आफ़त रसीदा कि उसे आफ़ियत दूं, है कोई ऐसा, है कोई ऐसा, और यह उस वक़्त तक फ़रमाता है कि फ़ज्र तुलूअ हो जाए।

४ शश ईद के रोज़े

४. शव्वाल में छः दिन के रोज़े जिन्हें लोग शश ईद के रोज़े कहते हैं। इन रोज़ों के मुताल्लिक रसूल सल्ल० इर्शाद फ़रमाते हैं कि जिस ने रमज़ान के रोज़े रखे फिर इनके बाद छः दिन शव्वाल में रखे तो ऐसा है जैसे उसने दहर का रोज़ा रखा (मुतवातिर साल भर तक रोज़ादार रहा)

एक और हदीस शरीफ में है कि जिसने ईदुलफ़ित्र के बाद छः रोज़े रख लिए गोया उसने पूरे साल का रोज़ा रखा। (और यह इस लिए कि) जो शख्स एक नेकी लाएगा उसे दस मिलेंगी तो माहे रमज़ान का रोज़ा दस महीने के बराबर है और उन छः दिनों के बदले में

(६० दिन यानी) दो महीने। तो पूरे साल के रोजे रखे फिर उसके बाद छः दिन शव्वाल में रखे तो गुनाहों से ऐसा निकल गया जैसे आज मां के पेट से पैदा हुआ।

शश ईद के रोज़ों का एक फ़ायदा तो यही है कि साल भर के रोज़ों का सवाब आदमी को ज़रा सी मुशक्कत से हाथ आता है और एक फ़ायदा यह भी है कि रमज़ानुलमुबारक के महीने में जो रोज़े उनमें जो कोताहियां हो गयीं और खलल व नुकसान आया इन्शाअल्लाह तआला वह नुकसान इन रोज़ों से पूरा कर दिया जाएगा।

मसला:- यह रोज़े ईद के बाद लगातार रखे जाएं तब भी मुज़ायका नहीं और बेहतर यह है कि मुतफ़र्रिक रखे जायें यानी हर हफ़्ते में दो रोज़े और ईदुलफ़ित्र के दूसरे रोज़ एक रोज़ा रख ले और पूरे माह में रखे तो और मुनासिब मालूम होता है।

५. २७ रजब का रोज़ा कि बाज़ हदीसों में इसकी बड़ी फ़ज़ीलत आई। चुनांचे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ि० से मरवी है कि रजब में एक दिन और रात है जो उस दिन का रोज़ा रखे और वह रात नवाफ़िल में गुज़ारे। सौ बरस के रोज़ों ओर सौ बरस की शब बेदारी के बराबर हो और वह २७ रजब है। (बैहेकी)

एक और हदीस में है कि जो रजब की सत्ताइसवीं का रोज़ा रखे। अल्लाह तआला उसके लिए साठ महीने के रोज़ों का सवाब लिखे।" (मासबत बिस्सुन्नः)

६. हर महीने में तीन रोज़े खुसूसन अय्यामे बैज़ (रौशन दिनों) यानी १३/१४/१५/ रसूलुल्लाह सल्ल० फ़रमाते हैं जिस से हो सके हर महीने में तीन रोज़े रखे कि हर रोज़ा दस गुनाह मिटाता है और गुनाह से ऐसा पाक कर देता है जैसा पानी कपड़े को" दूसरी हदीस

शरीफ़ में है कि जब महीने में तीन रोज़े रखने हों तो तेरह, चौदह, पन्द्रह को रखो, और एक मौक़ा पर इर्शाद फ़रमाया कि रमज़ान के रोज़े और हर महीने के तीन रोज़े सीना की खराबी को दूर करते हैं। (अहमद इमाम व तबरानी)

७. पीर और जुमेरात के रोज़े

रसूलुल्लाह सल्ल० फ़रमाते हैं। पीर और जुमेरात को आमाल पेश होते हैं तो मैं पसंद करता हूं कि मेरा अमल उस वक़्त पेश हो कि मैं रोज़ा दार हूं (तिर्मिज़ी) और इब्ने माजा में रिवायत है कि हुज़ूर पीर और जुमेरात को ख्याल करके रोज़े रखा करते थे। इसके बारे में अर्ज़ किया गया तो फ़रमाया " इन दोनों दिनों में अल्लाह तआला हर मुसलमान की मग़फ़िरत फ़रमा देता है मगर वह दो शख़्स जिन्होंने बाहम जुदाई कर ली है उनकी निस्बत फ़रिश्तों से फ़रमाता है उन्हें छोड़ो यहां तक कि सुलह करलें और सही मुस्लिम शरीफ़ में है कि हुज़ूर सल्ल० से पीर के दिन रोज़ा का सबब दरयाफ़्त किया गया। फ़रमाया इसी में मेरी विलादत हुई और इसी में मुझ पर वही नाज़िल हुई"

८. बाज़ और दिनों के रोज़े

हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया जिस ने चहार शम्बह, पंज शम्बह जुमा को रोज़े रखे अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत में एक मकान बनाएगा जिस का बाहर का हिस्सा अंदर से दिखाई देगा और अंदर का बाहर से और एक रिवायत में है कि उसके लिए जन्नत में मोती और याकूत और ज़बर जद का महल बनाएगा और उसके लिए दोज़ख़

से बराअत (रिहाई) लिख देगा और एक रिवायत में है कि जो इन तीन दिनों के रोज़े रखे फिर जुमा को थोड़ा बहुत सदका करे तो जो गुनाह किया है बख्श दिया जाएगा। और वह ऐसा हो जाएगा जैसे उस दिन कि अपनी मां के पेट से पैदा हुआ" मगर ख़ुसूसियत के साथ जुमा के दिन रोज़ा रखना मकरूह है। इससे पहले जुमेरात को या उसके बाद हफ़्ता को भी जुमा के साथ मिला कर रोज़ा रखना चाहिए। (बुख़ारी मुस्लिम)

मसला:- शौहर सफ़र में है या बीमार है तो इस हालत में औरत, शौहर की इजाज़त के बग़ैर भी क़ज़ा रोज़े रख सकती है बल्कि अगर वह मना करे जब भी, और रमज़ान के लिए शौहर की इजाज़त की कुछ ज़रूरत नहीं बल्कि उसकी मुमानिअत पर भी रखे यह अल्लाह का फ़र्ज़ और क़र्ज़ है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- औरत किसी के यहां घरेलू मुलाज़िमत क़रती है और नफ़्ल रोज़ा रखेगी तो काम पूरा न कर सकेगी तो जिसके यहां मुलाज़िमत पर है उसकी इजाज़त की ज़रूरत है और काम पूरा कर सके तो कुछ ज़रूरत नहीं। (रददुलमुहतार)

मसला:- औरत पर क़सम वग़ैरह का क़फ़्फ़ारा वाजिब है और माल से कफ़्फ़ारा अदा करने से आजिज़ है और रोज़ा रखना चाहती हो तो शौहर उसे रोज़ा रखने से रोक सकता है। (जौहरा)

मसला:- औरत अगर रोज़ा रखेगी तो कमज़ोर हो जाएगी, खड़े हो कर फ़र्ज़ नमाज़ अदा न कर सकेगी तो हुक्म है कि रोज़ा रखे और बैठ कर नमाज़ पढ़े (दुर्रे मुख़्तार) जबकि खड़ा होना वाक़ई दुशवार हो।

मसला:- चुप रोज़ा जैसा कि कहीं कहीं कभी कभी औरतें रखती

हैं और उसमें चुप रहने को सवाब की बात समझती हैं यह मकरूह है और अगर चुप रहना सवाब की बात समझ कर न हो तो हर्ज नहीं। और बुरी बात से चुप रही तो यह मकरूह नहीं बल्कि यह तो आला दर्जे की चीज़ है क्योंकि बुरी बात ज़बान से न निकालना वाजिब है। यूंही बिला ज़रूरत बातें बनाना भी शरअन पसंद नहीं। ग़र्ज़ दारोमदार उसकी नीयत पर है और नीयत का हाल अल्लाह बेहतर जानता है।

नफ़ली रोज़ा

मसला:- नफ़िल रोज़ा कस्दन शुरू करने से लाज़िम हो जाता है कि तोड़ेगी तो क़ज़ा वाजिब होगी और यह गुमान करके कि उसके ज़िम्मे कोई रोज़ा है। रोज़ा शुरू किया बाद को मालूम हुआ कि नहीं है। अब अगर फ़ौरन तोड़ दिया तो कुछ नहीं और यह मालूम होने के बाद न तोड़ा तो अब नहीं तोड़ सकतीं तोड़ेगी तो क़ज़ा वाजिब होगी। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- नफ़ली रोज़ा कसदन नहीं तोड़ा बल्कि बिला अख़्तियार टूट गया मसलन असनाए रोज़ा में हैज़ आ गया। जब भी क़ज़ा लाज़िम है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला :- नफ़ल रोज़ा बिला ग़रज़ तोड़ देना नाजायज़ है और उज़्र हो तो जायज़ मसलन यह रोज़ादार है कि कोई मेहमान आ गया और ऐसा है कि अगर यह इसके साथ न खायेगी तो उसे नागवार होगा या खुद मेहमान रोज़ादार है और अगर मेज़बान के साथ खाना न खाएगा तो मेज़बान को अज़ीयत होगी तो इस हालत में रोज़ा तोड़ा जा सकता है। बशर्ते कि यह भरोसा हो कि उसकी क़ज़ा रख लेगी

और बशर्ते कि ज़ोहवऐ कुबरा (दोपहर) से पहले पहले तोड़ दे या मसलन किसी ने उसकी दावत की और जानती है कि न जाऊंगी तो उसपर गिरां गुज़रेगा ज़ोहवए कुबरा से क़ब्ल नफ़िल रोज़ा तोड़ देने की इजाज़त है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसला:- औरत बग़ैर शौहर की इजाज़त के, नफ़िल और मन्नत और क़सम के रोज़े न रखे और रख ले तो शौहर तुड़वा सकता है। मगर तोड़ देगी तो क़ज़ा वाजिब होगी और उसकी क़ज़ा में भी शौहर की इजाज़त दरकार है। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार)

मसला:- मां बाप अगर बेटे बेटी को नफ़्ली रोज़ा रखने से मना करें इस वजह से कि मर्ज़ का अंदेशा है तो मां बाप की इताअत करे। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- ईद बक़रईद या अय्यामे तशरीक़ में रोज़ा नफ़िल रखा तो उस रोज़े का पूरा करना वाजिब नहीं न उसके तोड़ने से क़ज़ा वाजिब है बल्कि उसका तोड़ना वाजिब है। (रद्दुलमुहतार)

मन्नत के रोज़े

मसला:- औरत ने एक माह पै दर पै (लगातार) रोज़े रखने की मन्नत मानी तो अगर एक महीना या ज़्यादा तहारत का ज़माना उसे मिलता है तो ज़रूर है कि ऐसे वक़्त रोज़े शुरू करे कि हैज़ आने से पेश्तर तीस दिन पूरे हो जायें वरना हैज़ आने के बाद अब से तीस पूरे करने होंगे और महीना पूरा होने से पेश्तर उसे हैज़ आजाया करता है तो हैज़ से पहले जितने रोज़े रख चुकी है उन्हें शुमार कर ले जो बाक़ी रह गए हैं उन्हें हैज़ ख़त्म होने के बाद बिला नाग़ा पूरा कर ले कि पै दर पै रोज़ों की मन्नत में नाग़ा करना जायज़ नहीं

और मुतफ़र्रिक़ तौर पर मसलन दस रोज़े की मन्नत मानी तो लगातार रखना जायज़ है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- किसी महीने मसलन रजब के रोज़े की मन्नत मानी और रजब में बीमार रही तो दूसरे दिनों में उन की क़ज़ा रखे और क़ज़ा में अख़्तियार है कि लगातार रोज़े हों या नागा दे कर। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- अक्सर औरतें मौला अली मुश्किल कुशा का रोज़ा रखती हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि रोज़ा ख़ास अल्लाह अज़्ज़ोजल्ल के लिए है अगर अल्लाह के लिए रोज़ा रखें और उसका सवाब मौला अली को नज़र करें तो हर्ज नहीं। मगर उसमें करती यह हैं कि रोज़ा आधी रात तक रखती हैं। शाम को इफ़्तार नहीं करतीं और आधी रात के बाद घर के किवाड़ खोल कर दुआ मांगती हैं। और उस वक़्त रोज़ा इफ़्तार करती हैं। यह शैतानी रस्म है। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:- ईदैन यानी मीठी ईद और बक़र ईद और अय्यामे तशरीक़ यानी ज़िलहिज्जह की ग्यारह, बारह, और तेरह तारीख़ के रोज़े रखना हराम व गुनाह हैं। तो अगर इस महीने के रोज़े की मन्नत मानी और उसमें अय्यामे मनहैया (यानी वह पांच दिन जिन में रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं) हैं तो उनमें रोज़े न रखे बल्कि उनके बदले बाद में रखे और अगर किसी मुतअय्यन महीने की मन्नत मानी मसलन रजब या शाबान की तो पूरे महीने का रोज़ा ज़रूर है। वह महीना उन्तीस का हो तो उन्तीस रोज़े और तीस का हो तो तीस रोज़े और नागा न करे। फिर अगर कोई रोज़ा छूट गया तो उसको बाद में रख ले। पूरे महीने के लौटाने की ज़रूरत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसलाः– एक दिन के रोज़े की मन्नत मानी तो अख़्तियार है कि अय्यामे ममनूआ के अलावा जिस दिन चाहे रोज़ा रखले। यूंही दो दिन तीन दिन में भी अख़्तियार है। अलबत्ता उन में अगर पै दर पै की नीयत की तो पै दर पै रखना वाजिब होगा वरना अख़्तियार है कि एक साथ रखे या नाग़ा दे कर। और मुतफ़र्रिक़ की नीयत की और पै दर पै रख लिए तब भी जायज़ है। (आलमगीरी)

आधे दिन के रोज़े की मन्नत मानी तो यह मन्नत सही नहीं है। (आलमगीरी)

हज का बयान

हज इस्लाम का पांचवां या इबादते इस्लामी का चौथा रुक्न या नमाज़ रोज़ा और ज़कात के बाद चौथा फ़रीज़ा है। जो उम्मते मुहम्मदिया के हर फ़र्द पर, ख़्वाह वह दुनिया के किसी इलाक़ा का बाशिंदा हो उम्र भर में सिर्फ़ एक बार फ़र्ज़ है। मगर सिर्फ़ उन लोगों पर जो वहां जाने की इस्तिताअत रखते हों। हज सन् ९ हि० में फ़र्ज़ किया गया। उसी फ़र्ज़ियत कत्तई है जो उसके फ़र्ज़ होने का इंकार करदे वह काफ़िर है।

यह याद रखना चाहिए कि इस्लाम जिस तरह आख़िरत में फ़लाह व नजात का ज़ामिन है उसी तरह दुनिया में भी कामयाबी व कामरानी का पैग़ाम है और उसकी फ़लाह दारैन की यह जामिइयत उसकी हर इबादत से बिल्कुल साफ़ ज़ाहिर हो रही है।

वुज़ू, नमाज़, नमाज़ बाजमाअत, रोज़ा, ज़कात यह सब रूह को जिला देने और अपने बातिन को पाकीज़गी से मामूर करने के साथ दुनियावी माद्दी जिस्मानी मआशी फ़ायदों और मस्लिहतों से भी कितने

लबरेज़ हैं। यह वही जो अक्ले कामिल और चश्म बीना की दौलत से माला माल हैं यही उसूल हज के बारे में भी काम कर रहे हैं।

उम्मत के मुख़्तलिफ़ तबक़ों का दुनिया के मुख़्तलिफ़ गोशों से मन्ज़िल दर मंज़िल, ख़ुश्की व तरी का यह सफ़रे हज और महज़ अज़ीमुश्शान इज्तिमा, एक ख़ुश्क इबादत और ज़िक्रे इलाही के लिए नहीं। फ़र्द व मिल्लत दोनों के लिए यानी इन्फ़िरादी व इज्तिमाई हर क़िस्म के फ़ायदे इससे हासिल किए जा सक्ते हैं और किए जाने चाहियें। हर मिज़ाज हर क़ुमाश और जुदागाना मुआशिरा रखने वाले, इस्लाम के शैदाइयों का यह इज्तिमा रंग रेलियां मनाने के लिए नहीं, जाहिल क़ौमों के मेलों ठेलों की तरह रौशनी और आतिश्बाज़ी के लिए नहीं ख़्वाबे ग़फ़लत में पड़े रहने के नहीं फ़ख़रिया क़सीदों और शेरो शायरी में सर्फ़ करने के लिए नहीं, लग़्व बात और मुहमिलात में गुज़ारने के लिए नहीं, क़ुरआने करीम बार बार याद दिलाता है कि यह इज्तिमा ज़िक्र व इबादते इलाही के लिए है।

तो यह कहना चाहिए कि हज गोया दुनियाए इस्लाम का बैनुलअक़वामी सालाना इज्तिमा है। जिस से क़ौम व मिल्लते इस्लामिया के दीनी व दुनियावी मुफ़ाद वाबस्ता हैं। इसका मक़्सदे आज़म शौक्ते इस्लाम का इज़्हार भी है और मुसलमानों को इस सफ़र से जो फ़वायद हो सक्ते हैं वह भी इस मक़्सूद के ज़िमन में दाख़िल हैं। इसी से इस्लामी आलम में दीनी राबते मज़बूत होते हैं और मुख़्तलिफ़ क़ौमों नसलों मुख़्तलिफ़ ज़बानों मुख़्तलिफ़ रंगतों और मुख़्तलिफ़ मुल्कों के अश्ख़ास को दीने वाहिद की वहदत में पिरो दिया जाता है।

हज में सब के लिए वह सादा, बिन सिला लिबास जो नस्ले इंसानी

के पिदरे आज़म आदम अलै० का था तजवीज़ किया गया है ताकि एक ही रसूल, एक ही कुरआन, एक ही काबा पर ईमान रखने वाले एक ही सूरत में, एक ही लिबास में, एक ही सतह पर नज़र आयें और चश्मे ज़ाहिर बीन को भी, इत्तिहादे मानवी रखने वालों के अंदर, कोई इख़्तिलाफे ज़ाहिरी महसूस न हो सके। (माख़ुज़)

ज़रूरी मसाइल

मसला:- हज की फ़र्ज़ियत में औरत मर्द का एक ही हुक्म है। जो राह की ताकत रखता है उस पर हज फ़ौरन फ़र्ज़ है यानी उसी साल में और अब ताख़ीर गुनाह है। मर्द हो या औरत जो अदा न करेगा अज़ाबे जहन्नम का मुस्तहिक़ होगा। औरत में इतनी बात ज़्यादा है कि उसे बग़ैर शौहर या महरम के साथ लिए सफ़र को जाना हराम है और उसमें कुछ सफ़रे हज की ख़ुसूसियत नहीं कहीं भी एक दिन के रास्ते पर बे शौहर या महरम के जाएगी तो गुनाहगार होगी। हां जब फ़र्ज़ अदा हो जाए तो बार बार सफ़र करना औरत को मुनासिब नहीं कि वह जिस कद्र पर्दा के अंदर है उसी कद्र बेहतर है। हदीस में इस कद्र है कि रसूल सल्ल० ने उम्महातुल मुमिनीन (अज़वाजे मुताहहिरात) को हज करा कर फ़रमाया। "यह एक हज हो गया उसके बाद घर की चटाइयां" इस का मतलब यह नहीं कि औरत को दूसरा हज नाजायज़ है। बल्कि बेहतर है कि अब न जाए। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:- औरत के हमराह सफ़र में महरम का होना शर्त है। ख़्वाह वह औरत जवान हो या बुढ़िया, अफ़ीफ़ा हो ज़ईफ़ा, यह अफ़ीफ़ा है तो जिन से उस पर अंदेशा है वह तो अफ़ीफ़ नहीं और ज़ईफ़ा

है तो जहाज़ या दूसरी सवारी पर चढ़ाने उतारने के लिए ज़ईफ़ा को दूसरे शख़्स की ज़्यादा हाजत है और महरम से मुराद वह मर्द है जिससे हमेशा के लिए उस औरत का निकाह हराम है ख़्वाह निस्बत की वजह से हराम हो जैसे बाप बेटा,भाई चचा मामूं वग़ैरह, या दूध के रिश्ते से निकाह की हुर्मत हो जैसे रज़ाई भाई बाप बेटा वग़ैरह या सुसराली रिश्ता से हुर्मत आई जैसे ख़ुसर, शौहर का बेटा वग़ैरह। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- महरम जिसके साथ औरत सफ़र कर सकती है उसका आक़िल बालिग़ होना भी शर्त है कि वह उसकी हिफ़ाज़त कर सके और यह भी शर्त है कि वह महरम बे ग़ैरत फ़ासिक़ न हो ऐसे बे हमिय्यत महरम के साथ भी औरत को सफ़र हराम है कि ना हिफ़ाज़िती का अंदेशा सामने मौजूद है तो उसका होना न होना बराबर है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- हज का जाना सवाब के लिए है और बेमहरम जाने या ऐसे बेग़ैरत के साथ रहने में या मुंह बोले बेटे या ऐसे बाप को साथ रखने में सवाब के बदले हर क़दम पर गुनाह लिखा जाएगा अगरचे बग़ैर महरम के चली गई और हज कर लिया तो फ़र्ज़ साक़ित हो जाएगा। (फ़तावा रिज़विया वग़ैरह)

मसला:- औरत का न शौहर है न कोई क़ाबिले एतमाद महरम तो उस पर यह वाजिब नहीं कि हज पर जाने के लिए किसी से निकाह करे और जब महरम है तो हज फ़र्ज़ के लिए महरम के साथ जाए अगरचे शौहर इजाज़त न देता हो। हां नफ़्ल या सुन्नत का हज हो तो शौहर को मना करने का अख़्तियार है। (जौहरा)

मसला:- औरत हज को जाना चाहती है और महरम नहीं पाती

या शौहर नहीं रखती तो उसका तरीका यह है कि किसी कफ़ू यानि ऐसे शख़्स से हज से वापसी तक के लिए निकाह करके साथ ले जाए और लाए, जो कौम या मज़हब या पैसे में या चाल चलन में ऐसा कम न हो कि उससे निकाह उसके वली के लिए बाइसे नंग व आर हो। फिर अगर निकाह को बाकी रखना चाहे और अंदेशा हो कि दूसरे की पाबंद हो जाएगी तो उसकी तदबीर यह है कि औरत गवाहों के रूबरू उस कफ़ू से कहे कि मैंने अपने नफ़्स को तेरे निकाह में दिया इस शर्त पर कि जब तू मुझे हज को ले जाए और वापस अपने मकान पर पहुंचते ही मुझ पर तलाक बाइन हो या अगर तू इस साल हज को मेरे साथ न जाए तो मुझ पर तलाक़ बाइन हो। मर्द कहे मैंने कुबूल किया इसी शर्त पर कि जब मैं तुझे हज को ले जाऊं। (इला आखिरा)

या इसी शर्त पर कफ़ू से निकाह के लिए किसी को वकील बनादे और यह वकील यूंही इसी शर्त पर उसका निकाह कर दे यानी उस कफ़ू से कहे कि मैंने फ़लाना बिन्त फ़लां बिन फ़लां अपनी मुवक्किला को इतने महर के एवज़, इस शर्त पर तेरे निकाह में दिया कि जब वह औरत बाद हज अपने घर वापस आए,मकान में दखिल होते ही उस पर एक तलाक़ बाइन हो और शौहर कहे मैंने उसे इस शर्त पर कुबूल किया।" अब बाद वापसी घर में आते ही फ़ौरन उसके निकाह से निकल जाएगी जिसे वह किसी तरह नहीं रोक सकता।

मकसूद इस तदबीर से यह है कि बे महरम या बिला शौहर के जाना सादिक़ न हो। ज़ौजियत के मकासिद हासिल होने या न होने से बहस नहीं। लिहाज़ा सत्तर अस्सी साल के बूढ़े से भी इस सफ़र के लिए निकाह करना दुरुस्त है। (फ़तावा रिज़विया)

हजे बदल

हज, बदनी और माली दोनों इबादतों का मजमूआ है। जिस पर हज फ़र्ज़ था और मआज़ल्लाह बे किए मर गई। ज़ाहिर है कि बदनी हिस्सा से तो आजिज़ हो गई। रब्बे अज़्ज़ो जल्ल की रहमत है कि सिर्फ माली हिस्सा से उसकी तरफ से हज बदल कुबूल फरमाता है। जबकि वह वसीयत कर जाए और रहमत पर रहमत यह कि वारिस का हज कराना भी कुबूल फरमा दिया जाता है अगरचे मय्यत ने वसीयत न की हो। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:- ज़िंदगी में जो कोई हज बदल इज्ज़ो मजबूरी के वजह से कराए उस हज की सेहत के लिए शर्त है कि वह मजबूरी आख़िरी उम्र तक बाकी रहे। अगर हज बदल के बाद वह मजबूरी जाती रही तो बज़ाते ख़ुद हज करने पर कुदरत पाई तो इससे पहले जो हज बदल अपनी तरफ से कराए सब साकित हो गए। सब में हज नफ़्ल का सवाब हो गया फ़र्ज़ अदा न हुआ अब इस पर फ़र्ज़ है कि ख़ुद हज करे फिर अगर ग़फ़लत की और वक़्त गुज़र गया और अब दोबारा मजबूरी लाहक हुई तो अज़ सरे नौ हज कराना ज़रूरी है हां अगर कोई मजबूरी ऐसी हो जो आदतन ज़ायल नहीं हुआ करती और उसने हज बदल करा दिया और उसके बाद कुदरते इलाही से मसलन किसी वली की करामत से वह नाक़ाबिले ज़वाल उज़्र ज़ायल हो गया। मसलन अंधे होने के बाइस हज बदल कराया और फिर रब्बुल इज़्ज़त ने उसे आंखें दे दीं तो उस का वह पहला वाला हज बदल साकित न हुआ वही काफी हैं ख़ुद अगर हज कर सके सआदत है वरना फ़र्ज़ अदा हो गया। और अगर वह औरत हक़ीक़तन ऐसी मजबूर न थी

कि खुद न जा सकती या बीमारी कमज़ोरी वग़ैरह की वजह से मजबूर थी। बाद को वह मजबूरी दूर हो गई तो इन सूरतों में वह हज बदल या तो सिरे से नाकाफी था या अब साकित हो गया और उसके लिए सिर्फ नफ़िल का सवाब रह गया। फ़र्ज़ बाक़ी है। खुद हज अदा करे और मजबूर व नाउम्मीद हो फिर हज बदल कराए। (फतावा रिज़विया)

मसला:- बेहतर यह है कि हज बदल के लिए ऐसा शख़्स भेजा जाए जो खुद हज्जे फ़र्ज़ अदा कर चुका हो। और हज के तरीके और उसके अफ़आल से आगाह हो और अगर ऐसे को भेजा जिसने खुद नहीं किया है जब भी हज बदल हो जाएगा और अगर खुद उस पर हज फ़र्ज़ हो और अदा न किया हो उसे भेजना मकरूह तहरीमी है। और मराहिक़ यानी करीबुलबुलूग़ बच्चे से हज कराया जब भी अदा हो जाएगा। (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:- हज बदल वाले को उसी शहर से जाना चाहिए जो शहर मय्यत का था ताकि माली सर्फ पूरा हो। मक्का मुअज़्ज़मा से हज करा देना उसमें दाखिल नहीं। (आमए कुतुब)

हज में औरत के मख़सूस अहकाम

मसला:- हज अदा करने में औरत के लिए यह भी ज़रूरी है कि जाने के ज़माने में वह इद्दत में न हो। इद्दत वफात की हो या तलाक़ की, बाइन की हो रजई की। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- अरकाने हज की अदाएगी में मर्द औरत के बराबर है। अलबत्ता औरत के लिए चंद मसायल में जुदागाना अहकाम हैं

१. मर्दों को हुक्म है कि वह अहराम के वक़्त, मीक़ात आने से

पहले सिले हुए कपड़े और मोज़े उतार दें। एक चादर नई या धुली हुई ओढ़ें और ऐसा ही एक तह बंद बांधें। लेकिन औरत सिले हुए कपड़े और मोज़े पहन सकती है।

२. मर्द के लिए मुंह या सर किसी कपड़े से छिपाना, हालते एहराम में हराम है। लेकिन औरत अपना सर छिपा सकती है अलबत्ता ग़ैर महरम के सामने और नमाज़ में सर छिपाना फ़र्ज़ है।

तम्बीह:- अहराम में मुंह छिपाना औरत को भी हराम है उसे हुक्म है कि ग़ैर महरम के आगे कोई पंखा वग़ैरह मुंह से बचा हुआ सामने रखे।

३. गोंद वग़ैरह से बाल जामना, बहालते एहराम,मर्द को हराम है। लेकिन औरत गोंद या ऐसी ही किसी चीज़ से अपने बाल जमा सकती है।

४. एहराम की हालत में, मर्द के लिए सर या मुंह पर पट्टी बांधना या बाजू या गले पर तावीज़ बांधना, अगरचे बे सिले कपड़े में लपेट कर हो, मकरूह है। लेकिन औरत के लिए जायज़ है।

५.यूंही मर्द के लिए ग़िलाफे काबा में इस तरह दाखिल होना कि ग़िलाफे शरीफ सर या मुंह से लगे। मकरूह है और औरत के लिए खिलाफे काबा के अंदर यूं दाखिल होना कि सर पर रहे मुंह पर न आए जायज़ है।

६.इस हालत में दस्ताने मोज़े या जुराबें जो पिंडली और कदम के जोड़ को छिपाए मर्द को पहनना मकरूह है। औरत दस्ताने और जुराबें,मोज़े इस्तेमाल कर सकती है।

७. मर्द के लिए हुक्म है कि लब्बैक बआवाज़े बुलंद कहे। लेकिन औरत इतनी आवाज़ से लब्बैक न कहे कि ग़ैर महरम सुने। हां इतनी आवाज़ हर पढ़ने में हमेशा सब को ज़रूर है कि अपने कान तक

आवाज़ आ सके।

८. मर्द को हुक्म है कि तवाफ़ शुरू करने से पहले इज़्तिबाअ करले यानी चादर की सीधी जानिब दाहिनी बग़ल के नीचे से निकाले कि सीधा शाना खुला रहे और दोनों आंचल बायें कंधे पर डाल ले मगर औरत को यह हुक्म नहीं।

९. मर्द तवाफ़े काबा में रमल करता चलेगा यानी जल्द जल्द छोटे क़दम रखना, शाने हिलाता जैसे कौमी व बहादुर लोग चलते हैं न कूदना, दौड़ना, लेकिन औरत इससे मुस्तस्ना है।

१०. मर्द, सफ़ा व मरवा के दरमियान सई करेगा और जब पहला मील आएगा दौड़ना शुरू कर देगा मगर न हद से ज़ायद,न किसी को ईज़ा देते हुए यहां तक कि दूसरे मील से निकल जाए तो आहिस्ता हो कर मरवा पर पहुंचेगा। फिर सफ़ा को जाएगा फिर आएगा। यहां तक कि सातवां फेरा मरवा पर खत्म होगा। इसी का नाम सई है लेकिन इस में दौड़ना औरत के लिए नहीं।

११. संगे असवद का बोसा नसीब हो तो यह कमाले सआदत है। यक़ीनन तुम्हारे महबूब व मौला मुहम्मद रसूल सल्ल० ने बोसा दिया और रूए अक़दस उस पर रखा है। ज़हे खुशनसीबी कि तुम्हारा मुंह वहां तक पहुंचे लेकिन उसके लिए मर्दों के हुजूम में घुसना, किसी तरह दुरुस्त नहीं। औरतों के लिए इतना ही काफी है कि हाथों से संगे असवद की तरफ इशारा कर के हाथों को बोसा दे लें। मुहम्मद सल्ल० के मुंह रखने की जगह निगाहें पड़ रही हैं यही क्या कम है।

१२. यही हुक्म मस्से रुक्ने यम्मानी का है।

१३. तवाफ में मर्द जिस क़द्र खाना काबा से नज़दीक हो बेहतर है। लेकिन औरतें अगर ऐसा मौक़ा न पाएं कि उन का बदन ग़ैर महरम से न छूए तो उन्हें अलग थलग रहना सबसे बेहतर है।

१४. यूंही औरतें चाहे ज़मज़म से खुद पानी भरने की कोशिश न करें।

१५. और न चाहे ज़मज़म के अंदर नज़र करें अगरचे बहुक्मे हदीस, निफ़ाक़ को दूर करता है। हां संगे असवद का बोसा या मस्से रुक्ने यमानी या कुर्बे काबा या ज़मज़म के अंदर नज़र या उससे खुद पानी भरना यह बातें यूं मयस्सर आजायें कि ग़ैर महरम से बदन न छूए तो खैर वरना बात वही है कि अलग थलग रहना औरत के सबसे बेहतर है।

एक ज़रूरी नसीहत

सई में सत्रे औरत (यानी बदन के जिस हिस्से का छिपाना फ़र्ज़ है उसे छिपाना) सुन्नत है यानी अगरचे सत्र का छिपाना फ़र्ज़ है। मगर इस हालत में फ़र्ज़ के अलावा सुन्नत भी है। कि अगर सत्र खुला रहा तो उसकी वजह से कुफ़्फ़ारा वाजिब नहीं मगर दो गुनाह उसके सर बंध गए एक गुनाह फ़र्ज़ के तर्क का और दूसरा फ़र्ज़ सुन्नत का। बाज़ औरतें निहायत बेबाकी से सई करती हैं कि उनकी कलाइयां और गला खुला रहता है। हालांकि आज़ाद औरतों के लिए सारा बदन औरत है। सिवा मुंह की टकली और हथेलियों और पांव के तलवों के। गरदन और कलाइयां भी औरत हैं और गला गरदन में दाखिल है। इन सब का छिपाना भी फ़र्ज़ है। मगर औरतें यह ख्याल नहीं करतीं कि मक्का मुअज़्ज़मा में गुनाह व मआसियत, दूसरी जगह से सख्त तर है कि यहां जिस तरह एक नेकी लाख के बराबर है। यूंही एक गुनाह लाख गुनाहों के बराबर। हरम वह जगह है जहां गुनाह के इरादे पर पकड़ होती है।

औरतों की यह बेबाकी और लापरवाही और भी ज़्यादा काबिले गिरफ़्त हो जाती है कि सई तो सई काबा मुअज़्ज़मा के सामने भी वह उसी हालत में रहती हैं बल्कि उसी हालत में तवाफ़ भी कर लेती हैं हालांकि तवाफ़ में सर छिपाना अलावा इस फ़र्ज़ के जो औरतों के लिए दायमी है, वाजिब भी है। तो यहां भी दो गुनाह उन से सादिर हुएं एक तर्के फर्ज़ और दूसरा तर्के वाजिब का। और वह भी, कहां बेतुल्लाह के सामने और खास तवाफ़ की हालत में।

बल्कि बाज़ औरतें तवाफ़ करने में खुसूसन हजरे असवद को बोसा देने में मर्दों के हुजूम में घुस जाती हैं,उनका बदन अजनबी मर्दों के जिस्म से मस होता रहता है मगर उनको इस की परवाह नहीं होती। खुदा की बंदियो ! सई तवाफ़ और संगे असवद का बोसा और दूसरे अफ़आले हज, उमूरे खैर हैं। सवाब के लिए किए जाते हैं और तुम सवाब की बजाए गुनाहों से अपना नामए आमाल स्याह करती हो। इन उमूर की जानिब हाजियों को खुसूसियत से तवज्जोह देनी चाहिए और जिन मर्दों के साथ औरतें रहती हैं उन्हें बताकीद ऐसी बातों से मना करना चाहिए और उन्हें ही नहीं दोनों को खुदा और रसूल जल्ल वअला सल्ल० से डरना और शरमाना चाहिए।

वमा तौफ़ीकी इल्लाह बिल्लाह

१६. मर्द को हुक्म है कि कुरबानी के बाद किबला रू बैठ कर हल्क करें यानी सारा सर मुंडायें कि अफ़ज़ल है या बाल कतरवायें कि रुखसत है मगर औरतों को हल्क यानी सर मुंडाना हराम है वह सिर्फ एक पोरे बराबर बाल कतर वालें। (फ़तावा रिज़विया बहारे शरीअत)

मसला:- औरतें अगर इज़्दहाम और मर्दों के हुजूम के सबब, दसवीं ज़िलहिज्जह को फ़र्ज़ तवाफ़ के लिए जिसे तवाफ़े ज़ियारत भी कहते हैं न जा सकीं तो उसके बाद ग्यारहवीं तारीख़ को अफ़्ज़ल है और उस दिन यह बड़ा नफ़ा है कि मताफ़ ख़ाली मिलता है गिनती के मर्द होते हैं। औरतों को भी बइत्मीनान तमाम, हर फेरे में संगे असवद का बोसा मयस्सर आ जाता है और जो ग्यारहवीं को न जाए बारहवीं को करले। उसके बाद बिला नाग़ा ताख़ीर गुनाह है। जुर्माना में एक कुरबानी करनी होगी। हां मसलन औरत को हैज़ या निफ़ास आ गया तो उनके ख़त्म के बाद तवाफ़ करें। मगर हैज़ या निफ़ास से अगर ऐसे वक़्त पाक हुई कि नहा धो कर बारहवीं तारीख़ में आफ़्ताब डूबने से पहले तवाफ़ के चार फेरे कर सकती है तो करना वाजिब है। न करेगी तो गुनाहगार होगी। यूंही अगर इतना वक़्त मिला था कि वह तवाफ़ कर लेती और न किया और अब हैज़ या निफ़ास आ गया तो गुनाहगार हुई। (रददुलमुहतार)

मसला:- औरत ने तवाफ़े विदाअ (जो बाहर वालों पर वाजिब है और मक्का मुअज़्ज़मा से अज़्मे रुख़सत के वक़्त किया जाता है) न किया था कि उसे हैज़ आ गया तो अब उस पर तवाफ़ विदाअ वाजिब न रहा। ऐसी औरत को हुक्म है कि मस्जिदे करीम के दरवाज़े पर खड़ी हो कर काबाए मुअज़्ज़मा को बनिगाहे हसरत देखे और दुआ करती पलटे। (फ़तावा रिज़विया)

मसला:- हज के अय्याम में औरत को हैज़ व निफ़ास में मुबतला हो जाना, उसे किसी इबादत की बजा आवारी से नहीं रोकता। वह हज के तमाम अफ़आल, मिस्ल वकूफ़ अरफ़ात, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, रमी जमार वग़ैरहा, इसी हालत में बजा लाए मगर ख़ाना काबा के

अंदर जाना। या उसका तवाफ़ करना अगरचे मस्जिद हराम के बाहर से हो उसके लिए हराम है कि ऐसी औरत को खुद मस्जिद ही में जाना, जायज़ व हलाल नहीं। (आमए कुतुब)

हक़ सुबहानुहू तौफ़ीके ताअत अता फ़रमा कर मदीना तय्यबा की ज़ियारत कराए आमीन।

हाजियो आओ शहंशाह का रौज़ा है।

काबा तो देख चुके, काबा का काबा देखो।।

सफ़र मदीना तय्यबा

हबीबे अकरम सय्यदे आलम सल्ल० की बारगाहे बेकस में हाज़िरी और रौज़ए अनवर की ज़ियारत क़रीब बवाजिब है। बहुत लोग दोस्त बन कर तरह तरह से डराते हैं। राह में खतरा है। वहां बीमारी है। खबरदार किसी की न सुनो और हरगिज़ महरूमी का दाग़ लेकर न पलटो, जान एक दिन जानी ज़रूर है। इससे क्या बेहतर कि उन की राह में जाए और तजुर्बा है कि जो उनका दामन थाम लेता है उसे अपने साए में आराम से ले जाते हैं कील का खटका नहीं होता।

रसूलुल्लाह सल्ल० फ़रमाते हैं जिस ने मेरी वफ़ात के बाद मेरी ज़ियारत की तो गोया उसने मेरी ज़िंदगी में ज़ियारत की और जो हरमैन (मक्का मुअज़्ज़मा व मदीना मुनव्वरा) में मरेगा क़ियामत के दिन अमन वालों में उठेगा (बैहेक़ी) और एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया जिस ने हज किया और मेरी ज़ियारत न की उसने मुझ पर जफ़ा की। (इब्ने अदी)

मसला:- हज अगर फ़र्ज़ है तो हज करके मदीना तय्यबा हाज़िर हो, हां अगर मदीना तय्यबा रास्ता में हो तो रौज़ए अनवर की

ज़ियारत के बग़ैर, हज को जाना, सख़्त महरूमी और कसावते क़ल्बी (संग दिली) है और इस हाज़िरी को कुबूले हज्जे सआदत दीनी व दुनियावी के ज़रिया व वसीला करार दे और हज्ज नफ़्लि हो तो अख़्तियार है कि पहले हज से पाक साफ़ हो कर महबूब के दरबार में हाज़िर हो या पहले सरकारे आज़म में हाज़िर हो कर, हज के लिए जाएं ग़र्ज़ उसे अख़्तियार है मगर नीयते ख़ैर दरकार है कि आमाल का मदार नीयत पर है।

तम्बीह:– यकीन जानो कि हुज़ूर सल्ल० सच्ची हक़ीक़ी दुनियावी जिस्मानी हयात से वेसे ही ज़िंदा हैं जैसे वफ़ात शरीफ से पहले थे। उनकी और तमाम अम्बिया अलै० की मौत सिर्फ़ वादाए ख़ुदा की तस्दीक़ को एक आन के लिए थी। फिर बदस्तूर ज़िंदा हो गए तो उनका इन्तिकाल सिर्फ़ नज़रे अवाम से छिप जाना है। वलिहाज़ा अइम्मए दीन रहमतुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन फ़रमाते हैं कि "हुज़ूर सल्ल० की हयात वफ़ात में इस बात में कुछ फ़र्क नहीं कि वह अपनी उम्मत को देख रहे हैं और उनकी हालतों और नीयतों, उनके इरादों और उनके दिलों के ख़्यालों को पहचानते हैं और यह सब हुज़ूर पर ऐसा रौशन है जिसमें असलन पौशीदगी नहीं। यहां तक कि वह तेरी हाज़री और तेरे ख़ड़े होने और तेरे सलाम तेरे तमाम अहवाल अफ़आल और कूच के मकाम से आगाह हैं।" (मवाहिब लदीना वग़ैरह) वलिहाज़ा हुज़ूर की ताज़ीम व तौक़ीर जिस तरह उस वक़्त थी कि हुज़ूर इस आलम में ज़ाहिरी निगाहों के सामने तशरीफ़ फ़रमा थें अब भी उसी तरह फ़र्ज़ आज़म है। जब हुज़ूर सल्ल० की बारगाह में मदीना तय्यबा की हाज़री नसीब हो तो रौज़ा शरीफ़ के सामने चार हाथ के फ़ासिले से दस्त बस्ता जैसे नमाज़

में खड़े होते हैं खड़ी हो कर सर झुकाए, आंखें नीची किए हुए जलाल व जमाले महबूब सल्ल० के तसव्वुर में डूब कर सलात व सलाम अर्ज़ करे। बहुत करीब न जाए न इधर उधर देखें और खबर दार आवाज़ कभी बुलंद न करना कि उम्र भर का सारा किया धरा अकारत हो जाए। इस वक़्त जो अदब व ताज़ीम फ़र्ज़ है हर मुसलमान का दिल जानता है। आंखों, कानों, ज़बान, हाथ, पांव दिल सब ख्याले ग़ैर से पाक करो। खुशूअ व खुजूअ से आस्तानए अक़दस की तरफ़ मुतवज्जाह रहो। रोना न आए तो रोने का मुंह बनाओ और दिल को बज़ोर रोने पर लाओ और अपनी संगदिली से रसूलुल्लाह सल्ल० की तरफ़ इल्तिजा करो। लरज़ती कांपती, गुनाहों की निदामत से पसीना-पसीना होती हुजूर पुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ु व करम की उम्मीद रखती।

हुजूर वाला की पायीं यानी मशरिक़ की तरफ़ से सामने हाज़िर हो कि हुजूर अक़दस सल्ल० रू ब क़िबला जलवा फ़रमा हैं। इस सिम्त से हाज़िर हो कर हुजूर की निगाह बेकस पनाह तुम्हारी तरफ़ होगी और यह बात तुम्हारे लिए दोनों जहां में काफी है।

अल्हम्दुलिल्लाह अब कि दिल की तरह तुम्हारा मुंह भी उस पाक जाली की तरफ़ है जो अल्लाह अज़्ज़ोजल्ल के महबूब अज़ीमुश्शान सल्ल० की आरामगाह है निहायत अदब व विक़ार के साथ मजरा व तस्लीम बजा लाओ और मोतदिल आवाज़ से अर्ज़ करो।

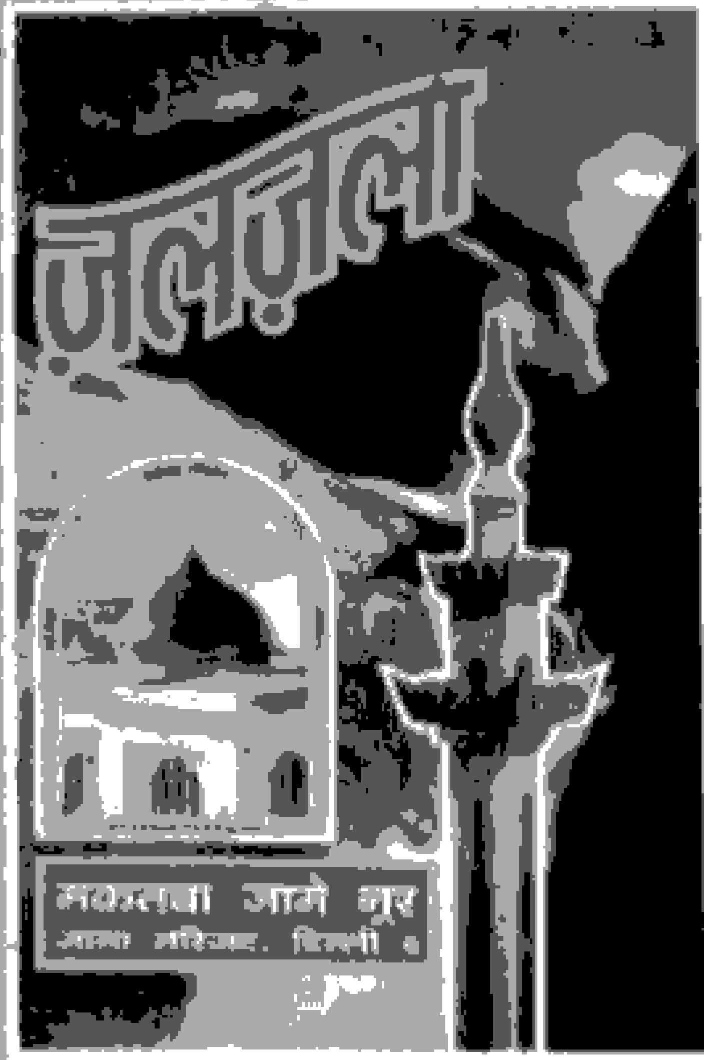
السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا خیر خلق الله السلام علیک یا شفیع المذنبین السلام علیک وعلی آلک واصحابک وامتک اجمعین

जहां तक मुमकिन हो और ज़बान साथ दे और मलाल व कसल
न हो सलात व सलाम की कसरत करो और हुजूर से अपने लिए
और अपने मां बाप पीर उस्ताद औलाद, अज़ीज़ों, सहेलियों और सब
मुसलमानों के लिए शफ़ाअत मांगों, बार बार अर्ज़ करो।

اَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ يَارَسُوْلَ اللّٰه

(या रसूलुल्लाह मैं आप से शफ़ाअत की भीख मांगती हूं) फिर
अगर किसी ने अर्ज़ सलाम की वसीयत की हो बजा लाओ। शरअन
इस का हुक्म है। और यह फ़क़ीर ज़लील उन मुसलमानों को जो
इस रिसाला को देखें वसीयत करता है कि जब उन्हें हाज़िरी बारगाह
नसीब हो तो इस नंग ख़लायक़ के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। और
इस बारगाहे रफ़ीअ में सलात व सलाम ज़रूर अर्ज़ करें। अल्लाह
उन को दोनों जहां में इज़्ज़त बख्शे। आमीन

ज़रूरी निहायत ज़रूरी:– वह तमाम आदाब व अहकाम जो
तवाफ़े ख़ानाए काबा में और दूसरे मुक़ामात पर महलूज़ थे। यहां
भी उनका लिहाज़ रखें। मसलन हरगिज़ हरगिज़ अजनबी मर्दों के
हुजूम में दाख़िल न हों। उन से अपना बदन मस न होने दें और
सत्रे औरत का पूरा पूरा एहतमाम करें हिदायते सफ़र हज के लिए
जाना नसीब हो तो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मौलाना शाह
अहमद रिज़ा खां साहब क़ादरी बरकाती क़दस सिर्रहू का रिसाला
मुबारका "अनवरुलबशारत" ज़रूर अपने साथ रखें कि क़दम क़दम
पर राह नुमाई फ़रमाएगा। या फिर उस्ताज़िल मुहतरम सदरुश्शरीआ
हज़रत मौलाना अश्शाह अबुल आला मौलाना अमजद अली साहब
क़ादरी बरकाती रिज़वी क़दस सिर्रहू की बहारे शरीअत का हिस्सा
शशुम कि वह निसबतन आसान भी है और मुफ़स्सल भी।











مکتبہ جامِ نور دہلی



Maktaba Jaam-e-Noor

422, Matia Mahal
Jama Masjid, Delhi - 6
Contacts
011-23281418, 8800522592
kausar1977@gmail.com

ख्वातीन के लिए ज़िन्दगी के तमाम मसाइल का मजमुआ

सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर

मुसन्निफ
मुफ्ती खलील ख़ां बरकाती

फेहरिस्त हिस्सा अव्वल

सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर कामिल

ख़्वातीन के लिए

जि़न्दगी के तमाम मसाइल का मजमूआ

3

मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद ख़लील ख़ां क़ादरी
बरकाती मद्देजि़ल्लहु आली

मकतबा जामे नूर

422, मटिया महल जामा मस्जिद, दिल्ली-110006

निकाह का बयान

एक मर्द और औरत के दरमियान, इस्लामी कानून की रू से जो ताल्लुक और राबता पैदा हो जाता है। वह महज़ अपनी नफ्सानी और जिंसी ख्वाहिशों के पूरा करने के लिए नहीं और न निकाह का यह मक्सद है कि एक मर्द और औरत किसी न किसी तरह एक दूसरे के गले पड़ जायें और न शरीअत इस अमर की इजाज़त देती है कि औरत मर्द को शह्वानी ख़्वाहिशात की तकमील का आला कार बना दिया जाये।

शरीअत इस्लमामिया में निकाह एक दीनी और मज़हबी अमल और एक गहरा तमद्दुनी अखलाकी और क़ल्बी ताल्लुक है। मर्द औरत में उलफ़त व यगानगत और मियां बीवी में बाहमी मुनासिबत का पाकीज़ा रिशता है और मक्सूद असली उसका यह है कि मर्द व औरत के मेल मिलाप से एक कामिल और खुशगवार ज़िन्दगी वजूद में आये और नस्ले इन्सानी का सिलसिला भी हदूदे इलाही की निगरानी के दर्मियान बढ़ता और फूलता फलता रहे।

कुरआन करीम का इरशाद गिरामी है

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ "तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं तो आओ अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो" यानी जहां तक मियां बीवी में वज़ीफा ज़ोजीयत का ताल्लुक है तो तुम्हारी बीवीयां तुम्हारे लिए ऐसी ही हैं जैसे काश्तकारी के लिए काश्त की ज़मीन। ज़मीन्दार के लिए उस का खेत।

खेत कहते हैं उस कितअ ज़मीन को जिसमें काश्त के लिए तुख्म रेज़ी होती है पैदावार के लिए बीज बोया जाता है और उसमें सब्ज़ी,

ग़ल्ला, नबातात का नशूनमा होता है। खेत में किसान महज़ तफरीह और वक़्त गुज़ारी के लिए नहीं जाता बल्कि उसे अपनी बहुत बड़ी दौलत समझ कर उसे निहायत दरजा अज़ीज़ रखता है और उससे पैदावार हासिल कर के खूब मुनाफ़ा कमाता है।

इसी तरह औरतें मर्दों के लिए खेती की जगह हैं। उसका नुत्फ़ा बजाए तुख़्म है और औलाद का हुसूल नुत्फ़ा पैदावार है तो औरतों और मर्दों में एक दूसरे से ताल्लुक और कुर्बत से मक़सूद नस्ल इन्सानी की बक़ा और औलाद का हुसूल और एक पाकीज़ा ज़िन्दगी एक खुशगवार माहौल की फ़राहमी है न कि कज़ाए शह्वत और महज़ जिन्सी ख़्वाहिशात की तकमील।

यही वजह है कि इस्लामी कानून औरतों के मख़सूस अय्याम में कुर्बत व हमबिस्तरी की इजाज़त नहीं देता। ग़र्ज़ नस्ले इन्सानी के किसान को भी, इन्सानियत की उस खेती में इस लिए जाना चाहिए कि वह उससे नस्ल की पैदावार हासिल करे।

इस आयते करीमा में आगे यह भी इरशाद फ़रमाया وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ यानी अपने हक़ में आइन्दा के लिए कुछ करते रहो। अपने लिए मुस्तकबिल का सामान करो। फिर फ़रमाया:-

وَاتَّقُوا اللَّهَ अल्लाह से डरते रहो। अपने लिए यानी यह बात न भूलो कि तुम्हें एक दिन मरना और उसके हुज़ूर हाज़िर होना है।

यह जामेअ अल्फ़ाज़ हैं जिन से दो मतलब निकलते हैं और दोनों की यकसां अहमियत है एक यह कि अपनी नस्ल बरकरार रखने की कोशिश करो ताकि तुम्हारे दुनिया छोड़ने से पहले तुम्हारी जगह दूसरे काम करने वाले पैदा हों और कारख़ानाए आलम का निज़ाम

क़ायम रहे। दूसरे यह कि जिस आने वाली नस्ल को तुम अपनी जगह छोड़ने वाले हो उस को दीन अख़लाक़ और आदमीयत के जौहर से आरास्ता करने की कोशिश करो। यह गोया उसकी ताकीद है कि लज़्ज़तों में मशगूलीयत के वक़्त भी मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत अपनी ज़िम्मेदारियों को न भूल जायें। लज़्ज़त परस्ती ही में डूब कर न रह जायें बल्कि अपनी लज़्ज़तों को भी इस्लामी सांचे में ढालने की फ़िक्र से ग़ाफ़िल न हों। अगर इन ज़िम्मेदारियों और फ़राइज़ के अदा करने में तुम ने क़सदन कोताही की और शहवानी लज़्ज़तों और नफ़सानी ख़्वाहिशों ही में डूब कर रह गये तो ख़ुदावन्द क़ुद्दूस के यहां बाज़ पुर्स से किस तरह बच सकोगे।

इसी मज़मून की ताकीद क़ुरआन अज़ीम के और मक़ामात से भी होती है। मसलन निकाह के बाब में मर्दों से फ़रमाया–

مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ

यानी निकाह जिसकी इजाज़त तुम मर्दों को दी जा रही है वह अज़दवाजी ज़िन्दगी के क़ैद व बन्द में रहने और उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हो जो अक़्द निकाह के बाद तुम पर आइद होती हैं। उसका मक़सूद नफ़्स परस्ती और बदमस्ती नहीं होना चाहिए।

औरतों के हक़ में फ़रमाया–

مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ

यानी औरतें जो मर्दों के अक़्द निकाह में आ रही है उन्हें भी यह बात ज़ेहन नशीन कर लेनी चाहिए कि वे अज़दवाजी ज़िन्दगी के क़ैद व बन्द की पाबन्द बन रही हैं हवस रानी और बद चलनी

की ज़िन्दगी, अज़दवाजी ज़िन्दगी नहीं बन सकती।

ख़ुलासा कलाम यह है कि मर्द और औरत दोनों का मकसूद, निकाह के ज़रिये, एक पाकीज़ा, और इफ़्फ़त मआब ज़िन्दगी बसर करना होना चाहिए। जिन्सी ख़्वाहिशात की तकमील उस की ग़ायत नहीं, और उस ताबीर में तन्बीह है कि ज़ानी महज़ शहवत रानी करता और मस्ती निकालता है और उसका फ़ेल ग़र्ज़ सही और मकसदे हसन से ख़ाली होता है। न औलाद हासलि, न नस्ल व नसब महफ़ूज़ करना न अपने नफ़्स को हराम से बचाना। इनमें से कोई बात उसके मद्देनज़र नहीं होती वह अपने नुत्फ़ा व माल को ज़ाया व बरबाद करके दीन व दुनिया के ख़सारा में गिरफ़्तार होता है।

सूर: नहल में इरशाद फ़रमाया -

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ
بَنِيْنَ وَحَفَدَةً

और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से औरतें बनायीं और तुम्हारे लिए तुम्हारी औरतों से बेटे और पोते और नवासे पैदा किये।

यानी अल्लाह अज़्ज़ोजल ने मर्दों के लिए नोअ इन्सानी ही से उसका जोड़ा पैदा किया ताकि दोनों में उल्फ़त व मुहब्बत कायम रहे और तख़लीके इन्सानी की ग़र्ज़ पूरी हो फिर दोनों के बाहमी इख़तिलात व कुर्बत से इन्सान को औलाद बख़्शी और औलाद की औलाद अता फ़रमाई पोते और नवासे दिये ताकि नोअ इन्सानी बरकरार रहे तो अज़दवाजी ताल्लुकात का कायम करना और उन्हें नेक मकासिद की ख़ातिर बाकी रखना, उन अज़ीम नेमतों में से एक नेमते उज़मा है जिनका ख़ुदाए कुद्दूस ने अपने बन्दों पर एहसान फ़रमाया और अपने एहसानात व इनामात में गिनाया सूर: फ़ुरकान में इरशाद फ़रमाया-

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

"और वह वही है जिसने इन्सान को पानी से पैदा फरमाया फिर उसे खानदान वाला और ससुराल वाला बनाया।"

इस्लाम ने सारे इन्सानी माआशरे की बुनियाद खानदान ही पर रखी है और ससुराल को भी खानदान ही का एक जुज़ ठहराया है तो इज्तिमाई ज़िन्दगी में खानदान को जो अहमियत हासिल है वही अहमियत अक्द निकाह को भी हासिल है। बल्कि उससे बेशतर आयते करीमा पर ग़ौर फरमाइए। बजाये खूद यही करिश्मा किया कम था कि वह एक हकीर पानी की बून्द से इन्सान जैसी हैरत अंगेज़ मखलूक बनाकर खड़ी करता है मगर उस पर मज़ीद करिशमा यह है कि उसने इन्सान का भी एक नमूना नहीं बल्कि दो अलग नमूने मर्द और औरत बनाये जो इन्सानीयत में यकसां मगर जिस्मानी और नफ़सानी खसूसियात में निहायत मुखतलिफ और इस इखतिलाफ की वजह से बाहम मुखतलिफ व मुतज़ाद नहीं बल्कि एक दूसरे का पूरा जोड़ा हैं। फिर उन जोड़ों को मिला कर वह अजीब तवाज़ुन के साथ जिसमें किसी दूसरे की तदबीर का अदना दखल भी नहीं है, दुनिया में मर्द भी पैदा कर रहा है और औरतें भी जिससे एक सिलसिला ताल्लुकात बेटों और पोतों का चलता है। जो दूसरे घरों से बहुयें लाते हैं और एक दूसरा सिलसिला ताल्लुकात बेटियों और नवासियों का चलता है जो दूसरे घरों की बहुयें बन कर जाती हैं और इस तरह खानदान से खानदान जुड़ कर पूरे पूरे मुल्क एक नस्ल और एक तमददुन से वाबिस्ता हो जाते हैं।

यही वजह है कि आयते करीमा में ससूराली रिश्ते को खालिके

कायनात ने अपनी नेमतों में शुमार फरमाया और अपनी कुदरत कामिला की दलील ठहराया कि किसी बज़ाहिर बे हकीकत चीज़ से कितने अज़ीमुश्शान और दूर दराज़ के ताल्लुकात कायम कर दिये।

कुदरत के फैयाज़ हाथों ने जो जज़बात इन्सान की फ़ितरत में वदीअत फरमाए और जो कुव्वत उसे अता फरमायीं वह उसके हक में सरापा खैर और सर ता सर मुफीद हैं और इन्सान को इन जज़बात और कुव्वतों से वही काम लेना चाहिए जिसके लिए उसकी तख़लीक हुई और उसे काम में लाने का वही तरीका बरतना चाहिए जो कुदरत ने उसे सिखाया और उसी हद तक काम में लाना चाहिए जिस हद तक कानूने कुदरत में उसे वुसअत दी गई है। उन्हीं कुव्वतों में से एक कुव्वते तवालुद व तनासुल भी है जिसकी बदौलत इन्सानों के माबीन विलादत का सिलसिला कायम करना और नस्ल इन्सानी को बरकरार रखना ज़हूर में आता है जो अैन मन्शाए इलाही है।

और चूंकि कुव्वत फ़ितरी और अतिया खुदावन्दी है लिहाज़ा उसका कामिल तौर पर इन्सान में पाया जाना उसके कमाले इन्सानियत की दलील होगी और यह उसी वक्त मुमकिन है जब उसका सर्फ़, उसी महल में किया जाये जो कुदरत ने उसके लिए मुतअय्युन फ़रमाया है और उसी महल सर्फ़ को हदूद में रहते हुए अपने तसर्रुफ में लाना, शरअ की ज़बान में निकाह कहलाता है और जो बुनियाद है एक पाकीज़ा ज़िन्दगी की।

औरत इस्लाम से पहले

इस्लाम से पहले औरतों के हकूक पामाल थे न उनकी जान की कोई कीमत थी और न असमत व अफ्फत ही की कद्र थी। बीवीयों

की कोई तादाद मुकर्रर न थी। इसलिए जब कोई मर्द चाहता और जिस औरत को चाहता और जिस तरह चाहता अपने निकाह में ले आता और उनके साथ वही सुलूक रवा रखता जो जानवरों से किया जाता है हक मेहर एक बे मानी चीज़ थी। बल्कि औरत की मिलकियत और सारा साज़ व सामान लाकानूनी के तहत शौहरों की मिलकियत करार पाता था बे हिसी का आलम यह था कि शौहर के मरने के बाद सौतेली माओं में भी विरासत का कानून राइज था कि मरने वालों के वारिसों में एक माल की तरह उसकी तकसीम भी अमल में आती थी। दुनिया में सबसे पहले हुजूर रहमतुललिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने औरतों के हकूक कायम किये और औरत की शख़्सीयत को उभारा और कुरआन करीम के अल्फाज़ में ऐलान फरमाया-

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِیْ عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ سورہ بقرہ آیت ۲۲۸

यानी जैसे हकूक मर्दों के औरतों पर हैं वैसे ही औरतों के हकूक मर्दों पर हैं। इस्लाम से कब्ल औरत की तज़लील व तहकीर की एक वजह उसकी माली बे चारगी भी थी। इसलिए हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने औरत की माली हालत को भी मुस्तहकम किया और उसके लिए उसूल वज़अ किये।

१. उसे विरासत में हिस्सेदार बनाया और अपने बाद भाई खाविन्द बेटे वग़ैरह के माले मतरूका जायदाद मनकुला व ग़ैर मनकूला में औरत के हिस्से मुकर्रर फ़रमाये।

२. मैके से मिलने वाला सामान दहेज उसकी मिलकीयत करार दिया।

३. उसे अपनी इमलाक व जायदाद पर मालिकाना हक़ देकर उसमें तसर्रुफ़ का हक़ दिया।

४. अपने हक़ मेहर पर उसे पूरा-पूरा अख़्तियार बख़्शा।

और इस तरह बुनियादी हैसीयत से औरत को मर्द के मसावी कर दिया और उन तदाबीर से औरत को पस्ती से निकाल कर बुलन्दी अता फ़रमाई और सही मानी में उसे मर्द का शरीके ज़िन्दगी और रफ़ीके ह्यात बना दिया।

ग़र्ज़ चूंकि निकाह शरीअत इस्लामिया में मर्द व औरत के माबैन एक शरई ताल्लुक़ दीनी राबता और मज़हबी इख़्तिलात है। इसलिए इस्लाम ने निकाह के उसूल व क़वायद मुक़र्रर किये मियां बीवी के हक़ूक़ मुतअय्यन किये ताकि कोई फ़रीक़ किसी फ़रीक़ के हक़ूक़ पामाल न कर सके। मसलन

१. ईजाब व क़ुबूल को निकाह का लाज़िमी हिस्सा क़रार दिया।

२.कम से कम दो गवाहों की मौजूदगी ज़रूरी ठहराई गयी।

३. औरतों की दो क़िस्में की गयीं एक वह जिन से निकाह हलाल है और दूसरी वह जिन से निकाह हराम है।

४. औरत आक़िला बालिग़ा हो तो उसे अपने निकाह का अख़्तियार दिया गया और नाबालिग़ी की हालत में उस पर उसके वली को अख़्तियार बख़्शा गया।

५. निकाह को हर सूरत में मुकम्मल करने के लिए कफ़ू का लिहाज़ किया।

६. मर्द पर बनाम हक़ मेहर एक मोअय्यना रक़म मुक़र्रर की गई और उस पर औरत को पूरा पूरा अख़्तियार दिया।

७. शरीअत ने वे हदूद मुक़र्रर कीं जिसके बाद शोहर को औरत

पर कोई हक नहीं रहता।

८. औरतों को छोड़ने के लिए कवानीन वज़अ किये गए जिन्हें तलाक और खुलअ कहा जाता है।

९. औरत का नान नफ्का शौहर पर लाज़िम करार दिया।

१०. ज़माना जिहालत के रस्म व रिवाज के बर खिलाफ मर्द को औरत से निकाह का हुक्म दिया, और बवक्त ज़रूरत, कुछ शर्तों से मशरूत, सख्त पाबन्दियों के साथ, एक से ज़्यादा की इजाज़त दी।

अब इन उमूर से मुताल्लिक चन्द फिक्ही मसाइल और दूसरे अहकाम भी सुनें।

१-ईजाब व कुबूल

ईजाब व कुबूल यानी मसलन "एक कहे'' मैंने अपने को तेरी ज़ोजीयत या तेरे निकाह में दिया। दूसरा कहे "मैंने कुबूल किया'' यह निकाह के रुक्न हैं पहले जो कहे वह ईजाब है और उसके जवाब में दूसरा जो अल्फाज़ कहे उसे कबूल कहते हैं यह कुछ ज़रूरी नहीं कि औरत की तरफ से ईजाब हो और मर्द की तरफ से कुबूल। बल्कि उसका उल्टा भी हो सकता है। (दुर्रे मुख्तार, रददुलमुहतार)

मसला:- लड़की के बाप या वकील ने, मर्द से कहा कि "मैंने अपनी लड़की या अपनी मुवक्किला का तुम से निकाह किया या उसको तेरे निकाह में दिया। उसने कहा मैंने कुबूल किया''। या उसके बाप या वकील ने कहा कि "मैंने उसे अपने लड़के या अपने मोवक्किल के लिए कबूल किया तो निकाह दरूस्त है। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:- औरत ने मर्द से कहा "मैंने तुम से अपना निकाह किया इस शर्त पर कि मुझे अख्तियार है जब चाहूं अपने को तलाक दे लूं।''

और मर्द ने कुबूल किया तो निकाह हो गया और औरत को अख़्तियार है. जब चाहे अपने को तलाक़ देदे।

मसला:– किसी ने लड़की के बाप से कहा 'तेरे पास इसलिए आया हूं कि अपनी लड़की का निकाह मुझ से कर दे'' उसने कहा "मैंने उसे तेरे निकाह में दे दिया तो निकाह हो गया। कुबूल की भी हाजत नहीं बल्कि उसे अब यह अख़्तियार नहीं कि कुबूल न करे। (रद्दुलमुहतार, आलमगीरी)

मसला:– किसी नें लड़की के बाप से कहा "तूने अपनी लड़की मुझे दी'' उसने कहा "दी'' उसने कहा "कुबूल की'' तो अगर यह ईजाब व कुबूल मंगनी के लिए हो तो मंगनी है और निकाह के लिए हों तो निकाह। (रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

मसला:– किसी की मंगेतर को निकाह का पैग़ाम देना मकरूह है। यूं ही एक को ज़बान देकर उससे फिर जाना, या मंगनी को बिला वजह शरई तोड़ देना भी मज़मूम व बेजा है और बहरे सूरत, दूसरे से निकाह शरअन दरूस्त व सहीह है। और अगर दर हकीकत किसी उज़्र माकूल या वजह शरई की बिना पर मंगनी करके तोड़ दी और लड़की दूसरे को दे दी तो अब कोई बुराई भी नहीं। (फ़तावा रिज़विया वग़ैरह)

मसला:– औरत को चाहिए कि मर्द दीनदार, खुश खुल्क, मालदार सख़ी से निकाह करे फ़ासिक़ बदकार से नहीं, नेक चलनी, खुशअख़लाकी, खुदा तरसी और परहेज़गारी से बढ़ कर कोई हुस्न जमाल और मताअ व माल नहीं।

मसला:– नाबालिग़ लड़के और लड़की के (माबैन) निकाह में मसनून तरीका यह है कि उसके औलिया खुद ईजाब व कुबूल करें

या उनकी इजाज़त से उनके वकील। नाबालिग़ों से कहलवाने की कोई हाजत नहीं। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:- यह जो तमाम हिन्दुस्तान व पाकिस्तान में आम तौर पर रिवाज पड़ा हुआ है कि औरत से एक शख़्स इज़्न ले कर आता है जिसे वकील कहते हैं वह निकाह पढ़ाने वाले से कह देता है कि फ़लां का वकील हूं फ़लां का वकील हूं आप को इजाज़त देता हूं कि निकाह पढ़ा दीजिए। यह तरीक़ा महज़ ख़्याल है बल्कि यूं चाहिए कि जो शख़्स निकाह पढ़ाये वह औरत या उसके वली का वकील बने। ख़्वाह यह खुद उसके पास जाकर वकालत हासिल करे या दूसरा उसकी वकालत के लिए लाये फ़लां बिन फ़लां को तूने वकील किया कि वह तेरा निकाह फ़लां बिन फ़लां से कर दे औरत कहे हां" (बहारे शरीअत, फ़तावा रिज़वियह)

ईजाब व कुबूल गवाहों के रू बरू होना

बाहमी हक़ूक़ व अख़्तियारात को महफ़ूज़ रखने के लिए कम अज़ कम दो गवाहों यानी दो मर्दों या एक मर्द दो औरतों का ईजाब कुबूल के वक़्त होना शर्ते निकाह है।

मसला:- गवाहों का आक़िल बालिग़ होना भी ज़रूरी है और यह भी ज़रूरी है कि सब ने एक साथ निकाह के अल्फ़ाज़ सुने और मुसलमान मर्द का निकाह, मुसलमान औरत के साथ हो तो गवाहों का मुसलमान होना भी शर्त है। लिहाज़ा मुसलमान मर्द और औरत का निकाह काफ़िरों की शहादत से नहीं हो सकता हां अगर किताबियह

मसलन नसरानियह से मुसलमान मर्द का निकाह हो तो उस निकाह के गवाह ज़िम्मी काफ़िर भी हो सकते हैं।

मसला:– गवाह दूसरे मुल्क के हैं कि यहां की ज़बान नहीं समझते तो अगर यह समझ रहे हैं कि निकाह हो रहा है और अल्फ़ाज़ भी सुनें और समझे यानी यह अल्फ़ाज़ ज़बान से अदा कर सकते हैं अगरचे उनके मायने नहीं समझते तो निकाह हो गया। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:– गवाह सिर्फ़ वही नहीं कहलाते जो मजलिसे अक़्द में मुक़र्रर कर लिये जाते हैं बल्कि वे तमाम हाज़िरीन गवाह हैं जिन्होंने ईजाब व क़ुबूल सुना मगर ऐसे हों कि बवक़्त ज़रूरत उनकी गवाही सुनी जा सके। (आलमगीरी)

मसला:– औरत से इज़्न लेते वक़्त गवाहों की ज़रूरत नहीं यानी उस वक़्त गवाह अगर न भी हों और निकाह पढ़ाते वक़्त हों तो निकाह हो गया। अलबत्ता इज़्न लेते वक़्त गवाहों की हाजत यूं है कि अगर औरत ने इंकार कर दिया और यह कहा कि मैंने इज़्न नहीं दिया था तो अब गवाहों से उसका इज़्न देना साबित किया जायेगा। (रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

मसला:– यह अम्र भी ज़रूरी है कि मनकूहा गवाहों को मालूम हो जाये कि फ़लानी औरत से निकाह हो रहा है। मसलन औरत और उसके बाप दादा के नाम लिये जायें और अगर सिर्फ़ उसी का नाम लेने से गवाहों को मालूम हो जाये कि फ़लां औरत से निकाह हो रहा है तो बाप दादा के नाम लेने की ज़रूरत नहीं फिर भी एहतियात इस में है कि बाप दादा के नाम भी लिये जायें ताकि औरत मुतअय्यन हो जाये। (रद्दुलमुहतार)

मसला:– औरत से इजाज़त लें तो उसमें भी ज़ौज और उसके

बाप दादा का नाम ज़िक्र कर दें ताकि औरत को होने वाले शोहर से वाक़फ़ियत रहे।

तम्बीह:– हदीस शरीफ़ में है कि जो मर्द किसी औरत से ब वजह उसकी इज़्ज़त के निकाह करे अल्लाह उसकी ज़िल्लत में ज़्यादाती करेगा। और जो किसी औरत से उसके माल के सबब निकाह करेगा अल्लाह तआला उसकी मोहताजी ही बढ़ायेगा और जो उसके हसब के सबब करेगा तो उसके कमीना पन में ज़्यादती फ़रमायेगा और जो इस लिए निकाह करे कि इधर–उधर निगाह न उठायेगा पाक दामनी हासिल हो या सिला रहमी करे तो अल्लाह अज़्ज़ोजल उस मर्द के लिए उस औरत में बरकत देगा और औरत के लिए मर्द में। (तबरानी)

इस हदीस शरीफ़ का हासिल औरत और उसके अहले खानदान के लिए यह है कि वह ऐसे मर्द से निकाह न करे जो उनकी दुनियावी वजाहत या शोहरत या उनके माल व दौलत पर रीझ कर या सिर्फ़ औरत के हुस्न व जमाल पर फरीफ्ता होकर शादी पर आमादा हो बल्कि असल चीज़ पाक दामनी का बाकी रखना और खुदा व रसूल के अहकाम की बजा आवरी है। इसी से घरेलू ज़िन्दगी सदा बहार रहती है और इसी की बदौलत ज़न व शौहर में हकीकी मुहब्बत पैदा होती है।

३-मुहर्रमात का बयान

हैयते इज्तिमाई की दुरुस्ती का इन्हिसार इस बात पर है कि निज़ामे खानगी दुरुस्त हो और खान्गी निज़ाम का एक अहम जुज़ यह है कि निकाह किस किस के साथ जायज़ है और किसके साथ नाजायज़?

कुरआन करीम ने एक मुकम्मल फेहरिसत दे कर हमें हराम व हलाल औरतों का पता दिया।

मुहर्रमात वे औरतें हैं जिनसे निकाह हराम व नाजायज़ है। और ये दो किस्म की औरतें हैं। एक वह जिन से निकाह हमेशा हमेशा के लिए हराम है दूसरी वह जो किसी ख़ास सूरत व ज़मानए मुअय्यना में हराम हैं।

१-नसब

इसके तहत सात औरतें मुतलक़न हराम हैं।

१. मां और मां से मुराद वह औरत है जिसकी औलाद में यह है बिला वास्ता या बिलवास्ता लिहाज़ा दादी, नानी, परनानी, अगरचे कितनी ही ऊपर की हों सब हराम हैं और यह सब मां में दाख़िल हैं और सौतेली मां भी हक़ीक़ी मां की तरह हराम है और उसकी हुरमत वैसी ही है जैसी हक़ीक़ी मां की।

२. बेटी और बेटी से मुराद वे औरतें जो उसकी औलाद हैं ख़्वाह बिल वास्ता या बिला वास्ता लिहाज़ा पोती परपोती नवासी परनवासी सब हराम हैं।

३. बहन ख़्वाह हक़ीक़ी हो यानी एक मां बाप से या सौतेली कि बाप दोनों का एक है और मायें दो या मां एक है और बाप दो हराम हैं।

४. फूफी, ख़ाला, और बाप मां, दादा, दादी, नाना, नानी वग़ैरह यह हम उसूल की फूफीयां या ख़ालायें अपनी फूफी और ख़ाला के हुक्म में हैं ख़्वाह हक़ीक़ी हों या सौतेली। यूंही अपनी ख़ाला सगी हो या सौतेली मां के हराम कतई है। हां बाप की मन्कूहा यानी सौतेली

मां की बहन हक़ीक़ी हो या सौतेली। वह मां के हुक्म में नहीं।

५. भतीजी, भांजी, और उससे मुराद भाई बहन की औलाद है, उनकी पोतियां नवासियां भी उसी में शुमार हैं यूंही भतीजी भांजी की औलाद कि सब हराम हैं।

मसला:- ज़िना से बेटी पोती, बहन भतीजी, भांजी भी महरमात में दाखिल हैं। और भतीजी अगरचे सौतेली हो चचा पर हराम कतई हैं। (आलमगीरी, फ़तावा रिज़वियह वग़ैरह)

२- मुसाहरत यानी ससूराली रिश्ते

इस सिलसिले में हस्ब ज़ैल औरतें हराम फ़रमाई गई हैं -

१. ज़ोजा मोतुआ (यानी वह औरत जिसके निकाह के बाद वती की गई) की लड़कियां।

२. ज़ोजा की मां, दादियां, नानीयां

३. बाप, दादा वग़ैरह उसूल (जिनकी यह औलाद में उन) की बीवीयां

४. बेटे पोते वग़ैरह फ़रूअ़ (जो उसकी औलाद में हैं उन) की बीवीयां

५. जिस औरत से ज़िना किया उसकी मां और लड़कियां ज़ानी के लिए।

६. जिस औरत से ज़िना किया गया वह ज़ानी के बाप दादा और बेटों के लिए।

ज़रूरी मसाइल जिनका ताल्लुक़ मुसाहरत से है

मसला:- जिस औरत से निकाह किया और वती न की थी कि

जुदाई हो गई। उसकी लड़की उस पर हराम नहीं। हां अगर ख़िलवते सहीहा औरत के साथ हो गई तो उसकी लड़की हराम हो गई कि ख़िलवते सहीहा भी वती के हुक्म में है और बेटी से निकाह किया तो निकाह होते ही उसकी मां उस मर्द पर हमेशा के लिए हराम हो गई वती शर्त नहीं कि ज़ोजा की वालिदा हमेशा अपनी मां की तरह है। ज़ोजा के मरने या तलाक़ हो कर इद्दत गुज़ारने के बाद किसी तरह हलाल नहीं हो सकती। (आलामगीरी फ़तावा रिज़वियह)

मसला:- हुरमत मुसाहरत जिस तरह वती से होती है यूंही बशहवत छूने बोसा लेने, फ़ुरुज़ दाखिल की तरफ़ नज़र करने, गले लगाने, दान्त से कांटने, चिपटाने यहां तक कि सर पर जो बाल हों उन्हें छूने से भी हुरमत साबित हो जाती है। अगरचे कोई बारीक कपड़ा या बोसा लेने में बारीक नक़ाब हाईल हो। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:- औरत ने शहवत के साथ मर्द को छुवा या बोसा लिया या उसके आला की तरफ़ नज़र की तो इससे भी हुरमत मुसाहरत साबित हो गई (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- हुरमते मुसाहरत के लिए शर्त यह है कि औरत मुश्तहात (क़ाबिले शहवत) हो यानी नौ बरस से कम उम्र की न हो। तो अगर मर्द ने नौ साल से कम उम्र लड़की को बशहवत छुवा या उसका बोसा लिया तो हुरमत साबित न हुई। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- ये अफ़आल क़सदन हों या भूल कर ग़लती से या मजबूरन, बहरहाल हुरमत साबित हो जायेगी। मसलन अन्धेरी रात में मर्द ने अपनी औरत को जिमाअ के लिए उठाना चाहा, ग़लती से शहवत के साथ मुशतहाता लड़की पर हाथ पड़ गया। उसकी मां हमेशा के लिए हराम हो गई। यूंही अगर औरत ने शोहर को उठाना

चाहा और शहवत के साथ हाथ लड़के पर पड़ गया जो मराहक़ था (उसकी मिक्दार बारह बरस की उम्र है) तो औरत हमेशा के लिए अपने उस शोहर से हराम हो गई। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- किसी ने एक औरत से निकाह और उसके लड़के ने उस औरत की लड़की से किया जो दूसरे शोहर से है तो हर्ज नहीं। यूंही अगर लड़के ने औरत की मां से निकाह किया जब भी यही हुक्म है। (आलमगीरी)

मसला:- सौतली मां, मां नहीं तो उसकी सगी बहन से भी निकाह जायज़ है।

मसला:- जिसने अपनी मनकूहा की हक़ीक़ी मां से वती की या उसे बशहवत हाथ लगाया उसकी औरत उस पर हमेशा के लिए हराम हो गई न कभी उसे रख सकता है न किसी हाल में दोबारा उससे निकाह कर सकता हैं उस पर फ़र्ज़ है कि औरत को फ़ौरन छोड़ दे ताकि वह उसके निकाह से बाहर हो जाये। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:- एक शख़्स ने अपने हक़ीक़ी बेटे की बीवी से ज़िना किया जिसका उसे इक़रार है और बेटा भी मानता है कि ऐसा हुआ तो वह औरत बेटे पर हमेशा के लिए हराम हो गई। अब किसी हीले से उस की ज़ोजीयत में नहीं आ सकती। उस पर फ़र्ज़ है कि उसे फ़ौरन छोड़ दे। मसलन कह दे कि मैंने तुझे छोड़ा। उसके बाद औरत इद्दत करे और बाद इद्दत अपने ख़ुसर के अलावा जिससे चाहे निकाह कर सकती है। (फ़तावा रिज़वियह)

३-जमा बैनुलमहारम

यानी ऐसी औरतों को निकाह में जमा करना जो एक दूसरे के

लिए महरम हैं।

मसलाः- वे दो औरतें कि उनमें से जिस एक को मर्द फ़र्ज़ करें दूसरी उसके लिए हराम हो। मसलन दो बहनें कि एक मर्द फ़र्ज़ करें तो भाई बहन का रिश्ता हुआ या फूफी भतीजी कि फूफी को मर्द फ़र्ज़ करो तो चचा भतीजा का रिश्ता हुआ और भतीजा को मर्द फ़र्ज़ करो तो फूफी भतीजी का रिश्ता हुआ। या खाला भांजी का कि खाला को मर्द फ़र्ज़ करें तो मामू भानजी का रिश्ता हुआ और भानजी को मर्द फ़र्ज़ करो तो भानजे खाला का रिश्ता हुआ तो दो औरतों को निकाह में जमा नहीं कर सकता। या यूं समझ लो कि मसलन एक औरत निकाह में है तो जब तक वह निकाह में है उसकी बहन फूफी खाला भतीजी भानजी से निकाह हराम है। बल्कि अगर तलाक़ दे दी हो अगरचे तीन तलाकें तो जब तक इद्दत न गुज़रे दूसरी से निकाह नहीं कर सकता। (आमए कुतुब)

मसलाः- ऐसी दो औरतें जिनमें उस किस्म का रिश्ता मौजूद हो जो ऊपर मज़कूर हुआ। नसब के साथ मख़सूस नहीं बल्कि दूध के ऐसे रिश्ते हों जब भी दोनों का जमा करना हराम है। मसलन औरत और उसकी रज़ाई बहन या खाला फूफी। (आलमगीरी)

४-ग़ैर मुस्लिमा से निकाह

मसलाः- मुसलमान मर्द का निकाह, किताबिया यानी यहूदी व नसरानी औरत के सिवा मजूसी आतिश परस्त, बुत परस्त, आफ़ताब परस्त ग़र्ज़ किसी काफ़िर से नहीं हो सकता और मुसलमान औरत का निकाह, मुसलमान मर्द के सिवा, किसी और मज़हब वाले से नहीं हो सकता। (आलमगीरी वग़ैरह) अगरचे वह अहले किताब से हो।

मसला:- यहूदिया और नसरानिया से मुसलमान का निकाह हो सकता है। यानी कि निकाह कर लें तो हो जायेगा यानी उसमें बिमाअ ज़िना न होगा। वती हराम न कहलायेगी और मुसलमान क़रार पायेगी मगर चाहिए नहीं कि इससे बहुत सी बुराईयों का दरवाज़ा खुलता है। (आलमगीरी) मसलन औलाद पर अन्देशा कि यहूदियों नसरानियों की आदत सीखे। फिर यह जवाज उस वक़्त तक है जब कि औरत अपने मज़हब यहूदीयत या नसरानियत पर हो। और अगर सिर्फ़ नाम की यहूदी नसरानी हों और हक़ीक़तन नेचरी और देहरिया मज़हब रखती हो जैसे आज कल कि अमूमन नसारा का कोई मज़हब ही नहीं तो उनसे निकाह नहीं हो सकता और कर भी लिया तो ऐसी औरतों से नाम निकाह उस हराम को हलाल नहीं कर सकता।

मसला:- क़ादियानी मिरज़ाई कि ख़त्म नबूवत के मुन्किर हैं और वहाबी राफ़ज़ी जो बद मज़हब ज़रूरियाते दीन में से किसी दीनी ज़रूरत का इंकार करता और क़तई कुफ़रिया अक़ायद रखता है ऐसों से निकाह क़तअन यक़ीनन महज़ बातिल और ज़िनाए ख़ालिस है। और जो किसी ज़रूरी दीनी का मुन्किर नहीं उसके बारे में भी उलेमाए अहले सुन्नत का क़ौले फ़ैसल यही है कि उन से शादी विवाह के ताल्लुक़ात जायज़ नहीं।

ज़रूरी:- बद मज़हब औरत को निकाह में लाते वक़्त यह ख़्याल कर लेना कि हम उस पर ग़ालिब हैं उसकी बद मज़हबी हमें क्या नुक़सान देगी बल्कि उसे सुन्नी करेंगे महज़ हिमाक़त है। यह रिश्ता तो दोस्ती मेल रग़बत, मेल मुहब्बत, महर पैदा करता है और मुहब्बत में आदमी अंधा बहरा हो जाता है, और दिल पलटते ख़्याल बदलते कुछ देर नहीं लगती है। अल्लाह अज़्ज़ोजल अपने हिफ़्ज़ व अमान

ही में रखे और ऐसे को अपनी बेटी देना तो सख़्त क़हर, क़ातिल ज़हर है कि औरतें मग़लूब व महकूम होती हैं। फिर उन्हें अपने शोहर की मुहब्बत भी मां से बाप से तमाम दुनिया से ज़्यादा होती है फिर वह नर्म दिल भी ज़्यादा हैं और नाक़िसातुल अक़्ल वद्दैन भी हैं और निकाह हर वक़्त का साथ है और वह बद मज़हब है तो ज़रूर उससे नादीदनी देखेगी और नाशुनीदनी सुनेगी और इंकार पर कुदरत न होगी तो यह उम्र भर के लिए फ़ज़ीहत व रुसवाई का सामान पैदा करना है। (फ़तावा रिज़वियह)

५. औरत का किसी दूसरे के निकाह या इद्दत में होना

कुरआन करीम में अक़्द निकाह को "मीसाक़न ग़लीज़न" अहदे मुस्तहकम, महकुम पैमान और बाहमी निभाव का मज़बूत बंधन क़रार दिया और साथ ही इरशाद फ़रमाया कि निकाह की उस बन्दिश की गिरह, शोहर के हाथ में है तो जब तक शोहर तलाक़ न दे औरत बदस्तूर उसके निकाह में रहती है अगरचे ताल्लुक़ात बज़ाहिर क़ायम न हों तो ये दूसरे की इद्दत में हो जब भी नहीं हो सकता इद्दत तलाक़ की हो ख़्वाह मौत की।

मसला:- इद्दत में निकाह हराम क़तई है बल्कि निकाह तो बड़ी चीज़ है। कुरआन अज़ीम ने इद्दत में सरीह पयाम को भी हराम फ़रमाया और इद्दत गुज़रने पर, निकाह कर लेने के वादे को भी हराम फ़रमाया। सिर्फ़ उसकी इजाज़त दी है कि दिल में ख़्याल रखे या कोई पहलू और बात ऐसी कहो जिससे बाद इद्दत, इरादा निकाह

का इशारा निकलता हो। साफ़-साफ़ यह ज़िक्र पहलूदार बात भी इद्दते वफ़ात वाली से कहना जायज़ है। इद्दते तलाक़ वाली से वह भी जायज़ नहीं। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:- और किसी के निकाह में है मगर शोहर ने छोड़ रखा है न नान नुफ़्क़ा देता है न उसकी ख़बरगीरी रखता है न तलाक़ देता है। उस हालत में भी जब तक मौत या तलाक़ न हो किसी और से निकाह हराम है और हालात ज़माना को आड़ बनाकर निकाह करना और भी बुरा किया यह निकाह हराम न होगा तो वहम आईन्दा से बचने के लिए क़सदन हरामकारी के क्या मायने? (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:- जिस औरत को ज़िना का हमल है उससे निकाह हो सकता है। फिर अगर उसी का वह हमल है तो वती भी कर सकता है। और अगर दूसरे का है तो जब तक बच्चा न पैदा होले वती जायज़ नहीं और जिस औरत का हमल साबितुन्नसब है उससे किसी का निकाह नहीं हो सकता। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- औरत का शोहर बरसों से ग़ायब है कुछ पता नहीं कि ज़िन्दा है या मर गया और अब औरत अपना दूसरा निकाह करना चाहती है तो हरगिज़ निकाह नहीं कर सकती उस पर लाज़िम है कि सब्र व इंजतज़ार करे। यहां तक कि उसके शोहर की विलादत को सत्तर बरस गुज़र जायें उसके बाद उसकी मौत का हुक्म दिया जाये। अब औरत इद्दत गुज़ार कर दूसरा अक़्द कर सकती है। ज़रूरत और जवानी का उज़्र हराम को हलाल नहीं कर सकता। बहुत कमसिन लड़कियां कि बेवा हो जाती हैं। हिन्दुओं की देखा देखी उम्र भर नाम निकाह का नहीं लेतीं उस वक़्त ज़रूरत व जवानी

किधर चली जाती है। हज़ारों वे हैं जिनके शोहर ज़िन्दा मौजूद हैं मगर उनकी तरफ़ से कतई लापरवाह वे अपनी उम्र क्यों कर काटती हैं। (फ़तावा रिज़वियह) जिस दिल में ख़ुदा व रसूल का ख़ौफ़ और इस्लाम व शरीअत का पास होता है। हर हाल में ख़ुदा व रसूल ही पर उनका भरोसा होता है और वही उसकी नैया पार लगाते हैं। ज़रूरतों के लिए जायज़ मज़दूरी के दरवाज़े खुले हैं। और जवानी के लिए रोज़ा। आखिर हदीस शरीफ़ में है रोज़ा को सिपर यानी ढाल बताया गया है तो उसका मतलब यही है कि रोज़ा मर्द ख़्वाह औरत को बहकने और भटकने नहीं देता।

६. रिज़ाअत यानी दूध के रिश्ते

रिज़ाअ यानी दूध का रिश्ता, औरत का दूध पीने से साबित होता है और दूध पीने से मुराद यही मारूफ़ तरीका नहीं बल्कि हल्क़ य नाक में टपकाया जब भी यही हुक्म है और थोड़ा पिया या ज़्यादा, बहरहाल हुरमत साबित होगी। जबकि अन्दर पहुंच जाना मालूम हो। और अगर छाती मुंह में ली मगर यह नहीं मालूम कि दूध पिया तो हुरमत साबित नहीं। (जोहरा नीयरा)

मसला:- बच्चे को दूध पिलाना छोड़ दिया गया है मगर उस को किसी औरत ने दूध पिला दिया। अगर ढाई बरस के अन्दर है तो रिज़ाअत साबित है वरना नहीं। (आलमगीरी)

मसला:- बच्चे ने जिस औरत का दूध पिया वह उस बच्चे की मां हो जायेगी और उसका शोहर (जिसकी वती से बच्चा पैदा हुआ जिससे औरत को दूध उतरा) उस दूध पीने वाले बच्चे का बाप हो जायेगा और उस औरत के तमाम बच्चे उसके भाई से पहले के हों

या बाद के या साथ के और औरत के भाई उसके मामू। उसकी बहन उसकी खाला, यूंही उस के शोहर की औलाद उसके भाई बहन, उसके भाई उसके चचा, उसकी बहनें, उसकी फूफीयां ख़्वाह शोहर की यह औलाद उसी औरत से हो या दूसरी से। यूंही हर एक के मां बाप, उसके दादा, दादी नानी। (आलमगीरी)

मसला:– जो नसब में हराम है रिज़ाअ में भी हराम है हां कुछ मर्द औरत इस कुल्लिया से मुसतश्ना हैं। वक़्त ज़रूरत उलेमा से दरयाफ़्त करें।

मसला:– कुदरते खुदावन्दी से कुंवारी लड़की के दूध उतर आया और किसी बच्चे ने मुद्दत रिज़ाअ़ में उस का दूध पी लिया या मुर्दा औरत का दूध पी लिया जब भी रिज़ाअ़ साबित होगी। (दुर्रे मुख़्तार) मगर नौ बरस से कम उम्र लड़की का दूध पिया तो रिज़ाअ़ नहीं। (जोहरा)

मसला:– एक औरत का दो बच्चों ने दूध पिया और उन में एक लड़का एक लड़की है तो यह भाई बहन हैं और उन में निकाह हराम। अगरचे दोनों ने एक वक़्त में दूध पिया हो बल्कि दोनों में बरसों का फ़ासला हो अगरचे एक के वक़्त में एक शोहर का दूध था और दूसरे के वक़्त में दूसरे का। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– जिस औरत से ज़िना किया और बच्चा पैदा हुआ। उस औरत का दूध जिस लड़की ने पिया वह ज़ानी पर हराम है।

मसला:– पानी या दवा में औरत का दूध मिला कर पिलाया तो अगर दूध ग़ालिब है या बराबर तो रिज़ाअ़ साबित है मग़लूब है तो नहीं। यूंही अगर बकरी वग़ैरह किसी जानवर के दूध में मिलकार दिया तो यह दूध ग़ालिब है रिज़ाअ़ नहीं वरना है।

मसला:– औरतों को चाहिए कि बिला ज़रूरत हर बच्चे को दूध न पिला दिया करें। और पिलायें तो खूद भी याद रखें और लोगों से यह बात कह भी दें। औरत को बग़ैर इजाज़त शौहर किसी बच्चे को दूध पिलाना मकरूह है अलबत्ता अगर उसके हलाक का अन्देशा है तो कराहत नहीं। (रददुलमुहतार) मगर मीयाद के अन्दर रिज़ाअत बहर सूरत साबित हो जायेगी।

मसला:– बच्चे को दो बरस तक दूध पिलाया जाये उससे ज़्यादा इजाज़त नहीं दूध पीने वाला बच्चा, लड़का हो लड़की और यह जो बाज़ अवाम में मशहूर है कि लड़की को दो बरस तक और लड़के को ढाई बरस तक पिला सकते हैं। यह सही नहीं। यह हुक्म दूध पिलाने का है और निकाह हराम होने के लिए ढाई बरस ज़माना है यानी दो बरस के बाद अगरचे दूध पिलाना हराम है। मगर ढाई बरस के अन्दर अगर दूध पिला देगी हुरमत निकाह साबित हो जायेगी। और उसके बाद अगर पिया तो हुरमत निकाह साबित न होगी अगरचे पिलाना जायज़ नहीं।

मसला:– मुद्दत पुरी होने के बाद बतौर इलाज भी दूध पीना या पिलाना जायज़ नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– दो बरस के अन्दर बच्चे का बाप उसकी मां को दूध छुड़ाने पर मजबूर नहीं कर सकता और उसके बाद कर सकता है। (रददुलमुहतार)

निकाह में विलायत और वकालत

इस्लाम से पहले कहीं तो औरत को अनाज ग़ल्ला रुपया पैसा की तरह तसर्रुफ में लाने का रिवाज था और कहीं औरत को बे रूह

बताया जाता था और अब भी कहीं उसे मुजस्सिम शैतान से ताबीर किया जाता है और कहीं सिर्फ़ अग़राज़ शहवानी का आला क़रार दिया जाता है। ग़र्ज़ कि कहीं और किसी तरह औरत की शख्सीयत, उसकी ज़ेहनीयत और उसके हक़ूक़ का ज़र्रा बराबर भी पास व लिहाज़ नहीं रखा गया है यह सिर्फ़ इस्लाम है जिसने सारी दुनिया से उस ज़ुल्म व तशद्दूद को जड़ से उखाड़ा और बेटी बहन और बीबी, मां की हैसियत से उभारा और हर हैसियत में उसके हक़ूक़ की निगरानी फ़रमाई। उसे अखतियारात दिये और उन अखतियारात को काम में लाने का हौसला बख्शा। यहां तक कि उसे अपनी अज़दवाज़ी ज़िन्दगी, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ गुज़र बसर करने की इज़ाजत दी बशर्ते कि वह अक़्ल व शऊर से बहरा वर हो बचपन की हदूद से गुज़र कर बलूग़ तक पहुंच चुकी हो और कोई ऐसा काम न करे जो उसके खानदान के लिए बेइज्ज़ती और बदनामी का बाइस हो।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत अक़दस में एक जवान लड़की हाज़िर हुई और अर्ज़ किया कि उसके बाप ने निकाह कर दिया और वह उस निकाह को नापसन्द करती है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अख़तियार दिया यानी चाहे तो उस निकाह को जायज़ कर दे या रद्द कर दे। (अबूदाऊद) और मुस्लिम शरीफ में रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "सय्यिब" (वह औरत जो कुंवारी न हो) वली से ज़्यादा अपने नफ़्स की हक़दार है और बिक्र (कुंवारी) से इजाज़त ली जाये और चुप रहना भी उसका इज़्न (इजाज़त) है।

फ़िक़ही मसाइल

मसला:- वली वह है जिसका क़ौल दूसरे पर नाफ़िज़ हो (यानी जिस का हुक्म दूसरे पर चले) दूसरा चाहे या न चाहे और क़राबत की वजह से वली वह मर्द है जिसको उससे क़राबत व रिश्ता, किसी औरत की वसातत से न हो। या यह कि उस खानदान में सब से ज़्यादा कुरबत का रिश्तेदार जो मर्द हो वह वली है। (आमए कुतुब)

मसला:- वली किसी के बनाने का नहीं होता बल्कि वह शरीअत मुतह्हरा ने तरतीब वार मुकर्रर किये हैं और यहां वलायत की वही तरतीब मोतबर है जो विरासत में मोतबर है। मसलन सब में पहला वली बेटा है। फिर बाप, फिर दादा, फिर सगा भाई, फिर सौतेला, फिर सगा भतीजा, फिर सौतेला, फिर सगा चचा, फिर सगे चचा का बेटा, फिर सौतेले का। व अला हाज़ा अलक़यास दादा, परदादा की औलाद का जो मर्द आक़िल,बालिग़ क़रीब तर होगा वही वली है और उनमें कोई न हो तो फिर मां वली है। फिर दादी फिर नानी, फिर उनके बाद और दूसरे लोग। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:- वली का आक़िल बालिग़ होना शर्त है और मुसलमान के वली का मुसलमान होना भी शर्त है कि काफ़िर का मुसलमान पर कोई अख़्तियार नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- औरत बालिग़ आक़िला का निकाह बग़ैर उसकी इजाज़त के कोई नहीं कर सकता न बाप न कोई और कुंवारी हो या बियाही। यूंही मर्द आक़िल बालिग़ आज़ाद का निकाह उसकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ कोई नहीं कर सकता। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- कुंवारी औरत से उसके वली या वली के वकील या

कासिद ने इज़्न मांगा या वली ने बिला इजाज़त लिए, निकाह कर दिया और अब औरत को उसकी खबर दी गई और औरत खामोश रही या हंसी या मुस्कुराई या बग़ैर आवाज़ के रोई तो इन सब सूरतों में इज़्न समझा जायेगा कि पहली सूरत में निकाह कर देने की इजाज़त है और दूसरी सूरत में निकाह किया हुआ मंजूर है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– इज़्न तलब करते वक़्त उसने सुन कर कुछ जवाब न दिया इसलिए कि उसे खांसी या छींक आ गई या किसी ने उसका मुंह बन्द कर दिया कि बोल न सकी तो इन सूरतों में वह चुप रहना इजाज़त नहीं उसके बाद वह रद्द कर सकती है और हंसना अगर बतौर मज़ाक् उड़ाने के हो या रोना आवाज़ से हो तो इज़्न नहीं। (आलमगीरी)

मसला:– औरत से क़ब्ल निकाह इज़्न लेने गये उसने कहा किसी और से होता तो बेहतर था तो यह इन्कार है और अगर निकाह के बाद खबर दी गई और औरत ने वही लफ़्ज़ कहे तो समझा जायेगा कि उसे यह निकाह क़ुबूल है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– इज़्न लेने में यह ज़रूरी है कि जिससे निक़ाह करना हो उसका नाम इस तरह लिया जाये कि वह औरत उस मर्द को पहचान सके और बेहतर है कि इज़्न लेते वक़्त मेहर का भी ज़िक्र कर दिया जाये। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– इजाज़त जिस तरह क़ौल से होती है। मसलन औरत, खबर निकाह सुन कर कहे मैंने जायज़ किया या इजाज़त दी या राज़ी हुई, या मुझे क़ुबूल है। या अच्छा किया या खुदा मुबारक करे वग़ैरह अल्फ़ाज़ रज़ा मन्दी समझी जाये मसलन औरत मुबारक बाद ले या खबर निकाह सुन कर खुशी से हंसे या

मुस्कुराये वग़ैरह वग़ैरह। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:- नाबालिग़ लड़के और लड़की के निकाह के लिए वली शर्त है बग़ैर वली उनका निकाह नहीं हो सकता। और आकिल बालिग़ा ने वली की इजाज़त के बग़ैर बतौर ख़ुद अपना निकाह ख़ुफ़िया ख़्वाह एलानिया कर लिया तो उसके मुनअक़द और सही होने के लिए यह शर्त है कि शौहर उसका कफ़ु हो यानी मज़हब या नसब पैसे या माल या चाल चलन में औरत से इतना कम न हो कि उसके साथ उसका निकाह हो जाना, औरत के अहले ख़ानदान और औलिया के लिए तंग व आर और बदनामी का बाइस हो। अगर ऐसा है तो वह निकाह न होगा। हां औरत ने बशर्ते कि अक़्ल से बहरा वर और बालिग़ा हो अपने कफ़ु में औलिया से इजाज़त लिये बग़ैर निकाह कर लिया तो निकाह सही हो गया। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- नाबालिग़ा का इंकार व इक़रार कोई चीज़ नहीं। उनके हक़ में मसनून तरीक़ा यह है कि औलिया ख़ुद ईजाब व क़ुबूल करे या उनकी इजाज़त से उनके वकील ना बालिग़ों से ईजाब व क़ुबूल कहलवाने की ज़रूरत नहीं अगरचे वह बात समझते और अल्फ़ाज़ व मायने क़स्द कर सकते हों। ताहम अगर वली की इजाज़त से हो तो नाफ़िज़ भी है वरना इजाज़त वली पर मौक़ूफ़ है जबकि कोई मानेअ शरई न हो। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:- नाबालिग़ लड़का और लड़की अगरचे सैय्यिब हो उनके निकाह पर उनके वली को वलायत इजबार हासलि है यानी अगरचे लोग न चाहें वली ने जब निकाह करा दिया हो गया फिर अगर बाप दादा ने निकाह कर दिया तो अगरचे मेहर मिस्ल से बहुत कम या ज़्यादा पर किया या ग़ैर कफ़ु से किया जब भी हो जायेगा बल्कि लाज़िम

हो जायेगा कि उनको नाबालिग़ होने के बाद उस निकाह के तोड़ने का अखतियार नहीं और अगर बाप दादा के सिवा किसी और ने किया है और ग़ैर कफ़ु मेहर मिस्ल में ज़्यादा कमी बेशी के साथ हो तो मतलक़न सही नहीं और अगर कफ़ु से मेहर मिस्ल के किया गया है तो सही है मगर बालिग़ होने के बाद फसख़ का अखतियार होगा अगरचे ख़िलवत बल्कि वती हो चुकी हो। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- जिन सूरतों में बालिग़ होने के बाद औरत को निकाह फ़सख़ करने का अखतियार है वहां यह बात ज़रूरी है कि औरत जिस वक़्त बालिग़ हुई उसी वक़्त किसी को गवाह बनाए कि मैं अभी बालिग़ हुई और अपने नफ़्स को अखतियार करती हूं और रात में अगर उसे हैज़ आया तो उसी वक़्त अपने नफ़्स को अखतियार कर ले और सुबह को गवाहों के सामने अपना बालिग़ होना और अखतियार करना बयान करे मगर यह न कहे कि रात को बालिग़ हुई बल्कि यह कहे मैं इस वक़्त बालिग़ हुई और अपने नफ़्स को अखतियार किया और इस लफ़्ज़ से यह मुराद ले कि मैं इस वक़्त बालिग़ हूं ताकि झूठ न हो। (बज़ाज़िया वग़ैरह)

मसला:- औरत को यह मालूम न था कि उसे ख़्यार बलूग़ हासिल है इस बिना पर उसने इस पर अमल दरआमद न किया। अब उसे यह मसला मालूम हो तो अब कुछ नहीं कर सकती कि उसके लिए जहल उज़्र नहीं कि न मालूम करना और न सीखना खुद उस का क़सूर है। लिहाज़ा माअजूरी नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह) औरतें इन मसाइल को ज़ेहन नशीन कर लें।

मसला:- लड़की कम अज़ कम नौ बरस में और ज़्यादा से ज़्यादा पन्द्रह बरस की उम्र में बालिग़ होती है बीच में जब आसार बलूग़

ज़ाहिर हों वे बालिग़ है वरना पन्द्रह साल पूरे होने पर उसके बालिग़ होने का हुक्म दे दिया जायेगा। अगरचे आसार बलूग़ कुछ ज़ाहिर न हों। (आमए कुतुब)

मसलाः– निकाह के लिए वकील किसी तरफ का ज़रूरी नहीं। और दोनों तरफ से भी हो सकते हैं और एक तरफ से भी जिधर से चाहें।

कुफु का बयान

नोअे इन्सानी की जितनी कौमें या नस्लें दुनिया में पाई जाती हैं दरअसल एक इब्तिदाई नस्ल की शाखें हैं जो एक मां और एक बाप से शुरू हुई थीं। इसके बावजूद नोअे इन्सानी का कौमों कबीलों और कुन्बों में तकसीम हो जाना एक फितरी अमर था। ज़ाहिर है कि पूरे रूए ज़मीन पर सारे इन्सानों का एक खानदान तो नहीं हो सकता था नस्ल बढ़ाने के साथ बे शुमार खानदानों और फिर खानदानों से कबीलों और कुंबों का वजूद में आना लाज़िमी अमर था। इस तरह ज़मीन के मुखतलिफ खित्तों में आबाद होने के बाद रंग, ख़द व ख़ाल, ज़बान और तर्ज़ रिहाइश के एतबार से लामहाला उन्हें एक दूसरे से मुखतलिफ होना ही था और एक खित्ते के रहने वालों को उनसे दूर तर रहना ही था ताकि जो एक दूसरे के करीब हैं वे एक दूसरे के रफीक कार और मुआविन व मददगार हों और एक खानदान, एक बिरादरी, एक कबीले और एक कौम के लोग मिल कर मुशतरिक माअशरा कायम रखें ताकि एक दूसरे के साथी एक दूसरे के बही ख़्वाह और हमदर्द बन कर रहें शादी ब्याह में भी उस हकीकत को मोतबर माना गया और कबीलों और कुन्बों में बाहमी

रवादारी की बक़ा की ख़ातिर मर्द व औरत में निकाह के वक़्त इस का लिहाज़ रखा गया। शरीअत की ज़बान में इसी को कफ़ु कहते हैं। निकाह को हर पहलू से मुकम्मल करने के लिए शरीअत ने कफ़ू का भी लिहाज़ किया है।

कफ़ाअत में यही रूह कार फ़रमा है कि आइली ज़िन्दगी की बुनियाद ऐसे उमूर पर रखी जाये जिससे ख़ानदान और घ़राना आबाद और क़ायम रहे। अन मेल और बे जोड़ शादियां, अमूमन तबाही व बर्बादी का पेश ख़ेमा साबित होती हैं। फिर ऐसी शादियां, औरतों के असल ज़ेवर हया और शर्म से उन्हें नंगा भी कर देती हैं और यह औरत की जीते जी मौत है।

मसला:– कफ़ाअत में छः चीजों का एतबार है। नसब, इस्लाम, हर्फ़त, हुर्रियत, दयानत, माल, और ख़ुलासा इन सबका यह है कि औरत जिस मर्द से निकाह करना चाहती है वह अपने नसब या मज़हब या चाल चलन या पैसों में इतना कम न हो कि उससे निकाह के बाइस औरत के औलिया को दुनियावी एतबार से तंग व आर और बदनामी व रुसवाई का सामना हो और उनके लिए बाइज़्ज़त तौर पर जीना दो भर हो जाये। बल्कि खुद उसके हक़ में उस का शौहर वबाले जान बन जाये।

मसला:– दयानत या दीनदारी में कफ़ु होने का मतलब यह है कि एक दीनदार, खुदा तरस मुसलमान का कफ़ु वह फ़ासिक़ फ़ाजिर नहीं हो सकता। जिस का फ़िसक़ व फ़जूर, उस दीनदार के लिए रुसवाई व ज़िल्लत का मोजब हो अगरचे उस दीनदार की लड़की खुद मुत्तक़ीया न हो। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

तम्बीह:– ज़ाहिर है कि फ़सक़ एतक़ादी (बद दीनी मज़हबी)

फ़िसक़ अमली यानी बदचलनी से बदरजा बदतर है लिहाज़ा सुन्नी औरत का कफ़ु वह मज़हब नहीं हो सकता। जिसकी मज़हबी हद कुफ्र तक पहुंची हो और जो बद मज़हब ऐसे हैं कि उनकी मज़हबी हद कुफ्र तक पहुंची हो उनसे तो निकाह हो ही नहीं सकता कि वह मुसलमान ही नहीं कफ़ु होना तो बड़ी बात है जैसे रवाफ़िज़ वहाबिया ज़माना कि इनके अक़ाएद व अक़वाल ने इन्हें इस्लामी बिरादरी में रहने के क़ाबिल ही न रखा।

कुरआन करीम ने इस बाब में दो टोक फ़ैसला यह दिया कि–

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ. الاية

और शिर्क वाली औरतों से निकाह न करो जब तक मुसलमान न हो जायें और बेशक मुसलमान लौंडी मुश्रिका से अच्छी है अगरचे वह तुम्हें भाती हो और औरतों को मुशरिकों के निकाह में न दो जबतक वह ईमान न लायें और बेशक मुसलमान गुलाम मुशरिक से अच्छा है अगरचे वह तुम्हें भाता हो। वे दोज़ख़ की तरफ़ बुलाते हैं और अल्लाह जन्नत और बख़्शिश की तरफ़ बुलाता है अपने हुक्म से और अपनी आयतें लोगों के लिए बयान करता है कि कहीं वे नसीहत मानें।''

मुश्रिकीन के साथ शादी ब्याह की मुमानिअत की इल्लत व हिक्मत यह है कि यह लोग मुसलमानों को ख़्वाह मर्द हों या औरत इन आमाल और इन अक़ायद की तरफ़, उस तरीक़ा ज़िन्दगी की तरफ़ बुलाते और उस बूद व बाश की तरफ़ आमादा करते हैं जो जहन्नुम की तरफ़ ले जाने वाले हैं और यह इल्लत जिस तरह ग़ैर मुसलमानों, काफ़िरों, मुश्रिकों में पाई जाती हैं इसी तरह उन मुरतदीन में भी बदर्जा अतम पाई जाती है जो कलिमा पढ़ कर, ज़रूरीयात दीनीया

में से किसी ज़रूरी दीनी का इंकार करते हैं तो उनके आमाल व अक़ायद बइयना काफ़िरों मुशरिकों के आमाल व अक़ायद हैं।

हम पहले बता चुके हैं कि औरत मर्द के दरमियान निकाह का ताल्लुक महज़ एक शहवानी और जिन्सी ख़्वाहिशात की तक़मील का ताल्लुक़ नहीं बल्कि वह एक गहरा तमददुनी अख़लाक़ी और क़ल्बी ताल्लुक़ है। इंतहाई उल्फ़त व रफ़क़ का ताल्लुक़ है और कुरआन करीम गवाह है कि ज़िना शोई वह अज़ीम रिश्ता है कि ख़्वाही नख़्वाही बाहम उन्स व मुहब्बत और उल्फ़त व रफ़अत पैदा करता है और हदीस शाहिद है कि औरत के दिल में जो बात शौहर की होती है किसी की नहीं होती। (इब्न माजा व हाकिम) तो जहां इस अम्र का इमकान है कि काफ़िरों मुर्तदों और बद दीनों से शादी बियाह के मरासिम एक दूसरे के तर्ज़े ज़िन्दगी और अक़ायद आमाल पर असर डलेंगे वहीं इस अम्र का भी इमकान है कि ऐसे ताल्लुक़ात से उनके खानदान और नस्ल भी मुतास्सिर हो और ग़ालिब इमकान इस अम्र का है कि ऐसे ताल्लुक़ात ज़िना शोई से, अकायद अमाल की एक एक ऐसी माजून मुरक्कब उस घर और उस खानदान में परवरिश पायेगी जिसे ग़ैर मुस्लिम ख़्वाह कितना ही पसन्द करें मगर इस्लाम किसी तरह पसन्द करने को तैयार नहीं जो शख़्स सही मायने में साहिबे ईमान हो वह महज़ अपने जज़बात में कुफ़्र व इर्तदाद और बे दीनी व बद मज़हबी परवान चढ़े और अगर बिलफ़र्ज़ एक फ़र्द मोमिन किसी बुनियाद पर उसमें मुब्तला भी हो जाये तब भी उसके ईमान का तकाज़ा यही होना चाहिए कि वह अपने खानदान अपनी नस्ल और खुदा अपने दीन व अख़लाक़, और अकायद व आमाल पर अपने शख़्सी जज़बात को कुर्बान कर दे। ऐसे बे जोड़, जोड़े अक़ायद व आमाल और दीन

व अखलाक की तबाही और खानदान व नस्ल की बरबादी का मोजिब भी होते हैं और वबाल आखिरत और रुसवाई व रुसियाही का बाइस भी।

मसला:– बालिग़ खुद अपना निकाह करना चाहे तो कफु औरत से कर सकता है कि औरत की जानिब से इस सूरत में कफ़ाअत मोतबर नहीं। चुनांचे हज़रत इमाम हुसैन रज़ि अल्लाह तआला अन्हु ने शहर बानो से जो परवेज़ बादशाह ईरान की पोती थी शादी की और हज़रत उमर फारूक आज़म रज़िअल्लाहु तआला अन्हु के अहद में ईमान लायीं और नाबालिग़ में दोनों तरफ से कफु होने का एतबार है। (रद्दुलमुहतार)

मसला:– माल में कफ़ाअत के मायने हैं कि मर्द के पास इतना माल हो कि मेहर मोअज्जल और नफ्क़ा देने पर कादिर हो तो एक ऐसा शख़्स जो अदाए नान नफ्क़ा पर कादिर न हो ग़नी का कफु नहीं हो सकता। हां उसकी ज़रूरत नहीं कि माल में यह उसके बराबर हो। (खानिया)

मसला:– जिन लोगों के पेशे ज़लील समझते जाते हैं वह अच्छे पेशे वालों के कफु नहीं हो सकते। मसलन जूता बनाने वाले (मोची) चमड़ा पकाने वाले साईस चरवाहे, यह बज़्ज़ाज इतर फरोश वग़ैरह ताजिरों के जिनका पेशा दुनियावी एतबार से शरीफ पेशा माना जाता है। कफु नहीं हो सकते। (रद्दुलमुहतार)

६. औरत का हके़ मेहर

कुरआन करीम में मेहर का मुखतलिफ इबारतों और असलूबों में ज़िक्र, और मेहर की बार बार ताकीद से यह बात वाज़ेह हो जाती

है कि शरीअत इस्लामी में औरतों के हक़ का किस दर्जा एहतमाम फ़रमाया गया है। जिन्सी ख़्वाहिशात की तकमील के लिए मर्द को छोटी बड़ी रक़म तो ख़र्च करनी ही होती है ख़्वाह यह तकमील हदूद शरीअत में रहते हुए बसूरत निकाह हो या हदूद व शहर से तजावुज़ करके बसूरत ज़िना हो। फ़र्क़ यह है कि निकाह से ज़िन्दगी, उसूली ज़िन्दगी बन कर इन्सानों की तरह मुक़य्यद व पाबन्द हो जाती है। वरना बसूरत दीगर इंसान वहशी जानवरों की तरह छूटा रहता है।

वह रक़म मोअय्यन जिस का अदा करना, अज़ रूए शरीअत, शौहर पर वाजिब हो इसतिलाह शरअ में उसे मेहर कहते हैं। और शरीअते इस्लामिया ने मेहर का इलतज़ाम उस हद तक किया है कि अगर निकाह में मेहर का ज़िक्र ही न हो या उस की मिक़दार मुक़र्रर न की गई हो या नफ़ी कर दी गई है और उस नफ़ी पर मर्द औरत दोनों राज़ी हों कि निकाह बिल मेहर कुबूल किया तो इस सूरत में भी मेहर वाजिब क़रार पायेगा।

मसला:- मेहर की मिक़दार कम अज़ कम दस दिरहम है और ज़्यादा की कोई हद नहीं जिस क़द्र बांधा जायेगा लाज़िम आयेगा। दिरहम चान्दी का एक सिक्का था अब राईज नहीं। इस दिरहम की मिक़दार, वज़न के एतबार से तक़रीबन दो रुपये तेरह आना भर या दो तौला सात माशा चार रत्ती चान्दी है। जिसकी क़ीमत घटती रहती है। रुपयों की सूरत में मेहर मुक़र्रर करें तो इसका ख़्याल ज़रूर रखें कि यह रक़म दस दिरहम चान्दी की क़ीमत से कम न हो। (फ़तावा रिज़वियह वग़ैरह)

मसला:- वती या ख़िलवते सहीहा या ज़न व शौहर में से किसी की मौत की सूरत में मेहर मोवक्किदा हो जाता है यानी शौहर पर

पूरा मेहर लाज़िम आता है कि जो मेहर मुकर्रर है अब उस में कोई कमी नहीं हो सकती। हां अगर साहब हक ने मेहर या उसका कोई हिस्सा माफ कर दिया तो माफ हो जायेगा और मेहर मोवक्किदा न हुआ था। मसलन औरत की रुखसती अमल में न आई थी या खिलतव सहीहा न पाई गई और शौहर ने तलाक दे दी तो निस्फ मेहर वाजिब होगा। (दुर्रे मुख्तार वग़ैरह)

मसला:– शिग़ार यानी एक शख़्स ने अपनी लड़की या बहन का निकाह दूसरे से कर दिया और दूसरे ने अपनी लड़की या बहन का निकाह उससे कर दिया और हर एक का मेहर दूसरा निकाह है तो ऐसा करना गुनाह व मना है और मेहर मिस्ल वाजिब होगा। (दुर्रे मुख्तार)

मसला:– निकाह में मेहर का ज़िक्र ही न हुआ या मेहर की नफी कर दी कि बिला मेहर निकाह किया तो निकाह हो जायेगा। और अगर खिलवत सहीहा हो गई या दोनों में कोई मर गया तो मेहर मिस्ल वाजिब है बशर्ते कि बाद अक़्द आपस में कोई मेहर तय न पाया गया हो वरना यही तय शुदा मेहर है। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:– औरत नाबालिग़ है और उसका बाप मेहर माफ करना चाहता है तो नहीं कर सकता है और बालिग़ है तो उसकी इजाज़त पर माफी मोकूफ है। (रददुलमुहतार)

मसला:– ख़िलवते सहीहा यह है कि निकाह के बाद औरत और मर्द तन्हाई में जमा हों और कोई चीज़ ज़िमाअ से मानेअ हो तो यह खिलवत भी जिमाअ ही के हुक्म में है और अगर दोनों एक जगह तन्हाई में जमा हुए मगर कोई मानेअ शरई (मसलन औरत का हैज़ मर्द का बीमार होना या उनमें से किसी का रमज़ान का रोज़ादार

होना) या हिस्सी (मसलन मर्द का बीमार होना या औरत के उस हद तक बीमारी में मुबतला होना कि वती से ज़रर का सही अंदेशा है) या मानेअ तबई (कि वहां कोई तीसरा मौजूद है ग़र्ज़ उनमें से कोई मानेअ) पाया जाता है तो यह ख़िलवत फ़ासिदा है। ख़िलवत सहीहा के अहकाम उस पर नाफ़िज़ न होंगे।

मसला:– लड़का जो इस क़ाबिल कि वती कर सके अपनी औरत के साथ तनहाई में रहा या ज़ोजा इतनी छोटी लड़की है कि इस क़ाबिल नहीं और उस का शौहर उसके साथ तंहाई में रहा। इन दोनों सूरतों में ख़िलवते सहीहा न हुई। (आलमगीरी)

मसला:– औरत के ख़ानदान की उस जैसी औरत का (कि उमर, जमाल अक़्ल तमीज़, दयानत या पारसाई इल्म व अदब और कुंवारी या बियाही होने में यकसां हों) जो मेहर हो वह उसके लिए मेहर मिस्ल उसकी बहन, फूफी, चचा की बेटी वग़ैरह का मेहर उसकी मां का मेहर नहीं जबकि वह दूसरे घराने की हो और उसकी मां उसी ख़ानदान की हो मसलन उसके बाप की चचाज़ाद बहन है तो उसका मेहर उसके लिए मिस्ल है। शौहर का हाल भी मलहूज़ होता है। मसलन जवान और बूढ़े के मेहर में इख़तलाफ़ होता है शहर और ज़माना का भी लिहाज़ रखा जाता है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– मेहर शरई, जो लोग यह समझ कर बांधते हैं कि सब से कम दर्जे का मेहर जो शरीअत में मुकर्रर है तो इस सूरत में दो तोले सात माशा चार रत्ती चान्दी देनी आयेगी और जो यह समझ कर बांधते हैं कि यह मेहर हज़रत ख़ातूने जन्नत का था तो ढेढ़ सौ तौले चान्दी आयेगी और जिसकी समझ में कुछ नहीं ख़ाली एक लफ़्ज़ बोल देते हैं तो वहां मेहर मिस्ल लाज़िम आता है। (फ़तावा रिज़वियह)

मेहर की क़िस्में

मसला:- मेहर तीन क़िस्म पर है। मोअजल कि रुख़सत से पहले देना क़रार पा लिया हो। उसके लिए औरत को अख़्तियार है जब तक वसूल न कर ले रुखसत न हो और अगर रुख़सत हो गई तो उसे अब भी अखतियार है कि जब चाहे मुतालबा करे बल्कि मेहर मोअजल वसूल करने के लिए औरत अपने को शौहर से रोक सकती है अगरचे उससे पेशतर औरत की रज़ा मन्दी से खिलवत व वती हो चुकी हो। यानी यह हक़ औरत को हमेशा हासिल है जब तक वसूल न करले। दूसरा मुअज्जल जिसकी मीयाद क़रार पाई हो कि दस बरस या बीस बरस या पांच दिन के बाद अदा किया जायेगा तो जब तक वह मीयाद न गुज़रे औरत को मुतालबा का अख़्तियार नहीं मीयाद गुज़रने के बाद हर मुतालबा कर सकती है।

तीसरा मोखर कि न पेशगी की शर्त ठहरी हो न कोई मीयाद मोअय्यन की गई हो, यूंही मुतलक़ व मुबहम तौर पर बांधा हो जैसा कि आज कल आम तौर पर यूं ही बांधते हैं उसमें मौत या तलाक़ जब तक न हो औरत को मुतालबा का हक़ नहीं। (फ़तावा रिज़वियह, आलमगीरी वग़ैरह) और यह जो अवाम में मशहूर है कि मेहर अदा किये बग़ैर, औरत को हाथ लगाना हराम है महज़ ग़लत है।

चन्द मुतफ़र्रिक़ मसाइल

१. जिस लड़की से मंगनी हुई उसके पास लड़के के यहां से मिठाई शकर और मेवे वग़ैरह आयें फिर किसी वजह से निकाह न हुआ तो अगर ये चीज़ें तक़सीम हो गई और भेजने वाले ने तक़सीम की इजाज़त

भी दे दी थी तो वापस नहीं ले सकता। (आलमगीरी) तक़सीम की इजाज़त सराहतन हो या उरफ़न मसलन इन बलाद में ऐसे मौक़ों पर ऐसी चीज़ें इसी लिए भेजते हैं कि लड़की वाला अपने कुन्बा और रिश्तेदारों में बांटेगा। यह चीज़ें इस लिए नहीं होतीं कि रख लेगा या ख़ूद खा जायेगा। (बहारे शरीअत)

२. लड़की वालों ने निकाह या रुख़्सती के वक़्त शौहर से कुछ लिया हो यानी बग़ैर लिये निकाह या रुख़्सत से इंकार करते हों और शौहर ने देकर निकाह या रुख़्सत कराई तो शौहर उस चीज़ को वापस ले सकता है और वह न रही तो उसकी क़ीमत ले सकता है कि यह रिशवत है। (बहारे शरीअत वग़ैरह) और रुख़सत के वक़्त जो कपड़े भेजे अगर बतौर तमलीक हैं (कि वह चीज़ें लड़की वालों की मिल्क में दे दें) जैसे हिन्दुस्तान में अमूमन रिवाज है कि डाल बरी जोड़े भेजे जाते हैं अगर उर्फ़ यही है कि लड़की को मालिक कर देते हैं तो उन्हें वापिस नहीं ले सकता और तमलीक न हो तो ले सकता है। (आलमगीरी)

३. लड़की ने मां बाप के माल और अपनी दस्त कारी सें कोई चीज़ दहेज के लिए तैयार की और उसकी मां मर गई बाप ने वह चीज़ दहेज में देदी तो उसके भाईयों को यह हक़ नहीं पहुंचता कि उस चीज़ में मां की तरफ़ से मीरास का दावा करें। यूंही उसके बाप जो कपड़े लाता रहा उसमें से वह अपने दहेज के लिए बनाकर रखती रही और बहुत कुछ जमा कर लिया और बाप मर गया तो यह असबाब सब लड़की का है। (आलमगीरी)

४. शादी वग़ैरह तमाम तक़रीबात में तरह तरह की चीज़ें भेजी जाती हैं उसके मुताबिक़ इन इलाक़ों में मुख़तलिफ़ क़िस्म की रस्में

हैं हर शहर में और हर कौम में जुदा जुदा रसूम हैं। उनके मुताबिक़ हदया और हिबा का हुक्म है या कर्ज़ का। अमूमन रिवाज से जो बात साबित होती है वह यह है कि देने वाले ये चीज़ें बतौर कर्ज़ देते हैं उसी वजह से शादियों में और हर तक़रीब में जब रुपये दिये जाते हैं तो हर शख़्स का नाम और रक़म तहरीर कर लेते हैं जब देने वाले के यहां तक़रीब होती है तो यह शख़्स जिसके यहां दिया जा चुका है फ़ेहरिस्त निकालता है और इतने रुपये ज़रूर देता है जो उसने दिये थे और उसके ख़िलाफ़ करने में सख़्त बदनामी होती है और मौक़ा पाकर कहते भी हैं कि न्यौता का रुपया नहीं दिया अगर यह कर्ज़ न समझते तो ऐसा उर्फ़ न होता जो इन इलाक़ों में है। (बहारे शरीअत)

५. कोई औरत इद्दत में थी उसे खर्च देता रहा इस उम्मीद पर कि बाद इद्दत उससे निकाह करेगा। अगर निकाह हो गया तो जो कुछ ख़र्च किया है वापस नहीं ले सकता और औरत ने निकाह से इंकार कर दिया तो जो कुछ उसे बतौर तमलीक दिया है वापस ले सकता है और जो बतौर अबाहत दिया है। (कि उस की मिलकियत में दिए बग़ैर उसके बरतन या काम में लाने और ज़रूरत पूरी करने को दिया) मसलन उसके यहां खाना खाती रही हो यह वापस नहीं ले सकता है। (बहारे शरीअत)

६. जिस मर्द की दो या तीन या चार औरतें हों उस पर अदल फ़र्ज़ है। यानी जो चीज़ें अख़्तियारी हों उन में सब औरतों का यकसां लिहाज़ करे यानी हर एक को उसका पूरा हक़ अदा करे। पोशाक और नान नफ़क़ा और रहने सहने में सब के हक़ूक़ पूरे अदा करे हदीस शरीफ़ में है कि जिस की दो औरतें हों अगर उन दोनों में

अदल न करेगा तो क़ियामत के दिन हाज़िर होगा इस तरह पर कि उसका आधा धड़ साकित (बेकार) होगा। (तिर्मिज़ी) और जो बात उसके अख्तियार की नहीं उसमें मजबूरन माज़ूर है। मसलन एक की ज़्यादा मुहब्बत है दूसरी की कम। यूंही जिमाअ सब के साथ बराबर होना भी ज़रूरी नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

७. एक ही बीवी है मगर मर्द उसके पास नहीं रहता बल्कि नमाज़ रोज़ा में मशगूल रहता है तो औरत शौहर से मुतालबा कर सकती है हुक्म दिया जायेगा कि औरत के पास भी रहा करे कि हदीस में फ़रमाया तेरी बीवी का तुझ पर हक़ है। रोज़मर्रा शब बेदारी और रोज़े रखने में उसका हक़ तल्फ़ होता है उसे चाहिए कि औरत का भी लिहाज़ रखे उसके लिए भी कुछ वक़्त दे। (जोहरा नीयरा वग़ैरह)

८. शौहर बनाव सिंगार को कहता है यह नहीं करती (घर में मैली कुचैली परा गन्दा हाल रहती है) या वह अपने पास बुलाता है और यह नहीं आती उस सूरत में शौहर को मारने का भी हक़ है और नमाज़ नहीं पढ़ती तो तलाक़ दे सकता है। (आलमगीरी)

९. ऐसी औरतें जो आपस में सोत हैं एक ही मकान में रहने पर खुद राज़ी हों तो रह सकती हैं मगर एक के सामने दूसरी से वती न करे। अगर ऐसे मौके पर औरत ने इंकार कर दिया तो नाफ़रमान नहीं क़रार दी जायेगी। (आलमगीरी)

तलाक़ का बयान

कुरआन अज़ीम का इरशाद गिरामी है-

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ

अल्लाह की निशानियों से है कि उसने तुम्हीं में से तुम्हारे जोड़े बनाये कि तुम उनसे मिल कर चैन पाओ। और तुम्हारे आपस में दोस्ती व मेहर रखी।

इस आयते करीमा में इस्लाम के खानगी निज़ाम और अहल व अयाल के साथ गुज़र बसर के लिए चन्द बातें बतौर उसूल के बायन फ़रमाई गई हैं –

१. मर्दों को बताया गया कि तुम्हारी बीवीयां ही हम जिन्स मखलूक हैं इन्सानियत में तुम्हारी ही तरह हैं तुम्हारी तरह उनकी भी कुछ ख़्वाहिशें कुछ जज़बात और कुछ एहसासात हैं उनकी हैसियत लौंडी बान्दियों की नहीं।

२. औरतों की पैदाईश का मन्शा यह है कि वह मर्दों के लिए राहते क़ल्बी और तस्कीने रूहानी का सरमाया और दिली सुकून का बाइस हों।

३. मर्द अपनी फ़ितरत के तकाज़े औरत के पास, और औरत अपनी फ़िरत की मांग मर्द के पास पाये और दोनों एक दूसरे से वाबिस्ता हो कर सुकून व इत्मीनान हासिल करें।

४. मर्द औरत के ताल्लुक़ात की बुनियाद बाहमी मुहब्बत व इखलास और हमदर्दी पर होना चाहिए। उनके अन्दर दो तरफ़ा ऐसी कोशिश व जज़बा और मैलान होना चाहिए कि वह एक दूसरे के खैर ख़्वाह हमदर्द, व ग़म ख़्वार रंज व राहत में शरीक रहें और ज़िन्दगी की मंजधार में अपनी किश्ती एक साथ खींचते रहें।

५. मर्द औरत में एक दूसरे के लिए वह मांग वह प्यास वह इज़तिराब की कैफ़ियत पाई सुकून मयस्सर नहीं आ सकता। जब तक

वह एक दूसरे से जुड़ कर और बाहम शीर व शकर हो कर न रहें।

अलग़र्ज़ कुरआन करीम ने इस बाब में सख़्त ताकीद की है कि वह अहद पैमान जो ज़न व शौहर के दरमियान शरअी तौर पर वजूद में आये हैं हत्तुलइम्कान क़ायम रखें और मक़दूर भर उन्हें टूटने न दिया जाये।

लेकिन दो तरफ़ा ताल्लुक़ात में जब हमदर्दी व ग़मख़्वारी बाक़ी न रहे, मुहब्बत व इख़लास नापैद हो जाये। वह एक दूसरे के लिए राहत व तस्कीन का सरमाया न बन सकें। हक़ूक़ ज़ोजीयत तल्फ़ होने लगें ग़र्ज़ निभाव मुश्किल हो जाये और दफ़ा शर के लिए अलहदगी के सिवा कोई चारा कार बाक़ी न रहे तो ऐसी सूरत में शरीअत मुतहहरा ने अलहदगी व जुदाई के लिए भी एक निज़ाम, एक क़ानून दिया जिसे उर्फ़ शरीअत में तलाक़ कहा जाता है।

तलाक़ के लफ़्ज़ी मानी छोड़ देने के हैं और शरीअत ने उसे एक ख़ास छोड़ने के मायने में इस्तेमाल किया है यानी वह इफ़्तराक़ या जुदाई जो ज़न व शौहर के दरमियान वाक़ेअ हो, या यूं कह लें कि निकाह से औरत शौहर की पाबन्द हो जाती है। उस पाबन्दी के उठा देने को तलाक़ कहते हैं।

शरीअत में तलाक़ मुबाह है मगर अबग़ज़ुल मुबाहात यानी तमाम हलाल चीज़ों में ख़ुदा के नज़दीक ज़्यादा ना पसन्दीदा। इसलिए शरीअत ने इस निज़ाम पर भी चंद पाबंदियां आयद कर दी हैं जिन की वजह से तलाक़ की इजाज़त का इस्तेमाल महज़ वक़्ती और हंगामी असरात का नतीजा न हो।

तलाक़ का वजूद ख़ास ख़ास दुशवारियों के हल के लिए ज़रूरी है और उस वक़्त तलाक़ की ज़रूरत ऐसी ही हो जाती है जैसे किसी

हिस्सा जिस्म में ज़हरीला मादा पैदा हो जाने के बाइस उस का जिस्म इंसानी से बज़रिया कतअ व बरीद जुदा करना ज़रूरी हो जाता है अगरचे अजू काटना बहरहाल ना पसन्दीदा समझा जाए।

तलाक देने वाले को शरीअत मुतहहरा पहले समझाती है कि अब वह एक ऐसे खतरनाक फेअल का इकदाम करने लगा है जो अल्लाह तआला को नापसन्दीदा भी है और मबगूज़ भी लिहाज़ा जब तक यह मुसल्लम न हो जाये कि सिर्फ सही एक सूरत, मर्द के बका व सेहत और हिफाज़त इज़्ज़त व ईमान की रह गई है उस वक़्त तक उस पर अमल नहीं करना चाहिए। कुरआन करीम ने इसके लिए चन्द तफ्सीली अहकाम दिये।

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"और अगर वह औरतें तुम्हें नापसन्द हों तो अजब किया कि एक चीज़ तुम्हें पसन्द न हो और अल्लाह ने उसी में बहुत कुछ भलाई रख दी है। मतलब यह है कि अगर औरत में कोई ऐसा नुक़्स मौजूद हो जिसकी बिना पर वह शौहर को पसन्द न आये तो भी यह मुनासिब नहीं कि शौहर फ़ौरन दिल बरदाश्ता हो कर उसे छोड़ने पर आमादा हो जाये। बसा औकात ऐसा होता है कि औरत में बहुत सी खूबियों पर खूबियों ऐसी होती हैं जो अज़दवाजी ज़िन्दगी और गृहस्ती में बड़ी अहमियत रखती हैं कि अगर उसे अपनी इन खूबीयां के इज़हार का मौका मिले तो शौहर पर खुद यह बात अयां हो जायेगी कि उसकी बीवी में बुराईयों के मुकाबले में ख़ूबियां कहीं ज़्यादा पाई जाती हैं। लिहाज़ा यह बात पसन्दीदा नहीं कि आदमी अज़दवाजी ताल्लुक को

मुनक्तअ करने में जल्द बाज़ी से काम ले तलाक़ बिल्कुल आख़िरी चाराकार है जिसको बदरजा मजबूरी काम में लाना चाहिए।

२. इसी सूरः निसा में फ़रमाया :-

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا (الایہ)

"और अगर कोई औरत अपने शौहर की ज़्यादती या बे रग़बती का अन्देशा करे तो उन पर गुनाह नहीं कि आपस में सुलह कर लें और सुलह खूब है।"

यानी एक औरत अगर अपने शौहर को फिरा हुआ देखे कि उससे एलाहदह रहता है या खाने पीने को नहीं देता या नान नफ़्क़ा में कमी करता है। या मारता या बदज़बानी से पेश आता है और उससे दूर दूर रहता है तो तलाक़ व जुदाई अख़तियार करने से यह बात कहीं बेहतर है कि औरत अपने हुक़ूक़ का कोई हिस्सा, शौहर पर माफ़ कर दे उसे ख़ुश करने के लिए अपने हक़ में से कुछ छोड़ दे। मसलन अपने मेहर माफ़ कर दे या उसमें कमी कर दे। अपनी बारी का दिन दूसरी बीवी को दे दे। अपने मसारिफ़ का बार हल्का कर दे और इस तरह बाहमी मसालिहत और मेल मिलाप के बाद औरत उस शौहर के साथ रहे जिसके साथ वह उम्र का एक हिस्सा गुज़ार चुकी है।

अज़दवाजी ताल्लुक़ात में तलख़ी दूर करने के लिए यह एक ऐसा नुसख़ा है जिसे शरीअत मुतहहरा ने औरत के अख़तियार व तसर्रुफ़ में दिया।

३. बीवीयां अगर नाशाइसता, नाफ़रमान और हुक़ूक़ शौहर से ला परवाह हों जिसके बाइस पुर मुसर्रत अज़दवाजी ज़िन्दगी के बजाये आपस में तसादुम और धींगा मशती शुरू हो जाये तो ऐसी सूरत में

इसलाहे अहवाल के लिए कुरआन करीम में मर्दों को तीन तदबीरें बतायीं।

(क) فَعِظُوْهُنَّ उन्हें समझाओं और बताओ कि शौहर की नाफ़रमानी और उसकी इताअत न करने और उसके हुकूक़ का लिहाज़ न रखने के नतीजे में दुनिया व आख़िरत दोनों में ख़ुसरान वबाल के सिवा कुछ नहीं। और ख़ुदा का अज़ाब मोल लेना कोई दानिशमन्दी की बात नहीं।

अगर औरत शरीफ़ तीनत है तो उसके लिए इतना ही काफ़ी होगा। इसमें भी शौहर को यह तालीम है कि फ़ौरन गुस्सा में आकर कोई कार्रवाई न करे।

(ख) अब भी अगर इसलाह न हो तो सज़ा की दूसरी मनज़िल यह है कि وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ मर्द कुछ अर्सा के लिए औरत से बात चीत तर्क करें उन्हें ख़्वाबगाहों में तनहा छोड़ दें। और ताल्लुक़ात हमबिस्तरी मुनक़तअ कर लें।

(ग) यह तदबीर भी कारगर न हो और औरत अपनी सरकशी व नाफ़रमानी पर क़ायम रहे जैसा कि बाज़ रज़ील तबक़ों में देखा जाता है तो अब तीसरा इलाज यह है कि तादीब के तौर पर हल्की सी मार मारी जाये। ऐसी ज़रब न मारे जिससे जिल्द परेशान हो जाये। औरत कैसी ही बेग़ैरत क्यों न हो मामूली मार से राहे रास्त पर आ जाती है ताहम बाज़ बदख़सलत औरतें ऐसी होती हैं कि वह किसी तदबीर से दुरूस्त ही नहीं होतीं और अपनी सरकशी व नाफ़रमानी में हद से तजावुज़ कर जाती हैं तो अब शरीके ज़िन्दगी से निभाव के तमाम रास्ते बन्द हो जाते हैं। इस रोज़ रोज़ की चीख़ो पुकार का नतीजा यह निकलता है कि घर घर रुसवाई

होती है और मर्द और औरत दोनों के लिए दुनिया जहन्नम का नमूना बन जाती है। ऐसी हालत में शरीअत मुतहहरा फिर दोनों को एक और मौका देती है और वह यह कि

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

यानी जहां मियां बीवी में ना मुवाफ़िक़ और ऐसी कशमकश पैदा हो जाये जिसे वह बाहम न सुलझा सकें तो दो सालिस मुकर्रर किये जायें ताकि नज़ाअ से इन्कताअ (अलहदगी) तक नौबत पहुंचे या अदालत में मामला जाने से पहले घर के घर में कोई सूरत निकल आए मियां बीवी में नज़ाअ होने में यह हरगिज़ न होना चाहिए कि फ़ौरन तलाक़ हो जाये या किसी और ऐसी ही कार्रवाही की नौबत आ जाये बल्कि पहले यह कोशिश मसालिहत व मुफ़ाहिमत की कर ली जायें, रिश्ता अज़दवाज एक अहम तरीन रिश्ता है। उस पर बे परवाई से ज़रब नहीं लगाई जानी चाहिए। और उस मसालिहत व मुफ़ाहिमत की तदबीर यह है कि मियां बीवी में से हर एक के खानदान का एक एक आदमी उस ग़र्ज़ से मुकर्रर किया जाये कि दोनों मिल कर इख़्तिलाफ़ के असबाब की छान बीन करें और फिर आपस में सर जोड़ कर बैठें और तसफ़िया की कोई सूरत निकालें। इस्लाम को यह बात पसन्द नहीं कि खानदानी उलझनों और मियां बीवी के माबीन मुनाक़शों का इल्म होने के बावजूद उनके खानदान के बाअसर बारुसूख़ और बावक़ार अफ़राद, दामन समेट कर अलग थलग हो जायें जैसे कि उनका उस से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। बल्कि हुक्म यह है कि उस खानगी नज़ाअ को यह लोग अपना ही मामला समझें और अपनी सी कोशिश में कोई कमी न करें बल्कि ज़ोजैन अगर अपने अपने रिश्तादारों में से खुद ही किसी को मुनतख़ब करें तो

उन्हें चाहिए कि अपने अपने ख़ानदानों के वक़ार की ख़ातिर मुदाख़लत करें और अहकाम शरीआ की रोशनी में मुनासिब फ़ैसला दें, मानना न मानना उन दोनों के अख़्तियार में है।

अब भी अगर इसलाह न हो और अहवाल की तमाम तदबीरें राईगां जायें और क़सूर का बोझ सिर्फ़ औरत पर हो तो अब शौहर को इज़ाज़त है कि उसे तलाक़ दे दे।

ज़माना जाहिलियत में दस्तूर था कि एक शख़्स अपनी बीवी को बे हिसाब व किताब, तलाक़ देने का मजाज़ था। जिस औरत से उसका शौहर बिगड़ जाता वह उसको बार बार तलाक़ दे कर रूजू करता रहता था ताकि वह ग़रीब न तो उसके साथ गुज़र बसर कर सके और न ही उससे आज़ाद होकर किसी और से निकाह कर सके। कुरआन मजीद व हदीस शरीफ़ ने इस जुल्म का दरवाज़ा हमेशा के लिए बन्द कर दिया और तलाक़ के बाब में शौहरों पर पाबन्दियां आयद कीं और उन्हें बताया कि अगर तुम औरतों को तलाक़ देने पर मज़बूर हो जाओ और सिवाये तलाक़ के कोई और चारा कार न रहे तो उस का सही तरीक़ा यह है कि अपने अय्याम (हिज़) से फ़ारिग़ हो तो हालते तुहर में एक मर्तबा तलाक़ दी जाये और अगर झगड़ा ऐसे ज़माना में हुआ हो जबकि औरत अय्याम माहवारी में हो तो शौहर को उस वक़्त का इन्तिज़ार करना चाहिए जब वह अय्यामे माहवारी से फ़ारिग़ हो जाए इन अय्याम का यह इन्तिज़ार भी पहली तलाक़ के रोक के लिए हैं कि अब पहली तलाक़ के बाद भी औरत के दिल में नदामत न हो या शौहर के दिल में बरदाशत की ताक़त न हो और एक माह गुज़रने पर औरत दूसरी बार हैज़ से फ़ारिग़ हो जाये तो अब शौहर दूसरे महीने में तलाक़ दे सकता है।

अब फिर एक महीने की लम्बी मीयाद उन दोनों के दरमीयान है। उस मीयद में अगर झूठे गुस्से बेजा बद गुमानियां निभाव की ख्वाहिशें बेदार हो रही है तो शरीअत मुतहहरा, मर्द को रजअत का हुक्म देती है और उस रजअत के आड़े आने वाली झूठी नामवरियों, खानदानी वजाहतों दुनियावी तानों और दुशनाम तराज़ीयों को कुचल कर, दोनों को फिर दोबारा मियां बीवी की तरह रहने की इजाज़त देती है बल्कि पहली या दूसरी तलाक़ की इद्दत भी गुज़र जाये तब भी दोनों के लिए मौका बाकी रहता है कि फिर बाहमी रज़ामन्दी से निकाह कर लें। गोया उस आख़िरी गुन्जाईश से फ़ायदा उठा कर तलाक़ वापसी ले ली जाये और ताल्लुक़ात ज़ोजीयत अज़ सरे नौ क़ायम किये जायें। अलबत्ता शरीअत मुतहहरा ने मर्दों को तम्बीह फ़रमाई कि रुजूअ करते हो तो इस नीयत से कि अब हुस्ने सुलूक से रहना है वरना बेहतर है कि शरीफ़ाना तरीक़ा पर रुखसत कर दो ज़ोजीयत में वापसी खाना आबादी के लिए होना चाहिए न कि खाना बरबादी के लिए।

बहरहाल अब इन दो तलाक़ों के बाद भी नाखुशगवार ताल्लुक़ात का खात्मा न हो और नफ़रत व ज़िद की बुनियाद ऐसी मज़बूत है कि मर्द अब तक तलाक़ ही पर तुला हुआ है इधर औरत दूसरी तलाक़ के बाद अय्याम महावारी से फ़ारिग़ हो चुकी है तो अब शरीअत उसे बतलाती है कि देख ये हुमा तेरे हाथ से निकलने वाली है। चिड़िया उड़ गई तो कफे अफ़सोस ही मलना पड़ेगा। खूब समझ ले लेकिन मर्द अपनी बात पर अड़ा हुआ है तो शरीअत उसे मजबूर नहीं करती और मुआहिदए शादी को ज़िन्दगी भर के लिए तौके लाअनत बनाना गवारा नहीं करती। अलबत्ता उस तीसरी तलाक़ के बाद, न तो शौहर

को रुजूअ का हक बाकी रहता है और न इसका ही मौका रहता है कि दोनों का फिर निकाह हो सके। अब हलाला के सिवा कोई चारा नहीं।

एतज़ार

फकीर को इन मुबाहिस की तहरीर के दौरान कई बार यह ख्याल आया कि उन बहसों और मोशगाफियों से औरत को क्या वास्ता। लेकिन इस ख्याल से दिल को तसकीन मिलती रही कि माशा अल्लाह कौम की समझदार बेटियां और बहनें तो उससे फायदा उठा सकती हैं। और कम अज़ कम वह तो यह समझ सकती हैं कि शरीअत मुतहहरा ने किस तरह औरतों के हकूक की हिफाज़त फ़रमाई और उनकी ज़िन्दगी को बा मकसद और बा वकअत बनाया है। क्या नई तहज़ीब के किसी भी गोशा में यह मोती दसतियाब हो सकते हैं। जिनसे इस्लाम ने औरत के दामन को माला माल फरमाया है।

तम्बीह ज़रूरी:– तलाक देना जायज़ है। हां बे हाजत, बिला वजह शरई तलाक मकरूह व ममनूअ है मगर देगा तो ज़रूर हो जायेगी, कि तलाक शौहर की ज़बान पर रखी गई है तो उस का मुरतकिब मकरूह बल्कि बाज़ सूरतों में गुनाहगार होना भी तलाक को वाकेअ होने से नहीं रोकता जैसे हालते हैज़ में तलाक देना हराम है कि हुक्म इलाही की नाफरमानी है मगर देगा तो ज़रूर हो जायेगी और देने वाला गुनाहगार होगा।

और वजह शरई मौजूद हो तो तलाक देना मुबाह, बल्कि बाज़ सूरतों में मुस्तहब है मसलन औरत पर शुब्हा हो या वह नाफरमान हो तो ऐसी सूरत में उसे तलाक देना बिला कराहत जायज़ व मुबाह है।

उलेमाए किराम फ़रमाते हैं कि अगर औरत उसे या औरों को ईज़ा देती है या नमाज़ नहीं पढ़ती है अगर यह मेहर अदा करने पर कादिर न हो जब भी तलाक़ दे देनी चाहिए। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि बे नमाज़ी औरत को तलाक़ दे दूं और उस का मेहर मेरे ज़िम्मा बाक़ी हो। इस हालत में दरबारे ख़ुदा में मेरी पेशी हो तो यह उस से बेहतर है कि मैं उसके साथ ज़िन्दगी बसर करूं बल्कि बाज़ सूरतों में वाजिब होती है। मसलन शौहर नामर्द या हिजड़ा है या शौहर के मां बाप उसे हुक्म देते हैं कि औरत को तलाक़ दे दे और न देने में उन्हें ईज़ा हो या वह नाराज़ हों तो वाजिब है कि तलाक़ दे दे अगरचे औरत का कुछ कसूर न हो कि मां बाप की नाफ़रमानी का वबाल उससे कहीं बढ़ कर है। (फ़तावा रिज़वियह)

चन्द फ़िक़ही मसाइल

मसला:- हर आक़िल व बालिग़ का फ़ेअल चूंकि शरीअत के नज़दीक काबिले तस्लीम है इसलिए तलाक़ के लिए शर्त यह है कि शौहर आक़िल बालिग़ हो। नाबालिग़ या मजनूं ख़ुद तलाक़ दे सकता है न उसकी तरफ़ से उसका वली। हां अगर अक्ल किसी ख़ारजी शै से ज़ायल कर दी जाये मसलन नशा वाले ने तलाक़ दी, गुस्सा की हालत में दी तो तलाक़ वाक़ेअ हो जायेगी कि आक़िल के हुक्म में है और नशा ख़्वाह शराब पीने से हो या भंग वग़ैरह किसी और चीज़ से। अफीम की पेंग में तलाक़ देदी तब भी वाक़ेअ हो जायेगी। (ताकि कोई शख़्स गुस्सा या नशा को सिपर न बना सके। जिससे औरत के हुक़ूक़ तल्फ़ होते हैं) और तलाक़ में औरत की जानिब से

कोई शर्त नहीं। नाबालिग़ हो या मजनूं बहरहाल तलाक़ वाक़ेअ हो जायेगी। (आलमगीरी)

यूंही औरत को हमल की हालत में तलाक़ दी जाये कतअन वाक़ेअ हो जायेगी अवाम में जो मशहूर है कि हामिला औरत पर तलाक़ नहीं पड़ती महज़ बे असल है।

मसला:- सरसाम व बरसाम या किसी और बीमारी में जिसमें अक्ल जाती रही या ग़शी की हालत में या सोते में तलाक़ दे दी तो वाक़ेअ न होगी। यूंही अगर गुस्सा इस हद का हो कि अक़्ल जाती रहे तो वाक़ेअ न होगी। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह) आजकल अक्सर तलाक़ दे बैठते हैं बाद को अफ़सोस करते और तरह तरह के हीले तराशते हैं एक उज़्र अक्सर यह भी होता है कि गुस्सा में तलाक़ दे दी अज़ीज़ो! तलाक़ तो अमूमन गुस्सा ही की हालत में दी जाती है और इस हालत में तलाक़ वाक़ेअ हो जाती है और वह सूरत कि अक़्ल गुस्से से जाती रहे बहुत नादिर है यूंही तलाक़ बख़ुशी दी जाए ख़्वाह जब्रिया, वाक़ेअ हो जायेगी। अज़ीज़ो! निकाह शीशा है और तलाक़ संग, शीशा पर पत्थर खुशी से फेंके या जब्र से या खुद से छूट जाये तो शीशा हर तरह टूट जायेगा।

मसला:- किसी ने शौहर को तलाक़ लिखने पर मजबूर किया उसने लिख दिया। मगर न दिल में इरादाए तलाक़ है न ज़बान से तलाक़ का लफ़्ज़ कहा तो तलाक़ न होगी। मजबूरी से मुराद शरई मजबूरी है। महज़ किसी के इसरार कर देने पर लिख देना या यह ख़्याल कर के लिख देना कि बड़ा है उसकी बात कैसे टालूं तो यह मजबूरी नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- तलाक़ की दो क़िस्म है (यानी बाएतबार अल्फ़ाज़े

तलाक़) सरीह[1], किनाया[2]। सरीह वह जिससे तलाक़ मुराद होना ज़ाहिर हो। अक्सर तलाक़ में इसका इस्तेमाल हो। अगरचे वह किसी ज़बान का लफ़्ज़ हो जैसे उर्दू में यह लफ़्ज़ कि "मैंने तुझे छोड़ा" सरीह है। उससे एक तलाक़ हो जायेगी। कुछ नीयत हो न हो। किनाया तलाक़ वे अल्फ़ाज़ हैं जिससे तलाक़ मुराद होना ज़ाहिर न हो। तलाक़ के अलावा और मायनों में भी उन का इस्तेमाल होता हो। (आमए कुतुब)

मसला:- जो अल्फ़ाज़ तलाक़ के लिए वज़अ किये गये हैं जब उन्हें तलाक़ में इस्तेमाल किया जायेगा तो उससे तलाक़ रजई वाकेआ होगी और जो अल्फ़ाज़ कि तलाक़ के लिए वज़अ नहीं किये गये हैं बल्कि उनका इस्तेमाल इशारतन "और किनायतन " तलाक़ की तरह है तो ऐसे अल्फ़ाज़ के इस्तेमाल से तलाके बाइन पड़ती है जब कि नीयत तलाक़ हो या हालत बताती हो कि तलाक़ मुराद है। मसलन पेशतर तलाक़ का जिक्र था या गुस्सा में कहा। (आमए कुतुब)

मसला:- किनाया के अल्फ़ाज़ तीन तरह के हैं-

बाज़ में सवाल रद्द करने का एहतमाल है बाज़ में गाली का एहतमाल है और बाज़ में न यह है न वह है बल्कि जवाब के लिए मुतअय्युन हैं।

अगर रद्द का एहतमाल है तो मुतलकन हर हालत में नीयत की हाजत है। बग़ैर नीयत तलाक़ नहीं और जिन में गाली का एहतमाल है उनसे तलाक़ होना खुशी और ग़ज़ब में नीयत पर मौकूफ़ है और तलाक़ का जिक्र था तो नीयत की ज़रूरत नहीं और तीसरी सूरत में जो फ़क्त जवाब हो तो खुशी में नीयत ज़रूरी है और ग़ज़ब व मुज़ाकरए तलाक़ के वक्त बग़ैर नीयत भी तलाक़ हो

जाती है। (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत)

मसला:- औरत का हामला होना, तलाक़ वाक़ेअ होने से नहीं रोकता। हालत हमल में तलाक़ जायज़ व हलाल है। अगरचे अय्याम हमल में शौहर उससे जिमाअ़ भी कर चुका हो। अब अगर तलाक़ बाइन थी या तलाक़ रजई थी और बच्चा पैदा होने तक न ज़बानी रजअत की न ज़ोजा को हाथ लगाया तो बाद विलादत औरत निकाह से निकल गई। अब उसे अखतियार है जिससे चाहे निकाह करे और रजई थी और विलादत से क़ब्ल शौहर ने रजअत कर ली तो औरत बदस्तूर उसके निकाह में है। दूसरी जगह निकाह नहीं कर सकती। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:- औरत से कहा तलाक़ तलाक़ तलाक़। न यह कहा कि तुझ को या उस औरत को। मगर क़राईन से यह बात मालूम होती है कि उसने अपनी औरत को लताक़ दी है या वह खुद इक़रार करता है कि मैंने अपनी औरत को तलाक़ दी है तो तीन तलाक़ें पड़ गयी। बे हलाला उसके निकाह में नहीं आ सकती। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला :- तलाक़ (बएतबार हुक्म व नतीजा) तीन क़िस्म हैं-

रजई :- वह जिससे औरत फ़िलहाल निकाह से नहीं निकलती। इद्दत के अन्दर अगर शौहर रजअत कर ले वह बदस्तूर उसकी ज़ोजा रहेगी। हां इद्दत गुज़र जाये और रजअत न करे तो उस वक़्त निकाह से निकलेगी। फिर भी बरज़ाए खुद (बाहमी रज़ामन्दी से) निकाह कर सकते हैं।

बाईन:- वह जिससे औरत फ़िलफ़ोर निकाह से निकल जाती है। हां बरज़ाए खुद निकाह कर सकते हैं इद्दत के अन्दर ख़्वाह बाद में।

मुग़ल्लिज़ा :- वह कि औरत फ़ौरन निकाह से निकल भी गई और कभी उन दोनों का निकाह नहीं हो सकता जब तक हलाला न हो। यह तीन तलाक़ों से होता है ख़्वाह एक साथ दी हों ख़्वाह बरसों के फ़ासले से। रजई दी हों या बाईन या बाज़ रजई बाज़ बाईन।

तलाक़ के सैकड़ों लफ़्ज़ हैं बाज़ से रजअी पड़ती है। बाज़ से बाईन और बाज़ से मुग़ल्लिज़ा। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:- औरत को तलाक़ नहीं दी है मगर लोगों से कहता है कि तलाक़ दे आया तो तलाक़ हो जायेगी। यूंही एक तलाक़ दी है और लोगों से कहता है तीन दी हैं तो फ़ैसला यही होगा कि तीन दी हैं। अगरचे कहे मैंने झूठ कहा था। (बहारे शरीअत, फ़तावा रिज़वियह)

मसला:- जब तलाक़ें तीन तक पहुंच जायें तो वह औरत उस शौहर के लिए बे हलाला किसी तरह हलाल नहीं हो सकती। और अगर इसके बावजूद उससे हम बिस्तरी करे तो वह सोहबत ज़िना होगी और अगर उसे मसला मालूम है तो यह ज़ानी और शरअन सज़ाए ज़िना का मुस्तहिक़ होगा। और औलाद वल्दुज़्ज़िना और तर्के पिदरी से महरूम होगी। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:- शौहर ने औरत को तीन तलाक़ें दे दीं या बाईन तलाक़ दी मगर इंकार करता है और औरत के पास गवाह नहीं तो जिस तरह मुमकिन हो औरत उससे पीछा छुड़ाये। मेहर माफ़ करके अपना माल उसको देकर उससे अलहदा हो जाये ग़र्ज़ जिस तरह भी मुमकिन हो उस से किनारा कशी करे और किसी तरह वह न छोड़े तो औरत मजबूर है मगर हर वक़्त उसी फ़िक्र में रहे कि जिस तरह मुमकिन हो रिहाई हासिल करे और इसकी पूरी कोशिश करे कि सोहबत न

करने पाये। औरत जब इन बातों पर अमल करेगी तो माजूर है और शौहर बहरहाल गुनाहगार है। (दुर्रे मुख़्तार फ़तावा रिज़वियह)

मसला:- शौहर ने औरत को तीन तलाकें दे दीं इद्दत गुज़रने पर कुछ लोगों ने उस औरत का निकाह किसी और से शरई तरीक़ा पर करा दिया। अब शौहर सानी अगर बे सोहबत किये उसे तलाक़ दे भी दे जब भी औरत शौहर अव्वल के लिए हलाल नहीं हो सकती कि बहुक्म कुरआन व हदीस दूसरे शौहर का उससे सोहबत करना ज़रूरी है।

मसला:- ज़ैद ने उमर से कहा तूने अपनी औरत को तलाक़ दी। उसने नर्म दबे लहजे में कहा "मैंने तलाक़ दी" यह इक़रार है तलाक़ हो गई और उसने तुर्श व गर्म तलाक़ दी यह इंकार है तलाक़ न हुई। अल्फ़ाज़ बइयनह वही हैं और हुक्म असबात से नफ़ी में बदल गया। यूंही अगर औरत ने कहा "मुझे दे उसने न माना। औरत ने पूछा "दी" उसने झिड़कने के लहजे में सख़्ती से कहा "दी" तलाक़ न हुई। वरना हो गई। (फ़तावा रिज़वियह)

तम्बीह:- यहां से मालूम हुआ कि तलाक़ के मसाइल बहुत नाज़ुक हैं एक हरूफ़ की बेशी दर किनार, लहजे के बदलने से हुक्म बदलता है। सख़्त एहतियात दरकार है।

रजअत का मसनून तरीक़ा

मसला:- रजअत के यह मायने हैं कि जिस औरत को रजई तलाक़ दी हो इद्दत के अन्दर उसकी पहले निकाह में वापसी और रजअत उसी औरत से हो सकती है। जिससे वती की हो। अगर ख़िलवत सहीहा हुई मगर जिमाअ न हो तो नहीं हो सकती। अगरचे

उसे शहवत के साथ छुआ हो। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार)

मसला:- रजअत का मसनून तरीक़ा यह है कि किसी लफ़्ज़ से रजअत करे और रजअत पर दो आदिल लोगों को गवाह करे और औरत को भी ख़बर कर दे कि वह इद्दत के बाद किसी और से निकाह न करे और उस सूरत में कि क़ौल से रजअत की मगर गवाह न किये या गवाह भी किये मगर औरत को ख़बर न की तो मकरूह व ख़िलाफ़े सुन्नत है मगर रजअत हो जायेगी। और फ़ेअल से रजअत की मसलन उससे वती की या शहवत के साथ बोसा लिया तो रजअत हो गई मकरूह है उसे चाहिए कि फिर गवाहों के सामने रजअत के अल्फ़ाज़ कहे। (जोहरा)

मसला:- रजअत के अल्फ़ाज़ ये हैं। मैंने तुझ से रजअत की। या तुझ को वापस अपने निकाह में लिया या रोक लिया। या अपनी ज़ोजा से रजअत की ये सब सरीह अल्फ़ाज़ हैं उनमें बिल नीयत भी रजअत हो जायेगी। और अगर औरत से कहा कि तू मेरे नज़दीक वैसी ही है जैसे थी या तू मेरी औरत है'' तो अगर ब नीयत रजअत ये अल्फ़ाज़ कहे रजअत हो गई वरना नहीं और निकाह के अल्फ़ाज़ से भी रजअत हो जाती है। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:- रजअत में औरत की रज़ा की ज़रूरत नहीं बल्कि अगर वह इंकार भी करे तब भी हो जायेगी। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- हलाला की सूरत यह है कि अगर औरत मदख़ूला है (यानी शौहर उससे हमबिस्तरी कर चुका है) तो तलाक़ की इद्दत पूरी होने के बाद औरत किसी और से निकाह सहीह करे और यह शौहर सानी उससे वती भी करले। अब उस शौहर सानी के तलाक़ या मौत के बाद इद्दत पूरी होने पर शौहर अव्वल से निकाह हो सकता

है और अगर औरत मदख़ूला नहीं है तो पहले शौहर के तलाक़ देने के बाद फ़ौरन दूसरे से निकाह कर सकती है कि उसके लिए इद्दत नहीं। (आमए कुतुब)

मसला:- अक़्द निकाह यानी ईजाब व क़ुबूल में यह शर्त लगाई कि यह सोहबत के बाद औरत को तलाक़ देगा। हदीस शरीफ़ में उस पर लानत आई और यह निकाह मकरूह तहरीमी है। ज़ोजा अव्वल व सानी और औरत तीनों गुनाहगार होंगे। अगरचे औरत उस निकाह से भी शौहर अव्वल के लिए हलाल हो जायेगी और शर्त बातिल है अगर शौहर सानी तलाक़ देने पर मजबूर नहीं। और अगर अक़्द में शर्त न हो अगरचे नीयत में हो तो कोई कराहत नहीं बल्कि अगर नीयत ख़ैर हो तो मुस्तहिक़ सवाब है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- शौहर ने औरत को तीन तलाक़ें दीं या बाईन तलाक़ दी मगर अब इंकार करता और औरत के पास गवाह नहीं तो जिस तरह मुमकिन हो औरत उससे पीछा छुड़ाये और किसी तरह वह न छोड़े तो पूरी कोशिश उसकी करे कि वह सोहबत न करने पाये। औरत जब इन बातों पर अमल करेगी तो माज़ूर है और शोहर बहरहाल गुनाहगार है। (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत)

ईला और ज़िहार का बयान

ज़मानए जाहिलीयत में एक तरीक़ा मीयां बीवी में अलहदगी का यह भी था कि शोहर गुस्से में आकर कसम खा बैठते थे कि अपनी बीवीयों से हमबिस्तरी न करेंगे। इसतिलाह में इसी को ईला कहते हैं। ईला करने के बाद जो एक तरह की तलाक़ ही थी शौहर अपनी बीवी के नान नफ़्क़ा और हर किस्म के अदाए हक़ूक़ से मअन

दस्तबरदार हो जाता था इस्लाम ने इस तरीका की भी इसलाह की और इसे एक कानून की शक्ल में नाफिज़ फरमाया और फितरते बशरी का बिल्कुल सहीह अंदाज़ा करके हुक्म दिया कि चूंकि ज़ोजैन में ताल्लुकात हमेशा खुशगवार तो नहीं रह सकते बिगाड़ के असबाब पैदा होते ही रहते हैं। लेकिन ऐसे बिगाड़ को खुदा की शरीअत पसन्द नहीं करती कि दोनों एक दूसरे के साथ, कानूनी तौर पर रिश्ता अज़दवाज में तो बन्धे रहें। मगर अमलन एक दूसरे से इस तरह अलग रहें कि गोया वह मियां बीवी नहीं है ऐसे बिगाड़ के लिए अल्लाह तआला ने चार माह की मुद्दत मुकर्रर फरमा दी कि या तो इस मुद्दत में सारे पहलुओं पर ठंडे दिल से गौर व फिक्र के बाद अपने ताल्लुकात दुरुस्त कर लो लेकिन इस सूरत में ऐसी कसम तोड़ने का गुनाह एक खफीफ से कुफ्फारे के बाद माफ किया जायेगा। वरना रिश्ता अज़दवाज मुन्कतअ कर दो ताकि दोनों, एक दसूरे से अज़ाद हो कर जिससे चाहें निबाह कर सकें। फरीकीन हंसी खुशी और बाज़ाबता मुआहिदए निकाह को फ़सख करके एक दूसरे से मुसतकिल अलहदगी अख्तियार कर लें यह उससे हज़ार दर्जा बेहतर है कि रहें तो मियां बीवी, लेकिन अमलन एक दूसरे से ला ताल्लुक।

अरब में बाज़ औकात यह सूरत पेश आती थी कि मियां बीवी में लड़ाई होती तो शोहर गुस्सा में आ कर कहता أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي इसके लगवी मायने तो यह है कि तू मेरे ऊपर ऐसी है जैसे मेरी मां की पीठ। लेकिन इसका असली मफ्हूम यह है कि तुझ से मुबाशरत (हमबिस्तरी) करना मेरे लिए ऐसा है जैसे मैं अपनी मां से मुबाशरत करूं। जाहिलीयत के ज़माने में अहले अरब के यहां यह तलाक, बल्कि उससे भी शदीद कतअ ताल्लुक का एलान समझा

जाता था क्योंकि उनके नज़दीक इसके मायने यह थे कि शौहर अपनी बीवी से न सिर्फ अज़दवाजी रिश्ता तोड़ रहा है बल्कि उसे मां की तरह अपने ऊपर हराम करार दे रहा है इसी बिना पर अहले अरब के नज़दीक तलाक़ के बाद रुजूअ की गुंजाइश हो सकती थी मगर ज़िहार के बाद रुजूअ का कोई इमकान बाक़ी न रहता था। इस्लाम आने के बाद इस तरह के कुछ वाक़िआत रोनुमा हुए और अब भी बहुत से नादान मुसलमान बीवी से लड़ कर उसको मां बहन बेटी से तशबीह दे बैठते हैं जिस का साफ़ मतलब यह होता है कि आदमी गोया अब उसे बीवी नहीं बल्कि उन औरतों की तरह समझता है जो उसके लिए हराम हैं इसी फ़ेअल का नाम ज़िहार है।

कुरआन करीम ने ज़िहार के मुताल्लिक पहला फैसला यह दिया है कि مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ यानी अगर किसी शख़्स ने बीवी को मां की तरह कह भी दिया तो वह बीवीयां इन अल्फ़ाज़ की अदायेगी से मां नहीं बन गई और न उनमें कोई ऐसी बात पैदा हो गई कि वह हराम करार दे ही दी जायें। मां का मां होना तो एक हकीकी अम्र वाकिया है क्योंकि उसने आदमी को जना है उसी बिना पर उसे अबदी हुरमत हासिल है। अब आखिर वह औरत जिसने उसे नहीं जना है महज़ मुंह से कह देने से उसकी मां कैसे हो जाएगी और उसके बारे में अक़्ल, अखलाक़, कानून, किसी चीज़ के एतबार से वह हुर्मत कैसे साबित होगी जो उस अम्र वाकई की बिना पर जनने वाली मां के लिए है।

दूसरा फ़ैसला यह दिया कि यह हरकत तो ऐसी है कि उस पर आदमी को बहुत ही सख़्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यह अल्लाह तआला की मेहरबानी है कि उसने अव्वल तो ज़िहार के मामले में

जाहिलियत के कानून को मनसूख़ करके तुम्हारी खांगी जिन्दगी को तबाही से बचा लिया। दूसरे इस फ़ेअल का इरतकाब करने वालों के लिए वह सज़ा तजवीज़ की जो इस जुर्म की हल्की से हल्की सज़ा हो सकती थी और सब से बड़ी मेहरबानी यह है कि सज़ा किसी ज़रब या कैद की शक्ल में नहीं बल्कि चंद ऐसी इबादात और नेकियों की शक्ल में तजवीज़ की जो तुम्हारे नफ़्स की इस्लाह करने वाली और तुम्हारे मुआशरे में भलाई फैलाने वाली हैं। चुनांचे इस बारे में भी अगर गुनाह का तदारुक कर लिया जाए तो गुनाह माफ़ हो जाएगा। इस सिलसिले में यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि इस्लाम में बाज़ जरायम और गुनाहों पर जो इबादात बतौरे कुफ़्फ़ारा मुकर्रर की गई हैं वह न महज़ सज़ा हैं कि इबादत की रूह से ख़ाली हों और न महज़ इबादत हैं कि सज़ा की अज़ीयत का कोई पहलू उन में न हो बल्कि उनमें यह दोनों पहलू जमा कर दिए गए हैं ताकि आदमी को अज़ीयत भी हों और साथ साथ वह एक नेकी और इबादत करके अपने गुनाहों की तलाफी भी कर दे। बअल्फ़ाज़ दीगर यह हुक्म तादीब के लिए दिया जा रहा है। ताकि मुस्लिम मुआशरे के लोग जाहिलियत की इस बुरी आदत को छोड़ दें और कोई शख़्स इस बेहूदा हरकत का इरतकाब न करे। बीवी से लड़ना ही है तो भले आदमियों की तरह लड़ो, तलाक़ ही देना है तो सीधी तरह तलाक़ दे दो। यह आख़िर क्या शराफ़त है कि आदमी जब बीवी से लड़े तो उसे मां बहन बना कर ही छोड़े।

मुसलमान औरत बल्कि मर्द देखे कि इस्लाम ने एक मुसलमान घराने को बरबादी व तबाही से बचाने के लिए कैसे कैसे हिकमत आमेज़ अहकाम नाफ़िज़ फ़रमाए हैं और मर्द व औरत किस किस तरह खुद अपने घर तबाह करते हैं। ऐ रब हमारे, हमारी आंखें खोल

और राहे हक़ पर साबित क़दम रख आमीन०

फ़िक़्ही मसायल

मसला:– ऐला के मायने यह हैं कि शौहर ने क़सम खाई कि औरत से कुर्बत न करूंगा या चार महीने कुर्बत न करेगा। ऐला की दो किस्म हैं। एक मुवक़्क़त यानी चार महीने का। दूसरा मुवब्बद यानी वह जिस में चार महीने की क़ैद न हो। बहर हाल अगर औरत से चार माह के अन्दर जिमाअ किया तो क़सम टूट गई और कुफ़्फ़ारा लाज़िम हो गया और कुर्बत न की यहां तक कि चार महीने गुज़र गए तो तलाक़ हो गई।

फिर अगर ऐलाये मुवक्कत था यानी चार महीने का तो क़सम साक़ित हो गई यानी अगर उस औरत से फिर निकाह किया तो अब उसका कुछ असर नहीं और अगर मुवब्बद था यानी हमेशा की उसमें क़ैद थी मसलन खुदा की क़सम तुझ से कुर्बत न करूंगा तो इस सूरत में एक बाईन तलाक़ पड़ गई। फिर भी क़सम बदस्तूर बाक़ी है यानी अगर उस औरत से फिर निकाह किया तो फिर ऐलाए बदस्तूर आ गया। अगर वक़्त निकाह से चार माह के अन्दर जिमाअ कर लिया तो क़सम का कुफ़्फ़ारा दे और अगर चार माह गुज़र गये और कुर्बत न की तो एक तलाक़ बाईन वाक़ेअ हो गई मगर क़सम बदस्तूर बाक़ी है। सह बारह निकाह किया तो फिर ऐला आ गया। अब भी जिमाअ न करे तो चार महीने गुज़रने पर तीसरी तलाक़ पड़ जायेगी और अब बे हलाला निकाह नहीं कर सकता। अगर हलाला के बाद फिर निकाह किया तो अब ऐला नहीं। यानी चार महीने बग़ैर कुर्बत गुज़रने पर तलाक़ न होगी मगर क़सम बाक़ी है। अगर जिमाअ करेगा तो

कफ्फ़ारा वाजिब होगा। (आलमगीरी)

मसला:- ऐला के बाज़ अल्फ़ाज़ सरीह हैं। बाज़ किनाया, सरीह के बाज़ अल्फ़ाज़ यह हैं वल्लाह मैं तुम से जिमाअ न करूंगा। कुर्बत न करूंगा। सोहबत न करूंगा, वती न करूंगा। मैं तेरे साथ न सोऊंगा ग़र्ज़ वह अल्फ़ाज़ जिन से ज़ेहन, माआने जिमाअ की तरफ़ सबक़्क़त करता हो। उस मायने में बकसरत इस्तेमाल किये जाते हों। वह ऐला सरीह हैं। उनमें नीयत दरकार नहीं बग़ैर नीयत भी ऐला है। किनाया के बाज़ अल्फ़ाज़ यह हैं तेरे बिछोने के क़रीब न जाऊंगा। तेरे साथ न लेटूंगा। तेरे बदन से मेरा बदन न मिलेगा। तेरे पास न रहूंगा। यूंही ऐसे ही वे अल्फ़ाज़ जिन में जिमाअ के अलावा दूसरे मायने का भी एहतमाल हो। उन में बग़ैर नीयत ऐला नहीं। (रददुलमुहतार)

मसला:- ऐला के लिए चन्द शर्तें हैं कि उनमें से एक भी न पाई गई तो ऐला न होगा। मसलन-

१. ऐला सिर्फ मनकूहा से होता है या उस औरत से जिसे तलाक़ रजई दी गई।

२. शौहर अहल तलाक़ हो यानी वह तलाक़ दे सकता हो। लेहाज़ा मजनू व नाबालिग़ का ऐला सहीह नहीं।

३. चार महीने से कम की मुद्दत न हो और ज़्यादा की कोई हद नहीं।

४. जगह मोअय्यन न करे, अगर जगह मोअय्यन की तो ऐला नहीं।

तफ़सीलात के लिए अहले इल्म की तरफ़ रूजू लायें।

मसला:- औरत से कहा "तू मुझ पर हराम है" इस लफ़ज़ से ऐला की नीयत की तो ऐला है। और ज़िहार की नीयत की तो ज़िहार

है वरना तलाक़ बाईन और तीन की नीयत की तो तीन और अगर औरत ने कहा कि मैं तुझ पर हराम हूं तो यमीन (क़सम) है शौहर ने ज़बर्दस्ती या उसकी खुशी से जिमाअ किया तो औरत पर कुफ़्फ़ारा लाज़िम है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- अगर शौहर ने कहा "तू मुझ पर मिस्ल मुरदार या गोश्त या खून या शराब के है अगर इससे झूठ मक़सूद है तो झुठ है और हराम करना मक़सूद है तो ऐला है। और अगर तलाक़ की नीयत हो तो तलाक़ है। (जोहरा)

मसला:- ज़िहार के यह मानी हैं कि अपनी ज़ोजा या उसके जिस्म के किसी ऐसे अज़ू को जो कुल से है। ऐसी औरत से तशबीह देना जो उस पर हमेशा के लिए हराम है या उसके किसी ऐसे अज़ू से तशबीह देना जिस की तरफ़ देखना हराम हो मसलन कहा तू मुझ पर मेरी मां की मिस्ल है। या तेरा सर या तेरी गर्दन मेरी मां की पीठ की मिस्ल है।

मसला:- ज़िहार के लिए इस्लाम व अक़्ल व बुलूग़ शर्त है तो अगर नाबालिग़ या मजनून या मदहोश या सरसाम व बरसाम के बीमार ने या बेहोश या सोने वाले ने ज़िहार किया तो ज़िहार न हुआ और हंसी मज़ाक़ में या नशा में या मजबूर किया गया इस हालत में या ज़बान से ग़लती में ज़िहार का लफ़्ज़ निकल गया तो ज़िहार है। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:- औरत मर्द से ज़िहार के लफ़्ज़ कहे तो ज़िहार नहीं, बल्कि लग़ू हैं। (जोहरा)

मसला:- महारम से मुराद आम है निसबती हों या रिज़ाई या सुसराली रिश्ते से। लेहाज़ा मां बहन फूफी लड़की और रिज़ाई मां

और बहन वग़ैरह से और ज़ोजा की मां से तशबीह दी तो ज़िहार है। (आलमगीरी)

मसला:- औरत को मां, बहन या बेटी कह दिया तो ज़िहार नहीं मगर ऐसा कहना मकरूह है। (आलमगीरी)

मसला:- औरत से कहा तू "मुझ पर मेरी मां की मिस्ल है" तो नीयत दरयाफ़्त की जायेगी अगर उसके एजाज़ के लिए कहा तो कुछ नहीं और तलाक़ की नीयत है तो बाईन तलाक़ वाक़ेअ होगी और ज़िहार की नीयत है तो ज़िहार है और तहरीम की नीयत है तो ऐला है और कुछ नीयत न हो तो कुछ नहीं। (जोहरा)

मसला:- ज़िहार का हुक्म यह है कि जब तक कुफ़्फ़ारा न देदे उस वक़्त तक उस औरत से जिमाअ करना या शहवत के साथ उस का बोसा लेना या उसको छूना हराम है। और लब का बोसा बग़ैर शहवत भी जायज़ नहीं। कफ़्फ़ारा से पहले कर लिया तो तौबा करे मगर खबरदार फिर ऐसा न करे और औरत को भी यह जायज़ नहीं कि शौहर को कुर्बत करने दे। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- ज़िहार करने वाला जिमाअ का इरादा करे तो कुफ़्फ़ारा वाजिब है। उसका कुफ़्फ़ारा गुलाम या कनीज़ आज़ाद करना है और उसकी इस्तताअत न हो तो कफ़्फ़ारा में पे दर पे दो महीने के रोज़े रखे और रोज़े रखने पर भी कुदरत न हो तो साठ मिसकीनों को दोनों वक़्त पेट भर कर खाना खिला दे।

और यह भी हो सकता है कि हर मिस्कीन को सदक़ा फ़ित्र की मिक्दार करीबन सवा दो सैर गेहूं या इसका आधा या इसकी क़ीमत का मालिक कर दिया जाए और इन्हें लोगों को दिया जाए जिन्हें सदक़ा फ़ित्र दे सकते हैं। (रद्दुलमुहतार, वग़ैरह)

तम्बीह:– ज़िहार वग़ैरह के कुफ़्फ़ारे में तफ़सील बड़ी किताबों से या उलेमा से मालूम करें।

खुलअ का बयान

शरीअत इस्लामी में इज्तिमाई और मआशरती ज़िन्दगी का संगे बुनियाद, मियां बीवी के सहीह ताल्लुकात हैं लेकिन नौबत यहां तक आ जाये कि वह दोनों हक़ूक़े ज़ोजियत अदा न कर सकें। और मुवाफ़िक़त की तमाम राहें बन्द हो जायें और औरत को उस मर्द से उस हद तक नफ़रत हो जाये कि उसके साथ उस का निबाह नहीं हो सकता। तो निकाह से मुख़्लिसी पाने और शौहर से तलाक़ हासिल करने की एक सूरत यह भी है कि औरत अपने कुल मेहर से, या उसके किसी हिस्से से दस्तबरदार हो जाये या अपने पास से कुछ माल दे के शौहर को तलाक़ पर आमादा कर ले तो यह भी एक जायज़ सूरत अलहदगी की है और उस माल को कुबूल कर लेना शौहर के लिए दुरुस्त होगा। तलाक़ की उस ख़ास सूरत का नाम जिसमें तलाक़ की ख़्वास्तगार औरत हो शरीअत की इस्तिलाह में खुलअ है।

अहकाम खुलअ की तफ़सील तो की बड़ी किताबों में मिलेगी। लेकिन यहां चन्द मसाइल तहरीर किये जाते हैं ताकि औरतें फिलजुमला उस से वाकिफ़ रहें।

मसला:– माल के बदले में निकाह ज़ायल करने को खुलअ कहते हैं। औरत का क़बूल करना शर्त है। बग़ैर उसके क़बूल किये खुलअ नहीं हो सकता उसके अल्फ़ाज़ मोअय्यन हैं उनके अलावा और अल्फ़ाज़ से न होगा और जब मियां बीवी खुलअ कर लें तो तलाक़ बाईन वाक़ेअ हो जायेगी। दोनों के माबीन निकाह टूट जायेगा और जो माल ठहरा

है औरत पर उस का देना लाज़िम है। (आमए कुतब)

मसला:- चुंकि शौहर की जानिब से खुलअ तलाक़ है। लिहाज़ा शौहर का आक़िल बालिग़ होना शर्त है। नाबालिग़ या मजनू खुलअ नहीं कर सकता कि अहल तलाक़ नहीं और यह भी शर्त है कि औरत महल्ले तलाक़ हो लिहाज़ा अगर औरत को तलाक़ बाईन दे दी है तो अगरचे इद्दत में हो उससे खुलअ नहीं हो सकता। हां रजई की इद्दत में हो तो खुलअ हो सकता है। (दुर्रे मुख़्तार रददुलमुहतार वग़ैरह)

मसला:- शौहर ने कहा "मैंने तुझ से खुलअ किया और माल का ज़िक्र न किया तो खुलअ नहीं बल्कि तलाक़ और औरत के कुबूल करने पर मोक़ूफ़ नहीं। (हिदाया)

मसला:- बाप ने लड़की का उसके शौहर से खुलअ कराया। अगर लड़की बालिग़ है और बाप बदल खुलअ का ज़ामन हो तो खुलअ सही है और अगर नाबालिग़ लड़की का उस लड़की के माल पर खुलअ कर दिया तो सहीह यह है कि तलाक़ हो जायेगी। मगर न तो मेहर साक़ित होगा न लड़की पर माल वाजिब होगा और अगर ना बालिग़ की मां ने अपने माल से खुलअ कराया या ज़ामिन हुई तो खुलअ हो जायेगा और लड़की के माल से कराया तो तलाक़ न होगी। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:- औरत से कहा " मैंने तुझ से खुलअ किया "औरत ने कहा मैंने कुबूल किया'' तो अगर वह लफ़्ज़ शौहर ने ब नीयत तलाक़ कहा था तलाक़ बाईन वाक़ेअ हो गई और मेहर साक़ित न होगा बल्कि अगर औरत ने कुबूल न किया जब भी यही हुक्म है और अगर शौहर यह कहता है कि मैंने तलाक़ की नीयत से न कहा था तो तलाक़ वाक़ेअ न होगी। जब तक औरत कुबूल न करे अगर शौहर ने औरत

से यह कहा था कि फ़लां चीज़ के बदले, मैंने तुम से खुलअ किया तो जब तक औरत कुबूल न करेगी तलाक़ वाकेअ न होगी (कि यह सूरत खुलअ की सूरत है) और औरत के कुबूल करने के बाद अगर शौहर कहे कि मेरी मुराद तलाक़ न थी तो उसकी बात मानी न जायेगी। (खानिया वग़ैरह)

लिआन का बयान

आदमी खुद नेक हो या बद, अच्छा हो या बुरा, ग़ैर मर्द और ग़ैर औरत की बदचलनी देख कर तो सब्र कर सकता है। एराज़ व चशम व पोशी से काम ले सकता है कि न चार की तादाद में मुस्लिम, आकिल, बालिग़, आदिल, चशम दीद तफ़सीली गवाही देने वाले गवाह मयस्सर आयेंगे न यह शरई अदालत में पेश कर सकेगा तो मुंह से किसी तरफ़ बदचलनी की निसबत से फ़ायदा क्या हासिल होगा तो ज़बान पर कुफ़्ल चढ़ाने और मामले को नज़र अन्दाज़ करने के अलावा चारा कार ही क्या है। लेकिन अगर वह खुद अपनी बीवी को बदचलनी की हालत में देख ले तो क्या करें? कत्ल कर दे तो उल्टा सज़ाए कत्ल का मुस्तहिक़ हो। गवाह ढूंढने जाये तो उनके आने तक मुजरिम ठहरा रहेगा। मुंह से बात निकाले तो हदे कज़्फ़ (इल्ज़ामे ज़िना पर शरई सज़ा) जारी हो। चुप रहे तो ग़ैज़ व ग़ज़ब की आग में जलता रहे। सब्र करे तो आखिर कैसे ? तलाक़ देकर औरत को रुखसत कर सकता है। मगर न उस औरत को किसी क़िस्म की माद्दी या अख़्लाक़ी सज़ा मिली न उसके आशना को तो मुआशरा और ज़्यादा खराब। और अगर औरत को नाजायज़ हमल हो तो ग़ैर का बच्चा अलग गले पड़ा।

शरीअत मुतहहरा ने इन हालात के मद्देनज़र तसफ़िया का जो तरीक़ा तजवीज़ किया है उसे इस्लामी कानून की इस्तिलाह में "लिआन" कहते हैं। उसके इजमाली अहकाम सूरह नूर में मज़कूर हैं।

मसला:- मर्द ने अपनी औरत को ज़िना की तोहमत लगाई। इस तरह पर अगर अजनबियह औरत को लगाता तो हद्दे क़ज़फ़ (तोहमते ज़िना की हद) उस पर लगाई जाती यानी औरत आक़िला बालिग़ा मुस्लिमा अफ़ीफ़ा और आज़ाद हो तो लिआन किया जाएगा।

लिआन का तरीक़ा यह है कि क़ाज़ी के रू–बरू पहले शौहर क़सम के साथ चार मर्तबा शहादत दे यानी यह कहे कि "मैं शहादत देता हूं कि मैंने जो इस औरत को ज़िना की तोहमत लगाई उस में ख़ुदा की क़सम मैं सच्चा हूं।" फिर पांचवीं मर्तबा यह कहे कि उस पर ख़ुदा की लानत अगर इस अम्र में कि इस पर ज़िना की तोहमत लगाई झूठ बोलने वालों से हो" और हर बार लफ़्ज़ "इस" से औरत की तरफ़ इशारा करे। इतना करने के बाद मर्द पर से हद्दे क़ज़फ़ साक़ित हो जाएगी और औरत पर लिआन वाजिब होगा। इंकार करेगी तो क़ैद की जाए यहां तक कि लिआन मंज़ूर करे या शौहर के इल्ज़ाम की तस्दीक़ करदे। अगर तस्दीक़ की तो औरत पर ज़िना की हद लगाई जाएगी और लिआन करना चाहे तो औरत को चार मर्तबा यह कहना पड़ेगा कि मैं शहादत देती हूं कि ख़ुदा की क़सम इसने जो मुझे ज़िना की तोहमत लगाई है इस बात में वह झूठा है और पांचवीं मर्तबा यह कहे कि इस पर अल्लाह का ग़ज़ब हो अगर यह मर्द इस बात में सच्चा हो जो मुझे ज़िना की तोहमत लगाई। इतना कहने के बाद औरत से ज़िना की हद साक़ित हो जाएगी। लिआन

में लफ़्ज़ शहादत शर्त है अगर यह कहा कि मैं ख़ुदा की क़सम खाता हूं कि मैं सच्चा हूं तो लिआन न होगा। (आमए कुतुब)

मसला:– लिआन के लिए चंद शर्तें हैं –

१. मर्द व औरत के माबैन निकाह सही हो। (२) ज़ोजियत क़ायम हो (३) दोनों आज़ाद आक़िल बालिग़ मुसलमान हों। (४) उनमें कोई गुंगा न हो। (५) उनमें से किसी पर हद्दे क़ज़्फ़ न लगायी हो। (६) मर्द ने अपने क़ौल पर गवाह न पेश किये हों। (७) औरत ज़िना से इंकार करती हो और अपने आप को पारसा कहती हो। (८) सरीह ज़िना की तोहमत लगायी हो या उसकी जो औलाद उसके निकाह में पैदा हुई उसको कहता हो कि यह मेरी नहीं या जो बच्चा औरत का दूसरे शौहर से है उसको कहता हो कि यह उसका नहीं। (९) औरत क़ाज़ी के पास मुतालबा करे। (१०) शौहर तोहमत लगाने का इक़रार करता हो या दो मर्द गवाहों से उसका इक़रार साबित हो। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:– लिआन का यह हुक्म है कि उससे फ़ारिग़ होते ही उस शख़्स को उस औरत से वती हराम है। मगर फ़क़्त लिआन से निकाह से ख़ारिज न हुई बल्कि लिआन के बाद हाकिमे इस्लाम तफ़रीक़ कर देगा और यह तफ़रीक़ तलाक़ बाईन हो जाएगी। और लिआन के बाद अगर यह दोनों अलहदा होना न भी चाहें जब भी तफ़रीक़ कर दी जाएगी।

मसला:– मर्द और औरत दोनों शहादत के अहल हों और औरत उसपर मुतालबा करे तो मर्द पर लिआन वाजिब हो जाता है अगर वह लिआन से इंकार करे तो उस वक़्त तक क़ैद रखा जाएगा जब तक वह लिआन करे या अपने झूठ का इक़रार। इस सूरत में उस

पर हद कज़्फ लगायी जायेगी।

मसला:– लिआन के बाद तफ़रीक़ हो गई तो औरत इद्दत का नफ़्क़ा व सुकना यानी रहने का मकान पाएगी और इद्दत के अंदर जो बच्चा पैदा होगा वह उसी शौहर का होगा। (दुर्रे मुख्तार, रद्दुलमुहतार)

तम्बीह:– लिआन से मुताल्लिक़ मसाइल की तफ़सील बड़ी किताबों में मज़्कूर है। लेकिन यहां इतना कहना है कि मुसलमान मर्द व औरत आंख खोल कर देखें कि इस्लाम ने मुसलमान मर्द औरत की इज़्ज़त व नामूस की हिफ़ाज़त का किस क़द्र एहतमाम किया है कि किसी की जानिब ज़िना की निसबत करने या उस पर तोहमत रखने वाले पर यह इल्ज़ाम क़रार दिया कि गवाह एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, इकट्ठे चार चार गवाह, वह भी चश्मदीद होना चाहिए पेश करे। अगर उस तादाद में एक की भी कमी रह जायेगी तो उस पर हद जारी न होगी। अल्बत्ता यह तोहमत ज़िना के जुर्म में सज़ा का मुस्तहिक़ होगा। कि वह बिला ज़रूरत ऐसी बात ज़बान से निकाल कर एक मुसलमान की खामख़ाह आबरू-रेज़ी करता और उसकी इज़्ज़त व नामूस को बट्टा लगाता है और जहां लिआन का हुक्म है वहां झूठ की राहें बन्द फ़रमा दें कि महज़ एक का झूठ, दूसरे के लिए अज़ाब न बन सके इस लिए दोनों मर्द औरत को इस क़समाक़समी का पाबन्द बनाया। इस बारे में सख्त एहतिहात की ज़रूरत है।

ज़ोजए मफ़क़ूद का बयान

मसला:– जिस औरत का शौहर लापता हो मालूम नहीं मर गया या ज़िन्दा है तो अगरचे बरसों गुज़र जायें, औरत किसी और मर्द

से निकाह नहीं कर सकती। उस पर लाज़िम है कि सब्र व इंतज़ार करे यहां तक कि उसके शौहर की विलादत को सत्तर बरस गुज़र जायें। मसलन तीस साल की उम्र में लापता हुआ तो औरत चालीस बरस इंतज़ार करे। इस मुद्दत के गुज़र जाने पर काज़ी उस की मौत का हुक्म करे। बाद हुक्म, औरत चार महीने दस दिन इद्दत बैठे। इद्दत गुज़ार कर जिससे चाहे निकाह करे। (फ़तावा रिज़विया) और यह कि ज़रूरियात ज़िन्दगी कहां से मय्यसर होंगी। जवानी कैसे गुज़रेगी एक मोहमल और नाकाबिल कुबूल उज़्र है। उस उज़्र के बाअस हराम को हलाल नहीं ठहराया जा सकता कि हुक्म शरअ के लिए है न कि अपनी ख़्वाहिश नफ़स के लिए। काज़ी इस्लाम के फ़ैसले से पहले यह औरत शौहर वाली है और कु रआन करीम साफ फ़रमा रहा है कि :- وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ यानी तुम पर शौहर वाली बीबीयां हराम की गईं।

बहुत कमसिन लड़कियां कि बेवा हो जाती हैं, हिन्दुओं की रीत में उम्र भर निकाह का नाम नहीं लेतीं और पाक दामनी से ज़िन्दगी बसर करती हैं उस वक़्त ज़रूरत व जवानी किधर चली जाती है। हज़ारों वे हैं जिन के शौहर ज़िन्दा मौजूद हैं। मगर उनकी तरफ़ से कतअन बरगशता दर व गरदां। न नान नफ़्का देते हैं न तलाक़ दे कर उसका पीछा छोड़ते हैं। वह अपनी उम्र क्योंकर गुज़ारती हैं। हम ने खुद देखा कि उनकी पाक दामनी पर, उम्र भर कोई दाग़ न आया। मरते मर गईं मगर किसी को उंगली उठाने का मौका न दिया। बाप दादा की इज़्ज़त सीने से चिमटाये रहीं और खुदा को प्यारी हो गईं। और जिन्हें बिगड़ना ही है वह शौहरों की मौजूदगी के बावजूद बद चलनी में मुलव्विस हो जाती हैं।

ख़ुदा और रसूल की बारगाह में बाज़ पुर्स का ख़ौफ हो तो कदम नहीं डगमगाते और यह जो बाज़ का ज़ोअम है कि शौहर की गुमशुदगी को चार साल गुज़रने पर औरत को निकाह सानी का अख़्तियार इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि के मज़हब में हासिल हो जाता है। महज़ जहल और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि के मज़हब से ना वाकिफी है। उनके यहां भी काज़ी शरअ के रू ब रू औरत के दावा करने और उसके हुक्म से पहले अगर बीस बरस गुज़र जायें तो वह मोतबर नहीं। औरत पहले मुद्दइया हो और काज़ी शरअ तफ्तीश कराये अब साबित हो जाये कि वाकई वह लापता है तो औरत को चार साल की मोहलत दी जाती है। उसके गुज़रने पर काज़ी तफरीक करता है। अब औरत इद्दत गुज़ार कर निकाह कर सकती है और दावा व हुक्म काज़ी न हो तो न तफरीक न निकाह सानी। (फतावा रिज़विया वग़ैरह)

इद्दत का बयान

शौहर के तलाक देने या उस के वफात पा जाने के बाद, औरत का निकाह ममनूअ होना, और एक ज़माना मोअय्यना तक इंतजार करना। इसे इस्तिलाह शरअ में इद्दत कहते हैं। औरत के लिए इस इंतज़ार की मुद्दते मुतअय्यन में बहुत हिक्मतें और मसलहतें हैं। एक तरफ तो शौहर को ठंडे दिल से ग़ौर व फिक्र का पूरा मौका मिल जाता है और तलाक रजई की सूरत में वह रजअत के ज़रिये और बाइन (जबकि मुग़ल्लिज़ा न हो) की सूरत में बज़रिया निकाह वह अपना घर दोबारा आबाद कर सकता है और दूसरी तरफ औरत के हमल की बाबत पूरी तहकीक हो जाती है और दोनों उम्र भर की

एक ख़लिश से महफ़ूज़ रहते हैं और तलाक़ के बाद बेवा का मसला भी कुछ कम अहमियत नहीं रखता। बेवा के साथ दुनिया के किसी दूसरे मज़हब ने कोई ख़ास तवज्जोह बरती ही नहीं है बल्कि बाज़ मज़हबों ने तो सती वग़ैरह को जायज़ करके बेवा को ज़िन्दा ही जला दिया है। इस्लाम ने बेवा को ज़िन्दा रहने, पूरी तरह ज़िन्दा रहने, सुहागनों की तरह ज़िन्दा रहने का हक़ अता किया। अलबत्ता उसे इसका पाबन्द बनाया कि वह ज़माना इद्दत में बाहर न निकले, बनाव सिंगार न करे। हां ज़माना मुतअय्यना गुज़र जाने पर उसे अख़्तियार है कि जिस जायज़ व शरई तौर पर चाहे अपनी ज़िन्दगी गुज़ारे, इद्दत वफ़ात में सिर्फ़ यही मक़सूद नहीं कि औरत का हामला, ग़ैर हामला होना मालूम हो जाये बल्कि शौहर की मौत का सोग भी है।

मसला:- हाईज़ा, ग़ैर हाईज़ा, हामला, ग़ैर हामला, सग़ीरा, कबीरा, मदख़ूला, ग़ैर मदख़ूला के लिए इद्दत के अहकाम जुदागाना हैं जिनकी तफ़सील बड़ी किताबों से मालूम करें या सुनें। उलमाए किराम की तरफ़ मुतवज्जोह हों। हम ज़रूरी व अहम मसाइल पर इकतिफ़ा करते हैं।

मसला:- निकाह फ़ासिद होने के बाद उस वक़्त इद्दत है कि शौहर का इंतकाल हुआ हो या ख़िलवत सहीहा हुई हो। ज़ानिया के लिए इद्दत नहीं अगरचे हामला हो और यह निकाह कर सकती है मगर जिस ज़माने से हमल है उसके सिवा दूसरे से करे तो जब तक बच्चा पैदा न हो वती जायज़ नहीं। और जिस का हमल है उसी से निकाह करे तो शौहर वती भी कर सकता है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- तलाक़ की इद्दत जबकि औरत मदख़ूला हो या ख़िलवत वाक़ेअ हो चुकी हो और औरत को हैज़ आता हो और उसे हमल

भी न हो बाअल्फ़ाज़े दीगर हाईज़ा व मद ख़ूला ग़ैर हामला की इद्दत, पूरे तीन हैज़ हैं।

मसलाः– तलाक़ की इद्दत ग़ैर मदख़ूला पर असलन नहीं अगरचे कबीरा हो।

मसलाः– तलाक़ व फ़सख़े निकाह की सूरत में, ग़ैर हैज़ वाली के लिए इद्दत, तीन महीने हैं ख़्वाह औरत नाबालिग़ा सग़ीरा हो कि अभी हैज़ आया ही नहीं। या कबीरा आईसा (जो सन् अयास को पहुंच चुकी यानी) अब उम्र हैज़ की न रही। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसलाः– अगर तलाक़ या फ़सख़ चान्द की पहली तारीख़ को हो अगरचे अस्र के वक़्त तो चान्द के हिसाब से तीन महीने वरना हर महीना तीस दिन का क़रार दिया जाये यानी इद्दत के कुल दिन नव्वे होंगे। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसलाः– तलाक़ की इद्दत वक्त तलाक़ से है। अगरचे औरत को इसकी इत्तला न हो शौहर ने उसे तलाक देदी है और तीन हैज़ आने के बाद मालूम हुआ तो इद्दत ख़त्म हो चुकी। (जोहरा नीयरह)

मसलाः– मर्द तलाक़ देकर मुकर गया। औरत ने क़ाज़ी के पास दावा किया और गवाहों से तलाक़ देना साबित कर दिया और क़ाज़ी ने दोनों में अलहदगी का हुक्म दिया तो इद्दत वक़्त तलाक़ से है। उस वक़्त से नहीं। (आलमगीरी)

मसलाः– हैज़ की हालत में तलाक़ दी तो यह हैज़ इद्दत में शुमार न होगा तलाक़ की इद्दत (हाईज़ा के लिए) तीन हैज़ कामिल हैं यानी तलाक़ के बाद एक नया हैज़ आये फिर दूसरा, फिर तीसरा, जब यह तीसरा हैज़ ख़त्म होगा उस वक़्त इद्दत से निकलेगी और उसे जिससे चाहे निकाह करना जायज़ होगा। (आमए कुतुब व फ़तावा रिज़विया)

मसला:- औरत हामला है तो इद्दत वज़ओ हमल है। इद्दत ख़्वाह तलाक़ की हो या वफ़ात की और वज़अ हमल से इद्दत पूरी होने के लिए कोई खास वक़्त मुकर्रर नहीं मौत या तलाक़ के बाद जिस वक़्त बच्चा पैदा हुआ हो इद्दत खत्म हो जायेगी अगरचे एक मिनट बाद। (जोहरा नीयरह)

मसला:- हमल साकित हो गया और आज़ा बन चुके हैं तो इद्दत पूरी हो गई वरना नहीं और अगर दो या तीन बच्चे एक हमल से हुए तो पिछले के पैदा होने से इद्दत पूरी हो जायेगी। (जोहरा नीयरह)

मसला:- वफ़ात की इद्दत चार महीने दस दिन है यानी दसवीं रात भी गुज़रे औरत ख़्वाह सग़ीरा हो या कबीरा, मदखूला हो या ग़ैर मदखूला या अगरचे शौहर नाबालिग़ हो। मगर इस इद्दत में शर्त यह है कि औरत को हमल न हो। (जोहरा नीयरह)

मसला:- शौहर की वफ़ात पहली तारीख को हो तो चान्द से महीने लिए जायें वर्ना आज़ाद औरत के लिए एक सौ तीस दिन यानी हर महीना तीस दिन का क़रार दिया जाये जैसा कि इद्दत तलाक़ ग़ैर हाईज़ा में गुज़रा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

ज़रूरी निहायत ज़रूरी

इद्दत में निकाह हराम कतई है बल्कि निकाह तो बड़ी चीज़ है कुरआन अज़ीम ने इद्दत में निकाह के सरीह पैग़ाम को भी हराम फरमाया। बल्कि इद्दत गुज़रने के बाद निकाह के वादा को भी हराम फरमाया......................................सिर्फ इसकी इजाज़त दी है कि दिल में ख्याल रखो या कोई पहलूदार बात ऐसी कहो जिससे बाद इद्दत इरादा निकाह का इशारा निकलता हो। साफ़ साफ़ यह ज़िक्र

न हो कि मैं बाद इद्दत तुझ .... चाहता हूं। यहां तक कहना भी हराम है तो खुद निकाह कर लेना क्योंकर हलाल होगा। फिर पहलूदार बात भी इद्दत वफ़ात वाली से कहना जायज़ है। इद्दत तलाक़ वाली से बिजमाअ उम्मत वह भी जायज़ नहीं।

यूंही जब तक शौहर ज़िन्दा है अगरचे न वह औरत की ख़बर गीरी करता है न नान नुफ़्क़ा देता है न बावजूद मुतालबा उसे तलाक़ देता है। अगरचे वह किसी औरत से निकाह कर चुका है औरत के लिए दूसरा निकाह करना हराम हराम हराम, ज़िना ज़िना ज़िना है।

और यह वसवसे कि औरत को कोई खाना कपड़ा देने वाला नहीं है न उसे कोई क़र्ज़ देता है न उसके पास कोई असासा है कि उसे फ़रोख़्त करके बसर औक़ात करे। न वह दस्त कार है कि उसकी उजरत से अपनी ज़रूरीयात पूरी कर सके अगर निकाह सानी न करेगी तो ज़िनाकारी में मुबतला हो जायेगी, महज़ शैतानी वसवसे और ला यानी ख़तरे हैं ज़िना के आईन्दा वहम से बचने के लिए, नाम निकाह की आड़ में ज़िना कराओ यह कौन सा दीन है।

अज़ीज़ बीबीयो! रिज़्क़ अल्लाह पर है। शौहर राज़िक़ नहीं और उसका वादा है कि जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए राह निकाल देगा। और उसे वहां से रिज़्क़ पहुंचायेगा कि उसे गुमान भी न होगा''। और बेशक अल्लाह सच्चा और उसके वादे सच्चे। और शैतान झूठा उसके डरावे झूठे।

मसला:- औरत को शौहर से जुदा हुए ख़्वाह कितनी ही मुद्दत क्यों न गुज़र जाये। बहुक्म कुरआन इद्दत ज़रूरी है।

मसला:- जो औरत तलाक़ रजई या बाईन की इद्दत में है उसे

घर से निकलने की इजाज़त नहीं न दिन में न रात में जबकि वह आज़ाद आकिला बालिग़ा मुस्लिमा हो अगरचे शौहर ने उसे निकलने की इजाज़त भी दी हो और नाबालिग़ा लड़की तलाक़ रजई की इद्दत में शौहर की इजाज़त से बाहर जा सकती है। बग़ैर इजाज़त नहीं। और बाईन तलाक़ की इद्दत में ना बालिग़ होने के क़रीब है तो बग़ैर इजाज़त नहीं जा सकती। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– तलाक़ की इद्दत, ख़त्म होने तक नान नुफ़क़ा शौहर के ज़िम्मा है और औरत शौहर ही के मकान में इद्दत पूरी करेगी जबकि क़ब्ल अज़ तलाक़ वही मकान उसके रहने का था। ज़वाल निकाह के बाअस बिल्कुल ग़ैर अजनबी औरत की तरह रहे और शौहर से पर्दा करे। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:– शौहर तलाक़ के बाद औरत को ज़ुलमन अपने घर में न रहने दे तो कोई और मकान बताए जिस में वह इद्दत पूरी करे और अगर वह मकान किराया का है तो तमाम इद्दत तक किराया शौहर के ज़िम्मे है और जब शौहर अपने मकान में रहने दे या दूसरा मकान उसके लिए बनाये तो औरत पर लाज़िम है कि फ़ौरन उस मकान में से चली जाये और ख़त्मे इद्दत तक हरगिज़ उससे बाहर न आये। (रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

तम्बीह:– यह हैं इस्लामी शरीअत में हक़ुक़ निस्रवां की मिसालें, कि मियां बीवी में जुदाई के बाद भी शरीअत का हुक्म है कि इद्दत भर बीवी का एजाज़ व इकराम बरक़रार रखा जाये मुतल्लिक़ा बीबीयों की सकूनत के लिए मकान ही देना नहीं बल्कि इद्दत भर उनके खाने पीने वग़ैरह के ज़रूरी मसारिफ़ भी शौहर के जिम्मा हैं यह न हो कि तलाक़ के बाद औरत को नंगा बूचा कर के भूखा प्यासा उसी

वक़्त घर से निकाल दिया जाये।

मसला:- औरत अपने शौहर की इजाज़त से वालदैन के घर गई। उसके पीछे उसके शौहर का इंतक़ाल हो गया तो उस पर फ़र्ज़ है कि अपने शौहर की खबर मर्ग सुनते ही फ़ौरन उसके घर यानी जहां वह रहता था चली जाए और ख़त्मे इद्दत तक वहीं रहे। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:- वफ़ात की इद्दत में नफ़्क़ा वाजिब नहीं। ख़्वाह औरत को हमल हो या नहीं। उसके देने से शौहर के दूसरे वरसा इन्कार करें तो बेशक बजा है। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:- जो औरत बे इजाज़त शौहर, घर से चली जाया करती है इस बिना पर उसे तलाक़ दे दी तो इद्दत का नफ़्क़ा नहीं पायेगी। हां अगर बाद तलाक़, शौहर के घर रही और बाहर जाना छोड़ दिया तो पायेगी। (आलमगीरी)

बच्चा की परवरिश का बयान

माल व मताअ ज़िन्दगी की मुहब्बत बाज़ औक़ात इंसान पर ऐसी ग़ालिब आ जाती है कि अपने अहल व अयाल व औलाद पर भी माल खर्च करना उसे गवारा नहीं होता। यहां तक ज़मानए जिहालत में औलाद पर खर्च करने के मुक़ाबला में औलाद को क़त्ल कर डालना तक गवारा कर लिया जाता था। शरीअत इस्लामिया ने उस शजरे खबीस की भी जड़ काट दी और बार बार बा ताकीद यह अहकाम दिए कि जो अमीर हैं वह अपनी इमारत के लायक़ और जो ग़रीब हैं वह अपनी बिसात के मुवाफ़िक़ औलाद की तरबियत व परवरिश में दरेग़ न करें।

इस सिलसिला के बाज़ अहकाम यह हैं:-

मसला:- बच्चे की परवरिश का हक़ मां के लिए है। ख़्वाह वह निकाह में हो या निकाह से बाहर हो गई हो। हां अगर वह बदचलन है तो बच्चा उसकी परवरिश में उस वक़्त तक रहेगा कि नासमझ हो जब कुछ समझने लगे तो अलहदा कर लें कि बच्चा मां को देख कर वही आदतें अख़्तियार करेगा जो उसकी मां में हैं। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:- अगर बच्चे की मां ने बच्चा के नसब में ग़ैर मेहरम से निकाह कर लिया तो उसे परवरिश का हक़ न रहा। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- अगर बच्चे की मां दूध पिलाने से इंकार करे और बच्चा दूसरी औरत का दूध न लेता हो मुफ़्त कोई दूध नहीं पिलाती और बच्चा या उसके बाप के पास माल नहीं तो मां दूध पिलाने पर मजबूर की जायेगी। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- मां की परवरिश में बच्चा हो और वह उसके बाप के निकाह या इद्दत में हो तो परवरिश का मुआवज़ा नहीं पायेगी। वरना उसका भी हक़ ले सकती है और दूध पिलाने की उजरत और बच्चा का नफ़क़ा भी, और अगर उसके पास रहने का मकान न हो तो यह भी। और बच्चे को ख़ादिम की ज़रूरत हो तो यह भी। और यह सब इख़राजात अगर बच्चे का माल हो तो उससे दिये जायें वरना जिस पर बच्चे का नफ़क़ा है उसके ज़िम्मा यह सब भी हैं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- मां अगर न हो या परवरिश की अहल न हो या उसने इंकार कर दिया या अजनबी से निकाह कर लिया तो अब हक़ परवरिश

नानी के लिए है। यह भी न हो तो नानी की मां, इसके बाद दादी, फिर हक़ीक़ी बहन, फिर मादरी बहन यानी जो उस बच्चे से सिर्फ़ मां में शरीक हो और बाप में जुदा फिर सौतेली बहन फिर हक़ीक़ी और मादरी बहनों की बेटियां। फिर सगी ख़ाला, फिर मादरी ख़ाला, फिर सौतेली ख़ाला, फिर सौतेली भांजी या सौतेली बहन की बेटी फिर सगी भतीजी, फिर मां शरीक भाई की बेटी फिर सौतेले भाई की बेटी, फिर इसी तरतीब से फूफियां।

फिर मां की ख़ाला, फिर बाप की ख़ाला, फिर मां की फूफियां, फिर बाप की फूफियां और इन सब में भी वही तरतीब है कि पहले हक़ीक़ी फिर अख़यानी, फिर सौतेली यह सब मिल कर बत्तीस औरतें हैं।

और अगर कोई औरत परवरिश करने वाली न हो या हो मगर उस का हक साक़ित हो तो हक़्क़े परवरिश, ब तरतीब विरासत बच्चे के मर्द असबात को है उनमें सबसे मुक़द्दम बाप है फिर दादा, फिर सगा भाई, फिर सौतेला भाई, फिर सगा भतीजा, फिर सौतेला फिर सगा चचा फिर सौतेला, फिर चचा के बेटे, मगर लड़की को चचा ज़ाद भाई की परवरिश में न दें। ख़सूसन जब कि मुश्तहाता (क़ाबिल शहवत) हो।

और अगर असबात भी न हों तो हक़ परवरिश ज़विल अरहाम को है। असबा मर्दों के होते हुए नाना मामू वग़ैरहम को हक़ परवरिश हासिल नहीं और उन बत्तीस औरतों में से जिन्हें हक़ परवरिश हासिल है, किसी औरत के होते बच्चे के बाप दादा पर दादा चचा वग़ैरह असबात को परवरिश का हक़ नहीं। (फ़तावा रिज़वियह रद्दुलमुहतार वग़ैरहुमा)

मसला:– जिस औरत को हक्के परवरिश हासिल है, उसके पास लड़के को उस वक़्त तक रहने दें कि अब उसे उसकी हाजत न रहे यानी आप खाना पीना, पहनना और इस्तिंजा कर लेता हो। इस की मिक्दार सात बरस की उम्र है और लड़की उस वक़्त तक औरत की परवरिश में रहेगी कि हद्दे शहवत को पहुंच जाये इसकी मिक्दार नौ बरस की उम्र है। (खानिया बहर्रराइक वग़ैरहुमा)

मसला:– लड़का बालिग़ न हुआ मगर काम के क़ाबिल हो गया है तो उसे किसी काम में लगाने या काम सिखाने या नौकरी व मज़दूरी के क़ाबिल हो और बाप उससे नौकरी या मज़दूरी कराना चाहे तो इन सब से मुक़्क़दम यह है कि बच्चों को कुरआन करीम पढ़ायें। दीन की ज़रूरी बातें सिखायें, नमाज़ रोज़ा तहारत, खरीद व फ़रोख़्त और दीगर मामलात के मसाइल जिन की रोज़ मर्रा हाजत पड़ती है, उनकी तालीम दें और नावाक़िफ़ी के बाअस, खिलाफ़ शरअ बातों में मुबतला होने से बचायें कि उसी में दीन व दुनिया का भला है और उसी में खुदा व रसूल की खुशनूदी।

यूंही लड़की को भी अक़ाइद अहले सुन्नत व जमाअत और ज़रूरी मसाइल सिखाने के बाद किसी औरत से सीना पिरोना, काढ़ना और नक़्श व निगार वग़ैरह ऐसे काम सिखायें जिनकी औरतों को अक्सर ज़रूरत पड़ती है और खाने पकाने और खानादारी के कामों में उसे सलीक़ा मन्द और सघड़ बनाने की कोशिश करें कि सलीक़ा वाली औरत जिस खूबी से ज़िन्दगी बसर कर सकती है, बदसलीक़ा नहीं कर सक़ती। आज की सही तरबियत पर आइन्दा की खुश हाल ज़िन्दगी का बड़ा दारो मदार है।

मसला:– लड़की को नौकर न रखायें जिसके पास नौकर रहेगी

ऐसा भी होगा कि मर्द के पास तन्हा रहे और यह बड़ी ऐब की बात है। (रददुल मुहतार) तन्हा लड़की का किसी ग़ैर के साथ रहना ऐसा है जैसे आग बारूद कि ज़रा देर में भड़क सकती है और लड़की का भड़कना उसकी तबाही व बरबादी है।

मसला:– लड़का सात बरस और लड़की नौ बरस की उम्र तक जिन औरतों के पास रखे जायेंगे अगर उन में कोई बेतन्ख़्वाह न माने और बच्चा नादार, बाप मालदार है तो जबरन तन्ख़्वाह दिलाई जायेगी और उस उम्र के बाद बच्चे को अपनी हिफ़ाज़त में लेना बाप पर वाजिब है अगर न लेगा तो हाकिम मजबूर करेगा। (रददुलमुहतार)

मसला:– जब परवरिश का ज़माना पूरा हो चुका और बच्चा बाप के पास आ गया तो बाप पर यह वाजिब नहीं कि बच्चे को उस की मां के पास भेजे, न परवरिश के ज़माने में मां पर बाप के पास भेजना लाज़िम था। हां अगर एक के पास है और दूसरा उसे देखना चाहता है तो देखने से मना नहीं किया जा सकता। (दुर्रे मुख़्तार)

नफ़क़ा का बयान

नफ़क़ा से मुराद खाना कपड़ा और रहने का मकान है और किस का नफ़क़ा, किस पर, कितना और किन हालात में लाज़िम व ज़रूरी है। शरीअत मुतहहरा ने उसे तफ़सील से बयान फ़रमाया और बताया कि नफ़क़ा वाजिब होने के तीन सबब हैं।

१. ज़ोजियत यानी मियां बीबी का रिश्ता (२) नसब (३) मिल्क हम यहां सिर्फ़ ज़ोजियत और नसब से मुतअल्लिक़ चन्द मसाइल पर इक्तिफ़ा करते हैं

मसला:– जिस औरत से निकाह सहीह हुआ उसका नफ़क़ा शौहर पर वाजिब है अगरचे वह नाबालिग़ हो मगर नाबालिग़ में शर्त यह है कि जिमाअ की ताक़त रखती हो या मुशतहाता हो कि हद शहवत को पहुंच जाये और शौहर की जानिब कोई शर्त नहीं अगरचे सग़ीरुलसिन कमसिन हो। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– हम बिस्तरी के बाद अगर औरत शौहर के यहां आने से इंकार करती है तो अगर मेहर मुअज्जल का मुतालबा करती है कि दे दो तो चलूं तो नुफ़्क़ा की मुस्तहिक़ है वरना नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– जिस मकान में औरत रहती है वह उसकी मिल्क है और शौहर का आना वहां बन्द कर दिया तो नुफ़क़ा नहीं पायेगी। हां अगर उसने शौहर से कहा कि मुझे अपने मकान में ले चलो या मेरे लिये किराया का कोई मकान ले दो और शौहर न ले गया तो नफ़क़ा की मुस्तहिक़ है कि क़सूर शौहर का है। (आलमगीरी)

मसला:– औरत शौहर के घर बीमार हुई या मैके में थी और बीमार होकर उसके यहां गई या अपने ही घर रही मगर शौहर के यहां जाने से इंकार न किया तो नुफ़्क़ा वाजिब है और अगर शौहर के यहां बीमार हुई और अपने मैके चली गई और अगर इतनी बीमार है कि डोली वग़ैरह पर भी नहीं आ सकती तो नुफ़्क़ा की मुस्तहिक़ है और अगर आ सकती है मगर नहीं आई तो नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– औरत शौहर के यहां से नाहक़ चली गई तो नफ़्क़ा नहीं पायेगी जबकि वापस न आये और अगर उस वक़्त वापस आई कि शौहर मकान पर नहीं बल्कि परदेस चला गया है जब भी नुफ़्क़ा की मुस्तहिक़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– अगर मर्द और औरत दोनों मालदार हों तो नफ़्क़ा

मालदार का सा होगा और दोनों मोहताज हों तो मोहताजों का सा। और एक मालदार है दूसरा मोहताज तो औसत दर्जे का यानी मोहताज जैसा खाते हों उससे उम्दा और अग़नीया (मालदार) जैसा खाते हों उससे कम। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– नुफ़्क़ा का तअय्युन रुपयों से नहीं किया जा सकता कि हमेशा इतने ही रुपये दिये जायें इसलिए कि नर्ख़ बदलता रहता है। अरज़ानी और गिरानी दोनों के मसारिफ़ यकसां नहीं हो सकते। (आलमगीरी)

मसला:– औरत जब रुख़सत होकर आई तो उसी वक़्त से शौहर के ज़िम्मे उसका लिबास है। अगरचे औरत के पास कितने ही जोड़े हों। (रद्दुलमुहतार)

मसला:– साल में कम अज़ कम दो जोड़े देना वाजिब है। हर शशमाही पर एक जोड़ा। मगर इसका लिहाज़ ज़रूरी है कि अगर दोनों मालदार हों तो मालदारों के से कपड़े हों और मोहताज वग़ैरह हों तो ग़रीबों के से। और एक मालदार हो एक मोहताज तो औसत हों जैसे खाने में तीनों बातों का लिहाज़ है। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार)

मसला:– लिबास में उस शहर के रिवाज का एतबार है जाड़े गर्मी में जैसे कपड़ों का वहां चलन है वह दे। और अदना मोज़े जो जाड़ों में सर्दी की वजह से पहने जाते हैं यह देने होंगे। (रद्दुलमुहतार)

मसला:– नफ़्क़ा का तीसरा जुज़ सुकना है यानी रहने का मकान कि शौहर रहने के लिए जो मकान दे वह खाली हो यानी शौहर के मुताल्लिक़ीन वहां न रहें और अगर उस मकान में शौहर के मुताल्लिक़ीन रहते हों और औरत ने इसी को अख़्तियार कर लिया

कि सब के साथ रहे तब भी मुज़ायका नहीं जैसा कि आम तौर पर हमारे इतराफ़ व बलाद में दस्तूर है। हां यह लिहाज़ ज़रूरी है कि शौहर के रिश्तेदार उसे नाहक़ ईज़ा न दें। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसला:– औरत अपनी सोत या शौहर के मुताल्लिक़ीन के साथ रहना नहीं चाहती तो अगर मकान में कोई ऐसा दालान उसको देदे जिसमें दरवाज़ा हो और औरत उसे बन्द कर सकती हो कि उस का सामान महफ़ूज़ रहे तो अब दूसरा मकान तलब करने का उसे अख़्तियार नहीं। बशर्तेकि शौहर के रिश्तेदार, औरत को तकलीफ़ न पहुंचाते हों। (आलमगीरी, रद्दुलमुहतार)

मसला:– औरत तन्हा मकान चाहती है और शौहर मालदार है तो उसे ऐसा मकान दे जिसमें पाख़ाना गुस्ल ख़ाना, बावरची ख़ाना वग़ैरा ज़रूरीयात अलहदा हों और ग़रीबों में ख़ाली एक कमरा दे देना काफ़ी है। अगरचे गुस्ल ख़ाना वग़ैरह मुशतर्का हो। (रद्दुलमुहतार)

मसला:– यह बात ज़रूरी है कि औरत को ऐसे मकान में रखे जिस के पड़ौसी सालिहीन हों कि फ़ासिक़ों बदचलनों में ख़ुद भी रहना अच्छा नहीं कि ऐसे मक़ाम पर औरत का होना। अगर मकान बहुत बड़ा हो कि औरत वहां तन्हा रहने से घबराती और डरती है तो वहां कोई ऐसी नेक औरत रखे जिससे दिल बसतगी हो और जी बहलता रहे या औरत को कोई दूसरा मकान दे जो इतना बड़ा न हो और उस के हमसाया नेक लोग हों। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:– औरत के वालदैन हर हफ़्ता में एक बार अपनी लड़की के यहां आ सकते हैं शौहर मना नहीं कर सकता। हां अगर रात में वहां रहना चाहते हों तो शौहर को मना करने का अख़्तियार है।

यूंही औरत अपने वालदैन के यहां हर हफ़्ता में एक बार जा सक्ती है मगर रात बग़ैर इजाज़त अपने शौहर वहां नहीं रह सकती और गैरों के यहां जाने या उनकी इयादत करने या शादी वगैरह तक़रीबों में शिर्कत से मना कर दे औरत बग़ैर इजाज़त जायेगी तो गुनाहगार होगी और इजाज़त से गई और वहां पर्दा का ख्याल न रखा और शौहर को यह बात मालूम है तो दोनों गुनहागार हुए। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:– जिस काम में शौहर की हक् तल्फ़ी न होती हो न उसमें कोई नुक़्सान हो अगर औरत घर में वह काम कर लिया करे जैसे कपड़ा सीना पिरोना काढ़ना या ऐसे ही और दूसरे काम जिन के लिए घर से बाहर न जाना पड़े तो ऐसे कामों से मना करने की हाजत नहीं। ख़सूसन जबकि शौहर घर न हो कि इन कामों से जी बहलता रहेगा और बेकार बैठेगी तो वसवसे और ख़तरे पैदा होते रहेंगे और लायानी व फ़ुजूल बातों में मशग़ूल होगी। (रद्दुलमुहतार)

मसला:– नाबालिग़ औलाद का नफ़्क़ा बाप पर वाजिब है जब कि औलाद की मिल्क में माल न हो और बालिग़ बेटा अगर अपाहिज या मजनू या नाबीना हो कमाने से आजिज़ हो और उसके पास माल न हो तो उस का नुफ़्क़ा भी बाप पर है और लड़की जबकि माल न रखती हो और शादी शुदा भी न हो तो उसका नफ़्क़ा बहरहाल बाप पर है अगरचे उसके आज़ा सलामत हों और लड़की जब जवान हो गई और उसकी शादी कर दी तो अब शौहर पर नफ़्क़ा है बाप सबुकदोश हो गया। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:– अगर बाप मुफ़लिस है तो कमाये और बच्चों को खिलाये और कमाने से भी आजिज़ है मसलन अपाहिज है तो दादा के जिम्मे नफ़्क़ा है कि ख़ुद बाप का नफ़्क़ा भी इस सूरत में

उसी के ज़िम्मे है। (रद्दुल मुहतार)

मसला:- किसी शख़्स के मसलन दो बेटे हैं एक फ़क़्त मालिके निसाब है और दूसरा बहुत मालदार है तो नफ़्क़ा दोनों पर बराबर बराबर है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- मां का नुफ़्क़ा भी बेटे पर है अगरचे अपाहिज न हो, अगर बेटा नादार हो यानी जबकि वह बेवा हो और अगर निकाह कर लिया है तो उसका नफ़्क़ा शौहर पर है और अगर उसके बाप के निकाह में है और बाप और मां दोनों मोहताज हों तो दोनों का नफ़्क़ा बेटे पर है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसला:- बेटा अगर मां बाप दोनों को नफ़्क़ा नहीं दे सकता मगर एक का दे सकता है तो मां ज़्यादा मुसतहिक़ है। और अगर वालदैन में से किसी का पूरा नफ़्क़ा न दे सकता हो तो दोनों को अपने साथ खिलाए जो खुद खाता पीता पहनता हो उसमें से उन्हें भी खिलाए पिलाये और पहनाये।

मसला:- बाप बेटा दोनों नादार हैं मग़र बेटा कमाने वाला है तो बेटे को हुक्म दिया जाएगा कि बाप को भी हमराह ले ले जबकि तन्हा हो और अगर बाल बच्चों वाला है तो मजबूर किया जायेगा कि बाप को भी हमराह ले ले। (आलमगीरी)

मसला:- जो रिश्तेदार महारम हों (यानी वह कि उनसे निकाह हमेशा के लिए हराम है) उनका भी नुफ़्क़ा वाजिब है जबकि हाजतमन्द हों या नाबालिग़ या औरत और रिश्तेदार बालिग़ मर्द हो तो यह भी शर्त है कि वह कमाने से आजिज़ हो मसलन दीवाना है या उस पर फ़ालिज गिरा है या अपाहिज है या नाबीना। और यह आजिज़ न हो तो वाजिब नहीं अगरचे मोहताज हो और औरत में बालिग़ नाबालिग़

की क़ैद नहीं बल्कि अगर कमाने पर क़ादिर है जब भी नफ़्क़ा वाजिब है।

मसला:– हां अगर वह कोई काम करती है जिससे उसका ख़र्च चलता है तो अब उस का नुफ़्क़ा रिश्तेदार पर फ़र्ज़ नहीं। यूंही अन्धा वग़ैरह भी कमाता हो तो अब किसी और पर उसका नफ़्क़ा फ़र्ज़ नहीं। (रद्दुलमुह्तार)

मसला:– औरत का शौहर तंग दस्त है और भाई मालदार है तो भाई को ख़र्च करने का हुक्म दिया जायेगा। फिर जब शौहर के पास माल हो जाये तो वापस ले सकता है।

मसला:– क़रीबी रिश्तेदार ग़ायब है और दूर वाला मौजूद है तो नफ़्क़ा उस दूर के रिश्तेदार पर वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार)

मजालिसे ख़ैर का बयान

मसला:– मीलाद शरीफ़ यानी हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की विलादते अक़्दस का बयान जायज़ भी है और बहुत सी बरकतों और रह्मतों के नाज़िल होने का आला ज़रिया भी। इस मजलिस पाक में हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के फ़ज़ाइल व मोजिज़ात, आप की सीरत मुबारक, आप की मुबारक ज़िन्दगी के वाक़िआत भी बयान होते हैं। इन चीजों का बयान अहादीस में भी है और कुरआन मजीद में भी। अगर मुसलमानाने अहले सुन्नत अपनी महफ़िल में बयान करें बल्कि ख़ालिस इन बातों के बयान करने के लिए महफ़िलें मुन्अक़िद करें। इसके लिए फ़र्श व रोशनी का अच्छा इन्तज़ाम करें। लोगों को बुलावे दें। इसके लिए तारीख़ मुक़र्रर करें। पढ़ने वाले ख़ुश अल हानी से हम्द व नाअत

पढ़ें तो यह सब बातें जायज़ हैं। इनके नाजायज़ होने की कोई वजह नहीं।

इस मजलिस के लिए लोगों को बुलाना और शरीक करना खैर की तरफ़ बुलाना है जिस तरह वाअज़ और मजलिसों के एलान किये जाते हैं इश्तिहारात छपवाकर तक़सीम किये जाते हैं। अखबारात में उसके मुताल्लिक मज़ामीन शाया होते हैं और उनकी वजह से वह वाअज़ और जलसे नाजायज़ नहीं हो जाते। इसी तरह ज़िक्र पाक साहब लोलाक के लिए बुलावा देने से इस मजलिस को नाजायज़ व बिदअत नहीं कहा जा सकता।

इसी तरह मीलाद शरीफ़ में शीरीनी बांटना भी जायज़ है। मिठाई बांटना नेकी व सिलारहमी है। जबकि यह महफ़िल जायज़ है तो शीरीनी तक़सीम करना जो एक जायज़ काम था इस मजलिस को नाजायज़ नहीं करेगा। और यह कहना कि लोग उसे ज़रूरी समझते हैं इस वजह से नाजायज़ है यह भी गलत है कोई भी उसे फ़र्ज़ या वाजिब व ज़रूरी नहीं जानता। बीसों क्या, ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम बरपा करने वाली कमेटियों के इन्तज़ाम में सैकड़ों महफ़िलें ऐसी होती हैं कि मीलाद शरीफ़ हुआ और मिठाई तक़सीम नहीं हुई।

इस मजलिस में ज़िक्रे विलादत के वक़्त क़ियाम किया जाता है यानी खड़े हो कर दरूद सलाम पढ़ते हैं और नीयत यह होती है कि जब हमारा दरूद सलाम हुज़ूर की बारगाह में पेश हो तो उसी ताज़ीमी हैयात के साथ पेश हो। उलेमाए किराम ने इस क़ियाम को मुस्तहसन और बाअेसे सवाब फ़रमाया। बाज़ बुज़ुरगाने दीन को इस मजलिस पाक में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की ज़ियारत

का शर्फ़ भी हासिल हुआ है। अगरचे यह नहीं कहा जा सकता कि हुज़ूर इस मौक़ा पर तशरीफ़ लाते ही हैं। मगर किसी गुलाम पर अपना करम ख़ास फ़रमायें और तशरीफ़ ले आयें तो उनके करम से कुछ बईद भी नहीं।

मसला:- मजालिसे मीलाद शरीफ़ में या और दूसरी मजलिसों में वही रिवायतें बयान की जायें जो मुसतनद और क़ाबिले एतमाद किताबों में मज़कूर हैं। अफ़साने और गढ़े हुए किस्से हर्गिज़ हरगिज़ बयान न किये जायें कि ख़ैर व बरकत की बजाये ऐसी बातों के बयान करने में और गुनाह होता है। (बहारे शरीअत)

मसला:- औरतें अगर ख़ुद मीलाद शरीफ़ पढ़ें तो इन तमाम बातों के अलावा उन्हें इस बात का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए कि उनकी आवाज़ घर से बाहर न जाये। अजनबियों या ग़ैरमर्दों के कानों में न पहुंचने पाये और जो किताबें पढ़ी जायें या रिवायतें बयान की जायें वह बे सरूपा कहानियां न हों इसी तरह जो नाअतें और हम्द वग़ैरह पर मुशतमिल पढ़ी जायें वह किसी मग़रूर या शायर बे शऊर की न हों कि ऐसों में वह अदब व ताअज़ीम कहां जो उस जनाब पाक के शायाने शान है। न अक़ीदों न शरअ की बातों का ख़्याल होता है। न ख़ुदा और रसूल से शर्म, न बुज़ुरगाने दीन का लिहाज़। यूंही इस अम्र बतौर ख़ास का एहतमाम करें कि औरतें पूरी तवज्जोह से बाअदब इस महफ़िल में शरीक हों यह न हो कि नाम मीलाद शरीफ़ में शिरकत का और कुछ सुनें न सुनायें मीठी मीठी अपनी कचरियां पकायें। अपनी मजलिस अलग जमायें और बे सरूपा बातों में वक़्त गवायें बल्कि ग़ीबत के दरवाज़े खोलें अपने करतूतों पर नज़र न हो दूसरों के आमाल तोलें। वला हौला वलाकुव्वत इल्लाबिल्लाहिल

आलीय्यिल अज़ीम।

मसलाः- खुलफ़ाए राशिदीन रज़िअल्लाहु तआला अन्हुम की वफ़ात की तारीखों में मजलिस मुन्अक़िद करना और उनके हालात व कमालात से मुसलमानों को आगाह करना भी जायज़ है कि वे हज़रात अहले इस्लाम के मुक़तदा व पेशवा हैं। उनकी ज़िन्दगी के कारनामे मुसलमानों के लिए मिस्ले हिदायत हैं और उनका ज़िक्र बाइस ख़ैर व बरकत और सबब नुज़ूल रहमत है।

मसलाः- अशरा मुहर्रम में मजलिस मुन्अक़िद करना और वाक़िआत करबला बयान करना जायज़ है जबकि रिवायात सही ब्यान की जायें। उन वाक़ियात में सब्र व तहम्मुल रज़ा व तस्लीम का बहुत मुकम्मल दर्स है। और पाबन्दी अहकाम शरीअत व एत्तबाअ सुन्नत का ज़बरदस्त अमली सबूत है कि दीन हक़ की हिफाज़त में तमाम अज़ीज़ों रफ़ीक़ों और खूद अपने को राहे खुदा में क़ुर्बान किया और जज़अ फज़अ का नाम भी न आने दिया। मगर उसमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहि अजमईन का भी ज़िक्र ख़ैर होना चाहिए। ताकि अहले सुन्नत और शिओं की मजलिसों में फ़र्क़ व इमतियाज़ रहे।

इन मजालिस में लोग इज़हारे ग़म के लिए सर के बाल बिखेरते हैं कपड़े फाड़ते हैं। सर पर खाक डालते और भूसा उड़ाते हैं। यह सब नाजायज़ है और जाहिलियत के काम हैं सुन्नी मुसलमानों को उन से बचना निहायत ज़रूरी है। अहादीस में उनकी सख्त मुमानिअत आई है। मुसलमान मर्दों और औरतों पर लाज़िम है कि ऐसे उमूर से बचें और ऐसे काम करें जिन से अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु व अलैहि व सल्लम राज़ी हों कि यही निजात का रास्ता है।

अक़ीक़ा और ख़त्ना से मुताल्लिक़ चन्द मसाइल

मसला:- बच्चा पैदा होने के शुक्रिया में जो जानवर ज़िब्ह किया जाता है उसको अक़ीक़ा कहते हैं। हमारे नज़दीक अक़ीक़ा मुबाह व मुस्तहब है। न लाज़िम व ज़रूरी है न सुन्नते मोवक्किदा। यह नहीं कि न करने पर खुदा के यहां गिरफ़्त हो और आदमी पकड़ा जाये या मुजरिम क़रार पाये। हां हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इमाम हसन व इमाम हुसैन रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम की तरफ़ से एक या दो मेंढे का अक़ीक़ा किया। (अबूदाऊद व नसई) तो हमारे लिए भी बाअस बरकत है। उलेमाए किराम फ़रमाते हैं कि बच्चे की सलामती, उसकी नशोनुमा और उस में अच्छे औसाफ़ होना अक़ीक़ा के साथ वाबिस्ता हैं तो जिसे औलाद अज़ीज़ हो वह अक़ीक़ा न छोड़े।

मसला:- जब बच्चा पैदा हो तो मुस्तहब यह है कि दाहिने कान में चार मर्तबा अज़ान और बायें में तीन मर्तबा इक़ामत कही जाये। इन्शाअल्लाहु तआला उससे बलायें दूर हो जायेंगी। बहुत से लोगों में यह रिवाज है कि लड़का पैदा होता है तो अज़ान कही जाती है और लड़की पैदा होती है तो अज़ान नहीं कहते। यह न चाहिए बल्कि लड़की पैदा हो जब भी अज़ान व इक़ामत कही जाये। सातवें दिन उस का नाम रखा जाये और उसका सर मूंढा जाये और सर मुंढने के वक़्त अक़ीक़ा किया जाये कि इधर बच्चा के सर पर उस्तरा चले उधर जानवर की गर्दन पर छुरी। और बालों का वज़न करके इतनी चान्दी, और खुदा दे तो सोना

ख़ैरात किया जाये। (अफ़ादाते रिज़विया, बहारे शरीअत)

मसला:- बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए। हिन्द पाक के मुसलमानों में ऐसे नाम रखने का शौक़ हो गया है जिनके कुछ मायने या उनके बुरे मायने निकलते हैं ऐसे नामों से परहेज़ किया जाये। अन्बियाए अलैहिस्सलातो वस्सलाम के असमाए मुबारक और सहाबा व ताबअीन व बुजरगाने दीन के नाम पर नाम रखना बेहतर है उम्मीद है कि उनकी बरकत शामिले हाल हो। ऐसा नाम रखना जिस का ज़िक्र न कुरआन मजीद में आया हो न हदीसों में हो और न मुसलमानों में ऐसा नाम मुसतअमिल हो, न रखना चाहिए। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:- अक़ीक़ा के लिए सातवां दिन बेहतर है और सातवें दिन न कर सकें तो जब चाहे करें। सुन्नत अदा हो जायेगी। बेहतर यह है कि जिस दिन बच्चा पैदा हो उस दिन को याद रखें उससे एक दिन पहले वाला दिन जब आये वह सातवां दिन होगा। मसलन जुमा को पैदा हुआ तो जुमेरात सातवां दिन है जिस जुमेरात को अक़ीक़ा करेगा। सातवां दिन का हिसाब ज़रूर आयेगा। (बहारे शरीअत वग़ैहर)

मसला:- लड़के के अक़ीक़े में दो बकरे और लड़की में एक बकरी ज़िब्ह की जाये यानी लड़के में नर जानवर और लड़की में मादा मुनासिब है और लड़के के अक़ीक़े में बकरियां और लड़की में बकरा किया जब भी हरज नहीं। लड़के के अक़ीक़ा में दो बकरी की जगह एक ही बकरी किसी ने ज़िब्ह की तो यह भी जायज़ है। और अक़ीक़ा में गाय ज़िब्ह की जाये तो सात हिस्सों में से दो हिस्से लड़के के लिए और एक हिस्सा लड़की के लिए काफ़ी है। गाय की कुर्बानी हुई तो उसमें अक़ीक़ा की शिर्कत हो सकती है। (आलमगीरी)

मसला:- बच्चे का सर मूंढने के बाद सर पर ज़ाफ़रान पीस कर लगा देना बेहतर है। (हदीस)

मसला:- अकीक़ा का जानवर इन्हीं शराईत के साथ होना चाहिए जैसा कुर्बानी के लिए होता है उसका गोश्त फुक़रा अज़ीज़ व करीब और दोस्त अहबाब को कच्चा तक़सीम कर दिया जाये या पका कर दिया जाये या उनको बतौर ज़ियाफ़त व दावत खिलाया जाये यह सब सूरतें जायज़ हैं और अवाम में जो यह बात मशहूर है कि अकीक़ा का गोश्त बच्चे के मां बाप और दादा, दादी, नाना नानी न खायें यह महज़ ग़लत है इसका कोई सबूत नहीं। (आमए कुतुब)

मसला:- अकीक़ा में जानवर ज़िब्ह करते वक़्त यह दुआ पढ़ें-

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ फुलां (बिन्त) इब्न फुलां

(यहां बच्चा और उसके बाप का नाम लें)

دَمُهَا بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لَّهٗ مِنَ النَّارِ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ

लड़की के लिए हे की बजाए हा पढ़े मसलन دَمُهَا بِدَمِهَا وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهَا اِلخ

मसला:- अगर दुआ न पढ़ी और दिल में अकीक़ा की नीयत है। तब भी बच्चे का अकीक़ा हो जायेगा।

मसला:- यह ख्याल महज़ लग़ू और बे असल है कि जिस का अकीक़ा न हुआ हो वह कुर्बानी नहीं कर सकता।

मसला:- बाज़ जाहिल औरतों में दस्तूर है कि बच्चे के सर पर बाज़ औलियाए किराम के नाम की चोटी रखती हैं और उसकी कुछ मीयाद व मुकर्रर करती हैं। उस मीयाद तक कितने ही बार बच्चे का सर मूंढे वह चोटी बरकरार रखती हैं। फिर मीयाद गुज़ार कर

मज़ार पर ले जा कर वह बाल उतारती हैं। यह महज़ बे असल बात है बल्कि जाहिलाना रस्म व बिदअत । हां बच्चा पैदाइश के बाद नहला धुहला सर के बाल घर पर दूर कराकर औलियाए किराम के मज़ारात पर हाज़िर किया जाये। और ले जाने वाले मर्द हों जो वहां जाकर उसके हक़ में दुआ खैर करें तो इन्शाअल्लाहु तआला यह बाअसे बरकत है। (अफ़ादात रिज़वियह)

मसला:- बाज़ जाहिल औरतें लड़कों के कान छिदवाने और बच्चों की चुटिया रखने की नन्नत या और तरह तरह की ऐसी मन्नतें मानती हैं जिनको किसी तरह जायज़ नहीं कहा जा सकता। ऐसी वाहियात मन्नतों से बचें और मान ली हो तो पूरी न करें। और शरीअत के मामले में अपने लगू ख्यालात को दखल न दें। न यह कि हमारे बड़े बूढ़े यूंही करते चले आये हैं और यह कि अगर पूरी न करेंगे तो बच्चा मर जायेगा। बच्चा मरने वाला होगा तो यह नाजायज़ मन्नतें उसे बचा न लेंगी। मन्नत माना करो तो नेक काम, नमाज़ रोज़ा खैरात करने, दरूद शरीफ़, कलिमा शरीफ़ कुरआन मजीद पढ़ने, फ़कीरों को खाना देने और कपड़ा पहनाने वग़ैरह की मन्नत मानो और अपने यहां के किसी सुन्नी आलिम से दरयाफ़्त भी कर लो कि यह मन्नत ठीक है या नहीं। वहाबी या शीआ वगैरह से न पूछना कि वह गुमराह बद दीन हैं वह सही मसला न बतायेंगे बल्कि ऐच पेच से जायज़ अम्र बता बता कर तुम्हें ग़लत रास्ते पर डाल देंगे। (बहारे शरीअत वग़ैरह)

मसला:- अलम और ताज़ीया बनाने, पैक बनने और मुहर्रम में बच्चों को फ़कीर बनाने और बदही पहनाने मर्सिया की मजलिस करने और ताअज़ीयों पर नियाज़ दीलाने वग़ैरह खुराफ़ात जो राफ़ज़ी और

ताअज़ीयादार लोग करते हैं उनकी मन्नत सख़्त जिहालत है ऐसी मन्नत माननी न चाहिए और मानी हो तो पूरी न करे। इन सब से बद तर शेख़ सद्दू का मुर्ग़ा और कढ़ाही है। अल्लाह अपनी अपनी पनाह में रखे। (बहारे शरीअत)

मसला:– ख़त्ना करना सुन्नत है और यह इस्लाम के शआइर में है कि मुस्लिम व ग़ैर मुस्लिम में इमतियाज़ होता है। इसीलिए उर्फ़ आम में इसे मुसलमानी भी कहते हैं ख़त्ना की मुद्दत सात साल से बारह साल की उम्र तक है और बाज़ उलेमा ने फ़रमाया कि पैदाइश से सातवें दिन के बाद ख़त्ना करना जायज़ है। (आलमगीरी) और अमूमन मुसलमानों का अमल भी इसी पर है। बच्चा पैदा ही ऐसा हुआ कि ख़त्ना में जो खाल काटी जाती है वह उसमें नहीं है तो ख़त्ना की हाजत नहीं। (आलमगीरी)

मसला:– सुना जाता बल्कि देखा गया है कि जिस बच्चा में पैदाईशी ख़त्ना की खाल नहीं होती, उसके बाप वग़ैरह औलिया अपने अइज़्ज़ा व अक़रबा को बुलाते हैं और ख़त्ना के क़ायम मक़ाम पान की गिलोरी काटी जाती है। गोया उससे ख़त्ना की रस्म अदा की गई यह एक लग़ू हरकत है जिस का न कुछ हासिल है न फ़ायदा।

मसला:– ख़त्ना की तक़रीब में रिशतेदारों के यहां से जोड़े वग़ैरह आते हैं सेहरे पर रुपये वग़ैरह दिये जाते हैं और जोड़े भी तरह तरह के होते हैं। उनमें से जिन चीज़ों के मुताल्लिक मालूम हो कि बच्चा के लिए मसलन छोटे कपड़े जो बच्चों के लिए मुनासिब हैं यह उसी बच्चे के लिए हैं वरना वालदैन के लिए। (दुर्रे मुख़्तार) और अगर भेजने वाले ने नाम बनाम जोड़े या तोहफे भेजे हैं तो जिस के लिए जो चीज़ आई वही ले सकता है दूसरा नहीं ले सकता। यहां तक कि

मुलाज़मीन के लिए जो जोड़े वग़ैरह आयें वह उन्हीं को दिये जायें। रोकना या किसी और को न देना चाहिए।

ज़ीनत का बयान

मसला:– लड़कियों के कान नाक छिदवाने में हरज नहीं। इसलिए कि ज़मानए रिसालत में कान छिदते थे और उस पर इन्कार नहीं हुआ। (आलमगीरी) बल्कि कान छिदवाने का सिलसिला अब तक जारी है। सिर्फ बाज़ घरानों में नसरानी औरतों की तक़लीद में उसे मौक़ूफ़ कर दिया गया है इसका एतबार नहीं।

मसला:– बाज़ घरानों में लड़कों के भी कान छिदवाते और दुरयां पहनाते हैं यह नाजायज़ है यानी कान छिदवाना भी नाजायज़ और उसे ज़ेवर पहनना भी नाजायज़। (रद्दुलमुहतार)

मसला:– औरतों को हाथ पावं में मेहन्दी लगाना जायज़ है कि यह ज़ीनत की चीज़ है। बे ज़रूरत, छोटे बच्चों के हाथ पावं में मेहन्दी लगाना न चाहिए। (आलमगीरी)

औरतें अपनी चुटियों में पोत और चान्दी सोने के दाने लगा सकती हैं। (आलमगीरी)

मसला:– औरत का अपने शौहर के लिए गहना पहनना, बनाव सिंगार करना अज़ीम सवाब का बाअस और उनके हक़ में नमाज़ नफ़िल से अफ़ज़ल है। एक पारसा बीबी कि वह ख़ुद और उन के शौहर दोनों साहब औलिया किराम से थे। हर शब बाद नमाज़ इशा पूरा सिंगार करके दुल्हन बन कर अपने शौहर के पास आतीं वहीं हाज़िर रहतीं। अगर उन्हें अपनी तरफ़ राग़िब पातीं ख़िदतम बजा लातीं वरना ज़ेवर व लिबास उतार कर मुसल्ला बिछातीं और नमाज़

में मशगूल हो जातीं।

और दुल्हन को सजाना तो मुसलमानों में क़दीम से राईज और बहुत अहादीस से साबित है बल्कि कुंवारी लड़कियों को ज़ेवर व लिबास से आरस्ता रखना कि उनकी मंगनियां आयें यह भी सुन्नत है। बल्कि औरत का कुदरत रखने के बावजूद बिल्कुल बे ज़ेवर रहना मकरूह है कि यह मर्दों से तशब्बा है। उम्मुलमोमिनीन सिद्दीका आयशा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा, औरत का बे ज़ेवर नमाज़ पढ़ना मकरूह जानतीं और फ़रमातीं और कुछ न पाये तो एक डोरा ही गले में बांध ले और बजने वाला ज़ेवर औरत के लिए उस हालत में जायज़ है कि नामहरमों मसलन ख़ाला मामूं, चचा फुफी के बेटों, जेठ देवर, बहनोई के सामने न आती हो। न उसके ज़ेवर की झंकार नामहरम तक पहुंचे। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:– सोने चान्दी के अलावा दूसरी धात की अंगूठी पहनना हराम है मसलन लोहा पीतल तांबा जस्त वग़ैरह। इन धातों की अंगूठियां मर्द व औरत दोनों के लिए नाजायज़ है। फ़र्क़ इतना है कि औरत सोना भी पहन सकती है और मर्द नहीं पहन सकता। और नगीना हर क़िस्म के पत्थर का मर्द औरत दोनों के लिए हो सकता है, अक़ीक़ ज़मर्रुद, याकूत फीरोज़ा वग़ैरह सब का नगीना जायज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– लोहे की अंगूठी पर चान्दी का (औरत के लिए सोने) का खोल चढ़ा दिया कि लोहा बिल्कुल दिखाई न दे उसकी अंगूठी के पहनने की मनाही नहीं। (आलमगीरी) इस से मालूम हुआ कि सोने के ज़ेवरों में जो अन्दर तांबे या लोहे की सलाख रखते हैं और ऊपर से सोने का खोल या पत्तर चढ़ा देते हैं उसकी

पहनना जायज़ है। (बहारे शरीअत)

मसला:- औरतें कि अंगूठी पहनें तो नगीना हाथ की पुशत की तरफ़ रखें कि उनको पहनना ज़ीनत के लिए है और ज़ीनत उसी सूरत में जायज़ है कि नगीना बाहर की जानिब रहे। (हिदाया)

मसला:- हिलते हुए दांतों को सोने के तार से बंधवाना जायज़ है और अगर किसी की नाक कट गई हो तो सोने की नाक भी लगाने की इजाज़त है इन दोनों सूरतों में ज़रूरत की वजह से मर्दों के लिए भी सोने को जायज़ किया गया। क्योंकि चान्दी के तार से दांत बांधे जायें या चान्दी की नाक लगाई जाये तो उससे तअफ़्फ़ुन (बदबू) पैदा होगी। (आलमगीरी) और दांत गिर गया तो उसी दांत को सोने या चान्दी के तार से बंधवा सकता है। दूसरे शख़्स का दांत अपने मुंह में नहीं लगा सकता। (आलमगीरी)

मसला:- घुंगरू वाले ज़ेवरात का इस्तेमाल औरत के लिए मना है। हदीस शरीफ़ में है कि घुंगरू के साथ शैतान होता है और जिस घर में घुंगरू वाले ज़ेवरात इस्तेमाल किये जाते हैं उस घर में फ़रिश्ते नहीं आते। (अबूदाऊद)

मसला:- कहीं कहीं मौसम की तबदीली या मिज़ाज में नुक़्स या किसी बीमारी के बाअस सर के बाल सफेद हो जाते हैं और औरतें वक़्त से पहले ही बूढ़ी मालूम होने लगती हैं ऐसी औरतें शौहर की ख़ुशनूदी और उसकी रग़बत बढ़ाने की नीयत से अगर सियाह खिज़ाब से सर के बाल रंग लें तो इन्शाअल्लाहु तआला उस में हरज नहीं।

मसला:- ऐसे चुस्त कपड़े जिनसे जिस्म का नक़्शा खिंच जाता हो मसलन चुस्त पाजामा में पिन्डली और रान की पूरी हैईत नज़र आती है और उस पर कोई और ढीला कपड़ा शलवार वग़ैरह न हो

तो औरतें ऐसे मौक़ों पर इस्तेमाल न करें कि ग़ैरों की नज़रें उन पर पड़ें। मसलन घर में देवर, जेठ, चचा फूफी मामू ख़ाला के बेटों या ऐसे ही दूर के रिश्तदारों का आना जाना हो या वह मौजूद हों। इसी तरह बाज़ औरतें बहुत ही बारीक कपड़े पहनती हैं मसलन जार्जट आबे रवां या जाली या बारीक मलमल ही का दोपट्टा जिससे सर के बाल या बालों की सियाही या गर्दन या कान नज़र आते हैं या कुरते में से पेट और पीठ बिल्कुल नज़र आती है। इस क़िस्म के कपड़े पहनना भी नाजायज़ है। और मर्दों को इस हालत में उनकी तरफ़ नज़र करना भी हराम है। (आलमगीरी)

मसला:- औरत के दाढ़ी या मुंछ के बाल निकल आयें तो उनका नोचना जायज़ बल्कि मुसतहब है कि कहीं उसके शौहर को उस से नफ़रत न पैदा हो। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- नाख़ुन काटने का एक आसान तरीक़ा जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मरवी है यह है कि दाहिने हाथ की कलिमे की उंगली से शुरू करे और छन्गिलिया पर ख़त्म करे फिर बायें हाथ की छन्गलिया से शुरू करके अंगूठे पर ख़त्म करे उसके बाद दाहिने हाथ के अंगूठे का नाख़ून तराशे या तराशवाये। इस सूरत में दाहिने ही हाथ से शुरू हो और दाहिने पर ही ख़त्म हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- पावं के नाख़ुन तराशने में कोई तरतीब मन्क़ूल नहीं। बेहतर यह है कि पावं की उंगलियों में ख़िलाल करने की जो तरतीब है उसी तरतीब से नाख़ुन तराशे यानी दाहिने पावं की छंगली से शुरू करके अंगूठे पर ख़त्म करे। फिर बायें पावं के अंगूठे से शुरू करके छंगली पर ख़त्म करे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– दांत से नाखुन न काटना चाहिए कि मकरूह है और उसमें मर्ज़ बरस (माअज़अल्ला) पैदा होने का अन्देशा है। (आलमगीरी) और मशहूर है कि इससे बरकत जाती है।

मसला:– हर जुमे को अगर नाखुन न तराश सके तो पन्द्रवें दिन तराशे और उसकी इन्तहाई मुद्दत चालीस दिन है। (हदीस) कुछ लड़कियों में नाखुन बढ़ाने उन्हें नोकीले बनाने और फिर उन पर "नेलपालिश" का फ़ैशन बढ़ता जा रहा है मां बाप और घर के बड़ों को चाहिए कि इस वबा को जो ज़माना जाहिलियत की यादगार है सख्ती से मिटा दें।

मसला:– कंघा करने या सर धोने में जो बाल सर से जुदा हों, यूंही औरत पावं के नाखुन काटे तो औरत पर लाज़िम है कि उन्हें ज़मीन में दफ़न कर दें। या कहीं छुपा दें। या ऐसी जगह डाल दें कि उन पर किसी अजनबी की नज़र न पड़े। (दुर्रे मुख्तार)

मसला:– मोये ज़ेर नाफ़ दूर करना सुन्नत है और बेहतर जुमा के जुमा है और पन्द्रवें दिन करना भी जायज़ है और चालीस रोज़ से ज़ायद गुज़ार देना मकरूह ममनूअ है और गुस्ल ज़रूरी हो तो ऐसी हालत में न बाल मूंढे और न नाखुन तरशवाये कि यह मकरूह है (आलमगीरी) नाक के बाल न उखाड़े कि उससे मर्ज़ आकला पैदा होने का डर है। (आलमगीरी)

मसला:– औरत को सर के बाल कटवाने जैसा कि इस ज़माना में नसरानी औरतें कटवाती हैं ना जायज़ व गुनाह है और उस पर लानत आई। शौहर ने ऐसा करने को कहा जब भी यही हुक्म है कि औरत ऐसा करने में गुनाहगार होगी क्योंकि शरीअत की नाफ़रमानी करने में किसी का कहना न माना जायेगा। (दुर्रे मुख्तार)

आहिस्ता–आहिस्ता यह बला मग़रिबी तहज़ीब के दिलदादा घरानों में फैलती जा रही है और हदीस शरीफ़ में वारिद है कि जो औरत मर्दाना हैयत में हो उस पर अल्लाह की लानत है'' तो यह बाल कटवाती हैं और अल्लाह की लानत में गिरफ़्तार होती हैं।

मसला:– इंसान के बालों की चोटी बना कर औरत अपने बालों में गूंधे यह हराम है हदीस में उस पर लानत आयी बल्कि उस पर भी लानत जिसने किसी औरत के सर में ऐसी चोटी गोंधी। और अगर वह बाल हैं जिसकी चोटी बनायी गई खुद उसी औरत के सर के बाल जिसके सर में जोड़ी गई जब भी नाजायज़ कि बात वही नसारानी औरतों की रीस की हुई और अगर ऊन या सियाह तागे की चोटी बनाकर लगाये तो उसकी मनाही नहीं। सियाह कपड़े का मोबाफ बांधना भी जायज़ है। (दुर्रे मुख्तार)

मसला:– सियाह सुर्मा काजल आंखों में इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं। हां मर्द बमक्सद ज़ीनत न लगायें। (आलमगीरी)

मसला:– मकान में जानवारों की तस्वीर (पूरी हो या आधी या सिर्फ़ चेहरा) लगाना या उसे एजाज़ व ताअज़ीम से रखना यूंही ऐसे पर्दे दरवाज़ों पर डालना जायज़ नहीं। और ग़ैर जानदार की तस्वीर से मकान आरस्ता करना जायज़ है जैसा कि तुग़रे और कतबों से मकान सजाने का रिवाज है। (आलमगीरी) हदीस शरीफ़ में है कि जिबरील अमीन अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ की। हम "मलायका रहमत उस घर में नहीं जाते जिस में कुत्ता या तस्वीर हो। (बुखारी व मुस्लिम)

मसला:– बाज़ घरों में खानदानी बुज़ुर्गों या बुजुर्गाने दीन की मसनवी तस्वीरें दीवारों पर लटकाते या मेज़ वग़ैरह ऐसी चीज़ पर

रखते हैं कि वह नुमायां नज़र आती हैं। यह और भी बुरा और सख़्त तर गुनाह है। बुत परस्ती की इबतदा हुई तो इन्हीं बुज़ुर्गों की तस्वीरों की ताज़ीम से। कुरआन करीम में जो पांच बुतों का सूरः नूह में ज़िक्र फरमाया यह पांचों बन्दगाने सालिहीन थे कि लोगों ने उनके इंतकाल के बाद इब्लीस लईन के बहकावे में आकर उनकी तस्वीरें बनाकर मजलिसों में क़ायम कीं। फिर बाद की आने वाली नसलों ने उन्हें माअबूद समझ लिया और उनकी पूजा पाठ शुरू हो गई। (बुख़ारी)

मसला:- हुजूर सैयदुल बशर अफज़लुस्सल्लातो व अक्मल अस्सलाम के नअल (पापोश) मतहर और रोज़-ए मोअत्तर के नक़्शे मकानों में आवेज़ां करना उन्हें इज़्ज़त व तकरीम से रखना उन्हें बोसा देना, आंखों से लगाना, सर पर रखना, यह सब जायज़ है और दुनिया व आख़िरत में इज़्ज़त व सरूर का बाअस और तकमील ईमान का आला ज़रिया कि जिस चीज़ को महबूबाने खुदा बख़लूस सैय्यदुल महबूबीन ख़ात्मुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ निसबत का शर्फ़ हासिल हो जाता है वह खुद भी मोअज़्ज़म शरई हो जाती है जैसे ग़िलाफ़ काबा की ताअज़ीम व तकरीम सब ही करते चले आ रहे हैं उलेमाए किराम फ़रमाते हैं कि उन नक़्शों में एक फ़ायदा यह है कि जिसे असल रोज़ा आलिया की ज़ियारत न मिले वह उसकी ज़ियारत करले कि यह मिसाल व तस्वीर उस असल के क़ायम मक़ाम है। यूं ही नाले मुकद्दस का नक्शा, असल नालेमुकद्दस का क़ायम मकाम है। यही वजह है कि दलाईलुल ख़ैरात शरीफ़ में रोज़ा-ए अनवर का नक्शा शामिल किया जाता है और सदियों से उलेमा व मशाइख़ का मामूल है। अल्लाह तआला हम मुसलमानों

को हुस्ने अदब अता फ़रमाये। आमीन

मसला:- लड़कियों के लिये गुड़ियों से खेलने की इजाज़त है कि इस बहाने उनमें सीने पिरोने, खाने-पीने और करीने से रहने सहने का शौक़ पैदा होता है। ख़्वाह यह गुड़िया या ऐसे ही दूसरे खिलौने कपड़े के हों या टीन वग़ैरह या किसी धात के या मिट्टी और प्लास्टिक के। लेकिन यह ज़रूर है कि यह चीज़ें खिलौनों की हद तक रहें कि बच्चे फेंके तोड़ें ताकि उनमें बुत शिकनी की आदत पैदा हो। उन्हें शीशे की आलमारी में सजा सजा कर और कमरे की ज़ीनत का समान बनाना किसी तरह जायज़ व दुरुस्त नहीं। यह मसला खूब ज़ेहन नशीन रखें।

अबू दाऊद ने हज़रत आयशा रज़िअल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की। कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम गज़वा तबूक या खैबर से तशरीफ लाये (उस वक़्त आपकी उम्र शरीफ करीबन नौ साल थी। गुड़ियों से खेला करतीं और आपके पास आपकी सहेलियां भी आ जाती थीं) उस वक़्त आपकी गुड़ियां ताक़ में रखी हुई थीं और उन पर पर्दा पड़ा हुआ था। हवा चली और पर्दा हट गया। हज़रत आयशा की गुड़ियां दिखायी दीं तो हुजूर ने फ़रमाया, आयशा यह क्या हैं? अर्ज़ की "मेरी गुड़ियां हैं'' इन गुड़ियों के दर्मियान कपड़े का एक घोड़ा था जिसके दो बाजू थे। हुजूर सल्ल० ने उस घोड़े की तरफ इशारा करके फरमाया कि 'गुड़ियों के बीच में यह क्या है' अर्ज़ की "यह घोड़ा है।'' इर्शाद फ़रमाया "घोड़े के यह क्या हैं?'' अर्ज़ की 'यह घोड़े के बाजू हैं' इर्शाद फरमाया। घोड़े के लिए बाजू? "हज़रत आयशा ने अर्ज़ की'' क्या आपने नहीं सुना है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के बाजू थे। हुजूर सल्ल० ने यह सुनकर

तबस्सुम फरमाया-

इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि लड़की को गुड़ियों से खेलना जायज़ है और यह भी मालूम हुआ कि अगर उन्हें रखना हो तो पर्दे में छुपा दिया जाए ताकि उनपर नज़र न पड़े और उनका शुमार ज़ीनत की चीज़ों में न हो और बच्चों में चूंकि इतनी समझ नहीं होती, इसलिये घर के बड़ों को इसका ख्याल रखना चाहिए। ऐसा न हो कि उनकी ग़फलत से रहमत के फ़रिश्तों से घर महरूम रहे और बरकतें रुखसत हो जायें।

इस्लाहुर्रुसूम

बच्चे की पैदाइश, खतना, अक़ीक़ा, बिस्मिल्लाह ख्वानी, शादी ब्याह और दूसरी तमाम तक़रीबात से लेकर इंसान के आखिरी अंजाम यानी मौत तक मुसलमान घरानों में तरह-तरह की रस्में बरती जाती हैं। हर मुल्क में नयी नयी रस्में हैं और हर क़ौम व खानदान के रिवाज और तरीक़े जुदागाना, रसूम की बुनियाद उर्फ़ पर है। यह कोई नहीं समझता कि यह शरअन वाजिब या सुन्नत या मुस्तहब हैं। लिहाज़ा जब तक किसी रस्म की मनाही, शरीअत, से साबित न हो उस वक़्त तक उसे हराम व नाजायज़ नहीं कह सकते। खींचतान कर उसे ममनूअ करार देना बड़ी ज़्यादती है।

दरअसल शरअ शरीफ़ का एक कुल्लीया क़ायदा यह है कि जिस चीज़ को खुदा और रसूल अच्छा बतायें वह अच्छी है और जिसे बुरा फ़रमायें वह बुरी है। और जिससे सकूत फ़रमायें यानी शरअ से न उसकी खूबी निकली न बुराई कि न उसकी मनाही शरीअत मुतहहरा से साबित है न शरीअत ने उसके करने का हुक्म दिया तो वह चीज़

अबाहते असलीया पर रहती है उसे मुबाह करार दिया जाएगा कि उसके करने में कोई सवाब नहीं और न करने पर कोई अज़ाब व अिताब नहीं। यह क़ायदा हमेशा याद करने का है कि अक्सर काम आयेगा। आजकल मुख़ालिफ़ीन हक़ और अहले सुन्नत व जमाअत से कट कर नई राहों पर चलने वालों मस्लन वहाबियों देवबंदियों ने यह रविश अख़्तियार कर ली है कि जिस चीज़ को चाहा, शिर्क, हराम, बिदअत, ज़लालत कहना शुरू कर दिया। उसपर तुर्रा यह है कि अहले सुन्नत से पूछते हैं कि तुम जो इन चीज़ों को जायज़ बताते हो कुरआन व हदीस में कहां जायज़ लिखा है। हालांकि उन को अपनी खुशफ़हमी से इतनी ख़बर नहीं कि जायज़ कहने वाला किसी दलाइल का मोहताज नहीं। जो नाजायज़ कहें वह कुरआन व हदीस में दिखलायें कि इन अफ़आल को कहां नाजायज़ लिखा है। वरना शरीअत किसी की ज़बान का नाम नहीं कि जिसे चाहे आदमी बे दलील हराम व नाजायज़ व ममनूअ कह दे।

और फ़िरक़ा वहाबिया के मुबल्लिग़ और उनके बही ख़्वाह जो इस क़िस्म के मसाइल में हदीस पेश करते हैं احدث فی امرنا ھذا مالیس منہ فھو ر (यानी जो शख़्स दीन में नई बात पैदा करे वह बात मरदूद है) तो यह महज़ बे महल और मुसलमानों को गुमराह करने का एक बहाना है वरना उनके बड़े यह बात ख़ूब जानते हैं कि बिदअत ज़लालत वही है जो दीन में नयी पैदा हो। और दुनियावी रसूम और आदाब पर हुक्म बिदअत नहीं हो सकता। मसलन अंगरखा व शैरवानी पहनना, बिरयानी, शीरमाल वग़ैरह लज़ीज खाना, आलीशान मकानों बंगलों के नाम तजवीज़ करना और उनमें रहना-सहना दुल्हा को उम्दा पौशाक पहनाना। बना संवार कर पूरे एहतमाम से दुल्हन के

घर ले जाना और उनका जायज़ तरीकों पर इस्तक़बाल करना और खातिर-व-मदारत में पेश-पेश रहना। दुल्हन को ब वक़्त रुख़सत पालकी या मोटर वग़ैरह पर बैठाना। इसी तरह दुल्हन और दुल्हा के सर पर सेहरा बांधना, जबकि सेहरे में नलकियां और पत्ती वग़ैरह न हों कि कोई भी उन चीज़ों को दीनी बात समझ कर नहीं करता। न बग़र्ज़ सवाब उन्हें किया जाता है बल्कि सब एक दुनियावी रस्म ही जान कर करते हैं। हां अगर कोई जाहिल और नावाकिफ महज़ ऐसा हो कि उन्हें दीनी बात जाने और न करने को शरअन बुरा या गुनाह माने तो उस की इस बेहुदा समझ पर एतराज़ सही है।

यूंही दुल्हा व दुल्हन को उबटन मलना, खुशबू लगाना, दुल्हन को माईयों बिठाना और डाल बरी की रस्म के कपड़े वग़ैरह भेजे जाते हैं नाजायज़ है। इसी तरह दुल्हा व दुल्हन के गलों में खालिस फूलों के हार पहनाना कि उन में फूलों से बस इतनी बात ज़ायद है कि उन्हें एक डोरे में पिरो लिया है और गले में डालना खुशबू से खुद फ़ायदा लेना और अपने साथियों को फ़रहत पहुंचाता है और खुशबू लगाना सुन्नत है और खुशबू की चीज़ें फूल पत्ती वग़ैरह रसुलूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बारगाह में पंसन्द हैं और फूल अगर हाथ में लिये रहे तो हाथ भी रुके और फूल भी जल्द कुमला जायें। इसलिए डोरे में पिरो कर गले में डालने से कोई हरज नहीं तो इसमें हुरमत या मुमानिअत व ना जवाज़ी किस तरफ़ से आ गयी।

इसी तरह शादी ब्याह के मौका पर बिन्नोट खेलना लकड़ी फेंकना बन्दूकें छोड़ना और इस किस्म के सब खेल जायज़ हैं जबकि अपने या किसी दूसरे के नुक़सान का अन्देशा न हो। और उनसे मक़सूद, कोई ग़र्ज़ महमूद हो जैसे फ़न सिपागिरी में महारत और अगर सिर्फ़

खेल कूद मक़सूद हो तो ज़रूर ममनूअ व मकरूह है।

ग़र्ज़ यह कि इन जायज़ रसूम को जो बिला दलील शरअी नाजायज़ व हराम और बिदअत व ज़लालत कहता है वह शरीअत मुतहहरा पर इफ़्तिरा करता है अगर सच्चा है तो बताये कि अल्लाह व रसूल ने कुरआन व हदीस में उसे कहां ना जायज़ कहा और कहां मना फ़रमाया है और जब अल्लाह व रसूल ने मना नहीं फ़रमाया तो दूसरा अपनी तरफ़ से मना करने वाला कौन जल व अला व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। मगर यह ज़रूर है कि रसूम की पाबन्दी उसी हद तक कर सकता है कि किसी फ़ेअल हराम में मुबतला न हो उसके बरख़िलाफ़ बाज़ लोगों को उन रसूम व आदात और अपने बाप दादा से वरसा में पाई हुई रस्म व रिवाज की पाबन्दी का इस हद तक ख़्याल रहता है कि जायज़ व हराम फ़ेअल करना पड़े तो पड़े मगर खानदानी रस्म व रिवाज का छोड़ना गवारा नहीं करते। मानता हूं कि रस्म व रिवाज की जड़ें जब किसी कौम या खानदान या उसके अफ़राद व अशखास की रग व पै में सरायत कर जाती हैं और उन रसूम व आदात के पांव मज़बूती से उन में जम जाते हैं तो उन्हें तर्क करना नफ़्स पर बड़ा शाक़ गुज़रता है और आदमी किसी तरह उन्हें छोड़ना गवारा नहीं करता। लेकिन यह तो सोचो तुम मुसलमान हो और मुसलमान, इताअत व फ़रमांबरदारी का दूसरा नाम है कुरआन करीम का इरशाद गरामी है-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

'ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाख़िल हो जाओ और शैतान के क़दमों पर न चलो। वह तुम्हारा खुला दुश्मन है''। तो इस्लाम का कलिमा पढ़ने कुरआन व हदीस को अपना ईमान मानने

और खुदा और रसूल जल व अला व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कामिल फ़रमा गुज़ारी का इकरार करने के बाद, जाहिल बे शऊर बनना और अपनी झुठी इज़्ज़त व नामूस और खानदानी अज़्ज़ो वक़ार का ऐसी रसूम व आदात के दरमियान नाम लाना उसी शैताने लअीन के क़दमों पर चलना है जिस से दूर रहने का कुरआन अज़ीम हुक्म देता है लिहाज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज़ है अपनी नफ़सानी ख़्वाहिशात पर कुरआन अज़ीम व हदीस करीम के अहकाम को हाकिम बनायें और हर हाल में खुदा और रसूल की रज़ा व खुशी के तालिब रहें उसी पर जमें उसी पर मरें और हमेशा उसी का दम भरें।

यह जो कुछ लिखा है "रसूम व आदात" के बारे में एक बुनियादी चीज़ थी। अब हम अपने उनवान "इसलाहे रसूम" की तरफ आते हैं और चन्द रसूमों का ज़िक्र करते हैं। जिनकी पाबन्दी से दुनिया व आखिरत में ज़िल्लत व रुसवाई के सिवा कुछ हाथ नहीं आता।

१. शादी में टाल मटोल

मसलन लड़की जवान है मुनासिब रिशता भी मिल रहा है लेकिन रसूम अदा करने को रुपया नहीं तो यह न होगा कि रसूम छोड़ दें। लड़की की शादी करके उसके हाथ पीले करके उस बोझ से सबकदोश हो जायें और फ़ितनों का दरवाज़ा बन्द हो। अब खानदानी रसूम के पूरा करने को भीख मांगने को तरह-तरह की फ़िक्रें करते हैं और इस ख्याल में कि कहीं से कुछ मिल जाये तो लड़की का ब्याह रचायें, शादी की खुशियां मनायें ताकि बिरादरी में नाम पायें, बरसों गुज़ार देते हैं। नतीजा यह निकलता है कि लड़की की तन्दुरुस्ती बिगड़ती है उसकी जवानी ढलती है। उस का दिल बुझ जाता है और उस पर तुर्रा यह कि तरह-तरह की बातें उड़ाई जायें और अफ़वाहें फ़ैलाई

जाती हैं। रसुलूल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं जब ऐसा शख़्स पैग़ाम भेजे जिसके खल्क और दीन को तुम पसन्द करते हो तो निकाह कर दो अगर न करोगे तो ज़मीन में फ़ितना और फ़साद अज़ीम बरपा होगा। एक और हदीस शरीफ़ में फ़रमाया कि तीन चीज़ों में ताख़ीर न करो (दिर न करो) नमाज़ का जब वक़्त आ जाये। जनाज़ा जब मौजूद हो शौहर वाली का जब कफ़ू मिले (तिर्मिज़ी) कफ़ू के यह मायने हैं कि औरत से नसब वग़ैरह में इतना कम न हो कि उससे निकाह औरत के औलिया के लिए तंग व आर का बाअस हो।

२. बलाये कर्ज़:-

ज़रूरत अगर वाक़ई हो तो कर्ज़ लेने में कोई गुनाह भी नहीं बशर्ते कि उसकी अदाएगी बआसानी हो सके लेकिन बाज़ लोग लेते हैं तो सिर्फ़ इस लिए कि इन रसूम को अंजाम देना है अगर कर्ज़ न लेंगे और इन रसूम को अदा न करेंगे तो खानदान की इज़्ज़त और हमारे नाम को बट्टा लग जायेगा। ग़र्ज़ इसी क़िस्म के हीले बहाने को कर्ज़ का ज़रिया बनाते हैं।

ज़ाहिर है कि मुफ़लिस को कर्ज़ कौन दे। जब यूं नहीं मिलता तो सूदी कर्ज़ लेते हैं जो आसानी से दसतियाब हो तो जाता है मगर जिस तरह सूद लेना हराम, यूंही देना भी हराम हदीस शरीफ़ में दोनों पर लानत आई। सूदी कर्ज़ से रसूम तो अन्जाम पायें लेकिन यह न सोचा कि शरीअत की मुखालिफ़त के साथ अल्लाह व रसूल की लानत भी खरीद ली और उसके नतीजे में दुनिया में भी बरबादी आखिरत में भी रुसवाई। अगर बाप दादा की कमाई हुई कुछ जायदाद है तो उसे सूदी कर्ज़ में बहा दिया वरना रहने की झोंपड़ी ही गिरवी

रख दी। थोड़े दिनों में सूद का सैलाब सब को बहा कर ले गया। जायदाद नीलाम हुई मकान सूद ख्वार के कब्जे में गया। अब दर बदर मारे-मारे फिरते हैं। न खाने का ठिकाना न रहने की जगह।

इस की मिसालें ब कसरत हर जगह मिलेंगी कि ऐसे ही ग़ैर ज़रूरी मसारिफ़ की वजह से मुसलमानों की बेशतर जायदाद सूद की नज़र हो गई। फिर कर्ज़ ख्वाह के तकाज़े और उसके तशददूद आमेज़ लहजे से रही सही इज़्ज़त पर भी पानी पड़ जाता है। यह सारी तबाही बरबादी आंखों देख रहे हैं मगर इबरत नहीं होती। आंखें नहीं खुलतीं और मुलसमान अपनी फ़िजूल खर्चियों से बाज़ नहीं आते। फिर इन फ़िजूल खर्चियों का वबाल यही नहीं कि इसी दुनियां की ज़िन्दगी तक महदूद हो बल्कि आखिरत का वबाल अलग है। अल्लाह तआला हम सबको अपनी पनाह व आफ़ियत में रखे। आमीन

३. ढोल तमाशा गाना बजाना।

आम तौर पर जाहिल घरानों में रिवाज है कि मौहल्ला या रिश्ता की औरतें जमा होती और गाती हैं बजाती हैं यह हराम है कि अव्वल तो ढोल बजाना ही हराम। फिर औरतों का गाना बजाना मज़ीद बरआं औरत की आवाज़ नामहरमों को पहुंचना और वह भी गाने की। और वह भी इश्क़ व हिज्र व विसाल के अशआर या गीत। जो औरतें अपने घरों में चिल्ला कर बात करना पसन्द नहीं करतीं घर से बाहर आवाज़ जाने को बुरा और बड़ा अजीब जानती हैं। ऐसे मौकों पर वह भी इस महफ़िल में शरीक हो जाती हैं गोया उनके नज़दीक गाना कोई ऐब नहीं। गाने बजाने की आवाज़ कितनी ही दूर तक जाये उसमें कोई हरज नहीं।

नीज़ ऐसे गानों में जवान कुंवारी लड़कियां भी होती हैं। उनका

ऐसें अशआर पढ़ना या सुनना, किस हद तक उन के दबे हुए जोश को उभारेगा और कैसे-कैसे वलवले पैदा करेगा और उनके अख़्लाक़ व आदात पर कहां तक उसका असर पड़ेगा। यह बातें ऐसी नहीं जिन के समझाने की ज़रूरत हो या सबूत पेश करने की हाजत हो गाने बजाने की उन तमाम नाजायज़ व हराम रसमों में एक और नापाक व मलऊन रस्म है जो बदतमीज़ अहमक़ जाहिल घरानों ने, हिन्दुओं से सीखी यानी फ़हश गालियों के गीत गवाना और मजलिस में मौजूद मर्दों औरतों को लच्छेदार सुनाना। समधियाने की पाकदामन औरतों को अल्फ़ाज़े ज़िना से ताबीर करना, कराना ख़सूसन इस मलऊन बे हया रस्म का औरतों के मजमे में होना। उनका इस नापाक फ़वाहिश हरकत पर हंसना कहकह उड़ाना। अपनी कुंवारी लड़कियों को यह सब कुछ सुनाकर बदलिहाज़ियां, सिखाना, बेजा बे ग़ैरत बे हमीयत मर्दों का इस शोहदे पन को जायज़ रखना कभी बराए नाम लोगों के दिखावे को झूठ सच एक आध बार झिंड़क देना मगर बन्दोबस्त कतई न करना। यह वह गन्दी मरदूद रस्म है जिस पर सदहा लानतें अल्लाह अज्ज़ोजल की उतरती हैं। इसके करने वाले इस पर राज़ी होने वाले। अपने यहां इसकी रोक थाम का काफी इंतजाम न करने वाले सब गुनाहगार सख़्त गुनाहगार। कबीरा गुनाहों मे गिरफ़्तार और ग़ज़ब खुदावन्दी के सज़ा वार हैं।

अल्लाह तआला मुसलमानों को हिदायत बख़्शे आमीन।

४. नाच बाजा

शादी ब्याह में अमूमन नाच का भी एहतमाम किया जाता है। घरों में डोमनियों और मीरासनों का और घर से बाहर मरदानी महफ़िलों में बाज़ारी फ़ाजिरा फ़ाहिशा औरतों रंडियों या फिर दोनों

जगह हिजड़ों का ऐसी महफिलों में शरीफ ज़ादियों का ख्वाह कुंवारी हों या ब्याही, शौहर वाली हों या बेवा, का शरीक होना तो दर किनार उन का उन आवारा बद वज़ओं के सामने आना ही सख्त बेहूदा व बेजा है। सोहबत बद, ज़हर कातिल है और औरतें नाजुक शीशीयां जिन के टूटने को अदना ठेस बहुत होती है तो ऐसों को तो घर में हरगिज़ हरगिज़ कदम न रखने दें वह बेहयाईयों की आदी हैं मना करते करते अपना काम कर गुज़रेंगी।

नाच रंग की यह महफिलें जिस तरह शरीफ घरानों और शरीफ ज़ादियों के हक में ज़हर कातिल हैं यूंही मर्दों और शरीफ जादों के लिए तबाही व बरबादी का बाअस हैं। बाज़ारी औरतों और रंडियों में जो बे हयाई, बेशर्मी और बदलिहाजी पाई जाती है उससे कौन वाकिफ़ नहीं। फिर जब यह बे हया बेशर्म औरतें मर्दों की महफिलों में आती और कूल्हा कमर मटका कर, आंखें चमका कर नीम बरहना लिबास में अपना जोहर दिखाती और अपनी रसीली आवाज़ का रस कानों में गिराती हैं तो वहां कौन सा मर्द ऐसा होता है जो टकटकी बांध ा कर उसकी अदाओं का जायज़ा लेता और उसके कानों को मजे ले ले कर नहीं सुनता नामहरम औरत को मर्द देखते हैं और घूर-घूर का देखते हैं यह आंखों का ज़िना हुआ। नामहरम औरत की आवाज़ सुनते और पूरी तव्वज्जोह से सुनते हैं यह कानों का ज़िना हुआ। और जब वह अपनी बेहयाई का मुज़ाहिरा करती उनमें से किसी के पास से गुज़रती है या उससे मिलतीं हैं नीम बरहना जिस्म के साथ, फुहश हरकतों के बाअस उन मर्दों के दिलों में बुरे ख्यालात या अपनी सी पूरी कोशिश उसे छूने की करते हैं और कभी बकमाल इशतियाक उसकी तरफ जाते हैं यह हाथ पैरों का ज़िना हुआ।

ग़र्ज़ नाच रंग की इन महफ़िलों में जिन फ़ाहिशः हरकतों, बदकारियों और दीन व अख़्लाक़ को तबाह करने वाली बातों का इजतमाअ होता है यह ऐसी बातें नहीं जिन्हें बताया गिनाया जाये ऐसी ही मजलिसों में शिर्कत के बाअस अकसर नव जवान बिल्खसूस वह जिन में खुद सरी का मादा होता है जिन्हें किसी की पुरसिश का खतरा नहीं होता, जज़्बात की रू में बे क़ाबू हो जाते हैं। तवायफ़ों के दामे फ़रेब का शिकार हो जाते हैं। आवारगी को अपना मशग़ला बना लेते हैं। दौलत बरबाद कर बैठते हैं। कमाई लुटाते हैं बाज़ारियों से ताल्लुक़ ही में ज़िन्दगी की सारी लज़्ज़तें और मुसर्रतें ढूंडते हैं। नतीजा यह निकलता है कि घर वालों और पाक दामन बीबीयों से दूर दूर रहते हैं और यूं अपनी बरबादी व तबाही अपने हाथों खरीदते हैं और अगर उन बेहूदगियों और आवारा गर्दियों से कोई बन्दा खुदा बच भी गया तो इतना ज़रूर होता है कि हया व ग़ैरत की चादर उतार कर सर से पैंर तक बेहयाई और बेग़ैरती का मुजस्समा बन जाते हैं।

बाज़ लोगों के मुतल्लिक़ तो यहां तक सुनने और देखने में आया कि खुद भी इन मजलिसों में शरीक होते हैं और अपने साथ साथ जवान बेटियों और बीवी बेटियों तक को ले जाते हैं। ऐसी बदतहज़ीबी के मजमा में बाप बेटे और मां बेटी का साथ साथ रहना जिस बेग़ैरती और बे हमिय्यती का पता देता है वह बयान का मोहताज नहीं।

इससे बढ़ कर रोना इस बात का है कि अपनी छोटी मोटी नामवरी और शोहरत को आड़ बना कर लड़की वाले, लड़के वालों पर दबाव डालते हैं बल्कि निसबत के वक़्त ही तै कर लेते हैं कि नाच बाजा लाना होगा वरना शादी न करेंगे। लड़की वाला यह ख़्याल नहीं करता कि बे जा सर्फ़ न हो तो उसी की लड़की के काम आयेगा। एक वक़्त

ख़ुशी के लिए यह सब कुछ कर लिया लेकिन यह न समझा कि लड़की जहां ब्याह कर गई वहां तो अब उसके बैठने का ठिकाना न रहा। एक मकान था वह भी कर्ज़ का सैलाब बहा कर ले गया। अब तकलीफ़ हुई तो मीयां बीबी में लड़ाई उठी और उसका सिलसिला दराज़ हुआ तो अच्छी ख़ासी जंग क़ायम हो गई और नतीजा निकला। दोनों के दरमियान तलाक़ व जुदाई। यह शादी हुई या ख़ाना बरबादी। हमने माना कि यह ख़ुशी का मौक़ा है और मुद्दत की आरज़ू के बाद यह दिन देखने को नसीब हुए। बेशक ख़ुशी करो मगर हद से गुज़रना और हदूद शरीअत से बाहर हो जाना किसी अक़्लमन्द का काम नहीं। काम वह करो जिस से दुनिया में बोल बाला और आख़िरत में मुंह उजाला हो। और वह है हर काम ख़ुदा और रसूल जल व आला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की रज़ा जोई के लिए अंजाम देना और शरीअत मुतहहरा का दामन मजबूती से थाम कर अपनी नाजायज़ ख़्वाहिशों से हमेशा हमेशा के लिए दस्त बरदार हो जाना।

और आह सद आह

कि बाज़ तो इतने बेबाक होते हैं कि अगर शादी में यह ख़ुराफ़ात न हों तो उसे ग़मी और जनाज़ा से ताबीर करते हैं और यह ख़्याल नहीं करते कि एक गुनाह और शरीअत की मुख़ालिफ़त है।

दूसरे तमाम शिर्कत करने वालों और तमाशाईयों के गुनाह का यही सबब है और सबके गुनाहों के बराबर, उस तन्हा पर गुनाहों का बोझ कि अगर उन ख़ुराफ़ात की सख़्ती से रोक थाम करता और गुनाहों के यह सामान अपने यहां न फैलाता तो आने वाले या तमाशाई उन गुनाहों में क्यों पड़ते। और बेहयाईयों और बे शर्मी का यह बाज़ार

क्यों गर्म होता जिनमें अल्लाह तआला की सदहा नेमतें उतरती हैं। अल्लाह तआला हम सब मुसलमानों को हिदायत बख़्शे और अपनी पनाह व हिफ़ाज़त में रखे। आमीन। जिस शादी में ऐसी नापाक हरकतें हों मुसलमानों पर लाज़िम है कि उसमें हरगिज़ हरगिज़ शरीक न हों। अगर दानिस्ता शरीक हो गये हैं तो जिस वक़्त इस क़िस्म की बातें शुरू हों या उन लोगों का इरादा मालूम हो सब मुसलमान मर्दों औरतों पर लाज़िम है कि फ़ौरन उसी वक़्त उठ जायें और अपनी बीबीयों, बेटियों, माओं, बहनों को गालियां न दिलवायें। फ़ुहश न सुनवायें वरना यह भी इन नापाकियों में शरीक होंगे और ग़ज़ब इलाही से हिस्सा लेंगे वलअियाज़ बिल्लाहा हरगिज़ हरगिज़ इस मामले में हक़ीक़ी बहन भाई बल्कि मां बाप की भी रिआयत व मरव्वत रवा न रखें कि ख़ुदा की नाफ़रमानी में किसी की फ़रमा बरदारी नहीं। ऐ रब हमारे हमें क़ुबूले हक़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन

फ़िल्मी रिकार्डिंग

और अब हमारे इस दौर में एक नई बला ने घर घर जन्म लिया है और वह है फ़िल्मी गानों और फ़िज़ूल आवाज़ों की रिकार्डिंग। गाने बजाने की आवाज़ और ढोल सारंगी की ढप-ढप रों-रों तो ख़ैर इसी मजलिस इसी घर में या ज़्यादा से ज़्यादा दो चार पास पड़ौस के घरों तक महदूद रहती थी। मगर यह रिकार्डिंग तो ख़ुदा की पनाह। फ़िल्मी गाने ख़ुद अपनी जगह तन्हाई में जवान लड़कियों और नौजवान लड़कों के लिए ज़हरे क़ातिल और बड़े बूढ़ों के लिए सोहाने रूह होते हैं न कि पूरी आवाज़ से उनकी तशहीर न यह ख़्याल कि नौजवान शरीफ़

ज़ादियों और शरीफ़ जादों के जज़्बात में उससे कैसा हैजान पैदा होगा न इसका लिहाज़ कि बड़े बूढ़ों के दिलों पर इन गानों का क्या असर होगा न इसका पास कि बीमारों ग़म के मारों को इन से कैसी तकलीफ़ पहुंचेगी। न खुदा और रसूल का खौफ़ न कियामत में गिरफ़्त की परवाह। और लानत पर लानत यह है कि उन शौकीन मिज़ाजों को न अज़ान का ध्यान आये न नमाज़ों और जमाअतों का एहसास हो। अपनी धुन में मस्त, अपने नाजायज़ शौक़ की तकमील में मसरूफ़, अपने पैसे और वक़्त ज़िया में मशगूल। दुनिया व माफ़िहा से बे खबर खुदा और रसूल के अहकाम की खिलाफ़ वरज़ी के बाअस अज़ाब खुदावन्दी में मुबतला हैं। लेकिन आंख नहीं खोलते। खुदा और रसूल से नहीं शर्माते, और कोई मना करे तो उसकी तौहीन व तज़लील करते हैं उन पर फबतीयां कसते और उनका मज़ाक़ उड़ाते हैं। सच है- बे हया बाश व हरचा ख्वाही कुन

आतिश बाज़ी

शादी ब्याह की तक़रीबों में अमूमन और शबे बराअत के मौक़ों पर खसूसन आतिशबाज़ी की रस्म, वबा की सूरत अख्तियार करती जा रही है कपड़े जलें बदन झुलसें, कच्चे पक्के मकानों छप्परों में आग लगे। बच्चे बूढ़े जवान नागहानी ज़ख्मी हो जायें जिस्मों पर आबले पड़ जायें। यह सब कुछ गवारा है और अगर गवारा नहीं तो इस बेहूदा रस्म को छोड़ना। हालांकि यह हराम है और सख्त हराम है कि इसमें माल भी ज़ाया होता है और जान बूझ कर नुक्सान उठाना पड़ता है। कुरआन का साफ़-साफ़ इरशाद गारामी है कि अपना माल

ज़ाया करने वाले शैतान के भाई हैं चुनाचे फ़रमाया:-

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ

الشَّيٰطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

यानी "माल को फ़ुज़ूल कामों में न उड़ा बेशक फ़ुज़ूलियात में उड़ा देने वाले शैतानों के भाई बन्द होते हैं और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा ही नाशुक्रा है''

किसी इंसान की बुराई इससे बढ़ कर और क्या हो सकती है कि उसे शैतान से तशबीह दी जाये और उसे शैतान का भाई बन्द कहा जाये "घर फूंक तमाशा'' इसी काम का नाम है।

अज़ीज़ो! अल्लाह तआला ने तुम्हें इस्लाम दिया। अक़्ल अता फ़रमाई। दौलत बख़्शी तो इसलिए कि दौलत को ताअत व बन्दगी के कामों में सर्फ़ करो। अपनी ज़रूरीयात और मुफ़ीद कामों में सर्फ़ करो और अपने परवरदिगार का शुक्र बजा लाओ। अब कि तुम इस दौलत को फ़िज़ूल कामों में उड़ाते और खुदा की नाफ़रमानियों में काम लाते हो तो तुम खुद सोचो कि दौलत को ग़लत रास्तों पर बहाने वाले बड़े ना शुक्रे और शैतान के भाई बन्द हुये या नहीं। कहो ज़रूर हुए तो फिर फ़ख़्र व रिया नुमाइश और एक ज़रा सी वाह वाह के लिए यह फ़िज़ूल खर्चियां और माली अय्याशियां आखिर क्यों नहीं छोड़ते। जबकि उनका वबाल तुम अपनी आंखों से देख रहे हो

ख़ुदा के बन्दो अपनी आंखें खोलो और ख़ुदा और रसूल का ख़ौफ़ करो। मायें और घरों की बड़ी बूढ़ियां अगर ख़ुदा और रसूल के अहकाम की ताअमील पर अड़ जायें और अपने छोटों को उन वाही तबाही फ़ुज़ूल खर्चियों से सख़्ती से रोक दें तो दीन व दुनिया में उनका भी भला।

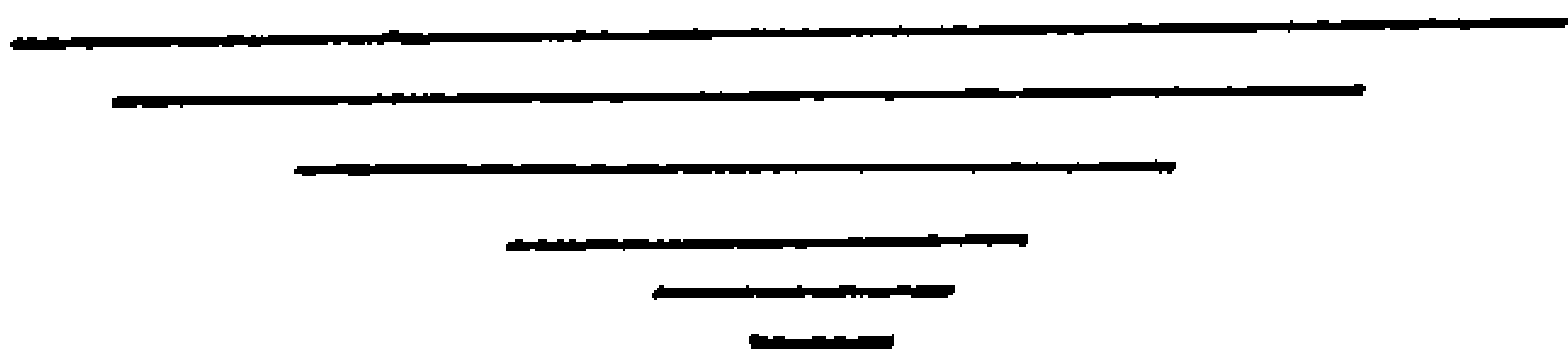
फिर शबे बराअत के मौक़ा पर ऐसी बिदअतें और ख़ुराफ़ात में मसरूफ़ रहना। अपना पैसा उड़ाना बच्चों को आतिश बाज़ी के लिए पैसे देना जैसा कि आम रिवाज होता जा रहा है और भी ज़्यादा बुरा और भी बड़ा गुनाह और बड़ी बदनसीबी की बात है कि अल्लाह तआला अपनी पनाह में रखे। आमीन

मसला:- मस्जिद में चिराग़ जलाने, या ताक़ भरने या किसी बुज़ुर्ग के मज़ार शरीफ़ पर चादर चढ़ाने या ग्यारवीं की नियाज़ दिलाने, या ग़ौस आज़म रज़ि अल्लाह तआला अन्हु का तोशा या शाह अब्दुलहक़ रोदौलवी रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा का तोशा या हज़रत जलाल बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैहि का कूंडा भरने या मुहर्रम की नियाज़ या शर्बत या सबील लगाने या मीलाद शरीफ़ करने की मन्नत मानी तो यह शरई मन्नत नहीं। सब उसमें से खा पी सकते हैं। (बहारे शरीअत)

मसला:- यह और इसी क़िस्म के दूसरे ख़ैर ख़ैरात, दरूद व फ़ातिहा या नज़र व नियाज़ के तरीक़े मना नहीं हैं करें तो अच्छा है अल्बत्ता इसका ख़्याल हमेशा रखना चाहिए कि कोई बात ख़िलाफ़े शरअ इसके साथ न मिलाये। मसलन ताक़ भरने में रत जगा होता है जिस में कुन्बा और रिश्तेदार और पास पड़ौस की औरतें इकट्ठा हो कर गाती बजाती नाचती कूदती और शौर व गोगा मचाती हैं।

दूसरों की नींद खराब और अपना वक़्त फुज़ूल व लगू कामों में ज़ाया व बरबाद करती हैं। यह हराम है और गुनाह है। अल्लाह तआला शैतानी कामों से हम सब को दूर रखें आमीन

यूंही चादर चढ़ाने के लिए बाज़ लोग ताशे बाजे के साथ जाते हैं यह नाजायज़ है और मस्जिद में चिराग़ जलाने में अमूमन औरतें आटे का चिराग़ जलाती हैं और तेल की बजाये उस में घी इस्तेमाल करती हैं। यह ख़्वाह मख़्वाह माल ज़ाया करना है। और नाजायज़ है। मिट्टी का चिराग़ काफी है और घी की भी ज़रूरत नहीं। मक़सूद रोशनी है वह तेल से हासिल है। फिर औरतों का गाते हुए मस्जिद तक जाना और भी ज़्यादा बुरा और सख़्त गुनाह है।















مکتبہ جام نور دہلی

Maktaba Jaam-e-Noor

422, Matia Mahal
Jama Masjid, Delhi - 6
Contacts
011-23 81418, 8800522592
k 1977@gmail.com

ख्वातीन के लिए ज़िन्दगी के तमाम मसाइल का मजमुआ

सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर

मुसन्निफ

मुफ्ती ख़लील ख़ां बरकाती

सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर कामिल

ख़्वातीन के लिए

ज़िन्दगी के तमाम मसाइल का मजमूआ

लेखक-

मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद ख़लील ख़ां क़ादरी बरकाती मद्दज़िल्लहुल आली

हिन्दी कर्ता-

मौलाना शहादत हुसैन फ़ैज़ी

मकतबा जामे नूर

422, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली- 6

फोन: 3281418

Rs. 160.00

फेहरिस्त हिस्सा अव्वल

सुन्नी बहिशती ज़ेवर (कामिल)

ख़्वातीन के लिए

ज़िन्दगी के तमाम मसायल का मजमूआ

4

मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद ख़लील ख़ां क़ादरी
बरकाती मद्दे ज़िल्लहु आला

मकतबा जामेनूर
422- मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली-6

फ़ज़ायल व मसायल दरूद शरीफ़

कुरआन करीम का इरशाद गरामी है- إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दरूद भेजते हैं उस ग़ैब बताने वाले (नबी) पर ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर दरूद और ख़ूब सलाम भेजो।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

दरूद शरीफ़ अल्लाह तआला की तरफ़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तकरीम है उलेमा ने अल्लाह हुम्मा सल्लेआला सैयदना मुहम्मद के मानी यह बयान किये हैं कि यारब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को अज़मत अता फ़रमा। आप के काम में बरकत दे। आप का नाम बुलन्द फ़रमा और आप र अपनी रहमतों की बारिश नाज़िल कर। दुनिया में उनका दीन बुलन्द और उनकी दावत ग़ालिब फ़रमा कर और उनकी शरीअत को फ़रोग़ और बक़ा अनायत करके और आख़िरत में उनकी शफ़ाअत क़ुबूल फ़रमा कर। उनका सवाब ज़्यादा करके और औवलीन व आख़िरीन पर उनकी फ़ज़ीलत का इज़हार फ़रमा कर। और अम्बिया व मुरसलीन व मलाइका और तमाम ख़ल्क़ पर उनकी शान बुलन्द करके और आप को मक़ामे महमूद पर पहंचा कर।

यहां यह बात ख़ास तौर पर ज़ेहन नशीन रखें कि रब अज़्ज़ोजल का यह हुक्म मुतलक़ है। किसी ज़मान किसी मकान, किसी वक़्त और किसी हालत का इसमें इस्तसना नहीं कि फ़लां वक़्त फ़लां जगह फ़लां हालत में न पढ़ो तो हर वह महल हर वह मौक़ा और हर वह

हाल कि शरअन ज़िक्र व अफ़कार की मुमानिअत वारिद न हो जब भी दरूद शरीफ़ पढ़ा जायेगा। उसी हुक्म इलाही की तामील में शुमार होगा इसीलिए हरबार दरूद शरीफ़ पढ़ने में अदाये फ़र्ज़ का सवाब मिलता है कि वह सब उसी मुतलक़ फ़र्ज़ के तहत में दाख़िल है जिस का कुरआन करीम हुक्म दे रहा है तो जितना भी पढ़ेंगें फ़र्ज़ ही में शामिल होगा। नज़ीर उसकी तिलावत कुरआन करीम है कि वैसे तो फ़र्ज़ नमाज़ में एक ही आयत का पढ़ना है और अगर एक रकअत में सारा कुरआन अज़ीम तिलावत कर लिया तो सब फ़र्ज़ ही में दाख़िल होगा और फ़र्ज़ ही का सवाब मिलेगा। (फ़तावा रिज़वियह)

वहाबिया की ओंधी मत कि वह क़दम क़दम पर शान रिसालत की तौहीन करते और सुन्नी मुसलमानों को उससे रोकते बल्कि उन से झगड़ते हैं। दरूद शरीफ़ की बहुत बरकतें और फ़ज़ीलतें हैं।

हुज़ूर पूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं जो मुझ पर दरूद भेजे उसका दिल निफ़ाक़ से ऐसा पाक हो जाये जैसा कपड़ा पानी से। एक हदीस शरीफ़ में है कि जो कहे सल्लल्लाहु अला (सैयदना) मुहम्मद उसने सत्तर दरवाज़े रहमत के अपने ऊपर खोल लिये अल्लाह अज़्ज़ोजल उसकी मुहब्बत लोगों के दिलों में डालेगा कि उससे बुग्ज़ न रखेगा मगर वह जिसके दिल में निफ़ाक़ होगा। (कशफुलग़मा)

एक हदीस में है कि जो मुझ पर एक बार दरूद भेजे अल्लाह अज़्ज़ोजल उस पर दस दरूदें नाज़िल फ़रमायेगा। उसकी दस ख़तायें मह्‌ु फ़रमायेगा और दस दर्जे बुलन्द फ़रमायेगा। (नसई) नीज़ फ़रमाया कि पूरा बख़ील वह है जिसके सामने मेरा ज़िक्र हो और मुझ पर दरूद न भेजे। (तिर्मिज़ी) उसी में है कि फ़रमाया क़ियामत

के दिन मुझ से सब में ज़्यादा करीब वह होगा जिसने सबसे ज़्यादा मुझ पर दरूद भेजा है।

नसई शरीफ़ में है कि फ़रमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि अल्लाह के कुछ फ़ारिग़ फ़रिशते हैं जो ज़मीन में सैर करते रहते हैं और मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं अबी इब्ने काअब रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया। या रसूलुल्लाह मैं बकसरत दुआ मांगता हूं तो उसमें से हुज़ूर पर दरूद के लिए कितना वक़्त मुकर्रर करूं "फ़रमाया जो तुम चाहो अर्ज़ की "चौथाई'' फ़रमाया जो तुम चाहो और अगर ज़्यादा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है'' मैंने अर्ज़ की 'निस्फ़'' फ़रमाया जो तुम चाहो और ज़्यादा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है'' मैंने अर्ज़ की तो कुल दरूद ही के लिए मुकर्रर करूं। फ़रमाया ऐसा है तो अल्लाह तुम्हारे कामों की किफ़ायत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

अल्ग़र्ज़ फ़राइज़ व वाजिबात की अदाएगी, नफ़िल नमाज़ों और तिलावते कुरआन अज़ीम के बाद दरूद शरीफ़ की क़िरअत सवाब आज़ीम की बाअस और रहमत रब करीम की मोजब है और मुसलमानों के लिए बड़ी नेमत व दौलत। मौलाए करीम हमें अपनी पनाह में रखे और हर फ़ितना हर फ़ित्तीन और हर गुमराही व गुमराह से। आमीन०

चन्द मसायल

मसलाः– उम्र में एक बार दरूद शरीफ़ पढ़ना फ़र्ज़ है और हर जलसा ज़िक्र में दरूद शरीफ़ पढ़ना वाजिब है। ख़्वाह खुद नाम अक़दस ले या दूसरे से सुने। और अगर मजलिस में सौ बार ज़िक्र आये तो

हर बार दरूद शरीफ़ पढ़ना चाहिए। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- जहां तक भी मुम्किन हो दरूद शरीफ़ पढ़ना मुस्तहब है और ख़सूसीयत के साथ इन जगहों में:-

रोज़ जुमा, शब जुमा, सुबह, शाम, जवाब अज़ान के बाद दुआ के अव्वल आख़िर में इज्तिमाअ व फ़राक़ के वक़्त, वुज़ू करते वक़्त जब कोई चीज़ भूल जाये उस वक़्त।

मसला:- नाम अक़दस लिखे तो दरूद ज़रूर लिखे कि बाज़ उलेमा के नज़दीक उस वक़्त दरूद शरीफ़ लिखना वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुह्तार)

मसला:- अक्सर लोग आजकल दरूद शरीफ़ के बदले सलअम अलैहिस्सलाम के बदले अम या स.स. लिख दिया करते हैं यह नाजायज़ व सख़्त हराम है उलमा-ए कराम फ़रमाते हैं कि सबसे पहले जिसने ऐसा लिखा उसके हाथ क़लम कर दिये गये कि ऐसे मुक़द्दस नाम के लिए ज़रा से वक़्त, ज़रा से काग़ज़ात और ज़रासी सियाही में इतना बुख़्ल। यूंही रज़ि० अल्लाहु तआला की जगह रज़ि० रहमतुल्लाह तआला की जगह रह० लिखते हैं। यह भी न चाहिए जिन लोगों के नाम मुहम्मद, अहमद, अली, हसन, हुसैन, वग़ैरह होते हैं। इन नामों पर स्वाद बनाते हैं। यह भी ममनूअ है कि उस जगह तो यह शख़्स मुराद है। उस पर दरूद शरीफ़ या दूसरे अल्फ़ाज़ के इशारों का क्या मतलब। (तहतावी, फ़तावा रिज़वियह वग़ैरह)

कुरआन मजीद पढ़ने के फ़ज़ायल व आदाब

कुरआन करीम अल्लाह तआला का कलाम है। उस पर इस्लाम और अहकाम इस्लाम का दारो मदार है। उसकी तिलावत करना ... के मानी व मफ़हूम को समझना और उसके मानी व मतालिब में ग़ौर व फ़िक्र आदमी को खुदा का मुकर्रब बनाता और उसकी दुनिया व आखिरत संवारता है।

यही वह किताब है जिसका देखना सवाब, छूना सवाब, पढ़ना सवाब, और समझना मोअजब नजात है। इस मौका पर चन्द अहादीस ज़िक्र की जाती हैं–

हुजूर अक्दस नूर मुजस्सम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

१. तुम में बेहतर वह शख़्स है जो कुरआन सीखे और सिखाये। (बुख़ारी)

२. जो मोमिन कुरआन पढ़ता है उसकी मिसाल तरबख की सी है कि खुशबू भी अच्छी है और मज़ा भी अच्छा। और जो मोमिन कुरआन नहीं पढ़ता वह खजूर की मिस्ल है कि उसमें खुशबू नहीं मगर मज़ा शीरीं है और जो मुनाफ़िक़ कुरआन नहीं पढ़ता वह अन्दराईन की मिस्ल है कि उस में खुशबू भी नहीं और मजा कडवा है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

३. जो कुरआन पढ़ने में माहिर है (कि ख़ूब आसानी व रवानी से पढ़ता है) वह किरामन कातिबीन के साथ है और जो शख़्स रुक-रुक कर पढ़ता है और वह उस पर शाक़ है यानी उसकी ज़बान आसानी से नहीं चलती तकलीफ के साथ पढ़ता है उसके लिए दो अज्र

(दोहरे सवाब) हैं।

४. जिस के पेट में कुछ कुरआन नहीं है वह वीराने मकान की मिस्ल है। (तिर्मिज़ी)

५. जो शख़्स किताबुल्लाह का एक हर्फ़ पढ़ेगा उसको एक नेकी मिलेगी जो दस के बराबर होगी। मैं यह नहीं कहता कि अलिफ़ लाम मीम एक हर्फ़ है बल्कि अलिफ़ एक हर्फ़, लाम दूसरा हर्फ़ और मीम तीसरा हर्फ़ है।

६. जिसने कुरआन पढ़ा और जो कुछ उसमें है उस पर अमल किया उसके वालदैन को कियामत के दिन ताज पहनाया जायेगा जिस की रोशनी सूरज से अच्छी है। अगर वह तुम्हारे घरों में होता, तो अब खुद उस अमल करने वाले के मुताल्लिक तुम्हारा क्या गुमान है। (अबूदाऊद)

७. जिसने कुरआन पढ़ा और उसको याद कर लिया। उसके हलाल को हलाल समझा और हराम को हराम जाना। उस के घर वालों में से दस शख़्सों के बारे में अल्लाह तआला उसकी शफ़ाअत कुबूल फ़रमायेगा। जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका था।

८. इन दिलों में भी ज़ंग लग जाती है जिस तरह लोहे में पानी लगने से ज़ंग लगती है। अर्ज़ की गई या रसूलुल्लाह उसकी जिला (सफ़ाई) किस चीज़ से होगी? फ़रमाया कसरत से मौत को याद करने और तिलावते कुरआन से।

९. अपने घरों को क़ब्रिस्तान न बनाओ। शैतान उस घर से भागता है जिस में सूरः बकरः पढ़ी जाती है। (मुस्लिम शरीफ़)

१०. जो शख़्स सूरः कहफ़, जुमा के दिन पढ़ेगा उसके लिए दो जुमा के माबैन नूर रोशन होगा। (बिहैकी)

११. हर चीज़ के लिए दिल है और कुरआन का दिल यासीन है जिस ने यासीन पढ़ी दस मर्तबा कुरआन पढ़ना, अल्लाह तआला उसके

लिए लिख देगा। (तिर्मिज़ी)

१२. जो शख़्स अल्लाह तआला की रिज़ा के लिए यासीन पढ़ेगा उसके अगले गुनाहों की मगफिरत हो जायेगी। लिहाजा उसको अपने मुर्दों के पास पढ़ो। (बिहैकी)

१३. कुरआन की तीस आयात की एक सूरत है। आदमी के लिए शफाअत करेगी। यहां तक कि उसकी मग़फिरत हो जायेगी वह तबारकल्लज़ी बियदिहिलमुल्क है। (अबूदाऊद)

१४. जो शख़्स सूरः वाकिआ हर रात में पढ़ लेगा। उसको कभी फ़ाका नहीं पहुंचेगा। इब्ने मसऊद रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु अपनी अपनी साहबज़ादियों को हुक्म फ़रमाते थे कि रात में उसको पढ़ा करें। (बिहैकी)

१५. सूरए बक़रा के ख़ातिमा की दो आयतें, अल्लाह तआला के उस ख़ज़ाना में से हैं जो अर्श के नीचे हैं। अल्लाह तआला ने मुझे यह दोनों आयतें दीं उन्हें सीखो और अपनी औरतों को सिखाओ कि वह रहमत हैं और अल्लाह से नज़दीकी और दुआयें। (दारमी)

१६. जो हर नमाज़ के बाद आयतल कुर्सी पढ़ ले उसको जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज़ मानिअ़ नहीं सिवा मौत के यानी मरते ही जन्नत में चला जाएगा और लेटते वक़्त जो उसे पढ़े अल्लाह तआला उसके और उसके पड़ोसी के घर को और आस-पास के घर वालों को शैतान और चोर से अमन देगा। (बहेकी)

आदाब तिलावत व मसायल क़राअत

मसला:- कुरआन मजीद देखकर पढ़ना, जुबानी पढ़ने से अफ़ज़ल

है कि यह पढ़ना भी है और देखना और हाथ से उसका छूना भी और यह सब इबादत है।

मसला:- तिलावत शुरू करते वक़्त आउज़ुबिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है और सूरत से पहले जहां बिस्मिल्लाह कुरआन में लिखी होती है। बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है वरना मुस्तहब है।

मसला:- तिलावत के दौरान कोई दुनियावी काम करे तो आउज़ुबिल्लाह, बिस्मिल्लाह फिर पढ़ ले और दीनी काम किया मसलन सलाम या अज़ान का जवाब दिया या कलिमा तैय्यबा वग़ैरह अज़्कार पढ़े तो आउज़ुबिल्लाह फिर पढ़ना उसके ज़िम्मा नहीं। (ग़ुनीया वग़ैरह)

मसला:- सूरः बराअत (तौबा) से अगर तिलावत की तो आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह कह ले और जो उसके पहले से तिलावत शुरू की और सूरः बराअत आ गयी तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की हाजत नहीं। (ग़ुनीया) और सूरः तौबा की इब्तिदा में नया आउज़ुबिल्लाह जो आजकल के हाफ़िज़ों ने निकाला है बे असल है। और यह जो मशहूर है कि सूरः तौबा की इब्तिदाअन पढ़े जब भी बिस्मिल्लाह न पढ़े तो यह महज़ ग़लत है। (बहारे शरीअत)

मसला:- गर्मियों में सुबह को कुरआन मजीद ख़त्म करना बेहतर है। और जाड़ो में अव्वल शब को हदीस शरीफ़ में है जिसने शुरू दिन में कुरआन ख़त्म किया शाम तक फ़रिश्ते उसके लिये इस्तिग़फ़ार करते हैं, और जिसने इब्तिदाए शब में ख़त्म किया सुबह तक फ़रिश्ते उसके लिये इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो गर्मियों में चूंकि दिन बड़ा होता है तो सुबह के ख़त्म करने में इस्तिग़फ़ार मलाइका ज़्यादा होगी और जाड़ों की रातें बड़ी होती हैं तो शुरू रात में ख़त्म करने से ज़्यादा होगी। (ग़ुनीया)

मसला:- जब ख़त्म हो तो तीन बार कुल हुवल्लाह पढ़ना

बेहतर है। (गुनीया)

मसला:- लेट कर कुरआन पढ़ने में हर्ज नहीं जबकि पांव समेटे हों और मुंह खुला हो और यूंही चलने और काम करने की हालत में भी तिलावत जायज़ है जबकि दिल न बंटे और दिल बंटे तो मकरूह है। (गुनीया)

मसला:- गुसलख़ाने और नजासत की जगहों पर कुरआन पढ़ना नाजायज़ है। (गुनीया)

मसला:- कुरआन करीम जब बुलन्द आवाज़ से पढ़ा जाये तो तमाम हाज़िरीन पर सुनना फ़र्ज़ है जबकि वह मजमा सुनने की ग़र्ज़ से हाज़िर हो। वरना एक का सुनना काफी है। अगरचे और अपने कामों में हों। (गुनीया, फ़तावा रिज़विया)

मसला:- मजमे में सब लोग बुलन्द आवाज़ से पढ़ें कि आवाज़ें टकरायेंगी यह हराम है अक्सर मजमों में जहां कुरआन ख़्वानी होती है मसलन तीजों में सब बुलन्द आवाज़ से पढ़ते हैं। यह हराम है ऐसे मौक़ों पर कि पढ़ने वाले जमा हों हुक्म है कि आहिस्ता पढ़ें। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- औरत को औरत से कुरआन मजीद पढ़ना, ग़ैर महरम नाबीना से पढ़ने से बेहतर है कि अगरचे वह उसे नहीं देखता मगर आवाज़ सुनता है और औरत की आवाज़ भी औरत है यानी ग़ैर महरम को बिला ज़रूरत सुनाने की इजाज़त नहीं। (गुनीयतुलमुस्तमली)

मसला:- कुरआन करीम पढ़ कर भुला देना गुनाह है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि मेरी उम्मत के सवाब (के काम) मुझ पर पेश किये गये यहां तक कि तिनका जो मस्जिद से आदमी निकाल देता है और मेरी उम्मत के गुनाह मुझ पर पेश हुए तो उससे बढ़ कर कोई गुनाह नहीं देखा कि आदमी को सूरत या आयत दी गई उसने याद कर ली और भुला दिया। (तिर्मिज़ी)

मसला:– आदाब तिलावत में से यह बात भी है कि तिलावत करने वाला, बावुज़ू, किबलारू यक जहत हो कर कि तिलावत में ख़लल डालने वाली चीज़ें रू बरू न हों, अच्छे कपड़े पहन कर, कुरआन करीम को किसी पाक ऊंची चीज़ या मसलन तकिया पर रख कर और ठहर ठहर का तिलावत करे। सही तर्जुमा वाला कुरआन करीम मसलन इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ां साहब बरेलवी का मिल जाये और हर जगह मिलता भी है तो उसी के तर्जुमा और मानी को भी ग़ौर से पढ़े कि कल्ब व कब्र की रोशनी और बढ़े और तिलावत से फ़ारिग़ हो कर अपने लिए और सब मुसलमानों के लिए दुआ करना न भूले।

मसला:– जुनुब और हैज़ न निफ़ास वाली औरत, अगरचे ख़ुद न कुरआन पढ़ सकती है न छू सकती है लेकिन अगर कोई कुरआन करीम पढ़े और उसके पास कोई जुनुब या हैज़ व निफ़ास वाली या निफ़ास से निकली हुई, बे नहाई औरत बैठी हो तो कुरआन अज़ीम की तिलावत में कोई हरज नहीं। (फ़तावा रिज़्वियह)

मसला:– कुरआन मजीद पुराना बोसीदा हो गया इस काबिल न रहा कि उसमें तिलावत की जाये और यह अन्देशा है कि उसके औराक़ मुन्तशिर होकर ज़ाया होंगे। तो किसी पाक कपड़े में लपेट कर एहतियात की जगह दफ़न कर दिया जाये और दफ़न करने में उसके लिए लहद बनाई जाये ताकि उस पर मिट्टी न पड़े या उस पर तख़्ता लगा कर छत बनाकर मिट्टी डालें कि उस पर मिट्टी न पड़े। हां मुसहफ़ शरीफ़ पुराना बोसीदा हो जाये तो उसको जलाया न जाये। (आलमगीरी)

मसला:– कुरआन करीम को दूसरी किताबों मसलन फ़िक्हा व तफ़सीर, सब से ऊपर रखें और कुरआन करीम जिस सन्दूक में हो उस पर कपड़ा वग़ैरह न रखें। (आलमगीरी)

मसला:– किसी ने महज़ ख़ैर व बरकत के लिए अपने मका
या दुकान में कुरआन मजीद रख छोड़ा है और तिलावत नहीं करत
तो यह गुनाह नहीं बल्कि उसकी यह नीयत बाअस सवाब है। मग
तिलावत कुरआन से ग़ाफ़िल नहीं रहना चाहिए। (खानिया वग़ैरह

मसला:– जिस कमरा में कुरआन मजीद रखा हो उस
बीवी से सोहबत करना जायज़ है जब कि कुरआन करीम
पर्दा पड़ा हो। (आलमगीरी)

मसला:– मुसलमानों में यह दस्तूर है कि कुरआन मजीद पढ़
वक़्त अगर उठ कर कहीं जाते हैं तो बन्द कर देते हैं। खुला हुआ
छोड़ कर नहीं जाते। यह अदब की बात है मगर बाज़ लोगों में
मशहूर है कि अगर खुला हुआ छोड़ दिया जायेगा तो शैतान पढ़े
इसकी असल नहीं। मुम्किन है कि बच्चों को इस अदब की तरफ़
तव्वजोह दिलाने के लिए किसी ने अपनी तरफ़ से यह बात कह
हो जो मसला बन गई।

मसला:– कुरआन करीम के आदाब में यह भी है कि उसकी तरफ़
पीठ न की जाये न पांव फैलाये जायें न पांव को उससे ऊंचा करे
न यह कि खुद ऊंची जगह पर हो और कुरआन मजीद नीचे हो।
(बहारे शरीअत)

मसला:– कुरआन मजीद को जुज़दान और ग़िलाफ़ में रखना अदब
है सहाबा व ताबईन रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के ज़मान
से उस पर मुसलमानों का अमल है। (बहारे शरीअत)

मसला:– मुसहफ़ यानी कुरआन शरीफ़ को बोसा देना भी सहाबा
किराम के फेअल से साबित है हज़रत उमर रज़ि अल्लाहु अन्हु रोज़ान
सुबह बोसा देते थे और कहते थे यह मेरे रब का अहद और उसकी
किताब है और हज़रत उसमान रज़ि अल्लाहु अन्हु भी मुसहफ़ को

बोसा देते और चेहरे से मस करते थे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- कुरआन की कसम भी कसम है अगर उसका ख़िलाफ़ होगा कुफ़्फ़ारा लाज़िम आयेगा। (रददुलमुहतार वग़ैरह)

मसला:- कुरआन की किसी आयत को ऐब लगाना, या उसकी तौहीन करना या उसके साथ मसख़िरापन करना या मज़ाक़ व दिल लगी में कुरआन मजीद की आयतें बे मौक़ा पढ़ देना कि लोग सुन कर हंसें यह सब बातें कुफ़्र हैं। (बहारे शरीअत वग़ैरह) अल्लाह तआला हम सब को इस्लाम और मज़हब अहले सुन्नत व जमाअत पर साबित कदम रखे। आमीन०

मसला ज़रूरीया

यह बात बताई जा चुकी है कि किरअत व तिलावत में इतनी आवाज़, आहिस्ता पढ़ने में भी ज़रूरी है कि पढ़ने वाला खुद सुन सके। अगर किसी ने नमाज़ व तिलावत में इस क़द्र आहिस्ता पढ़ा कि खुद न सुन सका और कोई मानेअ मसलन शोर व गुल या सक्ले समाअत (ऊंचा सुनना) भी नहीं तो नमाज़ होगी न तिलावत।

इसी तरह जिन मामलात में नतक़ को दख़ल है यानी जहां कुछ पढ़ना या कहना मुकर्रर किया गया है। उससे यही मक़सूद है कि कम अज़ कम इतना हो कि खुद सुन सके। मसलन जानवर ज़िब्ह करते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ना, या तलाक़ देना या मसलन आयत सजदा पढ़ने पर सजदा वाजिब होना वग़ैरह। (आलगीरी)

दुआ और उसके फ़ज़ायल व आदाब

दुआ, अल्लाह तआला की बारगाह में मुनाजात व अर्ज़ हाजत का दूसरा नाम है। दुआ एक अजीब नेमत और उम्दा दौलत है कि

परवरदिगार आला ने अपने बन्दों को इनायत फ़रमाई और उन्हें तालीम दी।

मुश्किलात को हल करने में इससे ज़्यादा कोई चीज़ मोअस्सिर नहीं और बला व आफ़त के टालने मे कोई बात इससे बेहतर नहीं कि इबादत भी है और मग़ज़ इबादत भी एक इबादत से आदमी को पांच फ़ायदे हासिल होते हैं–

१. आदमी इबादत गुज़ारों के गिरोह में दाख़िल होता है।

२. जो शख़्स दुआ करता है वह अपने अिज्ज़ व एहतियाज का इक़रार अपने परवरदिगार के करम व कुदरत का एतराफ़ करता है।

३. दुआ करने वाला, हुक्म शरई की तकमील करता है कि शरीअत ने उस पर ताकीद फ़रमाई और दुआ न करने वालों पर ग़ज़ब इलाही की वईद आई।

४. इत्तिबाअ सुन्नत भी है कि हुज़ूर अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अक्सर औक़ात दुआ मांगते और दूसरों को भी ताकीद फ़रमाते।

५. दुआ से बलायें टलती हैं और मुद्दआ भी हासिल होता है। आदमी अगर बला से पनाह चाहता है। खुदाए तआला पनाह देता है और जो किसी बात की तलब करता है। अपनी रहमत से उसको अता फ़रमाता है या आख़िरत में सवाब बख़्शता है।

सरवरे माअसूम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत है। दुआ बन्दे की तीन बातों से खाली नहीं होती। या उसका गुनाह बख़्शा जाता। या दुनिया में उसे फ़ायदा हासिल होता है या उसके लिए आख़िरत में भलाई जमा की जाती है कि ज़ब बन्दा अपनी उन दुआओं का सवाब देखेगा। जो दुनिया में मुस्तहजाब (मक़बूल) न हुईं

तमन्ना करेगा काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कुबूल न होती और सब यहीं के वास्ते जमा रहती। (अहसनुलवआत)

मगर ऐसे शख़्स को जो अपनी दुआ का कुबूल होना और मुद्दआ का हासिल न होने की सूरत में सवाब आख़िरत उसके एवज़ लेना चाहता है मुनासिब है कि दुआ में उसके सवाब आदाब की रियाअत करे, जब आदाब दुआ, दुआ के साथ जमा हो जाते हैं तो कुबूलियत की तवक़्क़ोअ ज़्यादा होती है जबकि मौला करीम के फ़ज़्ल व करम की कोई निहायत नहीं। आदाब दुआ जो बड़ी किताबों में मज़्कूर हैं उन में बाज़ यह हैं–

१. दिल को हत्तुलइम्कान, दूसरे ख़्यालात से पाक रखो।

२. बदन लिबास और मकान पाक साफ़ हों।

३. दुआ से पहले कोई अमल सालेह, नमाज़ तिलावत कुरआन वग़ैरह को लो कि खुदाए तआला करीम की रहमत मुतवज्जह हो, सदक़ा ख़ुसूसन पोशीदा दुआ में बड़ा असर रखता है।

४. दुआ से कब्ल गुज़िश्ता गुनाहों से तौबा करो कि नाफ़रमानी पर क़ायम रह कर, अता मांगना बेहयाई है।

५. वक़्त कराहत न हो तो दो रकअत नमाज़ ख़ुलूस कल्ब से पढ़ो कि रहमत मुतवज्जा हो।

६. दुआ के वक़्त, बा वुज़ू किबला रू, आदाब के साथ जैसे नमाज़ में बैठते हैं। बैठों दिल हाज़िर और निगाह नीची रखो।

७. दुआ के लिए अव्वल आख़िर हम्द इलाही बजा लाओ और दरूद शरीफ पढ़ो कि उसके बग़ैर दुआ बुलन्द नहीं होने पाती।

८. अब कि मांगने का वक़्त आया जलाल इलाही के तसव्वुर में डूब जाओ और उसकी अज़ीम रहमतों को जो बा वजूद गुनाह तुम्हारे हाल पर फ़रमाता रहा याद करके शर्मिन्दा हो और बड़े अदब के

साथ हाथ आसमान की तरफ़ उठाओ और सीने के मुक़ाबिल और खुले रखो।

९. जिस क़द्र आजिज़ी का इज़हार कर सकती हो इतनी ही बेहतर है और दुआ में भी इस क़द्र आवाज़ ज़रूरी है कि अपने कान तक पहुंच सके।

१०. जब अपने लिये दुआ मांगो तो सब अहले इस्लाम को उसमें शरीक कर लो साथ ही वालदैन और मशायख़ के लिए भी ज़रूर दुआ करो कि अगर खुद काबिल अता नहीं तो किसी बन्दे का तुफ़ैली हो कर मुराद को पहुंच जाओगी।

११. आमीन पर ख़त्म करो कि दुआ की मुहर है और फ़ारिग़ होकर दोनों हाथ चेहरे पर फेर लो खुदाए तआला शर्म व कर्म वाला है। जब बन्दा अपने दोनों हाथ उठाता है और सवाल करता है तो अल्लाह तआला खाली हाथ फेरने से शर्माता है। किसी तरह की ख़ैर व खुबी ज़रूर मरहमत फरमाता है। तो बनज़र उस नेमत व बरकत के दुआ के बाद मुंह पर हाथ फेर लेना मुकर्रर हुआ।

१२. तन्हा अपनी दुआ पर कनाअत न करो बल्कि अल्लाह के नेक बन्दों, बच्चों मिस्कीनों और बेवा औरतों के साथ नेक सलूक करके उनसे भी दुआ चाहो कि जल्द कुबूल होती है कि जब एहसान किया वह राज़ी होंगे और दिल से उसके लिए दुआ करेंगे और मुसलमान की दुआ मुसलमान के लिए उसकी ग़ैर मौजूदगी में निहायत जल्द कुबूल होती है कि उनकी रज़ामन्दी से अल्लाह राज़ी होगा और उनका मुंह उसके लिए दुआ में उसके मुंह से बेहतर होगा। अमीरूलमोमिनीन फारूक आज़म रज़ि अल्लाहु अन्हु मदीना मुनव्वरा के बच्चों से अपने लिए दुआ कराते थे कि दुआ करो उमर बख़्शा जाये।

कुबूलियत दुआ के औक़ात

अहादीस और अइमाए दीन के इरशादात के मुताबिक़, जिन औक़ात व हालात में, कुबूलियत की उम्मीद क़वी है उनमें चन्द यह हैं:-

१. शबे क़द्र कि अक्सर उलेमा के नज़दीक रमज़ानुल मुबारक की २७ वीं शब है।

२. शबे जुमा और रोज़ जुमा बिलख़सूस सूरज डूबने से कुछ ही पहले।

३. रोज़े अर्फ़ा यानी ज़िल्हिज्जा की नवीं तारीख़।

४. ठीक आधी रात को, कि उस वक़्त तजल्ली ख़ास होती है।

५. पंचगाना फ़र्ज़ों बल्कि हर नमाज़ के बाद।

६. तिलावत कुरआन करीम के बाद और ख़त्म कुरआन करीम के वक़्त।

७. रोज़ा इफ़्तार करते वक़्त।

८. जब मुर्ग अज़ान दे कि हदीस में आया वह रहमत के फ़रिश्तों को देख कर बोलता।

९. अज़ान के वक़्त हदीस में है उस वक़्त आसमान के दरवाज़े खोलें जाते हैं।

१०. रजब की चाँद रात।

११. शबे बराअत, शबे ईदुल्फ़ित्र और शबे ईदुज़्ज़ुहा।

बशारतें

१. हदीस शरीफ में आयते करीमा لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ

مِنَ الظّٰلِمِيْنَ की निस्बत फ़रमाया कि यह इस्म आज़म है जो इस के साथ दुआ करे कुबूल हो उलेमा–ए किराम फ़रमाते हैं यह आयते करीमा दुआ की कुबूलियत और बलाओं को दफ़ा करने में अज़ीम असर रखती है।

२. हदीस शरीफ़ में आया कि जब बन्दा या रब या रब (बार-बार) कहता है तो रब्ब अज़्ज़ोजल फ़रमाता है ऐ मेरे बन्दे मांग कि तुझे दिया जाये।

३. जो शख़्स يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ तीन बार कहे। फ़रिश्ता कहता है "मांग कि اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ तेरी तरफ़ तवज्जोह फ़रमाई।

४. हुज़ूर सैयदना ग़ौस आज़म रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं जो किसी तकलीफ़ में मुझ से मदद मांगे वह तकलीफ़ दूर हो और जो किसी सख़्ती में मेरा नाम ले कर पुकारे वह सख़्ती दफ़ा हो और जो किसी हाजत में मुझे वसीला करे वह हाजत रवा हो।"

इसीलिए उलमा–ए किराम ने फ़रमाया कि महबूबाने ख़ुदा के वसीले से दुआ कुबूल होती है।

मुफ़ीद निहायत मुफ़ीद

दुआ के कुबूल में जल्दी न करे। हदीस शरीफ़ में है कि ख़ुदाए तआला तीन आदमियों की दुआ कुबूल नहीं फ़रमाता। एक वह कि गुनाह की दुआ मांगे। दूसरा वह कि ऐसी बात चाहे कि कतअ रहम (रिश्ता दारों से कतअ ताल्लुक) हो। तीसरा वह कि कुबूल में जल्दी करे कि मैंने दुआ मांगी अब तक कुबूल न हुई। ऐसा शख़्स घबरा कर दुआ छोड़ देता है और मतलब से महरूम रहता है।

ऐ अज़ीज़ ! तेरा परवर दिगार फ़रमाता है اُدْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

मुझ से दुआ मांगो मैं कुबूल फ़रमाऊं। पस यक़ीन समझ कि वह तुझे अपने दर से महरूम नहीं करेगा और अपने वायदे को वफ़ा फ़रमायेगा बल्कि वह तेरे ऊपर नज़र करम रखता है कि तेरी दुआ के कुबूल करने में देर करता है तू क्या जाने कि तेरे लिए भलाई काहे में है तू क्या जाने कि कैसी सख़्त बला आने वाली थी कि इस दुआ ने दफ़ा की। तू क्या जाने कि इस दुआ के एवज़ कैसा सवाब तेरे लिए ज़ख़ीरा हो रहा है। उसका वायदा सच्चा है हां बे एतक़ादी आई तो यक़ीन जान कि मारा गया और इब्लीस लईन ने तुझे अपना सा कर लिया। वालअियाज़ बिल्लाह।

और हरगिज़ हरगिज़ अपने और अपने अज़ीज़ों रिश्तेदारों बल्कि मिलने जुलने वालों की जान व माल और औलाद और अहल व अयाल पर बददुआ न करो क्या मालूम कि कुबूलियत का वक़्त हुआ और जो तुम ने मांगा वह वाक़ेअ हो जाये तो नदामत के सिवा कुछ हासिल न होगा। (अहसनु व आलाम अहमद रज़ा बरेलवी)

क़सम और उसके कफ़्फ़ारा का बयान

मसला:– क़सम खाना जायज़ है मगर जहां तक हो कमी बेहतर है और बात बात पर क़सम खाना न चाहिए। बाज़ लोगों ने क़सम को तकिया कलाम बना रखा है कि क़स्द व बिला क़स्द ज़बान पर जारी रहती है और इसका भी ख़्याल नहीं रखते कि बात सच्ची है या झूठी। यह सख़्त माअयूब और बड़े ऐब की बात है और ख़ुदा के सिवा किसी और की क़सम खाना मकरूह और बुरी बात है और

यह शरअन क़सम भी नहीं। यानी उसके तोड़ने से कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं। (बहारे शरीअत)

मसला:- यह अल्फ़ाज़ क़सम नहीं अगरचे आदमी उनके बोलने से गुनाहगार होगा। जबकि अपनी बात मे झूठा हो "अगर ऐसा करूं तो मुझ पर खुदा का ग़ज़ब हो उसकी लानत हो। उस का अज़ाब हो। खुदा का क़हर टूटे। मुझ पर आसमान फट पड़े वग़ैरहा। यूंही रसूलुल्लाह की शफ़ाअत न मिले। खुदा का दीदार मुझे नसीब न हो। मरते वक़्त कलिमा नसीब न हो। (बहारे शरीअत)

मसला:- जो शख़्स किसी चीज़ को अपने ऊपर हराम करे मसलन कहे कि फ़्लां चीज़ मुझ पर हराम है तो इस कह देने से वह चीज़ हराम नहीं होगी कि अल्लाह ने जिस चीज़ को हलाल किया उसे कौन हराम कर सके। मगर उसके बरतने से कफ़्फ़ारा लाज़िम आयेगा। यानी यह भी क़सम है। (तबीय्युनुलहक़ायक़)

मसला:- तुझ से बात करना हराम है यह क़सम है बात करेगा तो कुफ़्फ़ारा लाजिम आयेगा। (आलमगीरी)

मसला:- खुदा और रसूल की कसम यह काम न करूंगा। यह क़सम नहीं। (आलमगीरी)

मसला:- दूसरे के क़सम दिलाने से कसम नहीं होती मसलन तुम्हें खुदा की कसम यह काम कर दो इस कहने पर उस पर क़सम न होगी यानी न करने से कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं। (आलमगीरी)

मसला:- जान बूझ कर झूठी क़सम खाई जिसे ग़मोस कहते हैं तो यह सख़्त गुनाह है उस पर तौबा व इस्तिग़फ़ार फ़र्ज़ है मगर कुफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं।

और अगर अपने ख़्याल में उसने सच्ची कसम खाई थी मगर

हक़ीक़त में झूठी है मसलन जानती थी (जानता था) कि फलां शख़्स नहीं आया है और क़सम खाई कि नहीं आया है और हक़ीक़त में वह आया है तो ऐसी क़सम को लग़्व कहते हैं उसमें कफ़्फ़ारा भी नहीं और अगर आईन्दा के लिए क़सम खाई तो उसको मुन्अक़िद कहते हैं। ऐसी क़सम अगर तोड़ेगी कुफ़्फ़ारा देना पड़ेगा। और बाज़ सूरतों में गुनहागार भी होगी। (आमए कुतुब)

मसला:– क़सम तोड़ने का कुफ़्फ़ारा, गुलाम आज़ाद करना या दस मिसकीनों को खाना खिलाना या उनको कपड़े पहनाना है। यानी यह अख़्तियार है कि इन तीनों में से जो चाहे करे और जो शख़्स इन में से किसी बात पर क़ादिर न हो तो पे दर पे तीन रोज़े रखे। (आमए कुतुब)

मसला:– औरत को इन रोज़ों के दरमियान अगर हैज़ आ गया तो पहले के रोज़े का एतबार न होगा यानी अब पाक होने के बाद लगातार तीन रोज़े रखे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– क़सम तोड़ने से पहले कफ़्फ़ारा नहीं और दिया तो अदा न होगा। यानी अगर कुफ़्फ़ारा देने के बाद क़सम तोड़ी तो अब फिर कुफ़्फ़ारा दे कि जो पहले दिया है वह कुफ़्फ़ारा नहीं मगर फ़क़ीर के दिये हुए को वापस नहीं ले सकती। (आलमगीरी)

मसला:– कुफ़्फ़ारा उन्हीं मसाकीन को दे सकती है जिन को ज़कात दे सकती है यानी अपने मां बाप औलाद वग़ैरहुम को जिन को ज़कात नहीं दे सकती कुफ़्फ़ारा भी नहीं दे सकती यूंही कुफ़्फ़ारा की क़ीमत मस्जिद में सर्फ़ नहीं कर सकती वहां कुफ़्फ़ारा की क़ीमत भी नहीं दे सकती। (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

मसला:– क़सम में एक क़ायदा यह याद रखना चाहिए कि जिसका

कसम में हर जगह लिहाज़ ज़रूरी है कि कसम के तमाम अल्फ़ाज़ से वह मानी लिये जायेंगे जिन में अहले उर्फ़ इस्तेमाल करते हों मसलन किसी ने कसम खाई कि किसी मकान में नहीं जाऊंगी और मस्जिद या काबा मोअज़्ज़मा में गई तो कसम नहीं टूटी। अगरचे यह भी मकान हैं यूंही लफ़्ज़ों के बोल चाल में जो मानी हैं वह मुराद लिये जायेंगे। कसम खाने वाले की नीयत और मकसद का एतबार न होगा। मसलन कसम खाई कि दरवाज़ा से बाहर न जाऊंगी और दीवार कूद कर या सीढ़ी लगा कर बाहर चली गई तो कसम नहीं टूटी। अगरचे उससे मुराद यह है कि घर से बाहर न जाऊंगी। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- कसम खाई कि फ़लां के घर न जाऊंगी तो जिस घर में वह रहता है उसमें जाने से कसम टूट गई अगरचे वह मकान उसका न हो बल्कि किराया पर या आरियतन उसमें रहता है। यूंही जो मकान उसकी मिल्क में है अगरचे उसमें रहता न हो उसमें जाने से भी कसम टूट जायेगी। (आलमगीरी)

मसला:- जो चीज़ ऐसी हो कि चबा कर हल्क़ से उतारी जाती हो, उसके हल्क़ से उतारने को खाना कहते हैं अगरचे उसने बग़ैर चबाये उतार ली और पतली चीज़, बहती हुई को हल्क़ से उतारने को पीना कहते हैं मगर कसम में यहां भी मुहावारात का ज़रूर ख़्याल करना होगा कि कहां खाने का लफ़्ज़ बोलते हैं और कहां पीने का। मसलन उर्दू में दूध पीने को भी दूध खाना कहते हैं। लिहाज़ा अगर कसम खाई कि दूध नहीं खाऊंगी तो पीने से भी कसम टूट जायेगी और अगर कोई ऐसी चीज़ खाई जिस में दूध मिला हुआ है। मगर उसका मज़ा महसूस नहीं होता

तो उसके खाने से क़सम नहीं टूटी। (बहारे शरीअत)

मसला:- चखने के मानी हैं, किसी चीज़ को मुंह में रख कर उसका मज़ा मालूम करना और उर्दू मुहावरा में अक्सर मज़ा दरयाफ़्त करने के लिए थोड़ा सा खा लेने या पी लेने को भी चखना कहते हैं। अगर क़रीना से यह बात मालूम हो कि इस कलाम में चखने से मुराद थोड़ा सा खा कर मज़ा मालूम करना है तो यह मुराद लेंगे मसलन कोई शख़्स कुछ खा पी रहा है उसने दूसरे को बुलाया। उसने इन्कार किया, उसने कहा ज़रा चख कर तो देखो कैसी है तो यहां चखने से मुराद थोड़ी खाना लेना है। और अगर क़रीना न हो तो मुतलक़न मज़ा मालूम करने के लिए मुंह में रखना मुराद होगा कि इस मानी में भी यह लफ़्ज़ बोला जाता है। (बहारे शरीअत)

मसला:- क़सम खाई कि खाना नहीं खाऊंगी और कोई ऐसी चीज़ खाली जिसे उर्फ़ में खाना नहीं कहते। मसलन दूध पी लिया या मिठाई खाली तो क़सम नहीं टूटी। (बहारे शरीअत)

मसला:- किसी से कलाम न करने की क़सम खा ली तो खत भेजने या किसी के हाथ कुछ कहला भेजने या इशारा करने से क़सम टूटेगी। (आलमगीरी)

मसला:- क़सम खाई कि फ़लां का ख़त न पढ़ूंगी और ख़त को देखा और जो कुछ उस में लिखा है उसे समझा तो क़सम टूट गई कि ख़त पढ़ने से यही मक़सूद होता है। ज़बान से पढ़ना नहीं जैसा कि कलाम न करूंगी। (आलमगीरी)

मसला:- क़सम खाई कि तेरे मकान का खाना पीना मुझ पर हराम है या कहा कि तेरे मटके का पानी पीना हराम है तो यह क़सम है अगर उसके घर का खाना खायेगी पीयेगी या दूसरी सूरत में उसके

मटके का पानी पीयेगी तो कसम का कफ़्फ़ारा देना आयेगा। (फ़तावा रिज़्वियह)

मसला:– क़सम खाई कि फलां के घर नहीं जाऊंगी तो जिस घर में वह रहता है उस में जाने से क़सम टूट गई अगरचे वह मकान उस का न हो बल्कि किराया पर या आरियतन उसमें रहता हो यूंही जो मकान उसकी मिल्क में है अगरचे उसमें रहता न हो उसमें जाने से भी क़सम टूट जायेगी। (आलमगीरी)

मसला:– क़सम खाई कि गोश्त नहीं खायेगी तो मछली खाने से क़सम नहीं टूटेगी यूंही कलेजी, तिल्ली, फेफड़ा, दिल, गुर्दा, औझड़ी दुम्बा की चिकती के खाने से भी नहीं टूटेगी कि उन चीज़ों को उर्फ़ में गोश्त नहीं कहते और अगर किसी जगह उन चीज़ों का भी गोश्त में शुमार हो तो वहां उनके खाने से भी क़सम टूट जायेगी। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार)

मसला:– मन्नत की बाज़ सूरतों में भी कुफ़्फ़ारा होता है मसलन कहा कि अगर मैं तुम से बात करूं या तुम्हारे घर आऊं तो मुझ पर इतने रोज़े हैं कि उस का मक़सद यह है कि मैं तुम से बात नहीं करूंगी या तुम्हारे यहां नहीं आऊंगी ऐसी सूरत में अगर शर्त पाई गई यानी उसके यहां गई या उससे बात की तो अख़्तियार है कि जितने रोज़े कहे थे वह रख ले या कफ़्फ़ारा दे दे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– जिस मन्नत में शर्त का ज़िक्र न हो तो मन्नत का पूरा करना ज़रूरी है हज या उमरा या रोज़ा या नमाज़ या ख़ैरात या एतकाफ़ जिसकी मन्नत मानी हो वह करे। (आलमगीरी)

मसला:– मन्नत या कसम में इन्शाअल्लाह तआला कहा तो उसका पूरा करना वाजिब नहीं। बशर्ते कि इन्शाअल्लाह का लफ़्ज़ उसके

कलाम से मुत्तसिल हो और अगर फ़ासला हो गया, मसलन कसम खाकर चुप हो गई या दरमियान में कुछ और बात की फिर इन्शाअल्लाह कहा तो कसम बातिल न हुई। यूंही हर वह काम जो कलाम करने से होता है। मसलन तलाक़, वायदा इकरार वग़ैरह, यह सब ख़िलाफ़ करने से कफ़्फ़ारा वग़ैरह लाज़िम नहीं आता।

फ़ायदा जलीला

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम फरमाते हैं ख़ुदा की कसम इन्शाअल्लाह मैं कोई कसम खाऊं और उसके ग़ैर में भलाई देखूं तो वह करूंगा। जो बेहतर है और कसम का कुफ़्फ़ारा दे दूंगा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

और दूसरी हदीस में है कि जो शख़्स कसम खाए और दूसरी चीज़ उससे बेहतर पाये तो कसम का कुफ़्फ़ारा देदे और वह काम करे। (मुस्लिम व तिर्मिज़ी)

तो वह जो बाज़ मर्दों और औरतों में आदत होती है कि ज़रा ज़रा सी बात पर न करने की कसम खा बैठते हैं बल्कि बाज़ तो ऐसे बेबाक होते हैं कि मरने के बाद जनाज़ा पर न जाने की कसम खा बैठते हैं हलांकि वह अपने अज़ीज़ और मुसलमान होते हैं उन्हें इन हदीसों से सबक़ हासिल करना चाहिए कि कसम तोड़ दें कुफ़्फ़ारा अदा करने और ताल्लुकात को बरकरार रखें। अल्लाह तआला हम सब को तौफ़ीक़ अता फरमाये।

بجاہ النبی الامی الامین علیہ افضل الصلوٰۃ واکمل التسلیم۔

हदूद और ताज़ीरात (जुर्म व सज़ा) का बयान

हद एक किस्म की सज़ा है जिसकी मिक्दार शरीअत की जानिब से मुकर्रर है इस में कमी बेशी नहीं हो सकती। इससे मक्सूद लोगों को ऐसे कामों से बाज़ रखना है जिसकी यह सज़ा है कि हद क़ायम करना बादशाह इस्लाम या उसके नायब का काम है यानी बाप अपने बेटे पर या मसलन उस्ताद अपने शागिर्द पर, शौहर अपनी बीवी पर या बड़ा अपने छोटे पर क़ायम नहीं कर सकता।

और ताज़ीर उस सज़ा को कहते हैं जो किसी गुनाहगार पर बग़र्ज़ तादीब दी जाये शरीअत मुतहहरा में उसके लिए कोई मिक्दार मोअय्यन नहीं बल्कि उसे हाकिम इस्लाम (क़ाज़ी) की राय पर छोड़ा है जैसा मौक़ा हो उसके मुताबिक़ अमल करे। ताज़ीर का अख़्तियार सिर्फ़ बादशाहे इस्लाम ही को नहीं शौहर बीवी को, मां बाप अपनी औलाद को और उस्ताद शागिर्द को ताज़ीर कर सकता है।

क़ाबिले हिफ़्ज़ फ़ायदा जलीला

इस्लाम ने इन्सानी बिरादरी को जो क्वानीन अता फ़रमाए हैं वह अपनी जगह इतने कामिल और मुकम्मल हैं कि उन पर अमल पैरा होने वाला इन्सान अपनी ज़िन्दगी बड़ी आसाइश व सहुलत और फ़ारिग़ुलबाली से बसर कर सकता हैं अब जो लोग इन आसाइशों और माआशिरा में पायी जाने वाली नेमतों के निज़ाम को दरहम बेरहम करना चाहते हैं वह दरअसल अमने आमा पर डाका डालना और निज़ामे हयात को बरबाद करना चाहते हैं लिहाज़ा ये मुस्तहिक़ भी

ऐसी ही सज़ाओं के हैं जो शरीअत मुतहहरा ने मुकर्रर की हैं या जिन का अख़्तियार हाकिम इस्लाम को दिया गया है।

मसलन औरत की इज़्ज़त व नामोस, ख़ान्गी ज़िन्दगी की जान है। अब अगर एक मर्द और एक औरत बग़ैर उसके कि उन के दरमियान जायज़ रिश्ता, मीयां बीवी का हो, बाहम मुबाशिरत व हम बिस्तरी का इरतिकाब करें तो यह कोई मामूली बात और क़ाबिले माफ़ी जुर्म नहीं। बल्कि ग़ौर करें तो यह वह जुर्म है जिससे इज्तिमाई ज़िन्दगी की जड़ ही कट कर रह जाती है। इसी वजह से हर ज़माने में इन्सानी बिरादरी बशर्ते कि वह नफ़्स परस्ती की असीर न हो। इन्सानी मआशिरा को पाकीज़ा रखने के लिए निकाह को (ख़्वाह वह किसी भी सूरत में अन्जाम पज़ीर हो) रिवाज देती रही और साथ ही साथ नाजायज़ मेल मिलाप को ख़त्म करने के लिए कोशिश में मसरूफ़ रही।

इस्लामी कानून ने ज़िना को एक बदतरीन मआशिरती जुर्म क़रार देकर, ज़ानी व ज़ानिया के लिए सख़्त सज़ायें तजवीज़ कीं और मंशा उसका यह है कि लोग इन सज़ाओं के ख़ौफ़ से उस जुर्म ख़बीस का इरतिकाब न करें और किसी को उस पर सज़ा देने की नौबत ही न आने पाये। यहां यह बुनियादी नुक्ता याद रहे कि इस्लाम ने मआशिरे की बुनियाद ख़ानदान ही को क़रार दिया है। अगर ख़ानदान का निज़ाम सही उसूल पर क़ायम हो गया तो इस्लाह सारे मआशिरे की हो कर रहेगी। यूंही चोरी शरीअत इस्लामिया में एक बदतरीन जुर्म है। इस्लाम ने फ़र्द व जमाअत दोनों के लिए अमन व अमान और सकून ख़ातिर का जो बेहतरीन व कामिल तरीन निज़ाम क़ायम किया है चोर उसमें रख़ना डालना और उस सारी फ़िज़ा को दरहम

बरहम कर डालना चाहता है तो चोर बद बख़्त मुजरिम है ही ऐसी सज़ा का मुसतहिक़। इसीलिए इस सज़ा में तख़फ़ीफ़ या तरहहुम का हक़ हाकिम इस्लाम को भी हासिल नहीं जबकि जुर्म उसकी अदालत में बतरीक़ शरई साबित हो जाये।

यूंही किसी अफ़ीफ़ व अफ़ीफ़ा (पाक दामन मर्द ख़्वाह औरत) की जानिब ज़िना व बद चलनी जैसे बदतरीन जुर्म की निसबत भी वही लोग कर सकते हैं जो बेबाक हों। जब ज़िनाकारी ख़ुद एक शदीद गुनाह ठहरा उसकी तोहमत भी किसी कलिमा गो के हक़ में उसकी शदीद तोहीन व तज़लील के हम मानी हुई और सज़ा भी उसके लिए ऐसी ही सख़्त लाज़िम आई।

अल्लाह अल्लाह– अल्लाह तआला को मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत की इज़्ज़त व असमत और उसके नामोस तहफ़्फ़ुज़ का किस क़द्र एहतमाम है कि गवाह एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं इकट्ठे चार गवाह, वह भी चशम दीद होना चाहिए। अगर उस ताअदाद में एक की भी कमी रह जाएगी तो जिस पर ज़िना की तोहमत लगाई वह न ज़ानी करार दिया जायेगा न उस पर हद ज़िना लाज़िम आयेगी। तो जो बिला ज़रूरत ऐसी बात ज़बान से निकालता है वह एक मुसलमान की ख़ामख़ाह आबरू रेज़ी करता है जो शरीअत इस्लामिया की नज़र में सख़्त नापसन्दीदा बात है।

मन्शा इस हुक्म का यह है कि मआशिरा में लोगों की "आशनाइओं'' और नाजायज़ ताल्लुकात के चर्चे कतई तौर पर बन्द कर दिये जायें क्योंकि इससे बेशुमार बुराईयां फैलती हैं। शरीअत इस चीज़ का सद्दे बाब पहले ही क़दम पर कर देना चाहती है। एक तरफ़ वह हुक्म देती है कि अगर कोई ज़िना करे और शहादतों से उस का

जुर्म साबित हो जाये तो उसको वह इन्तिहाई सज़ा दो जो किसी और जुर्म पर नहीं दी जाती और दूसरी तरफ़ वह फ़ैसला करती है कि जो शख़्स किसी पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाये वह या तो शहादतों से अपना इल्ज़ाम साबित करे वरना उस पर अस्सी (८०) कोड़े बरसा दो ताकि आइन्दा वह या कोई दूसरा अपनी ज़बान से ऐसी बात बिला सबूत निकालने की जुरअत न कर सके। बिलफ़र्ज़ अगर इल्ज़ाम लगाने वाले ने किसी को अपनी निगाहों से बदकारी करते देख भी लिया तब भी उसे ख़ामोश रहना चाहिए और दूसरों तक उसे न पहुंचाना चाहिए। ताकि गन्दगी जहां है वहीं पड़ी रहे आगे न फैल सके। अल्बत्ता अगर उसके गवाह मौजूद हों तो मआशिरा में बेहूदा चर्चे करने की बजाये मामला हुक्काम के पास ले जाये और अदालत में मुल्ज़िम का जुर्म साबित करके उसे सज़ा दिलवा दे।

क्या आज दुनिया के किसी क़ानून में मआशिरा की पकीज़गी व सफ़ाई का इस दर्जा एहतमाम व लिहाज़ है जितना क़दम क़दम पर शरीअते इस्लामिया में पाया जाता है। और अक़्ल के कोरे इन सज़ाओं को ज़ुल्म से ताबीर करते नहीं शर्माते।

इसी तरह मआशिरा में आज तक जितने फ़सादात, शराब नोशी से पैदा हो चुके हैं अज़हर मिनश्शम्स हैं। गालियां यह बकवाये, बेहयाई यह फैलाये हरामकारी की तरफ़ यह लाये। बलवे दंगे यह करादे। चोरी ठगी पर यह आमादा करे। क़त्ल व ग़ारत की नौबत यह ले आये। घरानों की रौनकें यह उजाड़े। ज़िन्दगी से लहलहाते चमन को यह बिगाड़े। हर इबादत से, तहारत से पाकीज़गी से यह रोक दे और इस तरफ़ तो उसके लिए कोई बात ही नहीं।

इसलिए अक़्ल सलीम के लिहाज़ से शराब क़ाबिले शिर्क और

वाजिबुल एहतराज़ है और यह फ़ख़्र तारीख़ में इस्लाम ही को हासिल है कि उसने हदूद मुमलिकत से उस उम्मुलख़बाइस (शराब) का ख़ात्मा ही कर दिया और उम्मत की निगाहों में "शराबी" को इन्तिहाई तहक़ीर और तज़लील का लक़ब क़रार दिया। यहां तक कि दुनियाए ईसाइयत को भी तस्लीम करना पड़ा कि "दुनिया में इन्सदादे मैनोशी (शराब बन्दी) की सब से बड़ी अंजुमन ख़ुद इस्लाम है। बर ख़िलाफ़ इसके यूरोपीयन तिजारत के क़दम जहां जहां पहुंचते जाते हैं- मैनोशी व बदकारी और लोगों की अख़लाक़ी पस्ती बढ़ती ही चली जाती है।

अब शराब बन्दी के लिए ज़लील व कमीना सिफ़्त इन्सानों की कमर पर अगर कोड़े बरसा दिये जायें तो इसमें शर्माने और लजाने की बात क्या है।

फ़िक़्ही मसायल मुताल्लिक़ ब ज़िना

मसला:- जिस मर्द औरत से ज़िना सरज़द हो और वह मुकल्लफ़ यानी आज़ाद आक़िल बालिग़ और निकाह सही के साथ, मंकूहा से सोहबत व हम बिस्तरी कर चुका हो ख़्वाह एक ही मर्तबा। ऐसे शख़्स से ज़िना साबित हो उसके लिए सज़ाए ज़िना रजम या संगसारी है ताआंकि वह मर जाये। और अगर उनसे एक बात भी न हो मसलन आज़ाद न हो या मुसलमान न हो या आक़िल बालिग़ न हो। या आक़िल बालिग़ हो लेकिन हनूज़ उसका निकाह न हुआ हो। या निकाह तो हो चुका हो लेकिन हमबिस्तरी की नौबत अभी न आई हो या जिसके साथ सोहबत की हो उसके साथ निकाह फ़ासिद हुआ हो ऐसों से ज़िना साबित होने की सूरत में सौ कोड़े मारने की सज़ा है। (आमए कुतुब)

मसला:- ज़िना का सबूत या तो चार मर्दों की गवाहियों से होता

है या ज़िना करने वाले के चार मर्तबा इक्रार कर लेने से। फिर भी इमाम बार बार सवाल करेगा और दरयाफ़्त करेगा कि ज़िना से क्या मुराद है, कहां किया, किससे किया, कब किया और उन सब का बयान कर दिया तो ज़िना साबित होगा वरना नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- गवाहों से सबूत ज़िना के लिए यह बात ज़रूरी है कि चार मर्द आकिल बालिग़ मुसलमान परहेज़गार दीनदार जो न किसी कबीरा गुनाह का इरतकाब करते हों न किसी सग़ीरा पर इसरार रखते हों, न खफ़ीफ़ुल हरकात हों कि कोई बात ख़िलाफ़ मरव्वत छछोरे पन की मसलन सरे बाज़ार खाना खाना या आम गुज़रगाहों पर सबके सामने पेशाब करना। उनसे सादिर नहीं होतीं। हलफ़ शरई के साथ शहादत दें और एक ही मजलिस में सराहतन अपना मुआयना बयान करें कि उन्होंने एक ही वक़्त में फ़लां मर्द को फ़लानी औरत से ज़िना करते हुए अपनी आंखों से उसका इन्दाम उसके जिस्म में इस तरह देखा जैसे सुर्मा दानी में सलाई। इन शर्तों में से एक बात भी कम होगी तो खुद गवाही देने वालों पर हदे कज़्फ़ जारी होगी और वह शरअन ८०,८० कोड़ों के मुस्तहिक होंगे। मसलन गवाहों में तीन दीनदार मुसलमानों ने वैसी ही गवाही दी जैसे कि शरअन दरकार मगर चौथे ने यह गवाही दी कि मैंने दोनों को बिल्कुल सरापा बरहना एक पलंग पर बैठे हुए और बाहम लेटे हुए देखा तो ज़िना साबित न होगा। या दो ने कहा कल देखा। दो ने कहा आज "या तीन ने कहा सुबह देखा। एक ने कहा तीसरे पहर तो सब की गवाहियां मर्दूद और ज़िना साबित न होगा। यूंही बेहूदा व बे मानी व बेअसल गवाहों से ज़िना का सबूत कियामत तक नहीं हो सकता। औरतों की गवाहियां ज़िना के बारे में बिल्कुल काबिले एतबार नहीं बल्कि मर्दूद

हैं यूंही बज़ारी अफ़्वाह से भी ज़िना का सबूत नहीं हो सकता। लो
महज़ अपने क़ियास व क़रीने के घोड़े दौड़ाते और अपनी तरफ़
ख़्यालात बातिला बांध लेते या फ़क़्त दो एक शख़्सों या सिर्फ़ औरत
के कहने पर उड़ा देते हैं कि फ़लां ऐसा है फ़लानी ऐसी है। यह न
शरअन मोअतबर है न उस पर सुनने वालों को एतबार हलाल
(फ़तावा रिज़वियह)

हदे क़ज़फ़ का बयान

मसला:- किसी को ज़िना की तोहमत लगाने को क़ज़फ़ कहते
हैं। और जो शख़्स मर्द हो या औरत, किसी पारसा मुसलमान, मर्द
ख़्वाह औरत को जबकि आज़ाद आक़िल बालिग़ हों, ज़िना की तोहमत
लगाये और उस पर चार मुआयना के गवाह पेश न कर सके उस
पर हद वाजिब हो जाती है हदे क़ज़फ़ आज़ाद पर अस्सी (८०) कोड़े
हैं और ग़ुलाम पर चालीस (४०) (दुर्रेमुख़्तार रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

मसला:- किसी पारसा औरत को रन्डी या कसबी कहा (जैसा
कि जाहिल औरतें एक दूसरे को लड़ाई झगड़े में कह देती हैं) तो
यह क़ज़फ़ है और जिसने कहा वह हद की मुस्तहिक़ है कि यह अल्फ़ाज़
उन्हीं के लिए है जिन्होंने ज़िना को पेशा कर लिया है।

मसला:- बाज़ औक़ात तम्बीह और सरज़िन्श के लिए बाप का
नाम लेकर कह दिया करते हैं कि तू फ़लां का बेटा नहीं और मक़सद
यह होता है कि तू आदत व ख़सलत में अपने बाप जैसा नहीं तो इस
सूरत में हद नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- औरतों बल्कि बाज़ मर्दों में भी वाही तबाही बातें मुंह
से निकालने और ख़्वाह मख़ाह बक बक झक झक की आदत होती

है मुंह से ऐसे करीह और फुहश अल्फ़ाज़ अदा किये जाते हैं। जिन्हें सुनना भी कोई शरीफ़ बरदाशत नहीं कर सकता। फिर नाम दिया जाता है इन बेहूदगियों, बदज़बानियों और गालियों को मज़ाक का दिल लगी का भई यह कौन सा मज़ाक़ है कि तुमने बिला बात दूसरे को हराम ज़ादा, भड़ुवा, हरामी हराम का बच्चा, या कुत्ता, गधा, सुअर, बन्दर, उल्लू वग़ैरह कह दिया। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ऐसे अल्फ़ाज़ से दूसरों को कितनी अज़ीयत व तकलीफ़ बल्कि इज़्ज़त वाले की कैसी तौहीन व ज़िल्लत व रुसवाई होती है। यह सब बातें गुनाह की बातें हैं और कहने वाले ताज़ीर के मुस्तहिक़ होते हैं जिस का अख़्तियार हाकिमे शरअ को है जो सज़ा मुनासिब जाने दे। यहां यह बात याद रखने की है कि हर वह गुनाह जिस पर शरीअत ने कोई ख़ास सज़ा मुक़र्रर नहीं की है ख़्वाह वह कहने में आये या करने में हाकिमे इस्लाम मुख़्तार है कि उस पर जो चाहे सज़ा दे। (दुर्रे मुख़्तार)

ताज़ीर का बयान

मसला:– ताज़ीर की बाज़ सूरतों में महज़ ज़जर व तो बीख़ और तफ़हीम व तम्बीह भी काफ़ी हो सकती है तो यही दरकार है कोड़े मारना ही ज़रूरी नहीं। यूंही हाकिम इस्लाम ही की तरफ़ हर मामला में रूजूअ न किया जायेगा। मसलन छोटे बच्चे को भी ताज़ीर कर सकते हैं और उसको सज़ा उसका बाप या दादा या उसका वसी या मुअल्लिम देगा और मां को भी सज़ा देने का अख़्तियार है। कुरआन पढ़ने और अदब हासिल करने और इल्म सीखने के लिए बच्चे को उसके मां बाप मजबूर कर सकते हैं। यूंही यतीम बच्चा जो किसी की परवरिश में है उसे भी इन बातों पर मारा जा सकता। जिन

पर अपने लड़के को मारता। (दुर्रे मुख़्तार, रददुलमुहतार) क्योंकि अगर यतीम बच्चा को मुतलकुलअनान, बिल्कुल आज़ाद, छोड़ दिया जाये और उसकी किसी हरकत पर बाज़ पुरस न की जाये तो वह इल्म व अदब और शर्म व लिहाज़ से बिल्कुल महरूम रह जायेगा। और अमूमन बच्चे बग़ैर तम्बीह काबू में नहीं आते और जब तक उन्हें ख़ौफ न हो कहना नहीं मानते। मगर मारने का मक़सद सही होना ज़रूरी है। ऐसे ही मौक़ा पर फ़रमाया गया। وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ। अल्लाह को मालूम है कौन मुफ़सिद है और कौन मुसलह। असातज़ा भी बच्चों को न पढ़ने या शरारतें करने पर सज़ायें दे सकते हैं। मगर कुल्लिया उनके पेशे नज़र भी होना चाहिए कि अपना बच्चा होता तो उसे भी इस कसूर पर इतनी ही सज़ा देते। जितनी अपने शागिर्द को दी है। बल्कि ज़ाहिर तो यह है कि हर शख़्स को अपने बच्चा की तालीम व तरबीयत का जितना ख़्याल होता है दूसरे का इतना ख़्याल नहीं होता तो अगर उस काम पर अपने बच्चे को न मारा या कम मारा और दूसरे के बच्चे को धुन डाला तो यह महज़ गुस्सा उतारने के लिए है। सुधारना मकसूद नहीं वरना अपने बच्चे के सुधारने का ख़्याल ज़्यादा होता। बच्चे अगर सादात किराम के हों और ऐसी वैसी हरकतें करें या पढ़ने में जी न लगायें या उस्ताद का अदब बड़ों की ताअज़ीम न बजा लायें तो सज़ा नहीं भी दी जा सकती है मगर यहां नीयत इस्लाह के साथ यह भी ख़्याल दिल में रहना चाहिए कि साहबज़ादे के कपड़ों पर कीचड़ लग गई है मैं उसे छुटा रहा हूं। (बहारे शरीअत वग़ैरह)

मसला:- बाज़ हालतों में शौहर अपनी बीवी को इसी इसलाह की नीयत से सज़ा दे सकता है। मसलन अगर औरत बावजूद कुदरत

बनाव सिंगार न करे सर झाड़ मुंह फाड़ रहे या गुस्ले जनाबत न करे। या जिस मौक़ा पर उसे इजाज़त लेने की ज़रूरत है बिला इजाज़त घर से चली जाये। या शौहर ने अपने पास बुलाया और नहीं आई जबकि हैज़ व निफ़ास से पाक थी और फ़र्ज़ रोज़ा भी रखे हुए न थी। या छोटे नासमझ बच्चे को मार दिया या ग़ैर महरम के सामने चेहरा खोल दिया। या अजनबी मर्द से कलाम किया शौहर को गाली दी या उसके कपड़े फाड़ दिये।

मसला:- शौहर को जहां यह अख़्तियार दिया गया है कि वह औरत की कोताहियों पर उसे मार सकता है। इसका मतलब यह नहीं शौहर इस कमज़ोर मख़लूक पर ज़ोर आज़माई करे और लाठी या डंडा उठा कर इस पर बरसाना शुरू कर दे कि यह सुलूक तो जानवरों से भी नाहक रवा नहीं। तो अगर किसी बेरहम ने अपनी बीवी को इतना मारा कि उसकी हड्डी टूट गई या खाल फट गई या न सही उसके जिस्म पर नीला दाग़ पड़ गया तो अब लेने के देने पड़ जायेंगे। फ़र्ज़ कर लो औरत ने खिसया कर हाकिमे इस्लाम के यहां दावा कर दिया और अपने दावा के सुबूत में गवाहों को पेश कर दिया और उनकी गवाही से शौहर की यह हरकत साबित हो गई तो शौहर की उस बेजा मार पीट की वजह से ताज़ीर हो गई। हाकिम इस्लाम जो चाहेगा उसे मुनासिब सज़ा देगा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- किसी जाहिल ख़बीस के बहकाये में आकर या ख़ुद औरत इस ग़र्ज़ से मआज़अल्लाह कुफ़्र की कोई बात ज़बान से निकाल बैठी या कोई और ऐसी हरकत कर बैठी जिससे कुफ़्र लाज़िम आता है और यह सब क्या उस नीयत व ग़र्ज़ से कि शौहर से पीछा छूट जाये तो उसे सज़ा दी जायेगी और उसे दोबारा अज़ सरे नो इस्लाम लाने और

फिर उसी शौहर से निकाह करने पर मजबूर किया जायेगा वह हरगिज़ दूसरे से निकाह नहीं कर सकती इसे कहते हैं गू खाया और काल भी न कटा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

एक नफ़ीस फ़ायदा

गुनाह तीन क़िस्म के हैं एक हल्के कि हद की हद तक न पहुंचे जैसे अजनबीया से बोस व कनार। उन पर हद मुक़र्रर नहीं होगी कि हद ऐसे गुनाहों की मिक्दार से ज़ायद है और मौला अज़्ज़ोजल उससे पाक है कि किसी मुजरिम को उसकी हद जुर्म से ज़्यादा सज़ा दे। ऐसे गुनाहों पर ताज़ीर रखी जाती है। दूसरे वह अखबस दरजा कि गुनाह की हद की हद से गुज़रे हुए हैं। (जैसे मां बहन वग़ैरह अबदी महर्रमात से जान बूझ कर निकाह और हमबिस्तरी) इन पर हद नहीं रखी जाती कि हद उस गुनाह से पाक करने को होती है और ऐसा ख़बीस गुनाह उस हद से पाक नहीं होता। तीसरे मुतवस्सत दरजा इन पर हदूद हैं। इसकी नज़ीर पेशाब और शराब। पेशाब शराब से ख़बीस तर है कि कभी किसी शरीअत में उसकी एक बूंद हलाल या ज़ाहिर न ठहर सकी। बई हमा शराब पीने पर हद है और पेशाब पीने पर हद नहीं। यूंही अजनबीया पर ज़िना से हद है और महारम (वह औरत जो हमेशा हराम हैं उन से) निकाह (व हमबिस्तरी) पर नहीं कि वह ख़बीस का काम है। जिसे हद संभाल नहीं सकती। (फ़तावा रिज़वियह)

शराब नोशी की हद का बयान

शराब नोशी एक ऐसी लानत है जिसे कुरआन करीम ने

رِجۡسٌ مِّنۡ عَمَلِ الشَّيۡطٰنِ फ़रमाया यानी गन्दा शैतानी काम, महज़ तहरीक शैतानी का नतीजा। शराब नोशी के नुक़्सान रसां असरात शर व फ़साद की शक्ल में हमारे रोज़मर्रह के मुशाहिदे हैं।

हदीस शरीफ़ में इसे उम्मुलख़बाइस और बुराई की कुंजी फ़रमाया। बाज़ अहादीस में इरशाद हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने शराब के बारे में दस शख़्सों पर लानत फ़रमाई। बनाने वाला। बनवाने वाला पीने वाला उठाने वाला। जिस के पास उठा कर लाई गई। पिलाने वाला। बेचने वालां उसकी कमाई खाने वाला ख़रीदने वाला और जिसके लिए ख़रीदी गई। (तिर्मिज़ी) ग़र्ज़ जिस तरह शराब पीना नाजायज़ व हराम और मोजब लानत इलाही है। इसी तरह उसके कारोबार में हिस्सा लेना और उससे किसी भी तरह का नफ़ा उठाना हराम, हराम हराम, और लानते ख़ुदावन्दी का बाअस है।

यहां तक कि हदीस शरीफ़ में फ़रमाया कि जो शख़्स अल्लाह और क़ियामत के दिन पर ईमान रखता है वह ऐसे दस्तरख़ान पर न बैठे जिस पर शराब पी जाती है। (तबरानी) अबूदाऊद में रिवायत है कि एक साहब ने अर्ज़ किया। या रसूलुल्लाह हम एक ऐसे इलाके के रहने वाले हैं जो निहायत सर्द है और हमें मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। हम गेहूं की शराब बनाते हैं और उससे थकान और सर्दी का मुक़ाबला करते हैं। जिस की वजह से हम काम करने के क़ाबिल हो जाते हैं और सर्दी का भी असर नहीं होता। "इरशाद फ़रमाया गया उसमें नशा होता है। अर्ज़ किया हां। फ़रमाया तो उस से परहेज़ करो" उन्होंने ने अर्ज़ किया मगर हमारे इलाके के लोग तो न छोड़ेंगे फ़रमाया "अगर वह न मानें तो उनसे क़िताल (जंग) करो।"

सही मुस्लिम में है कि एक सहाबी ने अर्ज़ किया हम तो शराब को दवा के लिए बनाते हैं "तो क्या बतौर दवा उसके इस्तेमाल की इजाज़त है। फरमाया "वह दवा नहीं यह तो ख़ुद एक बीमारी है।"

दुनियावी नुक्सानात जो मैनोशी का नतीजा होते हैं वही इबरत के लिए बहुत काफी हैं। लेकिन अख़रवी कबाहतें जो सज़ा के तौर पर कल शराब नोशों को भुगतनी पड़ेंगी। उनके तसव्वुर ही से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद गरामी है कि जो शख़्स नशा पीयेगा उसे अल्लाह طينة الخبال से पिलायेगा। लोगों ने अर्ज़ की طينة الخبال क्या चीज़ है फरमाया जहन्नमियों का पसीना या उसका असारा (निचोड़) (मुस्लिम शरीफ) इमाम अहमद ने रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तआला फरमाता है। कसम है मेरी इज़्ज़त की। मेरा जो बन्दा शराब का एक घूंट भी पियेगा मैं उसको उतनी ही पीप पिलाऊंगा। और जो बन्दा मेरे ख़ौफ से उसे छोड़ देगा उसको हौज़े कौसर से पिलाऊंगा।"

इमाम अहमद ही की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि शराब की मदावमत करने वाला (आदी शराबी) ख़ुदा से ऐसे मिलेगा जैसा बुत परस्त "

अफ्सोस कि मग़रिबी तहज़ीब ने औरतों में भी इस लानत को रिवाज दे दिया।

चन्द मसायल मुताल्लिका

मसला:– मुसलमान आकिल बालिग़ कि न गूंगा हो और न किसी ने उसे शराब पीने पर मजबूर किया हो अगर खमर यानी अंगूरी

कच्ची शराब का एक क़तरा भी पीये। या और दूसरी कोई शराब पी कर उसे नशा आ जाये तो उस पर हद क़ायम की जायेगी। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार)

मसला:- नशा यह है कि बात चीत साफ़ न कर सके। और कलाम का अक्सर हिस्सा हिज़यान (बकवास) हो अगरचे कुछ बातें ठीक भी हों। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- शराब नोशी का सबूत, दो मर्दों की गवाही से होगा और अगरचे ख़ुद इक़रार करता हो तो एक बार इक़रार काफ़ी है। हद क़ायम कर देंगे। जबकि इक़रार होश में करता हो और नशा में इक़रार किया तो काफ़ी नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- किसी जगह चन्द अशख़ास बैठे हैं और वहां शराब भी रखी है और उनकी मजलिस इस किस्म की है जैसे शराब पीने वाले, शराब पीने बैठते हैं अगरचे उन्हें पीते हुए किसी ने न देखा तो उन पर हद नहीं मगर सज़ा सब को दी जायेगी। (रद्दुलमुहतार) शराब नोशी की हद में अस्सी (८०) कोड़े मारे जायेंगे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- मजबूरी के यह मानी हैं कि जान जाने या अज़ू कटने या ज़र्ब शदीद का सही अन्देशा हो। (आमए कुतुब)

मसला:- नशा की हालत में वह तमाम अहकाम जारी होंगे जो होश में होते हैं। मसलन अपनी बीवी को तलाक़ देदी तो तलाक़ हो गयी या अपना कोई माल बेच डाला तो बैअ हो गयी। हां चंद बातों में उसका अहकाम होश की हालत के अहकाम से अलहदा हैं। मसलन नशा की हालत में कोई कलिमा कुफ़्र बका तों उसके मुरतद होने का हुक्म न देंगे यानी उसकी औरत बाइन न होगी। (रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

मसला :- भंग और अफ़ीम पीने से नशा हो तो हद कायम न करेंगे मगर सज़ा दी जायेगी और उनसे नशा की हालत में तलाक़ दी तो हो जाएगी। जबकि नशा के लिए इस्तेमाल की हो, और अगर इलाज के तौर पर इस्तेमाल की हो तो नहीं (रद्दुलमुहतार)

तम्बीह

अगर शराब नोशी, चोरी और इल्ज़ाम ज़िना पर कहीं हदूद जारी न हों तो चारह कार तर्क ताल्लुक़ है अव्वलन उसे समझाएं तम्बीह करें, तौबा कराएं वह बाज़ आ जायें फ़बिहुमा वरना मुसलमान मर्द और मुसलमान बीवियां ऐसों से मिलना जुलना उनके पास उठना बैठना उनके यहां शादी ब्याह में शरीक होना, उन्हें अपने यहां की तक़ारीब में शरीक करना, यक कलम सब छोड़ दें। बल्कि जो लोग उनके हम प्याला व हम निवाला हों और हरकतो से बाज़ न आएं तो उनके साथ भी यही सलूक करें कि यहां तर्क ताल्लुक़ के सिवा कोई सज़ा जारी नहीं हो सकती। وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر

हज़रत अमीरुलमोमिनीन अली मुर्तज़ा करमल्लाह तआला वजहुल करीम ने इर्शाद फ़रमाया कि अगर शराब का एक क़तरा कुंए में गिर जाए फिर उस जगह मिनारह बनाया जाए तो मैं उसपर अज़ान न कहूं। और अगर दरिया में शराब का क़तरा पड़े फिर वहां घास पैदा हो उसमें अपने जानवरों को न चराऊँ।'' सुबहानल्लाह, गुनाह से इस दर्जा नफ़रत अल्लाह तआला के ऐसे ही मुक़र्रबीन बारगाह और सालेहीन का हिस्सा है। मौलाए करीम हमें उनके ज़मरे में शुमार फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन०

मुरतद का बयान

मुरतद वह शख़्स है कि कलिमा गो होकर कुफ़्र करे। ख़्वाह यूं कि पहले मुसलमान था फिर ऐलानिया इस्लाम से फिर गया। कलिमा इस्लाम का मुन्किर हो गया। या यूं कि कलिमा इस्लाम अब भी पढ़ता है और अपने आप को मुसलमान ही कहता है मगर ज़रूरियाते दीन में से किसी का इंकार करता है। ग़र्ज़ ज़ुबान से कलिमा कुफ़्र बकता है जिसमें सही तावील की गुंजाइश नहीं या दीन का मज़ाक उड़ाकर और ज़रूरियाते दीन बल्कि तालीमाते इस्लाम को मज़हका खेज़ समझता है। बल्कि उलमाए किराम ने फ़रमाया कि जो शख़्स बतौर तमसख़ुर और हंसी मज़ाक में कुफ़्र करेगा वह भी काफ़िर है अगरचे कहता है कि ऐसा एतक़ाद नहीं रखता। बाज़ अफ़आल भी ऐसे हैं जिनसे आदमी इस्लामी बिरादरी से निकल कर काफ़िर हो जाता है मसलन बुत को सज्दा करना कुरआन शरीफ़ को नजासत की जगह फेंक देना। यूं ही वे आमाल जो कतअन ईमान के मुनाफ़ी हों उनके मुरतकिब को काफ़िर कहा जाएगा जैसे किसी बुत को या चांद सूरज को सज्दा करना। अंबिया व मुरसलीन में से किसी की तौहीन करना या मुसहफ़ शरीफ़ या काबा मोअज़्ज़मा की तौहीन करना या ज़ुन्नार बांधना, सर पर चोटियां रखना, कशका लगाना कि यह आमाल कुफ़्र की अलामत हैं।

और ज़रूरियात दीन वह मसायले दीन हैं जिन को ख़ास व आम जानते हों कि उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने रब के पास से लाये। जैसे अल्लाह अज़्ज़ोजल शानहु की वहदानीयत, अम्बीया की नुबूवत, जन्नत दोज़ख़, हश्र व नशर वग़ैरह या मसलन यह

एतक़ाद कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ख़ातमुन्नबिय्यीन हैं। हुज़ूर के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। ग़र्ज़ इस्लाम के बाद दीन की ऐसी बातों का इन्कार इरतिदा है और इसके मुरतकिब को मुरतद कहा जाता है। इरतिदाद कुफ़ की बदतरीन सूरत है। कुरआन करीम ने ऐसों ही के लिए फ़रमाया فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ यही वह लोग हैं जिनके आमाल दुनिया व आख़िरत में अकारत गये।

आमाल की बरबादी का असर, आख़िरत में तो यूं ज़ाहिर होगा कि यह बदनसीब मुरतद अपने को हर इबादत के सवाब और हर एक नेक अमल के अज्र से महरूम पायेगा और दुनिया में उसका ज़हूर यह होगा कि न मुसलमान बीवी से उसका निकाह क़ायम रह सकता है न मुसलमान की मीरास में उसे हिस्सा मिल सकता है। बल्कि हुकूमत अगर इस्लामी हो तो ऐसे बद अहद बाग़ी व ग़द्दार को ज़िन्दा रहने का भी हक़ नहीं रहता। अगर वह मुसलमान हो जाये और अपने कुफ़ से तौबा कर ले फ़बिहा वरना क़त्ल कर दिया जाये। (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी वग़ैरह) हुज़ूर अक़दस सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम का इरशाद गरामी है कि जो शख़्स अपने दीन को बदल दे (कलिमा गो हो कर इस्लाम से फिर जाये) उसे क़त्ल कर डालो। (बुख़ारी)

इमाम बुख़ारी ने अबू हुरैरह रज़ि अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "बन्दा कभी अल्लाह तआला की ख़ुशनूदी की बात कहता है और उसकी तरफ़ तवज्जोह भी नहीं करता। (यानी अपने नज़दीक एक मामूली बात समझता है) अल्लाह तआला उसकी वजह से बहुत दर्जे बुलन्द

करता है और कभी अल्लाह की नाराज़गी की बात करता है और उस का ख्याल भी नहीं करता इसकी वजह से जहन्नम में गिरता है और एक रिवायत में कि मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान जो फ़ासला है उससे भी फ़ासला पर गिरता है'' (वलअियाज़ बिल्लाह)

तम्बीह ज़रूरी

कुफ़्रो शिर्क से बद तर गुनाह नहीं और वह भी इरतिदाद, कि यह कुफ़्र असली से भी बाएतबार अहकाम सख़्त तर है जैसा कि उसके अहकाम से मालूम होगा मुसलमान को चाहिए कि इस से पनाह मांगता रहे कि शैतान हर वक़्त ईमान की घात में है और हदीस में फ़रमाया कि शैतान इन्सान के बदन में ख़ून की तरह तैरता है। आदमी को कभी अपने ऊपर या अपनी ताअत व आमाल पर भरोसा न करना चाहिए। हर वक़्त ख़ुदा पर भरोसा करे और उसी से बक़ाए ईमान की दुआ चाहे कि उसी के हाथ में क़ल्ब है और क़ल्ब को क़ल्ब इसी वजह से कहते हैं कि लोट-पोट होता रहता है। ईमान पर साबित क़दम रहना उसकी तौफ़ीक़ से है जिसके दस्त क़ुदरत में क़ल्ब है।

हदीस शरीफ़ में फ़रमाया कि शिर्क से बचो कि वह चींयूंटी की चाल से ज़्यादा मख़फ़ी है और उससे बचने की हदीस शरीफ़ में एक दुआ इरशाद फ़रमाई है। उसे हर रोज़ तीन मर्तबा पढ़ लिया करो कि शिर्क से महफ़ूज़ रहोगे। वह दुआ यह है-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَّاَنَا اَعْلَمُ وَ
اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ۔

इरतिदाद से मुताल्लिक़ चन्द अहकाम

मसला:- औरत या नाबालिग़ समझदार बच्चा मुरतद हो जाये उसको कत्ल न करेंगे बल्कि कैद करेंगे यहां तक कि तौबा करे और मुसलमान हो जाये और औरत मुरतद हो गई फिर इस्लाम लाई तो शौहर अव्वल से निकाह करने पर मजबूर की जायेगी यह नहीं हो सकता कि दूसरे से निकाह करे उसी पर फ़तवा है। (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसला:- मुरतद अगर अपने इरतिदाद से तौबा करे तो उसकी तौबा मक्बूल है मगर बाज़ मुरतदीन मसलन किसी नबी की शान में गुस्ताख़ी करने वाला कि उसकी तौबा मक्बूल नहीं तौबा कुबूल करने से मुराद यह है कि तौबा करने के बाद बादशाह इस्लाम उसे कत्ल न करेगा। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- मुरतद का ज़बीहा मुरदार है। अगरचे बिस्मिल्लाह पढ़ कर ज़िबह करे। मुरतद किसी मामला में गवाही नहीं दे सकता और किसी का वारिस नहीं हो सकता। यूंही इरतिदाद से मिल्क जाती रहती है। यानी जो कुछ उसके इमलाक व अमवाल थे सब उसकी मिल्क से ख़ारिज हो जायेंगे और ज़माना इरतिदाद में जो कुछ कमाया है उस में मुरतद का कोई वारिस नहीं। हां औरत को तलाक़ दी थी वह अभी इद्दत ही में थी कि शौहर मुरतद हो गया और उसी हालत में उसे कत्ल कर दिया गया तो वह औरत वारिस होगी। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार, हिदाया वग़ैरह)

मसला:- किसी दीन बातिल को अख़्तियार किया मसलन यहूदी या नसरानी हो गई तो दोबारा वह मुसलमान उस वक़्त समझी जायेगी

कि उस दीन बातिल से बेज़ारी और न फ़रत का इज़्हार करे और दीन इस्लाम कुबूल करे और अगर ज़रूरियाते दीन में से किसी बात का इन्कार किया हो तो जबतक उसका इक़रार न करे जिस से इन्कार किया था महज़ कलिमा शहादत पढ़ लेने पर उसके इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा कि कलिमा शहादत का उसने बज़ाहिर इन्कार न किया था। मसलन नमाज़ या रोज़े की फ़रज़ियत का इन्कार कर दे या शराब और सुअर की हुर्मत न माने तो उसके इस्लाम के लिए यह शर्त है कि जब तक ख़ास उस अम्र का इक़रार न करे उसका इस्लाम कुबूल नहीं। या अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जनाब में गुस्ताख़ी करने से काफ़िर हो तो जबतक ख़ास उससे तौबा न करे मुसलमान नहीं हो सकती। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

ज़रूरी नसीहत

मुरतद को कैद करना और इस्लाम न कुबूल न करने पर कत्ल कर डालना बादशाह इस्लाम का काम है। और उससे मक्सूद यह है कि ऐसा शख़्स अगर ज़िन्दा रहा और उससे बाज़ पुर्स न की गई तो मुल्क में तरह तरह के फ़ितने होंगे और फ़ितनों का सिलसिला रोज़ बरोज़ तरक्क़ी पज़ीर होगा। जिसकी वजह से अम्ने आमा में ख़लल पड़ेगा। लिहाज़ा ऐसे शख़्स को ख़त्म कर देना ही मुक्तज़ाए हिक्मत था। अब चूंकि हुकूमत इस्लाम बाकी नहीं कोई रोक थाम करने का मोअस्सिर ज़रिया नहीं हर शख़्स जो चाहता करता और बकता फिरता है और उसी बाअस आये दिन मुसलमानों में सर फुटव्वल और धींगा मशती के मनाज़िर देखने में आते हैं नये नये

मज़हब पैदा होते रहते हैं एक खानदान बल्कि बाज़ जगह एक घर में कई मज़हब के मानने वाले मौजूद हैं और बात बात पर लड़ाई झगड़े हैं। इन तमाम खराबियों के बाअस यही नये नये मज़हब और नई-नई मज़हबी टोलियां हैं जो नई तराश ख़राश से और चोले बदल बदल कर रोनुमा होती रहती हैं।

ऐसी सूरत में सब से बेहतर तर्कीब वह है जो ऐसे वक़्त के लिए कुरआन व हदीस में इरशाद हुई। अगर मुसलमान उस पर अमल करें तो तमाम किस्सों से नजात पायें और दुनिया व आखिरत की भलाई मुफ़्त कमायें। ख़ानदानों और घरानों के खरखशे ख़त्म हों और ख़ुदा और रसूल की रिज़ा हाथ आये।

और वह तरकीब यह है कि ऐसे लोगों से बिल्कुल मेल जोल छोड़ दें। सलाम कलाम तर्क कर दें। उनके पास उठना, बैठना, उनके साथ खाना पीना, उनके यहां शादी ब्याह या उनकी तकरीबों में, ग़र्ज़ हर किस्म के ताल्लुकात उनसे कतअ कर लें गोया समझें कि अब वह दुनिया में रहा ही नहीं। वल्लाहुल मुवाफ़िक़ (बहारे शरीअत वग़ैरह)

चन्द ग़लतफ़हमियों का इज़ाला

दुश्मनाने दीन कि खुद ज़रूरियात दीन का इन्कार करते हैं, अपने ऊपर से सरीह कुफ़्र के बावजूद, नाम कुफ़्र मिटाने के लिए खुदा और रसूल के अहकाम में, मनघड़त तावीलें करके मुसलमानों को अपने मकर व फ़रेब की बातों में फांस लेते हैं और अव्वामुन्नास बिलख़सूस उनकी औरतें उनके मकर का शिकार हो कर, इस्लाम से दूर जा पड़ती हैं। अल्लाह तआला हमें इस्लाम व ईमान पर साबित कद

रखे और उनके कलिमा गोयों के अग़वा व तलबीस से बचायें। आमीन०

मुसलमानों के यह दुश्मन, अवाम को छलने और ख़ुदाए वाहिद कहहार का दीन बदलने के लिए चन्द शैतानी मकर पेश करते हैं:-

पहला मकर

इस्लाम कलिमा गोई का नाम है हदीस में फ़रमाया जिसने ला-इला-हा इल्लल्लाह कह लिया वह जन्नत में हो जायेगा। फिर किसी कौल या फ़ेअल की वजह से कैसे काफ़िर हो सकता है। मुसलमानों ! ज़रा होशियार ख़बरदार- इस मकरे मलऊन का हासिल यह है कि इस्लाम फ़क़त तोते की तरह ज़बान से कलिमा रट लेने का नाम है। कलिमा इस्लाम ज़बान से कह लेना, गोया ख़ुदा का बेटा बन जाता है कि आदमी का बेटा कुछ भी करे उसे उसके बेटे होने से नहीं निकल सकता। यूंही जिस ने ला-इला-हा-इल्लल्लाह कह लिया, अब वह चाहे ख़ुदा को झूठा कहे रसूल को सड़ी सड़ी गालियां दे कुरआन को झुठलाये, इस्लाम का मज़ाक़ उड़ाये, कुफ़्र व इस्लाम को हक़ीक़त में एक बताये उसका इस्लाम नहीं बदल सकता।

इस मकर का जवाब ख़ुद कुरआन करीम ने जा बजा दिया। मुनाफ़िक़ीन कैसी कैसी ताकीदों से मोवक्किद और कैसी-कैसी क़स्मों से मुअय्यद, इस्लाम का दावा करते और कलिमा इस्लाम पढ़ते लेकिन उन की यह लम्बी चौड़ी कलिमा गोई, उनके हक़ में हरगिज़ मोजबे इस्लाम न हुई और अल्लाह वाहिद कहहार ने उनके झूठे कज़्ज़ाब होने की गवाही दी। तो हदीस का वह मतलब घड़ना सराहतन कुरआन अज़ीम का रद्द करना है।

हां जो कलिमा पढ़ता और अपने आप को मुसलमान कहता हो

उसे मुसलमान जानेंगे जबतक उससे कोई कलिमा कोई हरकत कोई फ़ेअल इस्लाम के मुनाफ़ी न सादिर हो। मुनाफ़िए इस्लाम किसी बात के सादिर होने के बाद हरगिज़ कलिमा गोई काम न देगी।

मसलन हर मुसलमान जानता है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ताअज़ीम मदार ईमान भी है मदार नजात भी है और मदार कुबूल आमाल भी। और कुरआन करीम का फ़ैसला यह है कि आदमी कैसा ही कलिमा गो हो, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की शान में गुस्ताख़ी करने से काफ़िर हो जाता है। इसलिए कि नबी की शान में बेअदबी का लफ़्ज़, कलिमा कुफ़्र है और उसका कहने वाला अगरचे लाख मुसलमानी का मुद्दई हो, करोड़ बार कलिमा पढ़े, कलिमा होकर, इस्लामी बिरादरी से निकल जाता है। कालल्लाहु तआला

لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ

दूसरा मकर

यह है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ि० का मज़हब है कि हम अहले क़िबला में से किसी को काफ़िर नहीं कहते और हदीस में है जो हमारी सी नमाज़ें पढ़े और हमारे क़िबला को मुंह करे और हमारा ज़बीहा खाये वह मुसलमान है।

मुसलमानों ! इस मकर ख़बीस में उन लोगों ने निरी कलिमा गोई से हट कर अब सिर्फ़ क़िबला रूई का नाम ईमान रख दिया यानी जो क़िबला रू होकर नमाज़ पढ़ ले मुसलमान है। अगर अल्लाह अज़्ज़ोजल को झुठा कहे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को गालियां दे। किसी सूरत किसी तरह

उसका ईमान नहीं टलता-

चूं वूज़ू ये मोहकिम बीबी तमीज़

हलांकि कुरआन करीम ने साफ़ फ़रमा दिया कि ज़रूरियात दीन पर ईमान लाना ही असल कार है। बग़ैर उसके नमाज़ में किबला को मुंह करना कोई चीज़ नहीं। चुनांचे इरशाद गरामी है

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

एक और जगह कुरआन करीम ने मुनाफ़िक़ों का नमाज़ पढ़ना बयान किया और फिर उन्हें काफिर फ़रमाया। क्या वह किबला को नमाज़ नहीं पढ़ते थे। फ़क़्त किबला कैसा, किबला दिल व जान काबा दीन व ईमान, सरवरे आलमीयान सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पीछे जानिब किबला नमाज़ पढ़ते थे। बल्कि इसी कमाश के लोगों को खुद कुरआन करीम में कुफ्र का पेशवा, काफ़िरों का सरगना फ़रमाया। और वजह यह बयान फ़रमाई कि यह लोग नमाज़ रोज़ा वाले होकर, दीन पर तअन करते, और आयात इलाहिया का मज़ाक़ उड़ाते हैं।

असल बात यह है कि आईमा दीन की इसतिलाह में अहले किबला वह है कि तमाम ज़रूरियात दीन पर ईमान रखता हो। उनमें से एक बात का भी मुन्किर हो तो कतई यकीनी इजमाई तौर पर काफिर मुरतद है ऐसा कि जो उसे काफ़िर न कहे खुद काफ़िर है।

भला सोचो तो सही कि राफ़ज़ी जो बकते हैं कि जिबरइल अलैहिस्सलातो वस्सलाम को वही में धोखा हुआ। अल्लाह तआला ने उन्हें मौला अली करम अल्लाह तआला वजहु की तरफ़ भेजा था और वह चले गये मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की जानिब और बाज़ तो मौला अली को खुदा कहते हैं। क्या वह मुसलमान कहे जा

सक्ते हैं।

यूंही जो शख़्स कलिमा गो होकर, मुद्दई इस्लाम बन कर रसूलुल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को किसी तरह का ऐब लगाये या किसी भी तरह से हुज़ूर की शान घटाये वह यक़ीनन काफ़िर होकर इस्लामी बिरादरी से निकल जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शान में गुस्ताख़ी के साथ न क़िबला न कलिमा मक़बूल।

आदमी अक़्ल से काम ले तो ख़ुद समझ सकता है कि निरी क़िबला रोई कोई चीज़ नहीं। क्या जो शख़्स पांच वक़्त क़िबला की तरफ़ नमाज़ पढ़ता और एक वक़्त किसी महादेव को सज्दा कर लेता हो किसी आक़िल के नज़दीक मुसलमान हो सकता है। हालांकि मुहम्मद रसूलुल्लाहं सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शाने अक़दस में गुस्ताख़ी करना महादेवों के सज्दे से कहीं बदतर है अगरचे कुफ़्र होने में बराबर है। एलानिया कुफ़्र करके मुसलमानों से कहना कि किसी को काफ़िर न कहो अपनी तरफ़ से रोकना और दीन इस्लाम के अलावा दूसरा दीन गढ़ना है और यह काम नहीं मगर निचरियों बे दीनों का।

तीसरा मकर

यह कि फ़िक़्हा में लिखा है जिस में ९९ बातें कुफ़्र की हों और एक बात इस्लाम की, तो उसे काफ़िर न कहना चाहिए।

मुसलमानों! होशियार ख़बरदार यह मकर ख़बीस सब मकरों से बदतर व ज़ईफ़ है जिस का हासिल यह कि जो शख़्स दिन में एक बार अज़ान दे या दो रकअत नमाज़ पढ़ ले और ९९ बार बुत पूजे, शंख फूंके, घंटी बजाये और कुफ़्र को अपनाए वह मुसलमान है कि

उसमें ९९ बातें कुफ्र की हैं तो एक इस्लाम की भी है यही काफी है। हालांकि मोमिन तो मोमिन इसके लिए ख़ुदा और रसूल की अमान है, कोई ग़ाफ़िल उसे मुसलमान नहीं कह सकता बल्कि इसकी रू से, सिवाए दहरए के, कि सिरे से ख़ुदा के वजूद का मुन्किर हो, तमाम काफ़िर, मुशरिक, मजूसी, नसरानी, यहूदी वग़ैरहुम दुनिया भर के कुफ़्फ़ार सबके सब मुसलमान ठहर जाते हैं के और बातों के मुन्किर सही। आख़िर वजूद ख़ुदा के कायल हैं और एक यही बात, सब से बढ़ कर इस्लाम की बात, बल्कि तमाम इस्लामी बातों की असलल उसूल है, और यहूद व नसारा तो बड़े भारी मुसलमान ठहरेंगे कि तौहीद के साथ अल्लाह तआला के बहुत से कलिमों और हज़ारों नबियों और कियामत व हश्र व हिसाब व सवाब व अज़ाब, जन्नत व दोज़ख़ वग़ैरह बकसरत इस्लामी बातों के कायल हैं तो यह मुसलमानों का अकीदा नहीं बल्कि कुरआन गवाह है कि ख़ुद सरीह कुफ्र है।

फ़र्ज़ कर लें कि कलाम इलाही में अगर हज़ार बातें हों तो उन में से हर एक बात का मनना एक इस्लामी अकीदा है अब अगर कोई शख़्स ९९९ माने और सिर्फ़ एक न माने तो कुरआन अज़ीम का फ़ैसला है कि वह इन ९९९ के मानने से मुसलमान नहीं बल्कि सिर्फ़ उस एक के न मानने से काफ़िर है। दुनिया में उसकी रूसवाई होगी और आख़िरत में उस पर सख़्त अज़ाब।

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ

असल बात यह है कि फुकहाए किराम पर उन लोगों ने खुला इफ़तिरा उठाया उन्होंने कहीं हरगिज़ ऐसा न फ़रमाया बल्कि उन लोगों ने, यहूदीयों की पैरवी में, तहरीफ़ व तबदील करके कुछ का कुछ बना लिया। फुकहा ने यह नहीं फ़रमाया कि जिस शख़्स में ९९

बातें कुफ्र की और एक इस्लाम की हो वह मुसलमान है। हाशालिल्लाह बल्कि तमाम उम्मत का इजमाअ है कि जिस में ९९ हज़ार बातें इस्लाम की हों और एक कुफ्र की हो तो वह यकीनन कतअन काफिर है।

निन्नानवे (९९) कतरे गुलाब में एक बूंद पेशाब पड़ जाये सब पेशाब हो जायेगा। मगर यह जाहिल कहते हैं कि ९९ कतरे पेशाब में एक बूंद गुलाब डाल दो सब तय्यब व ताहिर हो जायेगा। हाशा फुकहा तो फुकहा कोई अदना तमीज़ वाला भी ऐसी जिहालत की बात मुंह से नहीं निकाल सकता। बल्कि फुकहाए किराम ने यह फरमाया है कि अगर किसी मुसलमान ने ऐसी बात कही जिस में सौ पहलू निकल सकें। उन में ९९ पहलू कुफ्र की तरफ जाते हों और एक इस्लाम की तरफ, तो उसे काफिर न कहेंगे। कि आखिर एक पहलू इस्लाम का भी है क्या मालूम शायद उसकी मुराद यही पहलू हो। हां अगर मालूम व साबित हो जाये कि कहने वाले ने वही कुफ्री मानी का कोई पहलू मुराद लिया है, मसलन वह खुद कहता है कि मेरी मुराद यही है तो हमारी तावील से उसे कोई फायदा न मिलेगा। वह अिन्दल्लाह काफिर ही होगा।

कहां यह साफ सुथरी निखरी पाकीज़ा तालीम और कहां यह गन्दगी घिनौनी नापाक बात। ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔

चौथा मकर

यह है कि हम तो काफिर को भी काफिर न कहेंगे हमें क्या मालूम कि उस का खात्मा कुफ्र पर होगा।'' मुसलमानों! आदाए दीन का यह मकर भी कतअन यकीनन कुरआनी अहकाम के खिलाफ है। कुरआन अज़ीम फरमाता है। कुल-या अय्युहल काफिरून।

यहां कुरआन करीम, हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इरशाद फरमाता है कि ऐ महबूब ! तुम काफ़िरों को यह कह कर पुकारो कि ऐ काफ़िरो! यानी काफ़िरों को काफ़िर कह कर ख़िताब करना, मतलूब शरअ और मक़सूद शरअ है काफ़िर को बहुक्म शरीअत उसी वक़्त तक कहा जायेगा जब तक वह काफ़िर है और जब बतौफ़ीक़ तआला वह मुसलमान हो जायेगा। उस वक़्त उसको मुसलमान ही कहा.जायेगा। मुसलमान को उसी वक़्त तक मुसलमान कहेंगे जबतक वह मुसलमान है और जिस वक़्त कोई मुसलमान मआज़ अल्लाह किसी ज़रूरी दीनी बात का इन्कार करके काफ़िर हो जायेगा। उस वक़्त उसको काफ़िर मुरतद ही कहेंगे। मुसलमान नहीं।

और यह कहना कि "हमें क्या मालूम कि उस का ख़ात्मा कुफ़्र पर होगा'' ऐसा ही है जैसे कोई कहे मुसलमान को मुसलमान मत कहो शायद वह कभी माअज़ अल्लाह इस्लाम से निकल जाये हमें क्या मालूम कि उस का ख़ात्मा इस्लाम व ईमान पर होगा।

यानी शर्बत अंगूर को अंगूर को मत कहो। शायद कभी उस में नशा पैदा हो जाये और शर्बत बन जाये। शराब को शराब मत कहो शायद किसी वक़्त सिरका हो जाये। सुअर को सुअर मत कहो। गधे को गधा मत कहो शायद कभी काने नमक में जाकर नमक बन जाये हत्ता कि बीवी को बीवी मत कहो शायद किसी वक़्त तलाक़ दे बैठे और वह अजनबिया बन जाये। ولاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم

मुसलमानों ! असल बात यह है कि मुसलमान को मुसलमान और काफ़िर को काफ़िर जानना ज़रूरियात दीन से है अगरचे किसी ख़ास शख़्स की निसबत यह यकीन नहीं किया जा सकता कि उसका ख़ात्मा ईमान या माज़अल्लाह कुफ़्र पर हो जब तक कि उसके ख़ात्मे का

हाल दलीले शरई से साबित न हो। मगर इससे यह न होगा कि जिस शख़्स ने कतअन कुफ़्र किया हो उसके कुफ़्र में शक किया जाये कि कतई काफ़िर के कुफ़्र में शक भी आदमी को काफ़िर बना देता है। ख़ात्मा पर बिना। रोज़ क़ियामत और ज़ाहिर पर अहकाम शरई का दारोमदार है उसको यूं समझो कि कोई काफ़िर मसलन यहूदी या नसरानी या बुत परस्त मर गया तो यक़ीन के साथ नहीं कहा जा सकता है कि कुफ़्र पर मरा मगर हम को खुदा व रसूल का हुक्म यही है के उसे काफ़िर ही जानें और उसकी ज़िन्दगी व मौत में तमाम वही मामलात उसके साथ बरतें जो काफ़िरों के लिए हैं।

मसलन मेल जोल शादी ब्याह, नमाज़ जनाज़ा कफ़न दफ़न जब उसने कुफ़्र किया तो फ़र्ज़ है कि हम उसे काफ़िर ही जानें और ख़ात्मा का हाल इल्मे इलाही पर छोड़ दें।

जिस तरह जो ज़ाहिरन मुसलमान हो और उस से कोई क़ौल व फ़ेअल, ख़िलाफ़ ईमान सरज़द न हो फ़र्ज़ है कि हम उसे मुसलमान ही जानें अगरचे हमें उसके ख़ात्मे का भी हाल मालूम नहीं ख़ात्मा का हाल तो खुदा जाने और उसके बताये से उसका रसूल मगर शरीअत इस्लामिया ने काफ़िर मुस्लिम में फ़र्क़ रखा है। अगर काफ़िर को काफ़िर न जाना जाये तो क्या उसके साथ वही मामलात करोगे जो मुस्लिम के साथ होते हैं। हालांकि बहुत से उमूर ऐसे हैं जिन में कुफ़्फ़ार के अहकाम मुसलमानों से बिल्कुल जुदा हैं। मसलन उनके जनाज़ा की नमाज़ न पढ़ना उनके लिए इस्तिग़फ़ार न करना। उनको मुसलमानों की तरफ़ दफ़न न करना। उनको अपनी लड़कियां न देना। उन पर जिहाद करना वग़ैरहा। (हिसामुलहरमैन, बहारे शरीअत वग़ैरहा)

तम्बीह:- बाज़ जाहिल यह कहते हैं कि हम किसी को काफ़िर नहीं कहते। आम लोग जाने वह काफ़िर कहें। मगर क्या यह लोग नहीं जानते कि अवाम के तो वही अकायद होंगे जो कुरआन हदीस वगै़रहुमा से उलमा ने उन्हें बताये। या अवाम के लिये कोई शरीअत जुदागाना है। जब ऐसा नहीं तो फिर आलिमे दीन के बताये पर क्यों नहीं चलते नीज़ यह कि ज़रूरियाते दीन का इंकार कोई ऐसा अम्र नहीं जो उलमा ही जाने। अवाम जो उलेमा की सोहबत से मुशर्रफ़ होते रहते हैं वह उनसे बेख़बर नहीं होते फिर ऐसे मामले में पहलूतही और एराज़ के क्या मायने। इस ज़माने में बाज़ लोग यह कह दिया करते हैं कि मियां जितनी देर उसे काफ़िर कहोगे———————उतनी देर अल्लाह अल्लाह करो। यह सवाब की बात है इसका जवाब यह है कि हम कब कहते हैं काफ़िर–काफ़िर का वज़ीफ़ा कर लो। मकसूद यह है कि उसे काफ़िर जानो और पूछा जाए तो कतअन काफ़िर कहो काफ़िर जानो। यह न हो कि अपनी सुलहकुन रविश के मातहत उसके कुफ्र पर पर्दा डालो (बहारे शरीअत) मौलाए करीम हमें कुबूले हक और उस पर अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन०

एक और नसीहत

मुसलमानो ! माओ बहनों और बेटियो ! ज़रा इधर ख़ुदा और रसूल की ख़ातिर तास्सुब और नाहक पासदारी से हट कर, ईमान के दिल पर हाथ रख कर, इन्साफ़ की निगाहों से देखो और फ़ैसला करो कि अगर कुछ लोग तुम्हारे किसी मोअज़्ज़म दीनी व दुनियावी मसलन तुम्हारे पीर, तुम्हारे उस्ताद या तुम्हारे मां बाप, तुम्हारे आबा अजदाद तुम्हारे भाई बिरादर, या तुम्हारे किसी जिगरी दोस्त को, रात

दिन बिला वजह महज़ फुहश मुग़ल्लिज़ा, गालियां देना। उनकी बुराईयां करना। उन पर तोहमतें तराशना, उन पर लअन तअन करना, अपना वतीरा, अपना पेशा बल्कि अपना दीन ठहरा लें। क्या तुम उनसे बकुशादा पेशानी मिलना पसन्द करोगी। क्या अज़मत व इज़्ज़त के साथ उनका ख़्याल तुम्हारे ज़ेहनों में आयेगा और क्या तुम सिर्फ़ यह कह कर ख़ामोश हो जाओगी कि लकुम-दीनुकुम वलिय-दीन। या सिर्फ़ इतना कहना काफी जानोगी कि हमें क्या वह अपनी कब्र में जायेंगे हम अपनी कब्र में। क्या सिर्फ़ इतना कहने से तुम्हारे दिल की तस्कीन हो जायेगी कि हम क्या कर सकते हैं। हाशा व कल्ला हरगिज़ नहीं। अगर तुम में नाम को ग़ैरत बाकी है। अगर तुम में इन्सानियत बाकी है। अगर तुम्हारे दिलों में अज़मत मुसतुफ़ा का फ़ानूस रोशन है अगर तुम्हें मोअज़मान दीनी, आबा व अजदाद, अपने मां बाप की इज़्ज़तें का पास है अगर तुम्हें अपने शौहरों भाईयों अपने बड़ों या अपने जिगरी दोस्तों की बड़ाई या मुहब्बत और चाहत का लिहाज़ है तो यह बातें सुन कर तुम्हारे दिमाग़ खौल जायेंगे। उन्हें देख कर तुम्हारे दिल भर जायेंगे। तुम्हारी आंखों में ख़ून उतर आयेगा और अगर तुम कुछ भी न कर सको तो उन की तरफ़ निगाह उठाना भी तुम्हें गवारा न होगा। तिनका तोड़ उस से अलग हो जाओगी और उन से मुंह फेर लोगी।

लिल्लाह इन्साफ़:- मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व असहाबिही व बारक व सल्लम अजमईन, उनकी अज़्वाज मुतहहरात, उनके अहले बैत, उनके असहाब, उनके दीन के औलिया, उनकी शरीअत के उलमा, खुलफ़ाए राशिदीन, बिलख़सूस सिद्दीक अक्बर फारूक आज़म, उनकी औलाद अमजाद ख़सूसन

शहज़ादा गुलगों कबा इमाम हुसैन शहीद करबला रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहि अजमईन की इज़्ज़तें अज़मतें व चाहतें रफ़अतें ज़ायद या तुम्हारे आबा व अजदाद तुम्हारे बाप तुम्हारे बिरादर ख़्वाहर शौहर की। उम्मुलमोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा जिनकी पाक दामनी पर कुरआन गवाह है। ज़ायद या तुम्हारी मां, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उम्मती सिद्दीक व फ़ारूक रज़ि अललाहु अन्हुम के गुलाम, बांदियां और उम्मुलमोमिनीन के बेटे, बेटियां कहलाते और पुकारे जाते हैं। उनकी इज़्ज़तों पर हमला करने वालों, उनको गालियां देने वालों, उन्हें ग़ासिब व बाग़ी व चनीं व चूनां कहलाने वालों से अगर तर्क ताल्लुक न करें और वह बरताव न बरतें जो ऐसे दुश्मनाने दीन व आदाये इस्लाम के साथ बरतना चाहिए और जो हम अपने बदगोयों बदकिरदार बद कमाशों बदमाशों से बरतते हैं तो फिर क्या हम उनके नमक हलाल गुलाम बांदी और लायक व काबिल फ़ख़्र बेटे बेटी कहलाये जाने के मुस्तहिक हैं। और क्या हमें यह हक है कि हम उन आली मर्तबा जनाबों से अपनी निसबतों को ज़बान पर लायें। नहीं हरगिज़ नहीं। तो बस अब फ़ैसला यही है कि जो इन मुकर्रबीने बारगाह से जितना दूर है उतनी ही नफ़रत व हिकारत का मुस्तहिक है न कि इज़्ज़त व करामत का।

कादयानी हुये, राफ़ज़ी हुये, वहाबी हुए, चकरालवी हुए, नेचरी हुए और ऐसे ही और हुए। उनके अकवाल व अहवाल और अकायद व आमाल उनकी किताबों से ज़ाहिर हैं उन्हें उठा कर देख लो, तुम्हारा दीन, तुम्हारा ईमान आप ही बता देगा कि जिनके यह अकीदे यह अकवाल हैं वह अल्लाह व रसूल के दुशमन हैं या दोस्त और उनके

दिलों में इस्लाम का मग़ज़ है या पोस्त। और जो इन्सान न करे उसका हिसाब अल्लाह वाहिदे क़ह्हार के यहां है और अल्लाह व रसूल की सच्ची मुहब्बत सामने रख कर जाये तो बेहम्दिही तआला हक़ आफ़ताब से ज़्यादा अयां है। व अयां राचे बयां।

फ़क़ीर गुनाहगार उम्मीद करता है कि हमारी मायें बहनें और बेटियां इस तमाम बयान को हमेशा ज़ेहन नशीन रखेंगी और दूसरों को बताने और अपनी औलाद को इस नहज पर तर्बियत देने में दरेग़ न करेंगी कि आज की तालीम बच्चों के दिल पर नक़्श हो जाती है।

मौलाए करीम हम सब को हक़ व सदाक़त पर साबित क़दम रखे। आमीन०

चन्द कुफ़्रिया कलिमात

अपनी ज़बान को अपने काबू में न रखना और बेबाकी से हर बात ज़बान से निकाल देना बाज़ औक़ात आदमी को इस्लाम व शरअ का मुजरिम बना देता है। हंसी मज़ाक़ दिल लगी या ग़ज़ब व गुस्सा के आलम में बाज़ औक़ात ऐसे कलिमात मुंह से निकल जाते हैं जिससे ईमान के लाले पड़ जायें।

हम चन्द कलिमात इसलिए ज़िक्र करते हैं कि हमारी बीबीयां उन से वाकिफ़ रहें। खुद भी उनसे बचें दूसरों को भी बचायें और कभी ग़लती हो जाये तो सिद्क़ दिल से खुदा की बारगाह में तौबा करें औरों से कराएं। नई तहज़ीब ने ऐसे गन्दा ज़ेहन बहुत से पैदा कर दिये हैं। उनसे दूर ही से दुआ सलाम भली कि शैतान को बहकाने और बुरी बात दिल में उतारते देर नहीं लगती।

मसला:- जिस शख़्स को अपने ईमान में शक हो यानी कहता है कि मुझे अपने मोमिन होने का यकीन नहीं या कहता है मालूम नहीं मेरा खात्मा ईमान पर होगा या नहीं तो काफ़िर नहीं। (आलमगीरी)

मुसलमान का काम यह है कि वह अपनी बदआमालियों से डरे और रहमत खुदावन्दी पर भरोसा रखे और हर वक़्त उससे उसके फ़ज़्ल का सवाल करता रहे।

मसला:- कोई शख़्स बीमार नहीं होता या बहुत बूढ़ा है मरता नहीं। उसके लिए यह कहना कि उसे अल्लाह मियां भूल गये हैं या किसी ज़बान दराज़ आदमी से यह कहना कि खुदा तुम्हारी ज़बान का मुकाबला कर ही नहीं सकता मैं किस तरह करूं यह कुफ्र है। (खुलासतुलफ़तावा)

मसला:- किसी बाअसर या मालदार आदमी या हाकिम की तवज्जोह हासिल करने के लिए लोग कह बैठते हैं ऊपर खुदा है नीचे तुम यह कलिमा कुफ्र है (खनिया) हरगिज़ यह बात मुंह से न निकालें।

मसला:- एक ने दूसरे से कहा कि तू खुदा से नहीं डरता। उसने गुस्सा में कहा "नहीं" या कहा इसके सिवा क्या कर सकता है कि दोज़ख में डाल दे। या इसने कहा खुदा से डर। उसने कहा खुदा कहां है। यह सब कुफ्रिया कलिमात हैं। (आलमगीरी)

मसला:- किसी मिस्कीन ने अपनी मोहताजी व परेशान हाली को देख कर यह कहा कि 'ऐ खुदा फलां भी तेरा बन्दा है उसको तूने कितनी नेमतें दे रखी हैं और मैं भी तेरा बन्दा हूं मुझे किस कद्र रंज व तकलीफ देता है आखिर यह इंसाफ है" ऐसा कहना कुफ्र है। (आलमगीरी)

हदीस में ऐसों ही के लिए फ़रमाया كاد الفقر ان يكون كفرا
मोहताजी कुफ़्र के करीब है कि जब मोहताजी के सबब ऐसे ना मुलायम और ख़िलाफ़ शरअ कलिमात मुंह से निकलें जो कुफ़्र हैं तो गोया ख़ुद मोहताजी करीब ब कुफ़्र है।

मसला:- अल्लाह अज़्ज़ोजल के नाम की तसग़ीर करना कुफ़्र है। जैसे किसी का नाम अब्दुल्लाह या अब्दुलखालिक या अब्दुर्रहमान हो। उसे पुकारने में आख़िर में अलीफ़ वग़ैरह ऐसे हरूफ़ मिला दें जिनसे तसग़ीर समझी जाती है।

मसला:- अम्बिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम की तौहीन करना। उनकी जनाब में गुस्ताख़ी करना या उनकी ख़्वाहिश व बे हयाई की तरफ़ निसबत करना कुफ़्र है मसलन मआज़अल्लाह युसूफ़ अलैहिस्सलाम को ज़िना की तरफ़ निसबत करना।

मसला:- जो शख़्स हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को अम्बिया में आख़िरी नबी न माने या हुजूर के ज़माना में या हुजूर के बाद किसी को नूबुवत मिलना माने या जायज़ जाने या किसी भी तौर पर ख़त्म नुबूवत का इन्कार करे..... माज़अल्लाह, मसीह मोऊद या मेहदी या मुजद्दद बल्कि उसे अदना दरजा का मुसलमान माने या किसी मुद्दई नुबुवत के अक़वाल मलऊना पर मुत्तलअ होकर उसके काफ़िर होने में अदना शक करे वह काफ़िर है और दायरा इस्लाम से क़तअन ख़ारिज। (आमए कुतुब)

मसला:- जो शख़्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जानिब मंसूब, किसी चीज़ की तौहीन करे या ऐब लगाये मसलन आपके मोये मुबारक को तहकीर से याद करे, या आपके लिबास मुबारक को गन्दा और मैला बताये या हुजूर के नाखुन बड़े-बड़े कहे यह कुफ़्र है बल्कि

अगर किसी के इस कहने पर कि हुजूर को कददू पसन्द था कोई यह कहे कि मुझे पसन्द नहीं तो बाज़ उलमा के नज़दीक काफ़िर है और हक़ीक़त यह है कि अगर उस हैसियत से उसे नापसन्द है कि हुजूर को पसन्द था तो वह काफ़िर है यूंही किसी ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम खाना तनावुल फ़रमाने के बाद तीन बार अंगुशत हाये मुबारक चाट लिया करते थे।'' उस पर किसी ने कहा यह अदब के ख़िलाफ़ है तो यह कहना उलमा के नज़दीक कुफ़्र है।

मसला:– हज़रत जिबरील अलैहिस्ससलाम या हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को कि सब मलाईका पर फ़ज़ीलत रखते हैं या किसी भी फ़रिश्ते के साथ अदना गुस्ताख़ी कुफ़्र है। जाहिल लोग अपने किसी दुशमन या मबग़ूज़ को देख कर कह बैठते हैं कि मलकुलमौत या इज़राईल आ गया, यह क़रीब क़रीब कलिमा कुफ़्र है, हरगिज़ मुंह से न निकालें।

मसला:– कुरआन पाक की किसी आयत को ऐब लगाना या उसकी तौहीन करना या उसके साथ मसख़रा पन करना कुफ़्र है। मसलन दाढ़ी मुंढवाने से मना करने पर, अक्सर दाढ़ी मुंढे कह देते हैं। और मतलब उसका यह बयान करते हैं कि कल्ला साफ़ करो। यह कुरआन मजीद की तहरीफ़ व तबदील भी है और उसके साथ मज़ाक़ व दिल लगी भी और यह दोनों बातें कुफ़्र हैं।

मसला:– जो शख़्स यह कहे कि कुरआन के कुछ पारे या सूरतें या आयतें बल्कि एक हर्फ़ भी किसी ने कम कर दिया या बढ़ा दिया, या बदल दिया वह क़तअन काफ़िर है।

मसला:– किसी ने नमाज़ पढ़ने को कहा उसने जवाब दिया पढ़ता

तो हूं लेकिन उसका कुछ नतीजा नहीं। या कहा तुम ने नमाज़ पढ़ी तो क्या फ़ायदा हुआ। या कहा नमाज़ पढ़ के क्या करूं किस के लिए पढूं मां बाप तो मर गये या कहा बहुत पढ़ ली अब दिल घबरा गया या कहा पढ़ना न पढ़ना दोनों बराबर हैं। ग़र्ज़ इस क़िस्म की बातें करना जिससे नमाज़ की फ़रज़ियत का इंकार समझा जाता हो या नमाज़ की तहक़ीर होती हो यह सब कुफ़्र है।

मसला:– रोज़ा रमज़ान नहीं रखती और कहती है कि रोज़ा वह रखे जिसे रोज़ी न मिले या कहती है जब ख़ुदा ने खाने को दिया है तो भूखे क्यों मरें या इसी क़िस्म की और बातें बक दे जिन से रोज़ा की हतक या तहक़ीर होती है, यह कुफ़्र है।

मसला:– किसी शख़्स को शरीअत का कोई हुक्म बताया गया उसने कहा हम शरीअत पर अमल नहीं करेंगे हम तो ख़ानदानी रस्म व रिवाज की पाबन्दी करेंगी या कहा शरीअत देखें कि रस्म व रिवाज को देखें। ऐसी बातें भी मुंह से निकालना उलेमा के नज़दीक कुफ़्र है।

मसला:– दो शख़्स झगड़ रहे थे एक ने कहा वलाहौला वला कुव्वत इल्लाबिल्लाह। दूसरे ने कहा यहां लाहौल का क्या काम। या कहा लाहौल को मैं क्या करूं। या लाहौल रोटी की जगह काम न देगा। यूंही सुब्हानल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताल्लिक़ इसी क़िस्म के अल्फ़ाज़ ज़बान से निकालना कुफ़्र है।

मसला:– बीमारी में घिर कर कहने लगी तुझे अख़तियार है चाहे काफ़िर या मुसलमान मार यह कुफ़्र है यूंही मुसीबतों से घबरा कर यह कहना कि तूने माल लिया औलाद ली और यह लिया वह लिया अब क्या करेगा। इसी तरह बकना कुफ़्र है।

मसला:- मुसलमान मर्द ख़्वाह औरत को, कलिमात कुफ़्र की तालीम व तलकीन करना कुफ़्र है अगरचे खेल और मज़ाक़ में ऐसा करे। यूंही किसी की औरत को कुफ़्र की तालीम की और यह कहा कि तू काफ़िर होजा ताकि ऐसे शौहर से पीछा छूटे, तो औरत कुफ़्र करे या न करे यह कहने वाला काफ़िर हो गया।

मसला:- होली और दीवाली पूजना कुफ़्र है कि यह ग़ैर अल्लाह की इबादत है। काफ़िर के मेलों त्योहारों में शरीक हो कर उनके मेले और मज़हबी जुलूस की शान व शौकत बढ़ाना कुफ़्र है जैसे राम लीला और जन्म अशटमी और राम नवमी वग़ैरह के मेलों झमेलों में शरीक होना। यूंही उनके त्योहारों के दिन महज़ इस वजह से चीज़ें ख़रीदना कि काफ़िरों का त्योहार है यह भी कुफ़्र है जैसे दीवाली में खिलौने और मिठाईयां ख़रीदी जाती हैं कि इन दिनों में ख़रीदना दीवाली मनाने के सिवा कुछ नहीं। यूंही कोई चीज़ ख़रीद कर उस रोज़ मुश्रिकीन के पास हदया करना या उन्हें मुबारकबादी देना जबकि मकसूद उस दिन की ताज़ीम हो तो कुफ़्र है। (बहरुर्राइक़, ख़ानिया, आलमगीरी, बहारे शरीअत वग़ैरह) अज़ीज माओं ! प्यारी बहनों ! लाडली बेटियो ! और मुसलमान भाईयो ! कुरआन करीम का यह इरशाद ज़रा कान लगा कर, ग़ौर से, पूरी तवज्जोह से सुनो और दिल नशीन कर लो يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ऐ ईमान वालो! इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पर न चलो। बे शक वह तुम्हारा सरीह दुश्मन है।

यानी मुसलमान मर्दों और औरतों पर लाज़िम है कि इस्लाम के अहकाम की पूरी पूरी इतबाअ करें। अपनी पूरी ज़िन्दगी, इस्लामी

अहकाम के तहत लायें। यहां तक कि उनके ख़्यालात, उनके नज़रियात, उनके तौर तरीके उनके मामलात और तमाम तर सई व अमल के रास्ते सबके सब, मुकम्मल तौर पर इस्लामी तालीमात, इस्लामी कवानीन और इस्लामी दस्तूर के मुवाफ़िक़ हों।

अज़ीज़ो ! इस्लाम सिर्फ चन्द अकायद या सिर्फ चन्द इबादत या सिर्फ कवानीन का नाम नहीं वह तो एक जामेअ व मानेअ निज़ामे हयात है। एक मुकम्मल व मुनज़्ज़म दस्तूर ज़िन्दगी है। इन्सानियत के एक एक शोबे पर और हर हर गोशा पर हावी है। किसी और दीन, किसी और नज़रिया की पेबन्दकारी उसके साथ निभ नहीं सकती।

शैतान के नक़्शे कदम पर चलना यूंही है कि इस्लाम में गैर इस्लाम की आमेज़श की जाने लगे और यहूद व नसारा के तौर तरीके, और दूसरे ग़ैर मुस्लिमों के तरज़े ज़िन्दगी को "रोशन ख़्याली" का नाम दे कर मार्डन इस्लाम के नाम पर उसे अपने किरदार व गुफ़्तार और निज़ामे हयात पर ग़ालिब कर लिया जाये।

मौलाए करीम हमें तुम्हें और सब मुसलमानों को हक़ कुबूल करने और हक़ पर चलने की तौफीक़ अता फ़रमाये और हमारा तुम्हारा मुआविन व मददगार हो। आमीन०

लुक़्ता का बयान

लुक़्ता उस माल को कहते हैं जो कहीं पड़ा हुआ मिल जाये।

मसला:- पड़ा हुआ माल कहीं मिल जाये और यह ख्याल हो कि उसके मालिक को तलाश करके मैं यह माल उसे दे दूंगा तो उठा लेना मुस्तहब है और अगर अन्देशा हो कि शायद मैं खुद रख लूं

और मालिक को तलाश न करे तो छोड़ देना बेहतर है। और अगर ग़ालिब गुमान यह हो कि मैं मालिक को न दूंगा तो उठाना नाजायज़ है और अपने लिए उठाना हराम है। और यह ऐसा है जैसा किसी का माल झपट लेना जिसे ग़सब कहते हैं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- लुक़्ता, उठाने वाले के हाथ में अमानत है यानी अगर तल्फ़ हो जाये तो उस पर तावान नहीं। बशर्ते कि उठाते वक़्त किसी को गवाह बना लिया यानी दूसरे से कह दिया कि अगर कोई शख़्स अपनी गुमी हुई चीज़ को तलाश करता हुआ आये तो मेरे पास भेज देना और अगर गवाह न किया और चुप चाप चीज़ उठाली तो तल्फ़ होने की सूरत में तावान देना पड़ेगा। हां वहां कोई था ही नहीं तो बेशक तावान नहीं या अन्देशा हो कि गवाह बनाये तो कोई ज़ालिम छीन लेगा तो भी ज़मान नहीं। (बहरुर्राइक़)

मसला:- मुलतक़ित यानी पड़ी हुई चीज़ पाने वाले पर तशहीर लाज़िम है यानी बज़ारों आम गुज़रगाहों और मस्जिदों में इतने ज़माना तक एलान करे या कराये कि गुमान ग़ालिब हो जाये कि मालिक अब तलाश न करता होगा। यह मुद्दत पूरी होने के बाद उसे अख़्तियार है कि लुक़्ता की हिफ़ाज़त करे कि जब भी मालिक आयेगा अपनी चीज़ लेलेगा या किसी मिसकीन पर सदक़ा कर दे। अब अगर मालिक आ गया और अपनी चीज़ तलब करता है और वह चीज़ भी मौजूद है तो अपनी चीज़ें ले और हलाक हो गई है तो तावान ले सकता है। (आलमगीरी)

मसला:- बच्चे को कोई चीज़ पड़ी हुई मिली और उठा लाया तो उस का वली या वसी तशहीर करे और मालिक का पता न मिला और बच्चा खुद फ़क़ीर है तो वली या वसी खुद उस बच्चे पर तसदीक़

कर सकता और बाद में मालिक आया और अपनी चीज़ मांगता है तो वली या वसी को ज़मान देना होगा। (बहरुर्राइक़)

मसला:– उठाने वाला अगर फ़क़ीर है तो मुद्दत मज़कूरा तक एलान के बाद ख़ुद अपने सर्फ़ में भी ला सकता है और मालदार है तो अपने रिशते वाले फ़क़ीर यानी नादिर को कि साहिब निसाब नहीं दे सकता है। मसलन अपने मां बाप बेटे बेटी वग़ैरह को जबकि बालिग़ हों। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– लुक़्ते का दावेदार पैदा हो गया और वह निशान और पता बताता है जो लुक़्ते में मौजूद है तो दे देना जायज़ है हां उसका ज़ामिन ले सकता है। और अलामत बताने की सूरत में अगर देने से इन्कार कर दिया तो दावेदार को गवाह से साबित करना होगा कि यह उसी की मिल्क है।

लुक़्ता के मुनासिब कुछ और मसायल

मसला:– निकाह में छुवारे लुटाये जाते हैं। एक के दामन में गिरे थे और दूसरे ने उठा लिये। इसकी दो सूरतें हैं जिसके दामन में गिर थे अगर उसने उसी ग़र्ज़ से दामन वग़ैरह फैलाया था तो दूसरे को लेना जायज़ नहीं वरना जायज़ है। (आलमगीरी)

मसला:– शादी ब्याह वग़ैरह तक़रीबों में रुपये लुटाने के लिए जिस को दिये। वह ख़ुद लुटाये और दूसरे को लुटाने के लिए नहीं दे सकता। और कुछ बचा कर अपने लिए रख ले या गिरा हुआ ख़ुद उठाले यह जायज़ नहीं। और शकर छुवारे वग़ैरह लुटाने को दिये तो बचा कर कुछ रख सकता है और दूसरे को भी लुटाने के लिये दे सकता है और दूसरे ने लुटाये

तो अब वह भी लूट सकता है। (ख़ानिया)

मसला:– मजमों या मस्जिदों में अक्सर जूते बदल जाते हैं। उनको काम में लाना जायज़ नहीं। या उस का अच्छा जूता कोई ले गया और अपना ख़राब छोड़ गया और बज़ाहिर मालूम होता है कि उसने क़सदन ऐसा किया है धोके से नहीं हुआ है तो जब यह शख़्स ख़राब जोड़ा उठा लाया उस को पहन सकता है। कि यह उसका इवज़ है। (बहरुर्राइक़)

मसला:– मकान ख़रीदा और उसकी दीवार वग़ैरह में रुपये मिले अगर बाइअ कहता है कि यह मेरे हैं तो उसे देदे वरना लुक़्ता है। (रद्दुलमुहतार)

मसला:– जिस की कोई चीज़ गुम हो गई है उसने एलान किया कि जो उसका पता बतायेगा उसको इतना इनाम दूंगा और किसी ने पता बता दिया तो वह रक़म बतौर इनाम देना चाहे तो दे सकता है। शरअन यह इजारा नहीं न उस पर इजारा के अहकाम। (बहरुर्राइक़)

मसला:– लोगों के दैन (क़र्ज़) या हक़ूक़ उसके ज़िम्मा हैं मगर न उनका पता है न उसके वरसा का जैसा कि अमूमन रिशवत वग़ैरह के लेन देन में होता है कि रिशवत ली जाती दी जाती है। मगर देने वाले का पता मालूम नहीं होता न उसकी फ़िक्र होती है, तो इतना ही अपने माल में से फ़क़ीरों पर सदक़ा करे कि आख़िरत के मुआख़िज़े (पकड़) से बच जाये और अगर क़सदन ग़सब किया और किसी का माल दबा लिया है तो तौबा भी करे और अगर किसी का मुतालबा उसके ज़िम्मे है और उसके पास माल नहीं कि अदा करे और मालिक का पता भी नहीं कि माफ़ कराये तो तौबा व इस्तिग़फ़ार करे और

मालिक के हक़ में दुआये ख़ैर करे। उम्मीद है कि अल्लाह तआला अपने फ़ज़्ल व करम से उसे बरी कर दे। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- चोर ने अगर किसी को कोई चीज़ दी उसने ले ली अगर मालूम है कि यह फ़लां की चीज़ है तो मालिक को दे दे वरना सदक़ा कर दे। खुद उस चोर को वापस न करे। (बहरुर्राइक़)

मसला:- किसी के मकान पर कोई अजनबी मुसाफ़िर आया और मर गया। तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद उस के तर्के में कुछ रुपया बचा तो मालिक मकान अगरचे फ़क़ीर हो उन रुपयों को अपने सर्फ़ में नहीं ला सकता कि यह लुक़्ता नहीं। (आलमगीरी)

हां अगर उसका तर्का पांच दिरहम तक है और वरसा का पता न चले और यह खुद मोहताज है तो अपने सर्फ़ में ला सकता है वरना मसाकीन को देदे और उस से ज़ायद हो और वरसा का पता न चले तो बैतुलमाल में जमा कर दे। (दुर्रे मुख़्तार) और अगर बैतुलमाल न हो तो दूसरे मुसलमानों के मशवरे पर अमल करे।

मसला:- बारिश में इसलिए बर्तन रख दे कि उन में पानी जमा हो तो दूसरे को बग़ैर इजाज़त इन बर्तनों का पानी लेना जायज़ नहीं। और अगर इसलिए नहीं रखे हैं तो जायज़ है।

मसला:- जंगली कबूतर ने किसी के मकान में अण्डे दिये। अगर मालिक मकान ने पकड़ने के लिए दरवाज़ा भेड़ा था कि दूसरे ने आकर पकड़ लिया तो यह मालिक मकान का है वरना जो पकड़े उसका है। **फ़ायदा:-** जब किसी की कोई चीज़ गुम हो जाये तो यह दुआ पढ़े:- يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ، اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ، اِجْمَعْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ ضَالَّتِيْ ज़ाल्लती की जगह पर उस चीज़ का नाम ले। इन्शाअल्लाह

तआला वह चीज़ मिल जायेगी। इमाम नूदी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फ़रमाते हैं इसको मैंने आज़माया है। गुमी हुई चीज़ जल्द मिल जाती है।

दूसरी तरकीब यह है कि बुलन्द जगह किबला मुंह करके खड़ी हो और फातिहा पढ़ कर उसका सवाब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को नज़र करे फिर सय्यदी अहमद बिन अलवान को हदिया करके यह कहे। يَاسَيِّدِىْ أَحْمَدْ يَا اِبْنَ عَلْوَانِ رُدَّ عَلَىَّ ضَالَّتِىْ وَاِلَّا نَزَعْتُكَ مِنْ دِيْوَانِ الْاَوْلِيَاءِ ٥

इन्शाअल्लाह तआला उनकी बरकत से वह चीज़ मिल जाये। (बहारेशरीअत) किसी चीज़ की गुमशुदगी का इल्म होते ही फ़ौरन पढ़ लें। खुदा व रसूल ने चाहा तो वह चीज़ मिल जायेगी। ख़्वाह जल्द ख़्वाह बदेर वल्लाहु आलम।

मफ़कूद का बयान

मफ़कूद उस शख़्स को कहते हैं जिसका कोई पता न हो। यह भी मालूम न हो कि ज़िन्दा है या मर गया।

मसला:- मफ़कूद खुद अपने हक में ज़िन्दा करार पायेगा। लिहाज़ा उसका माल तक़सीम न किया जाये और उसकी औरत निकाह नहीं कर सकती और उसका इजारा फसख़ न होगा। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- मफ़कूद पर जिन लोगों का नुफ़का वाजिब है यानी उसकी ज़ोजा, उसकी औलाद और उसके मां बाप, उनको नफ़का उसके माल से दिया जायेगा यानी रुपया सोना चान्दी, जो कुछ घर में है या किसी के पास अमानत या देन है। उनसे नुफ़का दिया जाये। हां नफ़का के लिए उसकी जायदाद मंकूला ख़्वाह

ग़ैर मंकूला बेची न जाये। (आलमगीरी)

मसला:- दूसरों के हक़ में मफ़कूद मुर्दा है यानी उस ज़माना में किसी का वारिस नहीं होगा। यानी दूसरे के अमवाल लेने के लिए मफ़कूद को मुर्दा तसव्वुर किया जाये। मोरिस की मौत के वक़्त जो लोग ज़िन्दा थे वही वारिस होंगे मफ़कूद को वारिस करार दे कर उसके वरसा को वह अमवाल नहीं मिलेंगे। (दुर्रे मुख़्तार) यह उस वक़्त से है जब से गुम हुआ है उसका अब तक कोई पता न चला हो अगर दरमियान में कभी उसकी ज़िन्दगी का इल्म हुआ है तो उस वक़्त से पहले जो लोग मरे हैं उनका वारिस है। बाद में जो मरेंगे उनका वारिस नहीं होगा। (बहरुर्राइक़)

ख़रीद व फ़रोख़्त का बयान

वह ख़ल्लाक़े आलम जिसकी कुदरते कामिला का इदराक इन्सानी ताक़त से बाहर है अर्श से फ़र्श तक जिधर नज़र कीजिए उसी की कुदरत जलवागर है। हैवानात नबातात जमादात और तमाम मख़लूक़ात उसी के मज़हर हैं उसने अपनी मख़लूक़ात में इन्सान के सर पर ताज करामत व इज़्ज़त रखा और उसको मदनी युत्तबअ बनाया यानी यह कि ज़िन्दगी बसर करने में यह अपनी नोअ का मोहताज है। क्योंकि इन्सानी ज़रूरियात इतनी ज़ायद और उन के तहसील में इतनी दुशवारियां हैं कि हर शख़्स अगर अपनी तमाम ज़रूरियात का तन्हा मुतकफ़्फ़िल (कफ़ील) होना चाहे ग़ालिबन आजिज़ होकर बैठ रहेगा। और अपनी तमाम ज़िन्दगी के अय्याम ख़ूबी के साथ न गुज़ार सकेगा लिहाज़ा उस हकीम मुतलक़ ने इन्सानी जमाअत को मुख़्तलिफ़ शोबों और मुतअद्दिद किसमों पर मुन्क़सिम

फ़रमाया कि हर एक जमाअत एक एक काम अंजाम दे और सब के मजमूआ से ज़रूरियात पूरी हों। मसलन कोई खेती करता है कोई कपड़ा बुनता है कोई दूसरी दस्तकारी करता है।

जिस तरह खेती करने वाले को कपड़े की ज़रूरत है कपड़ा बुनने वालों को ग़ल्ला की हाजत है न यह उस से मुस्तग़ना, न वह उससे बे नियाज़, बल्कि हर एक को दूसरे की तरफ़ एहतियाज। लिहाज़ा ज़रूरियात पैदा हुई कि उसकी चीज़ उसके पास जाये और उसकी उसके पास आये ताकि सब की हाजतें पूरी हों और कामों में दुशवारियां पेश न आयें। यहां से मामलात का सिलसिला शरू हुआ और बेअ वग़ैरह वग़ैरह हर किस्म के मामलात वजूद में आये।

इस्लाम चूंकि मुकम्मल दीन है और इन्सानी ज़िन्दगी के हर शोबा पर उसका हुक्म नाफ़िज़ है। जहां इबादत के तरीके बताता है। मामलात के मुताल्लिक भी पूरी रोशनी डालता है ताकि ज़िन्दगी का कोई शोबा तिशना बाकी न रहे और मुसलमान किसी अमल में इस्लाम के सिवा दूसरे का मोहताज न रहे।

जिस तरह इबादत में बाज़ सूरतें जायज़ हैं और बाज़ नाजायज़। उसी तरह तहसीले माल की भी बाज़ सूरतें जायज़ हैं और बाज़ नाजायज़ और हलाल रोज़ी की तहसील उस पर मोकूफ़ कि जायज़ ना जायज़ को पहचाने। जायज़ तरीके पर अमल करे। नाजायज़ से दूर भागे कि कुरआन मजीद में नाजायज़ तौर पर हासिल करने की सख़्त मुमानिअत आई।

तहसीले माल के जराए में जिसकी सब से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ग़ालिबन रोज़ाना जिससे साबक़ा पड़ता है वह ख़रीद व फ़रोख़्त है।

फ़ायदा ज़रूरिया

तिजारत बहुत उम्दा और नफ़ीस काम है मगर अक्सर तज्जार (तिजारत पेशा हज़रात) किज़्ब बयानी से काम लेते बल्कि झूठी क़स्में खा लेते हैं। इसीलिए अक्सर अहादीस में जहां तिजारत का ज़िक्र आता है। झूठ बोलने और झूठी क़स्में खाने के साथ ही साथ मुमानिअत भी आई है। और यह वाक़िया भी है कि अगर ताजिर अपने माल में बरकत देखना चाहता है तो इन बुरी बातों से गुरेज़ करे। ताजिरों की उन्हीं बदउनवानियों की वजह से बज़ार को बदतरीन बक़िआ ज़मीन फ़रमाया गया है और यह कि शैतान हर सुबह को अपना झंडा ले कर बाज़ार में पहुंच जाता है और बे ज़रूरत बाज़ार में जाने को बुरा बताया गया है।

क़ुरआन करीम का यह इरशाद कि रे जाल رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ भी इसी तरफ़ इशारा करता है कि तिजारत व बैअ, यादे खुदा से ग़ाफ़िल करने वाली चीज़ है और उससे दिलचस्पी ग़फ़लत लाने वाली है। लिहाज़ा फ़र्ज़ है कि तिजारत में इतना इनाहिमाक (मसरूफ़ियत) न हो कि यादे ख़ुदा से ग़फ़लत का मोजब हो। सहीह बुखारी शरीफ़ में है कि सहाबा किराम ख़रीद व फ़रोख़्त व तिजारत करते थे। मगर जब हक़ूक़ुल्लाह में से कोई हक़ पेश आ जाता तो तिजारत व बैअ उनको ज़िकरुल्लाह से नहीं रोकती थी वह उस के हक़ को अदा करते थे। (बहारे शरीअत)

एक नफ़ीस दुआ

बाज़ार में दाखिल होने के वक़्त यह दुआ पढ़ लिया करो-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जो बाज़ार में दाखिल होते वक्त यह दुआ पढ़ेगा अल्लाह तआला उसके लिए एक लाख नेकी लिखेगा और एक लाख गुनाह मिटा देगा और एक लाख दर्जे बुलन्द फरमायेगा और उसके लिए एक घर जन्नत में बनायेगा। (तिर्मिज़ी, इब्नेमाजा)

कसबे हलाल की फ़ज़ीलत

हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम इरशाद फरमाते हैं कि "अल्लाह पाक है और पाक ही को दोस्त रखता है और अल्लाह तआला ने मोमिन को भी उसी का हुक्म दिया जिस का रसूलों को हुक्म दिया। उसने रसूलों से फरमाया يَا اَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا. ऐ रसूलो ! पाक चीज़ों से खाओ और अच्छे काम करो'' और मोमिन से फरमाया يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ऐ ईमान वालो! जो कुछ हम ने तुम को दिया उन में पाक चीज़ों में से खाओ। फिर बयान फरमाया कि एक शख़्स तवील सफर करता है जिस के बाल परेशान हैं और बदन गर्द आलूद हैं। (यानी उसकी हालत ऐसी है कि जो दुआ करे वह कुबूल हो) मगर हालत यह है कि उसका खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम और ग़िज़ा हराम। फिर उसकी दुआ क्यों कुबूल हो। (यानी अगर कुबूल की ख़्वाहिश हो तो कसबे हलाल अख़्तियार करो कि बग़ैर उसके कुबूल दुआ के असबाब बेकार हैं।)

हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम का इरशाद

गरामी है कि तमाम कमाईयों में ज़्यादा पाकीज़ा उन ताजिरों की कमाई है कि जब वह बात करें झूठ न बोलें और जब उनके पास अमानत रखी जाये ख्यानत न करें और जब वायदा करें उसके खिलाफ न करें और जब किसी चीज़ को खरीदें तो उसकी मुज़म्मत (बुराई) न करें और जब अपनी चीज़ बेचें तो उनकी तारीफ़ में मुबालग़ा न करें और उन पर किसी का आता हो तो देने में ढील न डालें और जब उनका किसी पर आता हो तो सख्ती न करें। (बिहैकी शोबुलईमान)

मसायल मुताल्लिक़ा

मसला:- इस्तिलाह शरअ में बैअ के मानी यह हैं कि दो शख़्सों का बाहम माल को माल से एक मख़सूस सूरत के साथ तबादला करना।

बैअ कभी क़ौल से होती है और कभी फ़ेअल से अगर क़ौल से हो तो उसके अरकान ईजाब व क़ुबूल हैं। मसलन एक ने कहा मैंने बेचा दूसरे ने कहा मैंने खरीदा और फ़ेअल से हो तो चीज़ का ले लेना और दे देना उसके अरकान हैं और यह फ़ेअल ईजाब व क़ुबूल के क़ायम मुक़ाम हो जाता है। मसलन तरकारी वग़ैरह की गडियां बना कर अक्सर बेचने वाले रख देते हैं और ज़ाहिर कर देते हैं कि आने आने या मसलन दो दो आने की गड्डी है। ख़रीदार आता है। मुक़र्रर पैसे डाल देता है और एक गड्डी उठा लेता है तरफ़ैन बाहम कोई बात नहीं करते। मगर दोनों के फ़ेअल ईजाब व क़ुबूल के क़ायम मुक़ाम शुमार होते हैं शरीअत में इस किस्म की बैअ को बैअ तआती कहते हैं। (आमए कुतुब)

मसला:- यह ज़रूरी नहीं कि ख़रीदना और बेचना ही कहें तो बैअ हो वरना न हो बल्कि यह मतलब अगर दूसरे अल्फ़ाज़ से अदा होता हो तब भी बैअ हो सकती है मसलन दुकानदार ने पूछने पर किसी चीज़ के दस रुपये बताये, उसने कहा दस रुपया। उसने कहा आठ रुपया में दो। उसने जवाब दिया। ले लो बैअ हो गई। (आलमगीरी)

मसला:- जो चीज़ मौजूद ही न हो बल्कि उसके मौजूद न होने का अन्देशा हो, उसकी बैअ नहीं हो सक्ती। मसलन थन में जो दूध है उसकी बैअ नाजायज़ है कि हो सकता है उसमें दूध न हो।

मसला:- जो चीज़ बेची या ख़रीदी जाये उसकी कीमत साफ़ साफ़ इस तरह मालूम हो कि निज़ाअ और झगड़ा बखेड़ा न पड़े और अगर बात मजहूल यानी गोल मोल रही कि निज़ाअ हो सकता है तो बैअ सही नहीं। मसलन उस रेवड़ में से एक बकरी बेची और यह मालूम नहीं कि कौन सी बेची या कहा कि मैंने उस चीज़ को वाजिबी कीमत में बेचा या ख़रीदार ने कहा कि जो कुछ मेरी मुट्ठी में है उस के बदले मैंने फ़लां चीज़ ख़रीदी और मालूम नहीं कि मुट्ठी में है क्या तो यह बैअ दुरुस्त न हुई। (आमए कुतुब)

मसला:- एक शख़्स ने कहा यह सामान ले जाओ और उसके मुताल्लिक आज ग़ौर कर लो अगर तुम को पसन्द हो तो एक हज़ार की है। दूसरा उसे ले गया बैअ जायज़ हो गई। (ख़ानिया)

मसला:- दुकानदारों के यहां से खर्च के लिए चीज़ें मंगवा ली जाती हैं और खर्च कर डालने के बाद कीमत का हिसाब होता है ऐसा करना जायज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- बाइअ़ (बेचने वाला) और मुशतरी (ख़रीदने वाला)

उन दोनों को यह हक़ है कि वह कतई तौर पर बैअ न करें अक़्द में यानी बेचते खरीदते वक़्त यह शर्त रख दें कि अगर मंजूर न हुआ या चीज़ पसन्द न आई तो बैअ बाकी न रहेगी। उसे ख़्यारे शर्त कहते हैं और उसकी ज़रूरत तरफ़ैन को हुआ करती है क्योंकि कभी बाइअ अपनी नावाकफ़ियत से कम दामों में चीज़ बेच देता है या मुशतरी अपनी नादानी से ज़्यादा दामों में मशवरा करके सही राय कायम करे और अगर उस वक़्त न खरीदी तो चीज़ जाती रहेगी। या बाइअ को अन्देशा है कि गाहक हाथ से निकल जायेगा। ऐसी सूरत में शरअ मतहर ने दोनों को यह मौका दिया है कि ग़ौर कर लें अगर नामन्जूर हो तो ख़्यार की बिना पर बैअ को नामन्जूर कर दें। (बहारे शरीअत)

मसला:– ख्यार की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा तीन दिन है। उससे कम हो सकती है ज़्यादा नहीं। अगर कोई ऐसी चीज़ खरीदी है जो जल्द खराब हो जाने वाली है और मुशतरी (खरीदार) को तीन दिन का ख्यार था तो उससे कहा जायेगा के बैअ को फसख़ कर दे या बैअ को जायज़ कर दे। और अगर ख़राब होने वाली चीज़ किसी ने बिला ख्यार खरीदी और बग़ैर कब्ज़ा किये और बग़ैर समन (कीमत जो तै पाई) अदा किये चल दिया। और ग़ायब हो गया तो बाइअ उस चीज़ को दूसरे के हाथ बैअ कर सकता है और उस दूसरे खरीदार को यह मालूम होते हुए भी खरीदना जायज़ है। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुतार वग़ैरह)

मसला:– अगर ख्यार की कोई मुद्दत ज़िक्र नहीं की सिर्फ इतना कहा मुझे ख्यार है या मुद्दत मजहूल है मसलन मुझे चन्द दिन का अख़्तियार है या हमेशा के लिए ख्यार रखा उन सब सूरतों में ख्यार फ़ासिद है।

ख़्यारे रोयत का बयान

कभी ऐसा होता है कि बग़ैर देखे भाले चीज़ ख़रीद लेते हैं और देखने के बाद वह चीज़ पसन्द होती है ऐसी हालत में शरअ मुतहहरा ने मुशतरी को यह अख़्तियार दिया है कि अगर देखने के बाद चीज़ को न लेना चाहे तो बैअ फ़सख़ कर दे इसको ख़्यारे रोयत कहते हैं। (बहारे शरीअत)

मसला:– बाइअ ने ऐसी चीज़ बेची जिसको उसने देखा नहीं मसलन उसे मीरास में कोई शै मिली है और बिना देखे बेच डाली तो बैअ सही है। मगर उसको यह अख़्तियार नहीं कि देख़ने के बाद बैअ को फ़सख़ कर दे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– ख़्यार रोयत के लिए किसी वक़्त की हद शरअन मुकर्रर नहीं कि उसके गुज़रने के बाद ख़्यार बाकी रहे बल्कि यह ख़्यार देखने पर है। जब देखे और देखने के बाद फ़सख़ का हक़ उस वक़्त तक बाक़ी रहता है जबतक सराहतन या किसी और तौर पर रज़ामन्द न पाई जाये। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– बिना देखे चीज़ खरीदी है तो देखने से पहले भी उसकी बैअ फ़सख़ कर सकता है क्योंकि यह बैअ मुशतरी (ख़रीदार) के ज़िम्मे लाज़िम नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– अगर मुशतरी मुबीअ (खरीदी हुई चीज़) पर कब्ज़ा कर लिया और देखने के बाद अपनी रज़ा मन्दी ज़ाहिर कर दी या उसमें कोई ऐब पैदा हो गया या उसमें ऐसा तसर्रुफ़ कर दिया जो क़ाबिल फ़सख़ नहीं है तो इन सब सूरतों में ख़्यारे रोयत जाता रहा और अब बैअ को फ़सख नहीं कर सकता। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– नाबीना (अंधे) की बैअ व शरा (ख़रीद व फ़रोख़्त) दोनों जायज़ हैं। अगर किसी चीज़ को बेचेगा तो ख़्यार हासिल न होगा और ख़रीद लेगा तो ख़्यार हासिल होगा और बैअ (ख़रीदी हुई चीज़) को उलट पलट कर टटोलना देखने के हुक्म में है कि टटोल लिया और पसन्द कर लिया तो ख़्यार साक़ित हो गया और खाने की चीज़ का चखना और सूंघने की चीज़ का सूंघना और जो चीज़ टटोलने से मालूम न हो न चखने सूंघने से वहां उस चीज़ के औसाफ़ बयान करने होंगे। जो औसाफ़ बयान कर दिए गये मुबीअ उनके मुताबिक़ है तो फ़सख़ नहीं कर सकता वरना फ़सख़ कर सकता है। अंधा मुशतरी यह भी कर सकता है कि किसी को क़ब्ज़ा करने या ख़रीदने के लिए वकील कर दे, वकील का देख लेना उसके देखने के क़ायम मुक़ाम हो जायेगा और अंधा किसी चीज़ को अपने लिए ख़रीदे या दूसरे के लिए मसलन किसी ने अंधे को वकील कर दिया कि हमारे लिए फ़लां चीज़ ख़रीद लेना और उसने ख़रीद ली तो दोनों सूरतों में उसे ख़्यार हासिल होगा। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:– शै मुअय्यन की बैअ शै मुअय्यन से हुई मसलन किताब को कपड़े के बदले में ख़रीदा या बेचा तो ऐसी सूरत में बाइअ व मुशतरी दोनों को ख़्यार रोयत हासिल है क्योंकि यहां दोनों मुशतरी भी हैं। (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत)

ख़्यारे ऐब का बयान

शरीअत की ज़बान में ऐब, जिसकी वजह से मुबीअ को वापस कर सकते हैं वह है जिससे ताजिरों की नज़र में क़ीमत कम हो जाये।

मुबीअ में ऐब हो तो उसका ज़ाहिर कर देना बाइअ़ पर वाजिब

है छुपाना गुनाह कबीरा है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस ने ऐब वाली चीज़ बैअ की और उसको ज़ाहिर न किया वह हमेशा अल्लाह तआला की नाराज़ी में है या फ़रमाया कि हमेशा फ़रिश्ते उस पर लानत करते हैं (इब्ने माजा) एक और हदीस शरीफ़ में फ़रमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और जब मुसलमान अपने भाई के हाथ कोई चीज़ बेचे जिस में ऐब हो तो जबतक बयान न करे उसे बेचना हलाल नहीं। (इमाम अहमद, इब्ने माजा)

यूंही समन का ऐब (यानी जिसके बदले में कोई चीज़ ख़रीदी उसका ऐब) मुशतरी पर ज़ाहिर कर देना वाजिब है अगर बग़ैर ऐब ज़ाहिर किए चीज़ बैअ़ कर दी तो मालूम होने के बाद वापस कर सकते हैं उसको ख़्यारे ऐब कहते हैं।

ख़्यार ऐब के लिए यह ज़रूरी नहीं कि वक़्त अक़दिया कह दे कि ऐब होगा तो फेर देंगे कहा हो न कहा, बहरहाल ऐब मालूम होने पर मुश्तरी को वापस करने का हक़ हासिल होगा। लिहाज़ा अगर मुश्तरी को न ख़रीदने से पहले ऐब पर इत्तला थी न वक़्ते ख़रीदारी उसके इल्म में यह बात आयी बाद में मालूम हुआ कि उसमें ऐब है। थोड़ा ऐब हो या ज़्यादा, ख़्यार ऐब हासिल है कि मुबीअ़ को लेना चाहिए तो पूरे दाम पर लेले वापस करना चाहे वापस कर दे। यह नहीं हो सकता कि वापस न करे बल्कि दाम कम कर दे। (आलमगीरी) हां, बाइअ ख़ुद क़ीमत कम दे तो और बात है।

मसला:- ख़रीदार को अक़्द या क़ब्ज़ा के वक़्त ऐब पर इत्तला हो गयी उसके बावजूद ऐब जानकर ख़रीद लिया या क़ब्ज़ा किया तो ख़्यार ऐब न रहा। यूंही अगर बाइअ ने ऐब से बराअत कर दी

और कह दिया कि उसके किसी ऐब का ज़िम्मेदार नहीं और खरीदार ने मंजूर कर लिया तब भी ख़्यार ऐब साबित नहीं। (आलमगीरी)

मसला:- कोई चीज़ ग़बन फ़ाहिश के साथ खरीदी है उसकी दो सूरते हैं, धोका देकर नुक्सान पहुंचाया या नहीं। अगर ग़बन फ़ाहिश के साथ धोका भी है तो वापस कर सकता है वरना नहीं।

ग़बन फ़ाहिश का मतलब यह है कि इतना टूटा है जो कीमत लगाने वालों के अंदाज़ा से बाहर हो मसलन एक चीज़ दस रुपया में खरीदी कोई उसकी कीमत पाचं बताता है कोई छह, कोई सात, तो यह ग़बन फ़ाहिश है। और अगर उसकी कीमत आठ बताता है और कोई नौ कोई दस तो यह ग़बन यसीर (मामूली नुक़्सान) है। धोके की तीन सूरते हैं। कभी बाइअ मुश्तरी को धोका देता और पांच की चीज़ दस में बेच देता है और कभी मुश्तरी बाइअ को, कि दस की चीज़ पांच में खरीद लेता है। कभी दलाल धोका देता है। इन सूरतों मे जिसको ग़बन फ़ाहिश के साथ नुक़्सान पहुंचा है वह चीज़ को वापस कर सकता है और किसी अजनबी शख़्स ने धोका दिया ख़्वा-मख़ाह चीज़ की कीमत बढ़ा चढ़ा बयान कर दी और यह उसके चक्कर में आ गया तो अब वापस नहीं कर सकता। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

मसला:- मोज़े या जूते खरीदे वह उसके पांव में नहीं आते वापस कर सकती है। अगरचे खरीदते वक़्त यह न कहा हो कि पहनने के लिए खरीदती है क्योंकि आदतन एक जोड़ा मोज़ा या जूता पहनने ही के लिए खरीदा जाता है। हां अगर जूता खरीदा जो तंग था बाइअ ने कह दिया कि पहन लो ठीक हो जाएगा उसने एक दिन पहना मगर ठीक न हुआ तो अब वापस नहीं कर सकती। (आलमगीरी)

मसला:- अंडा खरीदा, उसे तोड़ा तो गंदा निकला तो कुल वापस होंगे कि वह चीज़ बेकार है बैअ के काबिल नहीं खरबूज़ा तरबूज़ खीरा ककड़ी वग़ैरह कोई चीज़ खरीदी और काटी तो ख़राब निकली या बादाम अखरोट खरीदा तोड़ने पर मालूम हुआ कि खराब है मगर बावजूद खराबी के, काम के लायक है। कम से कम यह कि जानवर ही के खिलाने में आ सकता है। तो वापस नहीं कर सकती। और अगर बाइअ़ उसी हालत में लेने को तैयार है तो वापस कर दे। नुक्सान नहीं ले सकती और अगर ऐब मालूम हो जाने के बाद कुछ भी खा लिया तो नुक्सान नहीं ले सकती यहां महज़ चखकर देखा और खाया नहीं तो अब नुक्सान ले सकती है और अगर काटने तोड़ने के बाद मालूम हुआ कि यह चीजें बिल्कुल बेकार हैं मसलन खीरा, कड़वा या बादाम अखरोट में गिरी नहीं तरबूज या खरबूजा सड़ा हुआ है तो पूरे दाम वापस लेकर यह बाइअ़ बिल्कुल हुई नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

बैअ़ बातिल व बैअ़ फ़ासिद का बयान

जिस सूरत में बैअ़ का कोई रुक्न न पाया जाये या वह चीज़ बैअ़ के काबिल ही न हो शरीअत में उसे बैअ़ बातिल कहते हैं यानी ऐसी बैअ़ जो शरअन महज़ नाकाबिले एतबार है गोया कि यह बैअ़ वजूद में आयी ही नहीं। न बेची गई न खरीदी गई पहली सूरत कि मिसाल यह है कि मजनू या नासमझ बच्चा ने ईजाब या कुबूल किया कि उनका क़ौल शरअन मोतअबर ही नहीं। दूसरी सूरत कि मुबीअ़, बैअ़ के काबिल ही नहीं उसकी मिसाल यह है कि मुबीअ़ मुरदार या ख़ून या शराब हो कि यह चीज़ें बैअ़ के काबिल नहीं हैं।

और अगर बैअ़ के रुक्न या महल्ले बैअ़ (जिस की बैअ़ की जा रही है) में जो कोई ख़राबी नहीं बल्कि उसके अलावा कोई ख़राबी पाई जाती है तो वह बैअ़ फ़ासिद कहलाती है। मसलन शराब का बतौर क़ीमत देना ते पाया। बैअ़ में कोई ऐसी शर्त लगा दी जिस का पूरा करना बैअ़ में शामिल नहीं या शरीअ़त ने उसे जायज़ नहीं रखा या दीनदार मुसलमानों का उस पर अमल नहीं मसलन कपड़ा ख़रीदा और यह शर्त लगाई कि बाइअ़ उसको काट कर सी देगा (आलमगीरी) तो यह बैअ़ फ़ासिद है।

मसला:- बैअ़ बातिल का हुक्म यह है कि उस चीज़ पर मुशतरी का क़ब्ज़ा भी हो जाये जब भी मुशतरी उसका मालिक नहीं होगा वह चीज़ अब तक बाइअ़ की मिल्क है और मुशतरी का यह क़ब्ज़ा ऐसा है जैसे किसी अमानत पर क़ब्ज़ा। लिहाज़ा उसमें से ख़रीदार को खाना पीना, या उसे किसी तरह अपने तसर्रुफ़ में लाना जायज़ नहीं मुशतरी पर लाज़िम है कि वह चीज़ें वापस करे और अपनी क़ीमत वापस ले। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:- बैअ़ फ़ासिद का हुक्म यह है कि अगर मुशतरी ने बाइअ़ की इजाज़त से मुबीअ़ पर क़ब्ज़ा कर लिया तो वह मुबीअ़ का मालिक हो गया। मगर यह मिल्क ख़बीस है क्योंकि जो चीज़ें बैअ़ फ़ासिद से हासिल होंगी उसे वापस करना वाजिब है और मुशतरी को उसमें तसर्रुफ़ करना मना है। लिहाज़ा अगर वह खाने की चीज़ है तो उसका खाना और पहनने की चीज़ है तो उसका पहनना हलाल नहीं। हां अगर यह उसे बेच डाले तो समन (क़ीमत) का मालिक यही होगा कि अगरचे मिल्क ख़बीस है मगर मालिक तो यही है बैअ़ फ़ासिद की सूरत फ़सख़ करना बाइअ़ व मुशतरी दोनों पर वाजिब है और

अगर बैअ़ फ़ासिद की सूरत में मुशतरी ने मुबीअ़ पर कब्ज़ा नहीं किया तो उसकी मिल्क साबित नहीं होगी और न उसपर उसकी मिल्कीयत के अहकाम जारी होंगे। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- बैअ़ फ़ासिद में अगर मुशतरी ने मुबीअ पर बाइअ़ की इजाज़त के बग़ैर कब्ज़ा कर लिया तो न कब्ज़ा हुआ न यह मालिक हुआ और न उसके तसर्रुफ़ात जारी होंगे। (आलमगीरी)

मसला:- बैअ़ फ़ासिद में मुशतरी ने कब्ज़ा करने के बाद उस चीज़ को बाइअ के अलावा दूसरे के हाथ बेच डाला या हिबा करके कब्ज़ा दिला दिया। या ग़ल्ला था उसे दूसरे ग़ल्ला में मिला दिया या पिसवा लिया या जानवर था ज़िब्ह कर डाला। या वसीयत करके मर गया या सदका दे डाला ग़र्ज़ यह कि किसी तरह मुशतरी की मिल्क से वह चीज़ निकल गई तो अब वह बैअ़ फ़ासिद नाफ़िज़ हो जायेगी और अब फ़सख़ नहीं हो सकती। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- बाइअ व मुशतरी में से कोई मर गया जब भी (बैअ बातिल व फ़ासिद की सूरत में) फ़सख़ का हुक्म बदस्तूर बाक़ी है उसका वारिस उसके कायम मुकाम है वह फ़सख़ करे। (दुर्रे मुख़्तार)

बैअ़ फ़ासिद व बातिल की चन्द सूरतें

मसला:- बैअ़ में समन का ज़िक्र न हुआ यानी बाइअ़ ने मुशतरी से यह कह दिया कि जो नर्ख़ बाज़ार में है वह दे देना, यह बैअ़ फ़ासिद है और अगर यह कहा कि समन कुछ नहीं तो बैअ़ बातिल है कि बग़ैर समन बैअ़ नहीं हो सकती। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- तालाबों झीलों का मछलियों के शिकार के लिए ठेका

देना जैसा कि बहुत ज़मींदारा करते हैं यह नाजायज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- जो दूध थन में है उसकी बैअ़ नाजायज़ है। इसी तरह उस ऊन की बैअ़ जो दुम्बा या भेड़ के जिस्म में है अभी काटी न हो। या घी की बैअ़ जो अभी दूध से निकाला न हो नाजायज़ है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- पानी जब तक कुएं या नहर में है उसकी बैअ़ जायज़ नहीं और जब उसको घड़े मटके बाल्टी डोल वग़ैरह में भर लिया तो भरने वाला मालिक हो गया। बैअ़ कर सकता है। यूंही बारिश का पानी जमा कर लेने से मालिक हो जाता है। बैअ़ कर सकता है। (आलमगीरी)

मसला:- भिशती से पानी की मशकें मोल लीं यानी अभी उसने भरी भी नहीं हैं उनको ख़रीद लेना दरूस्त है कि मुसलमानों का उस पर अमल दरआमद है। (आलमगीरी)

मसला:- इन्सान के बाल की बैअ़ दुरूस्त नहीं और उन्हें काम में लाना जायज़ नहीं मसलन उनकी चूटियां बना कर औरतें इस्तेमाल करें हराम है। हदीस शरीफ़ में उस पर लानत फ़रमाई। (आमए कुतुब)

फ़ायदा नफ़ीसा

हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के मूए मुबारक जिसके पास हों उससे दूसरे ने लिये और हदया में कोई चीज़ पेश की यह दुरूस्त है जब कि बतौर बैअ़ न हों

और मूए मुबारक से बरकत हासिल करना, उसका ग़साला (जिसमें मुए मुबारक को गु स्ल दिया जाये यानी उसमें हुसूल बरकत

के लिए डाल दिया जाये उस पानी का पीना, आंखों पर मलना और बग़र्ज़ शिफा मरीज़ को पिलाना दरूस्त है जैसा कि अहादीस सहीहा से साबित है।) (बहारे शरीअत)

हज़रत खालिद बिन वलीद से मरवी है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उमरा अदा फरमाने के बाद सर मुबारक को हल्क कराया (यानी सर अक्दस से मूए मुबारक उतारे गये) तो सहाबा किराम ने मूए मुबारक को हासिल करने के लिए एक दूसरे पर सबक़्क़त ले जाने की कोशिश की मैंने उन सब पर सबक़्क़त की और पेशानी के मूए मुबारक हासिल कर लिए और उन्हें अपनी टोपी में रख लिया। उसकी यह बरकत हुई कि जब भी किसी जंग में शामिल हुआ और यह टोपी मेरे साथ हुई ज़रूर मुझे फतह हासिल हुई। (सीरत नबवियह)

इस हदीस से साफ साफ ज़ाहिर है कि सहाबा किराम को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आसार मुबारक से इन्तहा दर्जा का इश्क था। उन्हें जान की तरह साथ रखते थे, सर पर रखते उनकी हिफाज़त करते, उनसे बरकतें हासिल करने, नफा पाने और आदाए दीन पर कामियाब होने का एतकाद रखते और हमेशा इस एतकाद के मुताबिक कामियाब होते और मुरादें पाते थे। बल्कि उन्हें जान की तरह अज़ीज़ रखते बल्कि उनकी हिफाज़त के लिए अपनी जानें खतरा में डाल दिया करते थे। चुनांचे इन्हीं ख़ालिद बिन वलीद रज़ि अल्लाहु अन्हु की वह कलाह मुबारक यानी टोपी जिस में मूए मुबारक थे एक माअरका में गिर गई। जब आप को उसका इल्म हुआ तो निहायत तेज़ी से पलट कर, दुश्मनों पर सख्त हमला किया और अपनी जान खतरे में डाल कर उस टोपी को हासिल कर लिया।

बाज़ सहाबा किराम ने इस वाकिया से , ज़्यादा मुसलमानों को शहीद हो जाने के बाअस एतराज़ किया तो आपने फ़रमाया मैंने यह जो कुछ किया अपनी टोपी के लिए नहीं बल्कि उन मुबारक बालों की वजह से किया जो इस टोपी में मौजूद थे। ताकि मैं उन मूए मुबारक की बरकतों से महरूम न हो जाऊं और वह दुश्मनों के हाथ न आजायें। दर हकीकत यही एकतज़ाए मुहब्बत है और यही तकाज़ाए ईमान।

हज़रत उलेमाए किराम का इरशाद गरामी है कि हुज़ूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ताज़ीम का एक जुज़ यह भी है कि जिस चीज़ को हुज़ूर से कुछ इलाका हो हुज़ूर की तरफ मंसूब हो। हुज़ूर ने उसे छुआ हो या हुज़ूर के नाम पाक से पहचानी जाती हो, उस सबकी ताज़ीम की जाये। (शिफ़ाशरीफ अल्लामा काज़ी अियाज़ रहमतुल्लाह तआला अलैहि)

यहां तक कि आईमा दीन और उलमाए मुतकदमीन व मुताखिरीन, जिन के इल्मी और रूहानी और तबलीग़ी कारनामों पर तारीख़ इस्लाम गवाह है, नअल अक्दस की शबीह व मिसाल, उसके नक़्शे और खाकों की बराबर ताज़ीम फ़रमाते रहे। उससे बरकतेंऔर ग़ैबी मद्दें पाते रहे जब नक़्शे की यह बरकत व अज़मत है तो खुद नअल अक्दस की अज़मत व बरकत का ख्याल कीजिए। फिर रोये अक्दस (चादर मुबारक) जुब्बा मुकद्दस और अमामा मुकर्रमा पर नज़र कीजिए फिर उन तमाम आसार व तबर्रुकात शरीफ़ा से हज़ारों दर्जे आज़म व आला व अकरम औला हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के नाखुन पाक का तराशा है कि वह सब मलबूसात (इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें जो बदन से मस रहे) थे और यह

जुज़ बदन वाला है।

और इससे अजल व आज़म व अरफ़अ अकरम, हुजूर पूर नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की रेश मुबारक का मूए मतहर (बाल मुबारक) है। मुसलमान का ईमान गवाह है कि हफ्त आसमान व ज़मीन हरगिज़ उस मूए मुबारक की अज़मत को नहीं पहुंचते।

यूंही रोज़ा मुनव्वरा हुजूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की नक्ले सहीहा बिला शुबह उन चीज़ों में से है जो शरअन वाजिबुल ताज़ीम हैं। उसकी ताज़ीम व तकरीम, बर वजह शरई हर मुसलमान सहीहुलईमान का मुकतज़ाए ईमान है–

ऐ गुल बतो खर सन्दम तो बोए कसे दारी

मसला:– तेल नापाक हो गया उसकी बैअ़ जायज़ है और खाने के अलावा उसको दूसरे काम में लाना भी जायज़ है। (दुर्रे मुख्तार) मगर यह ज़रूर है कि मुशतरी को उसके नजस होने की इत्तलाअ देदे ताकि वह खाने के काम में न लाये और यह भी वजह है कि नजासत ऐब है और ऐब पर मुत्तलअ करना ज़रूरी है। नापाक तेल मस्जिद में जलाना मना है। घर में जला सकते हैं उसका इस्तेमाल अगरचे जायज़ है मगर बदन या कपड़ा में जहां लग जायेगा नापाक हो जायेगा। पाक करना पड़ेगा।

बाज़ दवायें इस किस्म की बनाई जाती हैं जिसमें कोई नापाक चीज़ शामिल करते हैं। मसलन जावनर का पित्ता, उसको अगर बदन पर लगाया तो पाक करना ज़रूरी है। (बहारे शरीअत)

मसला:– जिस बैअ़ में मुबीअ या समन मजहूल (नामालूम) हों वह बैअ फ़ासिद है जबकि ऐसी जिहालत हो कि उसे सोंपते वक्त झगड़ा पैदा हो जाये और अगर बैअ़ को सोंपने में कोई दुशवारी न हो तो

बैअ़ फ़ासिद नहीं। मसलन गेहूं की पूरी बोरी मसलन सौ रुपया में ख़रीदी और मालूम नहीं कि उसमें कितने गेहूं हैं। या कपड़े की गांठ ली या मालूम नहीं कि उस में कितने थान हैं यह बैअ़ दुरूस्त है। (आलमगीरी)

मसला:– तेल बेचा और यह ठहरया कि बर्तन समेत तोला जायेगा और बर्तन का इतना वज़न काट दिया जायेगा मसलन एक सेर, यह नाजायज़ है और अगर यह ठहराया कि बर्तन का जो वज़न है को काट दिया जायेगा मसलन एक सेर है तो एक सेर और डेढ़ सेर है तो डेढ़ सेर। यूंही अगर दोनों को मालूम है कि बर्तन का वज़न एक सेर है और ठहराया कि बर्तन का वज़न एक सेर मुजरा किया जायेगा यह भी जायज़ है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:– बैअ़ में कभी ऐसा होता है कि मुक़र्ररा क़ीमत अदा करने की कोई मुद्दत मुकर्रर होती है और कभी नहीं। मगर मुद्दत मुकर्ररा न हो तो समन का मुतालबा बाइअ़ जब चाहे करे और जब तक मुशतरी समन न अदा करे मुबीअ को रोक सकता है और दावा करके वसूल कर सकता है और अगर मुद्दत ऐसी मुकर्रर की जो फ़रीक़ैन न जानते हों या एक को उस का इल्म न हो तो बैअ़ फ़ासिद है मसलन नौ रोज़, महरगां या होली दीवाली कि अक्सर मुसलमान यह नहीं जानतें कि कब होगी और जानते हों तो हो जायेगी। मगर मुसलमानों को अपने कामों में काफ़िरों के त्योहारों की तारीख़ मुकर्रर करना बहुत बुरी बात है। यूंही हाजियों की वापसी का दिन मुक़र्रर करना। खेत काटने पेड़ में से गल्ला उठाने की तारीख़ मुक़र्रर करना बैअ़ को फ़ासिद करदेगा। कि यह चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं। (हिदाया, दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- मुशतरी ने मुबीअ को वापस दे दिया यानी बाइअ़ के पास रख दिया कि बाइअ़ के पास छोड़ कर चला गया तो वह बरीउज़्ज़िम्मा हो गया। वह चीज़ अगर ज़ाया होगी तो मुशतरी तावान नहीं देगा और अगर बाइअ़ के इन्कार पर मुशतरी चीज़ को वापस ले गया तो बरीउज़्ज़िम्मा नहीं कि उस सूरत में उसे ले जाना जायज़ न था कि बैअ़ फसख़ हो चुकी हो और फिर ले जाना ग़सब है। (रददुलमुहतार)

मसला:- एक शख़्स ने दूसरे पर माल का दावा किया। मुदआ अलैहि ने दे दिया। उस माल से मुद्दई ने कुछ नफ़ा हासिल किया। फिर दोनों ने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया कि वह माल नहीं चाहिए था। तो जो कुछ नफ़ा उठाया है मुद्दई के लिए हलाल है। (हिदाया) मगर यह उस वक़्त है कि मुद्दई के ख़्याल में यही था कि माल मेरा है और अगर क़सदन गलत तौर पर मुतालबा किया और मुद्दआ अलैहि ने किसी भी वजह से दे दिया और उसने ले लिया तो यह लेना हराम है और उसका नफ़ा भी नाजायज़ व ख़बीस। ग़सब करने वाले ने झपटी हुई चीज़ से जो कुछ कमाया या नफ़ा उठाया वह भी हराम है। (फ़तहुलक़दीर, दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- मोरिस (यानी मरने वाला जिसने अपने वारिस छोड़े उस) ने हराम तरीक़ा पर माल हासिल किया था अब वारिस को मिला। अगर वारिस को मालूम है कि यह माल फ़लां का है तो दे देना वाजिब है और अगर यह मालूम न हो कि किस का है तो मालिक की तरफ़ से सदक़ा कर दे और अगर मोरिस का माले हराम और माले हलाल ग़लत मलत हो गया है यह नहीं मालूम कि कौन सा हराम है, कौन सा हलाल मसलन उसने रिश्वत ली है या सूद लिया है और

यह माले माले हराम माले हलाल से जुदा व मुमताज़ नहीं है तो फ़त्वा का हुक्म यह है कि वारिस के लिए हलाल है और दियानत का तक़ाज़ा यह है कि उससे बचना चाहिए। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- मुशतरी पर लाज़िम नहीं है कि बाइअ़ से दरयाफ़्त करे कि यह माले हलाल है या हराम। हां अगर बाइअ़ ऐसा शख़्स है कि हलाल व हराम यानी चोरी ग़सब वग़ैरह सब ही तरह की चीज़ें बेचता है तो एहतियात यह है कि दरयाफ़्त करे। हलाल हो तो ख़रीदे वरना ख़रीदना जायज़ नहीं। (आलमगीरी)

बैअ़ मकरूह का बयान

बैअ़ से मुताल्लिक़ जो मसायल आप ने अब तक पढ़े उनसे बख़ूबी इस अम्र का अन्दाज़ा आप को हो गया होगा कि इस्लामी शरीअत एक ऐसा पाकीज़ा माहौल ऐसा साफ़ सुथरा और निखरा हुआ मआशिरा क़ायम करती है। जिस में फ़र्द से ले कर जमाअत तक हक़ परस्ती और ख़ुदा तरसी की जलवा गरी हो हर एक दूसरे के साथ ख़ैर ख़्वाही व हमदर्दी का सुलूक करे और किसी मरहला में बददियानती, धोखा फ़रेब, मलम्मअकारी और नाहक़ सतानी का वजूद बाक़ी न रहे।

बैअ़ मकरूह भी शरअन ममनूअ़ है और उसका करने वाला गुनाहगार। फ़ुक़हा किराम ने उसका मर्तबा अगरचे बैअ़ फ़ासिद से कम रखा है फिर भी हुक्म यह दिया है कि ऐसी बैअ़ को फ़सख़ कर देना चाहिए। यही दियानत का तक़ाज़ा और ग़ैरत ईमानी का मुक़तज़ा है।

बैअ फ़ासिद और बैअ मकरूह में फ़र्क़ इतना है कि:-

१. बैअ़ फ़ासिद को अगर आक़िदीन (बाइअ़ व मुशतरी) फ़सख़

न करें तो क़ाज़ी जबरन "फसख़ कर देगा और बैअ़ मकरूह को क़ाज़ी फसख़ न करेगा। बल्कि आक़िदीन के ज़िम्मे दियानतन" फसख़ कर देना है।

२. बैअ़ फ़ासिद में क़ीमत (बज़ारी नर्ख़) वाजिब होती है और बैअ़ मकरूह में समन तैय शुदा बदल वाजिब होता है।

३. बैअ़ फ़ासिद में बग़ैर कब्ज़ा मिल्क नहीं हुई तो बैअ़ करदा में मुशतरी कबल कब्ज़ा मालिक हो जाता है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसायल मुताल्लिक़ा

मसला:- अज़ाने जुमा के शुरू से ख़त्म नमाज़ तक बैअ़ मकरूह तहरीमी है और अज़ान से मुराद पहली अज़ान है कि उसी वक़्त सई (नमाज़ की तैयारी) वाजिब हो जाती है। मगर वह लोग जिन पर जुमा वाजिब नहीं। मसलन औरतें या मरीज़, उनकी बैअ़ में कराहत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:- नजश मकरूह है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने उससे मना फरमाया। नजश यह है कि कोई मुबीअ़ की क़ीमत बढ़ाए और ख़ुद ख़रीदने का इरादा न रखता हो हालांकि खरीदार वाजबी क़ीमत दे कर ख़रीद रहा है। उससे मक़सूद यह होता है कि दूसरे गाहक को रग़बत पैदा हो और वह क़ीमत ज़्यादा देकर चीज़ खरीद ले और यह हक़ीक़तन ख़रीदार को धोका देना है। गाहक के सामने मुबीअ़ की तारीफ़ करना और उसके ऐसा औसाफ़ बयान करना जो उसमें न हो ताकि ख़रीदार धोका खा जाये यह भी नजिस है। (हिदाया वग़ैरह)

बाज़ दुकानदारों के यहां इस किस्म के आदमी लगे रहते हैं। गाहक को देखकर चीज़ के ख़रीदार बन कर दाम बढ़ा दिया करते हैं और उनकी उस हरकत से गाहक धोका खा जाता है।

मसला:- ख़रीदार वाजबी कीमत से कम दे कर लेना चाहता है और एक शख़्स ग़ैर ख़रीदार इसलिए दाम बढ़ा रहा है कि असली कीमत तक ख़रीद पहुंज जाए यह ममनूअ नहीं कि एक मुसलमान को नफा पहुंचाना है बग़ैर उसके कि दूसरे को नुक़्सान पहुंचाए। (रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

मसला:- एक शख़्स के दाम चुका लेने के बाद, दूसरे को दाम चुकाना ममनूअ है। उसकी सूरत यह है कि बाइअ व मुशतरी एक समन पर राज़ी हो गये सिर्फ ईजाब व कुबूल ही या मुबीह को उठा कर दाम दे देना ही बाकी रह गया है। दूसरा शख़्स दाम बढ़ा कर लेना चाहता है दाम इतने ही देगा मगर दुकानदार से उस का मेल है या यह दूसरा बा असर ज़ी वजाहत शख़्स है दुकानदार उसे छोड़ कर पहले को नहीं देगा।

और अगर दाम अब तक तै नहीं हुआ एक समन पर दोनों की रज़ामन्दी नहीं हुई है तो दूसरे को दाम चुकाना मना नहीं जैसा कि नीलाम में होता है उसको बैअ़ मन यज़ीद कहते हैं। यानी बेचने वाला कहता है कि जो ज़्यादा दे वह ले ले। इस किस्म की बैअ़ हदीस से साबित है।

फिर जिस खरीदार के लिए यह सूरत ममनूअ है बाइअ़ के लिए भी उसकी मुमानिअत है। मसलन एक दुकानदार से दाम तै हो गये दूसरा दुकानदार कहता है- मैं उससे कम दूंगा या उसका मुलाकाती है कहता है मेरे यहां से ले लो मैं भी इतने ही में दूंगा, यह सब सूरतें

ममनूअ हैं। (फ़तहुलक़दीर, रददुलमुहतार)

मसला:– हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने तलक़्क़ी जलब से मुमानिअत फ़रमाई। यानी बाहर से ताजिर ग़ल्ला ला रहे हैं। उनके शहर पहुंचने से क़ब्ल, बाहर जाकर ख़रीद लेना। इसकी दो सूरतें हैं एक यह कि अहले शहर को ग़ल्ला की ज़रूरत है और यह इसलिए ऐसा करता है कि ग़ल्ला हमारे क़ब्ज़े में होगा नर्ख़ ज़्यादा करके बेचेंगे। दूसरी सूरत यह है कि ग़ल्ला लाने वाले ताजिरों को शहर का ग़लत नर्ख़ बता कर ख़रीदे। मसलन शहर में गेहूं चालीस रुपया मन मिलते हैं उसने कह दिया पैंतीस रुपया का भाव है गोया धोका दे कर ख़रीदना चाहता है। यह दोनों बातें न हों तो मुमानिअत नहीं। (हिदाया फ़तहुलक़दीर)

मसला:– एहतकार यानी ग़ल्ला रोकना मना है और सख़्त गुनाह है और उसकी सूरत यह है कि गिरानी के ज़माने में ग़ल्ला ख़रीदे और उसे फ़रोख़्त न करे बल्कि रोक रखे कि लोग जब ख़ूब परेशान होंगे तो ख़ूब गिरां करके बेचूंगा।

और अगर यह सूरत न हो बल्कि फ़सल में ग़ल्ला ख़रीदता है और रख छोड़ता है कुछ दिनों बाद जब गिरां हो जाता है बेचता है। यह न एहतकार है न इसकी मुमानिअत है। (आमए कुतुब)

मसला:– एहतकार इन्सान के खाने की चीज़ों में भी होता है। मसलन अनाज अंगूर बादाम वग़ैरह और जानवरों के चारे में भी जैसे घास, भूसा ख़ुश्क व तर चारा और दला हुआ दाना वग़ैरह। (दुर्रे मुख़्तार, रददुलमुहतार वग़ैरह)

मसला:– जो शख़्स रास्ते पर ख़रीद व फ़रोख़्त करता है। अगर रास्ता कुशादा है कि उसके बैठने या कारोबार करने से राहगीर और

आने जाने वालों पर तंगी नहीं होती तो हरज नहीं और अगर गुज़रने वालों को उसकी वजह से तकलीफ़ हो जाये तो उससे सौदा ख़रीदना न चाहिए कि गुनाह पर मदद देना है। क्योंकि कोई ख़रीदेगा नहीं तो बैठेगा क्यों। (आलमगीरी)

मसला:- लोहा पीतल तांबे जस्ता वग़ैरह की अंगूठी छल्ले बालियां झूमर नैकलिस वग़ैरह इस्तेमाल- मर्द व औरत दोनों के लिए नाजायज़ है तो उनका बनाना और बेचना भी ममनूअ है। हां बैअ़ की मुमानिअत वैसी नहीं जैसी पहनने की मुमानिअत है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

ख़रीद व फ़रोख़्त के मुतफ़र्रिक़ मसायल

मसला:- औरत के दूध को बेचना नाजायज़ है। अगरचे उसे निकाल कर किसी बर्तन में रख लिया हो। (हिदाया वग़ैरह)

मसला:- जब तक ख़रीद व फ़रोख़्त के मसायल मालूम न हों कि कौन सी बैअ़ जायज़ है और कौन सी नाजायज़ उस वक़्त तक तिजारत न करे। (आलमगीरी)

मसला:- इन्सान के पख़ाना की बैअ़ करना ममनूअ है। गोबर का बेचना ममनूअ नहीं है और इन्सान के पख़ाना में मिट्टी या राख मिल कर ग़ालिब हो जाये जैसे खाद में मिट्टी का ग़लबा हो जाता है तो बैअ़ भी जायज़ है और उसको काम में लाना मसलन खेत में डालना भी जायज़ है और जब गोबर लीद की बैअ़ जायज़ है अगरचे दूसरी चीज़ों की उनमें आमेज़िश न हो तो उपले (गन्डे) का बेचना और ख़रीदना या उसका इस्तेमाल करना मकरूह व ममनूअ नहीं

(दुर्रे मुख़्तार, रददुलमुहतार) लिहाज़ा उपले का धुवां रोटी में लगा तो रोटी नापाक न हुई। (बहारे शरीअत)

मसला:- जो शख़्स कोई चीज़ बैअ़ कर रहा है और वह चीज़ ऐसी है कि उस जैसे शख़्स की नहीं हो सकती। मसलन वह चीज़ बेश कीमत है और यह शख़्स ऐसा नहीं मालूम होता कि वह उसकी होगी तो इस सूरत में उसकी ख़रीदारी से बचना चाहिए। और इसके बावजूद अगर उसने ख़रीद ही ली तो ख़रीदना जायज़ है क्योंकि ख़रीदार ने उसे दलील शरई पर एतमाद करके ख़रीदा है उसके क़ब्ज़ा में होना, उसकी मिल्क की दलील है और उसके ख़िलाफ़ कोई बात पाई नहीं गई। (हिदाया)

मसला:- नजिस कपड़े को बेच सकता है मगर जब यह गुमान हो कि ख़रीदार उसमें नमाज़ पढ़ेगा तो उस पर ज़ाहिर कर दे कि यह नापाक कपड़ा है। (आलमगीरी)

मसला:- जितने में चीज़ ख़रीदी, बाइअ़ को उससे ज़्यादा कुछ दिया तो जब तक यह न कह दे कि यह ज़्यादती तुम्हारे लिए हलाल है या यह कि मैंने तुम्हें उसका मालिक कर दिया उस ज़्यादती को लेना जायज़ नहीं। (बहारे शरीअत)

मलसा:- अच्छे साफ़ गेहूं वग़ैरह में ख़ाक धूल मिलाकर बेचना नाजायज़ है अगरचे वहां मिलाने की आदत हो (आलमगीरी) इसी तरह दूध में पानी मिला कर बेचना या दूसरी इस्तेमाल की चीज़ों में ग़लत सलत चीज़ें ग़लत मलत कर देना हरगिज़ हरगिज़ जायज़ नहीं कि यह धोका भी है नजायज़ भी और इन्सानी बिरादरी को नाहक ईज़ा देना भी। मुसलमानों पर लाज़िम है कि वह रिज़्क़ हलाल की तलब में रहे और ख़ुदा पर भरोसा रखे।

मसला:- अपनी ज़मीन का ग़ल्ला रोक लेना एहतकार नहीं। हां अगर यह शख़्स गिरानी या कहत का मुनतज़िर है तो बुरी नीयत की वजह से गुनाहगार होगा और इस सूरत में भी अगर आम लोगों को ग़ल्ला की हाजत हो और ग़ल्ला दस्तियाब न होता हो तो काज़ी (हाकिम इस्लाम) उसे भी बैअ़ करने पर मजबूर करेगा और यह हुक्म देगा कि अपने घर वालों के ख़र्च के काबिल ग़ल्ला रख ले और बाकी फ़रोख़्त कर दे। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसला:- ताजिरों ने अगर चीज़ों का नर्ख़ बहुत ज़्यादा कर दिया है और बग़ैर नर्ख़ मुकर्रर किये काम चलता नज़र न आता हो तो भले लोगों से मश्विरा ले कर काज़ी नर्ख़ मुकर्रर कर सकता है और मुकर्रर शुदा नर्ख़ (कन्ट्रोल पिराईस) के मुताबिक़ जो बैअ़ हुई यह बैअ़ जायज़ है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह बैअ़ मकरूह (ज़बरदस्ती की ख़रीद व फ़रोख़्त) है। क्योंकि यहां बैअ़ पर इकरार नहीं। काज़ी ने उसे बेचने पर मजबूर नहीं किया। उसे अख़्तियार है कि अपनी चीज़ बेचे या न बेचे। सिर्फ़ यह कहा है कि अगर बेचे तो जो नर्ख़ मुकर्रर हुआ है उससे गिरां न बेचे (हिदाया) फिर अवामुन्नास को नुक़सान व परेशानी से बचाने की सूरत अगर यह अख़्तियार न की जाये तो मुफ़ाद परस्त, बदन की खाल भी नोच डालें।

मसला:- छोटे बच्चे जिन की परवरिश में हों उनके लिए यह जायज़ है कि बच्चे के माल से उसकी ज़रूरत के मुताबिक़ ख़रीद व फ़रोख़्त करें और उनके लिए खाने पीने वग़ैरह की ज़रूरियात मोहय्या करें मगर इसका ख़्याल रखें कि फ़िज़ूल ख़र्ची न हो वरना उनकी गिरफ़्त होगी। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

क़र्ज़ का बयान

बाज़ ज़रूरतें ऐसी दर पेश आ जाती हैं जिनको पूरा करने के लिए दूसरों से कर्ज़ लेना पड़ता है। ज़रूरत अगर वाक़ई, ज़रूरत हो तो उसके लिए कर्ज़ लेना भी और देना भी रवा। अहादीस में वारिद है कि हुजूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने माल कर्ज़ लिया और जब माल आया अदा फ़रमा दिया और दुआ दी कि अल्लाह तआला तेरे अहल व माल में बरकत दे और फ़रमाया कर्ज़ का बदला शुक्रिया और अदा कर देना है। (नसई) बल्कि कर्ज़ मांगने वाला अगर जायज़ ज़रूरत के लिए कर्ज़ मांगता है तो उसकी ज़रूरत भर, उसे कर्ज़ देना, मुस्तहब और कारे सवाब भी है कि तुम दूसरों के काम आओगी। खुदावन्द तआला तुम्हारी दस्तगीरी फ़रमायेगा और तुम्हारे काम बनायेगा। बल्कि कर्ज़ लेने वाला अगर अदा में टाल मटोल करे तब भी उसके हक़ में बेहतर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं जिसका दूसरे पर हक़ हो और वह अदा करने में ताख़ीर करे तो देने वाला हर रोज़ इतने ही माल सदक़ा करने का सवाब पायेगा। (इमाम अहमद) उसके साथ यह ज़रूर है कि जिस से कर्ज़ लो, अदा करने की नीयत से लो। वक़्त पर अदा न कर सको तो नर्मी और खुश अख़्लाक़ी से माअज़रत कर लो, ख़्वाह मख़ाह टाल मटोल न करो। वरना मुफ़्त का गुनाह, नामा–ए आमाल में लिखा जायेगा। हुजूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि कबीरा गुनाह जिन से अल्लाह तआला ने मुमानिअत फ़रमाई है, उनके बाद अल्लाह के नज़दीक, सब गुनाहों से बड़ा यह है कि आदमी अपने ऊपर दैन छोड़ कर मरे और उसके

अदा के लिए कुछ न छोड़ा हो। (इमाम अहमद)

अबूदाऊद व नसई में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया मालदार का दैन अदा करने में ताख़ीर करना उसकी आबरू और सज़ा को हलाल कर देता है अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु ने इसकी तफ़सीर में फ़रमाया कि आबरू को हलाल करना यह है कि उस पर सख़्ती की जायेगी और सज़ा का हलाल करना यह है कि कैद किया जायेगा।

दूसरी तरफ़ तंग दस्त को मोहलत देने, उसे माफ़ करने और ख़ुश अख़्लाक़ी से तक़ाज़ा करने वालों की अहादीस में बड़ी तारीफ़ आई और फ़रमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिस को यह बात पसन्द हो कि क़ियामत की सख़्तियों से अल्लाह तआला उसे नजात बख़्शे वह तंगदस्त को मोहलत दे या माफ़ कर दे'' एक हदीस शरीफ़ में है कि जो शख़्स तंगदस्त को मोहलत देगा या उसे माफ़ कर देगा। अल्लाह तआला उसको अपने साया में रखेगा। (मुस्लिम)

मसला:- अब क़र्ज़ा से मुताल्लिक़ कुछ मसायल भी सुन लो ताकि लेन देन भी शरई और इस्लामी अहकाम की हदूद में रहे।

मसला:- जो चीज़ क़र्ज़ ली जाये या दी जाये उस का मुसली होना ज़रूरी है। यानी वह चीज़ माप की हो या तोल की या गिनती की। मगर गिनती की चीज़ में शर्त यह है कि उसके अफ़राद में ज़्यादा फ़र्क़ न हो जैसे अण्डे, अख़रोट, बादाम वग़ैरह। और अगर गिनती की चीज़ में इतना फ़र्क़ हो कि उसकी वजह से क़ीमत में कमी बेशी हो जैसे आम अमरूद, मौसमी, और ऐसी ही दूसरी चीज़, उनको न क़र्ज़ दे सकते हैं न ले सकते हैं। यूंही हर क़ीमती चीज़ जैसे जानवर

मकान ज़मीन उनको क़र्ज़ देना लेना सही नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसलाः– क़र्ज़ का हुक्म यह है कि जो चीज़ ली गई उसकी मिस्ल अदा की जाये। (रददुलमुहतार)

मसलाः– रोटियों को गिन कर भी क़र्ज़ ले सकते हैं और तौल कर भी। और गोशत वज़न करके क़र्ज़ लिया दिया जाये। (दुर्रे मुख़्तार)

मसलाः– आटे को नाप कर क़र्ज़ लेना देना चाहिए और अगर उर्फ़ और मामूल, वज़न से क़र्ज़ लेने का हो जैसा कि अमूमन उन इलाक़ों में मुरव्विज है तो वज़न से भी क़र्ज़ जायज़ है। (आलमगीरी) यही हुक्म दाल, चावल, चीनी शकर, घी, तेल, वग़ैरह अशया का होना चाहिए।

मसलाः– पैसे (या नोट और ऐसे ही तांबे पीतल वग़ैरह के सिक्के जो अदलते बदलते रहते हैं) क़र्ज़ लिये थे और अब उनका चलन जाता रहा तो वैसे ही पैसे (नोट वग़ैरह) उसी तादाद में दे देने से क़र्ज़ अदा न होगा बल्कि उनकी क़ीमत का एतबार है मसलन आठ आने के पैसे (या दस बीस पच्चीस, सौ के नोट) क़र्ज़ लिये थे तो चलन बन्द हो जाने के बाद अठन्नी या दूसरा सिक्का उस क़िमत का देना होगा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसलाः– अदाये क़र्ज़ में चीज़ के सस्ते महंगे होने का एतबार नहीं। मसलन दस सेर गेहूं क़र्ज़ लिये थे उनकी क़ीमत उस रोज़ कुछ और थी और अदा करने के दिन उससे कम या ज़्यादा है तो उसका बिल्कुल लिहाज़ न किया जायेगा। वही दस सेर गेहूं देने होंगे। (दुर्रे मुख़्तार) और अगर दोनों क़ीमत लेने देने पर राज़ी हो जायें तो उस रोज़ अदायगी की क़ीमत अदा कर दी जाये।

मसला:– क़र्ज़दार ने क़र्ज़ की चीज़ पर क़ब्ज़ा कर लिया तो उस चीज़ का मालिक हो गया। फ़र्ज़ करो कि एक चीज़ क़र्ज़ ली थी और अभी ख़र्च नहीं की है कि अपनी आ गई। मसलन रुपया क़र्ज़ लिया था और रुपया आ गया या आटा क़र्ज़ लिया, पकने से पहले आटा पिस कर आ गया अब क़र्ज़दार को अख़्तियार है कि उसकी चीज़ रहने दे और अपनी चीज़ अदा कर दे। या उसकी ही चीज़ वापस कर दे जिसने क़र्ज़ दिया है वह नहीं कह सकता कि मैंने जो चीज़ दी थी वह तुम्हारे पास मौजूद है मैं वही लूंगा। (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसला:– वापसी क़र्ज़ में उस चीज़ की मिसाल देनी होगी जो ली है न उससे बेहतर और न कमतर। हां अगर बेहतर अदा करता है और उसकी शर्त न थी तो जायज़ है। क़र्ज़ ख़्वाह उसको ले सकता है। यूंही जितना लिया है अदा करते वक़्त उससे ज़्यादा देता है मगर उसकी शर्त न थी यह भी जायज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसला:– क़र्ज़ दिया और ठहरा लिया कि जितना दिया है उससे ज़्यादा लेगा जैसा कि आजकल सूद ख़ोरों का क़ायदा है कि रुपया दो रुपया सैंकड़ा, माहवार सूद ठहरा लेते हैं यह हराम है। (आलमगीरी)

मसला:– जिस पर क़र्ज़ है उसने क़र्ज़ देने वाले को कुछ हदिया दिया तो लेने में हरज नहीं जबकि हदिया देना क़र्ज़ की वजह से न हो बल्कि उस वजह से हो कि दोनों में क़राबत या दोस्ती है या उसकी आदत ही ऐसी है कि लोगों को हदिया किया करता है। और अगर क़र्ज़ की वजह से हदिया देता है तो उसके लेने से बचना चाहिए। जब तक यह बात ज़ाहिर न हो जाये कि क़र्ज़ की वजह से नहीं है

उसकी दावत का भी यही हुक्म है कि क़र्ज़ की वजह से न हो तो क़ुबूल करने में हरज नहीं और क़र्ज़ की वजह से है या पता न चले तो बचना चाहिए।

इसको यूं समझना चाहिए कि क़र्ज़ नहीं दिया था जब भी वह दावत करता था तो मालूम हुआ कि यह दावत क़र्ज़ की वजह से नहीं और अगर पहले नहीं करता था और अब करता है या पहले महीने में एक बार करता था अब दो बार करने लगा। या अब सामान ज़ियाफ़त ज़्यादा करता है तो मालूम हुआ कि यह क़र्ज़ की वजह से है। लिहाज़ा उससे बचना ही चाहिए। (आलमगीरी)

मसला:- एक ने दूसरे से कहा कि मुझे इतना रुपया क़र्ज़ दो, मैं अपनी ज़मीन तुम्हें आरियतन देता हूं जब तक मैं रुपया अदा न करूं तुम उसकी काशत करो और नफ़ा उठाओ यह ममनूअ है। (आलमगीरी) यूंही मशीन वग़ैरह कोई चीज़ आरियतन के नाम से देना और क़र्ज़ लेना कि क़र्ज़ देने वाला उससे काम लेता और नफ़ा उठाता रहे ममनूअ है।

मसला:- आजकल सूद ख़ोरों का आम तरीक़ा यह है कि क़र्ज़ दे कर मकान या खेत रेहन रख लेते हैं मकान है तो उसमें मुरतहिन (रहन रखने वाला) सकूनत करता या उसको किराए पर चलाता है। और खेत है तो उसकी खुद काशत करता है या इजारा पर दे देता है और नफ़ा खुद खाता है यह सूद है और इससे बचना लाज़िम है। (बहारे शरीअत)

ज़रूरी फ़हमाइश

जो दीन व दुनिया दोनों में मुफ़ीद व कारआमद है।

शरीअते मुतहहरा ने जिस तरह सूद लेना हराम फरमाया सूद देना भी हराम किया है। हदीसों में दोनों पर लानत फ़रमाई है और फ़रमाया है कि दोनों बराबर हैं।

आज कल सूद की इतनी कसरत है कि कर्ज़ हसन जो बग़ैर सूदी होता है बहुत कम पाया जाता है। दौलत वाले किसी को बग़ैर नफ़ा रुपया देना नहीं चाहते और अहले हाजत अपनी हाजत के सामने उसका लिहाज़ भी नहीं करते कि सूदी रुपया लेने में आख़िरत का कितना अज़ीम वबाल है। इससे बचने की कोशिश की जाये।

लड़के लड़की की शादी ख़त्ना और दीगर तक़रीबात शादी व ग़मी में अपनी वुस्अत से ज़्यादा ख़र्च करना चाहते हैं। बिरादरी और ख़ानदान के रसूम में इतने जकड़े हुए हैं कि हर चन्द कहिए एक नहीं सुनते। रसूम में कमी करने को अपनी ज़िल्लत समझते हैं हम अपने मुसलमान भाईयों को अव्वलन यही नसीहत करते हैं कि इन रसूम के जंजाल से निकलें पावं न फैलायें और दुनिया व आख़िरत के तबाह कुन नताइज से डरें। थोड़ी देर की मुसर्रत या अबनाये जिन्स में नाम आवरी का ख्याल करके आइन्दा ज़िन्दगी को तल्ख़ न करें।

अगर यह लोग अपनी हट से बाज़ न आयें। कर्ज़ का बारे गिरां अपने सर ही रखना चाहते हैं बचने की सई नहीं करते जैसा कि मुशाहिदा उसी पर शाहिद है तो अब हमारी दूसरी फ़हमाईश उन मुसलमानों को यह है कि सूदी कर्ज़ के करीब न जायें कि बनस्से कुरआनी उस में बरकत नहीं और मुशाहिदे व तजरबे भी यही हैं कि बड़ी बड़ी जायदाद सूद में तबाह हो चुकी हैं।

अब रही यह बात कि अगर कर्ज़ सूद पर न लिया जाये तो बग़ैर

सूद, क़र्ज़ कौन देगा तो अव्वलन उसका जवाब वही है जो ऊपर गुज़रा कि खानदानी रसूम और बिरादरी के मामूलात को न देखें दुनिया व आखिरत के वबाल को देखें। अज़ाबे दोज़ख के वह चहके कौन बर्दाश्त कर सकता है जो बिला वजह सूद पर क़र्ज़ लेने वालों के मुन्तज़िर हैं। हमने खुद देखा है कि ऐसे मौक़ों पर ग़रीब आदमी ने खुल कर खानदान के बा असर बुजुर्गों से कह दिया कि मैं उन रसूम पर अमल करने की ताक़त नहीं रखता। बुजुर्गों ने मान लिया और दूसरों को समझा दिया और खानदान वालो ने ख़ूबसूरती से निभा दिया। उस की इज़्ज़त भी रह गयी और वबाले आखिरत से भी बच गया।

सानियन हमारे उलेमा-ए किराम ने चन्द सूरतें ऐसी तहरीर फ़रमाई हैं कि उन तरीक़ों पर अमल किया जाये तो सूद की नजासत व नहूसत से पनाह मिलती है और क़र्ज़ देने वाला जिस नाजायज़ नफ़ा का ख़्वाहिशमन्द था उसके लिए जायज़ तरीक़ा पर नफ़ा हासिल हो सकता हैं सिर्फ़ लेन देन की सूरत में कुछ रद्दोबदल करना पड़ेगा। मगर नाजायज़ व हराम से बचाव हो जायेगा। (बहारे शरीअत वग़ैरह) तफ़सील के लिए फ़तावा रिज़वियह या बहारे शरीअत पृ. ११ देखें या उलमा-ए अहले सुन्नत से रुजूअ करें।

मुतफ़र्रिक़ात (मसाईल)

याददाशत के लिए यानी इस ग़र्ज़ से कि बात याद रहे बाज़ लोग रूमाल या कमर बन्द में गिरह लगा लेते हैं या किसी जगह उंगली वग़ैरह पर डोरा बांध लेते हैं यह जायज़ है और बिला वजह डोरा बांधना मकरूह है। (दुर्रे मुख्तार, रद्दुलमुहतार)

मसला:- बाज़ लोग किसी बीमारी की वजह से पावं के अंगूठों में इस क़द्र खींच कर तागा बांध देते हैं कि वुज़ू या गुस्ल करते वक़्त पानी का बहना दरकिनार, तागे के नीचे का हिस्सा तर भी नहीं होता। उससे बचना लाज़िम है कि इस सूरत में वुज़ू नहीं होता और गुस्ल की हाजत हो तो गुस्ल नहीं उतरता और ज़ाहिर है कि उस बराए नाम वुज़ू या गुस्ल से जो नमाज़ पढ़ी जायेगी वह नमाज़ न होगी कि नमाज़ के लिए तहारत शर्त है और यह हासिल न हुई। (बहारे शरीअत वग़ैरह)

मसला:- गले में तावीज़ लटकाना, जायज़ है। जबकि वह तावीज़ जायज़ हो यानी आयात कुरआनिया या अल्लाह के नामों या उन दुआओं या तहरीरों पर मुशतमिल हों जो बुजुरगाने दीन से मासूर व मंकूल हैं या किसी इस्म का नक़्श मुतहर या मुज़हर (हिन्दसों में) लिखा जाये और अगर उस तावीज़ में नाजायज़ अल्फ़ाज़ लिखे हों या शिर्क व कुफ़्र के अल्फ़ाज़ पर मुशतमिल हों या तावीज़ देने वाला क़ाबिले एतबार आदमी नहीं, हलाल हराम और जायज़ व नाजायज़ में इम्तियाज़ नहीं रखता तो ऐसा तावीज़ लिखना भी नाजायज़ है और उसका लेना और बांधना भी नाजायज़ और गुनाह है। औरतें कि बाज़ औक़ात तावीज़ गन्डों के लिए मारी मारी फिरती हैं और ग़लत जगह पर पहुंच जाती हैं इन बातों का खास ख्याल रखें वरना फ़ायदा दरकिनार, उल्टा नुक़्सान उठायेंगी और ख़्वा मख़ाह गुनाह में पड़ेंगी।

मसला:- रेशम के कपड़े में तावीज़ सी कर गले में लटकाना या बाज़ू पर बांधना मर्द के लिए नाजायज़ है और सोने या चांदी पर तावीज़ खुदा हुआ हो तो यह बदरजा औला नाजायज़ है। (बहारे शरीअत)

सोने चान्दी पर खुदे हुए तावीज़ात और नक्श को कपड़े में सी कर इस्तेमाल किया जाये तो अब मुमानिअत की कोई वजह नहीं।

मसला:– बाज़ अहादीस में तावीज़ों के इस्तेमाल से मुमानिअत आई है उस से मुराद वह तावीज़ात हैं जो नाजायज़ अल्फ़ाज़ पर मुशतमिल हों और जो ज़माना जाहिलियत में किये जाते थे।

मसला:– वह तावीज़ात और आयात व अहादीस या दुआयें जो बुज़ुर्गाने दीन के मामूलात में रहें, रकाबी में लिख कर मरीज़ को ब नीयत शिफ़ा पिलाना भी जायज़ है। जुन्ब और हैज़ व निफ़ास वाली औरतें भी तावीज़ात को गले में पहन सकती हैं। यूंही मर्द भी बल्कि मर्दों में अमूमन तावीज़ बाज़ू पर भी बांध सकते हैं जबकि तावीज़ात ग़िलाफ़ में हों। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसला:– तावीज़ अगर ग़िलाफ़ में हो या मोम जामा में हो तो उसे पहन कर बैतुलख़ला में जाना मकरूह नहीं फिर भी उससे बचना अफ़ज़ल है और जिस अंगुशतरी पर कोई मुतबरक नाम लिखा हो उसे पहन कर बैतुलख़ला में जाना मकरूह है और वक़्त इस्तिंजा उसका उतार लेना बहुत ज़रूरी है। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:– किसी को सांप या बिच्छू ने काटा हो उसके झाड़ने की उजरत लेना, जायज़ है। अगरचे कुरआन मजीद ही की आयत या सूरत पढ़ कर झाड़ना हो कि यह उजरत पर तिलावत नहीं। बल्कि इलाज के कबील से है। हदीस शरीफ़ में एक सहाबी का सूरः फ़ातिहा पढ़ कर दम करना और उसका अच्छा हो जाना, और उनका पहले ही से उजरत मुकर्रर कर लेना और उसके अच्छा होने के बाद लेना, फिर हुज़ूर अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के पास मामला पेश होना और हुज़ूर का इन्कार न फ़रमाना बल्कि जायज़ रखना

उसके जायज़ होने की सरीह दलील है। (रद्दुलमुहतार) और जब लेना जायज़ तो देना जायज़। यूंही तावीज़ों, गन्डों और नकूश का मुआवज़ा लेना भी जायज़।

मसला:- बिछौने या मुसल्ले पर कुछ लिखा हुआ हो तो उसको इस्तेमाल करना, नाजायज़ है। यह इबारत उसकी बनावट में हो या काढ़ी गई हो या रोशनाई से लिखी हो। अगरचे अलग अलग हरुफ़ लिखे हों। क्योंकि हरुफ़ मुफ़रद (हरुफ़ तहज्जी) का भी एहतराम है। (रद्दुलमुहतार) अक्सर दस्तरख़्वानों पर जो अमूमन बड़ी दावतों में इस्तेमाल किये जाते हैं उर्दू या फ़ारसी में अशआर लिखे होते हैं। ऐसे दस्तरख़्वान को इस्तेमाल में लाना इन पर खाना खाना न चाहिए। हम ने माना कि खाना उतारने वाले खाना उतारते वक़्त एहतियात से पावं रखेंगे और लिखी हुई जगह बचालेंगे। लेकिन कहां तक फिर उस पर रोटी, सालन, डोंगे, डिशें, प्लेटें वग़ैरह तो रखने ही पड़ेंगे तो उन हरुफ़ की ताज़ीम कहां रही। लिहाज़ा उनसे दूर रहना ही ठीक है। यूंही बाज़ लोगों के तकियों पर इशक़िया या दुआइया अशआर लिखे होते हैं। उनका भी यही हुक्म है कि इस्तेमाल न किया जाये कि हरुफ़ तहज्जी की बे अदबी पाई जाती है। और बाज़ जगह चादरों पर भी अशआर लिखे पाये जाते हैं। ऐसी चादरों का इस्तेमाल में लाना और भी ज़्यादा बुरा और ममनूअ कि उन पर आदमी का पैर भी पड़ेगा। (बहारे शरीअत)

मसला:- किसी से वायदा करके, उसके ख़िलाफ़ करना शरअन बहुत बुरा और बिला वजह शरई हो तो उसे निफ़ाक़ अमली की अलामत करार दिया गया है लेकिन वायदा पूरा करने में कोई शरई क़बाहत थी उस वजह से पूरा नहीं किया तो उसको वायदा ख़िलाफ़ी

नहीं कहा जायेगा और वायदा खिलाफ़ी का जो वबाल व गुनाह है वह इस सूरत में उस पर न आयेगा। अगरचे वायदा करते वक़्त उसने इसतश्ना (इन्शाअल्लाह तआला या कोई और कलिमा कहना) न किया हो क्योंकि यहां शरीअत की तरफ़ से इसतश्ना मौजूद है उसको ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं। मसलन तुमने अपनी किसी सहेली से वायदा किया था कि मैं फ़लां जगह मसलन अपने मां बाप या भाई या चचा ताया के घर मिलूंगी और वहां तुम्हारा इन्तिज़ार करूंगी मगर जब वहां गई तो देखा कि नाच रंग, ढोल तमाशे की महफ़िल जमी हुई है या घर वाले ऐसे ही दूसरे कामों में मसरूफ़ हैं जो शरअन जायज़ नहीं। इसलिए तुम वहां से चली आईं तो यह वायदा खिलाफ़ी नहीं और न कोई तुम पर वायदा खिलाफ़ी का इल्ज़ाम दे सकता है कि शरीअत ऐसे मक़ामात से दूर भागने का हुक्म देती है न कि वहां शिर्कत करने और ऐसी महफ़िलों की रौनक़ बढ़ाने का। (तहावी शरीफ़ वग़ैरह)

मसला:– बाज़ काशतकार अपने खेतों में कपड़ा लपेट कर, किसी लकड़ी पर लगा देते हैं और उससे मक़सूद, नज़र बद से खेतियों को बचाना होता है। क्योंकि देखने वाले की नज़र पहले उस पर पड़ेगी उसके बाद खेती पर, और इस सूरत में नज़र नहीं लगेगी। ऐसा करना, नाजायज़ नहीं क्योंकि नज़र का लगना सही है अहादीस से साबित है उसका इन्कार नहीं किया जा सकता। हदीस शरीफ़ में है कि जब अपनी या मुसलमान भाई की कोई चीज़ देखे और पसन्द आ जाये तो बरकत की दुआ करे यह कहे تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ या उर्दू में कह दे कि अल्लाह बरकत करे और अल्लाह नज़र बद से बचाये या माशाअल्लाह वग़ैरह

कलिमात तैयबा ज़बान से अदा करे। उम्मीद है कि इस तरह कहने से नज़र नहीं लगेगी। (रद्दुलमुहतार वगैरह) बच्चों को नहला धुला कर कपड़े पहनायें तो उनकी हिफ़ाज़त के लिए यह कलिमा ज़रूर कह दें। इन्शाअल्लाह बच्चे नज़रे बद से महफ़ूज़ रहेंगे।

मसला:- हिन्दुओं या नसरानियों के इस्तेमाली बर्तन अगर ख़रीदे या किसी तरह से मिलें उनमें पाक किये बग़ैर खाना पीना मकरूह है। जबकि बर्तन का नजस होना मालूम न हो और मालूम हो तो उसमें खाना पीना हराम है। (आलमगीरी वग़ैरह)

मसला:- राफ़ज़ी के यहां कुछ खाना पीना हरगिज़ न चाहिए कि वह अहले सुन्नत को कसदन नजासत खिलाने पिलाने की कोशिश करते हैं (फ़तावा रिज़वियह) तो अवामुन्नास में जो मशहूर है कि राफ़ज़ी ऐसा करते हैं वह बेअसल नहीं।

मसला:- अजीब व ग़रीब क़िस्से कहानी तफ़रीह के तौर पर सुनना सुनाना जायज़ है बल्कि जो यक़ीनन झूठ हों उनको भी सुना जा सकता है जबकि मक़सूद उनसे नसीहत हो कि सुनने वाले उनसे इबरत पकड़ें और नसीहत हासिल करें जैसा कि मसनवी शरीफ़ वग़ैरह में बहुत से फ़र्ज़ी क़िस्से कहानियां, वाअज़ व नसीहत के लिए दर्ज किये गए हैं। इसी तरह तोता मैना, शेर लोमड़ी, कछवा ख़रगोश और दूसरे जानवरों बल्कि कंकर पत्थर वग़ैरह की बातें फ़र्ज़ी तौर पर बयान करना और सुनना भी जायज़ है। मसलन गुलिस्तां में हज़रत शैख़ सादी अलैहि रहिम० ने लिखा 'गिले ख़ुशबू दरहमाम रोज़े'' कि मक़सूद उस कहानी से बुरी सोहबत से बचाना और नेक सोहबत में रहने की तरग़ीब देना है। वरना कहां मिट्टी और कहां यह सवाल जवाब। (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत वग़ैरह)

मसला:- हंसी मज़ाक़ में अगर बेहूदा बातें, गाली, गलोज, और किसी मुसलमान की ईज़ा रसानी न हो महज़ पुर लुत्फ़ और दिल खुश कुन बातें हों जिनसे अहले मजलिस को हंसी आए और खुश हों उसमें हरज नहीं। (आलमगीरी)

मसला:- तमाम ज़बानों में अरबी ज़बान अफ़ज़ल है। हमारे आक़ा व मौला सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की यही ज़बान है। कुरआन मजीद अरबी में नाज़िल हुआ अहले जन्नत की, जन्नत में अरबी ही ज़बान होगी जो इस ज़बान को खुद सीखे या दूसरों को सिखाये उसे सवाब मिलेगा। (दुर्रे मुख़्तार)

यह जो कहा गया सिर्फ़ ज़बान के लिहाज़ से कहा गया वरना एक मुसलमान को खुद सोचने की ज़रूरत है कि अरबी ज़बान का जानना मुसलमान के लिए किस क़द्र ज़रूरी है। कुरआन व हदीस और दीन के तमाम उसूल व फ़रोअ उसी ज़बान में हैं उस ज़बान से नावाक़िफ़ी कितनी कमी और नुक़्सान की चीज़ है। (बहारे शरीअत)

मसला:- खुतबा जुमा में उर्दू के अशआर जो वाज़ व नसीहत पर मुशतमिल होते हैं पढ़े जाते हैं यह अम्र उस सुन्नत के खिलाफ़ है जो मुसलमानों में सहाबा किराम के दौर से लेकर आज तक राइज है। सहाबा किराम रज़ि० के दौर में बेहम्दुलिल्लाह हज़ारों शहरों अजमीयों (ग़ैर अरब) के फ़तह हुए हज़ार हा मिम्बर नसब किये गये। हज़ारों अजमी को हुनूज़ ज़बान अरबी से वाक़िफ़ न थे, मस्जिदों में मौजूद होते मगर कहीं मंक़ूल नहीं कि सहाबा किराम ने उनकी ग़र्ज़ से खुतबा ग़ैर अरबी में पढ़ा हो या उसमें दूसरी ज़बान को खल्त कर दिया तो फिर अब क्यों ऐसा हो। और अवाम का उज़्र कि अरबी

हमारी समझ में नहीं आती जब सहाबा किराम के नज़दीक लाइके लिहाज़ न था अब क्यों काबिले कुबूल होने लगा। बात यह है कि शरीअत मुतहहरा ने इल्म सीखना सब पर वाजिब किया है। अवाम कि नहीं समझते या नहीं सीखते तो कसूर उनका है, न कि इमाम व खतीब का। आखिर अवाम कुरआन मजीद भी तो नहीं समझते। क्या उनके लिए कुरआन, उर्दू में पढ़ा जाये। (फ़तावा रिज़वियह) ग़र्ज़ यहां के मुसलमान मर्द व औरत पर लाज़िम है कि अरबी ज़बान पढ़ें और सीखें।

मसला:- औरत रुखसत होकर आई और औरतों ने दुल्हा से कह दिया कि यह औरत तुम्हारी दुल्हन है उससे वती करना जायज़ है अगरचे यह खुद उसे न पहचानता हो। (दुर्रे मुख्तार) इसी तरह औरतों ने शबे ज़फ़ाफ़ (शौहर और बीवी की यकजाई की पहली रात) में उस कमरा में जिस में औरत को दुल्हन बना कर भेज दिया अगरचे यह नहीं कहा कि यह तुम्हारी औरत है उससे सोहबत जायज़ है कि उसको यूं संवार कर और दुल्हन की सूरत में मर्द के कमरा में पहुंचाना ही इसकी दलील है कि यह उसकी दुल्हन है। दूसरी किसी औरत को इस तरह कहीं नहीं भेजा जाता। (बहारे शरीअत)

मसला:- लड़की ने मां बाप के माल और अपनी दस्तकारी से कोई चीज़ दहेज के लिए तैयार की और उसकी मां मर गई बाप ने वह चीज़ दहेज में दे दी तो उसके भाईयों को यह हक नहीं पहुंचता कि उस चीज़ में मां की तरफ़ से वारिस का दावा करें। यूंही उसका बाप जो कपड़े लाता रहा उसमें से यह अपने दहेज के लिए बनाकर रखती रही, और बहुत कुछ जमा कर लिया कि बाप मर गया तो यह असबाब सब लड़की का है। (आलमगीरी)

मसला:- माज़ल्लाह, जो बात हौलनाक हो जैसे सख़्त आंधी, कड़क, ज़लज़ला, बारिश या बर्फ़ लगातार बरसे जाना, दिन में सख़्त अंधेरी, या रात को ख़ौफ़नाक रोशनी इन सब में मुस्तहब है कि मुसलमान औरत नफ़िल नमाज़ से अपने रब की तरफ़ रुजू करें। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:- जब दुल्हन को ब्याह कर लायें तो मुस्तहब है कि उसके पावं धोकर पानी मकान के चारों गोशों में छिड़कें उससे बरकत होती है। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:- औरत का ज़ोजा होना इस बात को लाज़िम नहीं करता है कि शौहर को हर हाल में उससे मुहब्बत जायज़ हो। नमाज़ है रोज़ा है एहराम है एताकाफ़ है हैज़ है, निफ़ास है और बहुत सूरतें हैं कि उनमें मनकूहा से भी सोहबत हराम है। मसलन वक़्त ऐसा है कि जिमाअ के बाद गुस्ल करके नमाज़ का वक़्त न मिलेगा तो ऐसी सूरत में जिमाअ हराम है कि जान बूझ कर नमाज़ को फ़ोत करना है। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:- बेटा बाप के काम में उसे मदद देता है। दोनों के काम से माल बढ़ा तो तमाम माल का मालिक सिर्फ़ बाप है। बेटा फ़क़्त मददगार समझा जायेगा। यूंही अगर ज़न व मर्द में काम मर्द का है और औरत मदद देती है तो माल का हिस्सादार न ठहरेगी। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:- बाप के इन्तक़ाल के बाद सब भाई तर्के में मिल कर काम करते रहे और माल बढ़ा तो सब का बराबर है। अगरचे बाज़ ने काम कम किया हो बाज़ ने ज़्यादा बाज़ ने तदबीरें अच्छी बताई हों जिनसे नफ़ा हो बाज़ ने नहीं। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:- खाने पीने की चीज़ जो बच्चों का नाम करके भेजते हैं उनमें से मां बाप खा सकते हैं कि असल मक्सूद मां बाप को भेजना होता है और चीज़ थोड़ी समझ कर बच्चों का नाम लिया जाता है। हां अगर मालूम हो कि देने वाले ने वाकई बच्चों ही को दी है। मां बाप को देना मक्सूद नहीं कि उसमें से खाना हराम है मगर यह कि मोहताज हों। (बहरुर्राइक वग़ैरह)

मसला:- लड़का बारह और लड़की नौ बरस से कम उम्र तक हरगिज़ बालिग़ व बालिग़ा न होंगे और लड़का लड़की दोनों १५ बरस कामिल की उम्र पर ज़रूर शरअन बालिग़ व बालिग़ा हैं अगरचे आसार बलूग़ कुछ जाहिर न हों उन उम्रों के अन्दर अगर आसार पाये जायें यानी लड़के ख्वाह लड़की को, सोते ख्वाह जागते में, इन्ज़ाल हो या लड़की को हैज़ आये या लड़की को हमल रह जाये तो यक़ीनन बालिग़ व बालिग़ा हैं। आसार मज़कूरा के अलावा बग़ल या पिन्डली या पैरों पर बालों का जमना, या लड़के के दाढ़ी मूंछ निकलना, या लड़की के पिसतान में उभार पैदा होना कुछ मोतबर नहीं। (फ़तावा रिज़वियह, दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

इस मसलक को खूब ज़ेहन नशीन कर लें। बीसियों मौक़ों पर रहनुमाई का आला ज़रिया है।

मसला:- झूठ और ग़ीबत माअनवी निजासत हैं। लिहाज़ा झूठे के मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि हिफ़ाज़त के फ़रिशते उस वक़्त उसके पास से दूर हट जाते हैं जैसा कि हदीस में वारिद है कि जब कोई शख़्स झूठ बोलता है उसकी बदबू के बाअस फ़रिशते एक मील मुसाफ़त तक उससे दूर होजाते हैं एक और हदीस में एक बदबू की निसबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने ख़बर

दी कि यह उनके मुंह की सरान्ड है जो मुसलमानों की ग़ीबत करते हैं।

और हमें जो झूठ या ग़ीबत की बदबू महसूस नहीं होती उसकी वजह यह है कि हम उससे मालूफ़ व मानूस हो गये हैं। हमारी नाकें उससे भरी हुई हैं जैसा कि चमड़ा पकाने वालों के मोहल्ले में जो रहता है उसे उसकी बदबू से ईज़ा नहीं होती। दूसरा आये तो उससे नाक न रखी जाए।

मुसलमान इस बात को याद रखें और अपने रब से डरें झूठ और ग़ीबत तर्क करें। मआज़ अल्लाह मुंह से पाखाना निकलना किसी को पसन्द होगा। बातिन की नाक खुले तो मालूम हो कि झूठ और ग़ीबत में पाखाना से बदतर सड़ांद है। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:- शराब ख़ोर की मूंछें बड़ी-बड़ी हों कि शराब मूंछ को लग गई तो जब तक मूंछ धुल कर पाक न हो जाये पानी वग़ैरह जिस चीज़ को लगेगी नापाक कर देगी और वह चीज़ जिस को उसने पिया जिस बर्तन में होगी वह बर्तन भी नापाक हो जायेगा। (फ़तावा रिज़वियह)

दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, सहेलियां जिन में आपस में बे तकल्लुफ़ी हो वह एक दूसरे के माल में ऐसा तसर्रुफ़ कर सकते हैं जो दूसरे को नागवार न हो। यूंही उसके नौकर नौकरानी से इतना काम बे उनकी इजाज़त के लेना जो उन्हें गवारा हो जायज़ है। और अगर इतना न हो तो बग़ैर इजाज़त न एक दूसरे के माल को इस्तेमाल करें न ख़िदमतगार से काम लें। और दूसरे छोटे बच्चे से सहल मामूली काम लेना मसलन फ़लां को बुला दो या यह बात कह आओ इस क़द्र में कोई हर्ज नहीं। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:– बिला वजह शरई वह बात न कही जाये जो सुनने से बुरी मालूम हो। उज़्र की हाजत पड़े और मुसलमानों को नफ़रत दिलाये। यूंही बिला वजह शरई वह बात करनी मकरूह है जिससे उसकी ग़ीबत का दरवाज़ा खुले। हदीस शरीफ में तोहमत की जगह खड़े होने से भी मुमानिअत आई है। (फ़तावा रिज़वियह वग़ैरह)

मसला:– मां बाप, दादा दादी अपने बच्चे से काम ले सकते हैं या तो यूं कि वह मोहताज हैं नौकर रखने की ताक़त नहीं रखते या बच्चे को अदब देने काम सिखाने और काम की आदत डालने के लिए। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:– आज़ाद औरत को हराम है कि किसी नामहरम मर्द के बदन को हाथ लगाए अगरचे हाथ या पावं को और मर्द पर हराम है कि उसे उसकी इजाज़त दे यहां से मशाइख़ ज़माना कि उनकी जवान मुरीदात, उनके क़दम चूम लेतीं। उनके हाथों को बोसा देतीं, आंखों से लगाती हैं। उन पर फ़र्ज़ है कि उन्हें उन हरकात से सख़्ती से रोक दें।

यूंही आज़ाद औरत के मुंह की तरफ़ टकली, जिस में कान या गले या बालों का कोई ज़र्रा दाख़िल नहीं और हथेलियां और तलवे देखना अगरचे हराम नहीं मगर उसके उन मवाज़ेह का भी छूना मतलक़न हराम है। व लिहाज़ा शेख़ (पीर) को हराम है कि अजनबी औरत का हाथ पकड़ कर बैत ले। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:– खड़िया मिट्टी या मुलतानी मिट्टी या तीन खरासानी या कोई और सोन्धी मिट्टी खुशबूदार खुश ज़ायक़ा कि हामिला औरतें उसे खाती हैं। अतिब्बा के नज़दीक सख़्त नुक़्सानदेह और शरअन उसका खाना हराम है। यूंही चूल्हे की भट और तनूर का पेट हां खाक

शिफ़ा शरीफ़ से तबर्रुक कदरे चख लेना जायज़ है। जैसे पान में चूना यही हुक्म सीप के चूने का है कि हराम बल्कि जिस पान पर वह चूना लगा हो उसका खाना हराम है। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:- बिला ज़रूरत दवा, मुंह पर कोई ऐसी चीज़ सानना जिससे सूरत बिगड़े नाजायज़ व गुनाह है। बाज़ नौजवान, जो आपस में कीचड़ से खेलते हैं एक दूसरे के मुंह पर कीचड़ मलते हैं या हंसी मज़ाक में सोते-जागते किसी के मुंह पर कालिक लगाते हैं यह सब हराम है नौजवान औरतें और सहेलियां भी शादी ब्याह के मौकों पर ऐसी ही हरकतें करती हैं यह सब हराम है। ऐसी हरकतों से बचना ज़रूरी व लाज़िम है। (फ़तावा रिज़वियह वग़ैरह)

मसला:- जिसके किसी पर मसलन सौ रुपये आते हों कि उसने दबाए या किसी और वजह से हुए और उससे रुपया मिलने की कोई उम्मीद नहीं तो सौ रुपया की मिकदार तक मकसूद न हो बल्कि तबर्रुक के तौर पर हो जैसा कि आलिमे बा अमल और बा शरअ पीर का झूठा कि लोग उसे तबर्रुक समझ कर खाते पीते हैं उसमें हरज नहीं। (बहारे शरीअत)

मसला:- अगर जान माल आबरू का अन्देशा हो उनके बचाने के लिए रिशवत देता है। या किसी के ज़िम्मा अपना हक़ है जो बग़ैर रिशवत दिये वसूल नहीं होगा और यह इसलिए रिशवत देता है कि मेरा हक़ वसूल हो जाये। यह देना जायज़ है यानी देने वाला गुनाहगार नहीं। ज़बान दराज़ी का अन्देशा हो जैसे बाज़ लुच्चे शोहदे ऐसे होते हैं कि सरे बाज़ार किसी को गाली दे देना या बेआबरू कर देना उसके नज़दीक मामूली बात है ऐसों को इसलिए कुछ दे देना ताकि ऐसी हरकतें न करें, जायज़ है। (दुर्रे मुख़्तार) हिजड़े, ज़नख़े गवैये, शादी

ब्याह, खत्ना अक़ीक़ा बिलख़ुसूस लड़के की पैदाइश के मौक़ा पर आ धमकते हैं उन्हें कुछ न कुछ दे कर टाल देना चाहिए। वह बला लिये टलेंगे नहीं। और जब तक रहें ज़बान दराज़ी करते रहेंगे तो ऐसी बला को टाल देना ही आफ़ियत है।

मसला:- मां बाप दादा दादी जिनकी यह औलाद में हैं। उनमें से किसी का नाम ले कर पुकारना ममनूअ व मकरूह है और ख़िलाफ़े अदब भी है और महरूमी व बे बरकती का मोजब भी। यूंही औरत के लिए यह बात मकरूह है कि वह शौहर का नाम ले कर पुकारे। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह) बाज़ जाहिलों में यह बात मशहूर है कि औरत अगर शौहर का नाम लेगी तो निकाह टूट जाता है। यह ग़लत है शायद इसलिए घड़ा हो कि इस डर से तलाक़ हो जायेगी शौहर का नाम न लेगी। (बहारे शरीअत)

मसला:- मरने की आरज़ू करना और उसकी दुआ मांगना मकरूह है जबकि किसी दुनियावी तकलीफ़ की वजह से हो मसलन तंगी से बसर औक़ात होती है। या दुश्मन का अन्देशा है। माल जाने का ख़ौफ़ है और अगर यह बातें न हों बल्कि लोगों की हालतें ख़राब हो गईं मासीयत में मुबतला हैं उसे भी अन्देशा है कि गुनाह में पड़ जायेगी तो आरज़ू मौत मकरूह नहीं। (आलमगीरी)

मसला:- ज़लज़ला के वक़्त मकान से निकल कर बाहर आ जाना जायज़ है। इसी तरह अगर दीवार झुकी हुई है गिरना चाहती है तो उसके पास से भागना जायज़ है। (आलमगीरी)

मसला:- ताऊन जहां हो वहां से भागना जायज़ नहीं और दूसरी जगह से वहां जाना भी न चाहिए। इसका मतलब यह है कि कमज़ोर एतक़ाद के हों और ऐसी जगह गये और मुबतला हो गये तो उनके

दिल में यह बात आयेगी कि यहां आने से ऐसा हुआ। न आते तो काहे को इस बला में पड़ते और भागने से बच गया तो यह ख़्याल करेगा कि वहां होता तो न बचता। भागने की वजह से बचा। ऐसी सूरत में भागना और जाना दोनों ममनूअ है ताऊन के ज़माना में अवाम से अक्सर इसी किस्म की बातें सुनने में आती हैं और अगर उनका अक़ीदा पक्का है जानता है कि जो कुछ मुक़द्दर में होता है वही होता है न वहां जाने से कुछ होता है न भागने में फ़ायदा है। तो ऐसे को वहां जाना भी जायज़ है और निकलने में भी हरज नहीं कि उसको भागना नहीं कहा जायेगा। और हदीस में मुतलक़न निकलने की मुमानिअत नहीं बल्कि भागने की मुख़ालिफ़त है। (बहारे शरीअत)

मसला:- काफ़िर कि उम्र भर कुफ़्र करता रहे और मरते दम तक कुफ़्र से तौबा न की, उसकी मग़फ़िरत व बख़्शिश की दुआ हरगिज़ हरगिज़ न करे। हां हिदायत की दुआ कर सकता है। (आलमगीरी) कि अल्लाह उसे राहे रास्त पर लाये। यूंही बद मज़हबियों बेदीनों के लिये हिदायत की दुआ करे। उन्हें मरहूम व मग़फ़ूर रहमतुल्लाह तआला अलैहि वग़ैरह कलिमाते दुआ हरगिज़ ज़बान से अदा न करे। अक़ायद की किताबों में यह मसला मज़कूर है कि जो किसी काफ़िर के लिए उसके मरने के बाद मग़फ़िरत की दुआ करे या किसी मुर्दा को मरहूम या मग़फ़ूर या किसी मुर्दा (हिन्दू, सिख ईसाई, नसरानी पारसी वग़ैरह) को बे कंठ बाशी कहे वह ख़ुद काफ़िर है। अल्लाह तआला हम सब को इस्लाम पर इस्तक़ामत और ईमान व इस्लाम और मज़हब अहले सुन्नत पर ख़ात्मा नसीब फ़रमाए। आमीन

मसला:- मकान में परिन्दे ने घोंसला लगाया और बच्चे भी दिये।

बिछौने और कपड़ों पर बीट गिरती है। ऐसी हालत में घोंसला बिगाड़ना और परिन्दा को भगा देना, नहीं चाहिए बल्कि उस वक़्त तक इन्तज़ार करे कि बच्चे बड़े होकर उड़ जायें। (आलमगीरी)

मसला:- जिमाअ़ करते वक़्त कलाम मकरूह है बल्कि बच्चे के गूँगे या तोतले होने का ख़तरा है। यूँही उस वक़्त औरत की शर्मगाह पर नज़र न करे कि बच्चे के अन्धे होने का अन्देशा है और मर्द ज़न कपड़ा ओढ़ लें। जानवरों की तरह बरहना न हों कि बच्चे के बेहया बेशर्म होने का अन्देशा है। यह मसला औरतें अपने शौहर को भी बता दें। (आलमगीरी, फ़तावा रिज़वियह)

मसला:- नमाज़ इशा से पहले सोना और बाद नमाज़ इशा दुनिया की बातें करना क़िस्से कहानी कहना सुनना मकरूह है ज़रूरी बातें और तिलावत कुरआन मजीद और ज़िक्र और दीनी मसायल और सालेहीन के क़िस्से और मेहमान से बात चीत करने में हरज नहीं। यूँही तुलूअ़ फ़ज्र से नमाज़ फ़ज्र तक बल्कि तुलूअ़ आफ़्ताब तक ज़िक्र और ख़ैर के सिवा हर बात मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार, आलमगीरी)

मसला:- कमर दर अक़रब यानी चांद जब बुरुज अक़रब में होता है तो सफ़र करने को लोग बुरा जानते हैं और बख़ूबी उसे मनहूस बताते हैं और जब बुरुज असद में होता है तो कपड़े क़तअ़ कराने और सिलवाने को बुरा जानते हैं। ऐसी बातों को हरगिज़ न माना जाये यह बातें ख़िलाफ़े शरअ़ और नजूमियों के लिए ढकोसले हैं। यूँही नुजूम की इस क़िस्म की बातें जिन में सितारों की तासीरात बताई जाती है कि फ़लां सितारा तुलूअ़ करेगा तो फ़लां बात होगी यह भी ख़िलाफ़ शरअ़ है। (बहारे शरीअत)

मसला:– हाकिम पर लाज़िम है कि नजूमियों, कुरआ व फाल वालों को दुकानों और रास्तों पर न बैठने दे और न उस काम के लिए उसे लोगों के घरों में जाने दे (शरह फिकहा अक्बर) जो औरतें उनके पास आती जाती और फाल निकलवाती हैं वे दोहरे गुनाह में गिरफ़्तार होती हैं।

मसला:– एक शख़्स ने किसी को अज़ीय्यत पहुंचाई। उससे माफी मांगना चाहता है। मगर जानता है कि अभी उसे गुस्सा है नहीं करेगा। माफ़ी मांगने में ताख़ीर की तो उस ताख़ीर में यह माज़ूर नहीं। फ़र्ज़ कर लो उसी हालत में मर गया तो उस पर बबाल रहेगा। ज़ालिम ने मज़लूम को बार बार सलाम किया और जवाब भी देता रहा और उसके साथ अच्छी तरह पेश आया यहां तक कि ज़ालिम ने समझ लिया कि अब वह मुझ से राज़ी यह काफी नहीं बल्कि माफी मांगनी चाहिए। (आलमगीरी)

मसला:– माह सफ़र को जाहिलों में मन्हूस समझा जाता है। उसमें न शादी ब्याह करते हैं न कोई और जायज़ तकरीब बल्कि लड़कियों तक को इस माह में रुख़सत करना माअयूब व मन्हूस ख़्याल करते हैं परहेज़ किया जाता है। ख़सूसन माह सफ़र की इब्तिदाई तेरह तारीख़ें बहुत ज़्यादा नहस मानी जाती हैं। और औरतें उनको तेरह तेजी के नाम से याद करती हैं बल्कि औरतों की ज़बान में उस महीना ही को तेरह तेजी का महीना कहा जाता है। यह सब जिहालत की बातें हैं। हदीस शरीफ में फरमाया कि ला सफर सफर कोई चीज़ नहीं यानी लोगों को उसे मन्हूस समझना ग़लत है।

फ़कीर ने अपने ही कसबा मारहरह शरीफ ज़िला एटा यू. पी. के एक मशहूर मोहल्ला शीशगिरान में अलस्सुबह देखा कि हर घर

के सामने घड़े मटके मिट्टी के प्याले और दूसरे बर्तन टूटे पड़े हैं। बड़ा ताज्जुब हुआ। आख़िर कार उस मोहल्ला के चन्द बूढ़ों से पूछा कि यह मामला क्या है। जवाब मिला कि आज तेरह तेजी (सफ़र) की तेरह (१३) तारीख़ है। बर्तनों में बलायें उतरती हैं। इसी लिए उन्हें तोड़ फोड़ कर ज़ाया कर दिया जाता है कि बलायें टलें। फ़क़ीर ने ख़ास उस मोज़ूअ़ पर एक जुमा में ब्यान किया कि वह बलायें भी ख़ूब हैं कि चीनी शीशे और तांबे के बर्तनों में नहीं उतरतीं और घर वाले भी अजीब हैं कि क़ीमती बर्तनों को बलाओं से महफ़ूज़ कर लेते हैं। मिट्टी के बर्तनों की हिफ़ाज़त नहीं कर पाते। आख़िर कार आहिस्ता आहिस्ता वह रिवाज ख़त्म होना शुरू हुआ।

मसला:- माह सफ़र का आख़िरी चार शम्बा हिन्दुस्तान व पाकिस्तान में बहुत मनाया जाता है। लोग अपने कारोबार बन्द कर देते हैं सैर व तफ़रीह व शिकार को निकल जाते हैं। क़ाफ़िलों की शकल में, खानदान व घराने के अफ़राद, बाग़ों, दरियाओं के किनारे या ऐसी ही दूसरी तफ़रीह गाहों में डेरा जमा देते हैं। पूरियां बिकती हैं, कढ़ाईयां चढ़ती हैं, पकवान तैयार होता है। फिर सब मिल कर खाते हैं। नहाते धोते हैं खुशियां मनाते हैं और धमाचौकड़ी मचाते हैं और कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस रोज़ गुस्ले सेहत फ़रमाया था। और बैरुने मदीना तैयबा सैर के लिए तशरीफ़ ले गये थे। यह सब बातें बे असल हैं बल्कि उन दिनों में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मर्ज़ वफ़ात शरीफ़ शिद्दत के साथ था। वह बातें ख़िलाफ़ वाकेअ है। (बहारे शरीअत)

मसला:- बिलख़सूस औरतें ज़ीक़ाअदा के महीने को भी बहुत बुरा जानती हैं और उन की ज़बान में इस महीना का नाम ही है 'खाली

का महीना' गोया यह तमाम बरकतों से खाली महीना है और इसीलिए शादी ब्याह और रुखसती जैसे अहम उमूर भी इस महीने में अन्जाम नहीं पाते। यह सब वाही तबाही की बातें हैं यूंही हर माह की ३. १३. २३ और ८. १८. २८ तारीखें भी मन्हूस ख़्याल की जाती हैं। यह भी महज़ लगू है। और हैरत की बात यह है कि जाहिलों का यह जादू पढ़े लिखे खानदानों में भी चल गया है। और ऐसा कि लाख समझाओ बात समझने का नाम नहीं लेतीं। सुन लेंगी मगर करेंगी वही जो उनके दिमाग़ों पर मुसल्लत है।

रोज़मर्रा ज़िन्दगी से मुताल्लिक़ चन्द और मसायल

मसला:- बाज़ किताबों में मज़कूर है कि तांबे के बर्तन से वुज़ू करना नाक़िस है। हलांकि तांबे के बर्तन से वुज़ू करना उसमें खाना पीना सब बिला कराहत जायज़ है। वुज़ू में कुछ नुक़्सान नहीं आता। हां कलई के बाद चाहिए बे कलई बर्तन में खाना पीना मकरूह है कि जिस्मानी ज़रर का बाइस है और मिट्टी का बर्तन तांबे से अफ़ज़ल है। उलेमा ने वुज़ू के आदाब व मुस्तहिब्बात से शुमार फ़रमाया कि मिट्टी के बर्तन से हो और उसमें खाना पीना भी तवाज़ो (व इन्कसार) से क़रीब तर है। हदीस में है कि जो अपने घर के बर्तन मिट्टी के रखे फ़रिश्ते उसकी ज़ियारत करें। (फ़तावा रिज़वियह, रददुलमुहतार)

मसला:- खाना खाते वक़्त जूता उतार लेना सुन्नत है। रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं जब खाना खाने बैठो तो जूते उतार लो कि उसमें तुम्हारे पावं के लिए ज़्यादा राहत

है और यह अच्छी सुन्नत है। हां जूता पहने खाना अगर इस उज़्र से हो कि ज़मीन पर (अकडू) बैठा खाना खा रहा है और फ़र्श नहीं तो सिर्फ़ एक सुन्नत मुस्तहिब्बा का तर्क है उसके लिए बेहतर यही था कि जूते उतार लेना और अगर मेज़ पर खाना है और यह खुद कुर्सी पर तो यह वज़अ खास नसारा की है। उससे दूर भागो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद याद करे कि जो किसी कौम से मुशाबहत पैदा करे (यानी उन्हीं के तौर तरीक़े अपनाए) वह उन्हीं में से है और खड़े होकर खाना पीना जिसका आजकल फैशन चल निकला है। खिलाफ़े सुन्नत व ख़िलाफ़े आदाब तआम होने के अलावा पूरा इत्तबाअ नसारा का ढांचा है। मग़रिबी तहज़ीब के मतवाले, इस्लामी तौर व तरीक़ा छोड़ कर यहूद व नसारा के नक़्शे कदम पर चल रहे हैं जबकि यह रास्ता जहन्नुम का रास्ता है।

मसला:- खाना खाते वक़्त रोटी के चार टुकड़े इस नीयत से करना कि दूसरे उन्हें सुन्नी मुसलमान, चारों खलीफ़ा के मानने वाले, चारों की खिलाफ़तों को हक़ जानने वाले समझें और बच्चों के दिलों में भी यह अक़ीदा रासिख़ हो जाये कि चारों खुलफ़ा का मानना फ़र्ज़ है तो इसमें हर्ज नहीं। बल्कि अगर राफ़्ज़ीयों के सामने उनके चिढ़ाने को चार करें तो यह नीयत महमूद है और इन्शाअल्लाह उस पर सवाब पायेगा। हां जो सुन्नी मुसलमान ऐसा न करे उसे ऐब लगाना, खुद माअयूब है। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:- पान में तम्बाकू का इस्तेमाल अगर इस हद तक हो कि नुक़्सान पहुंचे और हवास में खलल पड़े हराम है। और इस तरह कि मुंह में बदबू आने लगे मकरूह, और अगर थोड़ा तम्बाकू खसूसन

मुशक वग़ैरह से ख़ुशबू करके पान में खायें और हर बार खाकर कुल्लियों से ख़ूब मुंह साफ़ कर लें कि बू न आने पाये तो ख़ालिस मुबाह है। बू की हालत में कोई वजीफ़ा न करना चाहिए। मुंह अच्छी तरह साफ़ करने के बाद हो और कुरआन करीम तो हालत बदबू में पढ़ना और भी सख़्त है। तिलावत के वक़्त ज़रूर मुंह बिल्कुल साफ़ कर लें। फ़रिश्तों को कुरआन अज़ीम का बहुत शौक़ है और आम मलाइका को तिलावत की कुदरत न दी गई। जब मुसलमान कुरआन शरीफ़ पढ़ता है। फ़रिश्ता उसके मुंह पर अपना मुंह रख कर तिलावत की लज़्ज़त लेता है और जो आयत उसके मुंह से निकलती है फ़रिश्ते के मुंह में दाख़िल होती है। उस वक़्त अगर मुंह में खाने की किसी चीज़ का लगाव होता है फ़रिश्ते को ईज़ा होती है। (फ़तावा रिज़वियह)

मसला:- बीड़ी सिगरेट और हुक्का पीना जैसा कि तमाम शहरों यहां तक कि उलेमा व फ़ुज़ला में राईज है और अरब व अजम, मशरिक़ व मग़रिब के आम मुसलमानों में मुरव्वज है और जिन का चर्चा आजकल अवाम व ख़्वास में शाया है, शरअन जायज़ व मुबाह है उनके हराम होने की कोई वजह है न कराहत की। अगरचे उनकी बू तबीअत को नापसन्द हो तो यह तबई मकरूह हो सकता है। शरअन मकरूह नहीं। हां अगर उनको नशा लाने की ग़र्ज़ से ख़ास तौर पर पिया जाये और उससे अक़्ल में फ़तुर पैदा हो और जिस्मानी नुक़्सान पहुंचे तो यह ख़ास सूरत ज़रूर नाजायज़ व हराम होगी। (फ़तावा रिज़वियह वग़ैरह)

मसला:- कबूतर पालना जायज़ है जबकि दूसरों के कबूतर न पकड़े बल्कि बाज़ अहादीस में सुर्ख़ कबूतरों के पालने पर बरकत

का वायदा आया है। और कबूतर उड़ाना कि घंटों उन को उतरने नहीं देते और उन्हें भूखा प्यासा उड़ने पर मजबूर करते हैं हराम है फिर देखा गया है कि कबूतर उड़ाने वाले कबूतर उड़ाने के लिए मकानों की छतों पर भी चढ़ते हैं अगर ऐसा है तो और भी ज़्यादा हराम। ज़ाहिर है कि अब उसकी नज़रें दूसरों के मकानों, कमरों, सेहनों में भी पड़ेंगी और अमूमन उसमें औरतें, बूढ़ी जवान, ब्याही बिन ब्याही रहती हैं तो यह उनकी बेपरदगी भी हुई और यह उसका ख्याल नहीं करता तो उसकी बेशर्मी और बेहिसी भी। ऐसे को उस शुनीअ व क़बीह हरकत से सख़्ती से मना किया जाये और अहले मोहल्ला उससे सख़्त बाज़ पुर्स करें और अब यह ज़माना तो नहीं कि खुद सज़ा दें लिहाज़ा हुकूमत को मुत्तलअ़ करें अब हुकूमत के कारिन्दे उसके तमाम कबूतर जिन्हें वह उड़ाता और उनके उड़ाने के लिए उन पर कंकरियां फेंकता और दूसरों को नाहक़ ईज़ा देता था, ज़िब्ह करके खुद उसी को दे दें कि खाये और खिलाए ताकि उड़ाने का यह सिलसिला ही मुनक़तअ हो जाये। दूसरों को इबरत भी हो और औरतें उसकी बदनिगाही से भी बचें। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:– मर्दों की देखा देखी अब औरतें भी ताश व शतरंज खेलने लगी हैं। हालांकि यह दोनों काम मर्दों के लिए नाजायज़ हैं तो औरतों के लिए नाजायज़ तर और ताश खेलना शतरंज से भी ज़्यादा बुरा कि उसमें तसावीर भी हैं। (फ़तावा रज़्विियह वग़ैरह)

मसला:– अंधे से पर्दा वैसा ही है जैसा आंख वाले से और उसका घर में जाना। औरत के पास बैठना वैसा ही है जैसा आंख वाले। जैसा कि अहादीस में वारिद है।

मसला:– आज कल यूरोप की तक़लीद कि कुछ ऐसी हवा चली

है और मुसलमानों पर यूरोप की तहज़ीब का कुछ ऐसा भूत सवार है कि खाने पीने पहनने रहन सहन में उसी गन्दी तहज़ीब की गन्दगियां जगह-जगह नज़र पड़ती हैं। अंग्रेजों की देखा देखी मुसलमानों में भी छुरी काटने से खाने का रिवाज आता जा रहा है अमूमन बड़े घराने ही उस तहज़ीब का जल्दी शिकार हो जाते हैं बहरहाल यह निहायत मज़मूम तरीका है हदीस में है कि गोश्त को दांत से नोच कर खाओ के यह खुशगवार और खूब हज़म है और अगर बवजह ज़रूरत छुरी से गोश्त काट कर खाया जाये मसलन गोश्त इतना गला हुआ नहीं है के हाथ से तोड़ा या दांतों से नोचा जा सके या मसलन मुसल्लम रान भुनी हुई है दांतों से नोचने में वक़्त होगी तो अब छुरी से काट कर खाने में हरज नहीं इसी किस्म के बाज़ मौका पर हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का छुरी से काट कर तनावुल फरमाना आया है उससे आजकल के छुरी काटने से खाने की दलील लाना सहीह नहीं।

यूंही ज़रूरत हो तो रोटी को भी छुरी से कांटना दरुस्त है। मसलन डबल रोटी का छुरी से काट कर उसके टुकड़े कर लिये जाते हैं तो हरज नहीं। या औरतों में शोरमाल के दो दो या चार चार टुकड़े कर लिये जाते हैं ताकि बरबाद न हो तो उस में भी हरज नहीं। (बहारे शरीअत वगैरह)

और रोटी को दांत से काट कर खाना, हद दर्जा माअयूब और बे बरकती का बाअस है, यूंही खड़े-खड़े खाना के सुन्नते नसारा भी है।

मसला:- खाना खाते वक़्त अगर कोई आ जाता है तो रिवाज यह है कि उसे खाने को पूछते हैं कहते है कि आओ खाना खाओ।

अगर न पुछें तो ताअन करते हैं कि उन्होंने पूछा तक नहीं। यह बात यानी दूसरे मुसलमान को खाना खिलाने के लिए बुलाना अच्छी बात है। मगर बुलाने वाले को यह चाहिए कि यह पूछना महज़ नुमाईश के लिए न हो बल्कि दिल से पूछे। बल्कि अगर उसे कोई माकूल उज़्र न हो तो इसरार करके खिलाये कि मुफ़्त का सवाब हाथ आता है वह खायेगा तो तुम्हारे ख्वान पर अपना रिज़्क खाता है तो तुम्हारे लिए मकामे शुक्र है यह भी रिवाज है कि जब पूछा जाता है तो वह कहता है 'बिस्मिल्लाह'' यह न कहना चाहिए कि यहां बिस्मिल्लाह कहने के कोई मायने नहीं कि मुसलमान बिस्मिल्लाह पढ़ कर ही खाना शुरू करता है और वह पढ़ चुका। उलमा-ए किराम ने इस मौका पर बिस्मिल्लाह कहने को बहुत सख्त ममनूअ फरमाया बल्कि ऐसे मौका पर दुआइया अल्फाज़ कहना बेहतर है मसलन बारकअल्लाह या उर्दू में कह दे अल्लाह तआला बरकत दे। ज़्यादा दे। (बहारे शरीअत वग़ैरह)

और बुजुर्गों का मामूल यह है कि खाने से फ़ारिग़ होकर यह कहते हैं कि खाना बढ़ाओ या बर्तन बढ़ाओ। खाना या बर्तन उठाओ नहीं कहते। खाना बढ़ना या बर्तन बढ़ना खाने में बरकत और फराखी व वुसअत की ज़िमनन दुआ हो जाती है।

मसला:- पानी नमक और आग का मना करना हलाल नहीं। हदीस शरीफ में फ़रमाया गया कि जिस ने आग दे दी गोया उसके उस तमाम खाने को सदका किया जो उस नमक से दुरूस्त किया गया और जिस ने मुसलमानों को उस जगह पानी का घूंट पिलाया जहां पानी मिलता है तो गोया गर्दन को आज़ाद किया और जिस ने मुसलमान को ऐसी जगह पानी का घूंट पिलाया जहां पानी नहीं मिलता

तो गोया उसने उसे ज़िन्दा कर दिया। (इब्ने माजा) तो जितना सवाब पानी देने पर है बिला वजह कोई पानी न देने पर इतना ही वबाल भी होना चाहिए। इसलिए पानी न पिलाना शक़ावत की निशानी है और आग के क़ायम मक़ाम आजकल दियासलाई या लाईटर क़िस्म की चीज़ें भी हैं।

मसला:- ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आदतन हमसाये एक दूसरे से मांगते रहते हैं और उनका मांगना कोई बुरी या ज़िल्लत की बात भी नहीं समझी जाती। क्योंकि अमीर व ग़रीब सब ही को किसी न किसी वक़्त उनकी ज़रूरत पेश आती रहती है। और हमसाए एक दूसरे से आरियतन ले कर अमूमन जूं की तूं वापस कर दिया करते हैं ऐसी चीज़ों को देने से बुख़्ल बरतना अख़लाक़न एक ज़लील और गिरी हुई बात समझा जाता है और बात है भी ऐसी ही कि यह हरकतें वही करते हैं जिनके दिल मख़लूक़े ख़ुदा की हमदर्दी से इस क़द्र ख़ाली हैं कि किसी की मामूली सी इयानत भी उन्हें गवारा नहीं होती बल्कि गिरां गुज़रती है। ऐसों की बुराई का ज़िक्र सूरः माऊन में भी आया है।

मसला:- मग़रिबी तहज़ीब के मतवाले या उनकी रीस करने वालों में दस्तूर यह है कि बिलख़सूस खाना खाते वक़्त दायें हाथ से पानी पीना ख़िलाफ़ तहज़ीब जानते हैं। उनकी यह तहज़ीब, तहज़ीब नसारा तो कही जा सकती है। इस्लामी तहज़ीब यह है कि पानी बिस्मिल्लाह कह कर दाहिने हाथ से बैठ कर पिये और तीन सांस में पिये और हर मर्तबा बर्तन से मुंह हटा कर सांस ले। पहली और दूसरी मर्तबा एक एक घोंट पिये और तीसरी सांस में जितना चाहे पी ले इस तरह पीना ख़ुशगवार भी है और ज़ूद हज़्म भी।

गिलास में बचे हुए पानी को अगरचे वह साफ सुथरा हो लोग झूठा कह कर फेंक देते हैं यह हिन्दुओं की तहज़ीब है। इस्लाम में छुत छात नहीं मुसलमान के झूठे से बचने के कोई मायने नहीं बल्कि यह ख़ामख़ाह साफ और काबिल इस्तेमाल पानी को ज़ाया करना और इसराफ़ है और इसराफ़ हराम।

मसला:- बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ाने के मौका पर चांदी की दवात कलम और तख़्ती लाकर रखते हैं। यह चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आतीं। बल्कि पढ़ाने वाले को दे देते हैं। इसमें हरज नहीं। (बहारे शरीअत) बल्कि बेहतर है कि जिस तरीका पर एक मुसलमान की जो काबिले इज्ज़त व लायक ताअज़ीम है। इआनत भी हो गई और देने वाले की क़ल्बी मुसर्रत का सामान भी। हां यह ज़रूर है कि रिया न आने पाये।

मसला:- जब लड़के और लड़की की उम्र दस साल की हो जाये तो उनको अलग-अलग सुलाना चाहिए। यानी लड़का जब इतना बड़ा हो जाये तो अपनी मां बहन या किसी औरत के साथ न सोये और लड़की जब इस उम्र तक पहुंच जाये तो वह अपने मां भाई या किसी और मर्द के पास न सोये। बल्कि मीयां बीवी जब एक चारपाई पर सोयें तो दस बरस के बच्चे को ख्वाह लड़का हो या लड़की, अपने साथ न सुलायें। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- अगर ऐसे मकान में जाना हो कि उसमें कोई नहीं तो यह कहना चाहिए।

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ ۔

(सलाम हम पर और अल्लाह के सालेह बन्दों पर) फरिश्ते उसके सलाम का जवाब देंगे। (रददुलमुहतार) या इस तरह कहे अस्सलाम

अलैकुम या अैयोहन नबी (ऐ अल्लाह के नीब आप पर सलाम) क्या अजब कि यह सलाम कबूल हो जाये और जवाब में सलामतियों से नवाज़ा जाये क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की रूह मुबारक मुसलमानों के घरों में मौजूद है। (मिरक़ात)

मसला:– अक्सर जगह बिलख़सूस औरतों में यह तरीक़ा है कि छोटा बड़े को सलाम करता है तो वह जवाब में कह देता है "जीते रहो" यह सलाम का जवाब नहीं बल्कि यह जवाब ज़माना जाहिलियत में कुफ़्फ़ार दिया करते थे वे कहते थे हय्याकल्लाह (यांनि अल्लाह तुम्हें जीता रखे) इस्लाम ने यह बताया कि जवाब में वाअलै कुम अस्सलाम कहा जाये अगरचे किसी ने कहा सलाम तो सलाम कह देने से भी जवाब हो जायेगा। (बहारे शरीअत वग़ैरह)

मसला:– बहुत लोग छींक को बदफ़ाली ख्याल करते हैं। मसलन आदमी किसी काम के लिए जा रहा है और किसी को छींक आगई तो समझते हैं कि अब वह काम पूरा नहीं होगा यह जिहालत है कि बदफ़ाली कोई चीज़ नहीं और ऐसी चीज़ को बदफ़ाली कहना जिस को हदीस में शाहिद अदल (सच्चा गवाह) फ़रमाया और भी सख़्त ग़लती है। (बहारे शरअत)

मसला:– छत पर चढ़ने में दूसरों के घरों में निगाह पहुंचती है तो वह लोग छत पर चढ़ने से मना कर सकते हैं। जब तक पर्दा की दीवार न बनवाले या कोई और ऐसी चीज़ न लगाले जिससे बेपरदगी न हो। और अगर दूसरे लोगों के घरों में नज़र नहीं पड़ती। मगर वह लोग जब छत पर चढ़ते हैं तो सामना होता है तो उसको चढ़ने से मना नहीं कर सकते बल्कि उनकी औरतों को यह चाहिए कि वे ख़ुद छतों पर न चढ़ें उनके चढ़ने

से ताकि बेपदर्गी न हो। (दुर्रे मुख्तार)

मसला:- किसी के माल पर दबाव और धौंस से ऐलानियां, उसके कब्ज़ा को हटा कर अपना कब्ज़ा में ले लेना ग़सब कहलाता है और हदीस शरीफ़ में फ़रमाया है कि जो शख़्स पराया माल ले लेगा वह क़ियामत के दिन अल्लाह तआला से कोढ़ी हो कर मिलेगा। (तबरानी)

मसला:- अपना काम निकालने के लिए एक ने दूसर से कोई चीज़ आरीयतन (मांग ली और वह चीज़ हलाक हो गई तो अगर उसने उससे इसी तरह का काम लिया जो काम का तरीक़ा है और चीज़ की हिफ़ाज़त की और उस पर जो कुछ ख़र्च करना मुनासिब था ख़र्च किया तो हलाक होने पर तावान नहीं अगरचे आरीयतन देते वक़्त यह शर्त कर ली हो कि हलाक होने पर तावना देना होगा कि यह शर्त बातिल है। (बहरुर्राइक़)

मसला:- किसी को कोई चीज़ बिला एवज़ हिबा या बख़्शिश के तौर पर देने के बाद वापस लेना बहुत बुरी बात है, हदीस में इरशाद हुआ उसकी मिसाल ऐसी है जिस तरह कुत्ता क़ै करके फिर चाट ले। लिहाज़ा मुसलमान को इससे बचना ही चाहिए। बाज़ औक़ात बाज़ लोग औछे पन पर उतर कर ऐसा मुतालबा कर बैठते हैं कि लाओ हमारी फलां चीज़ वापस करो। यह बड़ी ओछी और गिरी हुई हरकत है।

मसला:- आजकल देखा जाता है है कि बहुत सी औरतें, दूसरे के बर्तनों को जिन में कोई चीज़ बतौर तोहफ़ा व हदया आई और उस वक़्त बर्तन किसी वजह से वापस न किये गये, बिला तकल्लुफ़ अपने घर में इस्तेमाल कर लेती हैं। हालांकि उनको अपने इस्तेमाल में लाना जायज़ नहीं वह उसके पास

अमानत के तौर पर हैं। (आलमगीरी)

मसला:- औरत ने ऐसे शख़्स की मुलाज़मत की जो बाल बच्चों वाला है। उसमें हरज नहीं जैसा कि अमूमन शहरों में खाना पकाने और घर के कामों के लिए मामायें नौकर रखी जाती हैं। मगर यह ख़्याल रखना ज़रूरी है कि मर्द को उसके साथ तनहाई न हो। (आलमगीरी)

मसला:- नावाकिफ़ मुसलमान मर्दों और औरतों में यह मसला बहुत मशहूर है कि कुतुब की तरफ़ पावं न फैलाना चाहिए। कुतुब अवाम में एक सितारे का नाम है कि कुतुब शुमाली के क़रीब है तो सितारे तो चारों तरफ़ हैं किसी तरफ़ पावं न फैलायें तो आदमी करे क्या। हां अगर यह ख़्याल करे के उन इलाक़ों में जानिब शुमाल में हुज़ुर सैयदना ग़ौस आज़म रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु का मज़ारे अक़दस है और इसलिए पावं उधर न फैलाये तो उसे लग़ू हरकत न कहना चाहिए।

मसला:- तिनके से खिलाल करना सुन्नत है और खिलाल करने में जो कुछ दांतों में रेशा वग़ैरह निकला बेहतर है उसे फेंक दे और निगल गई तो उसमें भी हरज नहीं। फूल और मेवे के तिनके से खिलाल न करें बल्कि खिलाल के लिए नीम की सींक बहुत बेहतर है कि उसकी तलखी से मुंह की सफ़ाई होती है और यह मसूढ़ों के लिए भी मुफ़ीद है। झाडू की सींकें भी इस काम में ला सकते हैं जबकि व कोरी हों मुस्तामल न हों। (आलमगीरी, बहारे शरीअत)

मसला:- सफ़र पर जाने वाले के बाज़ू पर इमाम ज़ामिन का पेसा बांधा जाता है। उसकी हक़ीक़त नहीं। मुसाफ़िर को नेक दुवाओं से रुख़सत करो और बराबर दुवाएं ख़ैर में याद रखो। हां इमाम ज़ामिन

इमाम अली रज़ा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु के नाम की फ़ातिहा दिला दी जाये तो उम्मीद रखनी चाहिए कि खुदावन्द तआला इमाम अली रज़ा और दूसरे अइम्माए बुजूर्गाने दीन के तुफ़ैल उसे अपनी अमान व ज़मान में रखे वल्लल्लाहु आलम।

मसला:- बच्चा पैदा होने के बाद पहला काम यह किया जाए कि नहला कर अज़ान व इक़ामत बच्चा के कान में कह दी जाये तो इन्शाअल्लाह तआला बच्चा "उम्मुस्सुबीयान'' से (कि एक खबीस बला है) उम्र भर महफ़ूज़ रहता है। (अलमलफ़ूज़ हिस्सा सोम)

मसला:- कोई नामहरम न हो और घर के अन्दर हों और गाना न गायें तो औरतों के वास्ते भी झुला झूलना जायज़ है कि यह बदन की रियाज़त है। बाज़ इमराज़ में अतिब्बा मुफ़ीद बताते हैं। (अलमलफ़ूज़ - ३)

मसला:- आफ़ताब के गुरूब होने के बाद चान्द जब रोशन होता है उस वक़्त सर कश जिन्न ज़मीन पर मुन्तशिर होते हैं। इसी वास्ते हदीस में आया है कि अपने बच्चों को रोके रखे मग़रिब से इशा तक यानी घर से बाहर न निकलने दो।

मसला:- कामदार जूते पर अगर झूठा काम हो तो मुतलक़न मकरूह है हत्ता कि औरतों को भी और अगर सच्चा है तो चार अंगुल से कम मर्दों को जायज़ है उससे ज़्यादा नहीं और औरतों को मतलक़न जायज़ है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

मसला:- अस्र के बाद खाने पीने से बहुत से मर्द और औरतें परहेज़ करती हैं यह कोई शरई मसला नहीं अलबत्ता सूफ़िया का तरीक़ा रहा कि उनके नज़दीक रात तालिबाने हक़ की ईद है और ईद से पहला रोज़ा होता है तो अस्र व मग़रिब के माबीन को

वह रोज़ा की तरह गुज़ारते और शब बेदारी में मसरूफ रहते हैं अगर यही नीयत रखी जाये कि बुजुर्गों का इत्तबाअ मकसूद है तो कोई हरज नहीं।

मसला:- सोने चांदी के बर्तन में खाना पीना और उनकी प्यालियों से तेल लगाना या उनके इत्तरदान से इत्र लगाना या उनकी सलाई या सुर्मा दानी से सुर्मा लगाना उनके आईना में मुंह देखना, उनके कलम दवात से लिखना मर्द औरत दोनों के लिए मना है। औरतों को सोने चान्दी के ज़ेवर पहनने की इज़ज़ात है। ज़ेवर के सिवा दूसरी तरह सोने चान्दी का इस्तेमाल मर्द और औरत दोनों के लिए नाजायज़ है। सोने चान्दी की आरसी पहनना औरत के लिए जायज़ है मगर उस आरसी में मुंह देखना औरत के लिए भी नाजायज़ है। (दुर्रे मुख्तार वगैरह) हां बर्तन पर सोने चान्दी का मुलम्मअ हो तो उसके इस्तेमाल में हरज नहीं। (हिदाया)

मसला:- मकान को चांदी सोने रेशम से अरास्ता करना मसलन दीवारों, दरवाज़ों पर रेशमी पर्दे लटकाना और जगह जगह करीने से, सोने चान्दी के ज़रूफ और दूसरी चीज़ें सजा कर रखना, जिसका मकसूद महज़ अराईश व ज़ेबाईश हो तो कराहत है और अगर तकब्बुर या तफ़ाखुर (इतराने) से ऐसा करता है तो नाजायज़ है। (रददुलमुहतार) ग़ालिबन कराहत की वजह यह होगी कि ऐसी चीज़ें अगरचे इब्तदाअन तकब्बुर से न हों मगर बिलाआखिर अमूमन उनसे तकब्बुर पैदा हो जाया करता है। (बहारे शरीअत)

मसला:- मर्द को सोने चांदी के बटन कुर्ते या अचकन में लगाना जायज़ है जिस तरह रेशम की घुन्डी जायज़ है। (दुर्रे मुख्तार) यानी जबकि बटन बग़ैर ज़ंजीर हों और अगर ज़ंजीर वाले बटन

हों तो उनका इस्तेमाल नाजायज़ है कि ज़न्जीर ज़ेवर के हुक्म में है जिसका इस्तेमाल मर्द को नाजायज़ है। (बहारे शरीअत)

मसला:- नाबालिग़ लड़कों को भी रेशम के कपड़े पहनाना हराम है और गुनाह पहनाने वाले पर है। (आलमगीरी) कि क़सूर मन्द यह हैं न कि वह-

मसला:- अय्याम मुहर्रम में यानी पहली मुहर्रम से बारहवीं तक तीन क़िस्म के रंग न पहने जायें सियाह कि यह राफ़ज़ियों का त‌रीक़ा है और सुर्ख़ कि यह ख़ारजियों का तरीक़ा है वह माज़अल्लाह इज़हारे मुसर्रत के लिए सुर्ख़ पहनते हैं। (आला हज़रत क़ुद्दुस सिर्रहु बहारे शरीअत)

मसला:- औरतों को बिलख़ुसूस चूड़ीदार पाजामा नहीं पहनना चाहिए कि उसमें पिंडलियों वग़ैरह की पूरी हैयात में नज़र आती है औरतों के पाजमें ढीले ढाले हों जैसे कि शलवारें। और नीचे हों कि क़दम छुप जायें। उनके लिए जहां तक पावं का ज़्यादा हिस्सा छुपे, अच्छा है। (बहारे शरीअत वग़ैरह)

मसला:- आने वाले ने सलाम किया और बातचीत शुरू कर दी तो उसे अख़्तियार है कि उसकी बात का जवाब न दे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिसने सालम से क़ब्ल कलाम किया उसकी बात का जवाब न दो। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- आने के वक़्त भी सलाम करे और जाते वक़्त भी। (रद्दुलमुहतार)

मसला:- जिस को छींक आई वह यह कहे अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिलआलमीन। या اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ और उसके जवाब में दूसरा शख़्स यूं कहे يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ या यह कहे يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

इसके सिवा कोई बात न कहे। (आलमगीरी)

इस्लामी तहज़ीब के चन्द अबवाब

गर तोमी ख़्वाही मुसलमान ज़ीस्तन
नीस्त मुमकिन जुज़ ब कुरआन ज़ीस्तन

मौलाए करीम जल्ले जलालहु का लाख-लाख शुक्र व एहसान है कि उसने इस्लाम दिया मुसलमान किया और अपनी पनाह और अपने हबीब के जवारे रहमत में लिया। दौलत ईमान बख़्शी और जौहरे अक्ल को, उस चिराग़ से जिला दी। और फिर हुजूर ख़ातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तुफ़ैल में वह सियासत वह तमद्दुन और तहज़ीब अता फ़रमायी कि हर एतबार से कामिल व मुकम्मल है। ज़िन्दगी के वह आदाब सिखाए कि हर तहज़ीब व तमद्दुन से बे नियाज़ व मुसतग़नी बना दिया। ज़िन्दगी के पहले सांस से , ज़ीस्त की आख़िरी हिचकी तक हर मरहला हर मंजिल पर हिदायत व रहनुमाई के फ़ानूस आवेज़ां कर दिए। ख़ुश नसीब हैं वह जो इन अनवारे हिदायत से फ़ैज़ हासिल करते और अपनी दुनिया अपनी आख़िरत, अपना दीन अपनी आक़िबत संवारते हैं और बदनसीब व बे बहरा हैं जो इस दरयाए रवां के क़रीब रहते हुए भी सराबे यूरोप पर मर मिटें और मग़रिबी तहज़ीब व तमद्दुन पर फ़रीफ़्ता हो कर अपनी जान जी से गुज़र जायें।

बहरहाल हम इस मुख़्तसर किताब में रहने सहने, खाने पीने, चलने, फिरने, उठने बैठने, सोने जागने वग़ैरह ज़रूरी मशाग़िल से मुताल्लिक़ भी चन्द आदाब बयान करते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी मायें बहनें बेटियां बिलख़सूस इन्हें ग़ौर व तवज्जोह से

पढ़ेंगी कि उनकी गोदें, क़ौम के होनहारों की गोदें हैं। आज नहीं तो कल उन्हें औलाद की तर्बियत और अपने माअशरा व माहौल और अपने घराने की इसलाह करनी है और यह किताब इन्शाअल्लाह उनकी बेहतरीन साथी साबित होगी।

रात और दिन की मसरूफ़ियात और ज़रूरी मशाग़िल में इस्लामी तहज़ीब के यह आदाब हमेशा और हर आन आप को ज़ेहन नशीन रखने चाहिए ताकि आप ख़ुद भी इनसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम पायें और दूसरों के लिए भी किसी नागवारी, नफ़रत या तकलीफ़ का बाइस न बनें। जो काम ख़ूबी, ख़ूबसूरती और उमदगी से अंजाम दिया जाता है वह औरों के लिए भी जाज़िबे नज़र और नमूना अमल बनता है लोग उसे अच्छी निगाहों से देखते और इज़्ज़त का मक़ाम देते हैं और जिन कामों में फूहड़पन और बदसलीक़गी और लापरवाही व बेतवज्जही पाई जाती है वह बिगड़ते भी हैं और करने वालों की इज़्ज़त व आबरू भी ले डूबते हैं। ख़ुदावन्द कुद्दूस हमारी आप की दस्तगीरी फ़रमाए। और इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा रहने की तौफ़ीक़ दे। आमीन०

खाने पीने के आदाब

१. खाने से पहले और खाने के बाद दोनों हाथ गट्टों तक धोना चाहिए ; बाज़ लोग सिर्फ़ एक हाथ या उंगलियां धो लेते हैं बल्कि सिर्फ़ चुटकी धोने पर किफ़ायत करते हैं इससे सुन्नत अदा नहीं होती।

२. खाने से पहले हाथ धो कर पोंछे न जायें और खाने के बाद धोकर रूमाल या तौलिया से पोंछ लें कि खाने का असर, चिकनाई वग़ैरह लगी न रहे।

३. खाना, बिस्मिल्लाह पढ़ कर शुरू किया जाये कि खाना जो ज़िन्दगी की बका और जिस्म के कयाम का असली ज़रिया है उसमें नामे खुदा की बरकतें शामिल हाल रहे। हदीस शरीफ में आया है कि जब कोई शख्स खाना खाए तो यह कहे اللّٰھم بارك لنا فیہ وابدلنا خیرا منہ

४. अगर बिस्मिल्लाह कहना भूल जाये तो जब याद आए यह कह ले।

५. बिस्मिल्लाह बुलन्द आवाज़ से कहे कि साथ वालों को अगर याद न हो तो उससे सुन कर उन्हें याद आजाये और खाने की बरकतें सब को हासिल हों। بسم اللہ فی اولہ وآخرہ

६. रोटी पर कोई चीज़ रखी जाये। हदीस शरीफ में फरमाया कि रोटी का एहतराम करो कि यह चीज़ जब किसी कौम से भागी है तो लौट कर नहीं आई यानी नाशुकरी की वजह से किसी कौम का रिज़्क चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता।

बाज़ लोग सालन का प्याला या चटनी की प्याली या नमकदानी वग़ैरह रोटी पर रख देते हैं ऐसा न करना चाहिए।

७. रोटी का किनारा ख़ामख़ाह तोड़ कर डाल देना और बीच की खा लेना इसराफ है, बल्कि पूरी रोटी खाले। हां अगर किनारे कच्चे रह गये हैं या जल गये हैं कि खाने से नुक़सान होगा तो तोड़ सकता है।

८. दाहिने हाथ से खाना खाए और पानी पिये और तीन उंगलियों से खाए। पांचों उंगलियों से खाना गंवारों का तरीका है और माअयूब भी। सिर्फ खाने पीने ही की खसूसियत नहीं शरीअत मुतहहरा को अक्सर काम दाहिनी जानिब से, दायें हाथ से पसन्द हैं हदीस शरीफ में फरमाया कि दाहिने हाथ से खाये और दाहिने हाथ से पियें और

दायें हाथ से ले और दायें से दे क्योंकि शैतान बायें से खाता, बायें से पीता और बायें से लेता है और बायें से देता है। (इब्ने माजा) फिर फ़ितरत इन्सानी का भी यही तक़ाज़ा है।

९. हाथ से लुक़्मा छूट कर दस्तरख़्वान वग़ैरह पर गिर जाये तो उसे छोड़ देना इसराफ़ है बल्कि पहले से उठा कर खायें।

१०. बायें हाथ को ज़मीन पर टेक दे कर, या तकिया लगा कर, या नंगे सर खाना अदब के ख़िलाफ़ है और उससे खाने की बरकत भी जाती है।

११. रकाबी या पियाले के बीच में से इब्तदन न खाए बल्कि एक किनारा से और जो किनारा उसके क़रीब है वहां से खाए। क्योंकि इससे खाने की वह मिक़दार जो बच जायेगी गन्दी न होगी। दूसरे यह कि अगर कोई इस तरीक़ा से न खाए तो उससे उसकी हिर्स का पता चलता है और हरीस आदमी कभी सैर नहीं होता। इसी को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बरकत से ताबीर किया और फ़रमाया कि बरकत खाने के बीच में उतरती है। (तिर्मिज़ी)

१२. लुक़्मे छोटे-छोटे ले और खूब चबा कर खाए।

१३. खाते वक़्त हाज़िरीन के चेहरों को न तके।

१४. खाने के दौरान मौत का ज़िक्र न करे ताकि दूसरों की तबीयत में बदमज़गी न आये और ख़्वाहिश के बावजूद, भूखे उठ बैठें।

१५. जब खाना एक क़िस्म का हो तो एक जगह से खाए हर तरफ हाथ न मारे हां अगर तबाक़ में मुख़्तलिफ़ क़िस्म की चीज़ें हों तो इधर-उधर से खाने की इजाज़त है। फिर भी बे सबरी का मुज़ाहिरा न करे क्योंकि अख़्लाक़ी हैसियत से उससे हिर्स और लालच का इज़हार होता है।

१६. खाने के वक़्त बायां पावं बिछा दे और दायां खड़ा रखे या सुरीन पर बैठे और दोनों घुटने खड़े रखे कि थोड़ा खाना किफ़ायत करे।

१७. गर्म-गर्म खाना कि मुंह जलता जाये न खाए। न खाने पर फूंक मारे न खाने को सूंघे। ज़्यादा गर्म खाना नुक़्सान देह भी है और उससे सैरी भी हासिल नहीं होती।

१८. बिल्कुल चुप-चाप खामोशी से खाना मजूसियों का तरीक़ा है, इससे बचे मगर बेहूदा बातें न बके बल्कि अच्छी बातें करे।

१९. खाने में ऐब न निकाले मर्गूब हो तो खाले वरना हाथ उठाले। क्योंकि घर वालों और काम करने वालों में बात बात में फ़िया निकालने वाले की तरफ़ से चिढ़ पैदा हो जाती है और उससे काम सुधरने की बजाए और बिगड़ता है। मियां बीबी में झगड़े की एक वजह यह भी होती है।

२०. दोस्त अहबाब या घर के लोग, खाना मिल कर सब एक साथ खायें तो उसमें बरकत भी होती है। थोड़ा खाना, ज़्यादा को किफ़ायत करता है और बरबाद भी नहीं होता।

एक बार चन्द सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह हम खाते हैं लेकिन पेट नहीं भरता। इरशाद फ़रमाया कि ग़ालिबन तुम लोग अलग-अलग खाते होंगे। अर्ज़ किया कि हां या रसूलुल्लाह फ़रमाया इकट्ठे होकर खाओ और बिस्मिल्लाह पढ़ो बरकत होगी। (इब्ने माजा)

२१. दस्तरख़ान पर चन्द अशख़ास हों तो उनमें जो बुजुर्ग हों वह खाना पहले शुरू करे फिर और लोग। इसमें हुस्न अदब व ताअज़ीम भी है।

२२. खाने में मक्खी गिर जाये तो उसे ग़ोता दे कर फेंक देना

चाहिए। क्योंकि उसके एक बाजू में बीमारी है और दूसरे में शिफ़ा है। और वह वही बाजू खाने में पहले डालती है जिस में बीमारी है और दूसरे को बचाती है लिहाज़ा पूरी को ग़ोता दे दो। (हदीस शरीफ़)

मक्खी गिरे हुए खाने को, गन्दा समझ कर फेंक देना इसराफ़ है और न खाना ख़ामख़्वाह अपनी निज़ाफ़त पसन्दी का इज़हार है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम कि जाने निज़ाफ़त हैं। उनकी पैरवी, शाने ईमान है यह ख़ुदसाख़्ता निज़ाफ़त, निज़ाफ़त व निफ़ासत नहीं। इत्तबाओ सुन्नत नसारा है।

२३. खाने के बाद बर्तन को उंगलियों से चाट ले और उंगलियों को मुंह से अच्छी तरह साफ़ कर ले उनमें झूठा न लगा रहने दे। जो लोग इसे ख़िलाफ़े तहज़ीब जानते हैं वह झूठी तहज़ीब के मतवाले हैं। उनसे ज़्यादा न उल्झें कि ओल फोल बकने लगते हैं। मुसलमानों के लिए यही बात काफ़ी है जो हदीस शरीफ़ में है कि खाने के बाद जो शख़्स बर्तन साफ़ कर देता है तो वह बर्तन उसके लिए दुआ करता है। कहता है कि अल्लाह तुझे जहन्नम की आग से आज़ाद करे जिस तरह तूने मुझे शैतान से आज़ाद किया और एक रिवायत में है कि बर्तन उसके लिए इस्तग़फ़ार करता है।

२४. खाने की इब्तदा नमक से की जाये और ख़त्म भी उसी पर करें। इससे सत्तर बीमारियां दफ़ा हो जाती हैं । यह उस सूरत में है कि दस्तर ख़्वान पर नमकीन और मीठी दोनों किस्म की चीज़ें हों और दस्तरख़ान पर सिर्फ़ नमकीन खाना हो और बाद फ़राग़त कुछ मीठा खा लिया जाये तो मशहूर यह है कि यह मौला अली करम अल्लाह की सुन्नत करीमा है वल्लाह आलम।

२५. खाने से फ़ारिग़ हो कर ख़ुदा का शुक्र बजा लाये। इस मौका

पर बहुत सी दुआयें अहादीस में आई हैं ज़्यादा मशहूर दुआ यह है-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

और दूसरे के यहां खाया पिया हो तो इस दुआ के बाद यह दुआ भी पढ़ ले- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِيْمَا رَزَقْتَهُ وَاغْفِرْهُ وَارْزُقْنَا

رِزْقًا وَاسِعًا مُبَارَكًا فِيْهِ

२६. जब दस्तरख़ान बढ़ जाये तो अब उठ कर हाथ धोए कि चिकनाई वग़ैरह हाथों में न रहे फिर रूमाल वग़ैरह से पोंछ ले।

जिस बर्तन में खाना खाया है उसमें हाथ धोना, या हाथ धोकर, कुर्ते या तहबन्द के दामन या आंचल से पोंछना, बरकत को उड़ा देता है।

२७. पानी ख़्वाह दरमियान में पिये या बाद फ़राग़त जबकि ख़्वाहिश हो, चूस कर पिये गट गट बड़े बड़े घूंट न पिये। इस तरह पानी पीने से पूरी सैरी होती है और पियास बुझ जाती है।

२८. पानी के बर्तन में सांस न ले कि अन्दर से निकलने वाली गन्दी हवा, उस पानी से न लगे। और यह भी मुमकिन है कि बर्तन में सांस लेते वक़्त मुंह या नाक से थूक या रींट निकल कर पानी में गिर जाए और फिर उसके मुंह में जाये जिससे कराहत आती है।

२९. मश्क के दहाने या लोटे की टूंटी से, या बग़ैर देखे हुए किसी चीज़ से पानी न पिया जाये। क्या मालूम कोई मूज़ी चीज़ उसके हल्क़ में चली जाये।

३०. पीने की वह चीज़ ज़्यादा पसन्दीदा है जो शीरीं और ठंडी हो। मगर चाय कि वह गर्म ही पी जाती है। लेकिन लब दोज़, ज़रूर चीज़ नहीं।

३१. हदीस शरीफ़ में है कि जो शख़्स अल्लाह और रोज़ क़ियामत

पर ईमान रखता है वह मेहमान का इकराम करे। एक दिन रात उसका जायज़ा है। (यानी जायज़ हक तो एक दिन रात उसकी पूरी खातिरदारी करे और अपने मकसद भर उसके लिए पुरतकल्लुफ़ खाना तैयार कराये) ज़ियाफ़्त तीन दिन है यानी एक दिन बाद मामूल के मुताबिक खिलाये और जो मयस्सर हो पेश करे। और तीन दिन के बाद सदका है। मेहमान के लिए यह हलाल नहीं कि उसके यहां ठहरा रहे और उसे हर्ज में डाले। (बुख़ारी व मुस्लिम)

३२. मेहमान को चार बातें ज़रूरी हैं। (१) जहां बिठाया जाये वहीं बैठे। (२) जो कुछ उसके सामने पेश किया जाये उसी पर खुश हो और कोई ऐसी हरकत न करे जिससे मेज़बान को तकलीफ़ हो। (३) बग़ैर इजाज़त साहबे खाना वहां से न उठे। (४) और जब वहां से जाये तो उसके लिए दुआ करे।

३३. मेज़बान को चाहिए कि मेहमान से वकतन फ़वकतन कहे कि और खाओ मगर इतना इसरार न करे कि वह ज़्यादा खा जाये और फिर नुक़्सान उठाये। (२) मेहमान से दिल खुश कुन बातें भी करता जाये। (३) मेहमान के सामने अहले खाना या ख़ादिम पर नाराज़ न हो। (४) मेहमान अगर थोड़े हों तो मेज़बान उनके साथ खाने पर बैठे कि यही तकाज़ाए मुहब्बत है और मेहमान ज़्यादा हों तो उनकी निगाहदाश्त और ख़िदमत में मशग़ूल रहे। (५) मेहमानों के साथ ऐसों को न बिठाये जिनका न बैठना उनपर गिरां हो।

चलने फिरने के आदाब

दौलत इक्तदार, हुस्न इल्म व फ़न में इमतियाज़ी शान, ताकत का गुमान और ऐसी ही दूसरी चीजें जो इन्सान में तकब्बुर पैदा करने

का ज़रिया बनती हैं। वह लाज़मन एक खास तर्ज़ की चाल में ढल कर ज़ाहिर होती हैं जिसे देख कर न सिर्फ यह मालूम हो जाता है कि आदमी किसी घमन्ड में मुबतला है बल्कि चाल की शान यह तक बता देती है कि उसे किसी चीज़ का घमन्ड है। आदमी की चाल में अकड़ और इतराहट और फ़ख़्र व गुरूर लाज़मन उसी वक़्त पैदा होती है जब उसके दिमाग़ में तकब्बुर की हवा भर जाती है और वह चाहता है कि दूसरों को अपनी बड़ाई महसूस कराये।

कुरआन करीम ने इस गिरी हुई अख़लाक़ी कमज़ोरी की इसलाह इन अल्फ़ाज़ में फ़रमाई कि وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ज़मीन पर अकड़ कर न चलो।

मक़सूद इससे हर तरह के फ़ख़्र व गुरूर और तकब्बुर की रोक थाम है कि मुसलमान जब्बारों और मुतकब्बिरों की राविश से बचें और बजाये फ़ख़्र व गुरूर व तमकनत कि जो जाहिलियत और जाहिल क़ौमों का शिआ़र है अपने मिज़ाज में नर्मी और तवाज़ो पैदा करें और यहां तक कि चाल ढाल और रफ़्तार में तवाज़ो व इनकिसार का असर ज़ाहिर होने लगे।

यह हिदायत भी इन्फ़िरादी तर्ज़ अमल और क़ौमी रवैए, दोनों पर यकसां हावी है। इस सिलसिले में चन्द आदाब यह हैं जो इस्लाम ने हमें बख़्शे।

१. आदमी को रास्ते में मतानत, संजीदगी, और खाकसारी, व इनकिसारी के साथ क़दम उठाना चाहिए।

२. इसका लिहाज़ रखना चाहिए कि क़दम ज़ाहिरी व मानवी एतबार से कहां पड़ रहा है।

३. औरतें मर्दों के सामने, या मर्द औरतों के सामने आ जायें तो

दरमियान से न गुज़रें। दायें या बायें का रास्ता लें।

४. औरत को बचने वाले ज़ेवर मसलन पाज़ेब, झानजन पहनकर चलने में ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से पावं नहीं रखना। क्योंकि उसकी आवाज़ से सुनने वालों के ख्यालात में इन्तशार पैदा होता है।

५. औरतें खुशबू लगा कर और दूसरों के हवास को मुशतइल करने वाली चीज़ें इस्तेमाल करके हरगिज़ घरों से न निकलें।

६. औरतें बिला ज़रूरत अपनी आवाज़ ग़ैर मर्दों को न सुनायें। ज़रूरत पड़ने पर बात करने की इजाज़त तो खुद क़ुरआन करीम में दी गई है। लेकिन जहां न उसकी ज़रूरत हो और न कोई दीनी या अख़्लाक़ी फ़ायदा, वहां इस बात को पसन्द नहीं किया गया है कि औरतों की आवाज़ें ग़ैर मर्दों के कानों से टकरायें।

मटर गशत और महज़ तफ़रीह तबअ की ख़ातिर बाज़ारों और दुकानों पर जाने वाली औरतें ज़रा इसका खास ख्याल रखें और यह बात तो बड़ी बे ग़ैरती की है कि शौहर नामदार, बसूरत बरखुरदार, बच्चों को गोद में उठाये उंगली थामे हमराह हैं और बेगम साहिबा खरीदारी में मसरूफ़।

७. शरीफ़ औरत जब बज़रूरत घर से निकले तो किसी बड़ी चादर या बुर्क़ा से अपना सारा बदन सर से पावं तक छुपा लें जिससे उसकी असल पौशाक और ज़ेब व ज़ीनत की सारी चीज़ें छुप जायें और चादर या नक़ाब का कुछ हिस्सा मुंह पर भी आजाये।

८. खुशनुमा कपड़े, ज़ेवर और सर मुंह हाथ पावं, पलकों और आंखों की मुख़्तलिफ़ आराईश व ज़ीबाईश जो बिलउमूम औरतें करती हैं और जिनके लिए मौजूदा ज़माने में मेकअप का लफ़्ज़ बोला जाता है। यह बनाओ सिंघार हरगिरज़ ग़ैरों पर ज़ाहिर न हो। औरत अपने

मुंह को मिस्सी और सुर्मे और सुर्खी पावडर से और अपने हाथों को अंगूठी छल्ले और चुड़ियों और कंगन वग़ैरह से आरस्ता रख कर लोगों के सामने खोले फिरे जैसा कि आजकल साइंसवादियों में दस्तूर है, शरीफ़ मुसलमान औरत के लिए यूंही नंग व आर है।

९. राह चलते निगाहें नीची रखें। जिस तरह मर्दों को हुक्म है कि वह ग़ैर औरतों पर नज़र न डालें। यूंही औरतों को हुक्म है कि वह क़सदन ग़ैर मर्दों को न देखें। निगाह पड़ जाये तो फ़ौरन हटा लें बरगचे वह मर्द नाबीना हो। यह किसी तरह ज़ायज़ नहीं कि औरतें इत्मीनान से मर्दों को घूरें और उनके हुस्न जमाल या बदसूरती को मोज़ूअ बहस बना कर उनके जिस्मानी साख़्त का जायज़ा लें।

१०. औरतों को कुत्ते राह से अलग होकर, रास्ता के किनारे से चलना चाहिए।

मजलिस के आदाब

शरीअत की हमागीरी से ज़िन्दगी का कौन सा शोबा बच सकता है। कुरआन करीम ने आदाब मजलिस की भी तालीम दी और मुसलमानों की तमाम मजलिसों के लिये यह आम हिदायत दी कि मजलिस में तहज़ीब व वक़ार की शक्ल पैदा हो और शुरकाए मजलिस में से किसी को दूसरे से शिकायत पैदा न हो बल्कि यह मजलिस बाहमी मुहब्बत बढ़ाने का सबब हो।

अल्लाह व रसूल ने मुसलमानों को जो आदाबे मजलिस सिखाए उनमें से चन्द आदाब यह हैं :-

१. जब किसी मजलिस में पहले से कुछ लोग बैठे हों और बाद में मज़ीद कुछ लोग आयें तो वहां बेतकल्लुफ़ जगह मिल

जाये बैठ जायें।

२. पहले से बैठे हुओं को इसका लिहाज़ रखना चाहिए कि वह खुद नए आने वालों को जगह दें और खुद सिमट कर उनके लिए कुशादगी पैदा करें और इतनी शाईसतगी बाद में आने वालों में होनी चाहिए कि वह मजमे को चीर कर, ज़बरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश न करें और खाह मखाह अन्दर न घुसें।

३. कोई शख्स किसी को उठा कर उसकी जगह बैठने की कोशिश न करे चूंकि इससे गुरूर व नख़वत और अपनी बरतरी का एहसास पैदा होता है और दूसरों के दिल में उससे कदूरत बढ़ती है।

४. अगर कोई शख़्स मजलिस में एक जगह बैठा था और किसी ज़रूरत से खुद उठ कर चला गया तो पलटने के बाद वही उस जगह का मुस्तहिक है दूसरा उस जगह नहीं बैठ सकता।

५. किसी शख़्स के लिये यह हलाल नहीं है कि दो आदमियों के दरमियान उनकी इजाज़त के बग़ैर घस जाये कि इससे तकद्दुर और वहशत व नफरत पैदा होती है।

६. रास्ता व आम गुज़रगाहों को मजलिस का रंग न देना चाहिए। क्योंकि यह वकार के खिलाफ है लेकिन अगर ज़रूरत मजबूर करे तो चन्द अख़्लाकी बातों की पाबन्दी करनी चाहिए। मसलन निगाह नीची रखें। आने जाने वालों को न तकें। ज़रररिसां चीज़ें राह से हटा दें। रास्ता भटकते हुओं को रास्ता दिखायें और मदद के ख़्वास्तगार और मुसीबत के मारे हुओं की मदद करें।

७. मजलिस में जो मोअज़्ज़िज़ जगह हो वहां बैठने की अज़ खुद कोशिश न की जाये। किसी दूसरे के यहां जाये तो भी उसकी इजाज़त के बग़ैर उसकी खास जगह पर न बैठे। और वह खुद बिठाये तो

ख़्वाह मख़्वाह इन्किसारी की आड़ न ले।

८. मजलिस में बैठ कर काना फूसी न करें। ख़ुसूसन जब कि दूसरे यह समझें कि आप उन्हीं की निसबत कुछ कह रहे हैं।

९. मजलिस की राज़ की बातों को बरमला बयान नहीं करना चाहिए।

१०. इन्सान पर सब से ज़्यादा असर सोहबत का पड़ता है। इसलिए जिनके अख़्लाक़ व आदात और अक़ायद व ख़्यालात, क़ाबिल एतबार न हों वहां हरगिज़ न जाये बुरी बात को दिल में जमते और ख़्यालात पलटते कुछ देर नहीं लगती।

११. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया चन्द कलिमात हैं कि जो शख़्स मजलिस से फ़ारिग़ होकर उनको तीन मर्तबा कह लेगा अल्लाह तआला उसके गुनाह मिटा देगा। और जो शख़्स मजलिस ख़ैर व मजलिस ज़िक्र में उनको कहेगा तो अल्लाह तआला उसके लिए उस ख़ैर पर मुहर कर देगा जिस तरह कोई शख़्स अंगूठी से मुहर करता है वे यह हैं:-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ٥ (ابو داؤد)

और हाकिम की रिवायत में है कि जो लोग देर तक किसी जगह बैठे और बग़ैर ज़िक्र ख़ुदा किए और बग़ैर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम पर दरूद शरीफ़ पढ़े, वहां से मुतफ़र्रिक़ हो गये। उन्होंने नुक़सान किया। अगर अल्लाह चाहे अज़ाब दे और चाहे तो बख़्श दे।

गुफ़्तगू और मुलाक़ात के आदाब

१. अज़ीज़ों करीबों रिश्तेदारों और मिलने जुलने वाली औरतों को अपनी सहेलियों से मुलाकात के वक़्त चेहरे से ख़ुश दिली और मुसर्रत ज़ाहिर करनी चाहिए। हदीस शरीफ़ में फ़रमाया कि तुम्हारा अपने भाई के सामने, यह भी एक सदका है।

२. मुलाकात के वक़्त सबसे पहले जो कलिमा मुंह से निकले वह मुहब्बत और अमन व सलामती का पैग़ाम हो या'नी सलाम यह ज़िक्र व इबादत भी है। और दुआ व ख़ैर ख़्वाही का ही कलिमा भी।

३. जिस को सलाम किया जाये उस पर अख़्लाक़न फ़र्ज़ है कि सलाम का जवाब दे।

४. आने वाला अगर महबूब व मोहतरम और दीनी अज़मत व शख्सीयत वाला हो तो उसे आते देख कर जोशे मुहब्बत ख़ुश अक़ीदत में खड़ा हो जाना भी कमाल अदब है।

५. इस क़िस्म के मौक़ों पर ख़ुश आमदीद के अल्फ़ाज़ मसलन मर्हबा कहने की भी मिसाल शरीअत में मौजूद है फिर इससे उन्स भी बढ़ता है।

६. मुलाकात या किसी और काम के लिए किसी के घर में जाने के लिए साहब ख़ाना से इजाज़त लेना भी ज़रूरी है और उसका असल मक़सूद यह है कि इन्सान बाज़ औक़ात ऐसी हालत में होता है कि वह उस हालत में दूसरों से मिलना पसन्द नहीं करता।

७. ख़ुद अपने घर के अन्दर भी सलाम करके अन्दर जाना चाहिए। उससे बरकत के अलावा यह फ़ायदा होगा कि अगर वे औरतें बे तकल्लुफ़ी की हालत में होंगी या और कोई ऐसी ही बात होगी तो

घर वाले होशियार हो जायें।

८. मुलाकात के वक़्त या आते जाते ऐसे फिक्रे न कहें जिन में कोई तअन छिपा हो या किसी की तहकीर निकलती हो।

९. औरतों को जब नामहरम मर्दों से गुफ्तगू की ज़रूरत पेश ही आ जाये तो बात में और लहजे में ऐसी नज़ाकत और लोच न हो कि सुनने वाले के जज़बात में इशतआल पैदा हो और उसके दिल में बुरे ख़्यालात आयें।

१०. गुफ्तगू बकद्र ज़रूरत बवक़्ते ज़रूरत मतानत व संजीदगी और नर्मी से करनी चाहिए। इससे बड़े फ़ितनों का मुंह बन्द हो जाता है।

११. ज़बान को तोड़ मरोड़ कर, चबा कर, ख़्वाह मख़्वाह बढ़ा चढ़ा कर बातें करना इन्सान के वकार को भी खत्म करता है और बाज़ औकात तकलीफ देह भी बन जाता है।

१२. अपनी कहे जाना, दूसरों की न सुनना, खुद बीनी भी है और थुड़ दिली भी।

१३. दूसरा अगर उसके सामने उसकी तारीफ करे तो उसके खिलाफ बातें हों या वह बदकलामी से पेश आयें या नापसन्दीदा हरकतें करें तो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो और उसकी मदद चाहे और पनाह मांगे और इस्तग़फार करे कि नामालूम किस गुनाह की पादाश में ऐसा सामने आया।

१४. फ़ुज़ूल बातों से परहेज़ करना वकार की निशानी है और बे मौका चीख़ कर बातें करना हिमाकत की दलील है। लिहाज़ा बात की जाये तो आहिस्तगी से और बज़रूरत। हदीस शरीफ में है कि "आदमी के इस्लाम की खुबियों में से एक

यह है कि जिस चीज़ से उसे मतलब न हो उसे छोड़ दे।

सोने के आदाब

१. सोने से पहले खाने पीने के बर्तन ढांक देना चाहिए। हदीस शरीफ़ में आया है कि ढांको नहीं तो यही करो कि उस पर कोई चीज़ आड़ी करके रख दो।

२. दरवाज़े बन्द कर दो और चिराग़ बुझा दो कि कभी चूहा बत्ती घसेट कर ले जाता है और घर जल जाता है। यूंही आग भी बुझा देना चाहिए।

३. दरवाज़ा बिस्मिल्लाह पढ़ कर बन्द किया जाये कि शैतान न खोल सकेगा।

४. आप के सोने का वक़्त आया तो एहतियात का तक़ाज़ा यह है कि बिस्तर को झाड़ लिया जाये। वहां कोई मूज़ी छुपा बैठा हो और नुक़्सान पहुंचाए।

५. मुस्तहब यह है कि बतहारत सोये। कुछ देर दाहिनी करवट पर, दाहिने हाथ को रुख़सार के नीचे रख कर क़िबला रू सोये फिर उसके बाद बायें करवट पर।

६. सोते वक़्त क़ब्र में सोने को याद करे वहां तन्हा सोना होगा। अपने आमाल के सिवा कोई साथ न होगा न कोई मोनिस व ग़मख़्वार।

७. सोते वक़्त यादे खुदा में मशग़ूल हो। तहलील (ला-इला-हा इल्लल्लाह) व तस्बीह (सुब्हानल्लाह) व तहमीद (अलहम्दुलिल्लाह) और आयतल कुर्सी, चारों कुल एक एक बार पढ़ कर सो जाये कि जिस हालत पर इन्सान सोता है उसी पर उठता है और जिस हालत पर मरता है क़ियामत के दिन उसी पर उठेगा।

८. पेट के बल न सोये कि यह तरीक़ा ख़ुदा को पसन्द नहीं।

९. ऐसी छत पर नहीं सोना चाहिए जिस पर मुन्डेर या जाली या कोई और रुकावट न हो। क्योंकि ऐसी हालत में ज़मीन पर गिर पड़ने का अन्देशा है।

१०. अलस्सुबह बेदार हो और आंख खोलते ही ख़ुदा को याद करे और यह दुआ पढ़े।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ ۝

(तमाम हम्द अल्लाह के लिए जिसने हमें (उस आरज़ी मौत यानी) नींद के बाद ज़िन्दगी दी और आख़िर उसी की तरफ़ लौट कर जाना है।)

११. दिन के इब्तदाई हिस्सा में सोना, या मग़रिब व इशा के दरमियान सोना मकरूह है। और हदीस शरीफ़ में आया है कि जो शख़्स अस्र के बाद सोये और उसकी अक़्ल जाती रहे तो वह अपने ही को मलामत करे।

१२. बेदार होने और दुआ वग़ैरह से फ़ारिग़ होते ही यह अज़्म (पक्का इरादा) कर ले कि वह परहेज़ गारी और तक़वा पर गुज़ारेगा किसी को सतायेगा नहीं।

ख़ुशी और ग़म के आदाब

१. जब कोई मुसर्रत व ख़ुशी हासिल हो। मसलन माल द दौलत मिले। इल्म व फ़ज़्ल की डिगरी हासिल होने, किसी ओहदा व मनसब तक पहुंचे या किसी शादी ब्याह करने या किसी अहम काम से फ़रागत नसीब होने पर आदमी मसरूर व मुतमईन हो तो सब से पहले ख़ुदावन्द

कुद्दूस का शुक्र बजा लाना चाहिए कि उसी की तौफ़ीक और उसी के फ़ज़्ल व करम से यह ख़ुशी नसीब हुई और बतहारत सज्दा व शुक्र बजा लाये। या दोगाना तहीयत अदा करे तो ज़हे नसीब।

२. सफर से वापस होने के बाद भी इन्सान को वतन में पहुंचने की मुसर्रत होती है उस मौक़ा पर हस्ब तौफ़ीक अइज़्ज़ा व अहबाब की दावत की जा सकती है कि वह भी उस मुसर्रत में शरीक हों।

३. दूर दराज़ के सफ़र बिलख़सूस सफ़र हज से आने वालों के इस्तक्बाल की तैयारियां करना और जायज़ तौर पर उसका एहतमाम करना भी शरअन महबूब व मतलूब है।

४. शादी ब्याह में दोस्तों और अज़ीजों की दावत और दावत को कुबूल करना दोनों मसनून हैं जिससे जो कुछ हो सके और जितना हो सके अज़ीज़ों और दोस्तों को इस पर खिलायें।

५. इसी तरह दोस्तों अज़ीज़ों को ऐसी ख़ुशियों के मौक़ों पर तोहफ़ा तहाइफ़ भेजना, आपस में मुहब्बत बढ़ाता है तो जिस से जो बन पड़े उसमें दरीग़ न करे।

६. आदाबे ताज़ीयत हिस्सा अव्वल में देखें-

इस सिलसिले में हम चन्द अहादीस और उनकी तशरीह पेश करते हैं:-

१. ख़ुदा की कसम वह मोमिन नहीं। ख़ुदा की कसम वह मोमिन नहीं। ख़ुदा की कसम वह मोमिन नहीं। (यह तीन बार इरशाद फ़रमाया) अर्ज़ की गई कौन "या रसूलुल्लाह। फ़रमाया वह शख़्स कि उसके पड़ौसी उसकी आफ़तों से महफ़ूज़ न हों।

२. वह शख़्स जन्नत में नहीं जायेगा जिसका पड़ौसी उसकी आफ़तों से अम्न में नहीं है। (मुस्लिम)

३. पड़ौसियों में अल्लाह तआला के नज़दीक वह बेहतर है जो अपने पड़ौसी का खैर ख़्वाह हो। (तिर्मिज़ी)

४. जो शख़्स अल्लाह और कियामत पर ईमान रखता है वह अपने व अपने पड़ौसी का एहतराम करे। (हाकिम)

५. मोमिन वह नहीं जो खुद पेट भर खाए और उसका पड़ौसी उसके पहलू में भूखा रहे। यानी मोमिन कामिल नहीं। (तबरानी)

इन अहादीस करीमा से साफ़ रोशन है कि हमसायों के साथ मुहब्बत व यगानगत से पेश आना, उसकी इज़्ज़त बढ़ाना, उसकी ज़रूरतों का ख़्याल रखना और हर हाल में उस का खैर ख़्वाह रहना ईमान व कामिल ईमान और रसूल की महबूबियत की अलामत है। इसीलिए ऐसे के लिए जन्नत के दरवाज़ खुले हुए हैं।

पड़ौसीयों में मुहब्बत की तरक्क़ी और ताल्लुकात की इस्तवारी का बेहतरीन ज़रिया बाहम हदयों तोहफ़ों का तबादला है। उसके लिए मामूली खाने पीने की चीज़ें भी कार आमद हैं।

उन तोहफ़ों के भेजने या कुबूल करने का मौका औरतों को ज़्यादा पेश आता है, इसलिए औरतों को खसूसन यह तालीम दी गई कि कोई पड़ौसी औरत दूसरी पड़ौसी के लिए किसी हदिया को हकीर न समझे अगरचे बकरी का खुर ही क्यों न हो।"

यह नसीहत दोनों बीबीयों के लिए हैं। यानी न तो भेजने वाली यह ख़्याल करे कि इतनी मामूली चीज़ क्या भेजूं और न दूसरी को यह ख्याल आये कि इतना हकीर तोहफ़ा क्यों कुबूल करूं। दोनों में से कोई उस तोहफ़ा को हकीर न जाने।

एक हदीस शरीफ़ में है कि एक शख़्स ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह फलां औरत के मुताल्लिक ज़िक्र किया जाता है कि

नमाज़ रोज़ा कसरत से करती है मगर यह बात भी है कि वह अपने पड़ोसीयों को ज़बान से तक्लीफ़ देती है। फ़रमाया "जहन्नम" में है। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह फ़लां औरत के मुताल्लिक़ ज़िक्र किया जाता है कि उसके नमाज़ रोज़ा व सदक़ा में कमी है। (यानी रोज़ा, नफ़िल, नमाज़ें और सदक़ा कम करती है) मगर अपनी ज़बान से पड़ोसीयों को ईज़ा नहीं देती। फ़रमाया जन्नत में है।

औरतें इस हदीस को ग़ौर से पढ़ कर हमेशा के लिए ज़ेहन नशीन कर लें। बाज़ अहादीस में पड़ोसीयों के यह हक़ूक़ इरशाद फ़रमाए गए हैं:-

१. जब वह मदद मांगे तो उसकी मदद करो।

२. जब कोई चीज़ तलब करे तो उसे क़र्ज़ दो।

३. जब वह मोहताज हो तो उसकी हाजत पूरी करो।

४. जब वह बीमार हो तो उसकी इयादत करो।

५. जब उसके यहां कोई ख़ुशी की बात हो तो मुबारक बाद दो।

६. जब वह बिला वजह ग़म में हो तो उसकी ताज़ीयत को जाओ।

७. जब वह मर जाये जो जनाज़ा के साथ जाओ।

८. बग़ैर इजाज़त अपनी इमारत बुलन्द न करो कि उसकी हवा रोक दो।

९. मेवे खरीदो तो उसके पास भी हदिया करो।

१०. अपनी हांडी से उसे ईज़ा न दो। कुछ उसे भी दो।

फिर (हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि पड़ोसी तीन क़िस्म के हैं। बाज़ के तीन हक़ हैं। बाज़ के दो और बाज़ के सिर्फ़ एक।

जो पड़ौसी मुसलमान हो और रिश्तेदार भी उसके तीन हक़ हैं हक़ हमसायगी हक़ इस्लाम और हक़ कराबत, और जो पड़ौसी मुसलमान के रिश्तेदार नहीं उसके दो हक़ हैं हक़ हमसायेगी और हक़ इस्लाम और पड़ौसी ग़ैर मुस्लिम का सिर्फ़ एक हक़ है हक़ हमसायेगी।

व लिहाज़ा उलमा फ़रमाते हैं कि काफ़िर पड़ौसी को भी नाहक़ न सताया जाये, मसलन हिन्दू है तो मुसलमान को यह न चाहिए कि गोश्त खा कर उसकी छत पर या उसके घर के सामने उसे ईज़ा पहुंचाने के लिए हड्डियां डाले।

मुतफ़र्रिक़ आदाब

रोज़ मर्रा ज़िन्दगी के आदाब से मुताल्लिक़ यह बात उसूली तौर पर पेश नज़र रखनी चाहिए कि मुसलमान मर्द ख्वाह औरत की जिस्मानी कैफ़ियत व हालत में ऐसी कोई तब्दीली न हो तहज़ीब व वक़ार के मनाफ़ी हो या उस हालत को बरक़रार रखना लोगों में नफ़रत व कराहत पैदा करे और उसे देख कर लोगों में नागवारी का रद्देअमल हो। मसलन-

जमाही लेने में जबकि इन्सान का मुंह खुल जाता है और उसके मुंह से हाहा की नागवार आवाज़ निकलती है तो चेहरे की कुदरती हैयत बदल कर मज़हका खेज़ शक्ल पैदा हो जाती है और हाथ में हाथ डाल कर ऊपर की जानिब ज़ोर लगाना और भी बदशकल बना देता है और बिलखसूस औरतों का जिस्मानी उभार उसे और भी शर्मनाक बना देता है। इसलिए शरीअत इस्लामिया ने हुक्म दिया कि जमाही आये तो उसे रोकना मुस्तहब है। अगर रोके से न रुके तो

होंट को दांतों से दबाए और उस पर भी न रुके तो दाहिना या बायां हाथ मुंह पर रखदे या आस्तीन से मुंह छुपा ले।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जमाही शैतान की तरफ से है। जब तुम में से किसी को जमाही आये तो जहां तक मुमकिन हो रोके। बाज़ रिवायतों में है कि शैतान मुंह में घुस जाता है। बाज़ में है "शैतान देख कर मुस्कुराता है। उलेमा फरमाते हैं कि जो जमाही में मुंह को खोल देता है। शैतान उसके मुंह में थूक देता है और वह जो काह काह की आवाज़ आती है वह शैतान का कहकहा है कि उसका मुंह बिगड़ा देख कर ठट्ठा लगाता है और वह जो रतूबत निकलती है वह शैतान का थूक है। जमाही रोकने की बेहतर तरकीब यह है कि, जब मालूम हो तो दिल में ख्याल करे कि अम्बिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम उससे महफूज़ हैं फौरन रुक जायेगी। (रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

२. जमाही के बरखिलाफ, छींक का अमल, बदन के हल्के फुल्के होने, मसामात जिस्म के खुलने और बहुत ज़्यादा न खाने की अलामत और शिफा का ज़रिया है। इसीलिए शरीअत ने हुक्म दिया कि वह अलहम्दुलिल्लाह कहे और दूसरे उसके जवाब में "यर रहमकुल्लाह" कहें ताहम बाज़ औकात इस हालम में नाक से बलग़म या मुंह से लुआब निकल आता है। इसलिए छींकते वक़्त मुंह को हाथ या कपड़े से ढांक कर सर झुका लेना और कोशिश करना चाहिए कि उसकी आवाज़ पस्त हो और दूसरों की नागवारी का बाइस न बने।

३. आम मजमे में अंगड़ाई और डकार लेना बुरी बात मअयूब और ग़ैर पसन्दीदा हरकत है हदीस शरीफ में है कि एक शख़्स ने आप के सामने डकार ली तो आप ने फरमाया कि अपनी डकार को

रोके। क्योंकि जो लोग दुनियां में बहुत पेट भर लेते हैं वह आख़िरत में सब से ज़्यादा भूखे रहेंगे। (तिर्मिज़ी)

४. कहकहा मार कर हंसना यूं भी पसन्दीदा नहीं और महफ़िल में बिलख़ुसूस जबकि उसमें दीनी व दुनियावी व वजाहत वाले शरीक हों और ज़्यादा ना पसन्दीदा और मोअज़्ज़मान दीनी के रूबरू इस तरह हंसना ख़िलाफ़ अदब है और ज़्यादा नापसन्दीद तर।

५. बिला ज़रूरत कमर पर हाथ न रखें।

६. थूकने की ज़रूरत हो तो क़िबला रू हरगिज़ न थूके न दायें जानिब बल्कि बायें जानिब थूके। और पान की पीक थूके तो इसका ख़्याल रखें कि पीक के अजज़ा उस पर या किसी और पर न उड़ें।

७. पाजामा कभी खड़े होकर न पहनें और मर्द बैठ कर अमामा न बांधे। हदीस शरीफ़ में है कि वह ऐसे मर्ज़ में गिरफ़्तार होगा जिसका इलाज नहीं। मौलाए करीम अपनी पनाह में रखे, और आफ़ियत दे।

८. ख़्वाब की ताबीर हमेशा किसी सालेह और आलिमे दीन से पूछे और अपना ख़्वाब हर एक से बयान न करे। वरना नुक़्सान का अन्देशा है।

९. दीन व दुनिया का कोई काम करो उसके मुताल्लिक अहलुराए से मशवरा कर लो कि दीन व दुनिया में बरकत का मोजब है।

१०. मुसलमान मुर्दों को कभी बुराई से याद न करो वह गुज़र चुके और तुम्हारा दामन अबतक दुनिया की अलाईशों में मुलव्विस हैं।

११. बुराई सरज़द हो जाये तो कोई नेक काम कर लो कि यह नेकी उस बुराई को मिटा देगी और नेक काम करके इतराओ मत कि सब अकारत जाए।

१२. नये महीने का चान्द नज़र आए तो फ़ौरन दरूद शरीफ़ पढ़ो और दुआ मांगो और कोशिश करो कि नज़र किसी अच्छी सूरत या प्यारी चीज़ पर पड़े।

१३. जब कोई शख़्स दूसरे के मकान पर जाये तो पहले अन्दर आने की इजाज़त हासिल करे फिर जब अन्दर जाये तो पहले सलाम करे उसके बाद बातचीत।

१४. किसी के दरवाज़े पर जाकर आवाज़ दे और वह पुछें कि "कौन' तो उसके जवाब में यह कहे कि "मैं" जैसा कि अमूमन लोग कह दिया करते हैं। इस जवाब को हुजू र अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नापसन्द फ़रमाया है। बल्कि जवाब में अपना नाम ज़ाहिर करे क्योंकि "मैं" का लफ़्ज़ तो हर शख़्स अपने लिए कह सकता है। यह जवाब ही कब हुआ।

१५. साहबे ख़ाना ने इजाज़त न दी या फ़र्ज़ करो कि मकान से कोई जवाब न मिला तो यह नराज़गी की बात नहीं। हो सकता है कि उस वक़्त किसी ख़ास काम में मशगूल हो या उसे उस वक़्त मिलना उसकी किसी जायज़ मसलिहत के बरख़िलाफ़ हो।

१६. किसी भी हालत में अपने ऊपर और अपनी औलाद व अमवाल पर बद दुआ न करो। कहीं ऐसा न हो कि यह बद दुआ ऐसी साअत में हो जिसमें जो दुआ खुदा से की जाए कुबूल होती है। (हदीस शरीफ़)

१७. रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "सबसे ज़्यादा बुरा क़ियामत के दिन उसे पाओगे जो दोरुख़ा यानी मुनाफ़िक़ों की तरह कहीं कुछ कहता है और कहीं कुछ यह नहीं कि एक तरह की बात सब जगह कहे। (बुख़ारी)

१८. सिला रहमी यानी रिश्ता वालों से नेकी और सुलूक करना,

इसकी मुख़्तलिफ़ सूरतें हैं। उनको तोहफ़ा देना हदिया भेजना। किसी काम में उन्हें तुम्हारी इआनत व इमदाद दरकार हो तो उसमें कोताही नहीं करना बल्कि उस काम में मकदूर भर उनकी मदद करना। उन्हें सलाम करना उनकी मुलाक़ात को जाना उनके पास उठना बैठना, उनसे बात करना और उनके साथ लुत्फ़ व मेहरबानी से पेश आना, और ख़ुद परदेस में हो तो उनके साथ ख़त व किताबत जारी रखना ताकि बे ताल्लुकी पैदा न हो और हो सके तो वतन आये और रिश्तदारों से ताल्लुकात ताज़ा करे। इस तरह करने से मुहब्बत में इज़ाफ़ा होगा। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

१९. बाप के बाद दादा और बड़े भाई का मर्तबा है कि बड़ा भाई बाप ही होता है। बड़ी बहन और ख़ाला, मां की जगह पर हैं। बाज़ उलेमा ने चचा को बाप की मिस्ल बताया। (रद्दुलमुहतार)

२०. सिला रहमी उसी का नाम नहीं कि वह जो सुलूक करे तो तुम भी करो। यह चीज़ तो मकाफ़ात यानी अदला बदला है कि उसने तुम्हारे पास चीज़ भेजदी तुम ने उसके पास भेज दी वह तुम्हारे यहां आया तुम उस के पास चले गए हकीकतन सिलारहमी यह है कि वह काटे और तुम जोड़ो वह तुम से जुदा होना चाहता है और तुम उसके साथ रिश्ता के हकूक़ की रियायत करो। (रद्दुलमुहतार)

२१. मैले कपड़े कि उन्हें धोकर दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। बे मसरफ़ जान कर इधर-उधर न फेंके जायें कि आख़िर मसरफ़ में लाना है। उन्हें एहतियात से एक जगह जमा रखें ताकि बवक़्त ज़रूरत आसानी से दस्तियाब हो जायें। बाज़ बुज़ुर्गोंने दीन की तरफ़ यह बात मंसूब है कि वह उस शख़्स की शफ़ाअत करेंगे जो मैले कपड़े एहतियात से रखेगा।

२२. खुददारी, इज़्ज़त नफ़्स और शरीफ़ाना रख रखाव का दूसरा नाम है। लेकिन इस एहतियात के साथ कि ओछापन या तुनक मिज़ाजी या ग़ुरूर व नुमाईश की बू तक न आये।

२३. जब ख़ुदा ने माल दिया है तो उसके फ़ज़्ल व करम और एहसान व नेअमत का असर अहले ख़ाना और तुम्हारे जिस्म पर भी ज़ाहिर होना चाहिए। अच्छा खाओ पियो घर में शौहर के लिए बन संवर कर रहो फोहड़पन, बदसलीक़गी से दूर भागो कि यह बद बला है।

२४. उम्मुलमोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु अन्हा से किसी ने पूछा कि रसुलुल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कौन सा अमल नेक, सबसे ज़्यादा महबूब था। फ़रमाया "वह नेकी जिस पर मदामत की जाये यानी उसे हमेशा जारी रखा जाये ख़ुद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि ख़ुदा के नज़दीक सबसे बेहतर अमल वह है जिसको हमेशा किया जाये अगरचे वह थोड़ा हो। (बुख़ारी)

२५. एक मुसलमान के लिए इस्लाम और ईमान की नेमत व इज़्ज़त वह दौलत है जिसके मुक़ाबला में सारी नेमतें और दौलतें हेच हैं। लिहाज़ा कोशिश करो कि हत्तलइमकान कोई काम कोई हरकत इस्लाम के मुनाफ़ी सरज़द न हो और ख़िलाफ़ शरअ कोई क़दम न उठे।

असबाबे फ़िक्र व तंगदस्ती

(माख़ुज़ अज़ मामूलात मशाईख़ मतबूआ देहली व दौलते बे ज़वाल वग़ैरह)

कुतुब मुतदावला में जो असबाब कि इन्सान को मुफ़लिस कर देते हैं। बकसरत लिखे हैं। चुंकि एहसाए और शुमार इस मुख़्तसर रिसाला में दुशवार है। इसलिए लब्बे लबाब के तौर पर इख़्तिसार के साथ दर्ज किये जाते हैं। उसे कुतब मोतबर का इन्तख़ाब समझना चाहिए। हक़ तआला सब मुसलमानों को उस बलाए नागहानी से निकाले और उनके अक़वाल व अफ़आल अपनी मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ कर दे और मुझ को और इस रिसाला के नाज़िरीन और जुमला मुसलिमीन व मुसल्लिमात को अपनी रहमत कामिला से नवाज़े आमीन''

फ़क़ीर कादरी अर्ज़ करता है कि उन असबाब में वे भी हैं जिन का ज़िक्र कुरआन व हदीस में मिलता है और अक्सर और बेश्तर वे हैं जो अकाबिर मिल्लत व रहनुमायाने शरीअत ने अपने अपने मुशाहिदे और तजुर्बे से दरयाफ़्त किये। तो जो इन असबाब से अपने आप को दूर रखेगा ख़ुद ही फ़ायदा उठायेगा और जो उनमें मुलव्विस होगा वह ख़ुद देख लेगा कि उसने क्या खोया क्यों कर खोया।

हां आदमी यह कभी न भूले के मौअस्सिर हक़ीक़ी अल्लाह अज़्ज़ोजल है और हर नफ़ा व नुक़सान की कुंजी उसी के दस्त कुदरत में है वह जो चाहे करे उससे कोई बाज़ पुर्स करने वाला नहीं।

वह असबाब यह हैं:-

१. झूठ बोलना

२. ज़िना करना।

३. गुनाहों में मशगूल रहना।

४. झूठी कसमें खाना।

५. जनाबत में खाना खाना

६. बरहना पेशाब करना

७. शब में झाडू देना खसूसन कपड़े से झाड़ना

८. नाखुन दांत से तराशना

९. पाजामा या दामन या आंचल से मुंह पोंछना

१०. फकीरों से रोटी के टुकड़े खरीदना

११. खड़े होकर पाजामा पहनना

१२. बैठ कर दस्तार यानी अमामा बांधना

१३. खुश्क बालों में कंघी करना या खड़े हो कर बाल काढ़ना।

१४. शकिसता कंघा इस्तेमाल करना।

१५. मां बाप का नाम लेकर पुकारना

१६. मिकराज़ (कैंची) से मोये ज़ेरे नाफ कांटना

१७. चालीस रोज़ से ज़्यादा ज़ेरे नाफ के बाल रखना।

१८. बुजूर्गों के आगे चलना।

१९. दरवाज़े पर बैठने की आदत करना।

२०. लहसुन प्याज़ के पोस्त जलाना।

२१. मकड़ी के जाले दूर न करना।

२२. जूं को ज़िन्दा छोड़ना

२३. नमाज़ में काहिली करना

२४. फटे हुए कपड़े को न सीना

२५. फज्र की नमाज़ पढ़ कर मस्जिद से जल्द निकल आना

२६. सुबह के वक़्त सोना।

२७. औलाद पर बावजूद मालदारी, तंगी करना।

२८. बग़ैर हाथ धोये खाना खाना

२९. खाने के बाद बर्तन साफ़ न करना

३०. अहल व अयाल से लड़ते रहना।

३१. मय्यत के करीब बैठ कर रोना।

३२. खिलाल करते वक़्त जो रेशा निकले उसे फिर मुंह में रख लेना।

३३. हर किस्म की लकड़ी से खिलाल करना।

३४. खाने पीने के बर्तन खुले हुए रखना।

३५. चिराग़ मुंह की फूंक से बुझाना।

३६. बाज़ार में सबसे पहले जाना और बाद में आना।

३७. औंधे जूते को देखना और उसको सीधा न करना। दौलते बे ज़वाल में लिखा है कि अगर रात भर जूता औंधा पड़ा तो शैतान उस पर आन कर बैठता है। वह उसके तख़्त हैं।

३८. बकरियों के गल्ले में घुस कर चलना। ख़सूसन शाम के वक़्त

३९. औलाद को गाली देना या ल़ानत करना।

४०. फ़क़ीर को झिड़क देना।

४१. बायां पावं पहले पाजामा में डालना और बायें हाथ की आस्तीन पहले पहनना।

४२. क़ब्रिस्तान में हंसना।

४३. कूड़ा करकट घर में जमा रखना।

४४. सुबह होते ही, ख़ुदा व रसूल का नाम लिए, ज़िक्र किये बग़ैर, दुनियां में मशग़ूल हो जाना।

४५. मग़रिब और इशा के दरमियान सोना।

४६. गाने बजाने में दिल लगाना।

४७. बिला वजह शरअ अपनों से ताल्लुकात ख़त्म कर लेना।

४८. सिला रहमी न करना।

४९. जनाबत की हालत में नाख़ुन तराशना या सर मुंडवाना या मोए ज़ेर नाफ़ वग़ैरह साफ़ करना।

५०. ज़कात या सदक़ात वाजिब मसलन क़ुर्बानी व कफ़्फ़ारा कसम वग़ैरह के अदा करने में बुख़्ल करना। या ख़्वाह मख़्वाह उन्हें टालते रहना।

५१. बग़ैर हाजत सवाल करना

५२. अमानत में खयानत करना।

५३. अंधेरे में खाना खाना।

५४. मां बाप को ईज़ा देना।

५५. कुरआन पाक को बे वुजू हाथ लगाना।

५६. शब चहार शम्बा (बुद्ध की रात, या शब यक शम्बा (इतवार की रात में) बीबी से सोहबत करना। अगर इस सोहबत में हमल भी रहा तो बच्चा बे हया और बदनसीब पैदा होगा और हमेशा मुफलिस और हरीस रहेगा। (मौलाए करीम अपना फ़ज़्ल फरमाए ग़ालिबन इसी बिना पर सनीचर और मंगल के दिन, दुल्हन ब्याह कर नहीं लाते, बुजुर्गों और घर की बड़ी बुढ़ियों का यह अमल यह फकीर अपने बचपन से देखता आ रहा है।)

५७. कहत की नीयत से ग़ल्ला रोकना कि और मंहगा होगा जब बेचेंगे।

५८. कुमार बाज़ी या गाने बजाने के आलात वग़ैरह घर में रखना हदीस शरीफ़ में है कि जिस घर में शराब और दफ़ और तंबूरा

(सारंगी सितार वग़ैरह) हो उस घर के आदमियों की दुआ क़ुबूल न होगी और उस घर में रहमत के फ़रिश्ते का नुज़ूल न होगा।

५९. रास्ता में पेशाब करना और (बि सतरी हो तो हराम व गुनाह है।)

६०. हमेशा बेहूदा गोई मसख़रा पन और हज़लियात (मज़ाक़ दिल लगी) में मसरूफ़ रहना।

६१. नंगे सर खाना खाना।

६२. नंगे सर बैतुलख़ला में जाना।

६३. निकले हुए खाने में देर करना (कि खाना दस्तरख़्वान पर उल्टा उनका इन्तिज़ार कर रहा है।)

६४. बरहना सर बाज़ार में फिरना और औरतों का नंगे सर रहना और अजनबियों के सामने उसी हालत में आना जाना हराम हराम हराम और सख़्त गुनाह है।

६५. सज्दा तिलावत न करना। या बा वुज़ू होते हुए उसमें देर लगाना।

६६. तिलावत करना कि दौरान आयते स ज्दा छोड़ कर आगे बढ़ना।

६७. दूसरे शख़्स का कंघा आरियतन मांग कर, इस्तेमाल करना। (ख़ुसूसन) साफ़ किये बग़ैर कि दूसरे के बाल उसके बालों में उलझें।

६८. हौज़ या तालाब या बहते पानी में पेशाब करना। उससे निसयान भी पैदा होता है। दौलते बे ज़वाल में लिखा है कि पांच चीज़ों से भूल पैदा होती है। हौज़ वग़ैरह में पेशाब करना। राख पर पेशाब करना चूहे का झूठा खाना। क़िबला की तरफ़ मुंह करके पेशाब

करना। ज़िन्दगानी हराम ख़ोरी में गंवाना बल्कि ग़ौर कीजिए तो यह आख़िरी एक मुसतकिल बला व अज़ाब है।

६९. नहाने की जगह पेशाब करना

७०. बरहना हो कर सोना।

७१. सोते वक़्त पाजामा या तहबन्द सर के नीचे रख कर सोना। (दौलते बे ज़वाल में लिखा है कि इससे ख़्वाब ख़ौफ़नाक नज़र आता है।)

७२. बिला ज़रूरत, बिस्तर के पास पानी का लोटा, या सिलफ़्क्ची पेशाब के लिए रखना।

७३. नमाज़ क़ज़ा कर देना।

७४. मस्जिद में दुनिया की बातें करना।

७५. वुज़ू करते वक़्त दुनिया की बातें करना। (उस वक़्त दुआयें पढ़े या फिर ख़ामोश रहे।)

७६. बिला वजह शरई किसी के तोहफ़ा हदिया या नमाज़ को रद्द कर देना।

७७. रोटी को ख़्वार रखना (कि उसकी बेअदबी हो और पैरों में आए।)

७८. वुज़ू की जगह पेशाब या पेशाब की जगह वुज़ू करना।

७९. दरवाज़े पर बैठ कर कुछ खाना पीना (यह ख़िलाफ़े अदब भी है और काबिल नफ़रत भी।)

८०. उस्ताद की अज़मत व तौक़ीर में कमी करना कि मआज़अल्लाह उसकी तौहीन है।

८१. मिट्टी या चीनी के शकिस्ता बर्तन इस्तेमाल में रखना ख़्वाह उससे पानी पीना।

८२. शकिस्ता या गिरहदार क़लम से लिखना।

८३. क़लम का तराशा इधर उधर डाल देना कि पैरों में आए।

८४. मेहमान को हिक़ारत से देखना और उसके आने से नाखुश होना।

८५. बैतुलख़ला में बातें करना या वहां किसी दीनी बात में ग़ौर व ताम्मुल करना।

८६. मर्दों को छोटा इस्तिंजा करते वक़्त आम गुज़रगाह पर टहलना और बातें करना।

८७. बग़ैर बुलाए दावत में जाना।

८८. चार पाई पर दस्तरख़ान रखे बगैर खाना खाना।

८९. चार पाई पर खुद सरहाने बैठना और खाना पाईन्ती रखना।

९०. दांतों से रोटी कतरना।

९१. दांतों को बिला वजह कपड़े से मलना जैसे मिसवाक करते हैं।

९२. जुल्म करना किसी को नाहक ईज़ा देना अगरचे जानवर को।

९३. गुनाह के कामों में ज़िद करना और अपनी बात पर अड़ जाना।

९४. जिस बर्तन में खाना खाया है उसी में हाथ धोना।

९५. कुरआन शरीफ़ घर में मौजूद होते हुए न पढ़ना।

९६. मां बाप, उस्ताद, मुर्शिद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करना।

९७. दरवाज़े की देहलीज़ पर तकिया लगाना या सर रख कर सोना।

९८. सब्ज़ दरख़्त काट कर उसकी लकड़ियां फ़रोख़्त करना।

९९. बिला ज़रूरत जानवर ज़िबह करने का पेशा अख़्तियार करना।

१००. सही रिश्ता मिलने के बावजूद जवान लड़कियों का न ब्याहना।

"मामूलाते मशाईख़" से प० हम ने जो कुछ नक़ल किया इस सिलसिले में यह बता देना भी मुफ़ीद और कारआमद होगा कि अहकामे शरीअत के ख़िलाफ़ क़दम बढ़ाना अपने लिए बरकतों के दरवाज़े बन्द करना और नुहूसत व इफ़लास और फ़िक्र व तंगदस्ती को दावत देना है।

इस तक़दीर पर और बहुत लोग ऐसे निकल सकते हैं कि दानिस्ता, मुज़र्रतों में गिरते और फिर बलाओं में घिर कर ख़ुद कर्दा का इलाज ढूंडते हैं। दुआयें करते हैं और इस बाब में दुआयें उनके हक़ में क़ुबूल नहीं होतीं। सबब ज़ाहिर है कि यह काम ख़ुद उन्होंने अपने हाथ से किए हैं।

मसलन हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं:-

तीन शख़्स अल्लाह तआला से दुआ करते हैं और उनकी दुआ क़ुबूल नहीं होती।

एक वह जिस के निकाह में कोई बद ख़ुल्क़ औरत हो और वह उसे तलाक़ न दे।

दूसरा वह जिसका किसी पर कुछ आता था और उसके गवाह न करे।

तीसरा वह जिसने बेवक़ूफ़ बे अक़्ल को माल सुपुर्द कर दिया हालांकि अल्लाह तआला फ़रमाता है।

सफ़ीहों को अपना माल न दे। (हाकिम)

एक और हदीस शरीफ़ में छः को गिन कर इर्शाद फ़रमाया।

एक वह कि वीराने मकान में उतरे।

दूसरा वह मुसाफ़िर कि सरे राह मुक़ाम करे रास्ते से हट कर न ठहरे।

तीसरा वह जिसने ख़ुद अपना जानवर छोड़ दिया। अब ख़ुदा से दुआ करता है कि उसे रोक दे। (तबरानी)

तो यह छः हुए जिन की निस्बत तसरीह फ़रमाई कि इनकी दुआ क़ुबूल नहीं होती।

और ज़ाहिर है कि जब दुआ क़ुबूल न होगी बरकत जायेगी, परेशानी आयेगी इज़्तराब और बेक़रारी में इज़ाफ़ा होगा और इफ़्लास व तंगदस्ती मुंह चिढ़ायेगी और इन उमूर में अदम क़ुबूल का सबब ज़ाहिर कि यह काम ख़ुद अपने हाथों किये हैं।

वीराने मकान में उतरने वाला उसकी मुज़र्रतों से आगाह है। फिर अगर वहां चोरी हो या कोई लूट ले या जिन्न ईज़ा पहुंचायें तो यह बातें ख़ुद उसकी क़ुबूल की हुई हैं। अब क्यों इनकी रफ़अ की दुआयें करता और घबराता है।

यूंही जब रास्ता पर क़ियाम किया तो हर क़िस्म के लोग गुज़रेंगे। अब अगर चोरी हो जाये या हाथी घोड़े के पांव या किसी और सवारी से नुक़सान पहुंच जाये या रात को सांप वग़ैरह से ईज़ा पहुंचे तो उसका अपना किया हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं शब को सरे राह न उतरो कि अल्लाह तआला अपनी मख़्लूक़ से जिसे चाहे राहे राह पर फैलने की इजाज़त देता है। ज़ाहिर है कि उसकी ख़िलाफ़ वरज़ी नुहूसत ही लायेगी। और

जानवर बल्कि अपने किसी भी माल को बिला हिफ़ाज़त बे एहतियाती से छोड़ कर यह दुआ करना कि अल्लाह उसकी हिफ़ाज़त कर ज़ाहिर हिमाक़त है। क्या वाहिदे क़हार को आज़माना या माअज़अल्लाह उसे अपना महकूम ठहराता है।

और औरत की निस्बत सहीह हदीस से साबित कि टेढ़ी पसली से बनी है उसकी कजी हरगिज़ न जायेगी। सीधा करना चाहा तो टूट जायेगी और उसका टूटना यह है कि तलाक़ दे दी जाये पस या तो आदमी उसकी कजी पर सब्र करे या तलाक़ दे दे। यह कि न तलाक़ देता है न सब्र करता है बल्कि बद दुआ देता है ख़्वाह ख़ुद को या औरत को और रोज़ रोज़ की कल कल से घबराया घबराया बोखलाया बोखलाया-फिरता है। अब घर में नुहूसत न आयेगी तो क्या रहमत व बरकत की बारिश होगी।

और सफ़ीहा ना तजुर्बाकार, नाक़ाबिले एतमाद को माल देकर जब गवाह न किये तो ख़ुद अपना माल हलाकत में डाला। सफ़ीहा को देना बरबादी के लिए पेश करना है। फिर दानिस्ता मुज़र्रत में गिरकर हलाकत की दुआ मांगना हिमाक़त नहीं तो और क्या है। ख़ुलासा यह है कि:-

(ख़ुद) ख़्वेशतन कर्दा इलाजे नीस्त

उलमाए किराम व सुफ़ियाए एज़ाम ने इस मौक़े की मुनासिबत से और भी ऐसे लोग गिनाए हैं जो ख़ुदकर्दा का इलाज ढूंडते हैं।

मसलन जो बग़ैर किसी सख़्त मजबूरी के रात को ऐसे वक़्त घर से बाहर निकले कि लोग सो गए हों पांव की पहचल रास्तों से मौक़ूफ़ होगयी।

सही हदीस में इससे मुमानिअत फ़रमाई कि उस वक़्त बलायें

मुन्तशिर होती हैं। या[7] रात को दरवाज़ा खुला छोड़ दे।

या बग़ैर[1] अल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े बन्द करे कि शैतान उसे खोल सकता है और जब बिस्मिल्लाह पढ़ कर दाहिना पांव मकान में रखे तो शैतान कि साथ आया था बाहर रह जाता है और जब बिस्मिल्लाह पढ़ कर दरवाज़ा बन्द करे तो उसके खोलने पर कुदरत नहीं रखता।

या खाने[4] पीने के बर्तन बिस्मिल्लाह कह कर न ढांके कि बलायें उतरती और खराब कर देती हैं। फिर वह तआम व मशरूब बीमारियां लाते हैं।

या बच्चे[5] को मग़रिब के वक़्त बाहर निकाले कि उस वक़्त शयातीन मुन्तशिर होते हैं।

या खाने[6] से फ़ारिग़ होकर बे हाथ धोए सो रहे कि शैतान चाटता है और मआज़ल्लाह बर्स का बाइस होता है।

या ग़ुस्लख़ाने[7] में पेशाब करे कि इससे वसवसा पैदा होता है।

या छज्जे[8] के करीब सोए और छत पर रोक न हो कि गिर पड़ने का एहतमाल है।

या औरत[9] से हमबिस्तरी के वक़्त बिस्मिल्लाह न कहे कि शैतान शरीक हो जाता है और अपना अजूव उसके अजूव के साथ दाख़िल करता है जिसके बाइस बच्चा इंसान व शैतान दोनों के नुतफ़े से बनता और फिर बुरा तुख़्म बुरा ही फल लाता है।

या खाना[10] बग़ैर बिस्मिल्लाह के खाए कि शैतान साथ खाता और जो तआम चंद मुसलमानों को किफ़ायत करता एक ही के खाने में फ़ना हो जाता है।

या ज़मीन[11] के सुराखों में पेशाब करे कि कभी सांप वग़ैरह

जानवरों का घर या जिन्न का मकान होता है और इंसान ईज़ा पाता है।

या अपनी ख़्वाह[12] अपने दोस्त की कोई चीज़ पसंद आए तो उस पर नज़रे बद दूर करने की दुआ
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَيْهِ وَلَا تَضُرَّهٗ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
न पढ़े कि नज़रे हक़ है। मर्द को क़ब्र और ऊंट को रेग में दाख़िल कर देती है।

या तनहा[13] सफ़र कि फ़ुस्साक़े इंस व जिन्न से मुज़िर्रत पहुंचती है और हर काम में दिक़्क़त पेश आती है।

या[14] हंगामे जिमाअ, शर्मगाहे ज़न की तरफ़ निगाह करे कि मआज़ल्लाह अपने या बच्चे या दिल के अंधे होने का बाइस है।

या[15] उस वक़्त बातें करे कि बच्चे के गूंगे होने का एहतमाल है।

या[16] खड़े खड़े पानी पिया करे कि दर्दे जिगर का मूरिस है।

या[17] पाख़ाना में बग़ैर बिस्मिल्लाह और
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ कहे जाए कि ख़ब्बीस (मर्द ख़्वाह औरत) जिन्न से मुज़िर्रत का अंदेशा है।

या[18] लोगों के रास्तों में ख़्वाह उनकी नशिस्त व बरख़ास्त की जगह पाख़ाना पेशाब करे या कूड़ा करकट डाले या ऊपर से पानी वग़ैरह फेंके कि उनके मुलव्विस होने को अंदेशा हो तो आप ही गालियां खाएगा।

या[19] सफ़र से पलट कर बग़ैर इत्तिलाअ किए रात को अपने घर में चला आए कि मकरूह देखने का एहतमाल है।

या[20] फ़ासिक़ों, फ़ाजिरों, बदवज़ओं, बदमज़हबों के पास नशिस्त

व बख़्वास्त करे उनसे मेल जोल ख़लत मलत रखे उनसे मशवेरा ले, उन पर एतमाद करे कि लोगों के नज़दीक उन्हीं में शुमार होगा और फिर मुहब्बत तो अपना रंग लाती ही है उनका रंग चढ़ जाए तो दीन व ईमान के रुख़सत होने या कल्बी बीमारियों के पैदा होने का ख़तरा सामने मौजूद और अगर बिलफ़र्ज़ सुहबते बद के असर से बचा तो मुत्तहिम व बदनाम ज़रूर हो जाएगा और मस्ल मशहूर है बद अच्छा बदनाम बुरा। फिर अक़ीदह की बदनामी, अमल की बदनामी से बदर्जहा बदतर।

यह और इस क़िस्म के सदहा उमूर व आदाब, अहादीसे करीमा में मासूर और उलेमाए अहले सुन्नत के फ़तावा व कुतुब में मज़कूर हैं। ख़ुदा तौफ़ीक़ दे और जो यहां ज़िक्र किए गए वही ज़ेहन नशीन रहें तो रहमते ख़ुदावन्दी को तवज्जोह फ़रमाते और बरकतों के नुज़ूल में क्या देर लगती है।

असबाबे ग़िना व फ़राख़दस्ती

१. नमाज़े इशराक़ यानी तुलू आफ़्ताब के कम अज़ कम २० मिनट बाद २ या ४ नफ़्लि पढ़ना।

२. चाश्त की नमाज़ की पाबन्दी करना। दौलत बे ज़वाल में लिखा है कि दो चीज़ें कभी जमा नहीं हो सकतीं। मुफ़लिसी और चाश्त की नमाज़ यानी जो कोई चाश्त की नमाज़ का पाबन्द होगा, कभी मुफ़लिस न होगा।

३. अय्यामे बैज़ यानी हर महीने की १३-१४ और १५ को रोज़ा रखना।

फ़ुतूहुल अवराद में मंकूल है कि तजुर्बा से यह बात साबित हो

चुकी है कि जो कोई अय्यामे बैज़ के रोज़े रखे उसके रिज़्क़ में वुसअत होगी। दुनियावी आफ़तों से महफ़ूज़ रहेगा और दोनों जहां में बरकतों से माला माल।

४. सूर: वाक़िया का हमेशा बिलख़सूस बाद मग़रिब पढ़ते रहना।

५. मर्दों को अव्वल वक़्त फ़ज्र में, सुन्नत फ़ज्र अपने घर पढ़ कर, फ़ज्र नमाज़ के लिए मस्जिद में जाना कि बाज़ रिवायत में आया है कि जिस शख़्स ने फ़ज्र की सुन्नतें अपने घर में पढ़ी अल्लाह तआला उसका रिज़्क़ कुशादह करता है। उसके अइज़्ज़ा व अक़ारिब का झगड़ा उससे कम हो जाता है और उसका ख़ात्मा ईमान पर होता है।

६. नमाज़ पंचगाना के लिए अज़ान का जवाब देना और उसका एहतराम बजा लाना, कि लेटा हो तो बैठ जाए अवराद व वज़ाईफ़ बल्कि तिलावत कुरआन मौक़ूफ़ कर दे। सर पर टोपी दो पट्टा वग़ैरह डाल ले। हरगिज़ हरगिज़ दुनिया की कोई बात न करे कि ईमान में ख़लल आने का अन्देशा है।

७. दीनी मालूमात फ़राहम करने की कोशिश में लगा होना।

८. दूसरों तक इल्म दीन पहुंचाना अगरचे कुरआन की एक आयत या दीन का एक मसला कि दूसरों को तुम से जो ख़ैर की ख़बर पहुंचे वह तुम्हारे लिए मुबारक है।

९. ख़ुदा तौफ़ीक़ दे तो नमाज़े तहज्जुद पढ़ते रहना।

१०. तौबा व इस्तग़फ़ार करना। बिलख़सूस फ़ज्र की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान ७० बार।

११. मर्दों को हुक्मे शरई के मुताबिक चान्दी की अंगूठी में अक़ीक़ सुर्ख़ इस्तेमाल करना यह मोजब बर्कत भी है और दर्द व जिगर

को नाफ़ेअ थी।

१२. घर में आयतल कुर्सी और सूरः इख़लास पढ़ते रहना।

१३. सुबह के वक़्त या बाद अस्र, या मग़रिब व इशा के वक़्त माबीन न सोना।

१४. हर नमाज के बाद तसबीह फातिमा पढ़ना, यानी ३३ बार सुब्हानल्लाह ३३ बार अलहम्दु लिल्लाह और ३४ बार अल्लाहु अक्बर।

१५. कुरआन मजीद और दीनी किताबें दीनी मदरसों के लिए वक़्फ़ करना।

१६. वालिदैन की ख़िदमत में मसरूफ़ रहना।

१७. सूरः मुज़्ज़म्मिल और सूरः नबा की तिलावत कम अज़ कम एक बार कर लेना और सूरः मुल्क बाद इशा पढ़ कर सो रहना और शबे जुमा में सूरः कहफ़ पढ़ना।

१८. सिर्का घर में रखना।

१९. आशुरा मुहर्रम में मिसकीनों को खाना खिलाना कि आज के रोज़ जो चीज़ दूसरों को खिलाई पिलाई जाती है। साल भर तक उसमें बरकत रहती है। इसीलिए मुसलमानों में हलीम का अमल जारी है।

२०. दरूद शरीफ़ बकसरत पढ़ना

اللّٰهم صلّ وسلّم وبارك عليه وعلىٰ كلّ من ۔

هو محبوبٌ ومرضيٌّ لديه

दुआये ख़ैर

رب عزوجلّ رؤف رحیم کریم حی قیوم عظیم علیم جلّ
مجدہٗ سے بتوسل حضور سید المحبوبین سید المرسلین نبی الرحمۃ
شفیع الامۃ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہٖ واصحابہٖ وابنہ الاکرم
الغوث الاعظم واولیاء امتہٖ وعلماء ملتہٖ اجمعین۔

बनिहायत तजुर्रअ व ज़ारी दुआ है कि वह इस रिसाला-और इस फ़कीर बे माया की तमाम तालीफ़ात को ख़ालिसन लिवजहुल करीम फ़रमाये और अहले इस्लाम को आजिला आजिलन अब और आईन्दा उनसे नफ़ा बख़्शे आमीन।

برحمتک یا ارحم الراحمین۔
وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ سیدنا ومولٰنا محمد وآلہٖ وصحبہٖ اجمعین
سبحانک اللّٰھم وبحمدک اشہد ان لا الٰہ الا انت استغفرک
واتوب الیک

العبد

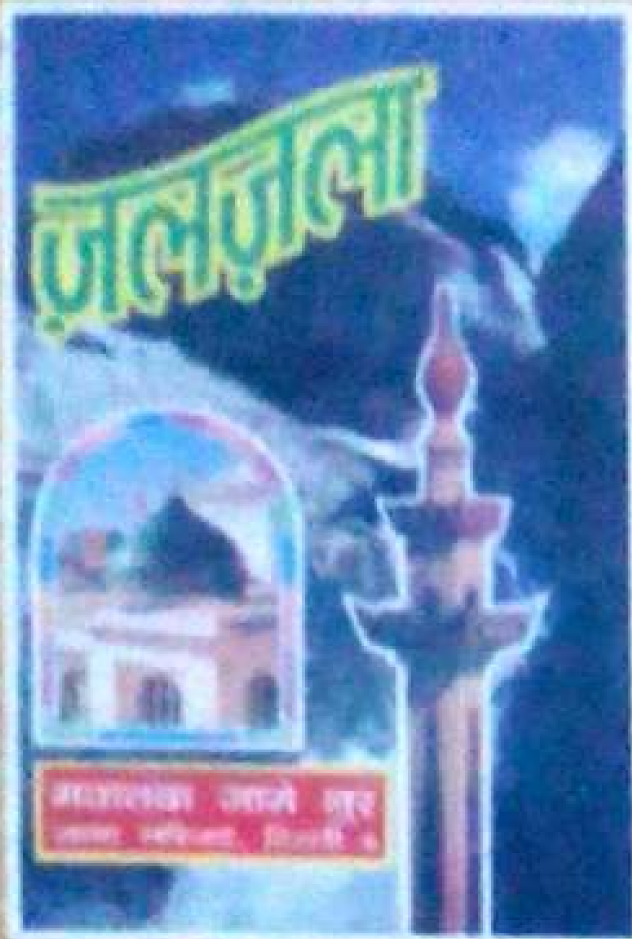
मुहम्मद ख़लील खां अलक़ादरी अलबरकाती अफ़ीअन्हु

प्रकाशक

मकतबा जामेनूर

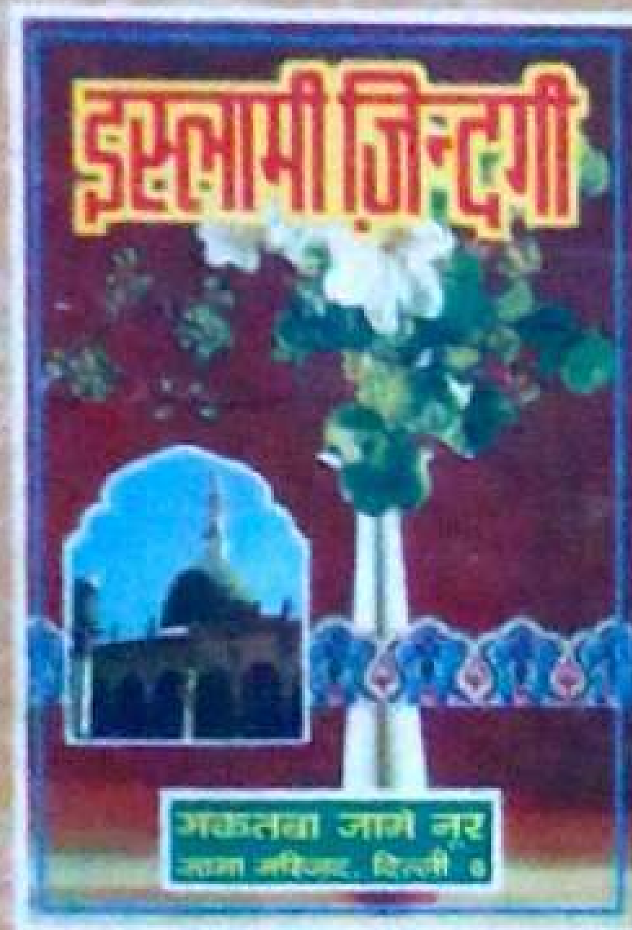
422-मटिया महल, जामा मस्जिद, देहली-6

फोन : 3281418













مکتبہ جام نور دہلی

Maktaba Jaam-e-Noor

422, Matia Mahal
Jama Masjid, Delhi - 6
Contacts
011-23281418, 8800522592